एकादश माला, खंड 15, अंक 10

मंगलवार, 5 अगस्त, 1997
14 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 57
Date 16.7.98

(खंड 15 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
मंगलवार, 5 अगस्त, 1997/14 श्रावण, 1919 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
134	18	290	2090
212	19	अम्बयरण्य	अम्बयारण्य
289	18	श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल	श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल
305	नीचे से 5	श्री पी॰ षण्मुगम	श्री पी॰ षण्मुगम
353	17	श्री के॰ परसुराम	श्री के॰ परसुरामन

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वंदना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 15, पांचवां सत्र, 1997/1919 (शक)

अंक 10, मंगलवार, 5 अगस्त, 1997/14 श्रावण, 1919 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या 181 से 183		1–25
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	184 से 200	26–57
अतारांकित प्रश्न संख्या	2006 से 2235	57–312
सभा पटल पर रखे गए पत्र		312–315
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		
नौवां और दसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश – *प्रस्तुत*		315
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) – *प्रस्तुत*		315–316
पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर रोक लगाए जाने के बारे में		316–331
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में		333–348
नियम 377 के अधीन मामले		349–353
(एक)	स्वदेशी कागज मिलों को बंद होने से बचाने के लिए अखबारी कागज पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	प्रो॰ ओम पाल सिंह ''निडर''	349
(दो)	बिहार के गुमला जिले में औषधीय जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री ललित उरांव	349–350
(तीन)	असम के उत्तरी छोर में बाली पाड़ा और जोनाई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 के रख-रखाव का कार्य सीमा सड़क महानिदेशालय को सौंपे जाने की आवश्यकता	
	श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका	350
(चार)	देश में कोयले के अवैध खनन को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	प्रो॰ अजित कुमार मेहता	351

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(पांच) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को और अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री अनन्त गंगाराम गीते	351
(छः) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के निवासियों को नागरिक सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता	
श्री सत्य पाल जैन	351–352
(सात) आन्ध्र प्रदेश में जादू-टोना करने वाले लोगों को जिन्दा जलाए जाने की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री जी० ए० चरण रेड्डी	352–353
(आठ) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र कलपक्कम तमिलनाडु के लिए जिन लोगों की भूमि अधिगृहीत की गई थी, उन्हें रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री के० परसुरामन	353
बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक	353–396, 429–452
श्री बसुदेव आचार्य	353–357
श्री जसवंत सिंह	357–362
श्री चित्त बसु	362–366
श्री ए०सी० जोस	366–376
श्री सुरेश प्रभु	376–380
श्री प्रमथेस मुखर्जी	380–382
श्री ई० अहमद	382–385
श्री निर्मल कांति चटर्जी	385–393, 429–440
श्री राजीव प्रताप रूड़ी	395–396, 440–442
श्री अजय मुखोपाध्याय	442–445
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय	445–447
जस्टिस गुमान मल लोढा	447–452
नियम 193 के अधीन चर्चा	396–428
प्राकृतिक आपदाओं के कारण जान-माल की भारी हानि	
श्री प्रहलाद सिंह	396–404
श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका	408–416
श्रीमती गीता मुखर्जी	416–417
श्री सुखराम	417–419
श्री नीतीश कुमार	419–426
श्री उद्धव बर्मन	426–428

लोक सभा

मंगलवार, 5 अगस्त, 1997/14 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

शिप ब्रेकिंग हेतु अमरीकी पोत

*181. **श्री एल• रमना** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात अपतट पर "शिप ब्रेकिंग" हेतु दो अमरीकी पोतों को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां,तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आपत्तियां उठाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस क्षेत्र की वनस्पति और जीव जन्तुओं पर "शिप ब्रेकिंग" का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो• सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, नहीं। अमरीकी दूतावास ने एक अनुरोध किया था जिसमें उन्होंने भंजनार्थ दो अमरीकी पोतों के विक्रय का अनुमोदन मांगा था और यह सूचित किया था कि पोतों में परिसंकटमय सामग्री की मौजूदगी की संभावना है। अतः पर्यावरण और वन मंत्रालय ने महसूस किया कि पोतों को भारत में भंजनार्थ तब तक न बेचा जाए जब तक कि ऐसे पोतों में मौजूद परिसंकटमय सामग्री की मात्रा का मूल्यांकन नहीं किया जाता और उनके निपटान के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से उचित अपेक्षाएं पूरी न कर ली गई हों।

(ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय के सुझाव पर इस्पात मंत्रालय द्वारा मैटालर्जिकल और इंजीनियरिंग कन्सलटैंट्स (मैकॉन) के माध्यम से "शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री-प्रेजेंट स्टेटस इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट" नामक एक अध्ययन कराया गया था। मेकॉन की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार, स्थलीय वनस्पति और प्राणी समूहों पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है। इस अध्ययन के अनुसार, हालांकि समुद्रीय वनस्पति (फाइटो-प्लैंक्टन प्रजातियों) की संरचना और सघनता में स्पष्ट विभिन्नता देखी गई है, लेकिन समुद्रीय प्राणी समूह (जू प्लेन-कटोन कम्युनिटी) की संरचना में कोई भिन्नता नहीं पाई गई है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि पोत भंजन गतिविधि में वृद्धि के कारण, अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत मछली पकड़ने के कार्य में कोई स्पष्ट गिरावट नहीं हुई है।

श्री एल• रमना : महोदय, मैं समझता हूं कि गुजरात के तट पर अमरीका के दो जहाजों के ध्वंस की मंजूरी दिए जाने के बारे में पर्यावरण मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय में मतभेद की स्थिति बनी हुई है। ये जहाज वर्ष 1930 के बने हुए हैं और उन पर किए गए रोगन में खतरनाक तत्व हैं। मैं यह भी समझता हूं कि इन जहाजों पर किया गया रोगन विषैला है इसलिए पर्यावरण मंत्रालय ने इन्हें स्वीकृति देने से मना कर दिया था।

यही मेरा पहला पूरक प्रश्न है। इन जहाजों के रोगन में रसायन हैं और वे खतरनाक हैं क्योंकि वन्य जीवन और मनुष्यों के प्रजनन प्रणाली पर सीधे ही प्रभाव डालते हैं और बच्चों की बुद्धि पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का विचार इस मामले की पूरी जांच करने का है कि इस संबंध में आपत्ति किये जाने के बावजूद मंत्रालय ने अनुमति प्रदान करने के बारे में क्यों सोचा ?

प्रो• सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, मेरे मंत्रालय द्वारा अमरीका के दो जहाजों को अनुमति प्रदान किए जाने का कोई प्रश्न नहीं है। सभा पटल पर रखे गए विवरण में मैंने कहा था कि जहाज अभी नहीं आए हैं और मैंने यह भी स्पष्ट किया था कि वे क्यों नहीं आ सके। परन्तु एक सप्ताह के प्रयास के पश्चात् कल शाम 8 बजे गुजरात मेरीटाइम बोर्ड ने मुझे इस बारे में लिखित सूचना दी। पहले, उन्होंने टेलीफोन पर संपर्क किया क्योंकि हमने इन दो जहाजों के लिए अनुमति देने से मना कर दिया था क्योंकि इसके लिए हमें अनेक एहतियात बरतने पड़ते। अतः मैं उस पत्तन का नाम जानना चाहता था जहां ये जहाज आए थे। मेरा विचार था कि ये जहाज यहीं-कहीं होंगे क्योंकि अमरीका सरकारी तौर हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि इन दोनों जहाजों में कोई खतरनाक तत्व मौजूद नहीं हैं। परन्तु हमें स्वयं आश्वस्त होना होगा और यह पता लगाना होगा कि क्या ये जहाज आ गए हैं अथवा नहीं ताकि हम किसी खतरनाक तत्व, यदि कोई हो, की जांच कर सकें। कल शाम 8 बजे मुझे गुजरात मेरीटाइम बोर्ड ने लिखित रूप में बताया कि ये दोनों जहाज, अथवा अन्य, आ गए हैं और उनकी सफाई की जा रही है। जब मैं इस बात की जानकारी सम्मानीय सदन को दे रहा हूं तो मेरा अपना मानना है कि गुजरात मेरीटाइम बोर्ड को जहाजों की सफाई करने का अधिकार प्राप्त है और ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। परन्तु, चूंकि मुझे एहतियाती उपाय करने हैं इसलिए मैंने आज सुबह लगभग 9.30 बजे गुजरात मेरीटाइम बोर्ड को तब तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है जब तक मैं इस बात की जांच करने के लिए एक समिति गठित नहीं कर देता कि क्या वे वही जहाज हैं जिनके बारे में चर्चा की गई थी और यदि हां, तो मेरा मंत्रालय इस बात से संतुष्ट होगा कि क्या इन जहाजों में कोई खतरनाक तत्व हैं या नहीं।

श्री एल• रमना : महोदय, भारतीय शिप-ब्रेकिंग उद्योग में पिछले पांच वर्षों में 29 प्रतिशत की कमी आई है जबकि बंगलादेश

और पाकिस्तान के इस उद्योग में वृध्दि हुई है। सरकार इस प्रकार की स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व कड़े उपाय क्यों कर रही है जबकि शिप-ब्रेकिंग उद्योग हजारों व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है और इस्पात भी सस्ते की मूल्य पर उपलब्ध होता है ? क्या सरकार इस प्रकार की स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय नहीं कर सकती है कि इन जहाजों में खतरनाक तत्व न हों जो प्राकृतिक वन्य जीवन में असंतुलन पैदा करते हैं ? क्या सरकार शिप-ब्रेकिंग उद्योग के कार्यकलापों में सहायता प्रदान करेगी ताकि इस्पात के आयात पर व्यय की जाने वाली विदेशी मुद्रा की बचत कर सकें और साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा किए जा सकें ?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, प्रश्न मेरे मंत्रालय या अन्य मंत्रालय द्वारा शिप-ब्रेकिंग के लिए स्वीकृति अथवा विशेष स्वीकृति प्रदान करने का नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य यह जानते होंगे कि उदारीकरण के दौर में एक खुली सामान्य लाइसेंस नीति है। खुली सामान्य लाईसेंस नीति व्यावहारिक रूप से वर्ष 1991 से लागू है। इसलिए कोई भी पक्ष जहाज ला सकता है परन्तु पर्यावरणीय कानून भी है। इस संबंध में कानूनी तौर पर केवल इस्पात मंत्रालय ही एक मात्र एजेंसी है। यह मंत्रालय शिप-ब्रेकिंग के बारे में जांच कर सकता है। उनके कुछ मानदंड हैं।

हमने इस्पात मंत्रालय से एक अध्ययन दल गठित करने के लिए कहा था। उन्होंने उक्त कार्य एम॰ ई॰ सी॰ ओ॰ एन॰ के माध्यम से किया ताकि पूरे मामले की जांच की जा सके कि क्या किसी खतरनाक तत्व के बारे में उचित ध्यान दिया जाएगा। एम॰ ई॰ सी॰ ओ॰ एन॰ की अंतरिम रिपोर्ट आ गई है। इससे पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है।

दूसरा पहलू, जिसकी ओर माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है, वह यह है कि क्या हम शिप-ब्रेकर्स की सहायता करेंगे ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। हां; यदि ये जहाज यहां लाए जाते हैं - यदि इन जहाजों को प्रदूषण पैदा किए बिना और तटीय क्षेत्र को कोई नुकसान किए बिना निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत तोड़ा जाए, तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए क्योंकि यह एक उचित कार्यकलाप है। परन्तु जहां उनसे वातावरण प्रदूषित होगा और वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। उसमें एक मामला यह भी है। दो अमरीकी जहाजों को इसलिए आने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि इस बात का विशेष उल्लेख किया जाना था कि क्या इन जहाजों के रोगन अथवा शीशे आदि में कोई ऐसे खतरनाक तत्व मौजूद हैं अथवा नहीं, जब इनसे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा तो हम उनकी सहायता करेंगे।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि हमने यू॰ एस॰ शिप को लाने के लिए ऐप्रूवल नहीं दिया। उसके साथ-साथ अभी बताया गया कि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने यह दोनों जहाज तो मंगवा लिए। मेरा सवाल मंत्री जी से यह है कि जब पर्यावरण डिपार्टमैंट यह तय करता है कि इसे नहीं मंगवाना फिर भी गुजरात मेरीटाइम बोर्ड ने किस आधार पर यह दोनों शिप मंगवाए ? यह ठीक है कि वहां पर स्टेटस को मेनटेन करने के लिए कहा गया। आज पर्यावरण और प्रदूषण के मुद्दे पर बहुत सारे शिप्स का ओब्जैक्शन यहां पर लिया जा रहा है। गुजरात में अलंग नाम का स्थान है, जहां पर शिप ब्रेकिंग का बहुत बड़ा काम काज हो रहा है, वहां पर पूरी तादाद में शिप नहीं मिलते। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब इस प्रकार का गैप ऑफ कोआर्डिनेशन बिटवीन दी स्टेट एंड सैन्ट्रल गवर्नमैंट है, जिस बेरोजगारी के बारे में मैंने बताया कि गुजरात में लोग इस वजह से बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो एक तो कोआर्डीनेशन कैसे बिठाया जाये और सैन्ट्रल गवर्नमैंट की एप्रूवल होते हुए भी ये जो शिप मंगवाये तो इसके बारे में गुजरात मैरीटाइम बोर्ड से क्या मशविरा करेंगे, क्या स्टैप्स लेंगे ? दूसरे जो शिप्स इस मंत्रालय की वजह से पूरी तादाद में नहीं मिल पाते, जबकि दुनिया भर में एवेलेबल हैं, लेकिन इस आधार पर नहीं मिल सकते और इसीलिए जो बेरोजगार लोग बढ रहे हैं, इसके लिए आपका डिपार्टमैंट क्या कर रहा है, मैं यह जानना चाहता हूं ?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : मैम्बर साहब ने कोआर्डीनेशन का जो यह सवाल उठाया है, यह कोआर्डीनेशन की जो थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, यह तो रात के आठ बजे उस वक्त पता चला, जब उन्होंने मेरे कहने पर तहरीर में लिखकर दिया कि क्या हालत हैं, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था कि ये दो जहाज कहां पर हैं।

श्री प्रमोद महाजन : यह अमेरिकी दूतावास ने नहीं बताया था, कहां हैं। अमेरिकी दूतावास जब आपको प्रार्थना पर प्रार्थना कर रहा था तो उन्होंने बताया नहीं था कि यहां पर हैं।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : अगर आपने मेरे सवाल का पूरा जवाब सुना होता तो आपको यह कहने की जरूरत नहीं होती। सवाल यह है कि अमेरिका ने चाहा कि ये दो जहाज आंये, ये प्राइवेट पार्टी के हैं। यू॰ एस॰ ने इसलिए पूछा कि हमारे कानून के मुताबिक नहीं, हमारे कानून के मुताबिक यह तो आपके सामने है कि इस वक्त ओ॰ जी॰ एल॰ है, ओपन जनरल लाईसेंस है कोई प्राईवेट पार्टी स्क्रैप को ला सकती है, जहाज को तोड़ सकती है, उसमें कोई पाबन्दी नही है। स्टील मिनिस्ट्री इस काम-काज को देख रही है। हमारा काम पर्यावरण को देखना है कि कहीं पोल्यूशन न हो जाये। अब यू॰ एस॰ को हमने इजाजत इसलिए नहीं दी कि उनका कानून कहता है कि वे किसी दूसरे मुल्क में जहाज नहीं भेज सकते हैं, उस मुल्क के पर्यावरण मंत्रालय की इजाजत लिये बगैर। जब हमको पता लग गया, उन्होंने खुद कहा था कि डिटेल में इसमें यह सब्सटैंस इतना हो सकता है तो हमने दो महीने के अन्दर उनको बता दिया कि आप नहीं ला सकते। अब 5-7 दिन से हम ढूंढ रहे थे कि अगर वे जहाज आये हैं तो कहां हैं। पता चला कि गुजरात के कोस्ट में उनको ब्लीथिंग के लिए रखा गया है, ब्लीथिंग हो रही है। हमने इसलिए उसको रोका, हम नहीं रोक सकते, क्योंकि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की अपनी एथॉरिटी है, हमको यह देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो बड़े पोर्ट्स हैं, जिसमें गुजरात का अलंग जो है, यह गुजरात का शिप ब्रेकिंग पोर्ट है। बताया जाता है कि यह

तो एशिया का सबसे बड़ा है, जितने जहाज तोड़े जाते हैं, उनमें 90 फीसदी तो गुजरात में ही होते हैं। इनका गुजरात मैरीटाइम बोर्ड का ब्लीचिंग का उसका अख्तियार है। फिर अन्दर पहुंचने पर उसको तोड़कर पार्टी को देने का अख्तियार पोर्ट ट्रस्ट को है। हमने इसमें इसलिए उसको एहतियात के तौर पर उनको बताया कि अभी रोकिये, मैं देखूंगा, अगर बड़ी दो जहाज हैं तो मेरे मंत्रालय को यह हक पहुंचता है कि उसे देखें, उसका सब्सटेंस क्या है, मुझको भी मौका मिलेगा। लेकिन गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने अपने अख्तियार का जायद इस्तेमाल किया है।

आपका दूसरा प्रश्न इसके साथ यह है, क्या शिप ब्रेकिंग के जरिये हम बेरोजगारों को रोजगार फराहम करेंगे, एम्पलायमेंट फराहम करेंगे। हमारे मंत्रालय का काम पोल्यूशन देखना है, हम रुकावट नहीं डालेंगे, क्योंकि यह काम अच्छा है। इससे स्टील ज्यादा फराहम होगा, इससे तरक्की होगी। पर्यावरण को ठीक रखते हुए जो लोग इस कारोबार में हैं, उनको कोई रुकावट नहीं है।

प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज (मरकजी वजीर माहूलियात व जंगलात): ممبر صاحب نے کو آرڈینیشن کا جو سوال اٹھایا ہے، یہ کو آرڈینیشن کی جو تھوڑی سی کمی نظر آرہی ہے یہ تورات کے آٹھ بجے اس وقت پتہ چلا، جب انہوں نے میرے کہنے سے تحریر میں لکھ کر دیا کہ کیا حالت ہے، کیونکہ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ دو جہاز کہاں پر ہیں۔

श्री परमोद महाजन (मुंबई): वह अमरीकी सफारत खाने ने नहीं बताया था, कहां है। अमरीकी सफारत खाना जब आप को फोन पर इत्तला कर रहा था तो उनसे नहीं बताया कि वह यहां पर हैं।

प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज: اگر آپ نے میرے سوال کا پورا جواب سنا ہوتا تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ امریکا نے چاہا کہ یہ دو جہاز آئیں، یہ پرائیویٹ پارٹی کے ہیں۔ U.S. نے اسلئے پوچھا کہ ہمارے قانون کے مطابق نہیں، ہمارے قانون کے مطابق یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت لو۔ جی۔ ایل۔ ہے، لوپن جنرل لائسنس ہے۔ کوئی پرائیویٹ پارٹی اسکریپ کو لا سکتی ہے، جہاز کو توڑ سکتی ہے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسٹیل منسٹری اس کام کاج کو دیکھ رہی ہے۔ ہمارا کام پریاورن کو دیکھنا ہے کہ کہیں پولیوشن نہ ہو جائے۔ اب U.S. کو ہم نے اجازت اسلئے نہیں دی کہ ان کا قانون کہتا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک میں جہاز نہیں بھیج سکتے ہیں، اس ملک کے پریاورن منتزالیے کی اجازت لئے بغیر۔ جب ہم کو پتہ لگ گیا انہوں نے خود کہا تھا کہ detail میں اس میں یہ سبسٹینس اتنا ہو سکتا ہے تو ہم نے دو مہینے کے اندر ان کو بتادیا کہ آپ نہیں لا سکتے۔ اب ۵۔ ۷ دن سے ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ اگر وہ جہاز آئے ہیں تو کہاں ہیں۔ پتہ چلا کہ گجرات کے کوسٹ میں ان کو بیچنگ کے لئے رکھا گیا ہے، بیچنگ ہو رہی ہے۔ ہم نے اسلئے اس کو روکا، ہم نہیں روک سکتے، کیونکہ گجرات میری ٹائم بورڈ کو اپنی اتھارٹی ہے ہم کو یہ دیکھنا پڑیگا کہ ہمارے پاس جو بڑے پورٹس ہیں، جس میں گجرات کا النگ جو ہے، یہ گجرات کا شپ بریکنگ پورٹ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ تو ایشیا کا سب سے بڑا ہے، جتنے جہاز توڑے جاتے ہیں ان میں ۹۰ فیصدی تو گجرات میں ہی رہتے ہیں۔ ان کا گجرات میری ٹائم بورڈ کا بیچنگ کا اس کا اختیار ہے۔ پھر اندر پہنچنے پر اس کو توڑ کر پارٹی کو دینے کا اختیار پورٹ ٹرسٹ کو ہے۔ ہم اس میں اسلئے اس کو احتیاط کے طور پر ان کو بتایا کہ ابھی روکیئے، میں دیکھونگا، اگر وہی دو جہاز ہیں تو میری وزارت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اسے دیکھے، اس کا سبسٹینس کیا ہے مجھکو بھی موقع ملیگا۔ لیکن گجرات میری ٹائم بورڈ نے اپنے اختیار کا زائد استعمال کیا ہے۔

آپ کا دوسرا سوال اسکے ساتھ یہ ہے کہ کیا شپ بریکنگ کے ذریعے ہم بے روزگاروں کو روزگار فراہم کریں گے، ایمپلائمنٹ فراہم کریں گے۔ ہماری وزارت کا کام پولیوشن دیکھنا ہے، ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ یہ کام اچھا ہے۔ اس سے اسٹیل زیادہ فراہم ہوگا، اس سے ترقی ہوگی۔ پریاورن کو ٹھیک رکھتے ہوئے جو لوگ اس کاروبار میں ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

श्री प्रमोद महाजन : उपाध्यक्ष जी, हमारे देश में जहाज भंजन का व्यवसाय ओ॰ जी॰ एल॰ पर है। उसके कारण जहाज तोड़ने को मंगाने के लिए किसी भी केन्द्र सरकार की एजेंसी की अनुमति आवश्यक नहीं है। लेकिन उस पर अगर कोई परिसंकटमय सामग्री हो और वैसा जहाज अगर कोई निजी कम्पनी लाकर तोड़े तो उसके कारण स्वाभाविक रूप से वहां संकट पैदा हो सकता है, जो केवल कम्पनी के लिए नहीं है, समन्दर के लिए भी होगा, उस परिसर के लिए भी है। अमेरिका का कानून है कि वह जब जहाजभंजन को भेजते हैं, किसी और देश को बेचते हैं तो उनके जहाज पर अगर कोई ऐसी सामग्री हो तो वे दूसरे देशों से सम्पर्क करते हैं कि आपका पर्यावरण मंत्रालय इसको देख ले, आपके पास समस्या न आये। अगर यह अमेरिका का कानून नहीं होता तो ऐसी परिसंकटमय सामग्री भरा जहाज हमारे यहां तोड़ा भी जाता, तो केन्द्र सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। इसलिए मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह ओ॰ जी॰ एल॰ में होने के बाद भी अगर परिसंकटमय सामग्री उसमें हो, तो ऐसे जहाज तोड़ने के पहले केन्द्र सरकार की अनुमति लेनी चाहिए, क्या कोई इस तरह का परिवर्तन कानून में करने का सरकार का इरादा है?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज .: प्रमोद जी ने जबर्दस्त अहम् सवाल उठाया है। अगर कोई जहाज यहां आता है जिसमें हजार्डस सब्सटेंस होगी उसका ख्याल हम नहीं करेंगे और पर्यावरण को नुकसान होगा तो क्या हम ऐसा काम आइंदा करेंगे, मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड को मैंने रोक दिया है कि आगे मत बढो, जब तक हमारे मंत्रालय से विशेषज्ञ वहां देखने के लिए नहीं आते, यह भी उस तरफ एक कदम है। .....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उनको जवाब पूरा करने दें।

श्री प्रमोद महाजन : अगर कानून नहीं है तो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड बोल सकता है कि हम इस सम्बन्ध में आपकी नहीं सुनेंगे, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। कोई प्राइवेट लाएगा तो क्या करोगे?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : मैं आपके प्रश्न का इस्तेकबाल करता हूं कि आइंदा के लिए हमें और सुरक्षित होना पड़ेगा। मैं यह अर्ज कर रहा हूं स्टील मिनिस्ट्री का इख्तियार है बड़े पोर्ट्स पर, उसके जरिए मैकान, जो बड़ी अच्छी एजेंसी है, उसने रिपोर्ट तैयार की है कि पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा और भी मैजर्स लिए जा रहे हैं। पर्यावरण मंत्रालय

का सी॰ आर॰ जेड॰ नोटिफिकेशन भी लागू है, स्टील प्लांट कंट्रोल बोर्ड भी है। इसके अलावा जो कोस्ट गार्ड है, उनको भी हिदायत दी है कि ये देखें किसकी चीज आएगी और किसी नहीं आएगी। ये चीजें पूरी की जा रही हैं। मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिसमें कहा गया हो कि इस जहाज के जरिए पर्यावरण खराब हो जाएगा। फिर भी हमने इस पर नोटिस लिया है। आपका बुनियादी प्रश्न गालिबन यह है कि आइंदा के लिए और अधिक सुरक्षित रहने के लिए और इक्दामाद किए जाएं। मैं यह देख लूंगा कि क्या किया जा सकता है।

[अनुवाद]

मैं पूरे मामले की जांच करूंगा।

प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज : प्रमोद जी ने ज़बरदस्त अहम सवाल उठाया है। अगर कोई जहाज़ यहां आता है जिस में Hazardous सब्सटेंसिस होंगी उसका ख्याल हम नहीं करेंगे और पर्यावरण को नुकसान होगा तो क्या हम ऐसा काम आइंदा करेंगे, मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि गुजरात मेरी टाइम बोर्ड में मैंने रोक दिया है कि आगे मत बढ़ो जब तक हमारी वज़ारत से माहिरीन वहां देखने नहीं आते, यह भी इस तरफ एक कदम है।... (मदाखलत)

डिप्टी स्पीकर साहब : उनको जवाब पूरा करने दें।

श्री परमोद महाजन : अगर कानून नहीं है तो गुजरात मेरी टाइम बोर्ड बोल सकता है कि हम इस सिलसिले में आप की नहीं सुनेंगे, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई प्राइवेट पार्टी लाएगा तो आप क्या करेंगे?

प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज : मैं आपके सवाल का इस्तकबाल करता हूं कि आइंदा के लिए हमें और सुरक्षित होना पड़ेगा। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि सिविल मिनिस्ट्री का अधिकार है बड़े पोर्टस पर, उसके जरिये मैकेनिज्म, जो बड़ी अच्छी एजेंसी है, उसने रिपोर्ट तैयार की है कि पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा पर्यावरण मिनिस्ट्री के जरिये और भी मैकेनिज्म लिये जा रहे हैं। पर्यावरण मिनिस्ट्री का सी॰ आर॰ जेड॰ नोटिफिकेशन भी लागू है। सिविल प्लांट कंट्रोल बोर्ड भी है। इसके अलावा जो कोस्ट गार्ड है, उनको भी हिदायत दी है कि ये देखें किसकी चीज आएगी और किसकी नहीं आएगी। ये चीजें पूरी की जा रही हैं। मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिसमें कहा गया हो कि इस जहाज के जरिए पर्यावरण खराब हो जाएगा। फिर भी हमने इस पर नोटिस लिया है। आपका बुनियादी प्रश्न गालिबन यह है कि आइंदा के लिए और अधिक सुरक्षित रहने के लिए और इक्दामाद किए जाएं। मैं यह देख लूंगा कि क्या किया जा सकता है।

श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल : आपने जो टीम भेजी उसने पर्यावरण के बारे में अध्ययन किया। उस टीम ने वहां आस-पास और परिसर में रहने वाले लोगों से पूछा और वह जाकर देखकर आई। क्या उसने किसी सरकारी अधिकारी से बात की या किसी पब्लिक एन॰ जी॰ ओज॰ से मिली? मेरी जानकारी के हिसाब से नहीं मिली। अमेरिका वाले ऐसी बातें हमारे यहां करते रहते हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिए।

श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल : मैं यह जानना चाहता हूं कि बिना अनुमति के दो जहाज हमारे एरिया में आ गए उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उनको आप वापस भेजेंगे?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, अमेरिका की जो दरख्वास्त थी उसने जो सवाल उठाया, वह तहरीर में किया। उसके बाद वहां के अम्बेसडर श्री विजनर भी मुझसे आफिशियली मिले। लेकिन उसे बावजूद भी हमने अनुमति नहीं दी। हमें उसमें यह देखना था कि इसमें कोई खतरनाक सब्सटेंस तो नहीं है। इसलिए हमसे जब पूछा गया तो हमने इजाजत नहीं दी .....*(व्यवधान)*

प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अमेरिका की जो दरख्वास्त थी उसने जो सवाल उठाया, वह तहरीर में किया। उसके बाद वहां के अम्बेसडर श्री विजनर भी मुझसे आफिशियली मिले। लेकिन उसे बावजूद भी हमने अनुमति नहीं दी। हमें उसमें यह देखना था कि इसमें कोई खतरनाक सब्सटेंस तो नहीं है। इसलिए हमसे जब पूछा गया तो हमने इजाजत नहीं दी। ....(मदाखलत)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले जवाब होने दें। आप बैठ जाएं।

श्री रमेन्द्र कुमार : एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं होगा, उन्हें जवाब पूरा करने दें।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : हमसे इसलिए पूछा गया क्योंकि उस मुल्क के कानून के मुताबिक जिस मुल्क में जहाज जाना है, यह प्राइवेट कम्पनी का था, उस मुल्क की पर्यावरण मिनिस्टरी से अनुमति लेनी जरूरी है। ....*(व्यवधान)* आप पूरा जवाब सुन लें। लेकिन हमने अनुमति नहीं दी।

गुजरात मेरीटाइम बोर्ड का जो एक्ट है, जो स्टेट का कानून है उसके तहत आज ही नहीं बिल्क बरसों से रूस के, जापान के, अमेरिका के जहाज आते रहे हैं, तोड़े जाते रहे हैं क्योंकि यह एक्टीविटी है जिसको जायज करार दिया गया है। इसलिए इजाजत देना और सबस्टेंसेस कराना पर्यावरण खराब होने का कोई सवाल नहीं है। अब हमने गुजरात से क्यों पूछा, आज सुबह तार दिया और फैक्स पर उनको यह इत्तिला दी गई कि आपने अपने कानून के मुताबिक किया होगा, लेकिन हमको तब भी इन दो जहाजों का मुआयना करना है।

श्री चमन लाल गुप्त : इस सरकार में और क्या होगा?

پروفیسر سیف الدین سوز : ہم سے اسلئے پوچھا گیا کیونکہ اس ملک کے قانون کے مطابق جس ملک میں جہاز جانا ہے، یہ پرائیویٹ کمپنی کا تعلق اس ملک کی پریاورن منسٹری سے اجازت لینی ضروری ہے۔ ...(مداخلت) آپ پورا جواب سن لیں۔ لیکن ہم نے اجازت نہیں دی۔ اب گجرات سرکار نے جو کیا ہے میں نے آپ کے سامنے یہ پوزیشن لی ہے۔ گجرات میری ٹائم بورڈ کا جو ایکٹ ہے، جو اسٹیٹ کا قانون ہے اس کے تحت آج ہی نہیں بلکہ برسوں سے روس کے، جاپان کے، امریکا کے جہاز آتے رہے ہیں، توڑے جاتے رہے ہیں کیونکہ یہ ایکٹیویٹی ہے جس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اسلئے اجازت دینا اور سسٹینس کرنا پریاورن خراب ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اب ہم نے گجرات سے کیوں پوچھا، آج صبح تار دیا اور فیکس پر ان کو یہ اطلاع دی گئی کہ آپ نے اپنے قانون کے مطابق کیا ہوگا، لیکن ہم کو تب بھی ان دو جہازوں کا معائنہ کرنا ہے۔

[अनुवाद]

महोदय, इस अवसर पर मेरा यह मत है कि विश्व के किसी भी देश को यह अनुमति नहीं दी जाएगी कि वह भारत को डम्पिंग स्थल बना दे। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूँ .....*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : आप ऐसा तभी कर सकते हैं यदि आप कानून में परिवर्तन कर दें।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : नहीं। मैं यह मामले की जांच करूंगा। .....*(व्यवधान)*

उपध्यक्ष महोदय, निरंतर पूछताछ के पश्चात् गुजरात मेरीटाइम बोर्ड ने मुझे कल शाम 8 बजे लिखित सूचना दी थी। मैंने आज सुबह ही इसके बारे में सदन को सूचित करने का निश्चय कर लिया था। .....*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : इस पर आधे घंटे की चर्चा किए जाने की आवश्यकता है ....*(व्यवधान)*

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : उनसे यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया है और इसकी जांच की जाएगी। .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : उपाध्यक्ष जी, प्रश्न का उत्तर असंदिग्ध है, सीधी बात है कि आप प्रश्न के उत्तर को देखें। अमरीकन दूतावास ने आपको सूचित किया, पहले परमिशन मांगी और सूचित किया था कि पोर्टों में परिसंकटमय सामग्री की संभावना है।

[अनुवाद]

अमरीकी दूतावास ने पहले ही कहा है कि उसने आपके द्वारा उन्हें शिप-ब्रेकिंग के लिए आलांग आने की अनुमति दिए जाने से पूर्व उन्हें सावधान कर दिया है।

[हिन्दी]

मंत्रालय को जब यह सूचना अमेरीकन दूतावास से मिली तो क्या मंत्रालय के परिप्रेक्ष्य में अमेरीकन दूतावास से बातचीत की ? जब आपको पहले मालूम था कि इसमें परिसंकटमय सामग्री के लिए संभावना है तो कैसे ये दो जहाज हिन्दुस्तान में आ गए, शिप मेकिंग करने के काम में लग गए। आपने उसको बाद में रोक लगाई। मगर इन दो जहाजों का देश में आना और वह भी आपके मंत्रालय को सूचना करने के बाद आना, इसकी जिम्मेदारी गुजरात मेरीटाइम बोर्ड की नहीं है। आप मेरीटाइम बोर्ड को गलत रास्ते पर ले जा रहे हो। आपके मंत्रालय की जिम्मेदार थी, अमेरीकन दूतावास से कहने के बाद भी आपने उसको एलाऊ कर दिया।

[अनुवाद]

आपके मंत्रालय में इस बात का पता लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है कि क्या ये खतरनाक जहाज आ चुके हैं अथवा नहीं ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो कह रहे हैं कि परमिशन नहीं दी। आपका प्रश्न क्या है ?

श्री हरिन पाठक : मेरा प्रश्न यह है कि बगैर मंजूरी के, बगैर अप्रूवल के जहाज आ गए और हमारे समुद्र की सीमा पर आ गए। मंत्रालय ने अमेरीकन दूतावास से कहा कि इसमें डेजारडस मेटीरियल है तो इसमें कहां कमी रह गई। क्या मंत्री जी अपने मंत्रालय की इस कमजोरी को दूर करने के लिए, उन पर सख्ती बरतने के लिए कोई कदम उठाएंगे ?

[अनुवाद]

इसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अमरीकी सरकार ने आपको पहले ही सूचित कर दिया है कि इन दोनों जहाजों में कुछ खतरनाक सामग्री है। इसके बावजूद ये जहाज गुजरात तट पर कैसे आ गए ? .....*(व्यवधान)*

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : मेरे मंत्रालय द्वारा इन दोनों जहाजों को तोड़े जाने की अनुमति देने का कोई प्रश्न नहीं है। .....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरा उत्तर देने दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। सवाल यह है कि सदन में आने से पहले आज सुबह की जो लेटेस्ट पोजिशन थी वह मैं आपको बता रहा हूं।

پروفیسر سیف الدین سوز : آپ پہلے میری پوری بات سن لیجئے۔ سوال یہ ہے کہ سدن میں آنے سے پہلے آج صبح کی جو لیٹسٹ پوزیشن تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बात पूरी करने दीजिए।

[हिन्दी]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : कल शाम तक पोजीशन थी कि ये दो जहाज नहीं आये हैं। ज्यों ही यह सवाल मेरे नोटिस में आया तो मैंने इस पर तलाश शुरू की। अमरीका के दूतावास के कहने से थोड़े ही पॉलिसी बदल दूंगा। उनके साथ डिस्कशन करना जरूरी है। हमने उन्हें बता दिया है कि इन जहाजों को परमीशन नहीं मिलेगी। चूंकि आप भी मानते हैं कि इन जहाजों में हैजारडस मैटीरियल है।

پروفیسر سیف الدین سوز : کل شام تک پوزیشن تھی کہ یہ دو جہاز نہیں آئے ہیں۔ جوں ہی یہ سوال میرے نوٹس میں آیا تو میں نے اس پر تلاش شروع کی۔ امریکا کے سفارت خانہ کے کہنے سے تھوڑے ہی پالیسی بدل دونگا۔ ان کے ساتھ ڈسکشن کرنا ضروری ہے۔ ہم نے انہیں بتادیا ہے کہ ان جہازوں کو پرمیشن نہیں ملیگی۔ چونکہ آپ بھی مانتے ہیں کہ ان جہازوں میں Hazardous میٹیریل ہے۔

श्री रमेन्द्र कुमार : मंत्री जी यह बताएं कि बिना मर्जी के जहाज़ आये कैसे ?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : मेरी बात पूरी तो सुन लें, तब आप बोलें।

پروفیسر سیف الدین سوز : میری بات پوری سن لیں، تب آپ بولیں۔

प्रो॰ रासा सिंह रावत : बिना परमीशन के समुद्री सीमा में जहाज कैसे आये ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह कहते हुए खेद है, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

.....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सदन में शिष्टाचार बनाए रखें।

[हिन्दी]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : जब यह सवाल मेरे मंत्रालय में आया तो मैंने तमाम तलाश शुरू की कि कहीं हमारे परमीशन न देने के बावजूद जहाज आये तो नहीं हैं। तो कल शाम पौने आठ बजे तक की यह पोजीशन थी कि यह दो जहाज नहीं आये हैं।

सभापति महोदय : बात को बार-बार मत कहिये।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : नीडल गुजरात की तरफ इसलिए जाती है कि 90 प्रतिशत शिप-ट्रैकिंग वहीं होती है। बड़े पोर्ट में होता तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ख्याल रखती। इसलिए गुजरात को बताया गया, जुबानी पहले उन्होंने बताया कि वे दो शिप नहीं हैं। *.....(व्यवधान)* गुजरात से कहा गया कि हमको मुआयना करना है कि यह वही जहाज तो नहीं हैं। इसको हम देखेंगे। रात की पोजीशन वह थी और आज सुबह हमने उनको कहा है कि:

پروفیسر سیف الدین سوز : جب یہ سوال میری وزارت میں آیا تو میں نے تمام تلاش شروع کی کہ کہیں ہمارے پرمیشن نہ دینے کے باوجود جہاز آئے تو نہیں ہیں۔ تو کل شام پونے آٹھ بجے تک کی یہ پوزیشن تھی یہ دو جہاز نہیں آئے ہیں۔

ڈپٹی اسپیکر صاحب : بات کو بار بار مت کہئے۔

پروفیسر سیف الدین سوز : نیڈل گجرات کی طرف اسلئے جاتی ہے کہ ۹۰ فیصدی شپ ٹریفک وہی ہوتی ہے۔ بڑے پورٹ میں ایسا تو منسٹری آف شپنگ خیال رکھتی۔ اسلئے گجرات کو بتایا گیا، زبانی پہلے انہوں نے بتایا کہ وہ دو شپ نہیں ہیں۔ ... (مداخلت) گجرات سے کہا گیا کہ ہم کو معائنہ کرنا ہے کہ یہ وہی جہاز تو نہیں ہے۔ اس کو ہم دیکھیں گے۔ رات کو پوزیشن وہ تھی اور آج صبح ہم نے ان کو کہا کہ :

[अनुवाद]

हमें इन दोनों जहाजों की जांच करने तक यथास्थिति बनाए रखी जाए।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : यह जो प्रश्न और विषय सामने आया है यह पर्यावरण मंत्रालय के लिए नयी चीज है। मंत्री जी के जवाब से यह स्पष्ट हो रहा है कि उनकी जानकारी में और पर्यावरण मंत्रालय की जानकारी में ऐसा विषय पहली बार आया है। अमरीका ने खबर दी है कि ऐसी *.....(व्यवधान)* संभावना हो सकती है। लेकिन उपाध्यक्ष जी, यह सवाल यहीं तक सीमित नहीं है। यह पॉलिसी डिसीजन का सवाल है। *.....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

एम॰ ई॰ सी॰ ओ॰ एन॰ कन्सल्टेंसी मूलतः यांत्रिकी संबंधी कार्यों के लिए एक अभियांत्रिकी कन्सल्टेंसी है। आप अगर जवाब देखेंगे तो खुद शंका पैदा होती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मछली पकड़ने के कार्य में आई कमी का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है।

[हिन्दी]

यह संस्था अपने आप में इस काम के लिए सक्षम नहीं है। यह विषय पर्यावरण मंत्रालय के पास जो आया है वह नया है। भारत की कोस्टल-लाइन बहुत लम्बी है। इस बार अमरीका का जहाज आया है अगली बार फ्रांस या जर्मन का जहाज आ सकता है। मैं जानना चाहूंगा कि पर्यावरण मंत्रालय इस विषय पर क्या कोई नीतिगत फैसला लेने के लिए तैयार है जिससे ऐसा प्रावधान किया जा सके कि ऐसी बात दुबारा न हो। कोई भी जहाज हो तो उसमें लैंड होना ही है, उसमें तेल हो सकता है, उसमें कैमिकल हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसे जहाज देश में आते रहे, तो क्या पर्यावरण मंत्रालय कोई नीतिगत निर्णय लेने के लिए तैयार है।

[अनुवाद]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। इसके बारे में प्रत्येक एजेंसी को बता दिया गया है। हमने इस्पात

मंत्रालय और नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय को पत्र लिखे हैं और अपने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सचेत कर दिया है। मैंने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के चेयरमैनों की एक बैठक बुलाई है। यह विषय इस महीने 14 तारीख को होने वाली बैठक की कार्यसूची में भी शामिल है।

मैंने सम्मानीय सदन के समक्ष अपना मत व्यक्त किया है कि भारत को किसी खतरनाक सामग्री का डम्पिंग स्थल नहीं बनने दिया जाएगा। परन्तु जहां तक गुजरात मेरीटाइम बोर्ड का संबंध है, यह एक अधिनियम द्वारा शासित है तथा इसे जहाजों को तोड़ने का अधिकार प्राप्त है। मुझे इस संबंध में संदेह है इसलिए मैंने इस कार्य को रोक दिया है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि भविष्य में इसके लिए जिन उपायों की आवश्यकता होगी, मैं वे उपाय अवश्य करूँगा।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के जवाब से स्पष्ट होता है कि मंत्री महोदय को इस जहाज के बारे में यह जानकारी थी कि उसमें क्या सामान रखा हुआ था ? इसके बावजूद जहाज चलाया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी देश का कोई भी जहाज कोई भी सामान लेकर बिना सरकार की अनुमति के कहीं भी लाया जा सकता है ?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : मैं इस वक्त यहां खड़े होकर अपने मंत्रालय की बात कह सकता हूं। मैं कानून नहीं बदल सकता। प्रमोद महाजन जी ने एक सवाल यह उठाया था कि क्या आईंदा के लिए आप इस बारे में सोचेंगे कि हम ज्यादा सुरक्षित हो सकें और किसी पोर्ट पर कोई जहाज किसी मायने के बगैर ऐसे न आ सके। *.....(व्यवधान)*

प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज़ : मैं इस वक्त यहां खड़े होकर अपने मंत्रालय की बात कह सकता हूं। मैं कानून नहीं बदल सकता। प्रमोद महाजन जी ने एक सवाल यह उठाया था कि क्या आईंदा के लिए आप इस बारे में सोचेंगे कि हम ज्यादा सुरक्षित हो सकें और किसी पोर्ट पर कोई जहाज किसी मायने के बगैर ऐसे न आ सके। *.....(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सुन तो लीजिए। आपका सवाल हो गया है। आप जवाब भी सुन लीजिए।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : मैंने यह कहा है कि हर किस्म का प्रिकॉशन लिया गया है लेकिन आईंदा के लिए मजीद प्रिकॉशन लेने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा लेकिन यह कहना कि ओ॰ जी॰ एल॰ को खत्म कर दीजिए क्योंकि मुल्क में लिबरलाइजेशन लाया गया है। अब कोई भी प्राइवेट शक्ल में जहाज का स्क्रैप ला सकता है और यहां एक्टिविटीज कर सकता है। यह पर्यावरण को खराब न करे, इसके लिए कवानीन हमारे पास हैं। ऐसी कोई चीज मेरी नोटिस में आए तो मैं उसे देखूंगा।

श्री दिलीप संघानी : उपाध्यक्ष महोदय, अलंग शिप यार्ड और पिपावा शिप यार्ड मेरे क्षेत्र में आता है। जिस जहाज के बारे में यहां चर्चा हो रही है, उसके लिए इंटरनैशनल रूल्स बने हुए हैं। जब कोई जहाज काम करने में सक्षम नहीं होता तो उस जहाज का ऑक्शन होता है। उस ऑक्शन में कोई भी भाग ले सकता है। उस जहाज को अलग किसी शिप यार्ड में लाकर रखा जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जब उसका ब्रेक होता है तब गुजरात मैरीटाइम बोर्ड उसकी इजाजत देता है। इस जहाज का ब्रेक करने के समय उसकी परवाह करनी चाहिए थी। *.....(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका सवाल क्या है ?

श्री दिलीप संघानी : इसको दूसरी जगह लाने में दिक्कत आती है। आप इसकी परमिशन तो दे देते हैं लेकिन पर्यावरण की दिक्कत ज्यादा होती है। इसके अलावा साल में चार-पांच दफा शिप यार्ड में आग लग जाती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। आग पर काबू पाने में गुजरात मैरीटाइम बोर्ड सक्षम नहीं होता। इससे पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है, उसके लिए क्या सैंट्रल गवर्नमैंट कोई कदम उठाने जा रही है ? पिछले साल वहां कई बार आग लगी। आप इसकी जांच करके हमारी मदद करेंगे।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : चूंकि आपने यह सवाल उठाया, इसलिए मैं इस सबजैक्ट को इस पहलू से देखूंगा कि किस किस्म के ब्रेक के बाद उसकी क्या हालत हुई। मैं गुजरात मैरीटाइम बोर्ड को रोक नहीं सकता। यह चीज मेरे बगैर हुई। इसका शाम को पता लगा था। इस बारे में उनका अपना एक्ट है। जहाज ठीक करने का आपने जो प्रश्न उठाया है, मैं उसे देखूंगा।

प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज़ : चूंकि आपने यह सवाल उठाया, इसलिए मैं इस सबजैक्ट को इस पहलू से देखूंगा कि किस किस्म के ब्रेक के बाद उसकी क्या हालत हुई। मैं गुजरात मैरीटाइम बोर्ड को रोक नहीं सकता। यह चीज मेरे बगैर हुई। इसका शाम को पता लगा था। इस बारे में उनका अपना एक्ट है। जहाज ठीक करने का आपने जो प्रश्न उठाया है, मैं उसे देखूंगा।

प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज़ : मैंने यह कहा है कि हर किस्म का प्रिकॉशन लिया गया है लेकिन आईंदा के लिए मजीद प्रिकॉशन लेने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा लेकिन यह कहना कि ओ॰ जी॰ एल॰ को खत्म कर दीजिए क्योंकि मुल्क में लिबरलाइजेशन लाया गया है। अब कोई भी प्राइवेट शक्ल में जहाज का स्क्रैप ला सकता है और यहां एक्टिविटीज कर सकता है। यह पर्यावरण को खराब न करे, इसके लिए कवानीन हमारे पास हैं। ऐसी कोई चीज मेरी नोटिस में आए तो मैं उसे देखूंगा।

श्री दिलीप संघानी : उपाध्यक्ष महोदय, अलंग शिप यार्ड और पिपावा शिप यार्ड मेरे क्षेत्र में आता है। जिस जहाज के बारे में यहां चर्चा हो रही है, उसके लिए इंटरनैशनल रूल्स बने हुए हैं। जब कोई जहाज काम करने में सक्षम नहीं होता तो उस जहाज का ऑक्शन होता है। उस ऑक्शन में कोई भी भाग ले सकता है। उस जहाज को अलग किसी शिप यार्ड में लाकर रखा जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जब उसका ब्रेक होता है तब गुजरात मैरीटाइम बोर्ड उसकी इजाजत देता है। इस जहाज का ब्रेक करने के समय उसकी परवाह करनी चाहिए थी। *.....(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका सवाल क्या है ?

श्री दिलीप संघानी : इसको दूसरी जगह लाने में दिक्कत आती है। आप इसकी परमिशन तो दे देते हैं लेकिन पर्यावरण की दिक्कत ज्यादा होती है। इसके अलावा साल में चार-पांच दफा शिप यार्ड में आग लग जाती है जिससे कई लोग मर जाते हैं। आग पर काबू पाने में गुजरात मैरीटाइम बोर्ड सक्षम नहीं होता। इससे पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है, उसके लिए क्या सैंट्रल गवर्नमैंट कोई कदम उठाने जा रही है ? पिछले साल वहां कई बार आग लगी। आप इसकी जांच करके हमारी मदद करेंगे।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : चूंकि आपने यह सवाल उठाया, इसलिए मैं इस सबजैक्ट को इस पहलू से देखूंगा कि किस किस्म के ब्रेक के बाद उसकी क्या हालत हुई। मैं गुजरात मैरीटाइम बोर्ड को रोक नहीं सकता। यह चीज मेरे बगैर हुई। इसका शाम को पता लगा था। इस बारे में उनका अपना एक्ट है। जहाज ठीक करने का आपने जो प्रश्न उठाया है, मैं उसे देखूंगा।

प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज़ : मैंने यह कहा है कि हर किस्म का प्रिकॉशन लिया गया है लेकिन आईंदा के लिए मजीद प्रिकॉशन लेने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा लेकिन यह कहना कि ओ॰ जी॰ एल॰ को खत्म कर दीजिए क्योंकि मुल्क में लिबरलाइजेशन लाया गया है। अब कोई भी प्राइवेट शक्ल में जहाज का स्क्रैप ला सकता है और यहां एक्टिविटीज कर सकता है। यह पर्यावरण को खराब न करे, इसके लिए कवानीन हमारे पास हैं। ऐसी कोई चीज मेरी नोटिस में आए तो मैं उसे देखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सवाल महत्वपूर्ण है। पांच सप्लीमैंट्री की बजाय नौ सप्लीमैंट्री हो चुके हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि फिर भी इस बार को लेकर सभी एजिटेटिड हैं। इस सवाल के दो पहलू हैं। अगर वहां जहाज नहीं होते तो लोग बेकार हो जाते हैं अगर जहाज होते हैं तो उसके कारण प्रदूषण फैलता है। अभी तक यह नजर आया है कि इस पर अभी रशिया से और दूसरे देशों से बातचीत हुई है। इस पर किसी ने परमिशन मांगी है या नहीं ? अमेरिका का अपना कानून है कि ऐसे जहाज वहां न जा सकें। इसलिए परमिशन का सवाल आया। मेरा सुझाव है कि इन सब चीजों को देखते हुए कोई पालिसी बनाइए। अगर इस इशू पर आधे घंटे की चर्चा कर ली जाए तो अच्छा रहेगा।

[अनुवाद]

झींगा पालन

*182. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने तटीय राज्यों में झींगा पालन

को बंद करने संबंधी अपने निर्णय में फार्मों को बंद किए जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण पर्यावरण बताया था;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इस निर्णय के सभी पहलुओं की जांच की है और पर्यावरण की रक्षा हेतु कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने तटीय राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में झींगी कृषि उद्योग से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1996 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जलकृषि प्राधिकरण का गठन किया है। इस प्राधिकरण को पारिस्थितिकीय रूप से भंगुर तटीय क्षेत्रों, समुद्र के किनारे तथा तटीय नगर भाग के संरक्षण के लिए सभी आवश्यक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानकर चलता हूं कि मंत्री महोदय के हाथ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिस पर यह प्रश्न आधारित है। अगर उनके पास निर्णय हो तो मेरी प्रार्थना है कि उस निर्णय पर नजर डालें और उसमें जो 16 बिन्दु हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, उनमें से एक बिन्दु का आपने जवाब दिया है, बाकी 15 बिन्दुओं के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का केवल पहला बिन्दु मात्र स्वीकार करते हैं और बाकी 15 को आपने नजरअंदाज कर दिया ?

प्रो सैफुद्दीन सोज़ : हां, जार्ज साहब ने जो सवाल उठाया है, यह बहुत ही अहम है। उनका यह कहना कि एक बिन्दु पर अमल किया है, यह सही नहीं है। आनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश मेरे सामने है और उन 16 बिन्दुओं पर हमने गौर किया है और बड़े अदब के साथ अमल दरामद करने की कोशिश की है। पहला बिन्दु यह है कि एक अथारिटी होनी चाहिये जो एक्वाकल्चर को देखे और उस पर मेहनत करके एक्वाकल्चर अथारिटी को विराजमान किया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या मेहनत करनी पड़ी ?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : मेहनत यह करनी पड़ी की जबानी जमा खर्च नहीं होगा। चेयरमैन ढूंढना है, काबिल लोगों को ढूंढना है। बहरहाल, इसलिये एक्वा अथारिटी कायम होगी।

**प्रोफेसर

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं कि सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या हो रहा है। क्या आपने राज्य सभा में यह कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिटाने का निर्णय नहीं किया? वह कानून कल या परसों इस सदन में नहीं ला रहे हैं? उसके बाद भी आप मुझसे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अमल के काम में लगे हुये हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अगर यह मामला रिव्यु पेटीशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सामने था तो फिर यहां कानून लाकर उस निर्णय को बाध्य करने की क्या जरूरत पड़ी?

क्या बड़े पैसे वाले शक्तिवान लोगों के लिए ही यह सरकार है और जो छोटा किसान और छोटा मछुआरा है, जो प्रोन फार्म्स के चलते मारा जा रहा है, उसके बारे में सरकार कुछ नहीं सोचेगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरी तरह से अमल करने के लिए कदम नहीं उठाएगी?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : जार्ज साहब जो पोज़ीशन ले रहे हैं कि इधर बिल लेकर नहीं आना चाहिए, यह बहुत गलत बात है। सवाल यह है कि हमारे संविधान में तीन बहुत बड़े दायरे हैं, तीन सुतून हैं। यह लैजिस्लेचर है। अवाम की नुमाइंदा जमात यहां बैठी है जिनको कानून बनाने का अधिकार है। ओनरेबल सुप्रीम कोर्ट को या किसी और कोर्ट को उनको परखने का, इंप्लीमेण्ट करने के सिलसिले में राय देने का पूरा हक है। इसलिए यहां अगर ऐग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने राज्य सभा में बिल रखा तो अपने अख्तियारात में रखा और यहां जो बिल आ जाएगा उस पर ओनरेबल मेम्बर्स राय दे देंगे तभी कानून बन सकता है। इन्होंने यह भी प्रश्न पूछा था कि क्यों जरूरत महसूस हो गई? इसलिए जरूरत महसूस हो गई कि ओनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने श्रिम्प कल्टिवेटर्स के लिए मान लिया था कि जो ट्रेडीशनल तरीके से करेंगे, कदीम तरीके से करेंगे, पुराने तरीके से करें या साइन्स के जरिये इंप्रूव करेंगे, उन फार्म्स पर डिसमेण्टल नहीं होगा। लेकिन उनके आदेश में था कि एसपी या डीएम उनको डिसमैण्टल कर ले। ये सूरत बनी कि वहां देखा गया कि इसमें ये रुकावट है कि इससे एक तरफ लोगों का रोजगार छिन जाएगा और शायद जो मिनिस्ट्री ऑफ ऐग्रीकल्चर ने अपनी प्रेयर में ओनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अलागिरि सामी जो बड़े माहिर माने जाते हैं उन्होंने एक सेमिनार में बात कही थी या उन्होंने दूसरी रिपोर्टों को लिया था। इनकी ओनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास यह दरख्वास्त है कि आप देख लीजिए अच्छी तरह से कि अगर हम ये डिसमेण्टल करेंगे, तो उसके क्या असरात मुनस्सर होंगे। यह बहुत बड़ा सामाजिक मसला है। आपकी छोटे फार्म्स के बारे में जो फिक्र है मैं उसके साथ सहमत हूं लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा क्योंकि मैं कॉमर्स का वजीर नहीं हूं कि 3000 करोड़ रुपये के करीब आपको विदेशी मुद्रा मिली है। .....*(व्यवधान)*

प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज़ : جارج صاحب جو پوزیشن لے رہے ہیں کہ ادھر بل لیکر نہیں آنا چاہئے، یہ بہت غلط بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے آئین میں تین بہت بڑے دائرے ہیں، تین ستون ہیں۔ یہ لیجسلیچر ہے۔ عوام کی نمائندہ جماعت یہاں بیٹھی ہے جسکو قانون بنانے کا اختیار ہے۔ آنریبل سپریم کورٹ کو یا کسی اور کورٹ کو ان کو پرکھنے کا، امپلیمنٹ کرنے کے سلسلے میں رائے دینے کا پورا حق ہے۔ اسلئے یہاں اگر ایگریکلچر منسٹری نے راجیہ سبھا میں بل رکھا تو اپنے اختیارات میں رکھا اور یہاں جو بل آ جائیگا اس پر آنریبل ممبرس رائے دے دیں گے تبھی قانون بن سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی سوال پوچھا تھا کہ کیوں ضرورت محسوس ہو گئی؟ اسلئے ضرورت محسوس ہو گئی کہ آنریبل سپریم کورٹ نے شرمپ کلٹیویٹرس کے لئے مان لیا تھا کہ جو ٹریڈیشنل طریقے سے کریں گے، قدیم طریقے سے کریں گے، پرانے طریقے سے کریں یا سائنس کے ذریعے ایمپرو کریں گے، ان فارمس پر ڈیسمینٹل نہیں ہوگا۔ لیکن ان کے حکم میں تھا کہ ایس۔پی۔ یا ڈی۔ایم۔ ان کو ڈیسمینٹل کر لیں۔ یہ صورت بنی کہ وہاں دیکھا گیا کہ اس میں یہ رکاوٹ ہے کہ اس سے ایک طرف لوگوں کا روزگار چھن جائیگا اور شاید جو منسٹری آف ایگریکلچر نے اپنی پریئر میں آنریبل سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ الاگیری سامی جو بڑے ماہر مانے جاتے ہیں انہوں نے ایک سیمینار میں بات کہی تھی یا انہوں نے دوسری رپورٹوں کو لیا تھا۔ ان کی آنریبل سپریم کورٹ کے پاس یہ درخواست ہے کہ آپ دیکھ لیجئے اچھی طرح سے کہ اگر ہم یہ ڈیسمینٹل کریں گے، تو اس کے کیا اثرات مختصر ہوں گے۔ یہ بہت بڑا سماجک مسئلہ ہے۔ آپ کے چھوٹے فارمس کے بارے میں جو فکر ہے میں اس کے ساتھ متفق ہوں لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ میں کامرس کا وزیر نہیں ہوں کہ ۳۰۰۰ کروڑ روپے کے قریب آپکو غیر ملکی کرنسی ملی ہے۔.....(مداخلت)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : 3000 करोड़ रुपये के लिए छोटे आदमियों को मारा जाए?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : मैं यह बात नहीं कहूंगा कि विदेशी मुद्रा भी मिलती है मगर मैं यह कहूंगा कि अगर इसी तरह से डिसमेण्टल होते, तो शायद सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो स्पिरिट है वह नहीं रहती। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ ऐग्रीकल्चर ने कहा है कि अपने नॉर्म्स जो उनके हैं, ये फिशिंग का हिस्सा है, ऐग्रीकल्चर का हिस्सा है। उन्होंने जो गाइडलाइन्स बनाई हैं,

प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज़ : میں وہ بات نہیں کہوں گا کہ غیر ملکی کرنسی بھی ملتی ہے مگر میں یہ کہوں گا کہ اگر اسی طرح سے ڈیسمینٹل ہوتے، تو شاید سپریم کورٹ کے حکم کی جو اسپریٹ ہے وہ نہیں رہتی۔ اسلئے منسٹری آف ایگریکلچر نے کہا ہے کہ اپنے نارمس جو ان کے ہیں، یہ فیشنگ کا حصہ ہے، ایگریکلچر کا حصہ ہے، انہوں نے جو گائڈلائنس بنائی ہے،

[अनुवाद]

महोदय, मुझे बताया गया है कि ये दिशानिर्देश व्यापक हैं। यदि इन दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन किया जाता है तब किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। पर्यावरण मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेवारी तटीय सीमाओं की सुरक्षा की भी है। मैं एक एजेंसी का गठन करूंगा। यदि यह पहले से मौजूद नही है। इस संबंध में मैंने पहले से ही सभी राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश जारी किया है। तटीय सीमाओं से संबंधित इस मुद्दे पर हाल ही

में इन राज्यों द्वारा जांच की गई है। इन सावधानियों को बरता जायेगा। लेकिन कृषि मंत्रालय माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्पष्ट कर रहा है। मैं अपना मत पर्यावरण मंत्री की हैसियत से लेता हूं। मेरी स्थिति बीच की है। कुछ लोग कहते हैं कि विकास का कोई अर्थ नहीं है यह निरर्थक है तथा पर्यावरण ही सब कुछ है तथा कुछ अन्य लोग आकर इस पर अत्यंत विपरीत मत प्रकट करते हैं। मेरी स्थिति बीच की है। हमें विकास करना होगा लेकिन यह पर्यावरण की अनदेखी कर के नहीं हो सकती है। हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। लेकिन आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ विकास भी संभव है।

जहां तक माननीय उच्चतम न्यायालय का संबंध है मैं इसका सम्मान करता हूं, इसकी संवैधानिक स्थिति है। मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकता हूं। हम आदेशों को क्रियान्वित करेंगे। लेकिन हम देखेंगे कि निम्नतम स्तर पर क्या हो रहा है।

श्रीमती कृष्णा बोस : महोदय, मैं जानना चाहूंगी कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि यूरोपीय समुदाय द्वारा भारत के सभी मत्स्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मत्स्य संबंधी कार्यों में अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों से न केवल हमारे पर्यावरण को खतरा है बल्कि इससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी खतरा है। यूरोपीय समुदाय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण हमें अनेक बाजारों को छोड़ना पड़ रहा है। महोदय, क्या सरकार श्री जार्ज फर्नान्डीस द्वारा इन मत्स्यन संबंधी कार्यों में ध्यान में लायी गई अस्वास्थ्यकर स्थिति पर ध्यान देगी। अन्यथा हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खतरा उत्पन्न हो सकता है।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है कि हमें बाजारों को छोड़ना पड़ा है अथवा नहीं। लेकिन यदि माननीय कृषि मंत्री इसका उत्तर देना चाहें तो वे दे सकते हैं। मुझे मत्स्य पालन तथा इसके गिरते हुए बाजार के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी मिनिस्ट्री का ही बता दीजिए।

[अनुवाद]

डा॰ असीम बाला : यह कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आयेगा क्योंकि यह झींगा पालन से संबंधित है। .....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री राम नाईक को बोलने की पहले ही अनुमति दे दी है।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट आने के बाद, राज्य सभा में यह बिल पास होने के बाद और लोक सभा में यह बिल जिस दिन आने वाला था उस दिन जब सदन में बहस हुई तो मैंने यह मांग की थी कि यह विषय गंम्भीर है और इसके लिए कोस्टल स्टेट्स के एम॰पीज॰ की आप एक कमेटी बनाइये। सारी कोस्टल स्टेट्स का दौरा करवाइये। मुझे इस बात की खुशी है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने 13 एम॰पीज॰ की इस प्रकार की एक कमेटी बनाई। हम लोग 30 जून से 17 जुलाई तक सभी कोस्टल स्टेट्स गये। वहां के प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों से मिले, फिशरीज मिनिस्ट्रीज में मिले। सी॰ पी॰ एम॰ के श्री नयनार जी, महाराष्ट्र के श्री मनोहर जोशी जी और गोवा के श्री राणे इन सब मुख्य मंत्रियों को मिले, वहां के लोगों को मिले और बाई एंड लार्ज सारे माननीय सदस्यों की यह राय बन गई कि यह जो आज चल रहा है उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए और इसलिए यह बिल जो यहां पर आना था, उसको देरी हो रही है उसके कारण इस समय का जो अगला डोवेस्टिंग सैक्शन है, उसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, जिसके कारण करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो बिल पहले दिन चर्चा के लिए रखा था, यह बिल कब आने वाला है और सरकार की इस बारे में क्या भूमिका है। क्योंकि इस अस्थिरता के कारण काफी समस्याएं पैदा हुई हैं और देश में हम यह पाते हैं कि 85 प्रतिशत एक्वाकल्चरिस्ट्स के पास पांच हैक्टेअर से कम जमीन है। इसमें जो यह चर्चा हुई है कि यह मल्टी नेशनल्स हैं तो केवल हिंदुस्तान लीवर, वेस्ट बंगाल में एक मल्टी नेशनल है। हिंदुस्तान में और कहीं भी मल्टी नेशनल नहीं हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण बिल है और इसमें लाखों लोगों के रोजगार का सवाल है, करोड़ों रुपयों की इन्वेस्टमेंट है और यह एक्वाकल्चर फैक्टरी के जैसा नहीं है, यद्यपि आप लोग उसको इंडस्ट्री मानते हैं, जबकि यह तो एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो मेरा सवाल यह है कि इसको एग्रीकल्चर मानकर जल्दी से जल्दी इस बिल को लाकर आप लाखों मजदूरों को कब तक राहत देंगे ?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के मुताबिक यह बिल इस सदन में बहुत जल्द आने वाला है।

[**پروفیسر سیف الدین سوز** : ڈپٹی اسپیکر صاحب، میری جانکاری کے مطابق یہ بل اس سدن میں بہت جلد آنے والا ہے۔]

श्री भैरूलाल मीणा : उपाध्यक्ष जी, इसमें मेरा नाम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पूछना चाहते हैं या नहीं ?

श्री भैरूलाल मीणा : क्या इसी प्रश्न पर पूछना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप पूछना नहीं चाहते हैं तो मैं दूसरे सदस्य को बुलाऊं। अब आप बैठिये।

[अनुवाद]

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : मैंने माननीय मंत्री महोदय को यह कहते हुए सुना कि पर्यावरण एक तरफ है तथा विकास इसके ठीक विपरीत और उनकी स्थिति बीच की है। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि हम इससे सहमत नहीं हैं। हम पाते हैं कि पर्यावरण

संबंधी मामलों पर उनका मंत्रालय विरोधाभासी रवैया अपना रहा है। पर्यावरणीय सुरक्षा और विकास के बीच संतुलन की आवश्यकता है। पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए विकास संभव है इस विचार को समाप्त किया जाना चाहिए कि किसी भी प्रकार का विकास पर्यावरण के विरुद्ध जायेगा। मैं कहूंगा कि ऐसी कोई मानवीय गतिविधि नहीं है जिससे पर्यावरण कुछ हद तक प्रभावित न हो। प्रत्येक मानवीय गतिविधि पर्यावरण को कुछ हद तक प्रभावित करेगा। अतः व्यापक दृष्टि से देखते हुए आवश्यकता यह है कि इन दोनों के बीच कैसे समन्वय तथा सहयोग स्थापित हो ताकि पर्यावरण की प्रभावित किए बिना विकास हो सके। इस वैज्ञानिक युग में यह संभव है। मैं यह जानना चाहूंगा कि प्रत्येक मद अथवा प्रस्ताव पर अलग-अलग सोचने के स्थान पर क्या उनके मंत्रालय का कोई सामान्य दृष्टिकोण अथवा नीति है ताकि पर्यावरण को प्रभावित किए बिना विकास पर बल दिया जा सके। मैं यह प्रश्न इसलिए कर रहा हूं कि मैंने आपको हमेशा पर्यावरण की सुरक्षा के नाम पर विकास रोके जाने पर बल देते हुए देखा है। मैं यह चाहता हूं कि पर्यावरण को प्रभावित किए बिना पहले विकास किया जाए। क्या आप अपने मंत्रालय का इस प्रकार से दृष्टिकोण बदले जाने हेतु तैयार हैं?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, वास्तव में प्रो॰ कुरियन ने जो सुझाव दिया है वह पहले से ही है क्योंकि यह मंत्रालय विकास और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित किए जाने का कार्य करता है। हमारे पास पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून हैं तथा हमें इन कानूनों को लागू करना है। हमारे पास सबसे अच्छे विशेषज्ञ भी हैं। अतः हम पर्यावरण को प्रभावित किए बिना विकास की अनुमति दे सकते हैं। अतः विवाद कहां है। मुझे आशा है कि आप इससे सहमत होंगे कि वहां संतुलन बना हुआ है ....*(व्यवधान)*, मैंने ऐसा सभी व्यक्तियों के लिए नहीं कहा। मैंने कहा कि कुछ व्यक्ति अत्यधिक विकासोन्मुखी हैं तथा इनमें से कुछ का अत्यधिक रुझान पर्यावरण के संरक्षण पर है। मैं इसलिए यह कहता हूं कि मैं बीच में हूं क्योंकि मैं सामंजस्य स्थापित कर रहा हूं। हम विकास की अनुमति देंगे क्योंकि हम विकासशील देश हैं लेकिन हम अपने पर्यावरण को खराब नहीं करेंगे। अब विज्ञान और प्रोद्योगिकी को प्रमुख भूमिका निभाने हेतु इस मंत्रालय में लाया जा रहा है।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : सिर्फ बीच की स्थिति बताना पर्याप्त नहीं है। आपको पर्यावरण को प्रभावित किए बिना विकास पर बल देना होगा।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : मैंने कहा कि मैं सामंजस्य स्थापित कर रहा हूं।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे श्री जार्ज फर्नान्डीस ने उठाया है और इसका हमें मंत्री महोदय से संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। यह प्रश्न पर्यावरण तथा मत्स्यन दोनों से संबंधित है। इस कारोबार को करने वाले पारंपरिक मछुआरे भी हैं। मंत्री महोदय द्वारा 3000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने के जिस आंकडे का उल्लेख किया गया है वह अधिकांशतः मत्स्यन-पालन से नहीं बल्कि परम्परागत ढंग से किए गए मत्स्यन से प्राप्त हुआ है। हम सी॰ आर॰ जेड॰ के कठोर प्रावधान से पारंपरिक मछुआरों को छूट दिए बगैर अपने पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करेंगे। क्या सरकार को ज्ञात है कि महाराष्ट्र की तटीय सीमाओं के एक तरफ ऐसे कई शहर हैं जिसके एक तरफ समुद्र है तथा दूसरी तरफ संकरी खाड़ी है तथा इसके बीच में पड़ने वाले सभी शहर सी॰ आर॰ जेड॰-1 तथा सी॰ आर॰ जेड॰-2 के अंतर्गत आते हैं। क्या सरकार इन शहरों तथा पारंपरिक मछुआरों जो अपने जीण-शीर्ण आवास की मरम्मत भी नहीं करा सकते हैं को सी॰ आर॰ जेड॰ के कठोर प्रावधान से छूट दिए जाने पर विचार कर रही है। सी॰ आर॰ जेड॰ में कहा गया है कि वे अपने घरों का पुनर्निर्माण भी नहीं कर सकते हैं क्या सरकार इन व्यक्तियों के हितों की रक्षा करते हुए इन छोटे पारंपरिक मछुआरों के हितों की सी॰ आर॰ जेड॰ के कठोर प्रावधान से रक्षा किए जाने पर भी विचार कर रही है?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि जहां तक झींगा मछली पकड़ने वाले पारंपरिक मछुआरों का संबंध है। .....*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभु : मैं मछुआरों की बात कर रहा हूं।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : हां, यह पारंपरिक मछुआरों के विरुद्ध नहीं है जिससे उच्चतम न्यायालय भी अपने निर्णय में सहमत हुआ है। अतः हमारे सामने जो विधेयक लाया जा रहा है वह झींगा पालन पर ध्यान रखते हुये व्यापक होगा।

जहां तक प्रदूषण फैलाने वाले लोगों का प्रश्न है प्रदूषणकर्त्ता को उसी सिद्धांत के अनुरूप भुगतान करना होगा जिसकी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः पुष्टि कर दी गई है इसे विधेयक में शामिल किया गया है।

श्री सुरेश प्रभु : लेकिन क्या आप पारंपरिक मछुआरों को सी॰ आर॰ जेड॰ के कठोर प्रावधान से छूट दे रहे हैं?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : जो विधेयक आपके सामने लाया जायेगा उसमें एक प्रावधान है कि झींगा पालन को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी लाइसेंस के तहत नए सिरे से चुक किए जाने की अनुमति दी जायेगी। यह 200 मीटर से अधिक उच्च ज्वार वाले क्षेत्रों में होगा।

जहाँ तक प्रदूषण फैलाने वाले लोगों का संबंध है इन पर ध्यान रखा जायेगा। जहाँ तक पारंपरिक मछुआरों का संबंध है, उनके हितों की रक्षा की जायेगी। इसमें कोई विवाद नहीं है।

डा॰ असीम बाला : महोदय, सरकार झींगे के निर्यात से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही है। लेकिन झींगे में संक्रमणीय रोग के कारण खतरा उत्पन्न हो रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या झींगे का अन्य देशों में निर्यात किए जाने से पूर्व कोई निषेधात्मक व्यवस्था है अथवा नहीं? पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा क्या निरोधात्मक उपाए किए जाते हैं।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, कृषि मंत्रालय द्वारा पहले से ही तैयार किए गए और उपलब्ध कराए गए दिशा-निर्देश व्यापक हैं। ये दिशा-निर्देश प्रदूषण इत्यादि जैसे सभी मुद्दों के बारे में हैं। निरोधात्मक उपाय महज इसका अंगभूत भाग है। उचित ग्रेड के झींगे का निर्यात किया जायेगा।

डा॰ असीम बाला : निरोधात्मक उपाय हेतु कौन प्रभारी है? क्या यह पर्यावरण और वन मंत्रालय है अथवा कृषि मंत्रालय है अथवा कोई अन्य विभाग है?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, इस बारे में कुछ प्रामिक स्थिति है। मैं प्रश्न का जवाब दे रहा हूं क्योंकि इसे मेरे मंत्रालय से पूछा गया है। मैं प्रदूषण नियंत्रण कार्य का प्रभारी हूं।

जहां तक झींगा मछली पालन का प्रश्न है, जो मत्स्य का एक भाग है, यह कृषि मंत्रालय के अधीन है। इस संबंध में दिशा-निर्देश वही जारी करता है। इन दिशा-निर्देशों में निरोधात्मक उपाय भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

गेहूं का आयात/निर्यात

+

*183. **श्री थावर चन्द गेहलोत**
श्री पंकज चौधरी

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान कितनी मात्रा में गेहूं का आयात/निर्यात किया गया और निकट भविष्य में इसका कितनी मात्रा में आयात/निर्यात किए जाने की सम्भावना है;

(ख) इसका आयात किन-किन देशों से किया जाता है;

(ग) क्या गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के बावजूद सरकार का गेहूं का आयात करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय खाद्य निगम ने आयातित गेहूं की गुणवत्ता के संबंध में कोई आपत्ति की है;

(च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कितना गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा; और

(छ) गेहूं का आयात रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (छ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) 1996-97 के दौरान आज की तारीख तक सरकार ने 17.51 लाख टन गेहूं का आयात किया। 1996-97 के दौरान निजी व्यापारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 10.94 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था। यह संभावना है कि निकट भविष्य में सरकार एक मिलियन टन गेहूं का आयात करेगी। 1997-98 के दौरान गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है।

(ख) आस्ट्रेलिया, कनाडा और अर्जेन्टीना।

(ग) और (घ) सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता पूरी करने के लिए देश में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने, बफर मानदंडों के अनुसार स्टाक बनाए रखने और खुले बाजार में मूल्यों पर नियंत्रण रखने जैसे विभिन्न घटकों पर विचार करने के पश्चात् भारतीय खाद्य निगम/राज्य व्यापार निगम को 1997-98 के दौरान 2 मिलियन टन तक गेहूं आयात करने के लिए प्राधिकृत किया था। इसमें से राज्य व्यापार निगम ने आस्ट्रेलिया से एक मिलियन टन गेहूं आयात करने के लिए ठेका किया है।

(ङ) जी नहीं। तथापि, भारतीय खाद्य निगम ने राज्य व्यापार निगम को सूचित किया है कि अर्जेन्टीना से आयातित गेहूं में ठेके में विहित विनिर्दिष्टियों से अधिक प्रतिशतता में क्षतिग्रस्त दाने हैं। राज्य व्यापार निगम ने अर्जेन्टीना के आपूर्तिकर्ता से क्षतिग्रस्त गेहूं के लिए हर्जाना वसूल कर लिया है।

(च) 1.7.1997 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में गेहूं का स्टाक 109.90 लाख टन था। 1997-98 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 75 लाख टन आवश्यकता होने का अनुमान है।

(छ) गेहूं के उत्पादन और केन्द्रीय पूल के लिए इसकी वसूली में वृद्धि करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 1996-97 में 380/- रुपये प्रति क्विंटल था उसे 1997-98 में बढ़ाकर 415/- रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है और 60/- रु० प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया गया है जिससे 1997-98 के दौरान गेहूं का वसूली मूल्य बढ़कर 475/- रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। 1997-98 में लगभग 92.60 लाख टन गेहूं की वसूली हुई है जबकि 1996-97 में 81.8 लाख टन की वसूली हुई थी।

श्री थावरचन्द गेहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का जो उत्तर दिया है वह असंतोषजनक है। इस मंत्रिमंडल में ही इस विषय पर विरोधाभास है। कृषि मंत्री जी कहते हैं और हमको भी ऐसी जानकारी है कि पिछले अनेक वर्षों से इस देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि हो रही है और ऐसी स्थिति में गेहूं का आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सरकार की गलत वितरण व्यवस्था और सरकार की गलत नीति के कारण जिस गेहूं की वसूली होकर सरकार के भंडारों में एकत्र किया जाना चाहिए, वह सरकार नहीं कर सकी। इसलिए गेहूं आयात कर के इस देश के किसानों का शोषण किया गया है और मूल्य देकर के गेहूं का आयात किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अर्जेंटीना और आस्ट्रेलिया से आयात किए गए गेहूं में तमाम प्रकार के खर-पतवार पाए गए हैं और उसमें जहरीले दाने पाए गए हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में गेहूं और चावल के उत्पादन में कितनी वृध्दि हुई है और राज्य सरकारों के पास जो केन्द्रीय पूल का भंडार होता है वह कितना-कितना पिछले वर्षों में था और केन्द्र सरकार के अधीन गेहूं और चावल का कितना-कितना भंडार इस देश में था और यदि वह अधिक था, तो आपने गेहूं और चावल का आयात क्यों किया ?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल 62 लाख मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ। उसके बाद इस साल 65 लाख मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ। पिछले साल 81 लाख टन गेहूं का प्रक्योरमेंट किया गया और इस साल 92.50 लाख टन गेहूं का प्रक्योरमेंट किया गया।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने, माननीय सदस्य ने जो मुख्य प्रश्न पूछा कि क्या अर्जेंटीना और आस्ट्रेलिया से मंगाए गए गेहूं में खरपतवार या जहरीले दाने निकले थे ? उसका जवाब दिया ही नहीं है।

श्री थावरचन्द गेहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, अर्जेंटीना और आस्ट्रेलिया से मंगाए गए गेहूं में जहरीले दाने पाए गए और खर-पतवार पाई गई थी। इसके कारण उन देशों से सरकार ने हरजाना वसूल कर लिया, लेकिन वह जहरीला गेहूं सरकार ने देश की जनता को खाने के लिए दे दिया। ऐसा क्यों किया गया, इसका तो मंत्री महोदय जवाब दें ?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, साफ-साफ प्रश्न हो, तो उसका उत्तर भी साफ-साफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य ने गेहूं के उत्पादन और प्रक्योरमेंट का हिसाब पूछा, वह मैंने बता दिया। अब गेहूं के आयात का भी मैं बता देता हूं। पिछले वर्ष 1996-97 में 17 लाख टन गेहूं का आयात किया गया और इस साल 10 लाख टन गेहूं आयात करने का निश्चय किया गया है। .....*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत : अध्यक्ष महोदय, इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का सांसदों को समय नहीं मिल पाया है और बहुत कम प्रश्न पूछने का मौका मिला है और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पर सदन में आधे घंटे की चर्चा करवाएं। मैं आधे घंटे की चर्चा कराने का नोटिस दे रहा हूं। .....*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य एक-एक कर के प्रश्न पूछें, तो मैं उनके हर प्रश्न का उत्तर क्षण भर में दे दूंगा, लेकिन इस तरह से इकट्ठे खड़े होकर सभी एक साथ प्रश्न पूछेंगे, तो मेरे लिए प्रश्नों का उत्तर देना संभव नही है। .....*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

भंडारण क्षमता

*184. **श्री छत्तर सिंह दरबार:**
श्री सौम्य रंजन:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीब लोगों की मांग पूरी करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के भंडारण की कोई समुचित व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ मई, 1997 तक उपलब्ध भंडारण क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भंडारण क्षमता की कमी के कारण वर्षा में काफी मात्रा में खाद्यान्न नष्ट हो जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा और अधिक भंडारगार का निर्माण किए जाने अथवा वर्तमान भंडारण क्षमता में वृध्दि करने हेतु राज्य-वार तथा स्थान-वार क्या कदम उठाए गए हैं अथवा कदम उठाए जाने का विचार है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां। देश में खाद्यान्नों का भंडारण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास पर्याप्त व्यवस्था है।

(ख) 31 मई, 1997 की स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 223.13 लाख टन की भंडारण क्षमता थी। 1.6.1997 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम की राज्य-वार भंडारण क्षमता बताने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) और (घ) भंडारण क्षमता की कमी के कारण बरसात में खाद्यान्नों की किसी भी मात्रा के नष्ट होने के संबंध में कोई सूचना नहीं है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुष्ट से क्षतिग्रस्त श्रेणी में बदले गए खाद्यान्नों की मात्रा निम्नानुसार है:

वर्ष	मात्रा (टन में)
1993-94	45,786.629
1994-95	19,126.782
1995-96	32,719.422

(ङ) 1997-98 के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने 0.88 लाख टन क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। एक अन्य प्लान स्कीम भी चल रही है जिसके माध्यम से राज्यों को सहायता दी जाती है। इसके अधीन वर्ष 1997-98 के लिए 12.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अधिकांश अथवा सभी राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद और इन प्रस्तावों के उचित पाए जाने पर राज्यों को राशि रिलीज की जाएगी।

विवरण-I

1.6.1997 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध राज्य-वार भण्डारण क्षमता और इसकी उपयोग-प्रतिशतता की जानकारी देने वाला विवरण

(लाख टन में)

क्र. सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बनी हुई क्षमता		कैप क्षमता (अपनी + किराए की)	जोड़	उपयोग प्रतिशतता
		अपनी	किराए की			
1	2	3	4	5	6	7
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.13	-	-	0.13	27%
2.	आंध्र प्रदेश	11.82	8.61	0.40	20.83	91%
3.	असम	1.92	0.95	-	2.87	54
4.	बिहार	4.11	1.44	-	5.55	79
5.	गोवा	0.15	-	-	0.15	50
6.	गुजरात	4.91	2.69	2.22	9.82	55
7.	हरियाणा	7.71	4.71	3.31	15.73	58
8.	हिमाचल प्रदेश	0.09	0.16	-	0.25	151
9.	जम्मू और कश्मीर	0.72	0.15	0.13	1.00	55
10.	कर्नाटक	2.59	1.56	0.56	4.71	63
11.	केरल	5.24	0.07	-	5.31	86
12.	मध्य प्रदेश	8.21	3.89	-	12.10	51
13.	महाराष्ट्र	11.77	2.93	0.68	15.38	42
14.	मणिपुर	0.13	0.01	-	0.14	19
15.	मेघालय	0.10	0.06	-	0.16	26
16.	मिजोरम	0.17	0.05	-	0.22	32
17.	नागालैंड	0.08	0.10	-	0.18	51
18.	उड़ीसा	2.54	1.81	-	4.35	55
19.	पंजाब	21.03	26.38	14.37	61.78	68
20.	राजस्थान	7.07	1.86	2.74	11.67	45
21.	सिक्किम	0.07	0.09	-	0.16	113
22.	तमिलनाडु	5.88	1.78	-	7.66	69
23.	त्रिपुरा	0.17	0.18	-	0.35	76
24.	उत्तर प्रदेश	14.76	6.43	4.63	25.82	44
25.	पश्चिम बंगाल	8.51	3.22	-	11.73	61
26.	चण्डीगढ़	0.40	0.17	0.32	0.89	56
27.	दिल्ली	3.54	0.05	0.19	3.78	34
28.	पांडिचेरी	0.41	-	-	0.41	21
	जोड़	124.23	69.35	29.55	223.13	61%

नोट: केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भांडागारण निगमों से किराए पर ली गई 32.93 लाख टन की क्षमता सहित।

विवरण-II

1997-98 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्माण की जानकारी देने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य	केन्द्र	प्रस्तावित सृजित की जाने वाली क्षमता (हजार टन में)
1.	कर्नाटक	तुमकुर	5.00
		कूर्ग	2.50
2.	बिहार	गुमला	2.50
3.	जम्मू और कश्मीर	बारामूला	5.00
		श्रीनगर	3.33
4.	केरल	मूनानगड़ी	5.00
5.	उत्तर प्रदेश	धमोरा	25.00
		रोजा	10.00
6.	मध्य प्रदेश	धामत्री	10.00
7.	महाराष्ट्र	सोलापुर	10.00
8.	उड़ीसा	झरसुगुडा (बालीजोरी)	5.00
9.	नागालैंड	दीमापुर	5.00
			88.33

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु मानदंड

*185. **श्री पृथ्वीराज वा० चव्हाण** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली/पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों में चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेलों आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में उक्त खाद्य पदार्थों की आपूर्ति अथवा आवश्यक वस्तुओं की प्रति यूनिट आपूर्ति हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) किन-किन राज्यों में सार्वनजनिक वितरण प्रणाली संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य को ये निर्देश जारी किए हैं कि वे एक समान आधार पर आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करें ?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। यद्यपि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं, अर्थात् चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी के तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और राज्यों को इनकी सुपुर्दगी देने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है लेकिन उचित दर दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से इनका उचित वितरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

राज्य सरकारों को यह परामर्श भी दिया गया है कि वे उचित दर दुकान, तालुक, जिला और राज्य स्तरों पर सतर्कता समितियों का गठन करें।

1.6.1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने के साथ-साथ सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाप्त हो गई है।

(ख) भारत सरकार ने राज्यों में प्रति यूनिट आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की आपूर्ति करने हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया है सिवाए इसके कि गरीबी रेखा से नीचे का प्रत्येक परिवार विशेष सब्सिडी प्राप्त मूल्यों पर प्रतिमाह दस किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता और वे लक्षित समूह (गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को छोड़कर), जिन्हें वे कवर करना चाहते हैं, को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार वितरण पैमाना निर्धारित करते हैं।

(ग) किसी भी राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संतोषजनक रूप से कार्य न करने के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यनिष्पादन सभी राज्यों में एक-समान नहीं है और इसमें सुधार की संभावनाएं हैं।

(घ) जी, नहीं सिवाए इसके कि राज्यों से कहा गया है कि समूचे देश में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए दस किलोग्राम खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करें।

[हिन्दी]

आई० एस० आई० के एजेंट

*186. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 मई, 1997 के ''जनसत्ता'' में ''बंगाल समेत तीन राज्यों में आई० एस० आई० ने तैयार किए पांच सौ एजेंट'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) जी हां, श्रीमान्!

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में आई० एस० आई० द्वारा 500 युवकों की भर्ती के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

तथापि, सरकार को हिंसा फैलाने हेतु दिग्भ्रमित युवाओं को लक्ष्य बनाकर उन्हें प्रशिक्षित करने के प्रयासों सहित देश के भिन्न-भिन्न भागों में आतंकवाद और विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रायोजित करके भारत को अस्थिर करने के पाकिस्तानी आई. एस. आई. के नापाक इरादों की जानकारी है। इसीलिए स्थिति पर कड़ी और सतत नजर रखी जा रही है और आतंकवादी एवं विध्वंसक तत्वों के खिलाफ सतत अभियान चलाने सहित यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं कि इन मनसूबों को सफल न होने दिया जाए। सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं-आसूचना तंत्र को सुप्राही और सुचारू बनाना, आसूचना का आदान-प्रदान और केन्द्र एवं राज्य की संबंधित एजेंसियों द्वारा समन्वित कार्रवाई करना, सीमा पर बाड़ लगाना, सीमा पर गश्त बढ़ाना, दिन और रात के समय प्रभावी निगरानी रखने के लिए उपकरणों की आपूर्ति, नाकों (जांच चौकियों) की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ राज्य सरकारों को पाकिस्तानी आई. एस. आई. एजेंटों, राष्ट्र-विरोधी तत्वों और विद्रोहियों की गतिविधि के बारे में सावधान करना।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी हिंसा

*187. **श्री मधुकर सरपोतदार :**
डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी हिंसा की ताजा बढ़ती हुई घटनाओं के विषय में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान सम्पत्ति का और सार्वजनिक संस्थाओं का कुल कितना नुकसान हुआ तथा इस अवधि के दौरान कितने पुलिस थानों पर हमले हुए;

(ग) क्या सरकार ने आतंकवादी संगठनों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के लिये कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) विद्रोह से प्रभावित पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थिति का नियमित प्रबोधन किया जा रहा है और समय-समय पर इसकी समीक्षा विभिन्न स्तरों पर की जाती है।

(ख) इन मदों के संबंध में विशिष्ट जानकारी नहीं रखी जाती है यद्यपि उग्रवादी हिंसा की विभिन्न घटनाओं और सुरक्षा बलों की कार्रवाईयों से संबंधित जानकारी रखी जाती है।

(ग) और (घ) सरकार ने उग्रवादियों सहित व्यक्तियों के किसी भी ग्रुप को, उसकी जायज शिकायतों पर वार्ता करने के लिए, बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत करने का खुला आमंत्रण दिया है। प्रधान मंत्री ने 25 जुलाई, 1997 को संसद के दोनों सदनों को एक वक्तव्य के द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सूचित किया था कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड के आइजेक-मुइवाह ग्रुप के साथ बातचीत के बाद 1 अगस्त, 1997 से तीन महीनों के लिए संघर्ष रोकने और राजनैतिक स्तरीय वार्ता शुरू करने पर अब सहमति हो गई है। प्रधानमंत्री ने नागालैंड के अन्य उग्रवादी ग्रुपों से भी यही अपील की है।

राष्ट्रीय विकलांग कल्याण निधि

*188. **श्री परसराम भारद्वाज :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांगों के कल्याण के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु वर्ष 1983 में एक राष्ट्रीय विकलांग कल्याण निधि स्थापित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निधि का उसी उद्देश्य के लिए किस सीमा तक उपयोग किया गया है;

(घ) क्या ऐसे कुछ राज्य हैं जो केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ स्वीकृत धनराशि का उपयोग नहीं कर सके; और

(ङ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विकलांग कल्याण निधि का सृजन निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिनांक 11.8.1983 को किया गया:

(1) रोकथाम, विकलांगताओं का शीघ्र पता लगाने, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकलांग व्यक्तियों के भौतिक तथा आर्थिक पुनर्वास हेतु विकलांगों के लिए सेवाओं के सृजन हेतु स्वैच्छिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना।

(2) अन्य सभी चीजें करना जो उपर्युक्त उद्देश्य के लिए प्रासंगिक और सहायक हैं।

(ग) इस निधि में से वित्त पोषित की जाने वाली योजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, अतः निधियों का उपयोग नहीं हो सका।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि

*189. **श्री पवन दीवान :**
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी मिलों पर किसानों की बकाया राशि में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) निजी तथा सहकारी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को अलग-अलग दी जाने वाली बकाया राशि की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्यों में 1996-97 के दौरान कुछ चीनी मिलों द्वारा गन्ना नहीं उठाया गया;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार उन किसानों को क्षतिपूर्ति देने का है जिनका गन्ना नहीं उठाया गया; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा प्रस्तुत अद्यतन सूचना के अनुसार, 15.6.1997 तक, चालू चीनी मौसम (1996-97) से संबंधित किसानों का गन्ना मूल्य बकाया 769.99 करोड़ रु० था, जो कुल देय गन्ना मूल्य का 12.2% है, जबकि, पिछले चीनी मौसम (1995-96) से संबंधित किसानों का गन्ना मूल्य बकाया, इसी तारीख को लगभग 1642.65 करोड़ रु० था जो कुल गन्ना मूल्य का 20.6% दर्शाता है।

(ग) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा प्रस्तुत अद्यतन सूचना के अनुसार, चालू चीनी मौसम (1996-97) के 15.6.1997 तक के लिए विभिन्न क्षेत्रों की चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को देय बकाया की राज्य वार स्थिति दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

(घ) से (छ) 1996-97 मौसम के दौरान चीनी मिलों द्वारा गन्ना नहीं उठाए जाने के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

विवरण

चालू चीनी मौसम 1996-97 के दौरान 15.6.97 तक के लिए विभिन्न क्षेत्रों के चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को देय बकाये की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(रु० करोड़ में)

राज्य	गन्ना मूल्य बकाया		
	सार्वजनिक क्षेत्र	सहकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1	2	3	4
पंजाब	49.04	37.62	45.94
हरियाणा	कोई नहीं	48.31	28.84
राजस्थान	कोई नहीं	1.52	कोई नहीं
उ. प्र.	109.53	74.64	152.87
म. प्र.	कोई नहीं	6.50	13.17
गुजरात	कोई नहीं	4.81	कोई नहीं
महाराष्ट्र	कोई नहीं	13.08	0.61
बिहार	16.00	0.00	56.98
असम	कोई नहीं	0.16	कोई नहीं
आ. प्र.	17.56	1.37	15.78
कर्नाटक	0.01	5.93	14.41
तमिलनाडु	5.77	24.62	26.93
केरल	कोई नहीं	*	कोई नहीं
उड़ीसा	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
प. बंगाल	0.12	कोई नहीं	कोई नहीं
नागालैंड	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
पांडिचेरी	कोई नहीं	1.82	0.05
गोआ	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
कुल:	198.03	220.38	351.58

*0.13 लाख रुपये

वन रोपण

*190. **श्री हरिवंश सहाय** : **क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरण की बिगड़ती हुई स्थिति को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में वैज्ञानिक पद्धति से वन रोपण कराने का है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य भागों में छोटी और बड़ी नदियों और नालों की तलहटियों में वन रोपण की कोई नई योजना भी तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य वन विभागों द्वारा जो वनीकरण कार्य किए जाते हैं वे पौधशालाओं तथा वृक्षारोपण दोनों की सुप्रामाणिक वैज्ञानिक पद्धतियों के अनुसार किए जाते हैं।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के पास नदियों तथा खुले गंदले नालों के किनारों पर और मलजल शोधन संयंत्रों के मुहानों में वृक्षारोपण करने के कार्यक्रम हैं। ऐसे वृक्षारोपण के लिए संबंधित राज्य सरकारों से परियोजना प्रस्ताव मांगे गए हैं।

पर्यावरणीय तथा वानिकी मंजूरी

*191. **श्री शिवराज सिंह** :
श्री मदेन्द्र सिंह भाटी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों से राज्य-वार कितनी लघु, मध्यम तथा बड़ी सिंचाई तथा अन्य परियोजनाएं पर्यावरणीय तथा वन संबंधी मंजूरी हेतु प्राप्त हुई हैं, तथा उनके क्या नाम हैं;

(ख) इनमें से राज्य-वार कौन-कौन सी परियोजनाएं मंजूर की गई हैं;

(ग) इनमें से कितनी परियोजनाएं लंबित हैं तथा प्रत्येक के लम्बित रहने के क्या कारण हैं;

(घ) ये परियोजनाएं कब तक मंजूर कर दी जायेंगी;

(ङ) क्या सरकार का विचार सिंचाई तथा अन्य विकास परियोजनाओं को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की परिधि से बाहर रखने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) परियोजना प्रस्तावकों से पूरी सूचना तथा मांगे गए अन्य सम्बद्ध विवरण प्राप्त होने से 90 दिनों की अनुबद्ध समय सीमा के अन्दर परियोजना प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय किया जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पर्यावरणीय निकासी

(क) पिछले तीन वर्षों (1.7.94 से 30.6.97) के दौरान प्राप्त परियोजनाएं

सिंचाई परियोजनाएं

आंध्र प्रदेश

1. कुरनोल गुडावाद कनाल सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण

अरुणाचल प्रदेश

2. नीयो डीडिंग परियोजना

असम

3. पगलादिया बांध परियोजना

4. कैलाग नदी बेसिन के लिए एकीकृत सिंचाई स्कीम

5. धनसिरी सिंचाई परियोजना

बिहार

6. सोन कैनाल आधुनिकीकरण परियोजना

कर्नाटक

7. अपर कृष्णा सैंट, I परियोजना चरण-III

8. अपर कृष्णा स्टेज-II

मध्य प्रदेश

9. सिंध नदी परियोजना

उड़ीसा

10. उड़ीसा जल संसाधन एकीकृत परियोजना

11. रेंगली सिंचाई सब परियोजना

उत्तर प्रदेश

12. बान सागर परियोजना

13. जुराली पम्प कनाल पार्ट

पश्चिम बंगाल

14. कांगसाबती सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना

मेघालय

15. उमानियम स्टेज I और II पावर स्टेशन का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण

सिक्किम

16. तिश्ता स्टेज III एच ई परियोजना

तमिलनाडु

17. कुण्डाह पावर हाउस-7 पम्पड स्टोर्ज हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना

18. पैरियर-वैगेई एच. ई. पी.

19. मोयार अल्टीमेट स्टेज एच. ई. पी.

उत्तर प्रदेश

20. शिंगवा नैन गांव, एच. ई. पी.

21. देयोरा मोरी डाइवल स्कीम

22. कोटली मेल बांध परियोजना

23. श्रीनगर एच. ई. पी. (संशोधित)

24. विष्णु प्रयाग डाइवल स्कीम

25. मध्य गंगा कनाल स्टेज-I (संशोधित)

26. गंगा बैराज परियोजना

27. आगरा बैराज परियोजना

अन्य सम्बद्ध परियोजनाएं

असम

1. त्रिपियामुख बांध परियोजना

2. कोनारपुर डेनेज विकास स्कीम

बिहार

3. दामोदर विशापरिवर्तन परियोजना

4. पंचहेट टेल बांध

हरियाणा

5. खट्टापुराली बांध परियोजना

6. सतलुज यमुना कनाल एच ई परियोजना

हिमाचल प्रदेश

7. एलियन ढुंगन एच ई परियोजना

8. मलाना एच ई परियोजना

जम्मू एण्ड कश्मीर

9. परखाचिक पानीखर डाइड्रो इलैक्ट्रीक परियोजना

कर्नाटक

10. अल्मती बांध पावर हाउस एवं नयनपुर-समनकला कास्केड पावर हाउस

केरल

11. आदीरापल्ली डाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना

महाराष्ट्र

12. पोशीर बांध का निर्माण

13. III ए मुंबई जल आपूर्ति परियोजना

14. मिडिल वैतरणा जल आपूर्ति परियोजना मुंबई

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त परियोजनाओं में अनुमोदित परियोजनाओं की सूची

सिंचाई परियोजनाएं

असम

1. पगलादिया बांध परियोजना

2. कैलांग नदी बेसिन के लिए एकीकृत सिंचाई स्कीम

उड़ीसा

3. उड़ीसा जल संसाधन समेकित परियोजना

4. रेगाली सिंचाई सच परियोजना

उत्तर प्रदेश

5. जुरौली पंप कनाल परियोजना

अन्य सम्बद्ध परियोजनाएं

असम

6. कोलवारपुर ड्रेनेज विकास स्कीम

बिहार

7. पंचटे टेल पूल बांध

हरियाणा

8. खटपुराली बांध परियोजना

मेघालय

9. उमियाम स्टेज I और III पावर स्टेशन का नवीकरण और आधुनिकीकरण

उत्तर प्रदेश

10. बरनीगाव मैन गांव, एच. ई. पी.

11. विन्धु प्रयाग डाइडल स्कीम

मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को छोड़कर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन निकासी के लिए पिछले 3 वर्षों (01.07.1994 से 30.06.1997 तक) के दौरान प्राप्त परियोजनाएं :

क्रम सं०	परियोजना का नाम
1	2
आंध्र प्रदेश	
1.	कुर्नूल जिले में तेलगू गंगा परियोजना
2.	गुन्टूर में ए.पी.एस.ई.बी. के लिए नागार्जुन सागर बांध की टेल पांड डैम डाउन स्ट्रीम का निर्माण
3.	सिंचाई विभाग के लिए डाजीपुर(v) मावादीवागु से होते हुए जलाशय का निर्माण
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	
1.	इंदिरा नाला, दक्षिण अण्डमान से होकर बांध का निर्माण
गुजरात	
1.	सबरकांता जिले में सब-मर्जेन्स आफ डारनोरिजर्व प्रोजेक्ट-II
2.	खाली-II सिंचाई स्कीम का निर्माण कार्य
3.	सिंचाई विभाग के लिए जालपारा मांडवा माइनर एरीगेशन स्कीम के लिए वन भूमि
4.	सिंचाई विभाग के लिए सिदुम्बर जलाशय परियोजना के लिए वन भूमि

1	2
5.	झुंज सिंचाई स्कीम के लिए नहर का निर्माण
6.	मटाखम्दी-जेटपुर-पवी गांव के सेक्शन 4 क्षेत्र को हटाना
7.	कुन्ताली सिंचाई परियोजना
हिमाचल प्रदेश	
1.	पावर्ती स्टेज-II, एच. ई. पी. का निर्माण
2.	मलाना एच. ई. पी. का निर्माण
कर्नाटक	
1.	मैसूर जिले में उदूथोराहल्ला जलाशय परियोजना का निर्माण
2.	जलागोंडानाहल्ली गांव में नए टैंक का निर्माण
3.	नरायनपुर राइट बैंक नहर का निर्माण
4.	अपरतुंग सिंचाई परियोजना
केरल	
1.	पाल घाट जिले में कडिआरकुट्टी करप्पारा एच. ई. पी.
2.	कुट्टीयाठी विस्तार स्कीम
3.	अविरापल्ली एच. ई. पी.
मध्य प्रदेश	
1.	सरगुजा जिले में सेमरखार डिवीजन स्कीमें
2.	बिलासपुर जिले में चापी टैंक परियोजना का निर्माण
3.	सतना जिले में पटार टैंक माइनर स्कीम के निर्माण के लिए वन भूमि
4.	इंदिरा सागर परियोजना कैनाल के निर्माण के लिए एम. ए. डी. ए. को वन भूमि
5.	घुंघुटा (श्याम) सिंचाई परियोजना
6.	झिरिया टैंक स्कीम का निर्माण
7.	झिरियाडोल टैंक परियोजना का निर्माण
8.	बंजर नदी परियोजना का निर्माण
9.	जलजली टैंक परियोजना का निर्माण
10.	नहलेसेरा आइबर्जन स्कीम का निर्माण
11.	सुखरी टैंक परियोजना
12.	दानमडी टैंक परियोजना

1	2
13.	अमानाल्ला टैंक परियोजना
14.	कैन कोटा टैंक परियोजना
15.	सिमरिया टैंक परियोजना
16.	मट्टिया टैंक परियोजना
महाराष्ट्र	
1.	उम्रती में परकोलेशन टैंक का निर्माण
2.	शाने में एम. पी. टैंक का निर्माण
3.	मोराना गोरूधम मिडियम सिंचाई परियोजना
4.	नवल में माइनर सिंचाई टैंक का निर्माण
5.	मवान माइनर सिंचाई टैंक का निर्माण
6.	हरिपुरा माइनर सिंचाई टैंक का निर्माण
7.	वारा मिडियम सिंचाई परियोजना का निर्माण
8.	जाम्बे मिडियम सिंचाई परियोजना का निर्माण
9.	जाम्नाला माइनर सिंचाई परियोजना
10.	कुंभाविन्डी माइनर सिंचाई टैंक का निर्माण
11.	बालहारी एम. आई. पी. का निर्माण
12.	चिल्वाला एम. आई. पी. का निर्माण
13.	वारना सिंचाई परियोजना के लिए वन भूमि
14.	थानेपारा एम. आई. पी.
15.	वामनी न्यू माइनर सिंचाई टैंक
16.	नीरा देवघर मेजर सिंचाई परियोजना का निर्माण
17.	महाराष्ट्र में सूर्या परियोजना का निर्माण
18.	वासलाई एम. आई. पी. का निर्माण
19.	जामुलजोडा न्यू माइनर सिंचाई टैंक का निर्माण
20.	राम मोडनपुर न्यू एम. आई. पी. का निर्माण
21.	यादसी एम. आई. टी. का निर्माण
22.	चिखलदारा पंप स्टोरेज (हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट) स्कीम का निर्माण
23.	भगवानपुर एम. आई. टी. का निर्माण

1	2
24.	स्वनसंगी एम. आई. टी. का निर्माण
25.	सुर-नदी एम. आई. टी. का निर्माण
26.	लोनारा माइनर सिंचाई टैंक का निर्माण
27.	धामना गॉव एम. आई. टी. का निर्माण
28.	डेतवान मिडियम सिंचाई परियोजना का निर्माण
29.	घोरवीरा नम्बर-1 माइनर सिंचाई टैंक
30.	वाकजीरा माइनर सिंचाई टैंक
31.	आन्ध्र वैली मिडियम सिंचाई परियोजना
उड़ीसा	
1.	तेलेंगिरि एम. आई. पी. का निर्माण
2.	बघुआ एम. आई. पी. स्टेज-II
3.	रंगाली सिंचाई परियोजना का निर्माण
4.	विक्टोरिया सागर एम. आई. पी. का निर्माण
5.	मलकेन्नाला एम. आई. पी. का निर्माण
6.	विलाबादी एम.आई. पी. का निर्माण
7.	पिपलापंज बांध परियोजना का निर्माण
पंजाब	
1.	सिसवान बांध परियोजना का निर्माण
2.	जयन्ती बांध परियोजना
राजस्थान	
1.	संकलखोडा सिंचाई परियोजना
2.	सावन भादे परियोजना की सिंचाई विभाग के लिए वन भूमि का इतर प्रयोग
उत्तर प्रदेश	
1.	टनकपुर से बरेली तक 220 डी/सी इन्समीशन लाइन के लिए टनकपुर एच. ई. पी. के लिए वन भूमि
2.	लोअर राजघाट नहर का निर्माण
3.	बंजारी कला बंधी एम. आई. पी.

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन निकासी के लिए प्राप्त परियोजनाओं में से मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त परियोजनाओं को छोड़कर अनुमोदित परियोजनाओं की सूची

क्र0 सं0	परियोजना का नाम
1	2
आंध्र प्रदेश	
1.	कुरनूल जिला में तेलगु गंगा परियोजना
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	
1.	इन्दिरा नाला, साउथ अण्डमान पर बांध निर्माण
गुजरात	
1.	काली-II सिंचाई स्कीम का निर्माण
2.	सिंचाई विभाग के पक्ष में सिंम्बर जलाशय परियोजना के लिए वन भूमि
कर्नाटक	
1.	जल गौण्डानाली गांव में नए टैंक का निर्माण
केरल	
1.	कुट्टीयाड एगुमेंटेशन स्कीम
महाराष्ट्र	
1.	थाणे में एम टी टैंक का निर्माण
2.	मोराना गोलघन मिडियम सिंचाई परियोजना का निर्माण
3.	नावाल में लघु सिंचाई टैंक का निर्माण
4.	मादान लघु सिंचाई टैंक का निर्माण
5.	हरिपुरा लघु सिंचाई टैंक का निर्माण
6.	धारा मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण
7.	कुम्भाविनी लघु सिंचाई टैंक
8.	वामिनी नई लघु सिंचाई टैंक
9.	घोराविरा नं0-1 लघु सिंचाई टैंक
10.	वागजिरा लघु सिंचाई टैंक
उड़ीसा	
1.	भगुआ एम आई पी स्टेज-II
2.	विक्टोरिया सागर एम. आई. पी. का निर्माण

1	2
पंजाब	
1.	सिसवान बांध परियोजना का निर्माण
उत्तर प्रदेश	
1.	निम्न राजघाट कनाल का निर्माण

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन निकासी के लिए 30.6.97 को लम्बित सिंचाई परियोजनाएं एवं अन्य सम्बद्ध परियोजनाओं की सूची, मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त परियोजनाओं को छोड़कर

क्र० सं०	परियोजना का नाम
आंध्र प्रदेश	
1.	गुंटूर में ए. पी. एस. ई. बी. के पक्ष में नागार्जुन बांध के अधोप्रवाह पर टेल पाड बांध का निर्माण
2.	सिंचाई विभाग के पक्ष में डाजीपुर में थाडीवागु पर जलाशय का निर्माण
गुजरात	
1.	साबरकंठा जिला में दूसरे डानलोप जलाशय परियोजना का सचमैंजस
2.	सिंचाई विभाग के पक्ष में, जसपारा माण्डवा लघु सिंचाई स्कीम के लिए वन भूमि
3.	झुज सिंचाई स्कीम के लिए कनाल का निर्माण
4.	माताखेमदी-जैतपुर-पावी गांव के खण्ड 4 क्षेत्र को हटाना
5.	कुंताली सिंचाई परियोजना
हिमाचल प्रदेश	
1.	पावर्ती स्टेज II एच. ई. पी. का निर्माण
2.	मलाना एच. ई. पी. का निर्माण
कर्नाटक	
1.	मैसूर जिले में उद्दुघोराडाल्ला जलाशय का निर्माण
2.	नरायनपुर बांए किनारे कनाल का निर्माण
3.	अपर तुंगा सिंचाई परियोजना
केरल	
1.	पालाघाट जिले में कुरियोरकुट्टी कारापारा एच. ई. पी.
2.	आदिरापल्ली एच. ई. पी.

1	2
मध्य प्रदेश	
1.	सरगुजा जिला में सेमर खार डिविजन स्कीम
2.	बिलासपुर जिला में छापी टैंक परियोजना का निर्माण
3.	सतना जिले में पातार टैंक लघु स्कीम के निर्माण के लिए वन भूमि
4.	इन्दिरा सागर परियोजना कनाल की एन. बी. डी. ए. के निर्माण के लिए वन भूमि
5.	धुनधुट्टा (श्याम) सिंचाई परियोजना
6.	झिरिया टैंक स्कीम का निर्माण
7.	झिरिया डोल टैंक परियोजना का निर्माण
8.	बंजारा नदी परियोजना का निर्माण
9.	जलजली टैंक परियोजना का निर्माण
10.	नाडलेसरा दिशा परिवर्तन स्कीम का निर्माण
11.	सुखरी टैंक परियोजना
12.	बानमराडी टैंक परियोजना
13.	अमानला टैंक परियोजना
14.	रेनकोटा टैंक परियोजना
15.	सिमरया टैंक परियोजना
16.	मादरिया टैंक परियोजना
महाराष्ट्र	
1.	उमराती में परकोलेशन टैंक का निर्माण
2.	जाम्बरी मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण
3.	जमनाला लघु सिंचाई परियोजना
4.	वालडरी एम आई. पी. का निर्माण
5.	छिवाला एम. आई. पी. का निर्माण
6.	वारना सिंचाई परियोजना के लिए वन भूमि
7.	धानेधारा एम. आई. पी.
8.	निरदियोघर लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण
9.	महाराष्ट्र में सूर्य परियोजना का निर्माण

1	2
10.	वासलाई एम. आई. पी. का निर्माण
11.	जम्बुलखेड़ा नई लघु सिंचाई टैंक का निर्माण
12.	राम मनोहरपुर न्यू एम. आई. पी. का निर्माण
13.	यादशी एम. आई. टी. का निर्माण
14.	चिखलदारा पंप स्टोरेज (हाइड्रो इलेक्ट्रिक परि.) स्कीम का निर्माण
15.	भगवानपुर एम. आई. टी. का निर्माण
16.	सोनासंगी एम. आई. टी. का निर्माण
17.	सुर-नदी एम. आई. टी. का निर्माण
18.	लोनारा लघु सिंचाई टैंक का निर्माण
19.	धमानगांव एम. आई. टी. का निर्माण
20.	डेतवाने मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण
21.	आंध्रा घाटी मध्यम सिंचाई परियोजना
उड़ीसा	
1.	तेलंगगिरी एम. आई. टी. का निर्माण परियोजना
2.	रांगली सिंचाई परियोजना का निर्माण
3.	माल केनाला एम. आई. पी. का निर्माण
4.	विलाचादी एम. आई. पी. का निर्माण
5.	पीपला पंखा बांध परियोजना का निर्माण
पंजाब	
1.	जैती बांध परियोजना
राजस्थान	
1.	सांकल खेड़ा सिंचाई परियोजना
2.	साबन भादो परियोजना के लिए सिंचाई विभाग के पक्ष में वन भूमि का इतर प्रयोग
उत्तर प्रदेश	
1.	टनकपुर से बरेली तक के 220 डी/सी डोसमिशन लाइन के लिए टनकपुर एच. ई. पी. के लिए वन भूमि
2.	बंजारी काला बुंदी एम. आई. पी.

यह प्रस्ताव राज्यों से अपेक्षित सूचना/क्षेत्रीय कार्यालयों से स्थल निरीक्षण की आवश्यकता के कारण लंबित पड़े हैं।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल की खुले बाजार में बिक्री

*192. **श्री भक्त चरण दास :** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कीमतों को स्थिर रखने तथा साथ ही साथ खरीद संबंधी आवश्यकता को पूरा करने हेतु अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने के विचार से भारतीय खाद्य निगम को खुले बाजार में गेहूं और चावल की बिक्री के लिए प्राधिकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खुले बाजार में गेहूं और चावल की बिक्री के लिए प्राधिकृत किए जाने के बाद भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितनी मात्रा में गेहूं और चावल बेचा गया;

(घ) इससे गेहूं और चावल की कीमतों में कहां तक स्थिरता आयी है; और

(ङ) वर्ष 1997-98 में घरेलू उपयोग के लिए गेहूं और चावल की बिक्री हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम को निम्नलिखित आधार पर गेहूं और चावल की खुली बिक्री करने की अनुमति दी गई थी:

(1) नई वसूली के लिए अत्यावश्यक भण्डारण स्थान उपलब्ध करना;

(2) भारतीय खाद्य-निगम के पास रखे स्टाक की संभाल लागत में कमी लाना;

(3) बाजार हस्तक्षेप को उपाय के रूप में अपनाकर खुले बाजार मूल्यों को उचित स्तर पर लाना;

(4) कुछ सीमा तक खाद्य सब्सिडी का भार कम करना।

(ख) और (ग) 1993-94 से खुले बाजार में बेचे गए गेहूं और चावल की मात्रा के वर्षवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(आंकड़े लाख टन में)

वर्ष	गेहूं	चावल
अक्तूबर, 1993 से मार्च, 1994	28.56	0.17 (जनवरी, 94 से मार्च, 94)
अप्रैल, 1994 से मार्च, 1995	50.29	4.54
अप्रैल, 1995 से मार्च, 1996	63.38	6.36
अप्रैल, 1996 से मार्च, 1997	41.65 (अनन्तिम)	2.54 (अनन्तिम)

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई गेहूं और चावल की खुली बिक्री से गेहूं और चावल के बाजार मूल्यों पर सन्तुलित प्रभाव पड़ा था। खुली बिक्री के अभाव में गेहूं और चावल के बाजार मूल्यों में कहीं अधिक वृद्धि दर्ज हुई होती।

(ङ) खुले बाजार में गेहूं और चावल की बिक्री 1.4.1997 से समाप्त कर दी गई है। अतः 1997-98 के दौरान बिक्री का कोई लक्ष्य निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

वनों की कटाई

*193. **श्री नवल किशोर राय :**
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वनों की लगातार कटाई के कारण वन्य क्षेत्रों में कमी आती जा रही है तथा अनुसूचित जनजाति के लोग जो वन पर निर्भर हैं, गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या निम्न कोटि की तथा वृक्षहीन सम्पूर्ण जमीन पर उन स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर वन लगाए जाने के कोई प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं जिन्हें वन्य उत्पादों से पूरा लाभ प्राप्त करने का अधिकार दिया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) पिछले दशक में देश के वन्य क्षेत्र (फारेस्ट कवर) के बारे में किए गए द्विवर्षी मूल्यांकन से यह बात सामने आई है कि देश में वन्य क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र के 19.5 प्रतिशत भाग तक स्थिर हो गया है। तथापि, कुछ वन-क्षेत्रों में समग्र रूप से संसाधन में कमी हो सकती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में और इनके आस-पास रहने वाले आदिवासियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ेगा। इस कमी का मुख्य कारण, चराई और आग जैसे जीवीय तत्वों का अत्यधिक हस्तक्षेप और इंधन-लकड़ी, चारा और छोटी इमारती लकड़ी आदि की मांग और पूर्ति में भारी अन्तर है परिणाम स्वरूप जंगलों की अत्यधिक क्षति हुई है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में की गई परिकल्पना के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को मार्ग-निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने स्थायित्व के लिए वन संसाधनों के संरक्षण और विकास कार्यों में वन क्षेत्रों के निकट रहने वाले स्थानीय समुदायों और स्वयं सेवक एजेंसियों को भी शामिल करें। केन्द्रीय सरकार ने भोगाधिकार डिस्सेवारी द्वारा वनों के पुनर्विकास में आदिवासी लोगों के साथ-साथ निर्धन ग्रामीणों को भी शामिल करने के लिए एक शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम भी आरंभ की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कश्मीर से विदेशी पर्यटकों का अपहरण

*194. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 मई, 1997 के "नवभारत टाइम्स" में "कश्मीर में अपहृत विदेशी पर्यटक अब जीवित नहीं" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आतंकवादियों द्वारा अपहृत चारों विदेशी पर्यटकों की हत्या कर दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसकी तथ्यात्मक स्थिति क्या है; और

(घ) विदेशी बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) जुलाई, 1995 में अपहृत किए गए 4 विदेशी राष्ट्रिकों के अते-पते के बारे में कोई पक्की सूचना नहीं है, तथा प्रयासों के बावजूद भी उनका कुछ पता नहीं लगा है।

(घ) जम्मू व कश्मीर सरकार ने इस मामले की जांच-पड़ताल और पूछताछ करने में तेजी लाने तथा उनके अते-पते के संबंध में सूचना प्राप्त करने और उसकी कोशिश करने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। उसने बन्धकों के पते-ठिकाने के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना देने वाले व्यक्तियों को इनाम देने की एक योजना की भी घोषणा की है।

[अनुवाद]

रॉक फास्फेट का आयात

*195. **श्री प्रमोद महाजन :**
श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जून, 1997 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में 'राक फास्फेट डील राक्स आर सी एफ प्राइसेज डेलिबरेटिड इन्फलेटेड' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य उर्वरक कम्पनियों में भी यही तकनीक अपनायी जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) से (च) इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। प्रेस रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० (आर. सी. एफ०) द्वारा टोगो से डाल ही में की गई खरीद में रॉक फास्फेट के मूल्य मिथ्या भाड़ा प्रभार शामिल करके जान-बूझकर बढाये गये हैं और ट्रान्सचार्ट को बेभर देने के लिए मजबूर किया गया है।

सरकार ने मामले की जांच पड़ताल की है और पाया है कि आर. सी. एफ. ने सामुद्रिक परिवहन नीति के अनुसार एफ. ओ. बी. और सी. एण्ड एफ. दोनों आधार पर रॉक फास्फेट की खरीद के लिए फरवरी 1997 में सार्वभौम निविदाएं आमंत्रित की थी। आफिस टोगोलिस डेस फास्फेट (ओ. टी. पी.) टोगो द्वारा उद्धृत किया गया लागत भाड़ा मूल्य 47 अमरीकी डालर प्रति मी. टन के एफ ओ बी मूल्य के साथ 70.25 प्रति मी. टन अमेरिकी डालर था। विभिन्न आपूर्तिकर्त्ताओं के लागत-भाड़ा मूल्य पर किये गये प्रौद्यो-आर्थिक मूल्यांकन में फास्फोरिक एसिड के उत्पादन के लिए टोगो सबसे कम था। किन्तु आर. सी. एफ. ने सौदा करने का निर्णय लिया क्योंकि टोगो का एफ ओ. बी. मूल्य अधिक था और उद्धृत भाड़ा उनके पिछले अनुभव के आधार पर व्यवहारिक नहीं था। तथापि, आपूर्तिकर्त्ता एफ. ओ. बी. मूल्य में कोई कमी के लिए तैयार नहीं हुआ और इस बात पर अडिग रहा कि वह 23.25 अमेरिकी डालर प्रति मी. टन के उद्धृत भाड़े पर शिपमेंट कर सकता है। क्योंकि ट्रान्सचार्ट इस उद्धृत भाड़ा दर से मुकाबला नहीं कर पाया। अतः उन्होंने लागत भाड़ा आधार पर निष्पादित किये जाने वाले संविदा के लिए बेभर दे दिया। आपूर्तिकर्त्ता ने डिराइवड आधार पर 23.16 अमेरिकी डालर प्रति मी. टन की भाड़ा दर पर दो वेसल तय किया है। प्रथमदृष्टया इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि लागत भाड़ा खरीद के लिए आपूर्तिकर्त्ता द्वारा उद्धृत की गई भाड़ा दर अव्यावहारिक थी तथापि, सरकार ने मामले की और छानबीन कराने का निर्णय लिया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य उर्वरक कम्पनियां रॉक फास्फेट समेत अपनी खरीद के लिए सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नियंत्रणाधीन कार्गो की सामुद्रिक परिवहन नीति के अनुसार प्रक्रियाओं का अनुपालन कर रही है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की खरीद में कमी

*196. **श्रीमती कोतकी देवी सिंह**
श्री सत्यदेव सिंह

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के प्रथम माह में सरकार द्वारा खाद्यान्नों की खरीद में भारी कमी रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा खाद्यान्नों की खरीद में कितने प्रतिशत की कमी रही है;

(घ) क्या सरकार ने खाद्यान्नों की खरीद बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष, 1997-98 के पहले महीने अर्थात् अप्रैल, 1997 के दौरान चावल और गेहूं की वसूली नीचे दी गई है:

(लाख टन में)

अप्रैल	गेहूं	चावल	जोड़
1997	17.86	3.85	21.71

वर्तमान वर्ष (चावल के संबंध में 1996-97 खरीफ विपणन मौसम और गेहूं के संबंध में 1997-98 रबी विपणन मौसम) के दौरान खाद्यान्नों की वसूली में पिछले वर्ष की तुलना में कोई गिरावट नहीं हुई है। इसके विपरीत चावल और गेहूं की वसूली में क्रमशः 23% और 13% की वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ) सरकार ने खाद्यान्नों की वसूली में वृद्धि करने के लिए कई उपाय किए हैं जैसे कि (1) गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1996-97 के 380/- रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कार 1997-98 में 415/- रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है और 60/- रुपये प्रति क्विंटल के बोनस की अनुमति भी दी गई थी जिससे वसूली मूल्य बढ़कर 475/- रुपये प्रति क्विंटल हो गया था; (2) वसूली एजेंसियों की सहायता करने के लिए गेहूं को चुनिंदा ऋण नियंत्रण प्रणाली (सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम) के अधीन लाना; (3) रबी विपणन मौसम को 2 सप्ताह पहले 17.3.1997 से शुरू करना; (4) बिहार में केन्द्रीय पूल के लिए वसूली एजेंसी के रूप में नेफेड को नामित करना।

1996-97 मौसम में लेवी के माध्यम से अधिक चावल एकत्र करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ने लेवी चावल के मूल्य में 8 से 9% की वृद्धि करने की घोषणा की थी जबकि धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 5 से 5.5% की वृद्धि की गई है। इसके अलावा, 1996-97 मौसम में निर्यात अथवा घरेलू व्यापार के प्रयोजन वाले गैर-बासमती चावल की किसी भी किस्म को लेवी से किसी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

रुग्ण इकाइयों के लिए पुनर्वास योजना

*197. **श्री जी. वेंकटस्वामी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के अपने रुग्ण उपक्रमों हेतु पुनर्वास योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) से (ग) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) द्वारा स्वीकृत पुनर्वास स्कीमों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(i) बंकाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० (बी. सी. पी. एल.)

(ii) बंगाल इम्यूनिटी लि० (बी. आई. एल.)

(iii) स्मिथ स्टैनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि० (एस. एस. पी. एल.)

बी. सी. पी. एल., बी. आई. एल. और एस. एस. पी. एल. के संबंध में पुनरुद्धार योजनाओं को बी. आई. एफ. आर. ने क्रमशः 4.4.95, 3.1.95 और 31.8.94 को अनुमोदन प्रदान किया जिसकी कार्यान्वयन अवधि 1994-95 से शुरू होकर 10 वर्षों की थी। इन स्कीमों में अन्य बातों के साथ-साथ उच्चतर उत्पादन, बिक्री, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी. आर. एस.) के माध्यम से फालतू जनशक्ति में कटौती, पूंजी पुनर्संरचना, प्रवर्त्तकों और बैंकरों से नयी वित्तीय सहायता, कर्मचारियों द्वारा त्याग तथा फालतू परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान के माध्यम से संसाधनों का सृजन परिकल्पित है।

बी. सी. पी. एल., बी. आई. एल और एस. एस. पी. एल. के लिए स्वीकृत पुनर्वास योजनाओं की कुल लागत क्रमशः 28.49 करोड़ रुपये, 16.14 करोड़ रुपये तथा 6.94 करोड़ रुपये थी।

(iv) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० (आईडीपीएल)

बीआईएफआर ने आईडीपीएल के लिए 10.2.94 को पुनर्वास योजना को मंजूरी प्रदान की थी। इस पैकेज में 1993-94 से शुरू करके तीन वर्षों की अवधि में 119.94 करोड़ रुपये की नयी वित्तीय सहायता, पूंजी पुनर्संरचना तथा फालतू भूमि/परिसंपत्तियों की बिक्री से 1994-96 के दौरान 23.17 करोड़ रुपये का आंतरिक सृजन परिकल्पित था ताकि पूंजी व्यय, उत्पाद विविधिकरण और हैदराबाद एकक में पावर सबस्टेशन लगाने के लिए एक भाग को पूरा किया जा सके। पुनर्वास योजना में मुजफ्फरपुर (बिहार), चेन्नई (तमिलनाडु) स्थित एककों को पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी के रूप में परिवर्तित करना भी परिकल्पित है। इसके अलावा, फालतू जनशक्ति को छांटने के लिए उचित जनशक्ति निर्धारित करना और मजदूरी/वेतन संशोधन और आय लाभों के आस्थगन के रूप में कर्मकारों द्वारा त्याग भी इसमें परिकल्पित थे। यद्यपि जबकि पुनर्वास योजना में परिकल्पित वित्तीय सहायता पूंजी पुनर्संरचना के साथ-साथ सरकार द्वारा प्रदान की गई थी, फिर भी आई डी पी एल, निर्धारित प्रचालन स्तर प्राप्त नहीं कर सकी जिसके कारण पुनरुद्धार पैकेज विफल हो गया। पुनरुद्धार पैकेज के अन्य क्षेत्रों मे भी प्रगति संतोषजनक नहीं थी। प्रौद्योगिक-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन के लिए बी आई एफ आर ने आई डी बी आई को प्रचालन एजेन्सी नियुक्त किया है। प्रचालन एजेन्सी (ओ ए) ने विचार व्यक्त किया है कि एक स्वीकार्य एवं व्यवहार्य योजना का सुझाव देना संभव नहीं है। आई डी पी एल के भविष्य के बारे में मामला सरकार के विचाराधीन है।

(v) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० (एच ए एल)

एच ए एल को 31.3.1997 को रुग्ण कंपनी घोषित किया गया और इसकी पुनर्वास योजना को बी आई एफ आर द्वारा अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

(vi) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि० (पी डी आई एल)

पी डी आई एल के लिये पुनर्वास योजना को बी आई एफ आर द्वारा 1.7.97 को स्वीकृत किया गया। इसमें इसके पूंजीगत आधार और उचित जनशक्ति निर्धारण/पुनर्नियोजन को फिर से निर्धारित किये जाने की परिकल्पना की गई है। भारत सरकार ऋणों पर 45 करोड़ रुपये के संचित ब्याज/दण्ड ब्याज को बट्टे खाते में डाला जाना है और 13 करोड़ रुपये के योजनाइतर ऋण को सात वर्ष पश्चात् विमोच्य 7% असंचयी वरीय शेयर पूंजी में परिवर्तित किया जाना है। भारत सरकार के सभी ऋणों पर 1.4.96 से दो वर्षों की अवधि के लिए इनटरेस्ट होलीडे प्रदान किया गया है। इसके अलावा योजना ऋण की आदायगी पर तीन वर्षों का ऋण-स्थगन प्रदान किया गया है। स्वैच्छिक-सेवा-निवृत्ति योजना के माध्यम से फालतू जनशक्ति को कम किया जाना है। पी डी आई एल के लिए पुनरुद्धार पैकेज को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(vii) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच एफ सी)

(viii) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (एम सी आई)

एचएफसी के बरौनी, दुर्गापुर और नामरूप एककों तथा एफसीआई के सिन्दरी, रामागुण्डम तथा तालचर एककों के पुनरुद्धार के लिए पुनरुद्धार पैकजों को भारतीय साख एवं निवेश निगम लि० (आई सी आई सी आई) द्वारा मार्ग-दर्शित विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आधार पर डाल डी में फिर से तैयार किया गया है। इन पुनरुद्धार पैकजों में उपक्रमों को दूसरी छूट और रियायतों के अलावा 3507 करोड़ रु. (869 करोड़ रु. एचएफसी के लिए तथा 2638 करोड़ रुपये एफसीआई के लिए) का नया निवेश परिकल्पित है। व्यवहार्यता और वित्त व्यवस्थाओं पर विचार करने के पश्चात् पुनरुद्धार का कार्य क्षेत्र निर्धारित किया जाना है।

(ix) सादर्न पेस्टीसाइड्स कार्पोरेशन लि० (एस पी ई सी)

एस पी ई सी हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड्स लि० की सहायक कंपनी है। एस पी ई सी के संबंध में 10.2.97 को बी आई एफ आर द्वारा स्वीकृत पुनर्वास योजना में इन्टीग्रेटेड पेस्टिसाइट्स परियोजना की स्थापना का प्रावधान है। 7.11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली योजना में दो वर्षों की अवधि में वित्तीय संस्थाओं को भुगतान करने का प्रावधान शामिल है। 3 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता एस पी ई सी रिलीज की जा चुकी है और पुनर्वास योजना को कार्यान्वित किया जा चुका है।

(x) हिन्दुस्तान फलुरोकार्बन लि० (एच एफ एल)

एच एफ एल हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि० (एच ओ सी एल) की सहायक कंपनी है। एच एफ एल के लिए पुनर्वास योजना जिसे 32.89 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 30.10.1996 को बीआईएफआर ने मंजूरी दी थी, में एच ओ सी एल में इसके विलय की परिकल्पना की गई है। एल ओ सी एल ने अब आमेलित कंपनी के लिए कुछ कर रियायतों के संबंध में विवाद पर अपिलेट अथारिटी फार इंडस्ट्रीयल एण्ड फाइनेनशियल रिकन्स्ट्रक्शन (ए ए आई एफ आर) से संपर्क किया है। पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन ए ए आई एफ आर के निर्णय पर निर्भर है।

(xi) उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० (यू पी डी पी एल)

यू पी डी पी एल, आई पी डी एल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के उपक्रम प्रादेशीय औद्योगिक निवेश निगम, उत्तर प्रदेश (पी आई सी यू पी) के सहयोग से प्रवर्त्तित संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है। यू पी डी पी एल की 22.8.95 को बी आई एफ आर द्वारा स्वीकृत पुनर्वास योजना को इसके बैंकरों ने ए ए आई एफ आर के समक्ष चुनौती दी थी। ए ए आई एफ आर ने स्वीकृत योजना को छोड़ दिया जो बीआईएफआर के पास अभी समीक्षाधीन है।

(xii) उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लि० (ओ डी सी एल)

ओ डी सी एल, आईडीपीएल द्वारा इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ ओड़ीसा लि० (आई पी आई सी ओ एल) उड़ीसा राज्य सरकार के उपक्रम के सहयोग से प्रवर्त्तित संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी पुनर्वास योजना को 18.8.94 को मंजूरी मिली तथा मार्च 1997 में बी आई एफ आर द्वारा असफल घोषित कर दी गई। प्रचालन एजेन्सी होने के कारण बी आई एफ आर ने आई डी बी आई से संशोधित योजना तैयार करने के लिए कहा है।

(xiii) महाराष्ट्र एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० (एम ए पी एल)

एम ए पी एल, हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० द्वारा राज्य सरकार के उपक्रम स्टेट इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ महाराष्ट्र (एस आई आई सी ओ एम) के सहयोग से प्रवर्त्तित संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है। एम ए पी एल 14.1.97 को घोषित रुग्ण कंपनी एचएपीएल के लिए पुनरुद्धार योजना को बी आई एफ आर द्वारा अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा राष्ट्रीय शतावरी (आर्किड) अनुसंधान केन्द्र

*198. **श्री बाजू बन रियान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने देश में शतावरी पर अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय शतावरी अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शतावरी की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिये अब तक क्या प्रयास किये गये हैं?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केन्द्र की मंजूरी दी गई थी जिसका कुल बजट 120.00 लाख रु० था। इसका उद्देश्य आर्किड से संबंधित सभी पहलुओं पर सोद्देश्य अनुसंधान करना है। इस केन्द्र ने गंगटोक सिक्किम से 35 कि.मी. दूर पाकयोंग में अक्तूबर, 96 से काम करना शुरू कर दिया है। इस केन्द्र में कुल 30 पदों की मंजूरी दी गई है जिनमें 6 वैज्ञानिक, 6 तकनीकी 8 प्रशासनिक तथा 10 सहायी कर्मचारी हैं, जननद्रव्य संग्रहण तथा इसके मूल्यांकन पर अनुसंधान शुरू कर दिया गया। चालू वर्ष (1997-98) के लिए अनुमानित बजट 80 लाख रुपये है।

(ग) भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर द्वारा किसानों, छात्रों तथा आर्किड उद्यमियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 1984 में स्थापित भारतीय आर्किड सोसायटी समय-समय पर सेमिनारों/बैठकों के आयोजन के द्वारा आर्किड को लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रही है। ट्रॉपिकल बोटानिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट; भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर कुछ परम्परागत विश्वविद्यालय तथा व्यावसायिक नर्सरियों जैसे संगठनों द्वारा आर्किड की उत्तम रोपण सामग्री का उत्पादन किया जा रहा है।

नई आनुवांशिक प्रौद्योगिकी

*199. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट की इस खोज से अवगत है कि नई आनुवांशिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से धीरे-धीरे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में इस प्रौद्योगिकी को अपनाने और लागू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करने के लिए कीट-प्रबन्ध में नई आनुवंशिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग के संबंध में टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे कार्य के बारे में सरकार को जानकारी है।

(ख) उनके कार्य में कुछ पौधों से लेक्टिनजीन को निकालकर सरसों और आलू के पौधों में स्थानान्तरित करने का कार्य शामिल है ताकि माहू (एफीड) जो कि इन फसलों का एक बहुत ही खतरनाक कीड़ा है, के प्रतिरोधिता उत्पन्न की जा सकें। आनुवंशिक तौर पर लेक्टिनजीन स्थानान्तरित किए गए इन पौधों पर अभी भी प्रयोगशाला में परीक्षण चल रहा है तथा खेतों में इनके निष्पादन की जांच की जानी है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस प्रौद्योगिकी को कार्यान्वित करने तथा भारतीय फसलों के लिए उसके इस्तेमाल के संबंध में भारत में गहन प्रयास किए जा रहे हैं। बोस संस्थान, कलकत्ता के वैज्ञानिकों ने तना छेदकों से बचाव के लिए बीटी-जीन युक्त धान की किस्मों का विकास किया है। भा. कृ. अ. संस्थान, नई दिल्ली स्थित पौध जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र में बैंगन, टमाटर और फूलगोभी जैसी सब्जी की फसलों की बीटी-जीन युक्त किस्मों का विकास किया गया है। केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला ने कंद के भृंग (मौथ) से बचाव के लिए बीटी जीन वाले आलू का विकास किया गया है। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के अनुसंधानकर्ता कपास के गुले (बाल वर्म) की प्रतिरोधी कपास के विकास के लिए पूरी तत्परता से कार्य कर रहे हैं। हाल ही में, अनेक अन्य संस्थानों और विश्वविद्यालयों ने भी विभिन्न फसलों पर ऐसे कार्यक्रम आरंभ किये हैं।

भा. कृ. अ. जैव प्रौद्योगिकीय विधियों के प्रयोग द्वारा कीट-प्रतिरोधी फसलों के विकास वाले अनुसंधान कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करती है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चावल, कपास, ज्वार, आलू आदि सं संबंधित सस्थानों में प्रभावशाली कार्यक्रम चल रहे हैं। भा. कृ. अ. प. ने आनुवंशिक अभियांत्रिकी की आधुनिक तकनीकों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं अध्यापन के लिए भा. कृ. अ. संस्थान में जैव-प्रौद्योगिकी से संबंधित एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पुष्पोत्पादन संबंधी अध्ययन

*200. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पुष्पोत्पादन की वर्तमान स्थिति और इसकी निर्यात संभाव्यता के संबंध में भारतीय निर्यात आयात बैंक द्वारा कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुष्पोत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए रिपोर्ट में उल्लिखित मुख्य बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) भारतीय पुष्पोत्पादन उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं संभावित क्षमता तथा निर्यात मंडी के विशेष सन्दर्भ में इसके मूल्यांकन तथा विश्लेषण के संबंध में भारतीय निर्यात आयात (एक्जिम) बैंक द्वारा किए गये अध्ययन से संबंधित रिपोर्ट कृषि मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं की गयी है। बहरहाल, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित ''फ्लोरीकल्चरः ए सैक्टर स्टडी'' नामक रिपोर्ट में पुष्पोत्पादन विकास की रणनीति सहित इस क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। कुछ समस्याएं, जिनमें सरकार द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है, इस प्रकार हैं: शीघ्र खराब होने वाली जिन्सों के रख-रखाव के लिए आधारभूत सुविधाओं का सृजन; विमानपत्तनों की कार्यप्रणाली को सरल बनाना; पौध संरक्षण के लिए रसायनों का आयात; पौध संगरोध प्रक्रियाओं का सरलीकरण; तथा विपणन हेतु आधारभूत सुविधाओं का सृजन।

(ग) यह रिपोर्ट कृषि मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं की गयी है। बहरहाल, पुष्पोत्पादन संबंधी उत्पादों के उत्पादन तथा निर्यात में सुधार करने तथा रिपोर्ट में यथा-उल्लिखित समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई का ब्यौरा इस प्रकार है:

(1) कृषि मंत्रालय द्वारा आठवीं योजना के दौरान देश के सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 14.29 करोड़ रुपये के परिव्यय से वाणिज्यिक पुष्पोत्पादन के संबंध में केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना कार्यान्वित की गयी। इसमें अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री प्रदान करने; उत्पादन एवं कटाई पश्चात् प्रबन्ध संबंधी प्रशिक्षण, तथा क्षेत्र विस्तार पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इस योजना को नौंवी योजना अवधि में भी जारी रखे जाने की संभावना है।

(2) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि मंत्रालय द्वारा निर्यात पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विपणन सहित उत्पादन एवं कटाई पश्चात् प्रबन्ध संबंधी समेकित परियोजनाओं के लिए एक करोड़ रुपये तक का सरल ऋण प्रदान किया जाता है। आठवीं योजना अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में कार्यरत् पुष्पोत्पादन संबंधी 61 परियोजनाओं को सहायता के लिए 52.58 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

(3) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) (वाणिज्य मंत्रालय मुम्बई), दिल्ली तथा बंगलौर विमानपत्तनों पर जल्दी खराब होने वाली जिन्सों की निर्यात खेपों के अलग रख-रखाव के लिए सुविधाओं की स्थापना हेतु सहायता दे रहा है।

(4) अपेडा द्वारा 5 प्रमुख शहरों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, पुणे, चेन्नई तथा बंगलौर में थोक मंडी तथा नीलामी केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है।

(5) अपेडा द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास निधि के सहयोग से पुष्पोत्पादन संबंधी एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य उन्नत उत्पादन विशेषज्ञता एवं मंडी जानकारी पर आधारित कटे फूलों के निर्यात संबंधी क्षेत्र का विस्तार करना है।

(6) खास तौर से निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा पौध सामग्री के आयात संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बना दिया गया है।

(7) शत्-प्रतिशत् निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए अपेक्षित अनेक महत्वपूर्ण उपकरणों आदि पर लगने वाला आयात शुल्क माफ कर दिया/घटा दिया गया है।

(8) देश से पुष्पोत्पादन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपेडा द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास, पैकिंग, विपणन (हवाई भाड़ा सब्सिडी सहित) संबंधी एक योजना चलाई जा रही है।

(9) भारत सरकार के अन्तर्गत कीटनाशी पंजीकरण समिति द्वारा धारा 9 (3-ख) के तहत कीटनाशियों के पंजीकरण तथा पुष्पोत्पादन क्षेत्र में उपयोग हेतु अपेक्षित तकनीकी/फार्मूलेटेड सामग्री के आयात संबंधी दिशा-निर्देशों को सरल बना दिया गया है।

[अनुवाद]

मिर्च की खरीद

2006. **श्री आर॰ साम्बासिवा राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस मौसम के दौरान आंध्र प्रदेश में मिर्च का कुल कितना उत्पादन हुआ और इसमें से कितनी मिर्च सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा खरीद ली गई;

(ख) मिर्च की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया और कितनी मिर्च के निर्यात किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या मिर्च उत्पादकों को दिए गए मूल्य किसानों द्वारा मिर्च उत्पादन पर किए खर्च को पूरा करने के लिए काफी नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस वर्ष अप्रैल और मई महीने में कई मिर्च उत्पादकों ने आत्महत्या कर ली थी; और

(ङ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश के मिर्च उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) वर्ष 1996-97 के दौरान आंध्र प्रदेश में मिर्च का उत्पादन 4.10 लाख मी. टन आंका गया है, जिसमें से मंडी हस्तक्षेप योजना के अधीन इस मौसम के दौरान 10.6.97 तक 17500 मी. टन मिर्च की खरीद की गई।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान औसत आधार पर प्रतिवर्ष लगभग 50,000 मी. टन मिर्च का निर्यात किया गया। लेकिन अप्रैल से जून, 1997 तक दौरान 11,200 मी. टन मात्रा का निर्यात किया गया।

(ग) से (ङ) अप्रैल, 1997 से इस मौसम के दौरान बाजार में मिर्च का मूल्य काफी कम था, अतः सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया तथा 2250 रु. प्रति क्विंटन के हस्तक्षेप मूल्य पर लाल मिर्च के लिए मंडी हस्तक्षेप योजना लागू की। इस योजना के अंतर्गत 10 जून, 1997 तक 17500 मी. टन की खरीद की गई। मसाला बोर्ड देश से मिर्च के निर्यात को बढ़ाने के लिए शुष्कन यार्ड हेतु पोलिथिन शीट का वितरण, गुणवत्ता सुधार के लिए प्रशिक्षण, कृषक संघों, समितियों, राज्य संघों तथा विपणन बोर्ड द्वारा गोदामों के निर्माण जैसे विभिन्न प्रयास कर रहा है।

[हिन्दी]

फर्जी वीसा

2007. **श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फर्जी वीसा के आधार पर तेहरान की यात्रा कर रहे कुछ व्यक्तियों को दिल्ली में गत छह महीनों के दौरान पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ङ) दिल्ली पुलिस के अनुसार, गत छः महीनों के दौरान ऐसा कोई मामला सूचित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सुन्दरवन क्षेत्र

2008. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि पश्चिम बंगाल में कीचड़ से सुन्दरवन क्षेत्र का सौन्दर्य समाप्त न हो; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

लौह अयस्क खानें बंद होना

2009. **श्री ए॰ सम्पत** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप कालटा लौह अयस्क खानें बंद कर दी गई हैं जिनके कारण 3000 कार्मिक बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) क्या कालटा खानों के लिए वानिकी स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास लंबित पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो सलाहकार समिति द्वारा वानिकी संबंधी अनुमति देने के बाद इस संबंध में प्रस्ताव को अनुमोदित करने में विलंब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) सुन्दरगढ़ जिले के बोनाई उप-प्रभाग के बारसुआन, काल्टा क्षेत्र में लौह और अयस्क के लिए मेसर्स सेल, राउरकेला के खनन पट्टे के नवीकरण के लिए 395.639 हेक्टेयर वन भूमि के उड़ीसा राज्य सरकार के प्रस्ताव को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत दिनांक 20.3.1997 के सिद्धांतरूप में पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है। इस मंत्रालय ने भी उपर्युक्त प्रस्ताव के संबंध में पहले से ही खंडित वन क्षेत्र के बारे में नौ माह के लिए दिनांक 20.2.1997 को अस्थायी रूप से कार्य करने की अनुमति प्रदान की है।

(ग) और (घ) चूंकि उड़ीसा सरकार ने निर्धारित शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, इस अवस्था में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता है।

भोपाल गैस पीड़ित

2010. **श्री टी॰ गोविन्दन** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों के पुनर्वास हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ख) कितनी सहायता दी गई है; और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां। भोपाल गैस पीड़ितों की राहत और पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा भी इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार को 243 करोड़ रु० उपलब्ध कराए गए हैं।

समेकित नारियल विकास परियोजनाएं

2011. **श्री रामजीवन सिंसवाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) समेकित नारियल विकास परियोजना शुरू करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं को ई. ई. सी. द्वारा धन दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या देश में विशेषकर उड़ीसा में नारियल खेती और नारियल जटा के विकास के लिए कोई बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं शुरू करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो नारियल खेती और जूट पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेंगुगोपालाचारी): (क) नारियल जोतों में समेकित कृषि पर एक योजना केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी एवं लक्षद्वीप में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख से (ङ) यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(च) नारियल विकास बोर्ड अच्छी गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री के उत्पादन एवं वितरण तथा क्षेत्र में विस्तार करने, उत्पादकता सुधार के लिए समेकित कृषि एवं समेकित कृमि प्रबंध, नारियल प्रौद्योगिकी विकास एवं अन्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है जिसका उद्देश्य नारियल एवं इसके उत्पादों का संवर्द्धन, प्रसंस्करण एवं विपणन है।

पुलिस को अधिकार

2012. **श्री यैल्लैया नन्दी**:
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने पुलिस और अभियोजकों को अधिभावी अधिकार देने के लिये केन्द्र को सुझाव दिया है तथा राज्य स्तर पर मजिस्ट्रेट के महत्व को कम करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये सभी सुझाव विधि मंत्रियों के सम्मेलन में दिये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य स्टाम्प प्रणाली

2013. **श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी :**

श्री आर॰ साम्बासिवा राव :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश में वर्तमान राजसहायता प्राप्त चावल की योजना के स्थान पर खाद्य स्टाम्प प्रणाली का सुझाव दिया है;

(ख) क्या ''आर्थिक सुधार हेतु कार्य सूची'' संबंधी विश्व बैंक रिपोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि दीर्घकालिक अवधि में गरीबों को खाद्य पदार्थों का अधिकार दिए जाने हेतु खाद्य स्टाम्प प्रणाली लागू की जाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इस योजना की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश में चावल सब्सिडी स्कीम को और अधिक लक्षित बनाने के लिए कई सुझाव दिए हैं। विश्व बैंक द्वारा सुझाए गए विकल्पों में से एक विकल्प ''फूड-स्टैम्पस'' की शुरूआत करना है। गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले पात्र परिवारों को ''फूड-स्टैम्पस'' जारी करने से मौजूदा प्रशासनिक और प्रचालन संबंधी खर्चों में एक बड़ी सीमा तक कमी आएगी। गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले पात्र परिवारों को ''फूड स्टैम्पस'' के जरिए उचित दर की दुकानों के साथ-साथ किसी भी दुकान से खाद्यान्न प्राप्त हो सकेंगे क्योंकि उक्त दुकानें इन खाद्य-कूपनों को स्वीकार करेंगी और निश्चित बैंक अथवा राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित राज्य-खजानों में प्रतिपूर्ति हेतु क्लेम प्रस्तुत करेंगी। ''फूड स्टैम्पस'' की शुरूआत होने से खाद्यान्न व्यापारियों और उचित दर दुकानों के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी जिससे गरीबी की रेखा के नीचे आने वाले उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

(घ) और (ङ) आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि शीघ्र निर्ण लिए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस मामले पर सक्रिय विचार-विमर्श किया जा रहा है।

त्रिपुरा में विद्रोही गतिविधियां

2014. **श्री बादल चौधरी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य में विद्रोह की समस्या का प्रभावकारी रूप से मुकाबला करने के लिए राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए त्रिपुरा सरकार द्वारा क्या प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(ख) केन्द्र सरकार को अनुमति के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या त्रिपुरा सरकार ने असम-अगरतला सड़क (राष्ट्रीय रा. मा. 44) की सुरखा सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य की सड़क सम्पर्क की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) त्रिपुरा सरकार ने अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं जिनमें शामिल हैं: राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की केन्द्रीय योजना के अधीन अतिरिक्त धन की स्वीकृति हेतु अनुरोध, अतिरिक्त हथियार और गोली बारूद का आवंटन, सुरक्षा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति, सचल कार्य बल को सुदृढ बनाना और बुलेटप्रूफ वाहनों का आवंटन।

(ख) अभी तक राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण की योजना के अधीन अतिरिक्त धन और हथियारों तथा गोली बारूद के आबंटन संबंधी दो प्रस्ताव केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी हां, श्री मान्। 36 जिप्सियां, 1.23 करोड़ रुपये कीमत के हथियार और गोलीबारूद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की सुरक्षा के लिए त्रिपुरा सरकार को जारी किए गए थे। 1996-97 के दौरान खास तौर से त्रिपुरा पुलिस के उपयोग हेतु रेडियो संप्रेषण उपकरण के प्रापण हेतु 100 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां स्वीकृत की गई थीं।

कृषि क्षेत्र के लिए विश्व बैंक/बी. एण्ड डी. / आई. डी. ए. की सहायता

2015. **डा॰ टी. सुब्बारामी रेड्डी:**
श्रीमती लक्ष्मी पनवाका:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने आन्ध्र प्रदेश में कृषि क्षेत्र के लिए किसी पैकेज कार्यक्रम की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा 325 मिलियन डालर और आई. डी. ए. द्वारा 150 मिलियन डालर का ऋण इस पैकेज कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो इस ऋण से शुरू की जाने वाली मुख्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इससे कृषि उत्पादकता में कितना सुधार होगा;

(च) क्या इन परियोजनाओं से राज्य के सूखाप्रवण और आर्थिक रूप से कम विकसित अन्तर्देशीय क्षेत्रों के लिए दुर्लभ उपलब्ध जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए आन्ध्र प्रदेश के प्रयासों को बल मिलेगा;

(छ) क्या इस संबंध में कोई ठोस कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) विश्व बैंक ने ए॰पी॰-III सिंचाई परियोजना के संबंध में जिसे जल संसाधन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, सिंचाई के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए 325 मिलियन डालर के एक पैकेज कार्यक्रम की घोषणा की है।

(ग) और (घ) 3.6.97 के समझौते के तहत विश्व बैंक आन्ध्र प्रदेश III सिंचाई परियोजना जिसमें श्रीरामसागर तथा श्रीसैलम राइट ब्रान्च कैनल उप-परियोजनायें शामिल हैं तथा जिनको 31.1.2003 तक पूरा कर लिये जाने की आशा है, के लिए 325 मिलियन अमेरिकी डालर (150 मिलियन अमरीकी डालर आई.डी.ए. क्रेडिट तथा 175 मिलियन अमरीकी डालर आई. बी. आर. डी. ऋण) की सहायता देने पर सहमत हो गया है। परियोजना 3.7.97 से प्रभावी होगी। उपर्युक्त सहायता राशि का घटकवार उपयोग करने का ब्यौरा 80% सिंचाई कार्यों के लिये, 2.5% कृषि सहायता सेवाओं के लिये, 5% पुनर्वास कार्यक्रम के लिये, 7.5% पर्यावरण प्रबन्ध कार्यक्रम के लिये तथा 5% बांध सुरक्षा आश्वासन कार्यों के लिये है।

(ङ) और (च) आन्ध्र प्रदेश II परियोजना के तहत शुरू की गई श्रीसैलम राइट ब्रांच कैनल के 65,000 हैक्टेयर क्षेत्र को पूरा करने तथा श्रीरामसागर परियोजना के 253,000 हैक्टेयर कमान क्षेत्र को पूरा करने तथा पुनर्वास के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार को सहायता दिये जाने से आन्ध्र प्रदेश में सतही सिंचाई कमान क्षेत्रों में 153,000 हैक्टेयर क्षेत्र की इजाफा होगी। एस. आर. बी. सी. के कमान क्षेत्र की स्थिति रायलसीमा क्षेत्र है जबकि एस. आर. एस. पी. के लिये स्थिति तेलंगाना क्षेत्र है। इन परियोजनाओं का कृषि परक उद्देश्य बेहतर जल आपूर्ति, व्यावहारिक फार्मिंग प्रणाली अनुसंधान, सिंचाई सस्यवैज्ञानिक विस्तार तथा कृषक प्रशिक्षण के माध्यम से ऊपरी भूमि संबंधी सिंचाई योजनाओं में अधिक मूल्य की नकदी फसलों को बढ़ावा देना है। इन आदानों के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

(छ) और (ज) आन्ध्र प्रदेश III परियोजना के श्रीरामसागर परियोजना तथा श्रीसैलम राइट कैनल के मामले में 31.7.2003 तक पूरा किये जाने के लिये इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिये वर्षवार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

[हिन्दी]

भेड़ से ऊन निकालने को उद्योग का दर्जा देना

2016. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भेड़ों से ऊन निकालने को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रयोजन के लिए सहायता प्रदान करती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) जी, नहीं। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत इसे उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) उक्त ''क'' को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी बहुल क्षेत्रों में छठी अनुसूची का कार्यान्वयन

2017. **श्री एन. जे. राठवा:** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आदिवासी बहुल क्षेत्रों से लगे क्षेत्रों में संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने राज्य में संविधान की छठी अनुसूची के कार्यान्वयन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) नहीं श्रीमान् जी।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

उपभोक्ता न्यायालयों का कार्यकरण

2018. **श्री विजय गोयल:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उपभोक्ता मंत्रों के कार्यकरण की विधि क्या है;

(ख) क्या इन न्यायालयों के कार्यकरण में बाधाओं/कठिनाइयों का व्यापक रूप से पता लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन न्यायालयों के कार्यकरण में पता लगाई गई कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1996 के तहत गठित उपभोक्ता न्यायालय उक्त अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) अपर्याप्त आधार-ढांचा होना बार-बार स्थगन, उपभोक्ता न्यायालयों में अध्यक्षों/सदस्यों के पदों का न भरा जाना ऐसी कुछ अड़चने हैं जिनका सामना उपभोक्ता न्यायालयों को करना पड़ रहा है। इन अड़चनों को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

(1) उपभोक्ता न्यायालयों के आधार-ढांचों को मजबूत करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1996-97 के दौरान 54.62 करोड़ रू0 का एकबारगी अनुदान दिया है।

(2) केन्द्रीय सरकार तथा राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता न्यायालयों की नियमित रूप से मानीटरिंग कर रहे हैं।

(3) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे विभिन्न उपभोक्ता न्यायालयों में सदस्यों/अध्यक्षों की रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरें।

(4) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे मामलों को मानीटर करने तथा उन्हें तेजी से निपटाने के लिए उपभोक्ता न्यायालयों के अध्यक्षों के साथ समय-समय पर बैठकें करें।

(5) केन्द्रीय सरकार उपभोक्ता न्यायालयों के गैर-न्यायिक सदस्यों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम व नियमों और अन्य संगत कानूनों के उपबंधों से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करती है।

पश्चिम बंगाल में उत्पादित आलुओं को राज्य से बाहर ले जाये जाने पर लगी रोक हटाना

2019. **श्री आराधना राय:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में आलू पैदा किये जाने पर रोक लगी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस रोक के कारण पश्चिम बंगाल के आलू उत्पादक अपने उत्पाद को अन्य राज्यों में नहीं बेच पाते;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उत्पादकों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए इस रोक को हटाने के लिए कोई उपाय किये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस रोक को कब तक हटा लिये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) श्रीमान्, आलू का ''वार्ट'' रोग 1953 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में देखा गया। चूंकि यह एक विदेशी रोग था इसलिये पश्चिम बंगाल राज्य में उगाए जाने वाले आलू की ढुलाई पर प्रतिबंध लगाने के स्वदेश पौध संगरोध उपाय किए गए थे ताकि इस रोग पर नियंत्रण/रोक लग सके।

(घ) से (च) वर्ष 1995 में किए गए हाल ही के सर्वेक्षण के निष्कर्ष के आधार पर सैद्धान्तिकतौर पर यह फैसला किया गया है कि दार्जिलिंग जिले के विजेनबाडी, मिरिक, कुर्सुंग, ताकदेड, कालिमपांग, अलागारा तथा सुखपोरिया प्रखंडों से पश्चिम बंगाल तथा भारत के अन्य भागों को आलू की ढुलाई पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस संबंध में राजपत्र में प्रकाशनार्थ अधिसूचना अनुमोदित कर दी गई है।

[हिन्दी]

सुपर बाजार की शाखाएं

2020. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपर बाजार को-आपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड द्वारा दिल्ली में और दिल्ली से बाहर और शाखाएं खोली जानी हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार/स्थल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शाखाओं को भविष्य में दिल्ली में, विशेषकर चांदनी चौक में खोले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी-ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) सुपर बाजार दिल्ली द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उनका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तथा उससे बाहर और अधिक शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है। दिल्ली से बाहर चुने गए स्थान हैं : बंगलौर, पटना गाजियाबाद, गुडगांव आदि।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में सुपर बाजार की शाखाएं नजफगढ़ तथा संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, मंगोलपुरी में खोलने का प्रस्ताव है। इस समय सुपर बाजार, दिल्ली का चांदनी चौक में शाखा खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में आलू अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

2021. **प्रो॰ जितेन्द्र नाथ दास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में आलू अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) अखिल भारतीय समन्वित आलू अनुसंधान प्रायोजना का एक केन्द्र वर्ष 1971 से विधान चन्द कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी, पश्चिम बंगाल में चल रहा है। इसके अतिरिक्त पटना में स्थित केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी भारत के राज्यों की ओर ध्यान दिया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल में आलू अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

धान के लिए कृषि अनुसंधान केन्द्र और कृषि फार्म

2022. **श्री पी. आर. दासमुंशी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) धान की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के लिए चलाए जा रहे कृषि फार्मों और कृषि अनुसंधान केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त परियोजना हेतु कुल कितना अनुदान दिया गया और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया था; और

(ग) इन परियोजनाओं को नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितनी धनराशि दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) परिषद् की अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना के अंतर्गत 51 चावल अनुसंधान केन्द्र हैं। इन अनुसंधान केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के लिए मूलतः 1350.00 लाख रु० की कुल राशि की मंजूरी दी गई थी जबकि वास्तविक व्यय 1790.29 लाख रु० है जिसे संशोधित बजट में मंजूरी दे दी गई है।

(ग) अभी भी मामले पर विचार किया जा रहा है। अभी तक आंकड़ों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना के केन्द्रों की सूची

क्र० सं०	केन्द्र का नाम	विश्वविद्यालय/राज्य का नाम
1	2	3
1.	खुदवानी	शेर-ए-काश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर
2.	फैजाबाद	एन.डी. कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद
3.	पटना	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार
4.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर
5.	जॉरहट	असम कृषि विश्वविद्यालय, जॉरहट
6.	राजेन्द्रनगर	आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद
7.	पालमपुर	हि॰प्र॰ कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर
8.	कपूरथला	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना
9.	पन्तनगर	जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर
10.	नवागांव	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, अहमदाबाद
11.	रायपुर	इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर
12.	मान्डया	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर
13.	मल्लतेरू	आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद
14.	वारंगल	आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद

1	2	3
15.	कारजट	कोंकण कृषि विद्यापीठ, अकोला, महाराष्ट्र
16.	अदुथुराई	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर
17.	चिपलीमा	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
18.	पतम्बी	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर
19.	पोनीचक	शेर-ए-काश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर
20.	जोगिन्द्रनगर	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर
21.	करनाल	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
22.	कोटा	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
23.	जेपोर	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
24.	सकोली	पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला, महाराष्ट्र
25.	मंगलौर	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर
26.	पौनन्मपेट	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर
27.	बिकरामगंज	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार
28.	करीमगंज	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट
29.	सिरिगुप्पा	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़
30.	मदुराई	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर
31.	मनुथी	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर
32.	काणके	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, काणके, रांची
33.	मॉनकॉम्पु	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर
34.	रेवा	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
35.	मुगाड	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़
36.	तुलजापुर	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभनी
37.	कानपुर	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर
38.	कलकत्ता	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता
39.	पूसा	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार
40.	कौल	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
41.	जोगराघाट	एन.डी. कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद
42.	जगदालपुर	जे. एन. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
43.	सेबर	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार
44.	बिन्सुरह	पश्चिम बंगाल सरकार
45.	बांकुरा	पश्चिम बंगाल सरकार
46.	अगरतला	त्रिपुरा सरकार
47.	ऊपरी शिलांग	मेघालय सरकार
48.	कोहिमा	नागालैण्ड सरकार
49.	इम्फाल	मणिपुर सरकार
50.	पांडिचेरी	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर
51.	वाराणसी	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी

पुल्लुवा समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना

2023. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य ने केरल के पुल्लुवा समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चीनी आवंटन में वृद्धि का प्रभाव

2024. **श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी** : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीनी क्षेत्र में चीनी निर्यात को एजेंसी मुक्त करना, चीनी फैक्ट्रियों को लाईसेंस मुक्त करना और नई चीनी मिलों को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करने जैसे कई परिवर्तन किए हैं;

(ख) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत डाल डी में प्रति यूनिट आवंटन में बढ़ोतरी की घोषणा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चीनी के आवंटन में इस वृद्धि के लिए चीनी उद्योग से वर्ष-भर में चीनी की कुल कितनी अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध होने की संभावना है;

(ङ) क्या इसके कारण चीनी मिलों पर भारी बोझ पड़ने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) चीनी मिलों को पर्याप्त राहत प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) सरकार ने चीनी के निर्यात को 15.1.197 से असरणीबद्ध कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप चीनी का निर्यात व्यक्तिगत निर्यातकों, चीनी मिलों आदि द्वारा कृषि प्रसंस्कारित खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा) द्वारा वाणिज्य मंत्रालय के अधीन सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत किया जा सकता है। सरकार ने प्रेस नोट दिनांक 10.1.1997 (प्रति संलग्न) के अधीन नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने तथा विद्यमान इकाइयों में विस्तार के लिए लाइसेंसिंग नीति निर्देशों में संशोधन किया है। इसके आगे सरकार ने नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने तथा विद्यमान इकाइयों में विस्तार के लिए 31.3.94 के बाद जारी आशय पत्र के लिए नई प्रोत्साहन योजना बनाई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

भारत सरकार
उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग
पेरा नोट सं.1
(1997 सीरीज)

विषय : चीनी फैक्ट्रियों के लिए औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदनों पर विचार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

भारत सरकार ने इस मंत्रालय के दिनांक 8.11.1991 के प्रेस नोट संख्या 16(1991) द्वारा नई और वर्तमान चीनी फैक्ट्रियों के विस्तार के "लाइसेंसिंग" के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की समीक्षा की है। वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि आर्थिक उदारीकरण, सरल और मार्गदर्शी प्रक्रिया लागू करने की आवश्यकता और पिछले वर्षों में चीनी उद्योग में हुए तकनीकी परिवर्तनों को हिसाब में लिया जा सके। उपर्युक्त प्रेस नोट के अधिक्रमण में सरकार ने अब निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए हैं:

(1) प्रतिदिन 2500 टन गन्ना पेराई की न्यूनतम इकनामिक क्षमता वाली नई चीनी फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस जारी रहेगा। ऐसी क्षमता के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

(2) लाइसेंसिंग में उन प्रस्तावों को तरजीह दी जाएगी जिनमें भारी क्षमता, आधुनिक प्रौद्योगिकी और "वेल्यू-एडेड" उत्पादों के उत्पादन तथा विद्युत सह-उत्पाद के समन्वित काम्पलेक्स अंतर्ग्रस्त होंगे।

(3) आवेदन पर विचार करने हेतु एक राजस्व जिले को यूनिट के रूप में माना जाएगा। यदि किसी यूनिट के प्रचालन के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं और अन्य बातें समान हैं तो पहले से प्राप्त हुए आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) चीनी फक्ट्रियों को इस शर्त के अध्यधीन लाइसेंस दिए जाएंगे कि प्रस्तावित नई चीनी फैक्ट्री और पहले से ही विद्यमान लाइसेंसशुदा फैक्ट्री के बीच की दूरी 15 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

(5) नई चीनी यूनिट के लिए लाइसेंस मंजूर करने के लिए मूल आधार गन्ने की उपलब्धता और अथवा गन्ना विकास के लिए संभावना अथवा दोनों होंगे।

(6) अन्य बातें समान होने पर उत्पादकों की सहकारी समितियों से प्राप्त प्रस्तावों को तरजीह दी जाएगी। तथापि, ऐसी सहकारी समितियों को जारी किया गया लाइसेंस किसी अन्य को नहीं दिया जाएगा।

(7) वर्तमान फैक्ट्रियों के विस्तार संबंधी सभी आवेदन स्वतः ही स्वीकृत हो जाएंगे।

(8) नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने और वर्तमान यूनिटों के विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति हेतु आवेदन 2500 रुपये की विहित फीस के साथ फार्म-II में औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के औद्योगिक सहायता सचिवालय में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। लाइसेंस मंजूर करने के लिए प्राप्त हुए आवेदन औद्योगिक सहायता सचिवालय द्वारा खाद्य विभाग और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी टिप्पणियों हेतु भेजे जाएंगे। यदि उनकी टिप्पणियां मांगे जाने के एक माह पश्चात् खाद्य विभाग अथवा संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि वे कोई टिप्पणी नहीं देना चाहते। उसके बाद लाइसेंसिंग समिति औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदन पर विचार करेगी और अपयुक्त सिफारिशें देगी।

यथोपरि प्रक्रिया और मार्गदर्शी सिद्धांत उद्यमियों की सूचना और मार्गदर्शन हेतु उनके नोटिस में लाया जाता है।

हस्ता०/-
(अशोक कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

फाइल संख्या 10/20/96-एल.पी., नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी, 1997
उपर्युक्त प्रैस नोट के तत्वों को व्यापक प्रचार देने के लिए पत्र सूचना कार्यालय को अग्रेषित

पत्र सूचना अधिकारी,
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली।

[हिन्दी]

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अस्पताल

2025. **श्री सुशील चन्द्र :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भोपाल गैस त्रासदी के बाद भोपाल में करोड़ों रुपये खर्च करके अस्पताल भवनों का निर्माण किया गया है परन्तु जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है और ये भवन कई वर्षों से खाली पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इन खाली अस्पताल भवनों में उपयोग के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अठगाचलम) : (क) से (घ) भोपाल में गैस प्रभावितों को राहत और पुनर्वास के लिए कार्रवाई योजना के भाग के रूप में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अनेक अस्पतालों के निर्माण के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किया है। कुछ अस्पताल पहले से कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार ने अन्य खाली अस्पताल भवनों में उपस्कर देने की योजना बनाई है ताकि उनमें कार्य शुरू हो सके।

[अनुवाद]

दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति

2026. **श्री आई. डी. स्वामी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात मिल्क मार्किटिंग फैडरेशन लिमिटेड, आनन्द अपने उत्पादों की केन्द्रीय भण्डार (केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड) नई दिल्ली को न तो सीधे ही आपूर्ति कर रही है और न ही इन मदों की आपूर्ति के किए किसी एजेंट की नियुक्ति कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) से (ग) गुजरात सहकारिता दुग्ध विपणन फैडरेशन लिमिटेड सहकारिता सोसायटीज अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सहकारी सोसायटी है। फेडरेशन को अपनी दैनिक प्रबंध व्यवस्था तथा कार्यों में पूरी स्वायत्तता प्राप्त है तथा इसके दैनिक कामकाज और इसकी बिक्री तथा विपणन नीति अथवा रणनीति में भारत सरकार बाजार आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए अपने उत्पादों के लिए डीलर तथा/अथवा ट्रेडर नियुक्त करने का काम पूरी तरह से फेडरेशन का है। इस समय केन्द्रीय भण्डार (केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड) गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन फेडरेशन लिमिटेड, आणंद से धारा नामक खाद्य तेल खरीद रहा है। केन्द्रीय भंडार ने गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन फेडरेशन लिमिटेड से यह अनुरोध किया था कि वे आणंद के उत्पादों को साख पर आपूर्ति कर दें जिसे गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन फेडरेशन लिमिटेड ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि इस संगठन की नीति साख देने की नहीं है।

पुयमकुट्टी जल विद्युत परियोजना

2027. **श्री रमेश चेन्निथला :**
श्री एस. अजय कुमार :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में पुयमकुट्टी जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति दिए जाने की संभावना की पुनः जांच करने हेतु एक विशेषज्ञ अध्ययन दल ने वहां का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ अध्ययन दल के क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़): (क) जी, हां।

(ख) पुयामकुट्टी जल विद्युत परियोजना का गहराई से अध्ययन करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी आन्तरिक रिपोर्ट में परियोजना का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन और सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण करने की सिफारिश की है।

(ग) केरल राज्य सरकार से इस अध्ययन को शीघ्र करने के लिए कहा गया है?

पुनर्गठन आयोग का गठन

2028. **श्री आर. बी. राई :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एक और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करने की आवश्यकता के बारे में विभिन्न वर्गों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) क्या पिछड़े और दलित क्षेत्रों में बढ़ते हुये असंतोष को देखते हुए सरकार का इस दिशा में कोई कदम उठाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख से (घ) सरकार की नीति राजनैतिक प्रशासनिक और आर्थिक संघवाद के सिद्धान्तों को बढ़ावा देने की है जिसके परिणामस्वरूप विकास के लाभ, देश के अब तक अविकसित उन क्षेत्रों तक तेजी से पहुंचने की आशा है जहां से राज्य का दर्जा दिए जाने की मांगें उठ रही हैं।

[हिन्दी]

मदर डेयरी के बूथ

2029. **श्री राधा मोहन सिंह :**
श्री रमेश चंद तोमर :
श्री देवी बक्स सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली तथा इसके आस-पास मदर डेयरी के सब्जी के कितने बूथ हैं; और

(ख) सब्जी के बूथ आवंटित करने तथा स्थान का चयन करने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) इस समय दिल्ली तथा उसके आस-पास मदर डेयरी के 226 फल तथा सब्जी के बूथ कार्य कर रहे हैं।

(ख) रियायत प्राप्तकर्त्ता, जो इन बूथो को चलाते हैं, इस परियोजना के साथ वार्षिक नवीकरणीय वाणिज्यिक करार करते हैं। रियायत प्राप्तकर्त्ताओं का चयन सामान्यतया उन भूतपूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों में से किया जाता है, जिनके नामों की सिफारिश पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा की जाती है।

फल तथा सब्जी बूथों के स्थानों का चयन बिक्री संभाव्यता, उपयुक्त स्थान की उपलब्धता तथा इस प्रकार के बूथों के निर्माण/संचालन के लिए अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। बूथों का निर्माण कार्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावित स्थानों का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद शुरू किया जाता है।

[अनुवाद]

पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय

2030. **डा॰ अरुण कुमार शर्मा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन॰ ई॰ सी॰ को पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, लखीमपुर के आधारभूत ढांचे के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कितनी राशि आवंटित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना को पूरा किए जाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रशीतन से पहले और कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए राजसहायता/ऋण

2031. **श्री लिंगाराज बल्याल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्रशीतन से पहले और कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए राजसहायता/ऋण का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार इन परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग राज्य सरकारों को आलू एवं अन्य सब्जियों के संग्रहण के लिए सहकारिताओं द्वारा पूर्व प्रशीतन एवं कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं की स्थापना के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से वित्तीय सहायता देती रही है। अद्यतन नियमों के अनुसार, कुल लागत का 50% शेयर पूंजी के रूप में एव 40% ऋण के रूप में दिया जाता है। कमजोर वर्गों के लिए 75% ऋण के रूप में एवं 17.5% राजसहायता के रूप में दिया जाता है। अल्पविकसित राज्यों में 75% ऋण के रूप में एवं 20% राजसहायता के रूप में दिया जाता है। शेष धनराशि की व्यवस्था लाभ भोगियों द्वारा आपस में ही की जाती है।

सहायता उन्हीं परियोजनाओं के संबंध में दी जाती है जो तकनीकी एवं आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में कोल्ड स्टोरेज के लिए सहकारिताओं को विवशत की गयी राशि का राज्य-वार वितरण इस प्रकार है:

(लाख रु० में)

राज्य	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4
पश्चिम बंगाल	98.635	23.89	38.647
उड़ीसा	7.65	-	63.000
महाराष्ट्र	273.71	270.707	357.049

1	2	3	4
तमिलनाडु	37 286	52.25	–
मध्य प्रदेश	56.925	100.82	358.707
कर्नाटक	73.338	104.255	–
कुल	547.544	551.922	817.403

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश स्थित फूलपुर उर्वरक संयंत्र

2032. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में फूलपुर उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिए वहां के लोगों को उनकी भूमि का अधिग्रहण करते समय यह आश्वासन दिया गया था कि संयंत्र की स्थापना और उसके विस्तार के पश्चात प्रभावित परिवारों के एक या दो सदस्यों को रोज़गार दिया जाएगा;

(ख) कितने लोगों की भूमि अधिग्रहीत की गई थी और कितने लोगों को रोजगार दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो जिन-जिन लोगों की भूमि अधिग्रहीत की गई थी उन सबको रोजगार न देने के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) रोजगार प्रदान करने का ऐसा कोई आश्वासन न तो इफको द्वारा और न ही सरकार द्वारा दिया गया था। तथापि, जिला मेजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के साथ एक समझौते के आधार पर अधिग्रहण में अपने स्वामित्व की भूमि में से 50% अथवा इससे अधिक भूमि खोने वाले प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को इफको द्वारा रोज़गार दिया जाना था।

(ख) भूमि खोने वाले कुल 481 व्यक्तियों में से अभी तक 286 व्यक्तियों को रोजगार दे दिया गया है। इनमें ऐसे 260 भूमि खोने वाले शामिल हैं जिन्होंने अपनी 50% से अधिक भूमि खोई थी।

(ग) भूमि खोने वाले 26 व्यक्तियों (जिन्होंने अपनी 50% अथवा इससे अधिक भूमि खोई थी) को रोजगार नहीं दिया गया था क्योंकि वे या तो वृद्ध थे अथवा उनके बच्चे नहीं थे अथवा उनको इफको के साथ विवाद था। भूमि खोने वाले 169 व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी 50% से कम भूमि खोई थी, के संबंध में विचार किया जाएगा और इफको द्वारा रिक्तियों की उपलब्धता तथा पात्रता मानकों को पूरा करने की शर्त के अध्यधीन उनको वरीयता दी जाएगी।

पुलिस स्टेशन में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार

2033. **श्री रामसागर:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी आपराधिक मामलों और पुलिस स्टेशनों तथा सड़कों पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के दोषी पाए गए हैं;

(ख) क्या दिल्ली में न्यायालयों ने जांच संबंधी मामलों में दिल्ली पुलिस द्वारा बरती जाने वाली कोताही के लिए उसकी कटु आलोचना की है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है तथा उसके लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) ऐसे भी मामले हुए हैं जिनमें दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के आपराधिक दुराचरण में संलिप्त होने के कारण उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।

(ख) और (ग) जी हां, श्री मान्। चालू वर्ष के दौरान (30.6.1997 तक) ऐसे मामलों की संख्या तीन थीं। ऐसे सभी मामलों की पुनरीक्षा की जाती है और जहां कहीं आवश्यक पाया जाता है दोषी अधिकारियों के खिलाफ निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन

2034. **श्री अजय मुखोपाध्याय:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश की जेलों में बंद अधिकांश कैदियों में 90 प्रतिशत विचाराधीन कैदी हैं जिन्हें दोषी मान लिया जाता है और उन्हें देश के कानून के अंतर्गत अनुमत्य लाभ से वंचित रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश भर में संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया जा रहा है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में जेलों में रखे गए व्यक्तियों में से 73% व्यक्ति, विचाराधीन कैदी हैं। तथापि, विचाराधीन कैदियों को न तो दोषी ही माना जाता है और न ही उन्हें कानून के अनुसार स्वीकार्य लाभों से वंचित किया जाता है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची-II की प्रविष्टि संख्या-4 के अनुसार "जेल" यद्यपि राज्य का विषय है फिर भी केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ अपने विचार

विनमय में विचाराधीन कैदियों की संख्या घटाने के लिए सक्षम उपाय करने की जरूरतों पर बल दिया है। केन्द्र सरकार द्वारा सुझाए गए उपायों में शामिल हैं : जेलों में विशेष न्यायालयों की स्थापना करना, छोटे-मोटे अपराधों की सरसरी विचारणा और न्यायपालिका, जिला प्रशासन तथा जेल प्राधिकरणों के प्रतिनिधि शामिल करके जिला स्तर पर गठित एक समीक्षा समिति द्वारा समस्त विचाराधीन मामलों की समीक्षा मासिक/तिमाही आधार पर करना।

[हिन्दी]

अवैध शराब निर्माण

2035. **श्री बृजभूषण तिवारी:**
श्री हरिवंश सहाय:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अपने घरों पर शराब बनाए जाने और उसकी बिक्री किए जाने के मामले की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ऐसी कोई घटना उनकी जानकारी में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

समझौता एक्सप्रेस

2036. **श्री सुरेश प्रभु:**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत:
श्री परसराम भारद्वाज:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 मई, 1997 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में ''ए ट्रेन टू स्मगल हार्टस एण्ड गन्स'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या इसमें किए गए गंभीर रहस्योद्घाटनों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार अमृतसर से लाहौर तक चलाई जा रही समझौता एक्सप्रेस के परिचालन की समीक्षा करेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) समझौता एक्सप्रेस के परिचालन की समीक्षा का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये गए हैं कि इस रेलगाड़ी का दुरुपयोग तस्करों, नशीली दवाओं के व्यापारियों तथा अन्य राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा अपनी अवांछित गतिविधियों के लिए न किया जाए। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर अटारी रेलवे स्टेशन तक रेल मार्ग के साथ बाड़ का निर्माण किया गया है और इस बाड़ के साथ-साथ सघन गश्त शुरू कराई गई है। रेल गाड़ी के कैरिएज और अण्डर कैरिएज के साथ-साथ यात्रियों तथा उनके सामानों की सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

आदिवासी क्षेत्रों के रूप में घोषणा

2037. **श्री दत्ता मेघे :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रायोजनार्थ किन क्षेत्रों को अधिसूचित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उर्वरक संयंत्र

2038. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने उर्वरक संयंत्र हैं तथा वे कहां-कहां हैं; और

(ख) 1993-96 के दौरान उर्वरक संयंत्रों द्वारा विज्ञापनों पर कम्पनी-वार कितनी राशि खर्च की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) देश मे उर्वरक एककों की अवस्थिति-वार सूची विवरण-I में दी गई है।

(ख) उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उर्वरक उपक्रमों द्वारा वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान विज्ञापनों पर किये गये व्यय का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

सरकार अपने प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर के उर्वरक उपक्रमों द्वारा विज्ञापनों पर किये गये व्यय से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं है।

विवरण-I

नाइट्रोजनयुक्त तथा फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन करने वाले प्रमुख एकक

क्र.सं.	एकक का नाम	राज्य
1	2	3
	सार्वजनिक क्षेत्र	
1.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०-नांगल-I	पंजाब
2.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०-नांगल-II	पंजाब
3.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०-भाटिण्डा	पंजाब
4.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०-पानीपत	हरियाणा
5.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०-विजयपुर	मध्य प्रदेश
6.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०-विजयपुर विस्तार	मध्य प्रदेश
7.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड-उद्योग मण्डल	केरल
8.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड-कोचीन-I	केरल
9.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड-कोचीन II	केरल
10.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड-ट्राम्बे	महाराष्ट्र
11.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड-ट्राम्बे-IV	महाराष्ट्र
12.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड-ट्राम्बे-V	महाराष्ट्र
13.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड-थाल	महाराष्ट्र
14.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड-नामरुप I	आसाम
15.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड-नामरुप II	आसाम
16.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड-नामरुप III	आसाम
17.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड-दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल
18.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड-बरौनी	बिहार
19.	फर्टिलाईजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड-सिंदरी आधुनिकीकरण	बिहार
20.	फर्टिलाईजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड - गोरखपुर	उत्तर प्रदेश
21.	फर्टिलाईजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड - रामागुण्डम	आन्ध्र प्रदेश
22.	फर्टिलाईजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड - तालचर	उड़ीसा
23.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - मद्रास	तमिलनाडु
24.	स्टील आथोरिटी आफ इंडिया-राउरकेला	उड़ीसा
25.	नवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड - नवेली	तमिलनाडु
26.	पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड-पारादीप	उड़ीसा
	सहकारी क्षेत्र	
1.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड - कलोल	गुजरात
2.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड - काण्डला	गुजरात
3.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड - फूलपुर	उत्तर प्रदेश
4.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड - आंवला	उत्तर प्रदेश
5.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड - आंवला विस्तार	उत्तर प्रदेश
6.	कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड - हाजिरा	गुजरात
	संयुक्त क्षेत्र	
1.	मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - मंगलौर	कर्नाटक
2.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड - बड़ोदा	गुजरात
3.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड - सिक्का	गुजरात
4.	सादर्न पैट्रोकेमिकल इंडस्ट्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड - टूटीकोरिन	तमिलनाडु
5.	गुजरात नर्मदा वेली फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड - भरुच	गुजरात
6.	गोदावरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड - काकीनाडा	आन्ध्र प्रदेश
	निजी क्षेत्र	
1.	कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - विजाग	आन्ध्र प्रदेश
2.	श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड - कोटा	राजस्थान
3.	जुआरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड - गोवा	गोवा
4.	इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स कार्पोरेशन - जगदीशपुर	उत्तर प्रदेश
5.	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड - हल्दिया	पश्चिम बंगाल
6.	दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रो केमिकल्स कार्पोरेशन - तलोजा	महाराष्ट्र
7.	ई. आई. डी. पैरी - इन्नौर	तमिलनाडु
8.	डंकनस इंडस्ट्रीज लिमिटेड - कानपुर	उत्तर प्रदेश
9.	पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड - नांगल	पंजाब
10.	टूटीकोरिन अल्कालिन्स लिमिटेड - टूटीकोरिन	तमिलनाडु

1	2	3
11.	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड - काकीनाडा	आन्ध्र प्रदेश
12.	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड - गड़ेपन	राजस्थान
13.	टाटा केमिकल्स लिमिटेड - बबराला	उत्तर प्रदेश
14.	ओसवाल केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० - शाहजहांपुर	उत्तर प्रदेश
	II. उप-उत्पाद के रूप में उर्वरक का उत्पादन करने वाले अन्य एकक	
	निजी क्षेत्र	
1.	स्टील आथोरिटी आफ इंडिया - राऊरकेला	उड़ीसा
2.	स्टील आथोरिटी आफ इंडिया - दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल
3.	स्टील आथोरिटी आफ इंडिया - भिलाई	मध्य प्रदेश
4.	स्टील आथोरिटी आफ इंडिया - बोकारो	बिहार
5.	इंडियन ऑयरन एण्ड स्टील कंपनी - बर्नपुर	पश्चिम बंगाल
6.	राष्ट्रीय इस्पात निगम - विजाग	आन्ध्र प्रदेश
	संयुक्त क्षेत्र	
7.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, पालिमेयर यूनिट	गुजरात
	निजी क्षेत्र	
8.	टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी - जमशेदपुर	बिहार
9.	सिनसाइडस एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	गुजरात
	II. सिंगल सुपर फास्फेट का उत्पादन करने वाले एकक	
	सार्वजनिक क्षेत्र	
1.	आसाम स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड - चन्नपुर	आसाम
2.	हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड - खेतरी	राजस्थान
3.	महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन - प्रभादेवी, बम्बई	महाराष्ट्र
4.	पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड - अमझौर	बिहार
5.	पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड - सलाबीपुरा	राजस्थान
	निजी क्षेत्र	
1.	आन्ध्र सुगर्स लिमिटेड - तुनुकु	आन्ध्र प्रदेश
2.	कृष्णा इंडि. कार्पोरेशन लिमिटेड - निडाडावोले	आन्ध्र प्रदेश
3.	प्रगति फर्टिलाइजर लिमिटेड - विजाग	आन्ध्र प्रदेश
4.	कोयम्बटूर पायनीर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - कोयम्बटूर	तमिलनाडु
5.	ई. आई. डी पैरी (इंडिया) लिमिटेड - मद्रास	तमिलनाडु
6.	इंडग प्रोडक्टस लिमिटेड - गडलौर	तमिलनाडु
7.	कोठारी इंडि. कार्पोरेशन लिमिटेड	तमिलनाडु
8.	शा वैलेस एण्ड कंपनी लिमिटेड - अवाडी	तमिलनाडु
9.	हिन्दुस्तान फार्मस एण्ड फटिलाइजर्स लिमिटेड	महाराष्ट्र
10.	भारत फर्टिलाइजर्स इंडस लिमिटेड - बम्बई	महाराष्ट्र
11.	भारत फर्टिलाइजर्स इंडस लिमिटेड - (यूनिट - III) - बम्बई	महाराष्ट्र
12.	धर्मसी मोरारजी केमिकल्स कंपनी - अंबरनाथ	महाराष्ट्र
13.	नोचल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	महाराष्ट्र
14.	रामा कृषि रसायन लिमिटेड - पूना	महाराष्ट्र
15.	राशि फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - नासिक	महाराष्ट्र
16.	विदर्भ फास्फेट्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - नागपुर	महाराष्ट्र
17.	पटेल नारायणदास भगवानदास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - जलगांव	महाराष्ट्र
18.	भिलाई इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड - बिलासपुर	मध्य प्रदेश
19.	डी एम सी सी, कुम्हरी	मध्य प्रदेश
20.	स्वास्तिक फर्टिलाइजर्स	मध्य प्रदेश
21.	हर्षवर्धन केमिकल्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड	मध्य प्रदेश
22.	खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - इंदौर	मध्य प्रदेश
23.	रामा फास्फेट्स लिमिटेड - इन्दौर	मध्य प्रदेश
24.	यूनिअल्केम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - रायसेन	मध्य प्रदेश
25.	भारत केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - अलवर	राजस्थान
26.	शिवटी पेस्टीसाइड्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - उदयपुर	राजस्थान
27.	मधुवन केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - उदयपुर	राजस्थान
28.	फास्फेट इंडिया डेवरी - उदयपुर	राजस्थान
29.	सुरवी कलर केमिकल्स लिमिटेड - उदयपुर	राजस्थान
30.	उदयपुर फास्फेट एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - उदयपुर	राजस्थान
31.	सूरजगढ़ फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	राजस्थान
32.	आदर्श केमिकल्स लिमिटेड - सूरत	गुजरात
33.	अनिल स्टार्च प्रोडक्ट्स लिमिटेड - भावनगर	गुजरात

1	2	3
34.	गुजरात सुपरफास्फेट्स इंडस लिमिटेड - अहमदाबाद	गुजरात
35.	प्रोमोर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - बड़ौदा	गुजरात
36.	डीएमसीसी- झार	गुजरात
37.	रामा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - जूनागढ़	गुजरात
38.	नर्मदा एग्रो	गुजरात
39.	एग्रो केमि. पंजाब लिमिटेड - चण्डीगढ़	पंजाब
40.	एचएसबी फर्टिलाइजर लिमिटेड - होशियारपुर	पंजाब
41.	मार्डन एग्रो केमिकल्स इंडस लिमिटेड - पंजाब	पंजाब
42.	मुनक केमिकल्स लिमिटेड - भटिण्डा	पंजाब
43.	शिवालिक फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - रोपड़	पंजाब
44.	वरिन्द्र एग्रो केमिकल्स लिमिटेड - बरनाला	पंजाब
45.	अवध फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - बहराईच	उत्तर प्रदेश
46.	ब्रिज फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - शिकोहाबाद	उत्तर प्रदेश
47.	गंगाज फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड - कानपुर	उत्तर प्रदेश
48.	गिराज फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - शिकोहाबाद	उत्तर प्रदेश
49.	कृषि उर्वरक लिमिटेड - जगदीशपुर	उत्तर प्रदेश
50.	मदन माधव फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - फतेहगढ़	उत्तर प्रदेश
51.	महादेव फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	उत्तर प्रदेश
52.	मित्तल फटिलाइजर्स लिमिटेड - रायबरेली	उत्तर प्रदेश
53.	नटराज आगानिक्स लिमिटेड - मुजफ्फर नगर	उत्तर प्रदेश
54.	नीरा केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश
55.	रामपुर डिस्टलरी एण्ड केमिकल्स लिमिटेड - रामपुर	उत्तर प्रदेश
56.	रामगंगा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - गजरौला	उत्तर प्रदेश
57.	श्री एसिड्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड - गजरौला	उत्तर प्रदेश
58.	श्रीबिहारीजी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - कानपुर	उत्तर प्रदेश
59.	श्रीनिवास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - झांसी	उत्तर प्रदेश
60.	श्रीदुर्गा बंसल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - फैजाबाद	उत्तर प्रदेश
61.	एस. डी. फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - कानपुर	उत्तर प्रदेश
62.	त्रिमूर्ति फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - कानपुर	उत्तर प्रदेश
63.	विजय फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - मोहननगर	उत्तर प्रदेश
64.	इंडिया कैरौल्स लिमिटेड - धारुहेड़ा	हरियाणा
65.	जयश्री केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (यूनिट-III) पटौदी	हरियाणा
66.	नितिन केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - चण्डीगढ़	हरियाणा
67.	आरियन्टल कार्बन एण्ड केमिकल्स लिमिटेड - धारुहेड़ा	हरियाणा
68.	सूर्या फास्फेट्स लिमिटेड	बिहार
69.	श्रीकृष्णा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - मुज्जरपुर	बिहार
70.	तुलसी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड - पटना	बिहार
71.	ईस्ट कोस्ट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड - कल्पा	उड़ीसा
72.	जयश्री केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (यूनिट-I) -कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
73.	जयश्रीकेमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (यूनिट-II)-कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
74.	फास्फेट्स कंपनी लिमिटेड - कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
75.	सारदा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
76.	सुन्दरबन फर्टिलाइजर्स	पश्चिम बंगाल

विवरण-II

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	सार्वजनिक उपक्रम/सहकारी समिति का नाम	विज्ञापन पर व्यय की गई धनराशि 1993-94	1994-95	1995-96
1.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	0.46	0.32	1.37
2.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड	0.09	0.75	0.26
3.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	77.30	70.05	118.50 (अनन्तिम)
4.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	65.49	104.22	211.93
5.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोन लिमिटेड	18.39	20.56	25.15
6.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	23.95	17.66	27.20
7.	पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड	25.29	23.99	39.20
8.	पायराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	22.34	10.27	28.08
9.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि०	95.79	147.21	166.38
10.	कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड	16.89	13.64	38.04

कीटनाशकों का उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियां

2039. **श्री निडाल चन्द चौहान:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कीटनाशकों का उत्पादन करने वाली कितनी फैक्ट्रियों को सरकार द्वारा अब तक लाइसेंस प्रदान किये गये हैं; और

(ख) इस समय ऐसी कितनी फैक्ट्रियां कार्य कर रही हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम0 अरुणाचलम): (क) और (ख) अधिकांश कीटनाशकों को अगस्त, 1991 से लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। संगठित और गैर-संगठित दोनों सेक्टरों में, कीटनाशकों की उत्पादन में बहुत अधिक संख्या में फैक्ट्रियां कार्य कर रही हैं। कीटनाशकों की उत्पादन कर रही कम्पनियों की संख्या पर कोई केन्द्रीकृत डाटा मानिटरिंग प्रणाली नहीं है।

गैर-सरकारी संगठनों को धन

2040. **श्री सोडनवीर सिंह:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई गैर-सरकारी संगठन नशामुक्ति केन्द्र चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त उद्देश्य हेतु इन संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) जी, हां।

(ख) इस मंत्रालय की सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान किए जा रहे नशामुक्ति केन्द्रों (राज्य-वार) की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय मद्यनिषेध और नशीली दवा दुरुपयोग निवारण संबंधी योजना 1985-86 से कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को नशामुक्ति और पुनर्वास केन्द्रों, जागरूकता और निवारक शिक्षा कार्यक्रमों संबंधी जागरूकता और परामर्श केन्द्रों की स्थापना/रखरखाव करने तथा नशामुक्ति शिविरों के आयोजन के लिए इस योजना के मानदंडों के अनुरूप अनुमोदित व्यय के 90% की सीमा तक सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1996-97 के दौरान मद्यनिषेध और नशीली दवा दुरुपयोग निवारण संबंधी योजना के अंतर्गत केन्द्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नशामुक्ति केन्द्रों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	3
2.	असम	1
3.	बिहार	10
4.	गोवा	1
5.	गुजरात	5
6.	हरियाणा	8
7.	जम्मू और काश्मीर	1
8.	कर्नाटक	3
9.	केरल	11
10.	मध्य प्रदेश	4
11.	महाराष्ट्र	7
12.	मणिपुर	10
13.	मिजोरम	5
14.	मेघालय	-
15.	नागालैंड	2
16.	उड़ीसा	6
17.	पंजाब	7
18.	सिक्किम	-
19.	राजस्थान	4
20.	तमिलनाडु	8
21.	त्रिपुरा	-
22.	उत्तर प्रदेश	12
23.	पश्चिम बंगाल	6
24.	चंडीगढ़	1
25.	दिल्ली	8
26.	पांडिचेरी	-
	कुल	123

अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी सूची

2041. **श्री सुख लाल कुशवाहा** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कई राज्यों में साम्य, मौर्य, काछी, कुष्वाहा जातियों को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार साम्य तथा मौर्य जातियों को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने हेतु राजस्थान सरकार को निर्देश जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) काछी तथा मौर्य समुदायों को मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल कर लिया गया है और काछी समुदाय को राजस्थान तथा दिल्ली से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल कर लिया गया है। साम्य तथा कुषवाहा समुदायों को किसी राज्य/संघ क्षेत्र से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आयोडीनयुक्त नमक की आपूर्ति

2042. **श्री मुरलीधर जेना** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में आयोडीनयुक्त नमक की आपूर्ति करने की कोई व्यवस्था की है;

(ख) क्या रियायती दर पर आयोडीन युक्त नमक के वितरण के लिये कोई अनुदान/सहायता प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या आयोडीनयुक्त नमक की आपूर्ति करने तथा उन क्षेत्रों में आदिवासी लोगों में जागरूकता पैदा करने, जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, के लिए राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन "बल्क" में जिन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है उनमें नमक शामिल नहीं है। तथापि, राज्य सरकार यदि चाहे तो अपने राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित करने के लिए किसी भी आवश्यक वस्तु को ला सकती है। उड़ीसा सरकार ने पहले ही विशेष रूप से अपने जनजाति क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केन्द्रों के जरिए आयोडीन-युक्त नमक की आपूर्ति आरम्भ कर दी है। उड़ीसा राज्य नागरिक पूर्ति निगम बड़ी संख्या में गरीब उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए 1.50 रु० प्रति किलोग्राम की अधिकतम दर पर नमक की आपूर्ति कर रहा है।

(घ) आयोडीन-युक्त नमक की आपूर्ति करने के संबंध में राज्य सरकार को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता देने के बारे में भारत सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। तथापि, स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल आई०डी०डी० कंट्रोल प्रोग्राम के अधीन आयोडीन-युक्त नमक के इस्तेमाल किए जाने के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु एक जन-अभियान चलाया है।

कपास का प्रौद्योगिकी मिशन

2043. **श्री हरिन पाठक:**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री अनन्त गुढ़े:
श्री नवल किशोर राय:
श्री नीतीश कुमार:
श्री पी. के. गढ़वी:
श्री रामजीवन सिंघवाल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में कपास के विकास, गुणवत्ता में सुधार, उत्पादन में वृद्धि विपणन और प्रसंस्करण के लिये कपास प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने पर सहमत हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कृत्यों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त मिशन कब तक कार्य करना शुरू कर देगा;

(ग) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां विशेषकर गुजरात में इस मिशन के प्रमुख केन्द्रों को स्थापित किया जायेगा;

(घ) आरम्भ में इस मिशन को चलाने के लिए नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या क्या है तथा उन्हें क्या-क्या उत्तरदायित्व सौंपे गये;

(ङ) क्या इस मिशन के कार्यकरण के लिये कोई धनराशि आवंटित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) से (च) कपास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन प्रारम्भ करने का प्रस्ताव विचाराधीन है तथा ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

हिन्दी का प्रयोग

2044. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दो वर्ष पूर्व हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिश के पश्चात् इसकी कितनी बैठकें हुईं;

(ख) क्या राजभाषा की जानबूझकर उपेक्षा की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) मंत्रालय के अंतर्गत विभागों तथा उपक्रमों द्वारा हिन्दी में कितनी पत्रिकाएं/पुस्तिकाएं प्रकाशित की गयी;

(ङ) क्या स्वर्ण जयंती वर्ष में उनके विशेष अंक प्रकाशित किये जायेंगे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) मंत्रालय की पूर्ववर्ती हिन्दी सलाहकार समिति का तीन वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने कारण 24 अप्रैल, 1997 को उसका पुनर्गठन किया गया था। पुनर्गठित हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक शीघ्र आयोजित करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम 1976 और राजभाषा विभाग द्वारा उनके अंतर्गत जारी आदेशों का यथासंभव सम्यक अनुपालन किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कपास प्रौद्योगिकी मिशन

2045. **श्री नामदेव दिवाचे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जुलाई, 1997 के 'बिजनेस स्टैंडर्ड' में "सेन्टर टू सेट अप काटन टेक्नॉलाजी मिशन अपग्रेडेशन फण्ड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मंजूर किये गये अथवा सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों तथा लागू किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त मिशन को लागू करने के लिये कोई कार्य योजना बनाई है और वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य एजेंसियों को क्या कोई भूमिका सौंपी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में प्रस्तावित मिशन पर कपास का उत्पादन करने वाले व्यक्तियों/राज्य सरकारों से कोई अभ्यावेदन/सुझाव प्राप्त किये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) से (च) जी हां। कपास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन प्रारम्भ करने का प्रस्ताव विचाराधीन है तथा ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

गंगा कार्य योजना

2046. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नदियों की सफाई के लिए गंगा कार्य योजना तथा इसी तरह की अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद भी गंगा, यमुना, गोमती तथा सरयू सहित अधिकतर नदियों का जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय नदियों की सफाई हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) अब तक इस कार्य पर कितना धन व्यय हुआ है तथा इन नदियों में निरंतर प्रदूषण के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़): (क) गंगा कार्य योजना, जो वर्ष 1985 में शुरू की गई थी, के अंतर्गत नदी में गिरने वाले वर्तमान प्रदूषण भार के केवल 38% भाग का कार्य शुरू किया गया था। शेष कार्यों को गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण में लिया गया है जो पहले ही आरंभ हो चुकी है। नदी जल गुणवत्ता में सुधार पर कार्य योजनाओं के प्रभाव की आशा केवल सभी कार्य पूरा होने पर ही की जा सकती है। यमुना कार्य योजना अप्रैल, 1993 में अनुमोदित की गई थी तथा परियोजना रिपोर्ट आदि तैयार किए जाने के बाद वास्तविक कार्य केवल वर्ष 1995 में शुरू किया गया। यमुना नदी की जल गुणवत्ता पर इसके प्रभाव की आशा कार्य योजना पूरा होने के लिए रखे गए लक्ष्य के बाद मार्च, 1999 तक की जा सकती है। गोमती नदी के मुख्य कार्य यू०के० सरकार के परामर्शदाताओं द्वारा मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण अभी तक शुरू नहीं किए गए हैं। यू. के. सरकार ने इस कार्य योजना के लिए निधि देने का प्रस्ताव किया है। सरयू नदी का प्रदूषण निवारण कार्य चल रही नदी कार्य योजनाओं के अंतर्गत नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) गंगा कार्य योजना तथा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय नदियों की सफाई के कार्यक्रम की अनुमोदित लागत तथा कार्यान्वयन पर किया गया व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है। इन योजनाओं के अन्तर्गत शामिल नदियों

के प्रदूषण के कम होने की आशा केवल शुरू किए गए सभी कार्य पूरे कर लिए जाने पर ही की जा सकती है।

विवरण

(करोड़ रुपये)

क्रम सं0	राज्य	नदी	अनुमोदित लागत	जारी धनराशि 30.6.97 तक
1	2	3	4	5
गंगा कार्य योजना चरण-I				
1.	उत्तर प्रदेश	गंगा	199.95	185.64
2.	बिहार	गंगा	57.30	53.51
3.	पश्चिम बंगाल	गंगा	188.05	185.04
	योग		445.30	424.19
*राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना**				
1.	आन्ध्र प्रदेश	गोदावरी	53.79	3.81
2.	गुजरात	साबरमती	98.70	4.77
3.	कर्नाटक	तुंग, तुंग-भद्रा, कावेनी	29.00	2.05
4.	मध्य प्रदेश	खान, ताप्ती, क्षिप्रा, बेतवा, नर्मदा, वनगंगा, चम्बल	106.59	4.61
5.	महाराष्ट्र	कृष्णा, गोदावरी	117.33	1.57
6.	उड़ीसा	महानदी, ब्राह्मिमणी	24.85	0.15
7.	पंजाब	सतलज	229.38	10.81
8.	राजस्थान	चम्बल	13.94	0.18
9.	तमिलनाडु	कावेरी	38.20	1.95
10.	बिहार	सुवर्णरेखा	32.22	1.46
	योग		742.00	31.36
यमुना कार्य योजना				
1.	हरियाणा	यमुना	232.20	74.83
2.	दिल्ली	यमुना	20.61	6.69
3.	उत्तर प्रदेश	यमुना	213.75	31.26
	योग		466.56	112.78
गोमती कार्य योजना				
1.	लखनऊ	गोमती	50.29	5.40
2.	सुल्तानपुर	गोमती	4.91	
3.	जौनपुर	गोमती	5.81	
	योग		61.01	5.40
दामोदर कार्य योजना				
1.	बिहार	दामोदर	10.75	0.13
2.	पश्चिम बंगाल	दामोदर	12.62	0.11
	योग		23.37	0.24
गंगा कार्य योजना चरण-II (मुख्य धारा)				
1.	उत्तर प्रदेश	गंगा	198.17	2.499
2.	बिहार	गंगा	27.55	1.355
3.	पश्चिम बंगाल	गंगा	172.48	2.284
	योग		416.36	6.138
गंगा कार्य योजना (उच्चतम न्यायालय मामले)				
1.	उत्तर प्रदेश	गंगा	51.77	0.70
2.	बिहार	गंगा	7.13	0.14
3.	पश्चिम बंगाल	गंगा	161.73	2.26
	योग		220.63	3.10

* इन कार्य योजनाओं के अन्तर्गत जारी धनराशि के आंकड़े भारत सरकार के 50 प्रतिशत हिस्से को प्रदर्शित करते हैं।

विदेशी पर्यटकों को अनुज्ञा-पत्र

2047. **कुमारी क्रिजा तोपनो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान 30 जून, 1997 तक देश में प्रतिबंधित/संरक्षित क्षेत्रों में दौरा करने हेतु कितने विदेशी पर्यटकों को अनुज्ञा-पत्र दिया है;

(ख) क्या ऐसे अनुज्ञा-पत्र आसानी से अथवा कुछ प्रतिबंधों के साथ जारी किए जाते हैं; और

(ग) ऐसे पर्यटक अनुज्ञा - पत्र जारी करने में अपनाए जाने वाले मानदंड का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): *(क) से (ग) विदेशियों को पर्यटन हेतु इस प्रतिबंधित/संरक्षित क्षेत्र के कतिपय खुले स्थानों पर जाने की अनुमति दी जाती है तथा* इस प्रयोजनार्थ उदारतापूर्वक परमिट जारी किए जाते हैं। तथापि, विदेशी पर्यटक कतिपय स्थानों का भ्रमण केवल तभी कर सकते हैं जबकि वे चार या इससे अधिक व्यक्तियों के ग्रुपों में हों। विभिन्न प्राधिकारी नामतः सभी भारतीय मिशन, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी तथा संबंधित राज्य सरकार के अधिकारी विदेशी पर्यटकों को परमिट स्वीकृत करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। जारी किए गए परमिटों के आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

सुखना झील

2048. **श्री सत्य पाल जैन:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा चंडीगढ़ की सुखना झील में से गाद निकालने का कार्य प्रतिवर्ष किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस सफाई कार्य पर गत तीन वर्षों के दौरान 30 जून, 1997 तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार मिट्टी के बहाव को रोकने तथा प्रतिवर्ष होने वाले इस अधिक व्यय को बचाने की दृष्टि से इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए कोई नीति या योजना बनाने का है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : (क) चण्डीगढ़ प्रशासन ने सूचित किया है कि कैचमेंट क्षेत्र में भू-क्षरण के कारण सुखना झील से गाद निकालने का कार्य प्रतिवर्ष किया जाता है।

(ख) इस कार्य पर पिछले 5 वर्षों के दौरान 30 जून, 1997 तक कुल 48,50,575 रु. की धनराशि खर्च की गई।

(ग) चण्डीगढ़ प्रशासन ने 38.65 करोड़ रुपये की कुल लागत पर सुखना झील के समग्र विकास की एक स्कीम तैयार की है जिसके अन्तर्गत कैचमेंट क्षेत्र में भू-संरक्षण के और अधिक उपाय किए जाएंगे तथा सुखना झील में जमा हुई गाद निकाली जाएगी। इस स्कीम को राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार के पास भेजा गया है। सुखना राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के पहले चरण के अन्तर्गत गहन संरक्षण एवं प्रबंध के लिए अभिनिर्धारित झीलों में से एक है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भुखमरी से मौत

2049. **श्री सिद्धया कोटा** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में भुखमरी से मौत के समचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

आम अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

2050. **श्री पी० एपेन्न** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में नुजविड में एक आम अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस अनुसंधान केन्द्र की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेंगुगोपालाचारी): (क) जी, नहीं। आंध्र प्रदेश में आम अनुसंधान पर भा. कृ. अ. प. द्वारा इसकी अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार परियोजना के अंतर्गत आचार्य एन. जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद के संगा रेड्डी फल अनुसंधान केन्द्र पर 1971 से कार्य चल रहा है। यह अनुसंधान केन्द्र नुजविड क्षेत्र के आम अनुसंधान कार्य को भी देखता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पुलिस बल की सेवा शर्तें

2051. **श्री नारायण आठवले:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उन कठिन कार्यदशाओं की जानकारी है जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल और दिल्ली पुलिस जैसे पुलिस और अर्द्धसैनिक बल कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वास्तविकताओं का मूल्यांकन करने और इन संगठनों में सिपाहियों की कार्यदशाओं में सुधार लाने के संबंध में चिर प्रतीक्षित सुधार लाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई अथवा प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) केन्द्रीय पुलिस संगठनों की कार्यदशाओं को देखते हुए सरकार ने उनके वेतन और रैंक ढांचों को युक्तिसंगत बनाने का फैसला किया है। कठिन कार्य-दशाओं की क्षतिपूर्ति करने हेतु पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने वर्ष में एक महीने का अतिरिक्त वेतन लाभ देने की सिफारिश की है।

फसलों पर टिड्डियों का हमला

2052. **श्री एन. डेनिस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश में फसलों पर टिड्डियों के हमले के कारण हुई भारी क्षति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या फसलों पर टिड्डियों के ऐसे हमले के कारणों का पता लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने देश में फसलों पर टिड्डियों के हमले को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) टिड्डी दल पश्चिमी सीमा से आक्रमण करते हैं। स्थानीय दल भी पनप सकते हैं यदि मौसमी स्थितियां अनुकूल हों और गुजरात तथा राजस्थान के दुर्गम मरू क्षेत्रों में टिड्डियों का पता न लग पाए।

(घ) देश में टिड्डियों के आक्रमण पर काबू पाने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) सरकार ने टिड्डी चेतावनी संगठन स्थापित किया है जिसका मुख्यालय जोधपुर में है तथा 5 सर्किल कार्यालय बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, पालनपुर तथा जोधपुर में हैं साथ ही 23 टिड्डी चौकियां भी हैं।

(2) गुजरात और राजस्थान के अनुसूचित मरू क्षेत्रों में गहन टिड्डी सन्निरीक्षा तथा मानिटरिंग नियमित रूप से की जाती है।

(3) टिड्डियों की स्थिति की सूचना के आदान-प्रदान हेतु हर वर्ष जून से नवम्बर के बीच जोधपुर (भारत) तथा कराची (पाकिस्तान) के बीच वायरलेस संपर्क स्थापित किया जाता है।

(4) नियंत्रण कार्यों के लिये अपेक्षित पौध रक्षण उपकरण, वायरलेस सेट, वाहन लगा दिए गए हैं।

(5) किसी टिड्डी दल आक्रमण की संभावनाओं के विरुद्ध अग्रिम तौर पर कार्रवाई करने हेतु खाद्य और कृषि संगठन के साथ घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जा रहा है।

सुपर बाजार में भेषज विभाग में चोरी

2053. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान सुपर बाजार के प्रबंधकों के ध्यान में सुपर बाजार के भेषज विभाग में चोरी के कुछ मामले आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने मामले लम्बित पड़े हैं और प्रत्येक मामले में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है;

(घ) क्या लम्बित मामलों को सुलझाने के लिए प्रबंधकों ने अभी तक कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले ?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ङ) सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1995-96 के दौरान चोरी/स्टॉक की कमी का कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया। वर्ष 1996-97 के लिए मिलान कार्य को उनके द्वारा अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

अंतर्राज्यीय परिषद्

2054. **श्री चित्त बसु:**
श्री कृष्ण लाल शर्मा:
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:
श्री पी. नामग्याल:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में अंतर्राज्यीय स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (घ) 5.12.1996 को इसके गठन के बाद परिषद् की स्थायी समिति ने चार बैठकें की हैं। ये बैठकें 15.1.1997, 10.5.1997 17.6.1997 और 8.7.1997 को हुई।

2. इन बैठकों में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई;

(1) राज्यों को केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी के हस्तांतरण के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा प्रवर्त्त वैकल्पिक योजना।

(2) संविधान के अनुच्छेद 356 में संशोधन।

(3) सरकारिया आयोग की रिपोर्ट केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंध (अध्याय-x)

3. राज्यों को केन्द्रीय करों में से हिस्सेदारी हस्तांतरित करने के प्रश्न पर स्थायी समिति में निम्न प्रकार से सर्वसम्मति हुई;

(क) (1) सभी केन्द्रीय करों की सकल प्राप्ति का 26 प्रतिशत (स्टाम्प ड्यूटी मेडिसनल और टायलट प्रिपरेशन्स पर उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर, कान्साईनमेंट टैक्स और सरचार्ज का छोड़कर), आय कर और बेसिक/स्पेशल उत्पाद करों से प्राप्त होने वाली आय के बदले में और रेल यात्री भाड़े पर कर के बदले में अनुदान राज्यों को दिया जाएगा।

(2) इसके अतिरिक्त सभी केन्द्रीय करों से सकल प्राप्ति का 3 प्रतिशित (स्टाम्प डयूटी, मेडीसनल और टायलट प्रिपरेशन्स पर उत्पादक कर, केन्द्रीय बिक्री कर, कनसाईन्मैंट कर और सरचार्ज को छोड़कर) तम्बाकू, कपास और चीनी पर बिक्री करों के वर्तमान हिस्से के बदले में राज्यों को दिया जाएगा। इन तीनों मदों पर बिक्री कर से छूट मिलती रहेगी और इन मदों पर बिक्री कर के बदले में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का बेसिक उत्पाद शुल्क के साथ विलय किया जाय।

(ख) केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के हस्तांतरण की वैकल्पिक योजना 1.4.1996 से लागू की जाएगी।

(ग) राज्यों के हिस्से में सुधार करने के उद्देश्य से चालू वित्त वर्ष के दौरान इस स्कीम की पुनरीक्षा की जाएगी।

4. उपर्युक्त स्कीम, अन्तर्राज्यीय परिषद् की 17.7.1997 को हुई बैठक में भी अनुमोदित की गई है।

5. जहां तक संविधान के अनुच्छेद 356 में संशोधन करने का प्रश्न है, तो स्थायी समिति और न ही 17.7.1997 को हुई अन्तर्राज्यीय परिषद की बैठक में इस पर सर्वसम्मति हो सकी।

6. अन्तर्राज्यीय परिषद द्वारा पृष्ठांकित 54 सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को निर्देश जारी किए गए हैं।

गृह मंत्री द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य का अध्ययन दौरा

2055. **श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़:**
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने हाल में उग्रवादियों की गतिविधियों का आकलन करने तथा पाकिस्तान प्रशिक्षित उग्रवादियों तथा विदेशों के भाड़े के सैनिकों की लगातार घुसपैठ से उत्पन्न परिस्थिति का आकलन करने के लिए जम्मू और कश्मीर का दो सप्ताह का अध्ययन दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा की गई टिप्पणियों के परिणास्वरूप सरकार द्वारा हाल ही में क्या पहल की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

किराए पर लिए गए गोदामों की क्षमता

2056. **प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:**
जस्टिस गुमान मल लोढा:
श्री वी॰ वी॰ राघवन:
श्री मोहन रावले:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम अपने स्वयं के गोदामों की क्षमता का उपयोग करने के बजाए किराए पर गोदाम लेता है, जैसा कि 7 जुलाई, 1997 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निगम ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने स्वयं के गोदामों/किराये पर लिये गए गोदामों का पूरा उपयोग नहीं किया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ङ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान गोदामों के किराये पर खर्च की गई धन राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराए पर गोदाम लेने के बजाए अपने स्वयं की भंडारण क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम अपने स्वयं के गोदामों का उपयोग करने के अलावा अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम, राज्य सरकारों और प्राइवेट एजेंसियों जैसी अन्य एजेंसियों से किराये पर गोदाम लेता है। खाद्यान्नों की वसूली/उठान की मात्रा पर निर्भर करते हुए भंडारण क्षमता को किराये पर लेना और उसे खाली करना

एक निरन्तर प्रक्रिया है। वसूली के समय कैप भंडारण क्षमता किराये पर ली जाती है और जब उसकी आवश्यकता नहीं होती है तब यह खाली कर दी जाती है। चूंकि वसूली और उठान की सही-सही मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए कभी-कभी भंडारण क्षमता अप्रयुक्त रह जाती है।

(ग) और (घ) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरा ने 75% क्षमता उपयोग को दृष्टतम माना है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 1.7.94, 1.7.95 तथा 1.7.96 को स्थिति के अनुसार, दोनों ढकी हुई और कैप क्षमता (अपनी और किराये की) का उपयोग क्रमशः 87 प्रतिशत, 82 प्रतिशत तथा 65 प्रतिशत रहा है। किराये पर लिए गए गोदामों का उपयोग इस तथ्य के कारण है कि कुछ क्षमता अधिभोग आधार पर अर्थात 100 प्रतिशत उपयोग के आधार पर किराये पर ली जाती है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों, राज्य सरकारों और प्राइवेट एजेंसियों की भंडारण क्षमता सहित किराये पर ली गई क्षमता के प्रति अदा की गई धनराशि निम्नानुसार है:

(रुपये लाख में)

	1994-95	1995-96	1996-97
(1) ढकी हुई क्षमता			
केन्द्रीय भंडारण निगम	4510.17	4033.81	2832.50
राज्य भंडारण निगम	4270.41	5328.54	3608.81
ए.आर.डी.सी/सामान्य के अधीन प्राइवेट प्रार्टियां	1714.31	2424.06	3756.79
राज्य सरकार	237.47	376.48	944.89
(2) कैप	14.07	0.76	0.71
जोड़	10746.43	12163.65	11143.70

(च) भारतीय खाद्य निगम इस संबंध में निरन्तर समीक्षा करता रहता है और समय-समय पर भंडारण क्षमता किराये पर लेता रहता है/खाली करता रहता है तथा यह एक निरन्तर प्रक्रिया है। भंडारण क्षमता का शत प्रतिशत उपयोग संभव नहीं है।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़े वर्गों की सूची

2057. **श्री पी. आर. एस. वेंकटेशन** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में संशोधन हेतु अपने प्रस्ताव दे दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल किए जाने हेतु समुदायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जानी है;

(च) क्या सरकार का विचार क्रीमी लेयर की सीमा से व्यावसायिक समुदायों को छूट देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) और (ख) जी, हां। अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल किए जाने के अनुरोधों तथा अधिक शामिल किए जाने एवं कम शामिल किए जाने की शिकायतों पर विचार करने, जांच करने और सिफारिश करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अंतर्गत इस मंत्रालय द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय-राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से सिफारिशों के प्राप्त होने पर, कल्याण मंत्रालय पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूचियों में संशोधन करता है।

(ग) से (ङ) जी, हां। हाल ही में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के लिए कुछ जातियों/समुदायों की सिफारिश की है और इनको अतिशीघ्र अधिसूचित किया जा रहा है।

(च) और (छ) जी, हां। दिनांक 8.9.193 के, का0ज्ञा0 सं0 36012/22/93-स्थापना (एस.सी.टी) के अनुसार, शिल्पकार अथवा कुम्हार, धोबी, नाई आदि जैसे पैतृक व्यवसायों में लगे व्यक्तियों पर शामिल न किए जाने के नियम लागू नहीं होंगे।

आवश्यक दवाइयों की कीमतें

2058. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**
डा. वल्लभभाई कथीरिया:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 मई, 1997 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में "वाइटल ड्रग्स प्राइसेज स्काई राकेट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) दवाइयों की कीमतें बार-बार बढ़ने के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) उक्त समाचार का मुख्य अभिप्राय यह है कि एन.पी.पी.ए. कार्यरत नहीं है जिसके कारण कीमत नियंत्रण के अंतर्गत औषधियों की सूची की समीक्षा नहीं हुई, जिससे नई एकाधिकार

वाली औषधियां नियंत्रण में नहीं आती हैं। इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि एनपीपीए प्रशासनिक असुविधाओं के कारण कार्य नहीं कर रहा था, जिनका पता लगाया जा रहा है। हालांकि मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत औषधियों की सूची को अद्यतन बनाने की प्रक्रिया आरंभ करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) मलेरियारोधी तथा हार्मोनल जैसी औषधियों की ज्यादा बिक्री होने वाले सूत्रयोगों के लिए की गई अध्ययन से यह पता चला है कि जहां मूल्य में वृद्धि के कुछ मामले हैं, वहीं कुछ मामलों में मूल्य कम भी हुए हैं। मूल्य की वृद्धि समग्रतः और असाधारण नहीं है।

प्रपुंज औषध, संघटकों, उपयोगिताओं, पैकिंग लागत, आयात की गई सूत्रयोगों के लिए विदेशी विनिमय दर का उतार-चढ़ाव इत्यादि मूल्य वृद्धि के मुख्य कारण पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, किसी विशेष उपचारात्मक वर्ग में नई समावेश अनुसंधान तथा विकास लागत, शुरूआती विपणन लागत इत्यादि के कारण उस वर्ग के विद्यमान औषधियों से अधिक मंहगे होते हैं।

माडर्न फूड इंडस्ट्रीज का निजीकरण

2059. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार माडर्न फूड इंडस्ट्रीज का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उपक्रम द्वारा कितना लाभ कमाया गया ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र अपनियोजन आयोग ने मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि० में भारत सरकार की हिस्सेदारी को 100% अपनियोजित करने की सिफरिश की है। सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज और मूल्यह्रास के बाद उपक्रम द्वारा कमाए गए लाभ का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

	(लाख रुपये में)
1993-94	65.19
1994-95	573.99
1995-96	1113.07

[हिन्दी]

बुलिश रेजिस्टेंस टू वोवाइन हारमोन

2060. **कुमारी उमा भारती**
डा० मुरली मनोहर जोशी
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जून, 1997 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" के "बुलिश रेजिस्टेंस टू वोवाइन हारमोन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित किये गये तथ्यों का क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या कई देशों में प्रतिबंधित दवाई को भारत में अनुमति दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय डेरी वैज्ञानिकों ने बी०जी०एच० के उपयोग के परिणामों का पूरा अध्ययन कर लिया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हां।

(ख) आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति की सिफारिशों पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कुछ चुने हुए राज्यों में वोवाइन वृद्धि हारमोन के व्यावसायिक उपयोग पर सशर्त पर्यावरण की दृष्टि से निरापद होने की घोषणा की है। व्यावसायिक उपयोग के लिए अभी औषध महानियन्त्रक की मंजूरी ली जानी शेष है। इस हार्मोन का किसी भी प्रकार का उपयोग इसकी उपलब्धता, मूल्य तथा उपयोगकर्त्ताओं को इससे प्राप्त होने वाले लाभ पर निर्भर करेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) संकर नस्ल की गायों तथा भैंसों पर बी.जी.एच. के उपयोग की क्षमता तथा सुरक्षा जैसे पहलुओं पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, करनाल में भारतीय परिस्थितियों में सीमित प्रयोगशाला तथा क्षेत्र अध्ययन में नियन्त्रित प्रयोग किए गए। बी.जी.एच. के कारण गाय तथा भैंस में दुग्ध उत्पादन में बढ़तरी बराबर थी तथा पशुओं के स्वास्थ्य तथा उत्पादन पर इसके प्रतिकूल प्रभाव नहीं पाए गए।

(छ) सरकार भारत में इस हार्मोन के उपयोग से सम्बन्धित मामलों पर विभिन्न प्रकार के कदम उठाने का विचार कर रही है। महाराष्ट्र के राज्य कृषि विश्वविद्यालय में पशुओं को इस मिश्रण को देने से होने वाले लाभ के मूल्यांकन से सम्बन्धित कार्य में भी प्रगति जारी है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद

2061. **श्री कचरू भाऊ राउत** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सम्पूर्ण देश में मंत्रालयों/विभागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित खाली पड़े पदों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त पदों पर अन्य जातियों के कुछ व्यक्ति कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा शेष रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (घ) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सतर्कता/भ्रष्टाचार के मामले

2062. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के सतर्कता विभाग द्वारा 1995-96 तथा 1996-97 में भ्रष्टाचार, बेईमानी तथा सरकारी नौकरों की आय के अनुपात से ज्यादा परिसंपत्ति संबंधी कितने मामलों की जांच की गई है;

(ख) इसमें कितने (श्रेणीवार) अधिकारी शामिल पाए गए;

(ग) भ्रष्टाचार तथा बेईमानी की 1995-96 में कितनी शिकायतें प्राप्त की गई तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या सतर्कता विभाग किसी कर्मचारी के बेईमान तथा भ्रष्ट होने का संदेह होने पर उनके विरुद्ध स्वतः ही कार्यवाही करता है;

(ङ) क्या मंत्रालय ने अपने नियंत्रण के अन्तर्गत सतर्कता विभाग की शक्तियों की कोई समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) से (च) मंत्रालय का कोई सतर्कता विभाग नहीं है। यद्यपि इस मंत्रालय में दोनों विभागों यथा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग और उर्वरक विभाग में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अलग-अलग सतर्कता इकाइयां है। रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के 10 कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की 8 शिकायतें इस विभाग की सतर्कता इकाई में प्राप्त हुई थी और उन पर 1995-96 और 1996-97 के दौरान जांच की गई थी। उर्वरक विभाग के किसी अधिकारी के संबंध में भ्रष्टाचार या बेईमानी के किसी मामले पर उस विभाग की सतर्कता इकाई द्वारा 1995-96 तथा 1996-97 में कोई छानबीन नहीं की गई थी। तथापि सभी ग्रुप 'क' और 'ख' अधिकारियों की वार्षिक संपत्ति संबंधी जानकारी की विहित प्रक्रिया के अनुसार छानबीन की गई थी और गैर अनुपातिक परिसम्पति का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया।

खुले बाजार में गेहूं की बिक्री बंद करना

2063. **श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:**
श्री जी. एम. बनातवाला:
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने बाजार में गेहूं की खुली बिक्री बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब से बंद किया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम के इस निर्णय से कुछ राज्यों विशेषरूप से केरल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खुल बिक्री फिर से शुरू करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का भारतीय खाद्य निगम को बाजार में गेहूं की खुली बिक्री फिर से शुरू करने के लिए निर्देश जारी करने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां। खुले बाजार में बिक्री योजना रोक दी गई है।

(ख) केन्द्रीय पूल में गेहूं के स्टाक की कमी के कारण खुले बाजार में बिक्री योजना को पहली अप्रैल, 1997 से अगले आदेशों तक रोक दिया गया है।

(ग) गेहूं की खुली बिक्री को बंद करने से हुए किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि रबी मौसम अप्रैल, 1997 से शुरू हो गया था और गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था और यहां से व्यापार खाते पर इसका अन्य राज्यों को संचलन किया गया था।

(घ) और (ङ) खुले बाजार में बिक्री योजना को जारी करने के साथ गेहूं की खुली बिक्री पुनः आरंभ करने के लिए भारत सरकार को केरला रोलर फ्लोर मिल्स एसोएिशन, कर्नाटक रोलर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और कंफेडरेशन आफ फ्लोर मिल्स आफ साउथर्न स्टेट्स से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(च) और (छ) वर्तमान में खुले बाजार में गेहूं की बिक्री करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अनुसंधान संगठनों का उन्नयन

2064. **श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के औषधि क्षेत्र को विकसित देशों में हो रहे विकास के समस्तर लाने हेतु अनुसंधान संगठनों/संस्थानों को प्रोत्साहित/सुदृढ़/उन्नयन करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च तथा अन्य अनुसंधान और विकास संगठनों द्वारा शुरू की गई/दी गई अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं तथा वर्ष 1997-98 के दौरान औषधि क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास हेतु कितना निवेश किया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) और (ख) जी, हां। औषध क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास को सुदृढ़/उन्नयन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस.आई.आर) के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं और उद्योग की सहभागिता से अनुसंधान परियोजना के लिए एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके साथ-साथ रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग द्वारा शिक्षण प्रदान करने तथा विकसित देशों में हो रहे विकास को समस्तर लाने हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्युटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना की गई है।

(ग) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्युटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च (नाइपर) द्वारा ली गई तथा ली जाने वाली मुख्य परियोजनाएं संलग्न विवरण-I में दी गई हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला तथा उद्योग की सहभागिता में अनुसंधान परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

(1) कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं

1. आर्टेमेसिया अन्नुआ का एग्रोटेक्नोलोजी।
2. आर्टेमिसीन से आर्टेमेसिया अन्नुआ अलग करना।
3. एल. डोनोवानी में एम.डी.आर।
4. डिल्टीएजम का नियंत्रित बंटन।
5. कुछ डर्बल उत्पादों का एक्यूट टाक्सिसिटी अध्ययन।
6. प्रो-इम्यु का इक्युनोमाडयूलेटरी कार्यकलाप।
7. विभिन्न एंटीबायोटिक तथा कुछ अन्तर्वर्तियों का स्थिरता अध्ययन।
8. केमो-एंजाएमेटिक पद्धति का इस्तेमाल करने वाले कुछ औषधियों का चीरल सिंथेसिस
9. ट्रांस-डर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम।
10. कुछ एंटी-ट्यूबरक्यूलर औषधियों का बायो-एवेईलेबिलिटि अध्ययन।
11. कुछ पेपटीडस का आएनोफोरेटिक ड्रग डिलीवरी।
12. कुछ पौधों का इम्युनोमाडयूलेटरी कार्यकलाप।
13. कुछ प्रपुंज औषध तथा उनके अन्तर्वर्तियों का प्रक्रम विकास।

(2) परियोजनाएं जिन पर विचार किया जा रहा है

1. शडव का एंजाएमेटिक कार्यकलाप।
2. (क) फेमसिक्लोवीर
   (ख) फ्लूबी-प्रोकेन
   (ग) इट्रेकोनेजोल
   (घ) अलबूटेरोल का सिंथेसिस तथा प्रायोगिक उत्पादन।
3. (क) एंपीसिलीन (ख) अलबूटराल का बायो-एवेईलेबिलिटी अध्ययन।

विवरण-II

क्रम सं.	परियोजना	राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं	औद्योगिक सहभागी	कुल परियोजना लागत (लाख में)
1	2	3	4	5
1.	पीजीएच सीयेंस-साइक्लाक्सीजीनेस (सीओएक्स) 1 तथा 1 के शुद्धिकरण तथा केरेक्टराईजेशन प्रक्रिया का विकास	डिपार्टमेंट आफ एनिमल साइंस, हैदराबाद विश्वविद्यालय	डा. रेड्डी रिसर्च फाउंडेशन, हैदराबाद	28.4786
2.	एड्स के उपचार हेतु नोवल एजेंट का डिजाइन तथा सिंथेसिस	भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), हैदराबाद	ल्यूपिन लैब्स, मुम्बई	60.00
3.	प्राकृतिक आधार के उत्पाद और निचोड़ का इम्युनोमाड्युलेशन पोटेंशियल की पहचान	आईआईसीबी, कलकत्ता	अभी प्राप्त होना है	58.03

1	2	3	4	5
4.	पेप्टिडिस आधारित एंटी-कैंसर एजेंट के विकास के लिए नई औषध अध्ययन	सेंटर फार बायोकेमिकल टेक्नोलाजी (सीबीटी)	डाबर	954.55
5.	केम्टोथेसीन तथा पोडोफिलोटाक्सिन का सिंथैसिस और बायोलाजिकल विकास	आईआईसीटी	रेनबेक्सी	118.10
6.	मल्टी-ड्रग्स रेसिसटेंट बैक्टेरियल एंड फंगल पेथोजेनस के समक्ष क्वीनाइन कार्बोक्सिलीक एसिड की नई अनुरूप का सिंथेसिस तथा स्क्रीनिंग	सीडीआरआई	रेनबेक्सी	310.75
7.	पारम्परिक हर्बल औषधियों का एडाप्टोजेनस/इम्युनोमोडयुलेटर के रूप में विकास	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आरआरएल) जम्मू	झंडु फार्मास्युटिकल्स वर्क	240.32
8.	नई एंटीबेक्टीरियल बेटालेक्टम एंटीबायोटिक	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ केमिकल टेक हैदराबाद	एच ओ एल	90.50
9.	चिकित्सा तथा औद्योगिक महत्व के बायोलाजिकल मेक्रोमालेक्युल के क्रिस्टल के केरेक्टराईजेशन के लिए दो राष्ट्रीय सुविधाओं की स्थापना-एक आई आई एस सी, बंगलौर तथा एक सी डी आर आई, लखनऊ।	1. आईआईसीटी, बंगलौर		54.84
		2. सीडीआरआई, लखनऊ		160.50
अन्य	सीडीआर आई लखनऊ में फार्माकोलाजिकल परीक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ करना।			
10.	शुगर एंड हेट्रोसाईक्ल माडिफाइड न्युक्लियोसाइड्स	नेशनल केमिकल लेबोरेटरी	रेक्सन	38.63
11.	नोवेल डाइपोकोल-एस्टेरोलेमिक एजेंट : स्क्वलीन एपोक्सीडेस इन्हीबिटरस का सिंथैसिस तथा बायोलाजिकल विकास	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला त्रिवेन्द्रम	रेनबेक्सी	151.30
12.	निट्रोबेन्जीन का पी-एमीनाफेनोल बाएआ सिंगल स्टेप केटेलिटिक हाइड्रोजेनेशन	नेशनल केमिकल लैब्स	एन ए टी ओ फार्मा	28.75
13.	नई एंटी माईकोटिक एजेंट का सिंथेसिस तथा स्क्रीनिंग	आईआईसीटी	रेनबेक्सी अनुसंधान प्रयोगशाला	120.00
14.	इनोक्युलम वाले जड़ी बूटी के विशेष संदर्भ से-असाव-और ''अरिष्ठ' का बायोलाजिकल विकास तथा प्रोसेस वेलिडेशन नोवल पेप्टीडोमीमेटिक	दिल्ली विश्वविद्यालय	डाबर रिसर्च फाउंडेशन	45.90
15.	नोवल पेप्टीडोमीमेटिक का एंडोथेलीन रिसेप्टर के रूप में पहचान : बी-डिहाईड्रो तथा बी-एमिनो एसिड तथा क्लोनड रिसेप्टर के इस्तेमाल से ग्राफिक अध्ययन से डी-नोवो सिंथेसिस	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर तथा अखिल	रेनबेक्सी अनुसंधान प्रयोगशाला	196.80

[हिन्दी]

आई.सी.ए.आर. द्वारा बिहार में नए केन्द्रों की स्थापना

2065. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी:**
श्री राधामोहन सिंह:
डा० रमेश चन्द्र तोमर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना में, नये कृषि विज्ञान/अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परिषद द्वारा देश में नए केन्द्रों की स्थापना के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या परिषद् द्वारा इन केन्द्रों की स्थापना के लिए इन मानदंडों का पालन किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) पूर्वी भारत में कृषि के विकास के लिए विशेष जोर देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का वर्ष 1997-98 के दौरान योजना आयोग से अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों के प्राप्त होने पर उस क्षेत्र में नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) नये कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रतिष्ठित वैज्ञानिक की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल गठित करती है जिसमें राज्य कृषि विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा के निदेशक, राज्य कृषि विभाग का एक प्रतिनिधि, उस क्षेत्र का क्षेत्रीय समन्वयक सदस्यों के रूप में तथा परिषद मुख्यालय से एक वरिष्ठ अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में होता है। इस दल की सिफारिशों के आधार पर कृषि विज्ञान केन्द्र के स्थान निर्धारण के लिए स्थल की उपयुक्तता का निर्णय सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के आधार पर किया जाता है। इन मानदंडों में शिक्षण हेतु फार्म के विकास के लिए, जहां तक संभव हो जिले के मध्य भाग में स्थित एक ही स्थान पर पर्याप्त आदर्श कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता, आधार ढांचे तथा नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता, मेजबान संस्थान से पर्याप्त तकनीकी समर्थन और निधिकरण के पैटर्न को स्वीकार करने की बात शामिल है। नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करते समय इन मानदंडों का अनुसरण किया जाता है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

पाकिस्तानी नागरिकों की गुमशुदगी

2066. **श्री मोहन रावले :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नब्बे पाकिस्तानी नागरिक लापता हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को तलाशने का कोई प्रयास किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि पाकिस्तान की आई. एस.आई. की गतिविधियों को रोकने की दृष्टि से भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिक निश्चित रूप से वापिस चले जाएं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2903 पाकिस्तानी राष्ट्रिक 30.4.1997 की स्थिति के अनुसार गायब/लापता हैं। राज्य-वार ब्यौरा है: आन्ध्र प्रदेश-29, बिहार-35, दिल्ली-90, गुजरात-44, हरियाणा-1, कर्नाटक-76, केरल-108, महाराष्ट्र-1392, मध्य प्रदेश-227, उड़ीसा-8, पंजाब-8, राजस्थान-83, तमिलनाडु-21, उत्तर प्रदेश-421, तथा पश्चिम बंगाल-360

(ग) से (ङ) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 में विदेशियों को देश में अनधिकृत ढंग से ठहरे रहने का निषेध है। इस अधिनियम के अधीन अनधिकृत रूप से ठहरे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें भारत से प्रत्यावर्तित करने की शक्तियां राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सौंपी गई हैं। केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को ऐसे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें प्रत्यावर्तित करने के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर देते हुए निर्देश जारी करती रही है।

प्रो० लाकड़ावाला समिति

2067. **श्री सनत मेहता :**
डा० एम० जगन्नाथ :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों का पता लगाने के लिए प्रोफेसर लाकड़ावाला समिति के किसी भी फार्मूले को स्वीकृत किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रयोजन हेतु अन्य कौन-सा फार्मूला स्वीकृत किया गया है;

(ग) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में प्रोफेसर लाकड़ावाला समिति को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार तथा अन्य राज्यों ने केन्द्र सरकार से उक्त समिति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) लाकड़ावाला समिति के नाम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित कोई समिति नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के जनजातीय व्यक्ति

2068. **श्री के॰डी॰ सुल्तानपुरी**: क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार से सिरमौर जिले के ''हांटियों'' को जनजातीय श्रेणी में शामिल करने तथा इन जनजातियों की जनगणना कराये जाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उक्त संसदीय क्षेत्र के संसद सदस्य ने इस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित किए जाने हेतु इस मामले को नियम 377 के अंतर्गत उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में ''हाटी'' को शामिल करने की सिफारिश की है। जहां तक ''हाटियों'' की जनगणना करने का संबंध है, इस बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी, हां।

(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार तथा भारत के महापंजीयक से इस प्रस्ताव पर अपने विचार भेजने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

उर्वरक संबंधी नीति

2069. **श्री सुखबीर सिंह बादल**: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जून, 1997 के ''एशियन एज'' में ''पंजाब, हरियाणा और ड्राफ्टिक रिव्यू ऑफ फर्टिलाइजर पोलिसी'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दोनों राज्य सरकारों द्वारा इसमें परिवर्तन किए जाने हेतु की गयी मांग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) पंजाब और हरियाणा सरकार के प्रतिनिधियों ने नीति व्यवस्था की स्थिरता, फास्फेटिक/पोटासिक उर्वरकों तथा प्रमुख माइक्रो-पोषकों को प्रतिधारण मूल्य-सह राजसहायता स्कीम (आर पी एस) के तहत शामिल करने, उर्वरक इनपुट्स के मूल्यों को स्थिर करने, गौण भाड़ा दरों के संशोधन और स्वदेशी यूरिया के लिए जूट बोरों के अनिवार्य उपयोग के आदेश वापस लेने सहित उर्वरक नीति के बारे में उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति पुनरीक्षण समिति के समक्ष 20 जून, 97 को विस्तृत सुझाव प्रस्तुत किए।

(ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। सरकार के निर्णय समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए लिये जाएंगे।

चूचुरा चावल अनुसंधान केन्द्र

2070. **श्री वसुदेव आचार्य**:
श्री रूपचन्द पाल:
श्री महबूब जडेजी
श्री अनिल बसु:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल स्थित चूचुरा चावल अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने इस वर्ष चावल की चार उन्नत किस्में विकसित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में इन किस्मों को लोकप्रिय बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त केन्द्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई है;

(च) यदि हां, तो वर्ष तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार को चालू वर्ष के दौरान उपरोक्त केन्द्र के लिए केन्द्रीय सहायता बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ज) यदि हां, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) जी हां, चिनसुरा चावल अनुसंधान केन्द्र, पश्चिमी बंगाल द्वारा चावल के चार संकरों का विकास किया गया है।

(ख) ये चार संकर हैं-सी.एन.आर.एच-1, सी.एन.आर.एच-2, सी.एन.आर.एच.-3, सी.एन.आर.एच-4, जो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बोरो मौसम में उगाए जाने के लिए जारी किए गए हैं। तीन अन्य संकर अभी परीक्षण अवस्था में हैं।

(ग) और (घ) फसली पौधों की अन्य जारी की गई नवीनतम किस्मों की भांति ही सी.एन.आर.एच. 3 किस्म को पश्चिम बंगाल राज्य में, जहां यह जारी की गई है, बोरो मौसम में उगाए जाने के लिए लोकप्रिय बनाया जाएगा।

(ङ) और (च) चिनसुरा चावल अनुसंधान केन्द्र भा.कृ.अ.प. की चावल से संबंधित अखिल भारतीय फसल सुधार प्रायोजना के तहत कार्यरत सहकारी केन्द्रों में से एक है भा. कृ.अ.प. द्वारा पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत कोष इस प्रकार है :

(रुपये लाख में)

1994-95	1995-96	1996-97
9.71	6.80	8.30

(छ) से (झ) परिषद् में केन्द्र को सहायता बढ़ाने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

औषधियों का उत्पादन

2071. **श्री परशराम भारद्वाज**: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ औषधियों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जाता है तथा सारपीकृत एजेंसियों द्वारा आयात करके इनकी आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उन सभी औषधियों के नाम क्या हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार ऐसी प्रत्येक औषधि का घरेलू उत्पादन कितना है तथा इनका कितनी मात्रा में आयात किया गया है;

(ग) क्या किसी औषधि का "पूल" मूल्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उन औषधियों के नाम क्या हैं तथा घरेलू तथा आयात मूल्य के साथ-साथ उनका "पूल" मूल्य क्या निर्धारित किया गया है;

(ङ) क्या "पूल" मूल्य प्रणाली को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) से (च) आयात नीति के अनुसार नकारात्मक सूची के अन्तर्गत कुछ मदों को छोड़कर सभी औषधें किसी भी व्यक्ति द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.डी.एल) के अन्तर्गत आयात की जा सकती हैं; जिनका स्वदेशी उत्पादन के साथ कोई संबंध नहीं है। किसी एजेन्सी के माध्यम से औषधों के आयात को सरणीबद्ध करने की कोई प्रक्रिया नहीं है और पुल्ड मूल्य की भी कोई व्यवस्था नहीं है।

[हिन्दी]

कृषि विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभान्वित किसान

2072. **डा० ए.के. पटेल**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु तथा सीमान्त किसानों के लिए कृषि संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत 1996 और 1997 के दौरान राज्यवार कितने किसान लाभान्वित हुए;

(ख) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को किस तरह का लाभ प्राप्त हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार 1997-98 के दौरान कृषि के विकास हेतु किसी नये कार्यक्रम को तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) वर्ष 1992-93 में कृषि और सहकारिता विभाग ने छोटे/सीमान्त किसानों के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु 475.22 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक योजना शुरू की थी। वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को कुल 462.57 करोड़ रु० की धनराशि निर्मुक्त की गई। राज्यों/केन्द्रों शासित प्रदेशों से मिली रिपोर्ट के अनुसार, कुल करीब 114.48 लाख किसानों को लाभ पहुंचा है। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है। इस योजना के तहत बुनियादी सुविधाओं, जिनसे किसान लाभान्वित हुए हैं, का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) छोटे और सीमान्त किसानों के लिए कृषि के बुनियादी ढांचे के विकास की योजना को वर्ष 1997-98 के दौरान शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि कृषि के विकास के लिए

कृषि और सहकारिता विभाग को प्लान योजनाओं को चलाने के लिए वर्ष 1997-98 के लिए 1519 करोड़ रुपये का वार्षिक परिव्यय दिया गया है।

विवरण-I

छोटे और सीमान्त किसानों के लाभ के लिए बुनियादी ढांचे के विकास की योजना के अंतर्गत लभान्वित छोटे और सीमान्त किसानों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	लाभान्वित किसानों की संख्या (लाख)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.62
2.	कर्नाटक	11.81
3.	केरल	2.96
4.	तमिलनाडु	1.24
5.	गुजरात	8.79
6.	मध्य प्रदेश	0.21
7.	महाराष्ट्र	0.20
8.	राजस्थान	0.52+110 सहकारी समितियां
9.	गोवा	0.12
10.	हरियाणा	1.00
11.	पंजाब	0.20
12.	उत्तर प्रदेश	5.64
13.	हिमाचल प्रदेश	0.58
14.	जम्मू व कश्मीर	0.00251
15.	बिहार	11.27
16.	उड़ीसा	0.04
17.	पश्चिम बंगाल	60.62
18.	असम	0.22
19.	त्रिपुरा	3.94
20.	मणिपुर	0.00840
21.	मेघालय	0.14959
22.	नागालैण्ड	0.12
23.	सिक्किम	-
24.	दिल्ली	0.00191
25.	पाण्डिचेरी	1.22
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00003
27.	दमण व दीव	-
	कुल	114.48

विवरण-II

इस योजना के तहत देश में निम्नलिखित मुख्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गईं

बीज गोदामों का निर्माण (संख्या)-	11
समेकित कृमि प्रबंध प्रयोगशालाएं (संख्या)-	19
उर्वरक प्रयोगशालाएं (संख्या)-	4
जैव नियंत्रण प्रयोगशालाएं (संख्या)-	22
मृदा प्रयोगशालाएं (संख्या)-	132
उर्वरक वेयरहाउस निर्माण (संख्या)-	2
छोटे ट्रैक्टर, छोटे बुलडोजर, थ्रैशर, पावन टिलर (संख्या)-	1957
बीज प्रयोगशालाएं (संख्या)-	32
बीज श्रेणीकरण एकक (संख्या)-	600
कुंए बनाना/पुराने कुओं को ठीक करना (संख्या)-	54282
पंप लगाना (संख्या)-	23338
नहरों को गहरा करना (किमी)	1529
प्रतिधारक दीवार का निर्माण (किमी)	370
स्प्रिंक्लर (संख्या)-	2863
फार्मों का निर्माण (संख्या)-	8
मत्स्य बीज भण्डार (संख्या)-	2
मत्स्य यानों का यंत्रीकरण (संख्या)-	250
बाड़री बन्द का सुदृढ़ीकरण (किमी)-	747
भूमि विकास (हैक्टे.)-	4973

बीज गुणवत्ता एकक (संख्या)-	6
मुर्गीपालन एकक (संख्या)-	500000
सुअर प्रजनन एकक (संख्या)-	20000
घटी कीमत वाले उर्वरकों की मात्रा (टन)-	419126
प्रतिरोधक बीज संग्रहण (क्विंटल)	130000

[अनुवाद]

अमेरिका से गेहूं आयात संबंधी करार

2073. **श्रीमती लक्ष्मी पनवाकाः**
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डीः

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या किसी अमरीकी शिष्टमण्डल द्वारा भारत का दौरा किया गया और उसने सरकार पर अमरीका से रियायती दरों पर बढ़िया किस्म के गेहूं का आयात करने के लिए दबाव डाला था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गेहूं की गुणवत्ता सहित सभी पहलुओं की जांच कर ली है;

(ग) यदि हां, तो अब तक किस दर पर कुल कितने गेहूं का करार किया गया है; और

(घ) यह दर अन्य देशों की तुलना में कितनी कम है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। अप्रैल, 1997 में अमरीकी शिष्टमण्डल ने भारत का दौरा किया था। दौरे का प्रयोजन भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन की समीक्षा करना और संयुक्त राज्य अमेरिका से खाद्यान्नों के आयात की सम्भावनाओं का पता लगाना और इस संबंध में अमरीका की आवश्यकताओं के संदर्भ में भारत में इनकी गुणवत्ता, स्वास्थ्य और संगरोध मानदण्डों पर चर्चा करना था। शिष्टमण्डल के साथ कोई विशेष व्यापार/व्यवसाय संबंधी बातचीत नहीं की गई।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

खुले बाजार हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को सप्लाई किया गया खाद्यान्न

2074. **श्री चमनलाल गुप्ता**: क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जम्मू और कश्मीर ने चालू वर्ष के लिए 8.88 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों की मांग का अनुमान लगाया है;

(ख) क्या निर्यात समिति ने केवल 3.12 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का कोटा स्वीकृत किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खुले बाजार के लिए राज्य को विभिन्न माध्यमों द्वारा किस-किस किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति की गई तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की आपूर्ति की गई तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में भारतीय खाद्य निगम को इससे कितना लाभ तथा हानि हुई;

(ङ) क्या गत अनेक वर्षों के दौरान राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है; और

(च) यदि हां, तो खाद्यान्नों के आयात के कारण क्या हैं विशेष रूप से जब यह आरोप लगाए गए थे कि भारतीय खाद्यान्न पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को तथा जम्मू और कश्मीर बरास्ता पाकिस्तान को भी अवैध रूप से भेज रहा है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जून, 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जम्मू और कश्मीर तथा अन्य राज्यों/संघ राज्या क्षेत्रों के लिए चावल और गेहूं का मासिक कोटा निर्धारित किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के लिए चावल और गेहूं की आवश्यकता का हिसाब इस प्रकार लगाया गया है कि प्रत्येक परिवार को प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किए जा सकें। गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या के लिए अस्थायी आवंटन भी किया जा रहा है इसे दस वर्षों के औसत उठान में से गरीबी रेखा से नीचे के कोटे को घटाकर निर्धारित किया गया है।

(घ) 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जम्मू और कश्मीर सरकार को आवंटि और आपूर्ति किए गए गेहूं और चावल और खुली बिक्री के अधीन बेची गई मात्रा के ब्योरे निम्नानुसार हैं:

(आंकड़े लाख टन में)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन

वर्ष	गेहूं		चावल	
	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5
1994-95	3.50	1.45	5.20	1.83
1995-96	3.60	1.31	5.28	2.83
1996-97	3.60	1.49 (अ)	5.28	3.54(अ)

1	2	3
खुली बिक्री के अधीन बेची गई मात्रा		
1994-95	0.70	0.02
1995-96	0.69	शून्य
1996-97	0.86 (अ)	शून्य

(अ) अनन्तिम

भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की उपर्युक्त मात्रा खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा निर्धारित मूल्यों पर जारी करता है। भारतीय खाद्य निगम एक ऐसा संगठन है जिसका कारोबार ''कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं'' के सिद्धांत पर आधारित है। अतः खाद्यान्नों की बिक्री के कारण निगम को हुए किसी लाभ और हानि का प्रश्न ही नहीं उठता। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सब्सिडी प्राप्त दरों पर बिक्री की गई थी और सब्सिडी भारत सरकार द्वारा वहन की गई थी।

(ङ) 1994-95 और 1995-96 में जम्मू और कश्मीर में खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन गिरकर क्रमशः 14.43 लाख टन और 13.67 लाख टन हो गया था जबकि 1993-94 में 14.55 लाख टन उत्पादन हुआ था। 1996-97 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान 16.87 लाख टन है।

(च) फसल वर्ष 1995-96 (1996-97 के दौरान विपणित) के दौरान गेहूं उत्पादन में 31 लाख टन की गिरावट होने और उसके परिणामस्वरूप रबी विपणन मौसम 1996-97 के दौरान गेहूं की वसूली 41 लाख टन कम होने के कारण सरकार ने दो मिलियन टन गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया।

ऐसा देश में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने और घरेलू बाजार में गेहूं के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने के लिए किया गया था।

सरकार अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर खाद्यान्नों की तस्करी की संभावना के प्रति सचेत है लेकिन जम्मू और कश्मीर की सीमा पर खाद्यान्नों की तस्करी की घटनाओं के आरोप सही नहीं हैं।

पर्यावरण संबंधी कानूनों का उल्लंघन

2075. **श्री अमर पाल सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि गत तीन वर्षों के दौरान कुछ राज्य सरकारों द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले विभिन्न उद्योगों को लाइसेंस जारी किए जाने से पर्यावरण संबंधी कानूनों का उल्लंघन हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अवधि के दौरान आज तक इस प्रकार के कितने मामले सामने आए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार के उल्लंघन को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : (क) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ शासित प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण समितियां, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। उद्योगों से निकलने वाले बहिस्रावों के उत्सर्जन से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण/प्रदूषण नियंत्रण समितियों से जरूरी अनुमति लेनी अपेक्षित है।

गत तीन वर्षों के दौरान प्रदूषण फैलाने वाले विभिन्न उद्योगों के लिए लाइसेंस जारी करते समय राज्य सरकारों द्वारा पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन का कोई भी मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नकदी फसलों की प्रोत्साहन योजना

2076. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में नकदी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सहायता क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) संभावित राज्यों में नकदी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :

(i) समेकित कपास विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी)

(ii) विशेष जूट विकास कार्यक्रम (एसजेडीपी)

(iii) गन्ना आधारित फलस प्रणाली का सतत विकास (एसयूबीएसीएस)

(iv) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओपीपी)

(ग) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1997-98 के लिए राज्यवार आवंटन (केन्द्रीय हिस्सा) संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

विवरण

1997-98 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार आवंटन (केन्द्रीय हिस्सा)

(लाख रुपये में)

राज्य	आईसीडीपी	एसजेडीपी	एसयूबीएसीएस	ओपीपी
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	150.00	44.56	172.75	1100.00
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	40.00
असम	-	66.52	45.51	175.00
बिहार	-	36.21	111.35	100.00
गोवा	-	-	16.04	-
गुजरात	88.32	-	122.86	600.00
हरियाणा	97.44	-	93.90	200.00
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	35.00
जम्मू व कश्मीर	-	-	-	75.00
कर्नाटक	51.83	-	192.35	625.00
केरल	-	-	27.20	50.00
मध्य प्रदेश	76.43	-	65.82	1249.00
महाराष्ट्र	275.46	-	440.084	1050.00
मणिपुर	-	-	12.60	110.00
मेघालय	-	6.71	-	20.00
मिजोरम	-	-	12.70	-
नागालैण्ड	-	-	16.20	-
उड़ीसा	57.53	50.80	52.38	500.00
पंजाब	292.28		83.66	100.00
राजस्थान	248.47	-	50.37	1100.00
सिक्किम	-	-	-	55.00
तमिलनाडु	219.01	-	155.41	875.00
त्रिपुरा	-	42.14	16.20	33.00
उत्तर प्रदेश	63.88	38.87	675.05	575.00
पश्चिम बंगाल	-	180.78	24.18	250.00
पाण्डिचेरी	-	-	20.22	-

आईसीडीपी - गहन कपास विकास कार्यक्रम
एसजेडीपी - विशेष जूट विकास कार्यक्रम
एसयूपीएसीएस - गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास
ओपीपी - तिलहन विकास कार्यक्रम

पंजाब में बागवानी फार्म स्थापित करना

2077. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसानों की भूमि पर बागवानी फार्म स्थापित करने के लिए पंजाब राज्य कृषि निर्यात संवर्द्धन निगम की ओर से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस तरह की योजना अन्य राज्यों में भी चलाने का है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) भारत सरकार को पंजाब राज्य कृषि निर्यात संवर्द्धन निगम से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

एस.पी.जी. सुरक्षा

2078. **डॉ० बल्लभ भाई कथीरिया :**
श्री गोरधन भाई जावीया :
श्री काशी राम राणा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस.पी.जी. सुरक्षा प्राप्त अति विशिष्ट व्यक्तियों और अन्य राजनीतिक नेताओं ने एस.पी.जी. के अनुरक्षण पर होने वाले अत्यधिक खर्च को ध्यान में रखते हुए सरकार से इसे वापस लेने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) एस.पी.जी. को हटाने के संबंध में पूर्व प्रधान मंत्री, श्री वी.पी. सिंह तथा उनकी पत्नी और पूर्व प्रधान मंत्री, श्री एच. डी. देवेगौड़ा से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) पूर्व प्रधान मंत्रियों के अनुरोधों की जांच की जा रही है। खतरे के नवीनतम आकलन पर आधारित वैकल्पिक सुरक्षा प्रबंधों की योजनाएं, जो इनके मामलों में अपेक्षित होगी, तैयार की जा रही हैं।

छात्रवृत्ति और कल्याण योजनाएं

2079. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निधियों की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में, विशेषकर कानपुर में सामाजिक कल्याण विभाग की विभिन्न लाभकारी योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्तियों और पेंशन का संवितरण नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण विभाग को निधि प्रदान कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचति जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति तथा अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान क्रमशः 144805 और 49179 लाभग्राहियों को शामिल करने के बारे में सचेत किया है। राज्य सरकार ने आगे सूचित किया है कि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत कानपुर में वर्ष 1996-97 में 75 लाख रुपये के व्यय के साथ 3,875 लाभग्राहियों को शामिल किया गया। कल्याण मंत्रालय द्वारा पेंशन की कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जाती है।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत 2070.823 लाख रुपए और मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत 201.34 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई। वर्ष 1997-98 के लिए इन दोनों योजनाओं के अंतगर्त पूर्ण प्रस्ताव राज्य सरकार से अपेक्षित है।

राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम को ऋण

2080. **श्री पी. नामग्याल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम कुछ उद्यमियों को भी ऋण और सहायता प्रदान करते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या जम्मू और कश्मीर के उन उद्यमियों को सहायता प्रदान की गई जो पात्र नहीं थे; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) जी, नहीं।

(ख) इस मंत्रालय के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य आयुक्त की रिपोर्ट

2081. **श्री एन. रामकृष्ण रेड्डी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य आयुक्त निःशक्तता की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत नहीं की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निःशक्त व्यक्तियों के लिए किये गए कल्याणोपाय के बारे में समय-समय पर संसद को अवगत कराने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की संरक्षण और पूर्ण भागदारी) अधिनियम, 1995 के उपबन्धों के अनुसार केन्द्र सरकार मुख्य आयुक्त द्वारा पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान उनके द्वारा किये गए कार्यकलापों का पूरा विवरण देते हुए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कराएगी।

विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त को हाल ही में सरकारी आदेश दिनांक 5, जून 1997 के तहत नियुक्त किया गया है। नियमों के अनुसार, मुख्य आयुक्त वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, जितनी जल्दी हो सके, अधिक से अधिक अगले वर्ष 30 सितम्बर, तक एक वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करके सरकार को प्रस्तुत करेगा। यह रिपोर्ट 1998 के दौरान ज्यों ही मुख्य आयुक्त से प्राप्त हो जाएगी उसे संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस

2082. **कुंवर सर्वराज सिंह** :
श्री बृजभूषण सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पुलिस अत्याचार के कारण मई, जून और आज तक हत्या, आत्महत्या और मृत्यु होने की कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) क्या अत्याचारी मृत्यु के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मियों को केवल स्थानान्तरित कर दिया जाता है और मामले को दबा दिया जाता है तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता है;

(ग) क्या यदि बेकसूर लोग पुलिस कर्मियों की मर्जी के अनुसार बयान नहीं देते हैं तो पुलिस कर्मी बेकसूर लोगों को झूठे मामलों में फंसाकर उन्हें जेल भेज देते हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार का क्या सुधारात्मक उपाय करने के प्रस्ताव है ताकि पुलिस बेकसूर लोगों को परेशान न करें?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) मई, 1997 से 27 जुलाई, 1997 तक की अवधि के दौरान दिल्ली में पुलिस अत्याचार के कारण मौत का कोई भी मामला नहीं हुआ तथापि, इस अवधि के दौरान हत्या और आत्महत्या के सूचित मामले क्रमशः 126 और 252 थे।

(ख) जी, नहीं, श्रीमान्। इस प्रकार के मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान, इस प्रकार की कोई घटना ध्यान में नहीं आयी। तथापि दिल्ली पुलिस के कार्मिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से ब्रीफ किया जाता है कि जाचं-पड़ताल निष्पक्ष रूप से की जाय। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी चल रही जांच पड़ताल का गहन पर्यवेक्षण भी करते हैं।

[अनुवाद]

नशीले पदार्थों का सेवन

2083. **श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :**
श्री विजय पटेल :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले प्रभावों का आकलन किया है जिसका झुग्गी-झोपड़ियों की महिलाओं में तेजी से प्रसार हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में गैर-सरकारी संगठनों को कितना अनुदान दिया गया;

(घ) क्या गैर-सरकारी संगठनों को दिए गए अनुदान की 90 प्रतिशत राशि नशीले पदार्थों के सेवन को समाप्त करने तथा इस संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए दी जाती है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक कितनी सफलता मिली है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) हालांकि देश में गन्दी बस्तियों में रहने वाली महिलाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की गम्भीरता का मूल्यांकन करने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है फिर भी विभिन्न रिपोर्टों से पता चलता है कि समाज के कुछ संवेदनशील वर्गों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग का प्रभाव बढ़ रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गंदी बस्ती में रहने वाली महिलाएं शामिल हैं।

(ख) से (ङ) कल्याण मंत्रालय मद्य निषेध तथा नशीली दवा दुरुपयोग निवारण की योजना कार्यान्वित कर रहा है और यह जागरूकता सृजन तथा नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कुप्रभाव के बारे में लोगों को शिक्षित करने, नशीली दवाओं के व्यसनियों के उपचार तथा पुनर्वास के लिए एक समुदाय आधारित दृष्टिकोण है। इस योजना के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठनों को नशामुक्ति व पुनर्वास केन्द्रों जागरूकता तथा परामर्श केन्द्रों की स्थापना/रख-रखाव के लिए जागरूकता और निवारण शिक्षा कार्यक्रमों तथा नशामुक्ति शिविरों के आयोजन के लिए इस योजना के मानदंडों के अनुसार अनुमोदित व्यय के 90% तक की सीमा तक सहायता अनुदान दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, समस्त देश में 123 नशामुक्ति व पुनर्वास केन्द्रों तथा 218 जागरूकता सृजन और परामर्श केन्द्रों को स्थापित करने के लिए स्वंयसेवी संगठनों को सहायता दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में केन्द्रों की निर्मुक्त अनुदान के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान के माध्यम से 1994-95 से 1996-97 के दौरान मद्य निषेध तथा नशीली दवा दुरुपयोग निवारण की योजना के अंतर्गत व्यय की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण-राज्यवार

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	असम	7.34	10.57	07.05
2.	आन्ध्र प्रदेश	15.07	14.85	19.04
3.	बिहार	122.00	103.69	74.71
4.	गोवा	10.51	6.41	16.49
5.	गुजरात	43.75	33.55	30.10
6.	हरियाणा	92.87	46.09	44.58
7.	जम्मू और कश्मीर	9.38	6.13	3.35
8.	कर्नाटक	19.33	19.66	23.74
9.	केरल	82.88	83.56	91.80
10.	मध्य प्रदेश	31.63	21.67	15.18
11.	महाराष्ट्र	63.88	55.69	59.14
12.	मणिपुर	127.36	86.72	77.13

1	2	3	4	5
13.	मेघालय	2.00	3.37	04.72
14.	मिजोरम	43.83	29.64	26.30
15.	नागालैंड	26.62	13.38	03.41
16.	उड़ीसा	52.36	60.20	37.27
17.	पंजाब	43.17	37.98	36.73
18.	राजस्थान	70.95	45.26	35.52
19.	सिक्किम	4.52	0.56	01.20
20.	तमिलनाडु	69.37	90.70	72.77
21.	त्रिपुरा	7.10	1.90	02.78
22.	उत्तर प्रदेश	153.73	133.76	118.66
23.	पश्चिम बंगाल	116.68	80.90	63.49
संघ राज्य क्षेत्र				
24.	चण्डीगढ़	9.31	8.37	08.14
25.	दिल्ली	108.11	105.89	44.06
26.	पांडिचेरी	2.43	2.52	1.33

पुराने खाद्यान्नों का भण्डार

2084. **श्री मंगतराम शर्मा :** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी गोदामों में अभी भी बहुत अधिक मात्रा में पुराना खाद्यान्न है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं विशेष रूप से पिछले वर्ष के दौरान जबकि देश में खाद्यान्नों की कमी थी और खाद्यान्नों की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई थी और खाद्यान्न लोगों में वितरित न किए जाने के कारण हैं ?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हाँ। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में लगभग 4.82 लाख टन खाद्यान्न पड़ा है जो दो वर्ष से अधिक पुराना है।

(ख) यद्यपि भारतीय खाद्य निगम स्टाक के निपटान में प्रथम आमद प्रथम निर्गम के सिद्धान्त का अनुसरण करता है। तथापि, संचलन बाधाओं, डिपुओं के बंद होने, उच्च श्रेणीकरण प्रक्रिया, प्रचालनीय अत्यावश्यकताएं, राज्यों द्वारा कम उठान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कुछ राज्य सरकारों द्वारा पुराने स्टाक को स्वीकार नहीं करना आदि जैसे कुछेक अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण जो स्टाक जमा हो जाता है उसे जमा होने से रोका नहीं जा सकता है। बाजार मूल्यों पर संतुलित प्रभाव डालने के लिए पिछले वर्ष भारतीय खाद्य निगम ने केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन ही खाद्यान्न जारी नहीं किया अपितु खुले बाजार में बिक्री योजना के अधीन भी खाद्यान्न जारी किया। खुली निविदा के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न के पुराने स्टाक की नीलामी भी करता है।

मशरूम के प्रसंस्करण हेतु आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना

2085. **श्री लक्ष्मण सिंह :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मशरूम के प्रसंस्करण हेतु आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाओं के सृजन के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस योजना में कितने राज्यों को शामिल किया गया है और इस प्रयोजन हेतु दी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इसमें 1997-98 शामिल है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का विचार देश में खुंबी की खेती और प्रसंस्करण की बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के वास्ते संयुक्त/सहायताप्राप्त क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारिताओं, निजी क्षेत्र के उपक्रमों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों आदि को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के वास्ते एक योजना स्कीम लागू करने का है।

संयुक्त/सहायता-प्राप्त क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता ब्याजमुक्त ऋण के रूप में दी जाएगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, इसमें सिक्किम, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं, के निजी क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारिताओं, स्वयंसेवी संगठनों और राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में वित्तीय सहायता अनुदान सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यान्वयन संगठनों को वित्तीय सहायता कंपोस्ट पाश्चरीकरण सुविधाओं, स्पॉन लैब और खुंबी की डिब्बाबंदी और प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

स्कीम को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में स्थापित की जाने वाली

खुंबी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के वास्ते कोई विशेष मापदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायताप्राप्त हुए प्रस्तावों के तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खुंबी की खेती और प्रसंस्करण की बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के वास्ते उपलब्ध कराई गई राज्यवार वित्तीय सहायता का ब्यौरा

राज्य का नाम		जारी की गई सहायता राशि (लाख रुपये में)
आंध्र प्रदेश	-	25.00
असम	-	20.91
बिहार	-	6.18
हिमाचल प्रदेश	-	23.65
हरियाणा	-	14.00
महाराष्ट्र	-	126.12
मणिपुर	-	2.67
मिजोरम	-	29.00
मध्य प्रदेश	-	13.49
नागालैंड	-	57.25
उड़ीसा	-	11.00
पंजाब	-	150.00
राजस्थान	-	25.00
उत्तर प्रदेश	-	17.25
तमिलनाडु	-	63.00
पश्चिम बंगाल	-	30.00

पक्षपातपूर्ण जांच

2086. **श्री मंगल राम प्रेमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जून, 1997 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में सिटी कोर्ट असेल्स पोलिस फॉर टोटल्ली अनफेअर इनवेस्टीगेशन; अक्यूज्ड वाज इन जेल फॉर थ्री इअर विदाउट एवीडेन्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें उल्लिखित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) न्यायालय द्वारा अभियुक्त को निश्चितरूप से आधार पर दोषमुक्त किया गया कि जांच पड़ताल, उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई तात्विक साक्ष्य प्रकट नहीं कर सकी थी।

(ग) संबंधित पुलिस उप-आयुक्त को, मामले में संलिप्त पुलिस निरीक्षक के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

रेबीज रोधी टीका

2087. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य :**
श्री चमवारी लाल पुरोहित :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 जून, 1997 के "द स्टेट्समैन" में "लैक ऑफ इक्विपमेंट हेम्पर्स वेक्सीन प्रोडक्शन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कलकत्ता स्थित "पास्चरइंस्टीटयूट" ने गत पांच वर्षों से एक भी रेबीज रोधी दवा टीके का उत्पादन नहीं किया है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संस्थान के कार्यकरण को चुस्त दुरुस्त बनाकर रेबीज रोधी टीके का उत्पादन शुरू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अडगाचलम) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

एन.डी.डी.बी. में अनियमितताएं

2088. **श्री मनोज कुमार सिन्हा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जून, 1997 के "द हिन्दुस्तान टाईम्स" में "गवर्नमेंट टेबल्स डाईल्यूटिड नोट इन हाउस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हाँ।

(ख) राष्ट्रीय डैयरी विकास बोर्ड की वर्ष 1995-96 की 30वीं वार्षिक रिपोर्ट समीक्षा रिपोर्ट के साथ दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 10 अप्रैल, 1997 को लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों को भेज दी गई थी। बाद में सरकार ने महसूस किया कि इस रिपोर्ट में सभी मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है। तद्नुसार, पिछली रिपोर्ट, जिसे सदन पटल पर नहीं रखा गया था, वापस ले ली गई तथा नई समीक्षा रिपोर्ट 15.5.1997 को राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय को भेजी गई।

(ग) उक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट

2089. **श्री पी. कोदण्ड रमैया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषक समुदाय को उर्वरक तथा बीज उपलब्ध न होने के कारण देश के कुछ भागों में कृषि उत्पादन में कमी आयी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रवृत्ति में परिवर्तन करने तथा फसलवार भूमि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) वर्ष 1996-97 के दौरान अनाज का उत्पादन 198.17 मिलियन टन था जो अब तक कि रिकार्ड है। वर्ष 1996-97 का अनाज उत्पादन से संबंधित राज्य-वार विवरण संलग्न है।

(ग) अनाज के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने फसलों को विकास से संबंधित विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की हैं नामतः फसल विशिष्ट विकास योजना, चावल, गेहूं और मोटा अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम - त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना।

विवरण

1996-97 में अनाज के कुल उत्पादन के अनुमान

राज्य	उत्पादन (हजार टन) 1996-97 (सम्भावित) 16.6.97 की स्थितिनुसार
1	2
आन्ध्र प्रदेश	12628
असम	3676
बिहार	13813
गुजरात	4943
हरियाणा	11369
हिमाचल प्रदेश	1538
जम्मू और कश्मीर	1575
कर्नाटक	9335
केरल	873
मध्य प्रदेश	19565
महाराष्ट्र	14548
उड़ीसा	4786
पंजाब	21566
राजस्थान	13045
तमिलनाडु	7529
उत्तर प्रदेश	42439
पश्चिम बंगाल	12885
अन्य	2057
अखिल भारत	198170

औषधि मूल्य देनदारी समीक्षा समिति

: 2090. **डॉ० बलिराम** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि देनदारी समीक्षा समिति के सदस्य तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अफसरशाह धोखाधड़ी पूर्ण सहयोग में शामिल हैं;

(ख) क्या उन्होंने हैक्स्ट के बेरालगन केटोन, अमेरिकी विटामिन डी आम्सीसाइक्लीन, यश फार्मा के इजामब्यूटोल तथा "टॉप प्रोड्यूसर" के रिफाम्पिसीन के संबंध में वसूली के कितने मामले पाए गए हैं;

(ग) इस संबंध में जिम्मेदारी और जवाबदेही निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देनदारी निर्धारित करने के लिए कौन जिम्मेदार है तथा किस कारण से लागत विशेषज्ञों द्वारा देनदारी के बजाय गणितीय सत्यता प्रमाणित किया जाता है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) मैं. हैक्सट का बारालगन किटोन और मैसर्स यू.एस. विटामिन्स का डोकसीसाइक्लीन के डी.पी.ई.ए. देनदारी

मामले अभी औषध मूल्य देनदारी पुनरीक्षा समिति (डी.पी.एल.आर. सी.) के सामने विचाराधीन हैं।

प्रपुंज औषध रिफेम्पिसिन के संबंध में डी.पी.ई.ए. देनदारियों के विष्य में इस प्रपुंज औषध पर आधारित सभी 11 मामले डी.पी.एल.आर. समिति को इसकी सिफारिशों के लिए भेद दिए गए हैं। समिति पहले ही रिफेम्पिसिन मामलों पर 4 रिपोर्ट सरकार को दे चुकी है। समिति ने तीन मामलों में पार्टियों के विरुद्ध संपूर्णतः सरकार के दावों का अनुमोदन किया है। एक मामले में डी.पी.ई.ए. के अन्तर्गत पार्टी की देनदारी की पुष्टि की गई है परन्तु पुनर्परिकलन द्वारा भुगतान की मात्रा कम कर दी गई है।

मैं० यश फार्मा के डी.पी.ई.ए. देनदारी के संबंध में डी.पी.एल.आर. समिति ने अपनी एकपक्षीय रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है। सरकार ने इस कम्पनी को अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए एक और अवसर दिया है। कम्पनी ने मूलराशि का 50 प्रतिशत सरकार के डी.पी.ई.ए. में जमा करा दिया है और इसके बाद कम्पनी के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है।

(घ) कम्पनियों की देनदारियों के परिकलन इस विभाग द्वारा देनदारी निर्धारण प्रक्रिया के लागत विशेषज्ञों द्वारा किये जाते हैं। तथापि, इस प्रकार के परिकलन डी.पी.एल.आर. समिति द्वारा पुनरीक्षित किए जाते हैं।

बंगलादेश को सिंगल सुपर फास्फेट का निर्यात

2091. **श्री अजमीरा चंदूलाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 मई, 1997 के ''द इंडियन एक्सप्रैस'' में ''बेनीफिट मेंट फार इंडियन फार्मरस गो टू बंगलादेश'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उर्वरक संबंधी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा बंगलादेश को उर्वरकों का निर्यत करने के लिए की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने भी जांच लेखा परीक्षा की है जिसमें उन्होंने यह बताया है कि रेलवे को जनवरी, 1994 से अगस्त, 1996 के बीच चार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हाँ।

(ख) उर्वरकों के मूल्यांकन पर संयुक्त संसदीय समिति, जिसने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1992 में प्रस्तुत की, द्वारा बंगलादेश को उर्वरकों के निर्यात के लिए कोई अनुशंसा नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) रेल मंत्रालय ने सूचना दी है कि दो पैरा ड्राफ्ट अंकेक्षण से जानकारी मिली है कि बंगलादेश को सिंगल सुपर फॉस्फेट (एस.एस.पी.) निर्यात वहन में उत्तर रेलवे को जनवरी, 1994 से फरवरी, 1996 के बीच 153.45 लाख रुपये एवं पूर्वी रेलवे को जुलाई, 1994 से मई, 1996 के बीच 9.74 लाख रुपये की हानि हुई। रेल मंत्रालय ने बताया है कि सामान्यतः निर्यात हेतु सामग्रियों के लिए कोई अलग वर्गीकरण निर्धारित नहीं किया गया है एवं बंगलादेश के लिए आरक्षित की गई इस सामग्री पर निर्धारित शुल्क लगाया गया। इस संबंध में रेलवे को कोई हानि नहीं उठानी पड़ी। इस मामले पर वाणिज्यिक विनिमय समिति, जिसमें क्षेत्रीय रेलवे के सभी मुख्य व्यावसायिक प्रबंधक शामिल होते हैं, ने विचार किया एवं कहा कि इस सामग्री के निर्यात के लिए अलग से वर्गीकरण निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

कृषि मूल्य निर्धारण नीति

2092. **श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक एवं कृषि उत्पादों के मूल्यों में भारी अंतर के कारण किसानों की स्थिति बदतर होती जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार देश में कृषि उत्पादों के बढ़ते मूल्य पर रोक लगाने हेतु कोई कृषि नीति निर्धारित करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (ग) कृषि उत्पादों के लिए सरकार की मूल्य नीति के मुख्य उद्देश्यों में किसानों को उनके उत्पादों के लाभकारी मूल्य दिलाना सुनिश्चित करना शामिल है ताकि वे अधिक निवेश और उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हो सकें तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर सप्लाई सुलभ करवा कर उनके हितों की रक्षा करना है। मूल्य नीति में अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में एक संतुलित और समेकित मूल्य तन्त्र तैयार करने का प्रयास किया जाता है। सरकार मुख्य कृषि जिंसों के लिए मूल्य नीति का निर्णय लेते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों की राय को ध्यान में रखती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग अपनी मूल्य नीति संबंधी सिफारिशें तैयार करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की स्थितियों को ध्यान में रखता है।

कृषि क्षेत्र के व्यापार की स्थितियां हाल ही के वर्षों में बेहतर हुई हैं तथा 1993-94 के 90.4 से बढ़कर 1994-95 में 91.2 तथा 1995-96 में आगे और बढ़कर 93.9 हो गई। व्यापार की स्थितियों को कृषि के और अधिक अनुकूल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

बच्चों के प्रति यौन अपराध

2093. **श्री के. एच. मुनियप्पा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तथा विशेष रूप से महानगरों में बच्चों के साथ यौन-अपराधों के मामले में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) क्या बाल अपराधों के साथ विशेष रूप से निबटने के लिए देश में वर्तमान समय में कोई काननू नहीं है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या हमारे समाज के कुछ वर्गों द्वारा काफी समय से यह मांग की जाती रही है कि बाल यौन अपराध को पुनः परिभाषित करके बच्चों के खिलाफ लिये जाने वाले ऐसे सभी अपराधों को शामिल किया जाये; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) वर्ष 1991 से 1995 के दौरान बच्चों के साथ बलात्कार की घटना तथा वर्ष 1994 से वर्ष 1996 के दौरान वैश्यावृत्ति हेतु लड़कियों को बेचने और खरीदने संबंधी घटनाएं नीचे दी गई हैं:

क्रम संख्या	वर्ष	बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं
1.	1991	3729
2.	1992	3113
3.	1993	3393
4.	1994	3986
5.	1995	4067

वेश्यावृत्ति हेतु लड़कियों को बेचना और खरीदना :

क्रम संख्या	वर्ष	बेचना	खरीदना
1.	1994	34	4
2.	1995	17	19

बच्चों के प्रति अपराधों के संबंध में शहर-वार सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ख) से (ङ) भारतीय दण्ड संहिता द्वारा अनुपूरित अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अधीन बच्चों समेत मानव का दुर्व्यापार करना निषिद्ध है। इस अधिनियम के अधीन किसी बच्चे अथवा किसी अवयस्क के साथ वैश्यावृत्ति करने सें संबंधित मामलों में अधिक दण्ड/जुर्माना निर्धारित किया गया है। किसी नर अथवा मादा बच्चे को वैश्यावृत्ति अथवा अन्य किसी प्रकार के अवैध लैंगिक कार्य हेतु प्रयोग करने से बचाने के लिए भारतीय दंण्ड संहिता में प्रावधान हैं।

[हिन्दी]

उद्योगों को वनभूमि पट्टे पर देना

2094. **श्री नीतीश कुमार :**
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संरक्षित वनों की रक्षा के लिए विभिन्न उद्योगों को वन भूमि पट्टे पर दी थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उपर्युक्त नीति के अन्तर्गत उद्योगों को दी गई भूमि की उर्वरक शक्ति में कमी आने की रिपोर्टें मिली हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) केन्द्रीय सरकार ने वन रिज़र्वों की सुरक्षा के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत उद्योगों को वनों का कोई पट्टा मंजूर नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जैव उर्वरक

2095. **श्री राजू राणा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैव उर्वरकों को उत्पादन कार्य में लगी कम्पनियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र की रसायन और उर्वरक कम्पनियां निकट भविष्य में जैव उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने की योजना बना रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जो कृषि हेतु वातावरण के पूर्णतः अनुकूल उर्वरकों का उत्पादन कर रही हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (ग) कृषि और सहकारिता विभाग तथा उर्वरक विभाग

की योजनाओं के अधीन सरकार ने विभिन्न राज्यों में विभिन्न संगठनों द्वारा, जिनमें उर्वरक निर्माता कम्पनियां शामिल हैं 50 जैव-उर्वरक एकक स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी है। कृषि और सहकारिता विभाग की योजना, जिसका उद्देश्य जैव उर्वरकों का विकास करना और उन्हें बढ़ावा देना है, नौवीं पंच-वर्षीय योजना में जारी रहेगी। जैव उर्वरक, जो पारिस्थितिक रूप से अनुकूल माने जाते हैं, उनके उत्पादनार्थ सरकार द्वारा वित्त पोषित कम्पनियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदत्त अनुदान का ब्यौरा

क्र.सं.	संस्था/कम्पनी का नाम	यूनिट का स्थान	दिया गया अनुदान (रु० लाखों में)	क्षमता (मीटरी टन प्रति वर्ष)
1	2	3	4	5
1.	चौ० चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हिसार	हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हिसार	13.00	75
2.	मैसर्स टी. स्टेन्स एण्ड कम्पनी लि०, कोयम्बटूर	कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	13.00	75
3.	मैसर्स पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन	लुधियाना	11.83	75
4.	मैसर्स राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन	जयपुर	13.00	75
5.	तमिलनाडु (राज्य सरकार)	सेलम	26.00	75
6.	तमिलनाडु (राज्य सरकार)	कुडुमियामलाई जिला पुडुकोट्टई		75
7.	मैसर्स बी.ए.आई.एफ.	वघाली पुणे (महाराष्ट्र)	12.60	75
8.	एम.पी.एस. सीमा कॉटन डिप्लोपमैंट एण्ड रिसर्च एसोसिएशन	पोन्नरी जिला कोयम्बटूर	13.00	75
9.	मैसर्स आई.एफ.एफ.सी.ओ.	फूलपुर	13.00	75
10.	मैसर्स एस.पी.आई.सी.	सबअर्बन एरिया नियर मद्रास	13.00	75
11.	मैसर्स एन.ए.एफ.ई.डी.	इंदौर (म.प्र.)	13.00	200
12.	मैसर्स मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो डिवलैपमैंट इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, भोपाल	भोपाल (मध्य प्रदेश)	9.30	75
13.	आन्ध्र प्रदेश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी	एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशन (अमरावती) गुन्टूर जिला	13.00	75
14.	मैसर्स उड़ीसा एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन	राउरकेला	13.00	75
15.	मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर क० लि० बड़ोदरा	बड़ोदरा	13.00	300
16.	विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	यूनिवर्सिटी	13.00	72
17.	मैसर्स गुजरात स्टेट कॉपरेटिव मार्कैटिंग फेडरेशन लि०	नवागम	10.50	75

1	2	3	4	5
18.	मैसर्स मद्रास फर्टिलाइजर लि० मद्रास	मनाली (मद्रास)	13.00	75
19.	मैसर्स गोदावरी फर्टिलाईजर एण्ड कैमिकल्स लि० सिकन्दराबाद	डेवराबाद	13.00	75
20.	स्टेट गवर्नमैंट ऑफ केरल	पट्टाम्बी	7.83	75
21.	मैसर्स हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर लि०	दुर्गापुर	12.08	75
22.	मैसर्स एन.एफ.एल.	इंदौर (मध्य प्रदेश)	12.50	75
23.	मैसर्स एम.एफ.एल.	विजयवाड़ा (आ.प्र.)	12.50	75
24.	मैसर्स कृभको	सूरत (गुजरात)	12.50	75
25.	मैसर्स आर.सी.एफ.	आर एण्ड डी कैम्पस, चैम्बर, मुम्बई	12.50	75
26.	मैसर्स पाण्डिचेरी एग्रो सर्विस एण्ड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन	पाण्डिचेरी	13.00	100
27.	मिजोरम	आइजौल	10.49	75
28.	मैसर्स एच.एफ.सी.	सिंदरी	13.00	75
29.	मैसर्स एफ.ए.सी.टी. केरल	उद्योग मण्डल, कोचिन	20.00	150
30.	मैसर्स उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन	सम्बलपुर	20.00	150
31.	मैसर्स एम.पी. स्टेट ऑयल सीड्स ग्रोवर्स	धर	17.70	150
32.	मैसर्स एम.एफ.एल. (आ.प्र.)		0.50 पार्ट पेमेन्ट	
33.	बिहार (एस.सी.ए.डी.ए.)		20.00	150
34.	मैसर्स असम एग्रो इंडस्ट्रीज लि० कॉर्पोरेशन	खन्नापारा गोहाटी	20.00	150
35.	मैसर्स गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज एग्रो कॉर्पोरेशन	सोल्वैन्ट एक्सट्रेक्शन प्लान्ट पोस्ट बरजा	20.00	150
36.	नागालैंड		20.00	150
37.	कर्नाटक (के.डी.सी. कॉर्पोरेशन)	बंगलौर रोड	20.00	150
38.	राजस्थान (एस.एफ.सी.आई.)	सूरजगढ़	20.00	150
39.	मैसर्स कर्नाटक (ए.के.आई.सी.)	इब्राज रोड	20.00	150
40.	मैसर्स एच.एफ.सी. (असम)	सिल्चर	20.00	150
41.	मैसर्स डी.ए.आई.सी. (रायगढ़)	रायगढ़	20.00	150
42.	हिमाचल प्रदेश	द्वारथोरानविल्ला सिमला	11.15	50

1	2	3	4	5
43.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० (एम.एफ.एल.)	बंगलौर	13.00	75
44.	पाइराइडस फॉस्फेट एण्ड कैमिकल्स लि० (पी.सी.सी.एल.)	अमझौर	20.00	150
45.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन (एच.एफ.सी.)	ग्वालियर	13.00	75
46.	-तदैव-	नामरूप	13.00	75
47.	-तदैव-	भोपाल	13.00	75
48.	-तदैव-	बरौनी	13.00	75
49.	-तदैव-	कटक	20.00	150
50.	-तदैव-	सिलिगुड़ी	20.00	150

बी.ए.आई.एफ. : भारतीय कृषि उद्योग संघ
आई.एफ.एफ.सी.ओ. : भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लि.
एस.पी.आई.सी. दक्षिण पेट्रोकैमिकल उद्योग निगम लि.
एन.ए.एफ.ई.डी. भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि.
आर.सी.एफ. : राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लि.
एस.सी.ए.डी.ए. : सोन कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण
के.आर.आई.बी.एच.सी.ओ. : कृषक भारती सहकारी लि.

शीत भंडारण सुविधा

2096. **श्री चन्द्रभूषण सिंह** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण देश में शीत भंडारण सुविधा के अभाव में 30 प्रतिशत ताजे फल आदि रास्ते में और भंडारगृहों में खराब हो जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या शीत भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सहायता अनुदान अथवा राजसहायता देने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) ताजे फलों आदि के नुकसान का पता लगाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है वैसे अनुमान है कि कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की कमी, उत्पाद के जल्दी खराब हो जाने के कारण 25 से 30 प्रतिशत ताजे फल आदि खराब हो जाते हैं।

(ख) और (ग) फलों और सब्जियों को फसलोत्तर हैंडलिंग के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने और फल तथा सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक योजना स्कीम चलाई थी। इस योजना स्कीम को 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि इसमें वर्ष 1997-98 शामिल है, के दौरान भी चलाने का प्रस्ताव है ताकि देश में कोल्ड स्टोरेजों की स्थापना के वास्ते संयुक्त/सहायताप्राप्त क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारिताओं, गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों और निजी क्षेत्र के उपक्रमों आदि को सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

प्रस्तावित स्कीम के तहत उक्त कार्यान्वयन एजेंसियों को भूमि, इमारत, संयत्र और मशीनरी तथा अन्य इंसुलेशन उपकरणों की लागत का 50 प्रतिशत तक सहायता देने का प्रस्ताव है। इस सहायता की अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपये होगी।

पूर्वोत्तर राज्यों इसमें सिक्किम और एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम क्षेत्र शामिल हैं में स्थापित किए जाने वाले कोल्ड स्टोरेजों के मामले में भूमि, इमारत, संयंत्र और मशीनरी तथा अन्य इंसुलेशन उपकरणों आदि की लागत की 75 प्रतिशत तक सहायता दी जा सकती है।

निजी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्थापित किए जाने वाले इन कोल्ड स्टोरेजों के मामले में सहायता की मात्रा भूमि, इमारत, संयंत्र और मशीनरी तथा अन्य इंसुलेशन उपकरणों आदि के मामले में 25 प्रतिशत तक होगी। इसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये होगी। कोल्ड स्टोरेजों के स्थापना संबंधी इन मामलों में उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता, सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी।

कपास का उत्पादन

2097. **डॉ० एम. जगन्नाथ** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार कुल कितने कपास का उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान और वर्तमान में राज्यवार कपास की खेती के अन्तर्गत कुल कितने क्षेत्रफल भूमि को लाया गया है;

(ग) चालू मौसम के लिए कपास का कितना उत्पादन संभावित है और 1997-98 के दौरान इसका कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(घ) क्या कुछ राज्यों में किसान कपास की खेती को छोड़कर अन्य वाणिज्यिक फसलों की खेती अपना रहे हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) वांछित लक्ष्य प्राप्ति को देखते हुए इस प्रवृत्ति में बदलाव के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (ग) पिछले प्रत्येक तीन सालों अर्थात् 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान कपास का राज्यवार अनुमानित क्षेत्र तथा उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

वर्ष 1997-98 के लिए कपास उत्पादन का लक्ष्य 148 लाख गांठ, 170 कि.ग्रा. प्रत्येक रखा गया है। हालांकि चालू वर्ष अर्थात् 1997-98 के लिए कपास के क्षेत्र और उत्पादन का अनुमान लगाना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि कुछ राज्यों में कपास की बोआई अभी चल रही है।

(घ) से (च) कपास उगाने वाले मुख्य राज्यों में आमतौर पर ज्यादा क्षेत्र कवर किया जा रहा है और अब तक कपास के अतिरिक्त कोई और खेती नहीं की जा रही। कपास की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार कपास उगाने वाले 11 राज्यों में ''गहन कपास विकास कार्यक्रम'' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चल रही है।

विवरण

कपास का अनुमानित क्षेत्र और उत्पादन

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)			उत्पादन (प्रत्येक 170 कि.ग्रा. हजार गांठ)		
	1994-95	1995-96	1996-97 (अग्रिम)*	1994-95	1995-96	1996-97 (अग्रिम)*
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	844.5	1056.8	1007	1425.6	1626.6	1849
असम	1.7	1.7	2	0.8	0.8	1
बिहार	0.2	0.2	-	0.5	0.4	-
गुजरात	1204.7	1410.4	1524	2269.3	2201.4	2823
हरियाणा	557.0	646.0	649	1373.0	1283.0	1504
हिमाचल प्रदेश	0.2	0.2	-	0.4	0.4	-
जम्मू-कश्मीर	0.1	0.1	-	0.2	0.2	-
कर्नाटक	635.8	673.8	668	822.0	849.1	932
केरल	13.8	13.8	14	21.8	21.3	21
मध्य प्रदेश	477.0	537.0	527	345.7	422.4	437
महाराष्ट्र	2759.9	3065.4	3085	2500.3	2799.2	3143
मणिपुर	0.1	0.1	-	0.1	0.1	-
मेघालय	7.5	7.5	-	5.3	5.3	-
मिजोरम	1.1	1.0	-	2.8	2.5	-
नागालैंड	0.1	0.1	-	0.3	0.3	-
उड़ीसा	6.6	10.9	14	9.7	26.5	28
पंजाब	606.0	750.0	742	1779.0	1950.0	1925
राजस्थान	485.9	606.2	654	875.2	1338.3	1363
तमिलनाडु	255.3	265.4	260	440.0	546.8	480
त्रिपुरा	2.0	1.1		2.4	1.7	-
उत्तर प्रदेश	10.5	14.5	8	11.6	15.1	7
पश्चिम बंगाल	0.1	0.1	-	0.1	0.1	-
पाण्डिचेरी	0.9	1.1	-	1.5	1.8	-
अन्य	-	-	12	-	-	13
समस्त भारत	7871.0	9063.4	9166	11887.6	13093.3	14526

* 16.06.97 के अनुसार

[हिन्दी]

खेवी चीनी की खपत

2098. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**
श्री आर. सम्बासिवा राव :
डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री जंगबहादुर सिंह पटेल :
श्रीमती जयश्री पनवाला :
श्री सनत मेहता :

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1997 के अंत तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण की जाने वाली चीनी समाप्त हो जायेगी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मंत्रालय के अनुसार लेवी चीनी में 10 लाख टन की कमी आई है और इस वर्ष की अंतिम तिमाही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए चीनी उपलब्ध नहीं होगी;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण क्या हैं;

(घ) क्या 1994 के बाद स्थापित चीनी इकाइयों के लिए प्रोत्साहन योजना संबंधी नीति फिर से लागू करने के परिणामस्वरूप 1997-98 के लिए लेवी चीनी के भंडार में कमी आई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार लेवी प्रणाली के सरणीकरण के लिए सहकारी और निजी चीनी विनिर्माताओं से चीनी उधार लेने की संभावनाओं का पता लगाने का है; और

(च) मांग और आपूर्ति के बीच अंतर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) चालू पेराई मौसम 1996-97 के दौरान 130 लाख टन चीनी के उत्पादन का अनुमान किया गया है। 30 सितम्बर, 1997 तक लेवी चीनी की आवश्यकता को पूरा करने के बाद 4.92 लाख टन लेवी चीनी की उपलब्धता रहेगी। अब तक 1997-98 मौसम के लिए गन्ने के उत्पादन का अनुमानित आकलन उपलब्ध नहीं है और इसलिए, चीनी के उत्पादन की सही स्थिति तथा लेवी के लिए उसकी उपलब्धता का अभी अनुमान नहीं किया जा सकता। राज्य सरकारों से गन्ना तथा चीनी उत्पादन का अनुमानित आकलन प्राप्त होने पर स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

(घ) नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना तथा विद्यमान इकाइयों में विस्तार के लिए 31.3.1994 के बाद जारी आशय पत्र के लिए सरकार ने नई प्रोत्साहन योजना बनाई है। साधारणतः एक नई चीनी फैक्ट्री की स्थापना में 3-4 वर्ष लग जाते हैं। इस प्रकार नई प्रोत्साहन योजना के कारण लेवी चीनी की उपलब्धता पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ङ) और (च) लेवी चीनी की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा 1997-98 मौसम के दौरान चीनी के उत्पादन का सही अनुमान उपलब्ध होने पर ही की जाएगी।

[अनुवाद]

असम के स्वयंसेवी संगठन

2099. **श्री केशव महन्त** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में महिलाओं के कल्याण के लिए कार्यरत स्वयं सेवी संगठनों के नाम क्या-क्या हैं और तीन वर्षों के दौरान उन्हें प्रतिवर्ष कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या कुछ योजनाएं केन्द्र सरकार के पास धनावंटन के लिए लंबित पड़ी हुई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग) यह मंत्रालय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों, वयोवृद्धों, बेसहारा बच्चों तथा समाज के अन्य सामाजिक तथा आर्थिक रूप से अलाभान्वित वर्गों के कल्याण के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सहायता अनुदान स्वीकृत करता है तथा इसके लाभार्थियों में पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे सम्मिलित हैं।

पूर्वोत्तर परिषद द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन

2100. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** :
श्री जगन्नाथन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद द्वारा 1972 से अब तक किए गए कार्य का मूल्यांकन कराया है;

(ख) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र की सात राज्य सरकारों ने उक्त परिषद के कार्य निष्पादन पर असंतोष व्यक्त किया है;

(ग) क्या यह परिषद् इस क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का शीघ्र विकास करने में असफल रही है; और

(घ) स्थिति को सुधारने के लिए कौन-कौन से उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मक्बूल डार): (क) पूर्वोत्तर परिषद् द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर की जाती है।

(ख) से (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य, इस क्षेत्र में मूलभूत ढांचे के तीव्रतर विकास के लिए पूर्वोत्तर परिषद् के पुनर्गठन की मांग करते रहे हैं। इसलिये यह निर्णय लिया गया है कि पूर्वोत्तर परिषद् का पुनर्गठन किया जाए और इसके अध्यक्ष के रूप में योजना आयोग के उपाध्यक्ष को तथा सदस्यों के रूप में पूर्वोत्तर के सातों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाए। पूर्वोत्तर परिषद्, सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा को अपनी भूमिका त्याग देगी ताकि यह परिषद्, आर्थिक विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सके।

पूर्वोत्तर परिषद् की योजनाओं में अन्तर्राज्यीय प्रकृति की योजनाओं के अलावा अलग-अलग राज्यों में अवस्थित अन्तर-राज्यीय हित वाली बड़ी योजनाएं शामिल होंगी।

भारतीय राज्य फार्म निगम (एस.एफ.सी.आई.) का कार्यकरण

2101. **श्री शिबु सोरेन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्य फार्म निगम (एस.एफ.सी.आई.) ने गत तीन वर्षों की तुलना में 1996-97 के दौरान अपने कार्यकरण और लाभप्रदता में सुधार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एस.एफ.सी.आई. में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का सृजन करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) वर्ष 1996-97 सहित पिछले तीन वर्षों में भारतीय राज्य फार्म निगम की कार्य प्रणाली तथा लाभ प्रवृत्ता में कुछ सुधार हुआ है। वर्ष 1996-97 में 2.55 करोड़ रुपये लाभ होने का अनुमान लगाया गया है। लेखा को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण अंतिम स्वरूप सामनें नहीं आया है। वर्ष 1993-94 से वर्ष 1996-97 तक की अवधि के लिए भारतीय राज्य फार्म निगम की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अंशकालिक अध्यक्ष और पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक की वर्तमान व्यवस्था भारतीय राज्य फार्म निगम के लिए उपयुक्त समझी गई है।

विवरण

वर्ष 1993-94 से लेकर अब तक भारतीय राज्य फार्म निगम की वर्षवार लाभ हानि

(रु० लाखों में)

वर्ष	लाभ (+)/ हानि (-)
1993-94	(-) 176.44
1994-95	(+) 281.67
1995-96	(+) 117.47
1996-97	(+) 255.31 (अनुमानित)

वर्ष 1993-94 से अब तक भारतीय राज्य फार्म निगम का कुल उत्पादन

मात्रा लाख (क्विंटल में)

वर्ष	खरीफ	रबी	कुल
1993-94	1.99	1.78	3.77
1994-95	3.10	2.22	5.32
1995-96	3.25	2.53*	5.78
1996-97	3.20	2.03 (अनुमानित)	5.23 (अनुमानित)

*नोट- सूरतगढ़ और लाचोवाल फार्म में गैर सरकारी प्रापर्टी द्वारा उत्पादित 0.68 लाख क्विंटल टमाटर शामिल हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय

2102. **डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया :
श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए राज्यवार तथा संघ क्षेत्रवार आवासीय विद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में इस प्रकार के और विद्यालयों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके लिए निर्धारित मानंदड सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थापित/स्वीकृत/सहायता प्रदान किए जा रहे आवासीय स्कूलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। कल्याण मंत्रालय द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में किसी भी आवासीय स्कूल स्थापित/सहायता प्राप्त/स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनु.जातियों के लिए स्थापित/ स्वीकृत/सहायता प्राप्त आवासीय स्कूलों की सं.	अनुसूचित जनजाति के लिए स्थापित/स्वीकृत/ सहायताप्राप्त आवासीय स्कूलों/आश्रम स्कूलों/ शैक्षिक परिसरों की सं.
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	25	04
2.	असम	-	02
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	07
4.	बिहार	12	10

1	2	3	4
5.	गुजरात	01	05
6.	जम्मू और कश्मीर	-	01
7.	कर्नाटक	26	02
8.	केरल	-	03
9.	मणिपुर	01	01
10.	मेघालय	-	47
11.	महाराष्ट्र	-	01
12.	मध्य प्रदेश	15	10
13.	नागालैंड	-	03
14.	उड़ीसा	07	24
15.	राजस्थान	07	13
16.	तमिलनाडु	07	01
17.	त्रिपुरा	02	-
18.	उत्तर प्रदेश	39	10
19.	पश्चिम बंगाल	08	04

[हिन्दी]

औषधीय वनस्पतियों का विलुप्त होना

2103. **श्री अजित उरांव** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार तथा अन्य राज्यों के वनों में पाई जाने वाली औषधीय जड़ी-बूटियां लुप्त होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) यद्यपि देश में कुछ औषधीय जड़ी-बूटियों की संख्या जंगलों में कम हो रही है और इनमें से कई जड़ी-बूटियों का अस्तित्व खतरे में है, लेकिन इनकी विलुप्त होने के कगार पर नहीं कहा जा सकता। इन पौधों की कमी की स्थिति का मुख्य कारण व्यापार के लिए उनका अनियंत्रित उपयोग है।

(ग) औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-6 के अधीन किसी वनभूमि या विनिर्दिष्ट क्षेत्र से वन्य पौधों की प्रजातियों के संग्रहण पर विधि द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है।

2. "आई.टी.सी. (एच.एस.) निर्यात और आयात मदों का वर्गीकरण" नामक पुस्तक की अनुसूची-2 के परिशिष्ट-2 के अंतर्गत समाविष्ट 53 वन्य पौधों या उनके अंशों तथा उनसे प्राप्त व्युत्पत्तियों का निर्यात निषिद्ध है।

3. उपर्युक्त 53 प्रजातियों के अतिरिक्त अन्य पौधों के निर्यात के लिए क्षेत्रीय उप-निदेशक, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण और वन मंत्रालय या संबंधित राज्यों, जहां से इन पौधों को खरीदा गया है, के मुख्य वन संरक्षक या उप वन संरक्षक से विधिक क्रय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।

4. कृषि और साइट्स परमिट, जहां कहीं वह लागू होता है, के उत्पादन प्रमाण पत्र के अध्यधीन उपरोक्त 53 पौधे/पौधे के अंशों की कृष्ट किस्म के निर्यात की अनुमति दी जा सकती है।

5. सात प्रमुख पत्तनों अर्थात मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली, तूतीकोरिन, मद्रास और अमृतसर से ही पौधों और पौधों के अंशों का निर्यात किया जा सकता है।

6. जब कभी वन्यजीव प्राधिकारियों को वन्य पौधों के अवैध व्यापार की जानकारी मिलती है, तब छापे मारे जाते हैं।

7. अवैध व्यापार को नियंत्रित रखने के लिए अन्य प्रवर्तन संगठनों जैसे पुलिस, बी.एस.एफ., सीमाशुल्क, आईटीबीपी/तटरक्षक इत्यादि के साथ अन्तः विभागीय समन्वय बढ़ाया जा रहा है। 1995 से प्रति वर्ष इन संगठनों के कर्मचारियों के लिए वन्यजीव प्रवर्तन और कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

8. सभी राज्यों/संघ शासित राज्यों को जंगल में परिसंकटमय औषधीय पौधों की प्रजातियों को मुक्त रूप से एकत्र करने की अनुमति न देने और उनकी खेती को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है।

9. राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से औषधीय पौधों की खेती के लिए सहायता दी जाती है।

स्वैच्छिक संगठन

2104. **श्री डी. पी. यादव** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन केन्द्र सरकार से प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच करायी है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) उत्तर प्रदेश में किन-किन स्वैच्छिक संगठनों से केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा निधियों के दुरुपयोग के कुछ मामले कल्याण मंत्रालय के ध्यान में आए हैं।

(ख) और (ग) संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से इसकी जांच करने और आगे कार्रवाई के लिए केन्द्र सरकार को रिपोर्ट करने का अनुरोध किया गया है। जांच पूरी होने तक सहायता अनुदान की आगे की किश्तों की निर्मुक्ति रोक दी गई है।

(घ) उत्तर प्रदेश में जिन स्वयंसेवी संगठनों को केन्द्रीय सहायता रोक दी गई है उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठनों के नाम
1	2
1.	अखिल भारतीय समाज कल्यण प्रतिष्ठान, देवरिया
2.	तारादेवी शिक्षा समिति, देवरिया
3.	जन जागरण परिषद्, इलाहाबाद
4.	रतनग्रामोद्योग सेवा संस्थान, फैजाबाद
5.	बंजारा विकास परिषद्, अलीगढ़
6.	भारतीय समाज उत्थान सेवा संस्थान, देवरिया
7.	संस्कृत भाषा सेवा परिषद्, देवरिया
8.	ग्राम सेवा संस्थान देवरिया
9.	स्वामी अजारनन्द अंध विद्यालय, हरिद्वार
10.	के.एस. शास्त्री स्मारक संस्थान, कानपुर
11.	मानव विकास संस्थान, हरिद्वार
12.	विकलांग कल्याण सेवा संस्थान, मुजफ्फरनगर
13.	बहुजन हिताया संस्थान, बाराबंकी
14.	जहांगीर मैमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल, इलाहाबाद
15.	नूर मुहम्मद मैमोरियल चैरिटेबल सोसायटी, इलाहाबाद
16.	जन कल्याण शिक्षा समिति, पदैरूना
17.	आदर्श जनता शिक्षा समिति, इलाहाबाद
18.	उर्मिला समजा कल्याण हरदोई
19.	इंटरनेशनल बुद्ध एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हापुड़
20.	समाज कल्याण शिक्षा समिति, देवरिया
21.	तिलक शिक्षा समिति, लखनऊ
22.	अम्बेडकर शिक्षा समिति, लखनऊ
23.	सर्वोदय ग्राम एवं महिला विकास संस्थान, रामपुर

स्वैच्छिक संगठन

2105. **श्रीमती कमला रानी :**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वनों के विकास के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों की राज्य-वार संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इन संगठनों को कितनी राशि प्रदान की गई;

(ग) क्या इन संगठनों द्वारा धन का दुरुपयोग किए जाने संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा बंजर भूमि विकास विभाग की योजनाओं के तहत् जिन 352 गैर-सरकारी संगठनों ने वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए हैं उनकी राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इन्हें वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान 9.9 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायत दी गई। इन योजनाओं के तहत् गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों की मानीटरन की जाती है और प्रत्येक चरण में समुचित मूल्यांकन के बाद ही धनराशि अवमुक्त की जाती है। कभी-कभार ऐसा होता है जब कतिपय परियोजनाओं के कार्य अपेक्षित सीमा तक नहीं होते। ऐसे मामलों में जांच की जाती है और संबंधित गैर-सरकारी संगठन से स्थिति से निपटने के उपाय करने के लिए कहा जाता है तथा जहां आवश्यक हो वहां धनराशि की वसूली भी की जाती है।

विवरण

पर्यावरण और वन मंत्रालय की योजना के अंतर्गत वनीकरण के लिए जिन गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई उनकी राज्यवार सूची

क्रम संख्या	गैर सरकारी संगठन का नाम
1	2
आन्ध्र प्रदेश	
1.	एक्शन फॉर कलेक्टिव ट्राइबल इम्प्रूवमेंट एजूकेशन, जिला खमाम
2.	व्यावसायिक मरियू संघिका अभिवृद्धी संस्था, आं. प्र., जिला खमाम
3.	ब्राइट इंटिग्रेटेड रूरल डिवेलपमेंट सोसाइटी, जिला अनंतपुर, आं. प्र.
4.	नेहरू महिला मण्डली, आं. प्र. जिला कुरनूल
5.	रायलसीमा वनस्थली संगम, जिला कुड्डपा, आं. प्र.
6.	पूर्णा महिला मण्डली, जिला कुरनूल
7.	श्री विवेकानन्द एजूकेशन सोसाइटी इन्स्टीट्यूट, कुरनूल
8.	ग्राम अभ्युदय सेवक संघ, जिला अनंतपुर
9.	कम्प्रिहेंसिव रूरल डिवेलपमेंट सोसाइटी, जिला करीमनगर
10.	मर्सी माइनोरिटी एजूकेशन सोसाइटी, जिला अनंतपुर
11.	जुपीटर एजूकेशनल सोसाइटी, जिला अनंतपुर
12.	लक्ष्मी देवी महिला मण्डली, जिला कुरनूल
13.	चैतन्य इंटिग्रेटेड रूरल डिवलपमेंट सोसाइटी, जिला कुरनूल
14.	रमेश एण्ड कृष्णा सांस्कृतिक संगम, जिला अनंतपुर
15.	ग्राम अभ्युदय, जिला अनंतपुर
16.	सेन्टर फॉर रूरल इण्टिग्रेटेड डिवलपमेंट सोसाइटी, जिला अनंतपुर
17.	गुण्टूर रूरल एजूकेशन एण्ड डिवलपमेंट सोसाइटी, जिला गुंटूर
18.	संगमेश्वर एजूकेशनल सोसाइटी, जिला कुरनूल
19.	गांधी महिला मण्डली, अनंतपुर
20.	रूरल सोशल सर्विस सोसाइटी जिला कुड्डप्पा
21.	नवजीवन रूरल डिवलपमेंट एसोसिएशन, अनंतपुर
22.	क्रिस्ट रूरल डिवलपमेंट एण्ड एजूकेशनल सोसाइटी, अनंतपुर
23.	श्री राकेश एजूकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, अनंतपुर
24.	रूरल पुवर पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी अनंतपुर
25.	लोयल रूरल डिवलपमेंट सोसाइटी, अनंतपुर
बिहार	
26.	ग्राम विकास केन्द्र, जमेशदपुर
27.	अग्रेरियन असिस्टेंस एसोसिएशन जिला झुमका
28.	रांची कन्सोर्टियम फॉर कम्युनिटी फारेस्ट्री, रांची
29.	ग्रामीण विकास परिषद्, जिला देवघर
30.	सिंहभूम ग्राम उन्नयन समिति पूर्वी सिंहभूम
31.	विकास भारती, गुमला
32.	ग्रामीण विकास समिति, जिला गरावे
33.	नेचर कन्जरवेशन सोसाइटी, जिला पलामू
34.	धरती सोशल एण्ड रूरल डिवलपमेंट सोसाइटी, हजारीबाग
हिमाचल प्रदेश	
35.	हिमालय वेस्टलैण्डस डिवलपमेंट पाल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, शिमला
36.	हितकर सोसाइटी फॉर रूरल डिवलपमेंट, जिला सिरमौर
37.	रूरल सेंटर फॉर ह्यूमन इंट्रेस्ट (रूचि) सिरमौर
38.	स्वाति विकास संघ, शिमला
कर्नाटक	
39.	बागेपल्ली रूरल एण्ड एग्रीकल्चरल डिवलपमेंट सोसाइटी, जिला कोलार
40.	इंटिग्रेटेड रूरल डिवलपमेंट सोसाइटी, कोलार
41.	आदर्श रूरल एण्ड एजूकेशनल डिवलपमेंट सोसाइटी, कोलार
42.	पुअर पीपुल, सोशन सर्विस सोसाइटी, टुमकुर
43.	एक्शन सोसाइटी फॉर इंटिग्रेटेड डिवलपमेंट, कोलार
मध्य प्रदेश	
44.	मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास मण्डल, जिला बालाघाट
45.	नैशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, एण्ड एनवायरमेंट, भोपाल
46.	प्रसाद सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवम् ग्राम विकास समिति, फूलझर
मेघालय	
47.	मैहराम कम्युनिटी हाल एण्ड वैलफेयर एसोसिएशन, पश्चिमी खासी पहाड़ियां
48.	नैंगलींग सोशन कल्चरल एण्ड स्पोर्टस वेलफेयर आर्गनाईजेशन, पश्चिमी खासी पहाड़ियां

1	2
49.	कस्तूरीबाई महिला समिति, जिला ढेंकनाल
50.	गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल एडवांसमेंट, भुवनेश्वर
51.	अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद्, जिला भुवनेश्वर
52.	कटक जिला हरिजन आदिवासी सेवा संस्कार योजना, जिला कटक
53.	आदिवासी हरिजन वेलफेयर एजेंसी, जिला ढेंकनाल
54.	इंस्टीट्यूट फॉर सेल्फ एम्प्लायमेंट एण्ड रूरल डिवलपमेंट, पुरी
55.	शिशु राजा क्लब, जिला ढेंकनाल
56.	नारीशक्ति महिला समिति, पुरी
राजस्थान	
57.	सेवांजलि सोसाइटी, जिला बांसवाड़ा
58.	नवोदय वन वाटिका, जिला बारन
तमिलनाडु	
59.	सेम्पटी हिल इनिशियेटर्स फॉर इको-डिवलपमेंट, जिला धरमपुरी
60.	गांधीग्राम रूरल इन्स्टीट्यूट, जिला दिंदीगुल
61.	पालनी हिल्स कन्जर्वेशन कांउसिल, जिला कोडई कनाल
62.	ग्रामोदय, त्रिची
63.	सेंट जोन्स एजूकेशनल सोसाइटी, जिला सलेम
64.	सेंटर फॉर पीस एण्ड रूरल डिवलपमेंट, जिला दिंदीगुल अन्ना
65.	सस्टेनेबल एग्री एण्ड एनवा वालेटरी एक्शनर, जिला मदुरै
66.	इंटिग्रेटेड रूरल आर्गनाइजेशन ऑफ सोशल सर्विसेस, जिला दिंदीगुल
67.	ट्राइबल डिवलपमेंट सोसाइटी, जिला चेंगलपट्टू
68.	सोसाइटी फॉर कम्युनिटी आर्गनाइजेशन, पीपुल एजूकेशन, जिला तिरूचिरापल्ली
69.	कम्युनिटी एक्शन फॉर फूड एण्ड रूरल डिवलपमेंट
70.	सेंटर फॉर रूरल एजूकेशन रिसर्च एण्ड डिवलपमेंट एसोसिएशन, जिला दिंदीगुल
71.	इंटिग्रेटेड रूरल कम्युनिटी डिवलपमेंट सोसाइटी, जिला पी.एम.टी.
72.	कारूण्य ट्रस्ट सेंटर फार सोशल एक्शन, जिला दिंदीगुल
73.	कम्युनिटी एक्शन फार रूरल डिवलपमेंट, जिला पुट्टुकट्टई
74.	यूथ सेंटर फार रिहैबिलिटेशन एण्ड डिवलपमेंट, जिला दिंदीगुल

1	2
75.	इंटिग्रेटेड पीपुल्स सर्विस सोसाइटी
76.	सोशल रिसर्च एण्ड एजुकेशन सर्विस एसोसिएशन, अन्ना
77.	एक्शन ग्रुप फार रूरल आर्गेनाइजेशन, तिरूनेलवेल्ली
उत्तर प्रदेश	
78.	इंदिरा विकास नर्सरी, जिला अल्मोड़ा
79.	सेंट्रेल हिमालयन रूरल एक्शन ग्रुप, जिला नैनीताल
80.	आरोही, जिला नैनीताल
81.	पान हिमालय ग्रासरूट्स डिवलपमेंट फाउण्डेशन, जिला अल्मोड़ा
82.	नवयुवक विकास समिति, जिला पौड़ी गढ़वाल
83.	बाल भारती विद्या मंदिर समिति, जिला टिहरी गढ़वाल
84.	ग्रामीण विकास समिति, जिला फिरोजाबाद
85.	किसान वृक्षारोपण समिति, जिला आगरा
86.	संयुक्त ग्रामीण सेवा समिति, जिला अल्मोड़ा
87.	श्री कंचन लाल सगुण सेवा संस्थान, जिला हमीरपुर
88.	ज्ञान वृक्षारोपण समिति, जिला फिरोजाबाद
89.	दीप पर्यावरण जन समिति, जिला मुज्जफरनगर
90.	कुमाऊँ एडवेंचर एनवायरनमेंट सोसाइटी, अल्मोड़ा
91.	दयाल वृक्षारोपण समिति, फिरोजाबाद
92.	ग्रामीण युथ वृक्षारोपण समिति, फिरोजाबाद
93.	दि हिमालय ट्रस्ट देहरादून
94.	ग्रामीण विकास समिति, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद
95.	गौरीगंज महिला प्रशिक्षण केन्द्र, सुलतानपुर
96.	हरेतीखाल विकास समिति, चमोली
पश्चिम बंगाल	
97.	खैरबनी ग्राम उन्नयन समिति, जिला बांकुरा
98.	स्कूल ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, कलकत्ता
99.	विवेकानंद लोक शिक्षा निकेतन, जिला मिदनापुर
100.	लिबरल एसोसिएशन फार मूवमेंट ऑफ पीपुल, जिला बांकुरा
101.	धोरानी नगर रूरल डिवलपमेंट सोसाइटी, जिला वीरभूम।

1	2
102.	रीजनल रिसर्च एण्ड स्टडी सेंटर, जिला मिदनापुर
103.	मानव कल्याण ग्रामीण ग्रामोद्योग समिति, जिला बीरभूम
104.	डॉ0 अम्बेडकर सोसाइटी फार सोशियो-इकानामिक वेलफेयर एण्ड डिवलपमेंट, जिला मिदनापुर
105.	धोरानी राय मेमोरियल सेल्फ एम्प्लायमेंट ट्रेनिंग स्कूल, जिला बीरभूम
106.	मिलन बीथी सेवा संघ, जिला बांकुरा
107.	पुरूलिया सोसाइटी फार रूरल डिवलपमेंट, जिला पुरूलिया
108.	मिदनापुर अफोरेस्टेशन एण्ड इको-रिस्टोरेशन सोसाइटी, जिला मिदनापुर
109.	दि बेव ऑफ एनवायरनमेंट, जिला मिदनापुर
110.	गन्ना उन्नयन परिषद्, जिला बांकुरा
111.	विक्रम नगर उद्यान संघ, मिदनापुर
112.	मानभूम आनंद आश्रम नित्यानंद ट्रस्ट, पुरूलिया
113.	सोसाइटी फार मूवमेंट एण्ड एक्शन फार रूरल डिवलपमेंट बांकुरा
114.	बांकुरा जयपुर रूरल डिवलपमेंट एण्ड वेलफेयर आर्गनाइजेशन, बांकुरा
115.	एसोसिएशन ऑफ सोशल वेलफेयर एण्ड सर्विस, हावड़ा
116.	चन्द्रकोणा रोड़ नूतन आलो, मिदनापुर
117.	नैशनल आर्गनाइजेशन ऑफ पब्लिक हैल्थ, मिदनापुर
118.	पल्ली प्रकृति वेलफेयर आर्गनाईजेशन, मिदनापुर

राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड, बंजर भूमि विकास विभाग

आन्ध्र प्रदेश

1.	सोसियो-इकानामिक एजूकेशनल डिवलपमेंट सोसाइटी
2.	प्रजा भारतीय सेवा समिति
3.	रूरल एजूकेशनल एण्ड इकॉनामिक डिवलपमेंट सोसाइटी
4.	कृष्णादेवी ट्री ग्रोवर्स सोसाइटी
5.	इंटिग्रेटेड रूरल डिवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी
6.	स्वजन यूथ एसोसिएशन
7.	रूरल डिवलपमेंट सोसाइटी
8.	सोशल एक्शन फॉर सोशल डिवलपमेंट
9.	वेंकटेश्वर ट्री ग्रोवर्स को-आपरेटिव सोसाइटी
10.	रिशि वेली स्कूल
11.	पीपुल्स आर्गेनाइजेशन फार रूरल पुअर
12.	इन्द्रा इंटिग्रेटेड डिवलपमेंट सोसाइटी
13.	सेंटर फॉर सोशल डिवलपमेंट
14.	पद्मा वीडियो कल्चरल एसोसिएशन
15.	साधना
16.	गुंटूर रूरल एजूकेशनल डिवलपमेंट सोसाइटी
17.	सोसाइटी फॉर इंटिग्रेटेड रूरल डिवलपमेंट प्रोग्राम
18.	ट्रस्ट फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट एण्ड एजूकेशन
19.	यूथ एक्शन फॉर रूरल डिवलपमेंट
20.	दक्कन डिवलपमेंट सोसाइटी
21.	श्री दुर्गा एजूकेशनल सोसाइटी
22.	रूरल डिवलपमेंट आर्गनाईजेशन
23.	संजय गांधी मैमोरियल एनर्जी प्लांटेशन सोसाइटी
24.	रूरल एजूकेशनल एण्ड अवेयरनेस डिवलपमेंट सोसाइटी
25.	गुड समेरिटन एवेंजीलिकल एण्ड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन
26.	चैतन्य रूरल डिवलपमेंट एसोसिएशन
27.	पीपुल्स एक्शन इन डिवलपमेंट
28.	सोसाइटी फॉर एक्शन विद रूरल पुअर
29.	ब्राइट इंटिग्रेटेड रूरल डिवलपमेंट सोसाइटी
30.	नवजीवन सेवा संगम
31.	मदर इंडिया कम्युनिटी डिवलपमेंट एसोसिएशन
32.	रिसर्च इंटिग्रेटेड सोशल डिवलपमेंट एक्शन
33.	वालण्टरी आर्गनाइजेशन फॉर इंटिग्रेटेड कम्युनिटी इमैनीसियेशन
34.	सेवा भारती
35.	श्री सीता रामजनय उदयभावना समिति
36.	दि "मिरादा"
37.	एक्शन फॉर गिरिजन डिवलपमेंट
38.	यूथ फॉर एक्शन

1	2
39.	सोसाइटी फॉर ह्यूमन डिवलपमेंट एण्ड रूरल प्रास्परिटी
40.	शांति ग्राम अभ्युदय संगम
41.	सोशल एक्शन फॉर इंटिग्रेटेड डिवलपमेंट
42.	उदय भास्कर प्रजा सेवा समिति
43.	रूरलय इंटिग्रेटेड एण्ड सोशल एजूकेशन सोसाइटी
44.	रूरल एजूकेशन फॉर डिवलपमेंट, इकानामिक एनवायरयमेंट मोटिवेशन
45.	हरिजन इंटिग्रेटेड डिवलपमेंट सोसाइटी
बिहार	
46.	शिवानी वृक्षारोपण वन विकास ग्राम समिति
47.	कन्सोर्टियम् ऑफ ह्यूमन एनला. एण्ड टैक. नेचर एसोसिएशन, चेतना
48.	अविति
49.	ग्रामीण विकास परिषद्
50.	बी.एन.कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी
51.	संथाल परगना ग्रामोदय समिति
52.	पूर्णिया जिला समग्र विकास परिषद्
53.	सर्वोदय सेवा संघ
54.	सोसाइटी फार डिल रिसोर्स मेनेजमेंट स्कूल
55.	डी.आर.डी.ए., लोहारदगा (17 गैर-सरकारी संगठनों की ओर से)
56.	बिहार रिलीफ कमेटी
57.	संथाल परगना विकास एण्ड सेवा संस्थान
58.	बिहार ग्रामीण अंत्योदय विकास परिषद्
59.	अखिल भारतीय कंवारिया सेवा संघ
60.	ज्ञान सागर
61.	ग्रामीण विकास परिषद्
62.	डिवलपमेंट रिसर्च कंसलटेंट्स
63.	मिथिला उद्यमिता विकास समिति
64.	पर्मिला कल्याण समिति
65.	बिहार स्टेट फारेस्ट डिवलपमेंट कार्पोरेशन

1	2
दिल्ली	
66.	रामजस स्कूल
67.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन
68.	रूथ कोवेल फाउंडेशन
गुजरात	
69.	सर्वोदय पशु विकास सहकारी मण्डली लि०
70.	सेंटर फॉर एनवायरनमेंट ऐजुकेशन नेहरू फाउंडेशन
71.	सैल्फ एम्पलाइड वीमन ऐसोसिएशन
72.	आगा खां रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम
73.	विक्रम साराभाई सेंटर फॉर डिवेलपमेंट इंटरैक्शन
74.	श्री आदिवासी मजूर कारीगर एण्ड कामदार विकास मण्डल
75.	इन्स्टीट्यूट फॉर स्टडीज एण्ड ट्रांसफारमेशन
हिमाचल प्रदेश	
76.	हिमालयन वेस्टलैण्ड डिवलपमेंट एण्ड पाल्यूशन कन्ट्रोल एसोसिएशन
77.	महिला कल्याण एवं विकास समिति
78.	पर्यावरण एवं ग्रामीण विकास संस्थान
हरियाणा	
79.	भारत यात्रा सैंटर
80.	ग्रामीण एजुकेशन सोशन वैल्फेयर
81.	नवयुवक कला संगम
82.	चौबिसी विकास संघ
83.	दीप युवा क्लब
84.	हरियाणा नवयुवक कला संगम
85.	ग्रामीण विकास अनुसंधान केन्द्र
86.	मानेसर प्रोजैक्ट
87.	हिन्दुस्तान प्रीनिंग एण्ड वैलफेयर सोसाइटी
88.	पी.एच.डी. डिवलपमेंट फांउडेशन
89.	गेहलु ज्ञान भारतीय शिक्षण समिति

1	2
जम्मू और कश्मीर	
90.	श्रीमाता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड
91.	पर्यावरण एण्ड वेस्टलैण्ड डिवलपमेंट कोआपरेटिव सोसाइटी लि०
92.	आल जे. एण्ड के. एक्स-सर्विस वेलफेयर सोसाइटी
कर्नाटक	
93.	डिवलपमेंट आलटरनेटिव ऑफ टुमकुर
94.	मर्याद्या चिंचोली प्रोजेक्ट
95.	विकासना इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डिवलपमेंट
96.	श्री डी. देवराज अर्स ग्रामभिविधि ट्रस्ट
केरल	
97.	सोशल वर्क रिसर्च सेंटर
98.	पीरमदे डिवलपमेंट सोसाइटी
99.	सोलिडैरिटी मूवमेंट ऑफ इंडिया
100.	आंकरा विकासना
मध्य प्रदेश	
101.	पर्यावरण एवं वानिकी सहकारी समिति
102.	नैशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एण्ड एनवायरमेंट
103.	न्यू विवेक शिक्षण व सामाजिक कार्य संस्थान
महाराष्ट्र	
104.	ग्रामीण विकास मण्डल
105.	प्रगति एग्रीकल्चरल इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर
106.	यवतमाल जिला शेतकारी उत्पादक संघ
107.	वाटर एण्ड लैण्ड मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट
108.	जीवन संस्था
109.	अमरावती, यूनिवर्सिटी,
110.	एग्रो फारेस्ट्री फैडरेशन
111.	सुविदे फाउंडेशन
112.	नवलभाउ प्रतिष्ठान
113.	आर्मी फाउंडेशन फार इन्वारनमेंट कन्जर्वेशन
114.	धन्वंतरि मैडिकल फाउंडेशन
115.	संधि निकेतन शिक्षण संस्थान
116.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डिवलपमेंट
117.	जय मलहार कृषि विकास प्रतिष्ठान
118.	जीवन ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट
119.	फाउंडेशन एग्रो-इकालोजिकल साइंसेस उत्पादक संघ
120.	अरविन्द स्मृति
121.	बी.ए.आई.एफ. दि भारतीय एग्रो-इंडिया फैडरेशन
122.	श्रीमती नारसाबाई महिला मण्डल
मणिपुर	
123.	कायामेगी कोइकोराम लेइकाई वीयेन वैल्फेयर एसोसिएशन
124.	आर्गेनाइजेशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ झूम एण्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एण्ड एडवा. ऑफ स्माल स्केल
125.	एसोसिएशन फॉर डिवलपमेंट ऑफ रूरल एग्री. लैंड इंडस्ट्रियल एडवांस टैक.
126.	दि थनलोन एरिया महिला मण्डल
127.	पंतजग खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्रीज
128.	इंटिग्रेटेड रूरल पीपुल डिवलपमेंट
129.	इम्फाचाप मेमोरियल आर्कनेज एण्ड चिल्ड्रन होम
130.	नमथिंग ट्राइबल वीमन वीविंग एसोसिएशन
131.	ट्वइलोन ज्वाइंट फार्मिंग एसोसिएशन
132.	नटोक काबुई मल्टी-पर्पज को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
133.	दि रूरल इंडस्ट्रीज डिवलपमेंट ऐसोसिएशन
134.	रूरल सर्विस एजेंसी
135.	रूरल डिवलपमेंट एजेंसी
136.	सुमचिनबम यूथ वेलफेयर ऐसोसिएशन
137.	रूरल डिवलपमेंट सोसाइटी
138.	मणिपुर ईस्टर्न हिल पीपुल डिवलपमेंट सोसाइटी
139.	साउथ ईस्टर्न रूरल डिवलपमेंट आर्गनाइजेशन
140.	मणिपुर रूरल इंटिग्रटेड सोशल डिवलपमेंट कांउसिल

1	2
141.	इंटिग्रेटेड ट्राइबल डिवलपमेंट सोसाइटी
142.	वीकर सेक्शन डिवलपमेंट ऐसोसिएशन
143.	दि रूरल रिकन्स्ट्रक्शन आर्गेनाइजेशन
144.	दि आइडियल मदर्स ऐसोसिएशन
145.	यूनाइटेड ट्राईबल डिवलपमेंट प्रोजेक्ट
146.	यूनाइटेड ट्राईबल डिवेलपमेंट सोसाइटी
147.	जेलोनांगलोंग बापाटेस्ट चर्चेज कांउसिल
मिजोरम	
148.	मिजोरम रूरल ट्राइबल डिवलपमेंट सोसाइटी
नागालैंड	
149.	इमालयुअल सोसाइटी लोंगसा मोकोचुंग
150.	लिक्या वीमन् सोसाइटी
उड़ीसा	
151.	रूरल डिवेलपमेंट सेंटर
152.	ग्राम उन्नयन समिति
153.	आदर्श शिक्षा केन्द्र
154.	ओम श्री सिद्धाया पटरानी युवक संघ
155.	पाली विकास केन्द्र
156.	यूथ सर्विस सेंटर
157.	अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद्
राजस्थान	
158.	नवयुवक मण्डल
159.	भौरका चेरिटेबल ट्रस्ट
160.	पर्यावरण समिति एवं अनुसंधान दल
161.	राजस्थान मानव विकास समिति
162.	नेहरू नव युवक मण्डल
163.	रूरल डिवलपमेंट एण्ड सोशल वेलफेयर सोसाइटी
164.	दि सोशल वर्क्स एण्ड रिसर्च सेंटर
165.	ग्राम विकास नवयुवक मण्डल

1	2
सिक्किम	
166.	वेनजांग वृक्षारोपण समिति
167.	पर्यावरण संरक्षण समिति
168.	अम्बा दिओराली यूथ क्लब
तमिलनाडु	
169.	सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल एण्ड एनवायरमेंट वालण्टरी एक्शन
170.	ग्रामधन भूदान डिवलपमेंट संघ
171.	दि इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डिवलपमेंट
172.	दि एक्टीविट्स फॉर सोशल आलटरनेटिव्स
173.	आरोमित्र
174.	सोशल वेलफेयर आर्गनाइजेशन ट्रस्ट
175.	ह्यूमन एक्शन फार रूरल पुअर
176.	मद्रास लिटरेसी ऐसोसिएशन
177.	कम्युनिटी एक्शन फार रूरल डिवलपमेंट
178.	रूरल कम्युनिटी ट्रस्ट
179.	गुडविल सोशल सेंटर
180.	एक्शयान ग्रुप फॉर रूरल आर्गेनाइजेशन
181.	अन्नई इंदिरा साथिया समुगा नला मद्दालिर मण्डरम
182.	रूरल एजुकेशन एण्ड इकोनामिक डिवलपमेंट एसोसिएशन
183.	प्रिपेयर
184.	पसुमाई वाला संगम
185.	जय मारूति ट्रस्ट
186.	तमिलनाडु इजडाई उलावर संगम
187.	एसोसिएशन ऑफ भूदान एण्ड कम्युनिटी डिवलपमेंट
188.	बेस फॉर लार्चिंग इमेन्स सर्विस, "ब्लिस"
189.	एसोसिएशन फॉर सोशल सर्विस विलेज डिवलपमेंट
उत्तर प्रदेश	
190.	आल इंडिया प्रधान संघ
191.	उर्मिला ग्रामोद्योग समिति

1	2
192.	बंजारा विकास परिषद्
193.	बाबा श्रीनाथ शिक्षण संस्थान
194.	ग्रामीण विकास वृक्षारोपण समिति
195.	द्रोणाचल ग्रामउद्योग व पर्यावरण संस्थान
196.	दयाल वृक्षारोपण समिति
197.	नेहरू सेवा आश्रम
198.	किसान वृक्षारोपण समिति
199.	ग्रुपियस सोशल वैलफेयर सोसाइटी
200.	कृषक एवं समाज सेवा संस्थान
201.	अखिल भारतीय विद्या परिषद्
202.	जन मानस विकास संस्थान
203.	हिमालयन इकालोजी एण्ड ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल
204.	बांके बिहारी संस्कृत संस्थान
205.	रंधोलो वृक्षारोपण समिति
206.	हरित क्रांति सेवा संस्थान
207.	सेंटर फार इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल एन्वायरनमेंट
208.	सेंट्रल हिमालय रूरल एक्शन ग्रुप
209.	स्वामी बोधाकराल प्राकृतिक एवं सामाजिक कल्याण संस्थान
210.	बंदा ग्रामोयोग उत्थान समिति
211.	संयुक्त ग्रामीण सेवा समिति
212.	पान हिमालय ग्रासरूट डिवीजन फाउन्डेशन
213.	ग्रामोदय सेवा आश्रम
पश्चिम बंगाल	
214.	रिसर्च एण्ड एक्सटेंशन एसोसिएशन (रिचा)
215.	शेरपा देशबन्धु क्लब
216.	काउंसिल फार एन्वायरनमेंट एण्ड अवेयरनेस डिवलपमेंट
217.	धोरानीनगर रूरल डिवलपमेंट सोसाइटी
218.	विलेज वैलफेयर सोसाइटी
219.	लिबर्ल एसोसिएशन फॉर मूवमेंट ऑफ पीपुल्स

1	2
220.	श्रीकृष्ण क्लब
221.	अमोरागोरी जुवा संघ
222.	बालितिकुरी विकास भवन
223.	अगरगती
224.	धरनी राय मेमोरियल सैल्फ-एम्पलायमेंट ट्रेनिंग स्कूल
225.	इंसोला इरा पबर्ती क्लब
226.	लोक सेवा परिषद्
227.	विवेकानन्द आदिवासी कल्याण समिति
228.	मलिपुवर समाज उन्नयन समिति
229.	अमर सेवा संघ
230.	कंचनजंगा ट्री प्लान्टेशन को-आपरेटिव सोसाइटी लि०
231.	पुरूलिया शबुज संघ
232.	विवेकानन्द रूरल डिवलपमेंट आर्गेनाइजेशन
233.	करोखली जन सेवाश्रम

[अनुवाद]

कृषि को उद्योग का दर्जा

2106. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**
श्री के.पी. सिंह देव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (ग) सरकार द्वारा तैयार किए गए तथा 19 फरवरी, 1997 को आयोजित राज्य कृषि मंत्रियों की बैठक में चर्चा किए गए कृषि नीति संकल्प के मसौदा में यह निर्धारित किया गया है कि ''उद्योग के समरूप कृषि के लिए एक सकारात्मक व्यापार और निवेश वातावरण तैयार किया जाएगा''। नीति का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में जहां तक संभव हो सके, उद्योगों को प्राप्त होने वाले लाभ, जैसे आदानों की सुगम उपलब्धता और कृषि व्यापार कार्यकलापों के विकास के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं देना तथा उक्त प्रयोजन के लिए प्रभावी वितरण प्रणाली का विकास करना, उपलब्ध कराना है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

2107. **श्री अशोक प्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग दोनों देशों में जेल में बंद नागरिकों की शीघ्रातिशीघ्र रिहाई हेतु तैयार हो गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक दोनों देशों की जेलों में बंद कितने व्यक्तियों की रिहाई हेतु इन आयोगों द्वारा कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (घ) पाकिस्तान के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने 26 अप्रैल, 1997 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की। चर्चा के दौरान, अन्य मुद्दों के साथ-साथ, पाकिस्तान और भारत में क्रमशः पाकिस्तानी और भारतीय कैदियों की रिहाई का मुद्दा भी उठा। दोनों देशों के कैदियों की शीघ्रता से रिहाई में दोनों आयोगों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र के संबंध में फ्रांस के साथ करार

2108. **श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस सरकार ने यूरोप और दूसरे देशों में भारतीय उत्पादों का विपणन करने हेतु सहकार करने की पेशकश की है;

(ख) क्या भारत और फ्रांस ने कृषि क्षेत्र में सहयोग करने के संबंध में किसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सहयोग से भारत की खाद्य स्थिति और यूरोप के देशों में इसकी निर्यात स्थिति में कितना सुधार परिलक्षित हुआ है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (घ) कृषि तथा कृषि-खाद्य उद्योग के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और फ्रांस के बीच 6 फरवरी, 1994 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस समझौते में कृषि, मात्स्यिकी, वानिकी, ग्रामीण विकास तथा कृषि-खाद्य उद्योग के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग के विकास का प्रावधान किया गया है। इस समझौते के तहत दोनों देश संयुक्त रूप से अनुसंधान क्रियाकलाप करने तथा सहयोग करने के लिए अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के विभिन्न संगठनों को प्रोत्साहन देकर तकनीकी तथा वैज्ञानिक सहयोग और आर्थिक सहयोग में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेंगे। वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों, सामग्री तथा सूचना के आदान-प्रदान, प्रशिक्षण तथा सामग्री व उपस्करों की आपूर्ति तथा संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के आयोजन के रूप में सहयोग किया जा सकता है। यह समझौता शुरूआत में 5 वर्षों की अवधि के लिये लागू होगा।

इस समझौते के प्रावधानों के अनुसरण में दोनों देशों ने कृषि क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग के लिए एक कार्य अनुसूची तैयार की। इस कार्य अनुसूची के तहत इस बात पर भी सहमति हुई कि दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधी मिशनों का भी आदान-प्रदान किया जा सकता है ताकि भारतीय उष्णकटिबंधीय तथा बेमौसमी फलों और सब्जी निर्यातों के फ्रांसीसी आयातकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का विनिर्दिष्टयों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण तथा परीक्षण मानकों को बनाने के लिए उपाय करने पर भी सहमति हुई। कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा अप्रैल, 1995 में आम, अंगूर, अनार तथा लीची जैसे भारतीय फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापार मिशन प्रायोजित किया गया था। अपेड़ा ने सूचित किया है कि हालांकि यूरोपीय संघ जैसे समृद्ध बाजारों में लीची जैसे फलों की मांग अच्छी है, फिर भी भारत उत्पादन तथा कटाई पश्चात् प्रबंध प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी कमियों के कारण मौजूदा स्थिति में बाजार की मांग का लाभ उठाने में असमर्थ है। अपेडा द्वारा अब विस्तृत प्रस्ताव इस संबंध में तैयार किये जा रहे हैं ताकि कटाई-पूर्व तथा पश्चात् के प्रबन्ध अवसंरचनाओं तथा गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के संबंध में फ्रांस से तकनीकी परामर्श प्राप्त किया जा सके। चूंकि ये प्रस्ताव अपनी प्रारम्भिक अवस्था में हैं, इसलिए इस स्थिति में इस प्रकार के प्रस्तावित सहयोग के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा

2109. **श्री बनवारी लाल पुरोहित**
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल के कुछ महीनों में महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को सुलझाने हेतु कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमा विवाद पर महाजन समिति की रिपोर्ट पर कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मक़बूल डार): (क) और (ख) नवम्बर, 1996 में गृह मंत्री के सुझाव पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दीर्घकाल से लंबित चले आ रहे इस सीमा विवाद पर आपसी बातचीत हेतु अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था।

(ग) और (घ) चूंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य सरकारों के बीच महाजन आयोग की सिफारिशों को लेकर मतभेद हैं इसलिए भारत सरकार का यह मत रहा है कि यह विवाद प्रधानतया दोनों संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बातचीत और आपसी समझौतों के द्वारा सुलझाया जाना चाहिए और इस संबंध में राज्य सरकारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने में उसे हर्ष होगा।

नागा समस्या

2110. **श्री बी.एल. शंकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैंड में एन.एस.सी.एन. की मुख्य मांगें क्या हैं और इस मुद्दे को हल करने में मुख्य समस्या क्या है;

(ख) इस समस्या के कारण गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ग) सरकार द्वारा निकट भविष्य में इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मक़बूल डार): (क) भारत और म्यांमार के उन क्षेत्रों जिनमें नागा रहते हैं, में से एक स्वतंत्र नागालैंण्ड का सृजन करना एन.एस.सी.एन. की मुख्य मांग रही है। भारत की राज्य क्षेत्रीय अखण्डता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

(ख) एन.एस.सी.एन. द्वारा वर्ष 1995, 1996 और 1997 (25.6.97 तक) की गई हिंसा के कारण क्रमशः 105, 192 और 119 व्यक्तियों की जानें गईं।

(ग) प्रधानमंत्री ने 25 जुलाई, 1997 को संसद के दोनों सदनों को एक वक्तव्य के द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया कि, नागालैंण्ड और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के उनके दौरे के बाद, भूमिगत तत्वों के साथ बिना शर्त वार्ता करने की सरकार की इच्छा को दोहराया गया था तथा नागालैंण्ड की नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल के आईजेक-मुईवाह ग्रुप के साथ बातचीत के उपरान्त, दिनांक 01 अगस्त, 1997 से तीन माह के लिए संघर्ष रोकने और राजनैतिक स्तरीय वार्ता शुरू करने पर अब सहमति हुई है। शांति प्रक्रिया में अन्य विद्रोही ग्रुपों को शामिल करने के प्रयास जारी हैं।

[हिन्दी]

नदी प्रदूषण

2111. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदियों की सफाई योजना के लिए विदेशी एजेंसियों से वित्तीय सहायता की मांग की गयी है;

(ख) यदि हाँ, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए विदेशी सहायता मिलने की संभावना है तथा भारत की विभिन्न योजनाओं में वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव करने वाले देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) यह वित्तीय सहायता कब तक मिल जाने की संभावना है तथा प्रमुख नदियों के कब तक प्रदूषण मुक्त हो जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) *इण्डो-डच एन्वायर्मेंटल सैनीटेशन प्रोग्रैम के अन्तर्गत कानपुर में गंगा कार्य योजना चरण-II*

हाल में रायल नीदरलैण्ड दूतावास ने सूचित किया है कि उन्होंने नीदरलैण्ड सरकार द्वारा अनुमोदित ड्राफ्ट साइड लेटर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को भेज दिया गया है। हमारी सरकार द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा निधि 1998-99 में मिलनी शुरू हो जाएगी। इस परियोजना के अन्तर्गत नीदरलैण्ड सरकार से कुल लगभग 51.2 मिलियन डच गिल्डर्स सहायता मिलने की आशा है। इसके अलावा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उनके द्वारा तकनीकी सहायता अलग से दी जाएगी।

गोमती नदी कार्य योजना चरण-II (उत्तर प्रदेश में लखनऊ शहर में)

यू.के. सरकार के ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने परामर्शदाताओं की नियुक्ति की है। जिन्होंने ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार किए हैं जिस पर विचार-विमर्श किया जा रहा है तथा यू. के. सरकार द्वारा इसके लिए वित्तीय सहायता देने के लिए एक समय अवधि में विचार किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि ड्राफ्ट मास्टर प्लान पर अभी विचार-विमर्श हो रहा है। इस स्कीम के लिए वित्तीय सहायता वर्ष 1998-99 में किसी समय उपलब्ध होने की आशा है।

यमुना कार्य योजना

यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत भारत सरकार को दिसम्बर, 1992 से दिसम्बर, 1999 तक की अवधि के लिए ओवरसीज इकोनॉमिक कार्पोरेशन फंड से 17.773 बिलियन जापानी येन के दाम पर वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।

[अनुवाद]

प्रदूषण संबंधी मामले

2112. **श्री उत्तम सिंह पवार** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात के विभिन्न न्यायालयों में गत 15 वर्षों या इससे अधिक समय से भी प्रदूषण से संबंधित 1500 से भी अधिक मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अन्य राज्यों में भी दस वर्षों से भी अधिक समय से लंबित पड़े ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

काजीरंगा तथा मानस राष्ट्रीय पार्क

2113. **श्री टी. गोपाल कृष्ण** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के काजीरंगा तथा मानस राष्ट्रीय पार्क की दीर्घावधि की प्रबंध योजना क्या है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए कितनी वित्तीय सहायता आवश्यक होगी; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा कितनी सहायता दी गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) असम में काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यानों के लिए दीर्घकालीन प्रबंधन योजनाएं नहीं हैं। उनका प्रबंधन वार्षिक कार्य योजनाओं द्वारा किया जा रहा है तथा अपेक्षित वित्तीय सहायता का मूल्यांकन भी वार्षिक आधार पर किया जा रहा है।

(ग) ''दि वर्ल्ड वाईड फंड फार नेचर'' ने अब तक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए 4.30 लाख रुपए और मानस राष्ट्रीय उद्यान के लिए 2.10 लाख रुपए की राशि देना स्वीकार किया है।

[हिन्दी]

वृक्षारोपण हेतु निधि

2114. **श्री मदेश कुमार एम. कनोडिया** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु राज्यवार कितनी निधि का आंवटन किया गया;

(ख) क्या सभी राज्यों ने आवंटित निधि खर्च कर दी है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस निधि के खर्च में अनियमितताओं से संबंधित कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

चीनी मिलों का नियामक मूल्य

2115. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत 27 चीनी मिलों के संशोधित नियामक मूल्य को स्वीकार करने से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) सरकार ने चीनी फैक्ट्रियों का कोई नियामक मूल्य निर्धारित नहीं किया है। यद्यपि वित्तीय संस्थाएं परियाजनाओं का मूल्यांकन करते समय वित्तीय पैटर्न और पूंजी पर लाभ की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछेक मानक अपना रही हैं। वित्तीय संस्थाएं सामान्यतया ऋण-इक्विटी अनुपात और परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता को ध्यान में रखती हैं। चूंकि सहकारी समितियों की इक्विटी का अधिकांश भाग राज्य सरकार द्वारा अंशदान में दिया जाता है और वे ऋण की गारंटी भी देती हैं इसलिए किसी यूनिट विशेष के लिए समस्त वित्त उपलब्ध कराने का प्रश्न उनके, सहकारी फैक्ट्रियों और वित्तीय संस्थाओं के बीच हल करना होगा।

महाराष्ट्र में जिलों का शामिल किया जाना

2116. **डॉ० साहेबराव सुकराम दागूज** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में बेलगांव तथा कारवार जिलों को महाराष्ट्र राज्य में शामिल किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार को इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

आतंकवादियों का पुनर्वास

2117. **श्री के.पी. सिंह देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पंजाब के उन आतंकवादियों को पुलिस और अर्द्ध-सैनिक बलों में भर्ती करने का कोई प्रस्ताव है जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या नीति है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों पर दी जाने वाली राजसहायता संबंधी विधेयक

2118. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर करता है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम जनता तथा विभिन्न एजेंसियों को यह खाद्यान्न कम दरों पर देता है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत दो वर्षों से खाद्यान्न पर दी जाने वाली राजसहायता में वृद्धि होती जा रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) 1.6.1997 से प्रभावी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नानुसार हैं :

(रुपये प्रति कि.ग्रा.)

	चावल			गेहूं
	साधारण	बढ़िया	उत्तम	
गरीबी-रेखा से नीचे	3.50	3.50	-	2.50
गरीबी-रेखा से ऊपर	-	6.50	7.50	4.50

(घ) और (ङ) जी, हाँ। खाद्यान्नों पर सब्सिडी निम्नलिखित के लिए होती है। (1) खाद्यान्नों की इकनामिक लागत और उनके निर्गम मूल्य के बीच अन्तर, और (2) खाद्यान्नों की रख-रखाव लागत। हालांकि, अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य/प्रभार रहित (नेकेड) मूल्य में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप अनाज की एकीकृत (पूअल्ड) लागत में वृद्धि होने से खाद्यान्नों की इकनामिक लागत में वृद्धि हुई है लेकिन खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों में तदनुरूपी वृद्धि नहीं हुई है। ब्याज प्रभारों और भाड़े की दरों आदि में वृद्धि के कारण रख-रखाव लागत में भी वृद्धि हुई है। इकनामिक लागत और रख-रखाव लागत को कम/नियंत्रित रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं :

(1) इस तथ्य के बावजूद कि अनाज की वसूली मौसमी होती है, उपयोगिता की 75 प्रतिशत औसत क्षमता को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करना;

(2) भाड़े पर खर्च को कम करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित वसूली और संचलन के 1:1.35 अनुपात संबंधी मानदंड का पालन करना;

(3) प्रशासनिक लागत को कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रवेश स्तर के पदों को नहीं भरना;

(4) खाद्यन्नों की हैंडलिंग में होने वाली हानियों को कम करने के लिए सतत प्रयास करना;

(5) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य से ऊँचे मूल्यों पर खुले बाजार में स्टाक रिलीज करना।

[हिन्दी]

हरियाणा में कृषि के लिए केन्द्रीय सहायता

2119. **डॉ० अरविन्द शर्मा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हरियाणा को वर्ष 1990 से बागवानी और पुष्प कृषि के विकास के लिए सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार को जिस उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी उसी उद्देश्य के लिए उसका उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उनके मंत्रालय ने केन्द्रीय सहायता का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हाँ। बागवानी विकास के लिए केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत राज्य को सहायता 1990 से दी जाती रही है। केन्द्रीय पुष्प कृषि योजना के अंतर्गत सहायता योजना के आरंभ होने से (1992-93) ही दी जा रही है।

(ख) से (घ) भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों, अर्थात् 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 के दौरान हरियाणा में केन्द्रीय बागवानी विकास योजनाओं के अंतर्गत हरियाणा राज्य सरकार को 518.39 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें से राज्य सरकार ने केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत पिछले वर्षों के बकाया रकम के उपयोग सहित 604.66 लाख रुपये के उपयोग कर लिए जाने की सूचना दी है। इसका वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है :

वित्तीय वर्ष	केन्द्र द्वारा जारी धनराशि	राज्य द्वारा उपयोग धनराशि
		(लाख रुपये में)
1994-95	214.72	173.63
1995-96	177.60	173.50
1996-97	126.06	257.53
कुल	518.38	604.66

(ङ) और (च) भारत सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत सहायता के उपयोग की निगरानी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रगति रिपोर्ट, क्षेत्र अधिकारी बैठक, वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों के फील्ड यात्रा एवं आवर्ती पुनरीक्षण बैठक के माध्यम से की जाती है।

[अनुवाद]

ड्रिप सिंचाई सेट योजना

2120. **डॉ० साहेबराव सुकराम वागूल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास राजसहायता की कितनी राशि बकाया है;

(ख) 1997-98 के दौरान राजसहायता की अनुमानित आश्यकता कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान ड्रिप सिंचाई सेट योजना स्थापित करने के लिए और अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकार द्वारा छोटे और सीमान्त किसानों, विशेषकर अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियों के किसानों को उपलब्ध कराई गई राजसहायता उनको प्राप्त हो रही है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) वर्ष 1996-97 के लिये आंबटन पूरा का पूरा राज्यों को निर्मुक्त किया जा चुका है।

(ख) से (घ) वर्ष 1997-98 के दौरान ड्रिप सिंचाई के लिये राजसहायता वहन करने के लिये 82.79 करोड़ रुपये की धनराशि का आबंटन किया गया था जो पिछले वर्षों के आबंटनों से अधिक है।

(ङ) से (छ) सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चत करें कि उनके राज्यों में ड्रिप सिंचाई के लिए स्वीकृत धनराशि का कम से कम 25 प्रतिशत अंश अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों पर खर्च हो। संबंधित राज्य सरकारों को आगे यह निर्देश भी दिया गया है कि वे छोटे सीमान्त और महिला किसानों सहित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाली राजसहायता का ब्यौरा एक संगत आधार पर तैयार करें तथा यह कार्य स्थानीय स्थितियों और इन वर्षों के किसानों की जनसंख्या को ध्यान में रखकर किया जाए।

आस्ट्रेलिया से गेहूं का आयात

2121. **डॉ० कृपासिन्धु भोई** : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आस्ट्रेलिया से एक मिलियन टन गेहूं का आयात करने का है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार अपने निर्णय की पुनरीक्षा करने का है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) जी, हाँ। सरकार ने 1997-98 के दौरान 2 मिलियन टन तक गेहूं आयात करने का प्राधिकार दिया है। प्रथमतः भारतीय राज्य व्यापार निगम ने आस्ट्रेलिया से एक मिलियन टन गेहूं आयात करने के लिए पहले ही ठेका कर रखा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भूमिगत जल हेतु डीजल पंप सेट का उपयोग

2122. **श्री नरेन्द्र बुडानिया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान में कृषि कार्य में उपयोग किए जाने वाले डीजल पंप सेटों के लिए राजसहायता उपलब्ध कराने हेतु संसद सदस्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सिंचाई प्रयोजन हेतु प्रयोग किए जाने वाले डीजल पंप सेटों पर कब तक कितनी राजसहायता दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) इसका उत्तर 18 जून, 1997 के अ.शा. पत्र संख्या 18-6/97-सी.यू. 5 के तहत भेजा गया था। यह बताया गया था कि इस समय कृषि मंत्रालय की योजनाओं में ऐसी राज सहायता के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में गैर-वनीय गतिविधियां

2123. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में वन भूमि पर गैर-वनीय गतिविधियों के मामले में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदनों का जांच कार्य बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद से नागालैंड राज्य के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निदेश के कारण कोई ऐसा नियम अस्तित्व में आया है जो निजी वृक्षारोपण तथा व्यक्तियों द्वारा उसके दोहन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाहर इसी तरह का वृक्षारोपण किए जाने पर भेदभाव करने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के संदर्भ में निजी पौधरोपण और व्यक्तियों द्वारा उसके दोहन के लिए इस मंत्रालय ने कोई कानून नहीं बनाया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

एल.सी. जैन समिति

2124. **श्री जगमोहन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के विकास के लिए एल.सी. जैन समिति द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(ख) सरकार द्वारा कितनी सिफारिशें स्वीकार तथा क्रियान्वित की गई हैं; और

(ग) की गई सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने/क्रियान्वित नहीं करने के कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) एल.सी. जैन समिति ने 94 सिफारिशें कीं जो मुख्य रूप से कृषि, सिंचाई, शिक्षा, विद्युत, सड़क और रेल परिवहन, औद्योगिक विकास, तेल, दूरसंचार, डाक-सेवा और बाढ़-नियंत्रण के क्षेत्र से संबंधित हैं। इनमें से, 62 सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई किया जाना अपेक्षित था। 25 सिफारिशों पर भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों द्वारा कार्रवाही की जानी थी, इनमें अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल थीं :

(i) बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम हेतु एक बड़े भाग का वित्तपोषण करना।

(ii) उत्तर-पूर्व रेलवे द्वारा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना।

(iii) असम समझौते के अधीन गठित की जाने वाली आई. आई.टी. में मैनेजमेंट स्टडीज के कार्यक्रम को शामिल करना।

(iv) तेज़पुर में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करना।

(v) गैस-क्रैकर पर आधारित पेट्रो-कैमिकल परिसर की स्थापना करना।

(vi) तेल शोधन परियोजना निष्पादित करने के लिए एक नई कम्पनी स्थापित करना।

(vii) इनलैंड-वाटर-सिस्टम के माध्यम से यातायात की संभावित मात्रा को ध्यान में रखते हुए एक 15-वर्षीय संदर्श योजना।

योजना आयोग ने मंत्रालयों और राज्य सरकारों से उनसे संबंधित सिफारिशों तथा उपलब्ध संसाधनों में से ही इन्हें किस सीमा तक लागू किया जा सकता है, की जांच करने को कहा है। उनसे यह कहा गया है कि मंत्रालय/राज्य सरकारें, योजना के एक से अधिक प्लान में कार्यान्वित करने के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करते हुए व्यवहार्य सिफारिशों को शामिल करने पर विचार कर सकती हैं। इनमें से अधिकांश सिफारिशों को तदनुसार, स्वीकार/आठवीं योजना के माध्यम से कार्यान्वित कर लिया गया।

असम को केन्द्रीय सहायता के पैटर्न से संबंधित एल.सी. जैन समिति की रिपोर्ट की एक मुख्य सिफारिश भी योजना आयोग द्वारा स्वीकार कर ली गई है। तदनुसार, 1991-92 से असम को ऐसी सहायता, पिछले पैटर्न 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान की तुलना में 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के अनुपात में उपलब्ध करायी जाती है।

[हिन्दी]

रिफाइन्ड तेलों में कोलेस्ट्रॉल

2125. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :**
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जुलाई, 1997 के ''नवभारत टाइम्स'' में ''इन रिफाइन्ड तेलों से भी बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल'' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने ऐसे रिफाइन्ड तेलों की बिक्री और उपभोक्ताओं को धोखा देने और रसायनों की मदद से तेल के रंग में परिवर्तन की जांच की है;

(ग) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं को धोखा देने और टेलीविजन तथा रेडियो के माध्यम से मिथ्या प्रचार करने के लिए ऐसी कम्पनियों के खिलाफ मामले दर्ज करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ङ) जी, हाँ।

''लिटरेचर'' के अनुसार, रिफाइन्ड तेल (वनस्पति तेल) में कोलेस्ट्रॉल तत्व शून्य से नगण्य होते हैं। रसायनों की मदद से तेलों को शुद्ध करने की परम्परागत प्रक्रिया से रंग के साथ-साथ स्टेरल्स का एक भाग खत्म हो जाता है। विभिन्न तेलों में कोलस्ट्रल तत्व निम्नानुसार हैं :

तेल	कोलस्ट्रल (प्रति 100 ग्राम तेल में मिलिग्राम)
1	2
मक्का	1
चावल की भूसी	1
नारियल	टी.आर.-3
पाम	3-4
पाम करनल	1
मूंगफली	टी.आर.-1
सोयाबीन	1
सूरजमुखी	-
कुसुम	टी.आर.
जैतून	-
रेंडी	-
बिनौला	1-2
अलसी	2
रेपसीड	टी.आर-4
तिल	-
कोको बटर	1-2

टी.आर. - ट्रेस अमाउन्ट्स

स्रोत : बेलेस इंडस्ट्रियल आयल एण्ड फैट प्राडक्ट्स, बाल्यूम-1

टाडा बंदी

2126. **श्री काशीराम राणा :**
श्री टी. गोविन्दन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा टाडा के अन्तर्गत कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए;

(ख) संवीक्षा समिति की सिफारिश पर रिहा किए गए व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ बंदियों को संवीक्षा समिति द्वारा सिफारिश किए जाने के बावजूद रिहा नहीं लिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का उत्पादन

2127. **श्री अनन्त गुढ़े :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1997-98 के दौरान खाद्यान्नों और नकदी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का उन्नयन करके अथवा उन्नत देशों के सहयोग से योजना कार्यान्वित की है अथवा कार्यान्वित करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) जी हाँ, सरकार द्वारा दोनों प्रकार से प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने का प्रस्ताव किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के देश भर में फैले हुए अनुसंधान संस्थानों के द्वारा स्थानीय रूप से अनुसंधान के साथ-साथ उन्नत देशों/अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों के सहयोग से कार्य किया जा रहा है। जैव-प्रौद्योगिकीय तकनीकों के इस्तेमाल द्वारा जैविक तथा अजैविक प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने में सक्षम खाद्यान्नों और नकदी फसलों की उच्च उपजशील किस्मों के विकास के लिए देश में निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। गेहूं, संकर धावल, मक्का और ज्वार आदि खाद्यान्नों की अनेक उच्च उपजशील किस्में विकसित की गई हैं। इसी प्रकार नकदी फसलों जैसे - कपास, गन्ना, तम्बाकू और जूट की अनेक उच्च उपजशील किस्में व संकर विकसित किए गए हैं।

उन्नत देशों के सहयोग से निम्नलिखित प्रायोजनाएं चलाई जा रहीं हैं - "भारत में बारानी स्थितियों में ज्वार उत्पादन की बाधाओं को दूर करना", यह प्रायोजना राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केन्द्र द्वारा आस्ट्रेलियन सेन्टर फॉर इन्टरनेशनल एग्रीकलचरल रिसर्च के सहयोग से शुरू की गई है।

- धावल अनुसंधान निदेशालय ने य.एन.डी.पी. के सहयोग से "संकर धावल प्रौद्योगिकी के विकास एवं इस्तेमाल" पर प्रायोजना शुरू की है।

- केन्द्रीय धावल अनुसंधान संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धावल अनुसंधान संस्थान, फिलीपाईन्स के सहयोग से "बारानी धावल में सुधार" प्रायोजना शुरू की गई है।

- मक्का अनुसंधान निदेशालय और गेहूं अनुसंधान निदेशालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का सुधार केन्द्र (सिमिट) के साथ क्रमशः "गेहूं एवं मक्का में सुधार" प्रायोजना शुरू की गई है।

- भारतीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान, झांसी द्वारा यू.के. के साथ "चारागाह भूमि सुधार" प्रायोजना शुरू की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

झींगा पालन

2128. **श्रीमती शारदा टाडीपारथी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जून, 1997 के "द न्यूजटाइम" में "स्ट्रेस ऑन ईको फ्रेन्डली एक्वाकल्चर प्रेक्टिसिज" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उच्चतम न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में झींगा पालन की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी हाँ।

(ख) उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 11.12.1996 के फैसले में यह आदेश दिया है कि तटीय विनियम क्षेत्र अधिसूचना 1991 के तहत यथापरिभाषित तटीय विनियम क्षेत्र के भीतर कोई भी झींगा तालाब निर्मित अथवा स्थापित नहीं किया जायेगा और तटीय विनियमन क्षेत्र में पहले से स्थापित झींगा संवर्धन तालाब 31.3.97 से पहले तोड़कर हटा दिये जायेंगे। बहरहाल, तटीय निचले क्षेत्रों में फार्मिंग समुदाय द्वारा पारम्परिक तथा उन्नत पारम्परिक प्रकार की प्रौद्योगिकीयुक्त तालाबों पर उच्चतम न्यायालय के निदेश लागू नहीं होते। उच्चतम न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है। कि सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3(3) के तहत के प्राधिकरण का गठन करेगी तथा पारिस्थितिकीय रूप से कमजोर तटवर्ती क्षेत्रों, समुद्र तटों, वाटर फ्रान्ट तथा अन्य तटवर्ती क्षेत्रों के संरक्षण तथा विशेष रूप से तटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में शिम्प संवर्धन उद्योगों द्वारा निर्मित स्थिति से निपटने के लिए, उक्त प्राधिकरण को आवश्यक शक्तियां प्रदान करेगी। उच्चतम न्यायालय ने आगे यह भी आदेश दिया है कि तटवर्ती विनिमय क्षेत्र से बाहर उक्त प्राधिकरण की पूर्वानुमति से शिम्प संवर्धन तालाब स्थापित किये जा सकते हैं।

उक्त फैसले की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

राज्य सभा में मत्स्य पालन प्राधिकरण विधेयक, 1997 दिनांक 20 मार्च, 1997 को पारित कर दिया है। उक्त विधेयक में अन्य बातों के अलावा, तटवर्ती क्षेत्रों में मत्स्य पालन से संबंधित कार्यकलापों के विनियमन की बात कही गई है। जब लोक सभा में इस विधेयक पर विचार-विमर्श किया जाना था तब यह ज्ञात हुआ कि न्यायालय द्वारा इस फैसले के अमल पर रोक लगा दी गई है। अतः इस विधेयक को लोक सभा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके पश्चात् न्यायालय द्वारा इस फैसले पर अमल की तारीख पर लगी रोक 20 अगस्त, 1997 तक बढ़ा दी गई।

राजस्थान में पशुपालन योजनाएं

2129. **कर्नल सोनाराम चौधरी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों की मुख्य आजीविका पशुपालन है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इन जिलों में रहने वाले किसानों विशेषरूप से बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) राजस्थान के इन रेगिस्तानी और अल्पविकसित जिलों में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हाँ।

(ख) जो उपाय किए गए है उनमें शामिल हैं : उच्च गुणवत्ता वाले जर्म प्लाज्म की आपूर्ति के लिए गोपशु प्रजनन फार्मों की स्थापना तथा किसानों के लिए प्रजनन आदानों की आपूर्ति के लिए विस्तार क्रियाकलाप।

(ग) राजस्थान सरकार बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में निम्नलिखित योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है :

(1) प्रमुख ग्रामीण योजना (2) आई.सी.डी.पी. (3) गोपाल योजना, तथा (4) राथी ओर थरपार्कर नस्लों के लिए गोपशु प्रजनन फार्म। इसके अलावा, किसानों को स्वास्थ्य कवरेज तथा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए पशुचिकित्सा अस्पताल तथा औषधालाएं हैं।

राजस्थान सरकार कृषि विकास से संबंधित विश्व बैंक सहायता प्राप्त एक परियोजना का भी क्रियान्वयन कर रही है जिसके तहत 1992-93 से 1994-95 तक 631.95 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई।

सूरतगढ़ में एक केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म भी काम कर रहा है जिसमें थरपार्कर नस्ल अथवा गोपशु का रख-रखाव किया जाता है जो मरूभूमि वाले जिलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2130. **श्री विजय पटेल** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खराब होने वाली वस्तुओं के प्रसंस्करण और निर्यात करने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाल अधिकांश कच्चा माल जल्दी खराब होने वाली किस्म का होता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय ऐसे कच्चे माल के प्रसंस्करण और परिरक्षण से संबंधित हैं जिसके परिणामस्वरूप घरेलू खपत के साथ-साथ निर्यात भी बढ़ा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजना स्कीमें भी चला रहा है।

तेल और ग्रीस से प्रदूषण

2131. **श्री के.सी. कोंडय्या** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में आया है कि कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में थन्नीरभावी से पडुबिडरी तक समुद्र तटों पर तारकोल (तेल) जमा हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो जल में तेल और ग्रीस पदार्थों के मिलने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या जल में तेल और ग्रीस पदार्थ से मिलने से आक्सीजन की कमी हो जायेगी जिसके परिणामस्वरूप जल प्राणियों की मृत्यु हो जायेगी; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) जी, हाँ। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में थन्नीरभावी से पडुबिडरी तक समुद्र तटों पर तारकोल जमा होने की सूचना प्राप्त हुई है। तारकोल (तेल) मानसून के दौरान चलने वाली हवा के मंथन, जल और करंट के कारण बनता है और तट पर बह जाता है। इनके बनने का मुख्य कारण नेमी रूप से टैंकों की सफाई करना और डी-बलास्टिंग करना है। भारत के पश्चिमी तट के साथ-साथ समुद्री तटों पर तारकोल बनना एक सीजनल घटना है। ये मानसून के प्रारंभ होने के साथ ही उत्पन्न होते हैं।

(ग) और (घ) ये तारकोल समुद्री जल में विद्यमान ऑक्सीजन को समाप्त नहीं करते हैं। इनका समुद्री जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है।

पारिस्थितिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र

2132. **श्री शरत पटनायक** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड द्वारा पत्ता लगाए गए पारिस्थितिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसके प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड की वनीकरण योजनाओं के दिशा निर्देशों से उन क्षेत्रों की प्रकृति का पता चलता है जिन्हें इन योजनाओं के तहत चलने वाली परियोजनाओं में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन योजनाओं में पश्चिमी हिमालय, अरावली पहाड़ियों, पश्चिमी घाटों, आदि जैसे पारिस्थितिकीय दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों के वनीकरण पर प्रमुख रूप से जोर दिया जाता है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा व्यक्तिगत परियोजना प्रस्ताव स्थानीय परिस्थितियों के अनुमान के आधार पर तैयार किए जाते हैं। राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड, पारिस्थितिकीय दृष्टि से नाजुक विशिष्ट क्षेत्रों का स्वयं पता नहीं लगाता।

राजधानी में कल्याण योजनाएं

2133. श्रीमती मीरा कुमार : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए योजना-वार कितना धन आवंटित किया गया है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही कल्याण मंत्रालय की योजनाओं तथा प्रत्येक योजना के लिए वर्ष 1997-98 के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। पृथक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अलग से कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। आदिवासी कल्याण के लिए योजनाओं को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एक आदिवासी राज्य नहीं है।

विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 1997-98 के लिए आवंटन
1	2	3
	अनुसूचित जाति - कल्याण	
1.	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	20.00
2.	विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	326.60
3.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	65.00
4.	नागरिक अधिकार संरक्षण तथा अत्याचार	15.50
5.	लड़कियों के लिए होस्टल	8.00
6.	राष्ट्रीय अनु.जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	96.00
7.	अनुसूचित जाति विकास निगम	45.00
8.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	10.00
9.	बुक बैंक	3.60
10.	लड़कों के होस्टल	11.00
11.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति तथा पुनर्वास	120.00
12.	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	2.00
13.	एन.एस.एफ.डी.सी. को ब्याज में सहायता	-
14.	कोचिंग तथा सम्बद्ध	3.00
15.	अनुसूचित जातियों के अखिल भारतीय प्रकृति की समर्थन परियोजना	0.50
16.	विशेष शिक्षा विकास कार्यक्रम	3.80
17.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन	1.00
18.	अम्बेडकर फांउडेशन	40.00
	विकलांग कल्याण	
1.	सहायक यंत्र तथा उपकरण खरीद/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता योजना	15.00
2.	कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना	1.50
3.	विकलांगों के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता की योजना	23.70
4.	विशेष विद्यालयों की स्थापना तथा विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता की योजना	2.50
5.	प्रमस्तिष्क अंगघात तथा मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना	1.00
6.	विकलांगों के रोजगार की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	0.20
	समाज रक्षा	
1.	वयोवृद्ध कल्याण	12.50
2.	बेसहारा बच्चों का कल्याण	6.00
3.	भिक्षावृत्ति निवारण	0.55
4.	किशोर न्याय कुसुमंजन निवारण तथा नियंत्रण	2.00
5.	स्वैच्छिक समाज कल्याण संगठनों को संगठनात्मक सहायता	0.12
6.	समाज रक्षा सेवाएं	0.02

1	2	3
7.	मद्य निषेध तथा नशीली दवा दुरूपयोग निवारण योजना	17.50
8.	गृहों को (शिशु गृह) की सहायता	1.00
	अल्पसंख्यक कल्याण	
1.	आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग योजना	2.50
2.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	41.00
	पिछड़ा वर्ग कल्याण	
1.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	47.00

[हिन्दी]

कृषि वैज्ञानिकों को पुरस्कार

2134. **श्री जयसिंह चौहान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि पुरस्कारों की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने वैज्ञानिकों को ऐसे पुरस्कार दिए जाने हैं तथा इन पुरस्कारों में पुरस्कारवार कितनी राशि प्रदान की जायेगी;

(घ) 1996 के लिए किन-किन कृषि वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिए जाने हैं;

(ङ) इन पुरस्कारों के अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों को ब्यौरा क्या है; और

(च) पुरस्कार हेतु वैज्ञानिकों के चयन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) निम्नलिखित 8 विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत भा.कृ.अ.प. के कुल 54 पुरस्कार 16 जुलाई, 97 को प्रदान किए गए हैं :

(i) सर्वश्रेष्ठ संस्थान पुरस्कार, 1996

(ii) 1996 में कृषि अनुसंधान उपयोग के लिए वसंतराव नाइक पुरस्कार

(iii) 1996 में उत्कृष्ट स्नातकोत्तर कृषि अनुसंधान के लिए जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार

(iv) उत्कृष्ट महिला कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार, 1996

(v) हरिओम आश्रम ट्रस्ट पुरस्कार, 1995-96

(vi) दल अनुसंधान 1994-95 के लिए भा.कृ.अ.प. पुरस्कार

(vii) कृषि अनुसंधान, 1995-96 के लिए भा.कृ.अ.प. युवा वैज्ञानिक पुरस्कार

(viii) कृषि और सम्बद्ध विषयों के क्षेत्र में हिन्दी में तकनीकी पुस्तकों के लिए डॉ० राजेन्द्र प्रसाद पुरस्कार, 1994-96

(ग) वैज्ञानिकों की संख्या एवं पुरस्कार की राशि निम्न प्रकार है:

(i) सर्वश्रेष्ठ संस्थान पुरस्कार, 1996
पुरस्कार की राशि : प्रत्येक के लिए एक लाख रु०
संस्थानों की संख्या : 3

(ii) 1996 में कृषि में अनुसंधान के उपयोग के लिए वसंतराव नाइक पुरस्कार :
पुरस्कार की राशि : एक लाख रु०
वैज्ञानिकों की संख्या : 1

(iii) उत्कृष्ट स्नातकोत्तर कृषि अनुसंधान, 1996 के लिए जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार
पुरस्कार की राशि : प्रत्येक के लिए 10000 रुपये
वैज्ञानिकों की संख्या : 19

(iv) सर्वश्रेष्ठ महिला कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार, 1996
पुरस्कार की राशि : 25000 रुपये प्रत्येक के लिए
वैज्ञानिकों की संख्या : 2

(v) अरिओम आश्रम ट्रस्ट पुरस्कार, 1995-96
पुरस्कार की राशि : 20000 रुपये प्रत्येक के लिए
वैज्ञानिकों की संख्या : 5 (7 सहायक)

(vi) दल अनुसंधान, 1994-95 के लिए भा.कृ.अ.प. पुरस्कार
पुरस्कार की राशि : 50,000 रुपये प्रत्येक के लिए
वैज्ञानिकों की संख्या : 8 (60 सहायक)

(vii) कृषि अनुसंधान, 1995-96 के लिए भा.कृ.अ.प. युवा वैज्ञानिक पुरस्कार
पुरस्कार की राशि : 10,000 रुपये प्रत्येक के लिए
वैज्ञानिकों की संख्या : 7

(viii) कृषि और सम्बद्ध विषयों के क्षेत्र में हिन्दी में तकनीकी पुस्तकों के लिए डॉ० राजेन्द्र प्रसाद पुरस्कार, 1994-96
पुरस्कार की राशि : 20,000 रुपये प्रत्येक के लिए
पुरस्कार पाने वालों की संख्या : 9 (7 सहायक)
पुरस्कार पाने वालों की कुल संख्या : 74
(128 सहायक)

(घ) सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) इन पुरस्कारों के अलावा भा.कृ.अ.प. द्वारा कृषि अनुसंधान के लिए दिये जाने वाले पुरस्कारों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(i) कृषि अनुसंधान के लिए रफी अहमद किदवई
स्मारक पुरस्कार : तीन वर्षों में एक बार
पुरस्कार की संख्या : 9
पुरस्कार की राशि : एक लाख रुपये
पुरस्कार की श्रेणियों की संख्या : 7

(ii) आदिवासी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कृषि अनुसंधान के लिए फखरुद्दीन अली अहमद पुरस्कार : दो वर्षों में एक बार
पुरस्कारों की संख्या : 2
पुरस्कार की राशि : रु0 50,000
पुरस्कार की श्रेणियों की संख्या : 2

(iii) श्रेष्ठ के.वी.के. (कृषि विज्ञान केन्द्र)
पुरस्कार : दो वर्षों में एक बार
पुरस्कारों की संख्या : 2
पुरस्कार की राशि : रुपये 50,000

(iv) उत्कृष्ट विस्तार वैज्ञानिक/कार्यकर्त्ता पुरस्कार - तीन वर्षों में एक बार।
पुरस्कारों की संख्या : 4
पुरस्कारों की राशि : 10,000/- रुपये

(v) उत्कृष्ट शिक्षक के लिए भा.कृ.अ.प. पुरस्कार - दो वर्षों में एक बार।
पुरस्कारों की संख्या : 8
पुरस्कार की राशि : 20,000/- रुपये
पुरस्कार की श्रेणियों की संख्या : 7

(च) यह पुरस्कार प्रदान करने के लिए चयन के संबंध में निर्धारित मानदंड भिन्न-भिन्न पुरस्कारों के लिए अलग-अलग है। उदाहरण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान पुरस्कार के लिए मानदंड निम्न प्रकार हैं :

(i) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रणाली के अन्तर्गत सभी संस्थाएं पात्र हैं।

(ii) किसी एक या एक से अधिक विषय में व्यावहारिक तथा मौलिक महत्व का उत्कृष्ट योगदान जो अनुसंधान के परिणाम प्राप्त किए गए पेटेंटों तथा विकसित की गई प्रौद्योगिकियों और उनके अपनाने की सीमा से परिलक्षित होता है।

(iii) उत्पादन वृद्धि, आयात, प्रतिस्थापना, निर्यात प्रोत्साहन तथा औद्योगिकीकरण के रूप में आर्थिक प्रभाव।

(iv) खाद्य तथा पोषण सुरक्षा के प्रति उपलब्धियाँ।

(v) परिस्थितिकी सुरक्षा के प्रति उपलब्धियां जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सके।

(vi) मानव संसाधन विकास में सफलताएँ।

(vii) अनुसंधान प्रशिक्षण तथा शिक्षा में नवीन तरीकों का प्रयोग एवं अन्तः संस्थानिक सम्पर्क।

(viii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/राज्य कृषि विश्वविद्यालय प्रणाली से बाहर के स्त्रोतों से अतिरिक्त निधियों का सृजन।

(ix) प्राप्त जानकारी तथा उसका प्रसार।

विवरण

पुरस्कार पाने वालों की सूची

1. सर्वश्रेष्ठ संस्थान पुरस्कार 1996	**पुरस्कारों की संख्या**	**पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता**
क. राज्य कृषि विश्वविद्यालय	1	सी.सी.एस.ह.कृ.वि., हिसार
ख. राष्ट्रीय संस्थान तथा राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र/प्रायोजना निदेशालय	2	(i) सी.आई.एफ.ए, भुवनेश्वर (ii) चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद
2. कृषि में अनुसंधान उपयोगों के लिए वसन्तराव नायक पुरस्कार,		1996 डॉ0 एस.डी. यूगाले
3. जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार, 1996		
विषय समूह	पुरस्कारों की संख्या	अन्तिम सिफारिश
1. फसल विज्ञान फसल सुधार	2	(i) डॉ0 ए.के. सरियाल, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली

			(ii) डॉ० ए.के. छाबड़ा, सी.सी.एस., ह.कृ.वि., हिसार तथा डॉ० (श्रीमती) एस.के. शर्मा, सी.पी.आर.एस., जालन्धर, संयुक्त पुरस्कार
2.	फसल संरक्षण सूक्ष्म जीव विज्ञान	2	(i) डॉ० पी.बी. मोहिते त.ना.कृ.वि., कोयम्बटूर
			(ii) डॉ० (श्रीमती) एच.के. ज्योति के.एस.एस आर.डी.आई., बंगलौर तथा डॉ० एम. कोचू बाबू, सी.पी.सी.आर.आई., कासरगोड़
3.	मृदा विज्ञान तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध तथा सत्य विज्ञान	2	(i) डॉ० एस.बी. गुप्ता, आई.जी.ए.यू., रायपुर (ii) डॉ० डी. बर्मन, भा.ध.था.अ.सं., झांसी
4.	बागवानी	2	(i) डॉ० (श्रीमती) पी.ए. वलसला के.ए.यू., वेल्लानिकारा
			(ii) डॉ० टी.एन. बालमोहन कृ.वि.के., त्रिचिरापल्ली।
5.	अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी (डेरी खाद्य तथा फसल की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी आदि)	2	(i) डॉ० सी.डी. दुराईराज त.ना.कृ.वि., कोयम्बटूर
			(ii) डॉ० डी.के. दास, उ.कृ.प्रौ.वि.वि., भुवनेश्वर
6.	पशु उत्पादन तथा पशु-चिकित्सा विज्ञान	3	(i) डॉ० परिमल राय टी.एन.वी. एंड ए.एस.यू, मद्रास
			(ii) डॉ० जे. साहू, सी.सी.एस.एच.ए.यू. हिसार
			(iii) डॉ० एन.एच. केलावाला, गु.कृ.वि., आनन्द
7.	मात्स्यिकी	1	(i) डॉ० सी.एम.के. नायर, के.ए.यू., कोच्चि।
8.	गृह विज्ञान सहित सामाजिक विज्ञान	2	(i) डॉ० डी.वी. सुब्बाराव दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
			(ii) डॉ० एस. सोमसुन्दरम त.ना.कृ.वि., त्रिचिरापल्ली तथा डॉ० (श्रीमती) के. अरूणा आ.प्र.कृ.वि., हैदराबाद, संयुक्त पुरस्कार

4. उत्कृष्ट महिला कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार, 1996

क्र. सं.	उम्मीदवार	
1.	डॉ० प्रेम दुरेजा, भा.कृ.अ.सं., पूसा	संयुक्त पुरस्कार
2.	डॉ० स्वर्णलता आर्य, सी.एस.डब्ल्यू.सी.आर.एंड टी.आई. चण्डीगढ़	

5. हरिओम आश्रम ट्रस्ट पुरस्कार, 1995-96 के पुरस्कार विजेता

		पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता
1.	फसल विज्ञान	1	(i) डॉ० एस. कन्नाइयन
2.	बागवानी	1	(ii) डॉ० वी.एस. कोरिकांतिमठ डॉ० एम.एन. वेणुगोपाल डॉ० राजेन्द्र डेगड़े डॉ० रविन्द्र मुल्गे

3. संसाधन प्रबन्ध	(iii) डॉ० डी. राम राव श्री यू. मुरलीधर	
4. पशु विज्ञान	(iv) डॉ० अमरेश कुमार तथा (v) डॉ० एस.के. द्विवेदी डॉ० एम.सी. शर्मा डॉ० डी. स्वरूप डॉ० एस. आर. शर्मा	संयुक्त पुरस्कार

6. वर्ष 1994-96 के लिए कृषि और संबंधित विषयों में बहु-विषयक उत्कृष्ट अनुसंधानों के लिए भा.कृ.अ.प. के दल पुरस्कार

फसल सुधार

1. डॉ० एच.एस. गुप्ता-दल प्रमुख

श्री ए.सी. शर्मा	डॉ० वी. महाजन
श्रीमती एस. सरदाना	श्री ए. पटनायक
डॉ० बी.के. शर्मा	सुश्री बी. महाचारली
डॉ० डी.के. पाण्डेय	

फसल सुधार

2. डॉ० मोहम्मद युनुस,-दल प्रमुख

डॉ० बी. यादव	श्री आर.एस. लाम्बा
डॉ० ए.एस. रेड्डु	डॉ० एस. आचार्य
डॉ० आर.बी. श्रीवास्तव	डॉ० एम.एस. सैनी
डॉ० एस.आर. वर्मा	डॉ० पी.के. वर्मा
डॉ० एस.के. सेठी	श्री वाई.पी. सोलंकी
डॉ० आर.पी. सिंह	डॉ० एम.एस. बेनीवाल
डॉ० आई.एस. पवार	डॉ० एस.एस. करवासरा
डॉ० एस.सी. शर्मा	डॉ० बी. राम
डॉ० आई. सिंह	श्री ए. गुप्ता
डॉ० आर.के. राणा	डॉ० (श्रीमती) शशि मदान
डॉ० एस. एस. ठांडा	डॉ० बी.डी. शर्मा
डॉ० वी.पी. सिंह	डॉ० आर.के. ननवाल
डॉ० एस.एस. ग्राख	डॉ० डी. सिंह

प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध

3. डॉ० जे.एस. सामरा-दल प्रमुख

श्री एस.पी. मित्तल	डॉ० वाई. अग्निहोत्री
श्री आर.सी. बंसल	डॉ० (श्रीमती) स्वर्ण लता आर्य

अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी

4. डॉ० मेथ्यू जार्ज-दल प्रमुख

डॉ० (श्रीमती) जी. पद्मजा	डॉ० एस.एन. मूर्ति
डॉ० एस.के. नन्दा	डॉ० पी. राजम्मा

बागवानी विज्ञान

5. डॉ० पी.एन. रवीन्द्रन-दल प्रमुख

श्री के. निर्मल बाबू	सुश्री गीता एस. पिल्लै
डॉ० (श्रीमती) के. रीमा	कु. सजीना ए.
डॉ० बी. शशि कुमार	सुश्री मिनी पी. मथाई
श्री. के. समसुद्दीन	श्री जोन सी. जकारिया
कु० मीनू दिवाकरन	श्रीमती मंजुला सी.

मास्स्यिकी

6. डॉ० निरंजन सारंगी-दल प्रमुख
   श्री एस.डी. राय — श्री आर. सुन्दरराजन
   श्री के. दौरइराज — डॉ० एस. माइकल राज

पशु-उत्पादन

7. डॉ० एस.एम. टोटे-दल प्रमुख
   डॉ० के.बी.सी. अप्पा राव — डॉ० एम. तनेजा

पशु-पोषण

8. प्रो० के. प्रधान-दल प्रमुख
   डॉ० एस.के. भाटिया — डॉ० (श्रीमती) साधना सिंह
   डॉ० एस. सिंह

7. भा.कृ.अ.प. युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 1995-96

क्र. सं.	समूह	पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता का नाम
1	2	3	4
1.	फसल विज्ञान (फसल सुधार और संरक्षण)	2	(i) डॉ० एच.के. चौधरी हि.प्र.कृ.वि.वि., पालमपुर (ii) डॉ० एस. मोहन कुमार त.ना.कृ.वि.वि., कोयम्बटूर
2.	मृदा विज्ञान, सस्य विज्ञान और कृषि वानिकी	2	(i) डॉ० राजेन्द्र डेगड़े, आई.आई.एस.आर, मादीकोरी (ii) शून्य
3.	बागवानी विज्ञान	1	(i) डॉ० देवव्रत सरकार के.आ.अ.सं., शिमला
4.	अभियांत्रिकी	1	(i) डॉ० राजेन्द्र सिंह, आई.आई.टी., खड़गपुर
5.	पशु विज्ञान	2	(i) डॉ० नव के. प्रहराज मुर्गीपालन प्रायोजना निदेशालय, राजेन्द्रनगर (ii) शून्य
6.	मास्स्यिकी और जल-जीव विज्ञान	1	शून्य
7.	सामाजिक विज्ञान और गृह विज्ञान	1	(i) डॉ० पी.एस. बिर्थल कृषि आर्थिकी और नीति अनुसंधान केन्द्र, पूसा

8. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद पुरस्कार 1994-96

1.	फसल विज्ञान	1	(i) डॉ० राम आसरे सिंह और डॉ० जगदीश चन्द्र भट्ट (ii) हरि शंकर सिंह

1	2	3	4
2.	मृदा और सस्य विज्ञान	1	(i) डॉ० कृष्ण कांत व्यास डॉ० सुखपाल चन्द भंडारी डॉ० शिवदयाल सिंह
3.	बागवानी	1	(i) नेमपाल सिंह प्रमोद जोशी
4.	अभियांत्रिकी	1	(i) डॉ० आर.पी. काचरू डॉ० प्रभात कुमार श्रीवास्तव
5.	पशु-स्वास्थ्य	1	(i) डॉ० प्रजभूषण भाटिया डॉ० प्रेम प्रताप सिंह चौहान
6.	पशु उत्पादन	1	(i) डॉ० वी.डी. मुदगल डॉ० के.के. सिंघल
7.	मात्स्यिकी	1	(i) डॉ० (श्रीमती) किरण दुबे
8.	सामाजिक विज्ञान	1	(1) डॉ० विजय पाल सिंह अरोड़ा

[अनुवाद]

खानों का बन्द किया जाना

2135. **श्री दादा साहूराव परांजपे** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला समाहर्ता द्वारा कोई निर्देश जारी किए गए हैं जिसके अनुसार मध्य प्रदेश के सतना जिले के जंगल क्षेत्र में आनेवाली सभी खानों को बन्द करने को कहा गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने 12.12.1996 के अपने आदेश द्वारा सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बगैर, वन-भूमि पर चल रही गैर-वनीकरण तथा खनन संबंधी सभी गतिविधियां समाप्त हो जाएं। राज्य वन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, जिला कलैक्टर द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रभागीय वन अधिकारी, सतना, को दिए गए निर्देशों पर वन विभाग ने अभी तक ऐसी 40 खदानें बन्द कर दी हैं।

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना वन भूमि पर गैर-वनीकरण संबंधी किसी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति की श्रेणियां

2136. **श्री तिलक राज सिंह** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति को चार श्रेणियों में विभक्त करने के बारे में राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए कोई स्वत: कार्रवाई करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) से (ङ) आन्ध्र प्रदेश सरकार से सूचना मांगी गई है और उसे सभा पटल पर रखा जाएगा।

[अनुवाद]

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एण्ड एलाइड फाइबर टैक्नोलॉजी

2137. **श्री बाजूबन रियान** :
श्री बादल चौधरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एण्ड एलाइड फाइबर टैक्नोलॉजी जूट और एलाइड रेशे के प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के लिए एक पथ प्रदर्शक संस्थान है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस संस्थान द्वारा प्राप्त मुख्य उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हाँ।

(ख) संस्थान की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

(1) कच्चे जूट की ग्रेडिंग करना जिसे भारतीय मानक ब्यूरो (आई.एस. 271-1975) द्वारा कच्चे जूट की क्वालिटी मूल्यांकन के लिए आधार के रूप में स्वीकार किया गया है।

(2) ग्रेडिंग उपकरणों (एड्स) जैसे ग्रेडिड जूट एलबम और जूट सैम्पल बक्सों का विकास।

(3) जूट उत्पादकों और जूट उद्योग के फायदे के लिए विशिष्ट कवकीय (फूंगल) कल्चर द्वारा निम्न स्तर की छाल वाले जूट की गुणवत्ता को बढ़ाना।

(4) जूट को तेजी से सड़ाने के लिए जीवाणविय कल्चर।

(5) शाखाओं (रेमी) की रासायनिक और सूक्ष्मजीवाणविक विधियों द्वारा गोंद रहित बनाना (डिगमिंग)।

(6) कम पानी में जूट को सड़ाने के लिए जूट रिबोनर मशीन का विकास।

(7) छोटे स्तर के जूट कताई संयंत्र का विकास।

(8) विभिन्न परीक्षण और संसाधन उपस्करों और औजारों जैसे गट्ठर शक्ति मापक (बंडल स्ट्रैंग्थ टेस्टर) वायु प्रवाह मापी (एयर फ्लो फाइननेंस मीटर), विद्युत घनत्व मापी (बल्क डेंसिटी मीटर) रंग और चमक मापी, धागे की बारीकी मापी (यार्न इवेरीनेस मीटर) यंत्र आदि का विकास।

(9) जूट पर आधारित/जूट पोलिप्रोपाइलिन ब्लेंडिड विभिन्न उत्पादों जैसे पुस्तकों की जिल्द बांधने वाले कपड़े, सजावटी कपड़े, यूनिपन कपड़े उच्च क्षमता वाले जूट के कपड़े, कालीन, "कैपलोन" कम्बल आदि का विकास।

(10) मूल्य बढ़ाने वाले उत्पादों के लिए (क) रैप कताई वाले (ख) ट्विन कताई वाले, और (ग) कोर कताई वाले सूत की प्रौद्योगिकी का विकास।

(11) केनाल लाइनिंग, कृषि पलवार के लिए उपयुक्त गैर-बुनाई वाली सामग्री का विकास और मृदा क्षरण को रोकने के लिए जूट का कपड़ा बनाना।

(12) जूट की डंडियों से पार्टिकल बोर्ड, गूदा और कागज बनाना।

चावल के निर्यात के कारण मूल्य वृद्धि

2138. **श्री टी. गोविन्दन :** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल के निर्यात के कारण घरेलू बाजार में मूल्य वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) सामान्य उपभोग के गैर-बासमती चावल का निर्यात होने से घरेलू बाजार में चावल के मूल्य में वृद्धि हो सकती है। गैर-बासमती चावल को प्रतिबन्धित सूची में रखने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

आन्ध्र प्रदेश को चक्रवात के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता का दुरुपयोग

2139. **श्री जी.ए. चरण रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश ने चक्रवात धनराशि का दुरुपयोग किया है;

(ख) यदि हाँ, तो चक्रवात के शिकार व्यक्तियों को राहत उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) इसमें से कितनी धनराशि चक्रवात के शिकार व्यक्तियों को वितरित की गई और अभी कितनी धनराशि राज्य सरकार के पास शेष है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को धनराशि, जो चक्रवात के शिकार व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराई गई थी, के प्रयोग के बारे राज्य सरकार से ब्यौरा प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाही की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) भारत सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश सरकार को अक्टूबर-नवम्बर, 1996 के चक्रवात के सिलसिले में राहत उपाय करने के लिए दिए गए धन के दुरुपयोग के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (च) भारत सरकार ने अक्टूबर-नवम्बर, 1996 के चक्रवातों के आने पर आन्ध्र प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 142.00 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए थे, जो 1996-97 के लिए राज्य आपदा राहत कोष में केन्द्रीय अंश के रूप में दिए गए 93.14 करोड़ रुपये के अतिरिक्त थे। राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार सारा धन इस्तेमाल हो चुका है।

वन क्षेत्र

2140. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किये गये एक अध्ययन के अनुसार केवल राजधानी का भूमिक्षेत्र ही हरा-भरा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस अध्ययन के अन्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) अध्ययन के निष्कर्षों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1995 के अनुसार दिल्ली में भौगोलिक क्षेत्र के 1.7 प्रतिशत क्षेत्र में वन आवरण है।

(ख) और (ग) वन आवरण के अन्तर्गत कुल 26 वर्ग कि. मी. में से 16 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में सघन वन हैं और 10 वर्ग कि. मी. क्षेत्र खुले वन हैं। वन आवरण के 1993 और 1995 के मूल्यांकनों के मध्य, वन आवरण में 4 वर्ग कि.मी. की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि पौधरोपण के कारण हुई है।

[हिन्दी]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों के फार्मों की उत्पादकता

2141. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की विभिन्न संस्थानों के पास हजारों एकड़ फार्म-भूमि है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हाँ, तो मंत्रालय इन फार्मों की उत्पादकता से संतुष्ट है;

(घ) यदि हाँ, तो कृषि और पशु चिकित्सा संस्थाओं के अंतर्गत कितनी एकड़ फार्म भूमि हैं और विगत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इन फार्मों में उत्पादित उत्पादों का ब्यौरा क्या है और इन फार्मों पर प्रतिवर्ष कितनी राशि व्यय की गई; और

(ङ) इन संस्थानों के लिए और अधिक साधन जुटाने के लिए ऐसे बड़े फार्मों का किस ढंग से उपयोग किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के पास 0.27 हैक्ट० से 2961 हैक्ट० तक भूमि है।

(ख) संस्थानों के नाम तथा उनके अनुसंधान फार्मों के क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अनुसंधान फार्मों की उत्पादकता सन्तोषजनक है।

(घ) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

(ङ) संसाधन पैदा करने के लिए बीज/रोपण सामग्री/प्रोटोटाइप के संवर्धन के लिए संस्थानों को आवर्ती निधि योजना प्रदान की जा रही है।

विवरण

अनुसंधान फार्मों का क्षेत्र तथा भा.कृ.अनु.प. के संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रय/प्रायोजना निदेशालयों की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम	स्थान	कुल क्षेत्र हैक्ट० में
1	2	3	4
संस्थान			
1.	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	मुम्बई	19.09
2.	केन्द्रीय खारे जल में जलजन्तु पालन संस्थान	मद्रास	65.39
3.	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान	पोर्ट ब्लेयर	98.63
4.	केन्द्रीय मरू क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	जोधपुर	1119.57
5.	केन्द्रीय पशु अनुसंधान संस्थान	इज्जतनगर	15.49
6.	केन्द्रीय अंतःस्थलीय प्रग्रहण मछली पालन अनुसंधान संस्थान	बैरकपुर	11.64
7.	केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान	मखदूम	302.00
8.	केन्द्रीय ताजे जल में जलजन्तु पालन अनुसंधान संस्थान	भुवनेश्वर	165.52
9.	कटाई के बाद की अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	लुधियाना	42.00
10.	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान	हिसार	667.75
11.	केन्द्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान	लखनऊ	146.00
12.	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	कोचीन	5.67
13.	केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान	भोपाल	92.00
14.	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान	नागपुर	176.08
15.	केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान	मुम्बई	123.00
16.	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान	श्रीनगर	60.00
17.	केन्द्रीय समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान	कोचीन	0.27

1	2	3	4
18.	केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान	कासरगौड़	390.54
19.	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	शिमला	549.70
20.	बारानी कृषि के लिए अनुसंधान संस्थान	हैदराबाद	376.48
21.	केन्द्रीय जूट एवं सम्बद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान	बैरकपुर	329.66
22.	केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान	कटक	102.20
23.	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान	अविकानगर	2961.02
24.	केन्द्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान	देहरादून	1260.70
25.	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान	करनाल	136.82
26.	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	राजामुंदरी	273.80
27.	केन्द्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान	तिरूवेन्द्रम	68.18
28.	गोवा के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान कॉम्पलैक्स	गोवा	53.26
29.	उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान काम्पलैक्स	शिलांग	22.19
30.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	नई दिल्ली	480.00
31.	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान	नई दिल्ली	7.47
32.	भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान	झांसी	535.00
33.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	बंगलौर	1014.60
34.	भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान	भोपाल	50.00
35.	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान	लखनऊ	190.55
36.	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान	कालीकट	129.78
37.	भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान	रांची	49.00
38.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	इज्जतनगर	1830.00
39.	भारतीय वलहन अनुसंधान संस्थान	कानपुर	84.00
40.	जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला	कलकत्ता	1.65
41.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंध अकादमी	हैदराबाद	50.00
42.	राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो तथा एन.आई.ए.जी.	करनाल	30.35
43.	राष्ट्रीय मछली आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो	लखनऊ	37.39
44.	राष्ट्रीय पादम आनुवांशिकी ससांधन ब्यूरो	नई दिल्ली	140.15
45.	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरा	नागपुर	19.19
46.	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	करनाल	557.74
47.	राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया संस्थान	बंगलौर	20.22
48.	गन्ना प्रजनन संस्थान	कोयम्बटूर	80.19
49.	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला	अल्मोड़ा	84.00

(राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान को राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो में शामिल कर लिया गया है)

राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र

50.	पूर्वी क्षेत्र के लिए जल प्रौद्योगिकी केन्द्र	भुवनेश्वर	69.37
51.	राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र (भारतीय पशु विज्ञान अनुसंधान संस्थान का अंश)	इज्जतनगर	आई.वी.आर. आई. में शामिल
52.	राष्ट्रीय प्याज और लहसुन अनुसंधान केन्द्र	गोवरा (नासिक)	40.00
53.	राष्ट्रीय मांस और मांस अनुसंधान केन्द्र	इज्जतनगर	आई.वी.आर आई. में शामिल
54.	राष्ट्रीय तेलताड़ अनुसंधान केन्द्र	इलुरू	62.30
55.	राष्ट्रीय शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान केन्द्र	भीमताल	4.40
56.	खेतिहर महिलाओं पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र	भुवनेश्वर	30.00
57.	राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र	हिसार	768.92
58.	राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र (राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान का अंश)	करनाल	(एन.डी.आर.आई. में शामिल)
59.	डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग अनुसंधान संस्थान	नई दिल्ली	आई.वी.आर. आई. में शामिल
60.	राष्ट्रीय कीट प्रबंध अनुसंधान संस्थान (फसल विज्ञान)	नई दिल्ली	4.50
61.	राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (फ.वि.)	नई दिल्ली	एम.बी.पी.जी. आर. में शामिल)
62.	राष्ट्रीय काजू अनुसंधान संस्थान	पुत्तूर	147.00

1	2	3	4
63.	राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केन्द्र	टाडांग	22.50
64.	राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र	त्रिची	36.00
65.	राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केन्द्र	जबलपुर	60.70
66.	राष्ट्रीय तोरिया और सरसों अनुसंधान केन्द्र	भरतपुर	40.00
67.	राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केन्द्र	बीकानेर	824.00
68.	राष्ट्रीय मरू बागवानी अनुसंधान केन्द्र	बिरांग	71.62
69.	राष्ट्रीय याक अनुसंधान केन्द्र	बीकानेर	124.58
70.	राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र	इन्दौर	56.70
71.	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र	पुणे	44.78
72.	राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र	जूनागढ़	100.00
73.	राष्ट्रीय खुम्बी अनुसंधान केन्द्र	सोलन	1.00
74.	राष्ट्रीय औषधीय और सुगंधीय पादप अनुसंधान केन्द्र	आनन्द	20.00
75.	राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र	झांसी	86.00
76.	राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केन्द्र	हैदराबाद	29.54
77.	राष्ट्रीय मींधू वर्गीय अनुसंधान केन्द्र	नागपुर	100.00
	प्रायोजना निदेशालय		
78.	जैविक नियंत्रण प्रायोजना निदेशालय	बंगलौर	0.86
79.	फसल प्रणाली प्रायोजना निदेशालय	मोदीपुरम	50.80
80.	चावल प्रायोजना निदेशालय	हैदराबाद	30.00
81.	मक्का प्रायोजना निदेशालय	नई दिल्ली	(भा.कृ.अ.सं. में शामिल)
82.	तिलहन प्रायोजना निदेशालय	हैदराबाद	58.50
83.	गेहूं अनुसंधान प्रायोजना निदेशालय	करनाल	38.04
84.	गोपशु प्रायोजना निदेशालय	मेरठ	12.14
			17690.18

गुजरात में चावल अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जाना

2142. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विशेषकर राज्य के जनजातीय, पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में चावल उत्पादक क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने राज्य में कोई चावल अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया है अथवा करने का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) गुजरात में चावल उगाने वाले पहाड़ी जनजातीय क्षेत्र छोटा उदयपुर और बालाशिनोर में स्थित हैं।

(ख) अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार प्रायोजना (भा.कृ.अ.प.) के तहत मुख्य चावल अनुसंधान केन्द्र गुजरात के खेड़ा जिले के नवगांव में स्थित है। राज्य सरकार के कृषि अनुसंधान केन्द्र व्यारा, नवसारी और वेरोल में स्थित हैं।

(ग) राज्य में और कोई अनुसंधान केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कृषि संबंधी नीति

2143. **श्री आर. साम्बासिवा राव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को उनके उत्पादों के लाभकारी मूल्य पर बेहतर विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आन्ध्र प्रदेश सरकार पर कोई व्यापक कृषि नीति प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने खाद्य पदार्थों के उत्पादन लक्ष्य को किस हद तक पूरा कर लिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई व्यापक कृषि नीति प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) 1995-96 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में खाद्यान्नों का वास्तविक उत्पादन 11.58 मिलियन टन होने का अनुमान है जबकि लक्ष्य 13.74 मिलियन टन का था। आन्ध्र प्रदेश में क्रियान्वयनाधीन कृषि विकास के लिए केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

1996-97 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में क्रियान्वित किए गए केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की सूची

क्र.सं	योजनाओं का नाम
1	2
1.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम - चावल
2.	गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास
3.	समेकित कपास विकास कार्यक्रम
4.	विशेष जूट विकास कार्यक्रम
5.	राष्ट्रीय वलहन विकास परियोजना
6.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
7.	पाम तेल विकास कार्यक्रम
8.	मक्का कार्यक्रम
9.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
10.	उर्वरकों का संतुलित एवं समेकित प्रयोग
11.	वर्षा सिंचित एवं निम्न उपभोग क्षेत्रों में उर्वरक प्रयोग का विकास
12.	जैव उर्वरकों के प्रयोग एवं विकास पर राष्ट्रीय परियोजना
13.	समेकित बीज विकास कार्यक्रम
14.	महत्वपूर्ण चिह्नित सब्जी फसलों के प्रमाणित बीज उत्पादन को सुचारू करना
15.	एन.एस.पी. - III
16.	समेकित कृमि प्रबंध केन्द्रों के अंतर्गत राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान
17.	कृमिनाशी अधिनियम कार्यान्वयन के अन्तर्गत राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान
18.	छोटे किसानों के बीच कृषि यंत्रीकरण का संवर्द्धन
19.	देश के अन्दर कृषकों का विनिमय
20.	कृषक-वैज्ञानिक अंतर्क्रिया
21.	राज्य भूमि उपयोग बोर्ड
22.	नदी-घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
23.	चिकित्सकीय एवं सुगंधित पौधों का विकास
24.	कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग
25.	व्यावसायिक पुष्पकृषि का विकास
26.	मशरूम का विकास
27.	उष्णकटिबंधीय शुष्क/शीतोष्ण क्षेत्र फलों का समेकित विकास
28.	काजू का समेकित विकास कार्यक्रम
29.	कन्द एवं मूल फसलों का विकास
30.	पाम का विकास
31.	सब्जियों का विकास
32.	कोको का समेकित विकास
33.	मसालों का समेकित विकास
34.	ताजा पानी मत्स्य फार्म
35.	खाराजल मत्स्य फार्म
36.	विकास एजेन्सियां
37.	मछुआरों का कल्याण
38.	लघु पत्तनों में मत्स्य पत्तन सुविधाएं
39.	प्रशिक्षण एंव विस्तार (मात्स्यिकी)
40.	तटीय समुद्री मात्स्यिकी
41.	समुद्री मत्स्यन विनिमय अधिनियम
42.	अन्तरदेशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी
43.	केन्द्रीय परियोजना एकक
44.	अन्तर्देशीय मछली विपणन
45.	भूमि विकास बैंकों के डिबेंचरों में निवेश
46.	गैर-अतिदेय कवर योजना
47.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये विशेष योजना

1	2
48.	बंद कुंए क्षतिपूर्ति कोष योजना
49.	महिला सहकारी संस्थाओं को सहायता
50.	कमजारे वर्गों की सहकारी संस्थाओं को सहायता
51.	समय पर रिपोर्ट करने की योजना
52.	फसल सांख्यिकी में सुधार
53.	फलों, सब्जियों और गौण फसलों के बारे में फसल अनुमान हेतु एजेंसी की स्थापना/नैदानिक अध्ययन
54.	पशुधन संगणना
55.	कृषि संगणना

सीधे भुगतान प्रणाली

2144. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने केरल में अपने सभी गोदामों में काम करने वाले आपने कार्मिकों के लिए सीधी भुगतान प्रणाली क्रियान्वित की है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य में मवेली-कार थाला-कुड़ी और वेस्ट डिल में इसे क्रियान्वित न करने के क्या कारण है; और

(ग) केरल के सभी गोदामों में सीधे भुगतान प्रणाली को कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस संबंध में कोई निश्चित समय बताना संभव नहीं है। कानूनी तौर पर, ठेका श्रम प्रणाली के अधीन श्रमिकों को काम पर लगाने के पद्धति में परिवर्तन करने की अनुमति है लेकिन ऐसा करना कई घटकों पर निर्भर करता है। ये घटक हैं: सक्षम सरकार अर्थात श्रम मंत्रालय द्वारा अधिसूचना का जारी किया जाना, ठेका श्रम (विनियम और निरस्त) अधिनियम, 1970 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के गोदामों/डिपुओं में ठेका श्रमिकों के रोजगार का निषेध। श्रम मंत्रालय ने अभी तक इस प्रयोजन के लिए सभी गोदामों को अधिसूचित नहीं किया है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर में व्याप्त स्थिति

2145. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन प्रधानमंत्री और कुछ अन्य मंत्रियों/अधिकारियों ने पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ आंतकवादी संगठनों के प्रतिनिधियों से हाल ही में देश से बाहर मुलाकात की और उनके साथ बातचीत की थी;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे आतंकवादी संगठनों के नाम क्या हैं जिनके साथ बातचीत हुई थी;

(ग) यह बातचीत कब और कहां हुई थी; और

(घ) इस बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के आईजक मुईवाह गुट के साथ बातचीत हुई है।

(ग) इस अवस्था में ऐसे ब्यौरे बतलाना जनहित में नहीं है।

(घ) प्रधानमंत्री ने 25 जुलाई, 1997 को संसद के दोनों संदनों में दिए गए वक्तव्य में, अन्य के साथ-साथ सूचित किया कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के आईजक मुईवाह ग्रुप के साथ वार्ताओं के बाद, 1 अगस्त, 1997 से तीन माह के लिए संघर्ष रोकने तथा राजनैतिक स्तर पर बातचीत शुरू करने पर अब सहमति हुई है।

[अनुवाद]

वन्य जीव अभयरण्य

2146. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने वन्यजीव अभ्यारण्यों में धार्मिक स्थल हैं;

(ख) क्या वहां तीर्थयात्रियों तथा वाहनों की भीड़भाड़ के कारण इन अभयारण्यों के वन्य जीवों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संदर्भ में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाए किए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) सूचना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

कुमको के श्रमिक

2147. **श्री सौम्य रंजन** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत स्थिति कुमको कंपनी में कार्य कर रहे उड़िया श्रमिकों की सेवा समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन श्रमिकों की नौकरी बहाल करने के संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्देश दिया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुभको की सूरत सहित कुछ इकाइयां बंद हो गई हैं;

(च) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार ने एक विशेष उड़िया समुदाय के श्रमिकों की सेवाएं नियमित करने के लिए कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है; और

(ज) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) गुजरात उच्च न्यायालय ने फरवरी, 1994 में आदेश दिया था कि यूरिया बैगिंग ठेका किसी अन्य को अवार्ड किये जाने की स्थिति में भी पिछले ठेकेदार द्वारा नियोजित ठेका मजदूरों की सेवा जारी रहेगी। इन अनुदेशों को कार्यान्वित किया गया है।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

(छ) और (ज) उनको नियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि वे ठेकेदार के कर्मधारी हैं।

आंध्र प्रदेश में अमोनिया और यूरिया संयंत्र

2148. **डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.सी.एल. पोलिएस्टर लिमिटेड ने 1600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आंध्र प्रदेश में अमोनिया और यूरिया संयंत्र स्थापित करके उसे उर्वरक उद्योग में बदलने के लिये योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना की वार्षिक स्थापित क्षमता कितनी है;

(ग) क्या इस परियोजना की स्थापना के लिए किसी स्थान का चयन किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ) डी.सी.एल. पोलिएस्टर लि., हैदराबाद ने पेड्डापुरम, आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में प्रतिदिन 2200 टन यूरिया का उत्पादन करने हेतु 1600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नेफ्था पर आधारित अमोनिया-यूरिया संयंत्र की स्थापना करने के लिए एक परियोजना तैयार की है।

इफ्को द्वारा किसानों को मुआवजा

2149. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपजाऊ भूमि में अपरिष्कृत रासायनिक अपशिष्ट के फैल जाने के कारण किसानों की भूमि अनुपजाऊ हो गई है और इसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में किसान बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) क्या फूलपुर स्थित ''इफ्को'' संयंत्र ने प्रभावित किसानों को उचित नकद मुआवजा देने के अलावा इनके पुनर्वास हेतु इन्हें किसानों के रूप में पंजीकृत करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन किसानों को ठेकेदार के रूप में पंजीकृत करते हुए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार अपरिष्कृत रासायनिक अपशिष्ट के फैल जाने के कारण इफ्को, फूलपुर संयंत्र के आसपास कोई उपजाऊ भूमि अनुपजाऊ नहीं हुई है। 1994 से इफ्को फूलपुर संयंत्र द्वारा कोई निस्राव नहीं छोड़े गये हैं क्योंकि इसका लगभग पूर्णतः शोधन किया जा रहा है और आन्तरिक उपयोग हेतु रिसाइकल किया जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सशस्त्र बलों की भूमिका

2150. **श्री बृजभूषण तिवारी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ रहे सुरक्षा बलों तथा अन्य एजेंसियों की भूमिका को परिभाषित करने का है;

(ख) क्या पंजाब पुलिस के भूतपूर्व महानिदेशक ने इस आशय की कोई मांग की है तथा प्रधानमंत्री को इस संबंध में कोई पत्र लिखा है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस मुद्दे पर कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) इस देश, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही सशस्त्र सेनाओं तथा दूसरी एजेंसियों की भूमिका पहले ही, विद्रोह विरोधी-ऑपरेशन चलाने तथा राज्य सरकारों के घनिष्ठ सहयोग से लोगों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने वालों के रूप में परिभाषित की गई है।

(ख) और (ग) जी हाँ, श्रीमान्। दिए गए विभिन्न सुझावों पर अंतिम निर्णयों के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

बैंक घोटाले तथा एल.टी.टी.ई. के बीच सांठ-गांठ

2151. **श्री ए. सम्पत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसूचना ब्यूरो को इंडियन बैंक घोटाले तथा श्रीलंका के एल.टी.टी.ई. को धन दिए जाने का आपस में संपर्क होने का पता चला है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आसूचना ब्यूरो की रिपोर्ट पर ध्यान देकर इस दिशा में कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) आसूचना ब्यूरो को इंडियन बैंक घोटाले में श्रीलंका के एल.टी.टी.ई. को धन दिए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए इस बारे में आसूचना ब्यूरो द्वारा मंत्रालय को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते हैं।

दिल्ली दुग्ध योजना

2152. **श्री एल. रमना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना का वर्तमान वितरण स्तर क्या है;

(ख) प्लास्टिक की थैलियों की खराब गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए दूध के लीक होने के कारण कितनी बरबादी होती है;

(ग) अच्छी गुणवत्ता वाली थैलियों के इस्तेमाल तथा उत्तर-पश्चिमी दिल्ली की दूर-दराज कालोनियों में वितरण नेटवर्क के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार किया गया है; और

(घ) उत्पादन को और बढ़ाने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना के आधुनिकीकरण के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) दिल्ली दुग्ध योजना का दूध का वर्तमान वितरण स्तर 3.3 लाख लीटर प्रतिदिन है।

(ख) प्लास्टिक बैगों के लीक होने के कारण औसतन 100 लीटर दूध बेकार हो जाता है। तथापि, यह बेकारी वोल्टेज के उतार चढ़ाव मशीन की खराबी आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजहों से होती है।

(ग) लीक होने वले पाउचों का प्रतिशत केवल 0.5 है जो कि नगण्य है। इस समय दिल्ली दुग्ध योजना उत्तर-पश्चिम दिल्ली में स्थिति 421 दुग्ध बूथों के जरिए दूध की आपूर्ति कर रहा है। तथापि, उत्तर-पश्चिम दिल्ली के दूर-दराज के क्षेत्रों में जहां पर गरीब लोग रहते हैं को शामिल करते हुए नये दुग्ध बूथ खोले जा रहे हैं।

(घ) आवश्यकतानुसार अप्रचलित संयंत्रों तथा मशीनरी को बदलकर दिल्ली दुग्ध योजना का लगातार आधुनिकीकरण किया जा रहा है। दिल्ली दुग्ध योजना इस समय स्थापित क्षमता से कम स्तर पर कार्य कर रही है।

विशाल झींगा पालन

2153. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ''जम्बो प्रान कल्टीवेशन'' पर दो सदस्यीय दल के प्रतिवेदन की जांच की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस दो सदस्यीय दल के प्रतिवेदन में उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत पिछले सभी प्रतिवेदनों को अस्वीकार करने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उच्चतम न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) यद्यपि सरकार के ध्यान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है; लेकिन तमिलनाडु एवं आन्ध्र प्रदेश में तटीय क्षेत्रों में झींगा कृषि कार्यकलापों के पर्यावरण पर प्रभाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों के आंकलन पर एक रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त की गई है। जिसे केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई एवं केन्द्रीय पिछलाजल जलकृषि संस्थान, चेन्नई के 10 विशेषज्ञों के संयुक्त दल ने तैयार किया है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष हैं कि झींगा पालन कार्यकलापों से होने वाले लाभ इससे पर्यावरण पर होने वाले ऋणात्मक प्रभावों से कहीं ज्यादा है। एवं झींगा पालन पर विपरीत प्रभाव डालने वाली कोई भी कार्रवाई तटीय क्षेत्रों में वर्तमान ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से छिन्न-भिन्न कर देगी। इस अध्ययन से भी यह संकेत मिलता है कि झींगा पालन के दुष्प्रभाव अत्यंत क्षीण प्रकृति के हैं एवं उन्हें आसानी से समाप्त किया जा सकता है।

(ग) और (घ) सर्वोच्च न्यायालय में उसके 11.12.96 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए एक याचिका दायर की गई है। यह मामला अभी न्यायालय के अधीन है।

विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

2154. **श्री छत्तर सिंह दरबार :**
श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री राजकेशर सिंह :
श्री के.एस. रायुडु :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार किसी योजना के अंतर्गत विकलांग/पूर्णतः निःशक्त व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) केन्द्र सरकार की नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के लिए बनाये गये प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विकलांग व्यक्तियों और अशक्त व्यक्तियों के लिये सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण के प्रावधान की सरकार के सभी मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जा रहा है;

(च) यदि हाँ, तो गत एक वर्ष के दौरान ऐसे कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी और बचे हुए कोटे में से कितने प्रतिशत की भर्ती अभी की जानी है;

(छ) क्या विकलांगों के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कर दी गयी है; और

(ज) यदि हाँ, तो नियुक्ति किस तारीख को की गयी और यदि नहीं तो फरवरी, 1996 से इस पद को न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग) विकलांग व्यक्तियों को कौशल विकास के लिए अवसर प्रदान करने और स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना करने हेतु आसान शर्तों पर ऋण सहायता प्रदान करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम दिनांक 24.1.97 को पंजीकृत किया गया है।

(घ) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के अनुसार केन्द्र सरकार से विकलांग व्यक्तियों अथवा उनके वर्गों को प्रत्येक प्रतिष्ठान में कम से कम तीन प्रतिशत रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। इनमें से (1) दृष्टिहीनता अथवा कम दृष्टि, (2) श्रवण विकलांगता, (3) चलन विकलांगता अथवा प्रमस्तिष्क अंगघात प्रत्येक से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रत्येक विकलांगता में पहचान किए गए पदों में एक-एक प्रतिशत आरक्षण होगा।

(ङ) से (च) अपेक्षित सूचना संबंधित मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मांगी गई है।

(छ) और (ज) राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त की नियुक्ति दिनांक 5.6.97 के सरकारी आदेश के तहत की गई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत "मोबाईल वैन"

2155. **श्री पृथ्वीराज वा0 चव्हाण** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पर्वतीय और दूर-दराज के क्षेत्रों में आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति तथा खाद्य आपूर्ति के वितरण हेतु "मोबाईल वैन" योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना को राज्यवार कहां तक सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान और आज तक मोबाईल वैन की खरीद हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या कुछ राज्य इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) तत्कालीन सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में 103295 उचित दर दुकानों में से 52932 उचित दर दुकानों को "डोर-स्टेप डिलीवरी स्कीम" के दायरे में लाया गया है। "डोर-स्टेप डिलीवरी स्कीम" के अंतर्गत जितनी उचित दर दुकानों को लाया गया है। उनकी राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण - I में दी गई है।

(ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत मोबाईल वैनों/ट्रकों की खरीद के लिए वर्ष 1997 के दौरान (31.7.1997 तक) दी गई वित्तीय सहायता की राज्य-वार जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) जी हाँ। वर्ष 1997 के दौरान (31.7.1997 तक) केवल 7 राज्यों ने इस स्कीम के अधीन वित्तीय सहायता का लाभ उठाया है। इसके मुख्य कारण हैं - प्रस्तावों को प्रस्तुत न करना, इस स्कीम के अधीन विगत में मंजूर हुई सहायता का इस्तेमाल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर प्रस्तावों का रद्द होना और वित्तीय वर्ष 1996-97 की अंतिम तिमाही में सीमित बजट व्यवस्था का उपलब्ध होना।

विवरण - I

तत्कालीन सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में आने वाली उचित दर दुकानों और इसकी ''डोर-स्टेप डिलीवरी स्कीम'' के दायरे की राज्यवार जानकारी देने वाला विवरण

क्रम. संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रो में उचित दर दुकानों की कुल संख्या	डोर-स्टेप प्रणाली के अधीन उचित दर दुकानों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8233	8233
2.	अरुणाचल प्रदेश	928	928
3.	असम	4117	4117
4.	बिहार	9402	1854
5.	गुजरात	4738	776
6.	हरियाणा	2132	2132
7.	हिमाचल प्रदेश	171	64
8.	जम्मू और कश्मीर	642	10
9.	कर्नाटक	8185	8142
10.	केरल	1530	1515
11.	मध्य प्रदेश	7575	7575
12.	महाराष्ट्र	13755	2500
13.	मणिपुर	604	604
14.	मेघालय	3839	-
15.	मिजोरम	957	180
16.	नागालैंड	269	-
17.	उड़ीसा	9444	-
18.	राजस्थान	9257	9234
19.	सिक्किम	253	54
20.	तमिलनाडु	2365	1282
21.	त्रिपुरा	517	-
22.	उत्तर प्रदेश	10298	3630
23.	पश्चिम बंगाल	3840	-
24.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	67	67
25.	दादर और नगर हवेली	71	-
26.	दमन और दीव	71	-
27.	लक्षद्वीप	35	35
	जोड़	103295	52932

विवरण-II

केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन वर्ष 1997 (1.1.97 से 31.7.97) के दौरान मोबाईल वैनों/ट्रकों की खरीद हेतु मंजूर की गई राज्यवार वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए लाख में)

क्रम संख्या	राज्य	रकम
1.	आंध्र प्रदेश	56.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	38.64
3.	जम्मू और कश्मीर	26.27
4.	केरल	32.00
5.	मध्य प्रदेश	80.00
6.	महाराष्ट्र	80.00
7.	मिजोरम	35.8
	जोड़	347.99

पुलिस और अपराधियों के बीच सांठ-गांठ

2156. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 मई, 1997 के ''जनसत्ता'' दिल्ली संस्करण में प्रकाशित ''पचास हजार रुपए हर रोज डकार जाती है दिल्ली पुलिस'' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) जी हाँ, श्रीमान। तथापि, दिल्ली पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच पड़ताल से, न तो पुलिस द्वारा मारे गऐ छापे के दौरान संबंधित डीलर के परिसरों से जब्त किए गए धन के एक अंश के गबन का आरोप और न ही लाटरी टिकटों के डीलरों को विवश करके स्थानीय थाने के थाना प्रभारी को कोई अवैध घूस अदा करने का आरोप सत्य सिद्ध हुआ है।

खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को डंप किया जाना

2157. **श्री मधुकर सरपोतदार :**
श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे :
डॉ० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को अन्य देशों में भेजे जाने संबंधी बासेल अधिवेशन का उल्लंघन करते हुए आस्ट्रेलियाई खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों (कोपर ऐश, लैड अपशिष्ट तथा स्क्रेप, जिंक अपशिष्ट तथा स्क्रैप आदि) को भारत में डम्प किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बासेल अधिवेशन को स्वीकार करने के पश्चात् भारत में कुल कितनी मात्रा में इस प्रकार के खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को डम्प किया गया है;

(घ) क्या सरकर ने सम्बद्ध देशों के साथ इस मामले को उठाया है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) सरकार द्वारा इन खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, नहीं। परिसंकटमय अपशिष्टों के सीमापारीय आवाजाही के नियंत्रण और उनके निपटान संबंधी बेसल कन्वेंशन, 1989 के उल्लंघन में भारत में परिसंकटमय अपशिष्टों का ढेर नहीं लगाया जा रहा है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) परिसंकटमय अपशिष्टों का आयात, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989 के नियम, 11 के तहत विनियमित किया जाता है। इन नियमों के अनुसार, किसी भी देश से भारत में परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात की अनुमति ढेर लगाने तथा निपटान के लिए नहीं दी जाती है।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस कर्मियों को राशन भत्ता

2158. **श्री हरिवंश सहाय :**
कुंवर सर्वराज सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली पुलिस कर्मियों को राशन भत्ता दिए जाने संबंधी मांग पर विचार कर रही है अथवा इस पर विचार किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) यह मामला पांचवें वेतन आयोग को भेजा गया था परन्तु आयोग दिल्ली पुलिस के कार्मिकों को राशन भत्ता प्रदान करने के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस के कुछ कार्मिकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका दायर की है जिसमें दिल्ली पुलिस के कार्मिकों को राशन मनी स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। मामला विचाराधीन है। तथापि, दिल्ली पुलिस से अपनी मांग के औचित्य में एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ताकि सरकार इस मामले की व्यापक रूप से जांच कर सके।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

2159. **श्री शिवराज सिंह :**
श्री महावीर लाल विश्वकर्मा :
श्री दत्ता मेघे :
श्री विश्वेश्वर भगत :
श्री पवन दीवान :
श्री राम कृपाल यादव :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका राज्यवार तथा स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर अनुमानतः कितना व्यय होगा तथा इन उद्योगों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में किसी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना नहीं

करता। लेकिन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विकासात्मक योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकार के संगठनों, संयुक्त क्षेत्र/सहायता प्राप्त क्षेत्र की परियोजनाओं, सहकारिताओं, स्वयंसेवी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों आदि को वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1997-98 के दौरान इन स्कीमों के लिये योजना परिव्यय 60 करोड़ रुपये है। हमारी स्कीमें परियोजना विशेष होती हैं न कि क्षेत्र अथवा राज्य विशेष।

[अनुवाद]

आम दवाइयों की कीमतें

2160. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ आम दवाइयों की थोक कीमतों और खुदरा कीमतों में भारी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या करण हैं; और

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अठणाचलम) : (क) प्रतिस्पर्धा के माहौल में कम्पनियां औषधों तथा दवाइयों के थोक विक्रेताओं/ खुदरा विक्रेताओं को काफी छूट की पेशकश करती हैं ताकि अधिकांश बाजार भाग को हथिया सकें जिसके परिणाम स्वरूप दो मूल्यों में अन्तर हो जाता है।

(ख) वर्तमान औषध नीति के अन्तर्गत दवाइयों का लगभग 50 प्रतिशत कीमत नियंत्रण के अधीन है। जबकि इन उत्पादों को सरकार द्वारा अधिसूचित कीमत पर बेचा जाता है, लेकिन गैर अनुसूचीबद्ध सूत्रयोगों के मामले में कम्पनियां अपनी कीमतें स्वयं निर्धारित करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

(ग) कीमत नियंत्रण से बाहर दवाइयों के लिए जबभी आम प्रयोग की औषधों की कीमत में असामान्य कीमत वृद्धि नोटिस में आती है और यदि यह वृद्धि अनुचित होती है तो डी पी सी ओ के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन/आयात

2161. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जीवनरक्षक औषधियों की संख्या, नाम, घरेलू उत्पादन आवश्यकता, आयात तथा खुदरा मूल्यों संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए रुग्ण भारतीय औषधि तथा भेषज लिमिटेड को पुनर्जीवित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम॰ अठणाचलम) : (क) प्रपुंज औषधों आदि के उत्पादन, आयात, निर्यात संबंधी ब्यौरे रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के 'इण्डियन ड्रग्स स्टेटिसटिक्स' नामक वार्षिक प्रकाशन में दिए गए हैं जिसकी प्रतियां संसद ग्रंथागार में उपलब्ध हैं।

(ख) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० (आई डी पी एल) के भविष्य का मुद्दा सरकार के विचाराधीन है और निर्णय शीघ्र लिए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

स्वरोजगार योजनाएं

2162. **श्री नवल किशोर राय:**
श्री नीतीश कुमार:

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब के लुधियाना जिले में कुछ ब्लाकों को अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार हेतु ऋण देने के लिए चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो किन ब्लाकों को चुना गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत देश के अन्य राज्यों में भी ब्लाकों का चयन किया है;

(घ) यदि हां, तो अब तक चुने गए राज्यों और ब्लाकों के नाम क्या हैं; और

(ङ) ब्लाकों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां। लुधियाना जिले में अनुसूचित जातियों को स्वरोजगार के लिए ऋण दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, लुधियाना जिले में अल्पसंख्यकों को ऋण देने के लिए किसी ब्लाक को नहीं चुना गया है।

(ख) मंत्रालय में ब्लाक-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ग) इस योजना के अंतर्गत ब्लाकों के चयन में केन्द्र सरकार शामिल नहीं है। वास्तविक आवश्यकता, परियोजना की किस्म, प्राथमिकता क्षेत्रों आदि को ध्यान में रखते हुए जिला/ब्लाक स्तर पर लाभग्राहियों की पहचान करने के लिए यह योजना राज्य स्तरीय माध्यम एजेंसियों के द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केन्द्र सरकार ब्लाक-वार राशि निर्मुक्त नहीं करती है। अतः उक्त के लिए मानदंडों का प्रश्न नहीं उठता।

गेहूं और चावल की कीमतों में वृद्धि

2163. **श्री पंकज चौधरी:**
श्री श्याम लाल बंशीवाल:
श्री बृज भूषण तिवारी:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विशेषकर दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं और चावल की कीमतें बढ़ा दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां। गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में 1.6.97 से वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने भी इन जिन्सों की कीमतों में 1.6.1997 से वृद्धि की है।

(ख) केन्द्रीय निर्गम मूल्य में तीन वर्षों के बाद वृद्धि की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों की वसूली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में तीन बार वृद्धि की गई थी जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय बजट में फूड सब्सिडी के लिए काफी वृद्धि करनी पड़ी थी और केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में संशोधन करना जरूरी हो गया था। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 1.6.1997 से शुरू होने पर गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए और गरीबी की रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य अलग-अलग निश्चित किए गए हैं। संशोधन से पूर्व और बाद के केन्द्रीय निर्गम मूल्य इस प्रकार से हैं:

केन्द्रीय निर्गम मूल्य (रुपए प्रति क्विंटल)

	गेहूं	चावल		
		साधारण	बढ़िया	उत्तम
1.2.1994 से	402	537	617	648
1.6.1997 से				
गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए	250	350	350	-
गरीबी की रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए	450	-	650	750

केन्द्रीय निर्गम मूल्य में हुई वृद्धि के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने भी उचित दर दुकानों के स्तर पर निर्गम मूल्यों में वृद्धि कर दी है। क्योंकि दिल्ली में अभी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू होनी है, इसलिए गरीबी की रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए राज्य सरकार को खाद्यान्न केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने उचित दर दुकानों के स्तर पर निर्गम मूल्यों में तदुनरूपी वृद्धि की है जो निम्न प्रकार से है:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा तय की गई कीमतें

(रुपए प्रति क्विंटल)

	गेहूं	चावल		
		साधारण	बढ़िया	उत्तम
1.2.94 से	427	-	-	690
1.6.97 से	500	-	-	800

[अनुवाद]

उल्फा कार्यकर्त्ता और बोड़ो उग्रवादी

2164. **श्री वेंकट स्वामी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में गत चार माह के दौरान कितने कट्टर उल्फा कार्यकर्त्ता और बोड़ो उग्रवादी गिरफ्तार किये गये और उनसे बरामद किये गये हथियारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उग्रवादियों द्वारा कितने हमले किये गये और इन हमलों में कितने लोग मारे गये;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस क्षेत्र में सेंना की चौकसी के बावजूद उग्रवादियों ने नागालैंड के उग्रवादियों की ही तरह लोगों से कर वसूलने की योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) असम की सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अप्रैल, 1997 से 18 जुलाई, 1997 तक की अवधि के दौरान गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की संख्या 359 है उनके पास से विभिन्न श्रेणियों के कुल 40 हथियार बरामद किए गए हैं।

(ख) असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, उपर्युक्त अवधि के दौरान उल्फा व बोड़ो उग्रवादियों द्वारा पुलिस/सुरक्षा बलों/सेना इत्यादि पर किए गए हमलों की संख्या 40 है, जिसके कारण 31 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

(ग) और (घ) उग्रवादियों के लूट-खसोट अभियान को रोकने के लिए, सरकार ने उग्रवादियों को पकड़ने के उपायों में और वृद्धि की है। इस संबंध में उठाये गऐ कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य में अर्द्ध-सैनिक बलों व सेना की तैनाती, विद्रोही-विरोधी आपरेशनों के लिए सेना, अर्द्ध-सैनिक बलों व राज्य पुलिस द्वारा समन्वित कार्रवाई, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत यूनाईटेड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा), नेशनल डेमोक्रेट्रिक फ्रंट आफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी) तथा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड (एन एस सी एन आई) को गैर कानूनी संगठन घोषित करना शामिल है। स्थिति की राज्य तथा केन्द्रीय सरकार दोनों स्तरों पर नियमित समीक्षा की जा रही है।

भारत का संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में भाग लेना

2165. **प्रो. पी.जे. कुरियन:**
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने पांच वर्ष पूर्व हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन के अनुवर्ती सम्मेलन के रूप में न्यूयार्क में हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने विश्व का तापमान बढ़ने और ओजोन के क्षेत्र में कमी होने, उसके परिणाम का प्रश्न विकसित देशों के साथ उठाया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रस्ताव पारित किये गये;

(घ) उसका देश में औद्योगीकरण और विकास कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ङ) क्या विकसित देशों ने विकासशील देशों को कुछ सहायता प्रदान की है;

(च) यदि हां, तो भारत को कितनी राशि प्राप्त हुई;

(छ) क्या इस सम्मेलन में पर्यावरण क्षेत्र के बारे में कोई समझौता नहीं हो पाया; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ज) कई अन्य विकासशील देशों के शिष्टमंडलों सहित भारतीय शिष्टमंडल ने पृथ्वी के गरम होने और ओजोन ह्रास का प्रश्न उठाया और विकसित दशों से की गई इस अपेक्षा पर जोर दिया कि वे संबंधित कन्वेशनों द्वारा उन पर लगाई गई बाध्यताओं का निर्वाह करें तथा विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय संसाधनों का पर्याप्त अंतरण सुनिश्चित करें। इन मुद्दों के अंतिम निष्कर्ष में इस बात को स्वीकार किया गया है कि कई विकासशील देशों ने 2000 के अन्त तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तरों पर लाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में पर्याप्त प्रगति नहीं की और ऐसे देशों को अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह भी सुनिश्चित किया गया कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संबंध में विकासशील देशों पर फिलहाल कोई बाध्यता न लगाई जाए। तथापि, कई देश इस संबंध में अपने आप को अभी तैयार कर रहे हैं और इसकी आगामी पुनरीक्षा इस वर्ष के अन्त में जलवायु परिवर्तन संबंधी कन्वेंशन के पक्षकार देशों के सम्मेलन के तीसरे सत्र में की जायेगी। ओजोन ह्रास के मुद्दे पर भी चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया था कि मांट्रियल प्रोटोकोल को सुदृढ़ किया जाए।

विश्व पर्यावरण सुविधा, मांट्रियल बहुपक्षीय कोष आदि जैसे विभिन्न बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से समुचित वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। दानदाता देशों से नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन मुहैया कराने का आग्रह किया गया था। पृथ्वी के गरम होने और ओजोन ह्रास से संबंधित परियोजनाओं के लिए भारत के वास्ते अब तक 100 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक की निधियां मंजूर की गई हैं।

[हिन्दी]

बिजली का घटिया सामान

2166. **श्री राम टहल चौधरी:** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बड़े पैमाने पर घटिया सामान विशेषरूप से बाजार में उपलब्ध बिजली का सामान जो कि उपभोक्ताओं के लिए हानिकर है, के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा घटिया सामान की दरों पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भारतीय मानक ब्यूरो ने गत दो वर्षों के दौरान ऐसे घटिया सामान विशेषरूप से बिजली के सामान की बिक्री को बंद करने के लिए छापे मारे हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) बिजली के सामानों सहित घटिया किस्म की चीजों की बिक्री के कुछ उदाहरण भारतीय मानक ब्यूरो के ध्यान में लाए गए हैं।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो की स्वैच्छिक प्रमाणन स्कीम के अंतर्गत लाइसेंस धारकों को उत्पादों की भारतीय मानकों के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करनी होती है। निगरानी कार्य के एक हिस्से के रूप में, भारतीय मानक ब्यूरो परीक्षण के लिए बाजार से "मानक चिन्ह" वाले सामान को खरीदता है। यदि नमूने को मानकों की अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं पाया जाता है, तो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के संगत उपबंधों के अंतर्गत विनिर्माताओं के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। तथापि, वाटर हीटर, इस्तरी, स्टोव तथा रेडियेटर्स जैसे बिजली के घरेलू सामान अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत आते हैं और उन्हें "आई.एस.आई." चिन्ह् के बिना बेचा नहीं जा सकता। संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा संगत गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत अनिवार्य प्रमाणन को कार्यान्वित न किए जाने के खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

(ग) और (घ) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मारे गए छापों का राज्य-वार विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1995-96 और 1996-97 के दौरान मारे गए छापों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	कंपनी का नाम	उत्पाद	राज्य
1	2	3	4
1.	कामाक्षी इन्टरप्राइजेज, विजयवाडा	स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर	आंध्र प्रदेश
2.	बनारसी दास एण्ड कम्पनी, दिल्ली	एम.एस. ट्यूब्स	दिल्ली
3.	मेस इण्डस्ट्रीज, दिल्ली	गैस स्टोव्स	दिल्ली
4.	कृष्णा वाटर मीटर, दिल्ली	वाटर मीटर	दिल्ली
5.	गाजीपुर डेयरी फार्म एरिया, दिल्ली	सीमेंट	दिल्ली
6.	दौलत राम गुप्ता, समालखा	सीमेंट	हरियाणा
7.	पराक्सीज इंजीनियर प्रा. लि. सहारनपुर	इलैक्ट्रिक आयरन एण्ड मिक्सचर	हरियाणा
8.	अशोक लैम्पस/स्टेलर लैम्पस, बंगलौर	जी.एल. लैम्पस	कर्नाटक
9.	रेखा सीमेंट एण्ड केमिकल्स, गुलबर्ग	सीमेंट	कर्नाटक
10.	ट्रेडर्स ऑफ एम.एस.ट्यूब्स इन पूणे	एम.एस पाइपस	महाराष्ट्र
11.	चन्द्रकान्त एण्ड कं., बम्बई	अग्निशामक	महाराष्ट्र
12.	एम्स फूड प्रोडक्ट्स, बम्बई	कॉर्न फ्लेक्स	महाराष्ट्र
13.	क्लासिक इस्पात प्रा. लि., डेराबसी	एम.एस. ट्यूब्स	पंजाब
14.	कमल पेन्ट्स, कलकत्ता	पेन्ट्स एण्ड मिक्सर	प.ठ बंगाल
1996-97			
15.	बालाजी इन्टरप्राईजेज, हैदराबाद	डीजल	आंध्र प्रदेश
16.	सिटी-एयरकन्डीशनिंग इण्डस्ट्रीज, दिल्ली	रूम एयर कन्डीशनर्स	दिल्ली
17.	विशन कुमार गोयल, दिल्ली	सीमेंट	दिल्ली
18.	धर्मराज यादव, दिल्ली	जी.एल.एस.लैम्पस	दिल्ली
19.	शिवन्स इलैक्ट्रिक कं., दिल्ली	जी.एल.एस.लैम्पस	दिल्ली
20.	एन्कर इलैक्ट्रिकल्स प्रा.लि., यूनाइटेड मार्केटिंग, वलसाद	एम.सी.बी.एस.	गुजरात
21.	आदित्य सीमेंट कं., राजकोट	सीमेंट	गुजरात
22.	स्विचक्रापट इंडस्ट्रीज, वलसाड़	एम.सी.बी.एस.	गुजरात
23.	प्रिंस पाइप एण्ड फिटिंग्स प्रा.लि., सिल्वासा	यू.पी.वी.सी. पाइप्स	गुजरात
24.	अक्षय पम्पस एण्ड इंजीनियरिंग प्रा.लि., अहमदाबाद	सबमरसिबल/मोनोसैट्स पम्पस	गुजरात
25.	नारायण इंडस्ट्रीज, बंगलौर	सबमरसिबल पम्पस	कर्नाटक
26.	थापर कानकास्ट लि., लुधियाना	एम.एस. ट्यूब्स	पंजाब
27.	अतुल इंजीनियरिंग इन्टरप्राईजेज, लुधियाना	एम.एस ट्यूब्स	पंजाब
28.	हिमालय इंडस्ट्रीज, आगरा	एस.सी.आई.स्वाइल पाइप्स एण्ड फिटिंग्स	उत्तर प्रदेश
29.	हिमालय सीमेंट, शिकोहाबाद	सीमेंट	उत्तर प्रदेश
30.	विशाल पाइप उद्योग लि., सिकन्दराबाद	एम.एस ट्यूब्स	उत्तर प्रदेश
31.	अग्रवाल ट्यूब्स प्रा.लि., मुज्जफरनगर	एम.एस ट्यूब्स	उत्तर प्रदेश
32.	सिंघल पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्रीज, मुज्जफरनगर	इंडोसुलफल 33% ईसी	उत्तर प्रदेश
33.	शिवालिक ट्यूब्स प्रा. लि., मुज्जफरनगर	एम.एस.ट्यूब्स	उत्तर प्रदेश
34.	डीलक्स सीमेंट मिल्स प्रा. लि., मेरठ	सीमेंट	उत्तर प्रदेश
35.	बी. एम. सीमेंट मिल्स प्रा. लि., मेरठ	सीमेंट	उत्तर प्रदेश
36.	एस. डी. सीमेंट मिल्स प्रा. लि., मेरठ	सीमेंट	उत्तर प्रदेश
37.	श्री सीमेंट इंडस्ट्रीज, शिकोहाबाद	सीमेंट	उत्तर प्रदेश
38.	एम.आर.लैम्पस, मेरठ	जी.एल.एस.लैम्पस	उत्तर प्रदेश
39.	गुलाब सीमेंट प्रा.लि., मेरठ	सीमेंट	उत्तर प्रदेश
40.	आर.सी.रबड प्रोडक्ट, कलकत्ता	रबड कन्वास बूट्स, माइनर्स	पश्चिम बंगाल
41.	योमेक्स (इलैक्ट्रो) प्रा.लि., कलकत्ता	वाटर फिल्टर्स मोमबत्ती	पश्चिम बंगाल
42.	विजय इंडस्ट्रीज, गुजरात	सीमेंट	गुजरात

[अनुवाद]

कृषि भूमि की उपलब्धता संबंधी सर्वेक्षण

2167. **श्री मदेन्द्र सिंह भाटी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि भूमि और कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता और इसकी सीमा का मूल्यांकन करने के लिए सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन भूमियों का राज्य-वार अलग-अलग कितना क्षेत्र है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार देश में कृषि भूमि तथा कृषि योग्य भूमि का मूल्यांकन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (च) भू-उपयोग सांख्यिकी की रिपोर्टिंग प्रणाली द्वारा वार्षिक रूप से देश में कृष्ट और कृष्य भूमि के क्षेत्र और उपलब्धता का मूल्यांकन किया जाता है।

वर्ष 1994-95 (अद्यतन) के लिए कृष्ट और कृष्य भूमि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(अनन्तिम)

(हजार हैक्टेयर में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निवल बोया गया क्षेत्र	वर्तमान परतियां	कुल कृष्ट क्षेत्र (2+3)	अन्य परती भूमि	विविध वृक्ष फसलों वाली भूमि और उद्यान	कृष्य बंजर भूमि आदि	कुल क्षेत्र (4+5 +6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
अन्ध्र प्रदेश	10365	2726	13091	1745	247	779	15862
अरूणाचल प्रदेश	150	25	175	49	44	-	269
असम*	2777	72	2949	70	220	89	3228
बिहार	7380	1922	9302	965	342	371	10980
गोवा	138	-	138	-	1	59	198
गुजरात	9609	737	10346	28	4	1977	12355
हरियाणा	3559	156	3715	-	4	14	3733
हिमाचल प्रदेश	572	50	622	21	46	120	809
जम्मू व कश्मीर	733	96	829	7	72	141	1049
कर्नाटक	10419	1294	11703	422	326	444	12895
केरल	2239	49	2287	29	32	83	2431
मध्य प्रदेश	19662	825	20487	789	25	1476	22777
महाराष्ट्र	17897	1023	18920	1075	192	989	21176
मणिपुर*	226	-	226	-	7	1	234
मेघालय	201	66	267	166	160	484	1077
मिजोरम*	65	183	248	259	3	74	584
नागालैण्ड	206	117	323	97	137	82	639
उड़ीसा*	6303	149	6452	243	867	487	8049
पंजाब	4210	36	4246	2	2	5	4255
राजस्थान	17021	1669	18690	1832	17	2165	25704
सिक्किम*	95	4	99	9	5	1	114
तमिलनाडु	5790	1001	6791	1030	219	303	8343
त्रिपुरा	277	4	281	1	27	1	310
उत्तर प्रदेश	17315	1126	18441	879	539	972	20831
पश्चिम बंगाल	5464	210	5674	34	77	62	5847
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह *	38	1	39	3	14	13	69
चंडीगढ़	3	-	3	-	-	-	3
दादर व. दीप	24	-	24	-	-	-	24
दमन व दीव *	4	-	4	-	1	2	7
दिल्ली	47	1	48	9	1	10	69
लक्षद्वीप	3	-	5	-	-	-	3
पाण्डिचेरी	27	2	29	2	1	2	34
अखिल भारत	142819	13533	156352	9766	3632	14206	193956

* वर्ष 1994-95 के आंकड़ों के अभाव में अद्यतन उपलब्ध सूचना दी गई है।

मध्य प्रदेश के उग्रवादियों और लिट्टे के बीच सांठगांठ

2168. **श्री चित्त बसु:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंत्रालय को इस आशय का पत्र भेजा है कि मध्य प्रदेश के उग्रवादियों की लिट्टे के साथ सांठगांठ है जो कि उनके लिए गहन चिन्ता का विषय है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार का क्या उत्तर है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) 17.6.1997 को प्रधान मंत्री के मध्य प्रदेश दौरे के दौरान, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाते हुए, एक ज्ञापन दिया था। गृह मंत्रालय से संबंधित अध्याय में इस बात का उल्लेख था कि इस राज्य के नक्सलवादी संगठनों ने, तमिलनाडु में चोरी-छिपे सक्रिय लिट्टे के कार्यकर्त्ताओं से सुरंग विस्फोट की तकनीक सीखी है। तथापि, मध्य प्रदेश के उग्रवादियों तथा लिट्टे के बीच सांठगांठ होने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

तटवर्ती पारिस्थितिकी का ह्रास

2169. **श्री रनजीव बिसवाल**: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में तटवर्ती पारिस्थितिकी के ह्रास होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या समुद्र द्वारा भूमि कटाव हर वर्ष बढ़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समुद्र द्वारा भूमि कटाव को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

वाहनों पर लगी रंगीन बत्तियों का दुरुपयोग

2170. **श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़**: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में कारों में लगी नीली, लाल तथा अन्य रंगीन बत्तियों के घोर दुरुपयोग की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन बत्तियों के उपयोग हेतु क्या मानदंड तथा दिशानिर्देश निर्धारित हैं; और

(ग) दिल्ली में इन बत्तियों के इस प्रकार के दुरुपयोग, जिसके परिणामस्वरूप सड़क यातायात में असुविधा होती है को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 में यह व्यवस्था है कि किसी भी मोटर वाहन मालिक को, कुछेक विनिर्दिष्ट श्रेणियों को छोड़कर, मोटर वाहन के पिछले हिस्से के अलावा आगे के हिस्से में और छत के उपर कोई भी रंगीन लाईट लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन ये उपबन्ध आन्तरिक संकेतकों पर लागू नहीं होंगे।

(ग) रंगीन लाईटों के दुरूपयोग के लिए, उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 1997 के प्रथम 6 महीने के दौरान 53 मामलों में मुकदमा चलाया गया।

[हिन्दी]

समर्थन तथा खरीद मूल्य के बीच अंतर

2171. **प्रो. प्रेमसिंह चन्दूमाजरा।**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में समर्थन तथा उपभोक्ता खरीद मूल्य के बीच अंतर निरंतर बढ़ रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो हिमाचल प्रदेश में आलू तथा सेब का समर्थन मूल्य क्या था तथा देश में इन मदों का न्यूनतम तथा अधिकतम अनुमानित उपभोक्ता खरीद मूल्य क्या है;

(ग) क्या इस अंतर के कारण उपभोक्ताओं के हितों पर विपरीत असर पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जो समूचे फसल वर्ष के लिए उत्पाद आदि की लागत के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत करता है, की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य इन उत्पादों के बाजार मूल्यों में अत्यधिक गिरावट आ जाने पर किसानों को देय न्यूनतम लाभकारी मूल्य के रूप में होते हैं ताकि किसानों की आय को बचाया जा सके। अतः न्यूनतम समर्थन मूल्य उपभोक्ता खरीद मूल्यों के साथ घटते-बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि उपभोक्ता खरीद मूल्य वे खुदरा मूल्य होते हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ वस्तु की समग्र आपूर्ति और मांग स्थिति, व्यापारिक लागत और मार्जिन, प्रचालित बाजार स्थिति आदि से प्रभावित होते हैं जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष की पूरी अवधि के लिए स्थायी मूल्य होते हैं। बाजार मूल्य घटत-बढ़ते रहते हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ दीर्घकालिक उपायों के अलावा, उन वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहित किया जाता है जिनकी आपूर्ति

कम होती है, ताकि उनकी उपलब्धता में वृद्धि की जा सके। कुछ वस्तुओं की आपूर्ति बाजार मूल्यों से कम मूल्यों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सहकारी भंडारों के जरिए भी की जाती है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा थोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत जमाखोरों, कालाबाजारियों तथा अनुचित व्यापार व्यवहारों में लिप्त अन्य लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

राष्ट्रीय पशुधन नीति

2172. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार कोई राष्ट्रीय पशुधन नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है तथा सरकार के पास उनकी राय जानने के लिए भेज दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) जी, हां। पशुधन क्षेत्र के संगठित तथा समन्वित ढंग से विकास को गति प्रदान करने तथा उत्पादन तथा कुल क्षमता में वृद्धि लाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय पशुधन नीति तैयार करने पर विचार किया जा रहा है। नीति दृष्टिकोण से अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं :

1. विकास तथा सार्वभौमिकरण प्रक्रिया में छोटे उत्पादकों की भागीदारी।
2. आणुवांशिक सुधार के लिए प्रजनन सेवाओं में तेजी लाना।
3. आधार तथा चारा संसाधनों के विकास पर जोर देना।
4. विस्तार तथा प्रशिक्षण क्रियाकलापों का पुनर्गठन।
5. प्रसंस्करण क्षेत्र में दक्षता लाना।
6. पशु रोग नियंत्रण तथा उन्मूलन।
7. इस क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ावा देना।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, नौवीं योजना में राष्ट्रीय पशुधन नीति के मसौदे तथा पशुधन क्षेत्र के दृष्टिकोण पत्र पर, दिसम्बर, 1996 में राज्यों के पशुपालन एवं डेयरी मंत्रियों के सम्मेलन में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था। इस इस बैठक में दृष्टिकोण तथा नीति संबंधी मसलों को राज्य सरकारों द्वारा समर्थन दिया गया।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड

2173. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तुर्की के करसने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के खिलाफ प्रतिदावा कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नैशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड से मांगी गई क्षतिपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सौदे में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा आज तक कितनी हानि उठाई गई?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) मै. करसन लि. ने इंटरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स (आई सी सी), पेरिस के समक्ष मध्यस्थता मामले में मै. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन एफ एल) के विरुद्ध 50.15 मिलियन अमरीकी डालर का प्रतिदावा दायर किया है।

(घ) मै. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. ने यूरिया की आपूर्ति के लिए किये गये अग्रिम भुगतान, ब्याज हानि, निर्धारित क्षतियों आदि के कारण हुई हानियों के लिए 53.05 मिलियन अमरीकी डालर की प्रतिपूर्ति दावा दायर किया था।

[हिन्दी]

तिहाड़ जेल में हिंसा

2174. **कुमारी उमा भारती:**
श्री सत्यदेव सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदियों के दो गुटों में झड़प हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना की जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। इस घटना में की गई जांच से यह पता चला है कि यह लड़ाई एक ग्रुप के कैदी की दूसरे विरोधी ग्रुप के कैदियों द्वारा की गई पिटाई के फलस्वरूप हुई।

(घ) इस लड़ाई में संलिप्त कैदियों के खिलाफ हरिनगर थाने में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद इन दोनों

ग्रुपों को अलग करके पृथक-पृथक रखा गया है। न्यायालय के समक्ष उनकी पेशी तथा बाहर के अस्पताल को जाते समय, उक्त कैदियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में दिल्ली पुलिस को सूचित किया गया है।

[अनुवाद]

झुग्गी-झोंपड़ीवासियों का पुनर्वास

2175. **श्री सत्यपाल जैन:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के पुनर्वास और कुछ आबंटियों को औद्योगिक प्लाट दिए जाने को ध्यान में रखते हुए सरकार के समक्ष संरक्षित वन क्षेत्र में वृक्षों की कटाई अथवा ऐसा ही कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत मंत्रालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पद

2176. **श्री कचरू भाऊ राऊत:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय/विभागों में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत राज्यवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) बकाया पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर अन्य व्यक्ति कार्य कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा पदवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सभी बकाया पदों को भरने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये हैं?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सीमेंट कारखानों द्वारा प्रदूषण

2177. **श्री सुख लाल कुशवाहा:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में सीमेंट के कारखानों से फैलने वाले प्रदूषण के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) से (ग) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य में सीमेंट उद्योगों की नियमित निरीक्षण एवं हवाई निगरानी करता है। बोर्ड ने गहराई से अध्ययन करने के लिए नयागांव के पास (मंदसौर), दामोह और मेहर-सतना में स्थित सीमेंट इकाइयों का चयन किया है। इस अध्ययन के अन्तर्गत अब तक फील्ड आंकड़ों का एकत्रीकरण, स्रोत एवं परिवेशी हवाई निगरानी की गई है। अध्ययन का कार्य प्रगति पर है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यदि कोई उद्योग निर्धारित मानकों का पालन करने में असफल रहता है तो वायु (प्रदूषण, निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत दोषी इकाई के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों का गुम होना

2178. **डा. मुरली मनोहर जोशी**
श्री के. एच मुनियप्पा
श्री सुरेश कलमाडी
डा. असीम बाला
श्री नवल किशोर राय
लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाशमणि त्रिपाठी
श्री चन्द्रभूषण सिंह
श्री मदन भाटिया

प्रो. जितेन्द्रनाथ दास:
श्री उद्धव वर्मन:
श्री सुनील खान:
श्री नीतीश कुमार:
श्री जी. ए. चरण रेड्डी:
श्री प्रमोद महाजन :
श्री उत्तम सिंह पवार:
श्री जी. वेंकटस्वामी:
कुमारी सुशीला तिरिया:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या करोड़ों रुपए मूल्य का हजारों टन गेहूं और चावल भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गुम हो गया है जैसा कि 3 जुलाई, 1997 के "पायनियर" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा गुम हुए चावल की मात्रा और लागत कितनी थी;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) सरकार और भारतीय खाद्य निगम के स्टॉक संबंधी आंकड़ों में कुछ विसंगतियाँ होने के कारण, सरकार स्टॉक संबंधी आंकड़ों का मिलान कर रही हैं। यह विसंगति इस तथ्य के कारण है कि केन्द्रीय पूल में स्टॉक भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों तथा उनकी एजेन्सियों द्वारा रखा जाता है। भारत के नियंत्रक तथा महा लेखापरीक्षक ने आदेश दिए हैं कि इस संबंध में विशेष लेखापरीक्षा की जाए और इसे 30 सितम्बर, 1997 तक पूरा कर लिया जाए।

कृषि पर राजसहायता में कटौती

2179. **श्री येज्जीया नन्दी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि पर राजसहायता अस्सी के दशक के आरम्भ में शुरू हुई;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी शुरुआत से ही कृषि संबंधी राजसहायता से फायदा कम और नुकसान ज्यादा है;

(ग) क्या राजसहायता में वृद्धि की नीति अर्थव्यवस्था और नीति दोनों के लिए अहितकर है;

(घ) यदि हां, तो इस समय कृषि क्षेत्र को कुल कितनी राजसहायता प्रदान की जा रही है;

(ङ) क्या कृषि उत्पादों पर राजसहायता में कटौती करने के लिए सरकार किसी ठोस उपाय पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(छ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा और राजसहायता में कितनी कटौती की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेंगुगोपालाचारी): (क) से (ग) कृषि क्षेत्र के लिये राजसहायताएं नौवें दशक से भी पहले आरम्भ हो गई थी लेकिन, नौवें दशक के आरम्भ में इसकी मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र में राजसहायता किसानों को उन्नत उत्पादक तकनीकें अपनाने तथा आधुनिक आदान अपनाने के लिये प्रेरित करके कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने वाला मुख्य कारक था। इससे देश को खाद्यान्नों की कमी से उबरने, आयात कम करने तथा आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिली। वैसे अधिक तथा असमान राजसहायता से न केवल संसाधन उत्पादक निवेश के बजाय अन्यथा खर्च होते हैं, बल्कि इसके फलस्वरूप संसाधनों का दुरुपयोग और आवश्यकता से अधिक उपयोग हो जाता है।

(घ) किसानों को दी जाने वाली मुख्य कृषि राजसहायताएं उर्वरकों, सिंचाई, बिजली तथा ऋण पर दी जाती है। यूरिया पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उर्वरक निर्माताओं को सीधे राजसहायता दी जाती है ताकि किसानों को कम दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराए जा सकें। यूरिया की बिक्री देश भर में 3660/- रुपये प्रति मी. टन के समान मूल्य पर की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि और सहकारिता विभाग रबी 1992-93 से किसानों के लिये फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पी. एण्ड के.) निम्नलिखित उर्वरकों की बिक्री पर रियायत की एक योजना चला रहा है:

उत्पाद	1-4-97 से प्रति टन रियायत दर (रुपयों में)
स्वदेशी डी.ए.पी.	3750
आयातित डी.ए.पी.	2250
एम.ओ.पी.	2000
एस.एस. पी.	6000
स्वदेशी योग	1149-3320

यूरिया पर राजसहायता तथा फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों पर रियायत के भुगतान हेतु संशोधित अनुमान1996-97 तथा बजट अनुमान 1997-98 में किया गया प्रावधान इस प्रकार हैः

(रुपये करोड़ में)

	यूरिया पर राजसहायता	फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों पर रियायत
संशोधित अनुमान, 1996-97	6093	1674
बजट अनुमान, 1997-98	7190	2000

उपर्युक्त के अलावा, राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई और बिजली पर वास्तविक लागत से कम दरों पर प्रभार लेकर अप्रत्यक्ष रूप से राजसहायताएं दी जाती हैं। विवरण संलग्न है।

(ङ) कृषि क्षेत्र के लिये राजसहायता में कमी करने के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(च) से (झ) ये प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

कृषि क्षेत्र के लिये राजसहायता का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

मद	1992-93 वास्तविक	1993-94 बा.	1994-95 बा.	1995-96 बा.	1996-97 ब.अ.*	1997-98 सं.अ.**
आदानों के जरिए कृषि क्षेत्र हेतु राजसहायता						
1. उर्वरक (कुल)	5796	4562	5169	6735	7767	9190
1.1 स्वदेशी उर्वरक	4800	3800	40 3	4300	4743	5240
1.2 आयातित उर्वरक	996	762	1166	1935	1350	1950
1.3 किसानों को रियायती दरों पर अनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री	-	-	528	500	1674	2000
2. बिजली x	1927	2400	2423	उ.न.	उ.न.	उ.न.
3. सिंचाई xx	5235	5872	6685	7523+	उ.न.	उ.न.

स्रोत : 1. उर्वरकः केन्द्रीय सरकार का व्यय बजट, 1997-98, भाग-1

2. बिजली और सिंचाई : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

नोटः उ.न. उपलब्ध नहीं

X बिजली के मामले में बिजली बोर्डों तथा निगमों को दी जाने वाली सभी राजसहायताएं शामिल हैं। केवल कृषि के लिये बिजली पर दी जाने वाली राजसहायता का अलग से ब्यौरा सुलभ नहीं है।

XX किसानों को सप्लाई किए जाने वाले पानी की दरें नीति के तौर पर कम रखी जाती हैं जिससे सरकारी सिंचाई प्रणाली की हानि होती है। संचालन लागत तथा कुल राजस्व के अन्तर को सिंचाई पर राजसहायता माना जाता है।

\+ त्वरित अनुमान

* बजट अनुमान

** संशोधित अनुमान

यूरिया की कीमत

2180. **श्री एन.के. प्रेमचन्द्रनः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार यूरिया की कीमत में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उर्वरकों की कीमत में वृद्धि होने पर किसानों को कोई प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, नहीं। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

असंगठित स्वयंसेवी संगठन

2181. **श्री अन्नासाहिब एम.के.पाटिल:** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मानव कल्याण के क्षेत्र में देश में कार्य कर रहे कुछ असंगठित स्वयंसेवी संगठनों से मान्यता दिये जाने संबंधी आवेदन प्राप्त किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संगठनों को कब तक मान्यता मिल जाने की सम्भावना है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) कल्याण मंत्रालय के पास कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सहायता अनुदानों की निर्मुक्ति के उद्देश्य से स्वयंसेवी संगठनों को मान्यता प्रदान करने की कोई पद्धति नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

घटिया किस्म के गेहूं का आयात

2182. **श्री मोहन रावले:**
श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री चुनचुन प्रसाद यादव:
श्री आर. सम्बासिवा राव:
श्री सुब्रह्मण्यम भैलावाला:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा अर्जेन्टीना तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा कनाडा से आयातित गेहूं घटिया किस्म का पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप अलग-अलग कितना नुकसान हुआ;

(ग) इन सौदों में अंतर्ग्रस्त विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आयातित गेहूं मानव खपत हेतु उचित नहीं पाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) कितनी मात्रा में इस गेहूं को उचित दर दुकानों में वितरित किया गया है;

(छ) क्या इस प्रकार के मामले भी ध्यान में आए हैं जिनमें आयातित गेहूं की गुणवत्ता अनुबंधित गेहूं से भिन्न थी; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ज) जी, नहीं। कनाडा और अर्जेन्टीना से आयातित गेहूं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों और भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए संगरोध संबंधी मानदण्डों के अनुरूप हैं और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त हैं। तथापि, अर्जेन्टीना से प्राप्त गेहूं के एक परेषण में क्षतिग्रस्त दाने की प्रतिशतता ठेके की विनिर्दिष्टियों से अधिक पाई गई हैं। इस कारण अभी तक कोई हानि होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अर्जेन्टीना और कनाडा के साथ हुए गेहूं आयात के ठेकों में 238 करोड़ रुपये के लगभग विदेशी खर्च अंतर्ग्रस्त है। आयातित गेहूं की समस्त मात्रा केन्द्रीय पूल में शामिल की गई है ताकि इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं के माध्यम से वितरित किया जा सके।

चीनी निर्यात हेतु नई नीति

2183. **श्री सनत मैडता:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी निर्यात का असरणीकरण किए जाने के पश्चात् इसके निर्यात में अत्यधिक कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने चीनी निर्यात में धीमी प्रगति के परिप्रेक्ष्य में इसके निर्यात को बढ़ाने हेतु ए.बी.ई.ए.डी. को एक नई नीति तैयार करने हेतु कहा है;

(घ) चीनी निर्यात का असरणीकरण किए जाने के पश्चात् से आई.एस.आई.जी.ई.आई.सी. तथा एस.टी.सी. द्वारा उन्हें आवंटित कोटे से चीनी का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया है;

(ङ) इन संगठनों द्वारा चीनी का कम निर्यात किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) चीनी निर्यात को बढ़ाने हेतु इस नई नीति को कब तक तैयार कर लिए जाने की संभावना है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (च) सरकार ने 15.1.1997 से चीनी के निर्यात को असरणीबद्ध कर दिया है तथा अब चीनी का निर्यात कृषि तथा प्रसंस्कारित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार (एपेडा) द्वारा वाणिज्य मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है। सरकार ने 1996-97 मौसम के उत्पादन में से खुली बिक्री चीनी का 2.5 लाख टन विदेश व्यापार महा निदेशालय (डी जी एफ टी)/ कृषि तथा प्रसंस्कारित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार (एपेडा) द्वारा निर्यात के लिए रखा है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 1996-97 मौसम के उत्पादन में से खुली बिक्री चीनी/कच्ची चीनी की 36,300 मी. टन की एक मात्रा यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई.ई.सी.) तथा यू. एस.ए को भारतीय चीनी तथा सामान्य औद्योगिक निर्यात आयात निगम लि. के माध्यम से तरजीह कोटे के अधीन डी.जी.एफ. टी/एपेडा द्वारा निर्यात के लिए रखी है।

15.1.1997 से चीनी के निर्यात को असरणीबद्ध किए जाने के बाद मैसर्स आई.एस.जी.आई.ई.आई.सी.लि. तथा भारतीय एस. टी.सी. ने 30.06.97 तक क्रमशः 1.60 लाख टन तथा 0.17 लाख टन की एक मात्रा का निर्यात किया है। एपेडा द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार उन्होंने 30.6.97 तक 2.10 लाख टन चीनी (तरजीह कांटा निर्यात सहित) की एक मात्रा के लिए पंजीकरण - आबंटन प्रमाण पत्र (आर.सी.ए.सी) जारी किया है तथा अब तक विभिन्न निर्यातकों द्वारा एपेडा को प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार लगभग 0.70 लाख टन (तरजीह कोटा सहित) की एक मात्रा को 30.6.97 तक भारत से बाहर वास्तविक रूप में निर्यात किया गया है।

चूँकि चीनी के निर्यात को असरणीबद्ध कर दिया गया है तथा केवल मात्रा का प्रतिबंध ही लागू होता है, अतः चीनी के निर्यात की सीमा अन्तर्राष्ट्रीय मांग एवं पूर्ति की स्थिति तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वर्तमान मूल्य द्वारा निर्धारित की जाती है।

[हिन्दी]

लीची और अन्य फलों की खेती के लिए सहायता

2184. **श्री हरता मेघे:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लीची, स्वीट लाईम, पानीफल और अन्य ताजा फलों का बहुत कम उत्पादन होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन फलों की खेती के लिए किसानों को सहायता हेतु किसी विस्तार केन्द्र की स्थापना की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी केन्द्र-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) देश में फलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 1994-95 में 3.33 लाख मी.टन लीची का उत्पादन हुआ। स्वीट लाइम और पानीफल के उत्पादन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन इन फसलों सहित ताजे फलों का उत्पादन देश में बहुत कम नहीं है क्योंकि ताजे फलों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए इन फसलों की खेती के लिए खास तौर पर विस्तार केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं। फलों की खेती के लिए किसानों को राज्य बागवानी/ कृषि विभागों द्वारा सहायता दी जाती है तथा प्रोद्योगिकी संबंधी जानकारी के लिए कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों द्वारा सहायता दी जाती हैं।

(च) देश में फलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकार की योजना स्कीम के अलावा फलों के समेकित विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अधीन क्षेत्र विस्तार, आदान आपूर्ति, पुनरूद्धार क्वालिटी रोपण सामग्री हेतु नर्सरियों और टिशू कल्चर एकक की स्थापना के लिए सहायता दे रही है। इसके अलावा इसके लिए विभिन्न प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित योजनाओं द्वारा भी सहायता दी जा रही है:

(1) कृषि में प्लास्टिक का उपयोग।

(2) फसल उत्पादकता में सुधार करने के लिए मधुमक्खी पालन का विकास।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में पोषक बागानों की स्थापना।

(4) बागवानी फसलों के कटाई उपरान्त अवसंरचनाओं के प्रबंध से संबंधित समेकित परियोजना।

(5) सुगम ऋण में सहभागिता द्वारा बागवानी उत्पादों के विपणन का विकास।

[अनुवाद]

उर्वरकों संबंधी राजसहायता

2185. **श्री सुखबीर सिंह बादल:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अमोनियम क्लोराइड उर्वरक संबंधी राजसहायता कब तक शुरू कर दी जाएगी और इससे संबंधित विसंगतियों को कब तक दूर कर दिया जाएगा; और

(ख) इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

कृषि श्रमिकों के लिए उदारीकरण नीति

2186. **श्री अमर पाल सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र में नीतियों को और उदार बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस.वेणुगोपालाचारी): (क) से (ग) कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता को त्वरित करने तथा इसमें सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए कृषि नीति संकल्प के मसौदे पर 19 फरवरी 1997 को नई दिल्ली में आयोजित राज्य कृषि मंत्रियों की बैठक में चर्चा की गई। संकल्प की प्रारूप की अभिवृद्धि क्षेत्र इस प्रकार है:

(i) क्षेत्रीय और फसल विषमताओं को दूर करना;

(ii) कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना;

(iii) कृषि को वही सुविधा देना जो औद्योगिक क्षेत्र के विनियामक और कर संग्रहण तंत्र के बिना उद्योगों को उपलब्ध है;

(iv) किसानों को उनके खेतों के आस पास उचित दर पर आदान उपलब्ध कराना;

(v) किसानों को उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना;

(vi) मानव संसाधन विकास;

(vii) कृषि अनुसंधान पर ध्यान केन्द्रित करना;

(viii) कृषि क्षेत्र में नियंत्रण शिथिल करना।

सम्मेलन में दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए संकल्प के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश

2187. **डा. वल्लभ भाई कथीरिया:**
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व सूची में कटौती करते हुए औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अंतर्गत एकाधिकार प्राप्त औषधियों को शामिल करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार ने नियंत्रण आदेश, 1995 के अंतर्गत ऐसी एकाधिकार प्राप्त औषधियों को शामिल करने के लिए उनका पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नियंत्रण आदेश के अंतर्गत इन औषधियों को लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) से (घ) औषधों की कीमत नियंत्रण रखने के मानदंड जैसा कि "औषध नीति, 1986 में संशोधन" में निर्धारित है, में एकाधिकार संबंधी पहलू भी शामिल हैं और डी.पी.सी.ओ., 95 की पहली अनुसूची में शामिल औषधों की पहचान तदनुसार की गई है। एकाधिकार संबंधी स्थिति के कारण कीमत नियंत्रण में रखी गई औषधों की सूची के रूप में विवरण संलग्न है।

विवरण

एकाधिकार की स्थिति के कारण कीमत नियंत्रण में रखी गई औषधों की सूची

1. सल्फाडायजिन
2. फ्रांमाइसिटिन
3. वेरापामिल
4. अमिकासिन सल्फेट
5. गिलपिजाइड
6. स्पीरोनोलेक्टोन
7. पेन्टोक्सीफायलिन
8. अमोडियाक्विन
9. सल्फामोक्सोल
10. फ्यूसेमाइड
11. फेनिरामाइन मेलिएट
12. क्लोरोक्सीलेनाल्स
13. थीकैम्पीसिलिन
14. लिंकोमाइसिन
15. क्लोरप्रोपामाइड
16. मेबहाईड्रोलिन
17. क्लोरप्रोमाजिन
18. मेथेन्डाइनोन
19. फिनाइल बुटाजोन
20. लीनेसट्रानोल
21. सालाजोसल्फापायरिन
22. डिओसमाइन
23. ट्रीमिप्रामाइन
24. मेफेनेमिक एसिड

बीज तथा उर्वरकों के लिए अधिक कीमत देना

2188. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण किसान बीज तथा उर्वरक के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य अदा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि अधिकांश किसान परती भूमि सुधार योजना के लाभ से वंचित हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इस योजना के क्रियान्वयन में दोषी पाए गए अफसरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी नहीं। बीजों के मामले में बिक्री मूल्य पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है। बीजों के लिये ऊंचे मूल्य लिये जाने के बारे में कोई सूचना नहीं है। उर्वरकों के मामले में यूरिया पर सांविधिक नियंत्रण है जबकि डी.ए.पी., एम.ओ.पी. तथा विभिन्न योग अनियंत्रित हैं, लेकिन उनकी बिक्री सरकार द्वारा निश्चित मूल्यों पर होती है, ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उत्तर प्रदेश में किसानों से यूरिया के नियंत्रित मूल्य या अन्य उर्वरकों से निश्चित मूल्य से अधिक मूल्य लिया जा रहा है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के परती भूमि विकास विभाग ने सूचना दी है कि उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ समेकित परती भूमि विकास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यह योजना प्रभावी रूप से कार्यान्वित की जा रही है।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों द्वारा खाद्यान्न कोटा न लेना

2189. **श्री मंगतराम शर्मा:** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर को आवंटित गेहूं की मात्रा क्या थी;

(ख) क्या वितरित किए गए गेहूं और चावल वास्तव में निर्धन व्यक्तियों तक नहीं पहुंच रहे हैं जिनके लिए राज्यों को कोटे आवंटित किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गत वर्ष कुछ राज्यों ने गेहूं/चावल का कोटा नहीं उठाया था जबकि खाद्यान्नों की कमी थी और मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जम्मू और कश्मीर को आवंटित किए गए गेहूं की मात्रा निम्नानुसार है:

(आंकड़े हजार टन में)

वर्ष	मात्रा
1994-95	350.00
1995-96	360.00
1996-97	360.00

(ख) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन समग्र रूप से राज्य के लिए खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का आवंटन केन्द्रीय पूल से किया जाता है। राज्य के भीतर खाद्यान्नों का उप-आवंटन और ढुलाई तथा उचित दर दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक उनका वितरण करना पूर्णरूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है।

(घ) और (ङ) खाद्यान्नों का उठान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्गम मूल्यों की तुलना में खुले बाजार में मूल्यों की समता और खुले बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता सहित विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है। 1996-97 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए चावल और गेहूं का कुल उठान क्रमशः 110.14 लाख टन और 83.70 लाख टन हुआ जबकि 1995-96 में यह उठान क्रमशः 93.33 लाख टन और 51.59 लाख टन हुआ था।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या

2190. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:**
श्री एन.जे राठवा:

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं का अलग-अलग प्रतिशत कितना है;

(ख) संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार उन्हें रोजगार प्रदान किए जाने में और साथ ही साथ राजनीतिक, वित्तीय तथा अकादमी क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किए जाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या राज्यों में अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की संख्या तैयार कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के साथ उनकी सूची का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के

संबंध में सूचना संलग्न विवरण I से III में दी गई है। 1991 में अन्य पिछड़े वर्गों की कोई जनगणना नहीं की गई।

(ख) सरकार ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीय कृत/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में क्रमशः 15 प्रतिशत और 7½ प्रतिशत आरक्षण प्रदान किए हैं। लोक सभा, राज्य विधान सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को राजनीतिक आरक्षण प्रदान किया जाता है। राज्य सरकारों की नौकरियों तथा राज्यों की शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को राज्य विशेष में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाता है। केन्द्र सरकार की नौकरियों में पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण पहले ही प्रदान किया जा चुका है। राजनीतिक आरक्षण तथा शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूचियां विधि और न्याय (विधायी कार्य विभाग) मंत्रालय द्वारा प्रकाशित मैनुअल ऑफ इलेक्शन लॉ में उल्लिखित है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल जनसंख्या तथा 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जनसंख्या	अनु.जा. जनसंख्या	राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	6,65,08,008	1,05,92,066	15.93
2.	अरुणाचल प्रदेश	8,64,558	4,052	0.47
3.	असम	2,24,14,322	16,59,412	7.40
4.	बिहार	8,63,74,465	1,25,71,700	14.55
5.	गोवा	11,69,793	24,364	2.08
6.	गुजरात	4,13,09,582	30,69,358	7.41
7.	हरियाणा	1,64,63,648	32,50,933	19.75
8.	हि.प्र	51,70,877	13,10,296	25.34
9.	जम्मू-कश्मीर	77,18,700	एन. ए.	-
10.	कर्नाटक	4,49,77,201	73,69,279	16.38
11.	केरल	2,90,98,518	28,86,522	9.92
12.	म.प्र.	6,61,81,170	96,26,679	14.55
13.	महाराष्ट्र	7,89,37,187	87,57,842	11.09
14.	मणिपुर	18,37,149	37,105	2.02
15.	मेघालय	17,74,778	9,072	0.51
16.	मिजोरम	6,89,756	691	0.10
17.	नागालैंड	12,09,546	-	-
18.	उड़ीसा	3,16,59,738	51,29,314	16.20
19.	पंजाब	2,02,81,969	57,42,528	28.31
20.	राजस्थान	4,40,05,990	76,07,820	17.29
21.	सिक्किम	4,06,457	24,034	5.93
22.	तमिलनाडु	5,58,58,946	1,07,12,266	19.18
23.	त्रिपुरा	27,57,205	4,51,116	16.36
24.	उ.प्र.	13,91,12,287	2,92,76,455	21.05
25.	प.बंगाल	6,80,77,965	1,60,80,611	23.62
26.	अंडमान द्वीप समूह	2,80,661	-	-
27.	चण्डीगढ़	6,42,015	1,05,977	16.51
28.	दादर नगर हवेली	1,38,477	2,730	1.97
29.	दमन, दीव	1,01,586	3,891	3.83
30.	दिल्ली	94,20,644	17,94,836	19.05
31.	लक्षद्वीप	51,707	-	-
32.	पांडिचेरी	8,07,785	1,31,278	16.25

विवरण-II

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल जनसंख्या के संदर्भ में कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण (1991)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
1	2	3	4	5
	भारत	846,302,688*	67,758,380**	8.08**
राज्य				
1.	आन्ध्र प्रदेश	66,508,008	4,199,481	6.31

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	864,558	550,351	63.66
3.	असम	22,414,322	2,874,441	12.82
4.	बिहार	86,374,465	6,616,914	7.66
5.	गोवा	1,169,793	376	0.03
6.	गुजरात	41,309,582	6,161,775	14.92
7.	हरियाणा	16,463,648	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	5,170,877	218,349	4.22
9.	जम्मू और कश्मीर	7,718,700*	एन.ए.	-
10.	कर्नाटक	44,977,201	1,915,691	4.26
11.	केरल	29,098,518	320,967	1.10
12.	मध्य प्रदेश	66,181,170	15,399,034	23.27
13.	महाराष्ट्र	78,937,187	7,318,281	9.27
14.	मणिपुर	1,837,149	632,173	34.41
15.	मेघालय	1,774,778	1,517,927	85.53
16.	मिजोरम	689,756	653,565	94.75
17.	नागालैंड	1,209,546	1,060,822	87.70
18.	उड़ीसा	31,659,736	7,032,214	22.21
19.	पंजाब	20,281,969	-	-
20.	राजस्थान	44,005,990	5,474,881	12.44
21.	सिक्किम	406,457	90,901	22.36
22.	तमिलनाडु	55,858,946	574,194	1.03
23.	त्रिपुरा	2,757,205	853,345	30.95
24.	उ.प्रदेश	139,112,287	287,901	0.21
25.	प. बंगाल	68,077,965	3,808,760	5.59
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंड. निको. द्वीप समूह	280,661	26,770	9.54
2.	चंडीगढ़	642,015	-	-
3.	दादर और नगर हवेली	138,477	109,380	78.99
4.	दमन व दीव	101,586	11,724	11.54
5.	दिल्ली	9,420,644	-	-
6.	लक्ष्यद्वीप	51,707	48,163	93.15
7.	पांडिचेरी	807,785	-	-

* जम्मू एवं कश्मीर में 1991 में जनगणना नहीं की गई अतः जम्मू और कश्मीर के लिए अनुमानित जनसंख्या दी गई है।

** जम्मू और कश्मीर को छोड़कर जहां 1991 में जनगणना नहीं कराई गई।

"–" यह बताता है कि उल्लिखित राज्य /संघ राज्य क्षेत्र में कोई अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं की गई है।

एन.ए. का अर्थ उपलब्ध नहीं होने से है।

विवरण-III

1991 की जनगणना के अनुसार देश की महिला जनसंख्या को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	क्षेत्र	जनसंख्या			लिंग अनुपात (प्रति हजार पुरुष पर महिलाएं)
			व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं	
1	2	3	4	5	6	7
	भारत	कुल क्षेत्र	84,63,02,688	43,92,30,458	40,70,72,230	927
		ग्रामीण क्षेत्र	62,86,91,676	32,43,21,614	30,43,70,062	939
		शहरी क्षेत्र	21,76,11,012	11,49,08,844	10,27,02,168	894
1.	आन्ध्र प्रदेश	कुल क्षेत्र	6,65,08,008	3,37,24,581	3,27,83,427	972
		ग्रामीण क्षेत्र	4,86,20,882	2,45,91,875	2,40,29,007	977
		शहरी क्षेत्र	1,78,87,126	91,32,706	87,54,420	959

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	कुल क्षेत्र	8,64,558	4,65,004	3,99,554	859
		ग्रामीण क्षेत्र	7,53,930	4,00,966	3,52,964	880
		शहरी क्षेत्र	1,10,628	64,038	46,590	728
3.	असम	कुल क्षेत्र	2,24,14,322	1,16,57,989	1,07,56,333	923
		ग्रामीण क्षेत्र	1,99,26,527	1,03,04,161	96,22,366	934
		शहरी क्षेत्र	24,87,795	13,53,828	11,33,967	838
4.	बिहार	कुल क्षेत्र	8,63,74,465	4,52,02,091	4,11,72,374	911
		ग्रामीण क्षेत्र	7,50,21,453	3,90,45,095	3,59,76,358	921
		शहरी क्षेत्र	1,13,53,012	16,56,996	51,96,016	844
5.	गोवा	कुल क्षेत्र	11,69,793	5,94,790	5,75,003	967
		ग्रामीण क्षेत्र	6,90,041	3,46,169	3,43,872	993
		शहरी क्षेत्र	4,79,752	2,48,621	2,31,131	930
6.	गुजरात	कुल क्षेत्र	4,13,09,582	2,13,55,209	1,99,54,373	934
		ग्रामीण क्षेत्र	2,70,63,521	1,38,84,299	1,31,79,222	949
		शहरी क्षेत्र	1,42,46,061	74,70,910	67,75,151	907
7.	हरियाणा	कुल क्षेत्र	1,64,63,648	88,27,474	76,36,174	865
		ग्रामीण क्षेत्र	1,24,08,904	66,57,334	57,51,570	864
		शहरी क्षेत्र	40,54,744	21,70,140	18,84,604	868
8.	हिमाचल प्रदेश	कुल क्षेत्र	51,70,877	2,61,747	25,53,410	976
		ग्रामीण क्षेत्र	47,21,681	23,72,193	23,49,488	990
		शहरी क्षेत्र	4,49,196	2,45,274	2,03,922	831
9.	जम्मू और कश्मीर	कुल क्षेत्र	77,18,700	40,14,100	37,04,600	923
		ग्रामीण क्षेत्र	58,79,300	30,42,209	28,37,091	933
		शहरी क्षेत्र	18,39,400	9,71,891	8,67,509	893
10.	कर्नाटक	कुल क्षेत्र	4,49,77,201	2,29,51,917	2,20,25,284	960
		ग्रामीण क्षेत्र	3,10,69,413	1,57,44,942	1,53,24,471	973
		शहरी क्षेत्र	1,39,07,788	72,06,975	67,00,813	930
11.	केरल	कुल क्षेत्र	2,90,98,518	1,42,88,995	1,48,09,523	1036
		ग्रामीण क्षेत्र	2,14,18,224	1,05,12,788	1,09,05,436	1037
		शहरी क्षेत्र	76,80,294	37,76,207	39,04,087	1034
12.	मध्य प्रदेश	कुल क्षेत्र	6,61,81,170	3,42,67,293	3,19,13,877	931
		ग्रामीण क्षेत्र	5,08,42,333	2,61,64,353	2,46,77,980	943
		शहरी क्षेत्र	1,53,38,837	81,02,940	72,35,897	893
13.	महाराष्ट्र	कुल क्षेत्र	7,89,37,187	4,08,25,618	3,81,11,569	934
		ग्रामीण क्षेत्र	4,83,95,601	2,45,36,280	2,38,59,321	972
		शहरी क्षेत्र	3,05,41,586	1,62,89,338	1,42,52,248	875
14.	मणिपुर	कुल क्षेत्र	18,37,149	9,38,359	8,98,790	958
		ग्रामीण क्षेत्र	13,31,504	6,82,395	6,49,109	951
		शहरी क्षेत्र	5,05,645	2,55,964	2,49,681	975

1	2	3	4	5	6	7
15.	मेघालय	कुल क्षेत्र	17,74,778	9,07,687	8,67,091	955
		ग्रामीण क्षेत्र	14,44,731	7,34,865	7,09,866	966
		शहरी क्षेत्र	3,30,047	1,72,822	1,57,225	910
16.	मिजोरम	कुल क्षेत्र	6,89,756	3,58,978	3,30,778	921
		ग्रामीण क्षेत्र	3,71,810	1,94,414	1,77,396	912
		शहरी क्षेत्र	3,17,946	1,64,564	1,53,382	932
17.	नागालैंड	कुल क्षेत्र	12,09,546	64,12,282	5,68,264	886
		ग्रामीण क्षेत्र	10,01,323	5,22,235	4,79,088	917
		शहरी क्षेत्र	2,08,223	1,19,047	89,176	749
18.	उड़ीसा	कुल क्षेत्र	3,16,59,736	1,60,64,146	1,55,95,590	971
		ग्रामीण क्षेत्र	2,74,24,753	1,37,94,955	1,36,29,798	988
		शहरी क्षेत्र	42,34,983	22,69,191	19,65,792	866
19.	पंजाब	कुल क्षेत्र	2,02,81,969	1,07,78,034	95,03,935	882
		ग्रामीण क्षेत्र	1,42,88,744	75,69,423	67,19,321	888
		शहरी क्षेत्र	59,93,225	33,08,611	27,84,614	868
20.	राजस्थान	कुल क्षेत्र	4,40,05,990	2,30,42,780	2,09,63,210	910
		ग्रामीण क्षेत्र	3,39,38,877	1,76,96,463	1,62,52,414	919
		शहरी क्षेत्र	1,00,67,113	53,56,317	47,10,796	879
21.	सिक्किम	कुल क्षेत्र	4,06,457	2,16,427	1,90,030	878
		ग्रामीण क्षेत्र	3,69,451	1,95,277	1,74,174	892
		शहरी क्षेत्र	37,006	21,150	15,856	750
22.	तमिलनाडु	कुल क्षेत्र	5,58,58,946	2,82,98,975	2,75,59,971	974
		ग्रामीण क्षेत्र	3,67,81,354	1,85,67,717	1,82,13,637	981
		शहरी क्षेत्र	1,90,77,592	97,31,258	93,46,334	960
23.	त्रिपुरा	कुल क्षेत्र	27,57,205	14,17,930	13,39,275	945
		ग्रामीण क्षेत्र	23,35,484	12,02,529	11,32,955	942
		शहरी क्षेत्र	4,21,721	2,15,401	2,06,320	958
24.	उ. प्रदेश	कुल क्षेत्र	13,91,12,287	7,40,36,957	6,50,75,330	879
		ग्रामीण क्षेत्र	11,15,06,372	5,91,97,138	5,23,09,234	884
		शहरी क्षेत्र	2,76,05,915	1,48,39,819	1,27,66,096	860
25.	प. बंगाल	कुल क्षेत्र	6,80,77,965	3,55,10,633	3,25,67,332	917
		ग्रामीण क्षेत्र	4,93,70,364	2,54,42,210	2,39,28,154	940
		शहरी क्षेत्र	1,87,07,601	1,00,68,423	86,39,178	858
संघ राज्य क्षेत्र						
1.	अंडमान, और निकोबार द्वीप	कुल क्षेत्र	2,80,661	1,54,369	1,26,292	818
		ग्रामीण क्षेत्र	2,05,706	1,11,986	93,720	837
		शहरी क्षेत्र	74,955	42,383	32,572	769

1	2	3	4	5	6	7
2.	चंडीगढ़	कुल क्षेत्र	6,42,015	35,86,214	2,83,401	790
		ग्रामीण क्षेत्र	66,186	40,548	25,638	632
		शहरी क्षेत्र	5,75,829	3,18,066	2,57,763	810
3.	दादर और नगर हवेली	कुल क्षेत्र	1,38,477	70,953	67,524	952
		ग्रामीण क्षेत्र	1,26,752	64,499	62,253	965
		शहरी क्षेत्र	11,725	6,454	5,271	817
4.	दमन और दीव	कुल क्षेत्र	1,01,586	51,595	49,991	969
		ग्रामीण क्षेत्र	54,043	28,111	25,932	922
		शहरी क्षेत्र	47,543	23,484	24,059	1024
5.	दिल्ली	कुल क्षेत्र	94,20,644	51,55,512	42,65,132	827
		ग्रामीण क्षेत्र	9,49,019	5,25,056	4,23,963	807
		शहरी क्षेत्र	84,71,625	46,30,456	38,41,169	830
6.	लक्षद्वीप	कुल क्षेत्र	51,707	26,618	25,089	943
		ग्रामीण क्षेत्र	22,593	11,530	11,063	959
		शहरी क्षेत्र	29,114	15,088	14,026	930
7.	पांडिचेरी	कुल क्षेत्र	8,07,785	4,08,081	3,99,704	979
		ग्रामीण क्षेत्र	2,90,800	1,47,599	1,43,201	970
		शहरी क्षेत्र	5,16,985	2,60,482	2,56,503	985

* भारत के लिए आंकड़े में जम्मू एवं कश्मीर की अनुमानित जनसंख्या शामिल है।

@ जम्मू एवं कश्मीर के लिए आंकड़े वही हैं जो जनसंख्या अनुमानों संबंधी विशेषज्ञ स्थायी समिति (अक्तूबर, 1989) द्वारा अनुमानित है।

स्त्रोत: भारत की जनगणना 1991, सीरीज-1 इंडिया, पेपर 1992 का 2 अंतिम जनसंख्या कुल: प्राथमिक जनगणना उदाहरण भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त।

[अनुवाद]

ऑपरेशन फ्लड

2191. **श्री पी. कोदंडा रमैया**
श्री अशोक प्रधान :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "ऑपरेशन फ्लड" के कार्यान्वयन में केन्द्र सरकार की क्या भूमिका है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 1997 तक विभिन्न राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के जिलों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो चालू वर्ष 1997-98 के दौरान कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) ऑपरेशन फ्लड को, जो केन्द्रीय क्षेत्र की योजनागत स्कीम थी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा था। केन्द्रीय सरकार दिशा-निर्देश देती थी। समूची विदेशी सहायता केन्द्रीय सरकार के माध्यम से प्राप्त होती थी।

(ख) ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) ऑपरेशन फ्लड कोष अप्रैल, 1996 को बंद हो गया।

विवरण-I

ऑपरेशन फ्लड - 3 के तहत राज्यवार जारी निधियां

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 1994-95	1995-96	1996-97 अप्रैल,96 (अनंतिम)	1996-97 मई,96 से मार्च, 97 (स्पिल ओवर)	कुल 1996-97
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान निकोबार.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	426.11	458.06	48.08	251.39	299.47

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	0.09	0.02	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	191.39	104.31	114.21	21.61	135.82
5.	दिल्ली	341.84	1,123.51	728.91	131.58	860.49
6.	गोवा	24.07	25.46	2.98	0.64	3.62
7.	गुजरात	7,958.09	6,305.29	2826.65	572.66	3399.31
8.	हरियाणा	373.34	199.16	35.61	1.22	36.83
9.	हिमाचल प्रदेश	5.22	49.87	26.11	1.81	27.92
10.	कर्नाटक	508.76	979.25	575.59	363.12	938.71
11.	केरल	240.25	401.16	63.76	41.79	105.55
12.	जम्मू और कश्मीर	0.02	2.12	45.08	0.00	45.08
13.	मध्य प्रदेश	(42.43)	461.27	0.00	1.12	1.12
14.	महाराष्ट्र	178.62	2,339.78	1311.18	345.39	1656.57
15.	मणिपुर	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.91	0.02	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	68.69	138.14	31.58	2.25	33.83
19.	पाण्डिचेरी	0.85	34.18	14.50	2.53	17.03
20.	पंजाब	182.09	359.97	23.75	16.87	250.62
21.	राजस्थान	356.55	492.65	-236.86	5.26	-231.60
22.	सिक्किम	0.07	0.11	0.19	0.00	0.19
23.	तमिलनाडु	569.87	596.78	154.26	2.79	157.05
24.	त्रिपुरा	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	1,861.67	2,374.16	460.07	927.15	1387.22
26.	प0 बंगाल	2,658.61	1,566.41	264.29	4.84	269.13
	राज्यों को कुल जारी	15,904.68	18011.76	6,699.94	2694.02	9393.96

नोट : ऑपरेशन फ्लड -3, 30.4.1996 को समाप्त हो गया है।

विवरण-II

कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड के तहत शामिल जिले नीचे दिए गए हैं

कर्नाटक

बंगलौर	चिकमगलूर
कोलर	मैसूर
बेलगांव	मांड्या
बीजापुर	रायचुर
धारवाड़	बेल्लारी
उत्तरी कन्नड़	दक्षिणी कन्नड़
गुलबर्गा	शिमोगा
बिदर	चित्रदुर्ग
हासन	तुमकुर
कूर्ग	

उत्तर प्रदेश

आगरा	जौनपुर
अलीगढ़	कानपुर
इलाहाबाद	लखनऊ
बलिया	मैनपुरी
बाराबंकी	मथुरा
बदायूं	मेरठ
बिजनौर	मिर्जापुर
बुलन्दशहर	मुरादाबाद
एटा	मुज्जफरनगर
इटावा	रायबरेली
फर्रूखाबाद	सहारनपुर
फतेहपुर	सीतापुर
गाजियाबाद	सुल्तानपुर
गाजीपुर	उन्नाव
हरदोई	वाराणसी

चावल के भंडार में विसंगति

2192. **डॉ0 लक्ष्मी नारायण पांडेय :**
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :
श्री मोहन रावले :
श्री वी.वी. राघवन :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 1400 करोड़ रुपये मूल्य का चावल गुम हो गया है जैसा कि 3 जुलाई, 1997 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें इस मामले के संबंध में क्या तथ्य प्रकाशित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने खाद्य मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम के चावल के भंडार के संबंध में आंकड़ों के बीच के अन्तर के संबंध में विशेष लेखापरीक्षा करने के आदेश दिए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। ''इंडियन एक्सप्रेस'' में 3 जुलाई, 1997 को यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से चावल गायब हो गए हैं। चावलों के गायब होने की परिकल्पना इस आधार पर की गई थी कि खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम ने स्टॉक संबंधी जो आंकड़े दिए थे उनमें अंतर था और इसी कारण विसंगतियां पैदा हुई थीं। तथापि, इन विसंगतियों का समाधान किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) जी, हाँ। सरकार ने भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा केन्द्रीय पूल में रखे गये खाद्यान्नों के स्टॉक की विशेष लेखापरीक्षा करने के आदेश दिए हैं। लेखा परीक्षा की रिपोर्ट अभी आनी है।

डॉक्सीसाइक्लिन के मूल्य में छूट

2193. **डॉ० बलिराम** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक्सीसाइक्लिन को अनुसंधान और विकास के आधार पर मूल्य नियंत्रण से छूट प्रदान किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह छूट कब से हटा लिया गया और इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हाँ, सरकार द्वारा प्रपुंज औषध डॉक्सीसाइक्लीन और इसके सूत्रयोगों पर मूल्य नियंत्रण से छूट इस उद्देश्य के लिए गठित प्रौद्योगिकी संबंधी मुददों पर विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आधार पर दी गई थी। मै० रेनबेक्सी लि० को यह छूट 25.8.95 से 28.4.98 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए दी गई थी।

(ग) तथापि, सभी पहलुओं की पूर्णतः जांच किए बिना मूल्य नियंत्रण से छूट के विरुद्ध अनेक शिकायत प्राप्त होने पर सरकार द्वारा उसी विशेषज्ञ ग्रुप से मामले को दोबारा जांच के लिए कहा गया था। विशेषज्ञ ग्रुप के सदस्यों ने मूल्य नियंत्रण से छूट सें संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार दिए थे। सरकार द्वारा समिति की रिपोर्ट की जांच की गई थी और इस छूट को वापस लेने का निर्णय लिया गया था। सरकारी अधिसूचना सं० 616 (अ) दिनांक 3.6.96 के द्वारा इस छूट को वापस लिया गया था।

चीनी का उत्पादन और भंडारण

2194. **श्री धीरेन्द्र अग्रवाल** :
श्री जी.ए. चरण रेड्डी :
श्री जयसिंह चौहान :
श्री शिवराज सिंह :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा कितनी चीनी का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या चीनी के उत्पादन में कमी आई है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या खरीदी गई गत वर्ष की तुलना में इस मौसम में चीनी उत्पादन कम रहा है;

(ङ) क्या मार्च 1997 से चीनी के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है;

(च) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) 31 मार्च, 1997 तक चीनी का कुल कितना भण्डार था और अब तक कुल कितनी चीनी खरीदी गई;

(ज) चीनी का उत्पादन और मांग पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(झ) क्या चीनी उत्पादन के बारे में विरोधात्मक रिपोर्टें हैं और एक तरफ सरकार का यह कहना है कि चीनी के उत्पादन का लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया है और दूसरी ओर सरकार चीनी का आयात करने के लिए आदेश जारी कर रही है; और

(ञ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और अब तक कितनी चीनी का आयात किया गया है और चालू वर्ष के दौरान कितनी चीनी का आयात किया जाएगा ?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी का राज्यवार उत्पादन दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) और (ग) चीनी का उत्पादन जो 1993-94 मौसम के दौरान 98.24 लाख टन था, 1994-95 में बढ़कर 146.43 लाख टन हो गया तथा आगे 1995-96 में 164.29 लाख टन हो गया।

(घ) चालू मौसम 1996-97 के दौरान 30 जून तक चीनी का उत्पादन 127.61 लाख टन था, जबकि पिछले वर्ष के इसी अवधि के दौरान 160.42 लाख टन था।

(ङ) और (च) चालू मौसम 1996-97 के दौरान 31 मार्च 1997 तक, चीनी का जो उत्पादन 106.05 लाख टन था, 30 जून, 1997 को बढ़कर 127.61 लाख टन हो गया।

(छ) फैक्ट्रियों के पास देशी चीनी का कुल स्टॉक 31.3.97 तक लगभग 114.62 लाख टन था। आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के तहत चीनी उत्पादन का 40% लेवी चीनी के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए रिलीज किया जा रहा है। तदनुसार 30 सितम्बर, 1997 तक, 48.07 लाख टन खपत के लिए रिलीज किया गया है।

(ज) से (ञ) मौसम के आरम्भ में पूर्वावशिष्ट स्टॉक तथा चालू 1996-97 मौसम के दौरान हुए उत्पादन सहित, 1996-97 मौसम के दौरान घरेलू खपत के लिए चीनी की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी। चालू चीनी मौसम के दौरान अभी तक कोई आयात नहीं किया गया है।

विवरण

1993-94 से 1995-96 मौसम के दौरान चीनी उत्पादन को राज्यवार दर्शानेवाला विवरण

(लाख टन में)

क्र. सं.	राज्य	1993-94	1994-95	1995-96 (अनंतिम)
1.	पंजाब	3.11	3.19	6.32
2.	हरियाणा	3.08	3.43	4.54
3.	राजस्थान	0.16	0.18	0.31
4.	उत्तर प्रदेश	27.15	36.09	43.60
5.	मध्य प्रदेश	0.37	0.70	1.29
6.	गुजरात	8.26	7.59	11.26
7.	महाराष्ट्र	27.46	50.25	53.76
8.	बिहार	2.21	3.94	3.79
9.	असम	0.04	0.07	0.07
10.	उड़ीसा	0.24	0.44	0.82
11.	प0 बंगाल	0.05	0.07	0.08
12.	नागालैंड	0.01	0.01	0.01
13.	आंध्र प्रदेश	6.47	8.74	8.66
14.	कर्नाटक	8.31	12.25	12.67
15.	तमिलनाडु	10.85	18.59	16.22
16.	पांडिचेरी	0.37	0.62	0.57
17.	केरल	0.02	0.11	0.13
18.	गोआ	0.08	0.16	0.19
	समस्त भारत	98.24	146.43	164.29

पटसन का समर्थन मूल्य

2195. **श्री अजमीरा चन्दूलाल :**
श्री डाराधन राय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत दो वर्षों के दौरान कच्चे जूट के मूल्य में कमी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पटसन उत्पादन कच्चे पटसन के लिए लाभकारी मूल्य निर्धारित न करने के कारण गम्भीर संकट का सामना कर रहे हैं और भारतीय पटसन निगम भी पटसन उत्पादकों से कच्चे पटसन को नहीं खरीद रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से कच्चे पटसन का समर्थन मूल्य निर्धारित करने और भारतीय पटसन निगम द्वारा उत्पादकों से पटसन को खरीदने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हाँ।

(ख) कच्चे जूट के मूल्य में कमी आने की प्रवृत्ति का मुख्य कारण 1996-97 के दौरान 97.5 लाख गांठों का उत्पादन जिससे कि जूट का लगभग 24 लाख गांठों का बकाया स्टॉक हो चुका है, एवं 1997-98 के दौरान जूट उत्पादन की अच्छी संभावनाएं होना है।

(ग) से (ङ) सरकार ने वर्ष 1997-98 के लिए असम के टीडी श्रेणी के कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा पहले ही कर दी है जो 1996-97 के 510 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले 570 रुपये प्रति क्विंटल है। यह मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुशंसा किए गए 550 रुपये प्रति क्विंटल से भी 20 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करते समय सरकार ने उत्पादन लागत सहित सभी संबद्ध कारकों को ध्यान में रखा है।

सरकार भारतीय जूट निगम (जे.सी.आई.) को पहले ही सलाह दे चुकी है कि वह जूट की खरीद में तेजी लाए। कच्चे जूट उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा चुके हैं:

(क) भारतीय जूट निगम को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों को आरम्भ करने का निदेश दिया जा चुका है।

(ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों को आरम्भ करने के लिए कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारतीय जूट निगम को 10 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने भी भारतीय जूट निगम को 10.00 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई ऋण सीमा प्राधिकृत की है जो जुलाई, 1997 तक वैध रहेगी।

(घ) भारत सरकार ने भी भारतीय जूट निगम द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों के लिए 33 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी स्वीकृत की है।

(ङ) न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों से संबंधित गतिविधियों में वृद्धि लाने के लिए भारतीय जूट निगम को और बजटीय समर्थन दिया जाएगा।

माननीय कपड़ा मंत्री, माननीय खाद्य मंत्री एवं माननीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री को पहले ही इस बात के लिए लिख चुके हैं कि वे एफ.सी.आई. एवं अन्य उर्वरक कंपनियों को जूट बैग की खरीद करने के लिए निदेश दें।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

2196. **श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान छात्रवृत्ति के लिए मंजूर धनराशि का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार बढ़ती मंहगाई को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता नीचे दी गई है :

वर्ष	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता (रुपये लाख में)
1994-95	96.35
1995-96	144.86
1996-97	179.93

(ख) और (ग) इस योजना के अंतर्गत अनुरक्षण भत्ते की दरें दिनांक 1.10.1995 से व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों के मामले में लगभग 50 प्रतिशत तथा गैर व्यावसायिक तथा गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों के मामले में लगभग 30% तक की वृद्धि पहले ही की जा चुकी है।

[अनुवाद]

एग्रो मार्किट स्थापित करना

2197. **श्री के.एच. मुनियप्पा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में एक "एग्रोमार्किट" स्थापित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो देश में स्थापित किए गए ऐसे बाजारों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा देश में ऐसे बाजार स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हाँ।

(ख) कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित नियंत्रित बाजारों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जम्मू-कश्मीर, केरल, मणिपुर एवं केन्द्र शासित प्रदेशों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नगर हवेली एवं लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों ने कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम बना लिए हैं फिर भी सरकार, कृषि उत्पाद बाजारों के नियंत्रण विधान नहीं बनाने वाले राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ यथाशीघ्र विधान बना लेने के लिए बातचीत कर रही है।

विवरण

31.03.97 की स्थिति के अनुसार थोक एकत्रीकरण एवं नियंत्रित बाजारों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	थोक बाजार	नियंत्रित प्रधान	बाजार उप-बाजार	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	823	244	579 (1)	823
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-
3.	असम	172	15	19	34
4.	बिहार	443	122	706	828
5.	गोवा	11	1	4	5
6.	गुजरात	384	154	225	379
7.	हरियाणा	275	100	175	275
8.	हिमाचल प्रदेश	35	8	27	35
9.	जम्मू और कश्मीर	26	ए.पी.एम.आर. अधिनियम अभी पास नहीं हुआ है।		

1	2	3	4	5	6
10.	कर्नाटक	462	133	329	462
11.	केरल	348	5	–	5(2)
12.	मध्य प्रदेश	607	296	311	607
13.	महाराष्ट्र	829	258	571	829
14.	मणिपुर	20	–	–	–
15.	मेघालय	101	–	–	–
16.	मिजोरम	8	ए.पी.एम.आर. अधिनियम अभी पास नहीं हुआ है।		
17.	नागालैंड	16	–	–	–
18.	उड़ीसा	163	57	87	144
19.	पंजाब	670	143	527	670
20.	राजस्थान	380	123	257	380
21	सिक्किम	10	ए.पी.एम.आर. अधिनियम अभी पास नहीं हुआ है।		
22.	तमिलनाडु	300	270	–	270
23.	त्रिपुरा	84	21	–	21
24.	उत्तर प्रदेश	645	262	383	645
25.	पश्चिम बंगाल	279	44	496	540
26.	अंडमान और निको. द्वीप समूह	–	ए.पी.एम.आर. अधिनियम अभी पास नहीं हुआ है।		
27.	चण्डीगढ़	3	1	2	3
28.	दादर और नगर हवेली	–	ए.पी.एम.आर. अधिनियम अभी पास नहीं हुआ है।		
29.	दमन और दीव	–	–	–	–
30.	दिल्ली	25	7	10	17
31.	लक्षद्वीप	–	ए.पी.एम.आर. अधिनियम अभी पास नहीं हुआ है।		
32.	पाण्डिचेरी	5	4	1	5
	कुल	7134	2268	4709	6977

नोट : आंकड़े अनन्तिम हैं।

1. बाजार समिति के मुख्यालय के अलावा स्थानों पर अतिरिक्त बाजारों का प्रतिनिधित्व करता है।

[हिन्दी]

हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन

2198. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय के अंतर्गत कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थानों/केन्द्रों/उपक्रमों/निगमों द्वारा अपने सरकारी काम काज तथा अनुसंधान कार्यों में सिर्फ अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन संगठनों के कार्यकरण की जांच करने हेतु किसी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की स्थापना करने तथा इन सभी समितियों में गैर सरकारी सदस्यों को नामित करने का है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(छ) क्या उक्त संगठनों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति की स्वर्ण जयंती पर पत्रिकाओं का कोई विशेष अंक प्रकाशित किया जा रहा है;

(ज) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान में इन संगठनों द्वारा संगठन-वार हिन्दी/अंग्रेजी तथा अन्य भाषा में मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जा रही पत्रिकाओं का ब्यौरा क्या है;

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ञ) कृषि शिक्षा तथा अनुसंधान कार्य हेतु राजभाषा को माध्यम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं सहकारिता विभाग में हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन कर लिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) में हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग में भी हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया जा रहा है।

(ग) से (च) कृषि एवं सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों, भारतीय राज्य फार्म निगम, नई दिल्ली नेशनल सीड्स कार्पोरेशन, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय सहकारी

विकास निगम, नई दिल्ली, के कामकाज में अंग्रेजी के अलावा राजभाषा विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में राजभाषा हिन्दी का भी प्रयोग किया जाता है। दिनांक 31.3.1997 को समाप्त तिमाही से संबंधित प्रगति रिपोर्टों के अनुसार भारतीय राज्य फार्म निगम, नेशनल सीड्स कार्पोरेशन एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा क्रमशः 29%, 47% एवं 72% मूल पत्राचार हिन्दी में किया गया है। कृषि विश्वविद्यालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं। बहरहाल 29 कृषि विश्वविद्यालयों में से 6 विश्वविद्यालयों अर्थात् जी.बी. पन्त कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर, इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर तथा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद एवं कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर में अंग्रेजी के अलावा भारतीय भाषाओं में भी शिक्षण कार्य किया जाता है। चार राष्ट्रीय संस्थानों में जिन्हें विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, में शिक्षण कार्य का माध्यम अंग्रेजी है, क्योंकि उनमें भारत के अहिन्दी भाषी राज्यों तथा विदेशों के विद्यार्थी भी अध्ययन करने आते हैं। तथापि, अंग्रेजी न जानने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हिन्दी में चलाए जाते हैं विद्यार्थियों एवं वैज्ञानिकों को शोध पत्र भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पुस्तकें तथा अनुदेश सामग्री भारतीय भाषाओं में भी प्रकाशित की जा रही है।

कृषि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अधिकांश संगठनों एवं संस्थानों के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गयी हैं। राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के निदेशानुसार इन समितियों में गैर सरकारी व्यक्तियों को सदस्य बनाने का प्रावधान नहीं है।

(छ) से (झ) कृषि मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार नियंत्रणाधीन संगठनों एवं संस्थानों द्वारा प्रकाशित की जा रही पत्र-पत्रिकाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है इन पत्रिकाओं की विषयवस्तु तकनीकी वैज्ञानिक तथा अनुसंधान कार्य से संबंधित है। फिर भी देश की स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती के सन्दर्भ में इन संस्थाओं से अपनी-अपनी पत्रिकाओं के आगामी अंक को विशेषांक का रूप देने को कहा गया है। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार आई.सी.ए.आर. द्वारा प्रकाशित "खेती" तथा केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित "सिफनेट न्यूज बुलेटिन" के विशेषांक प्रकाशित किए जा रहे हैं।

(ञ) हिन्दी भाषा को कृषि शिक्षा तथा अनुसंधान का माध्यम बनाने के लिए हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कृषि विज्ञान उससे संबंधित विश्वविद्यालय स्तर को पाठ्य पुस्तकें एवं सन्दर्भ ग्रंथ हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है।

विवरण

कृषि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन संगठनों/संस्थानों द्वारा प्रकाशित की जा रही पत्र-पत्रिकाएं

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	पत्र-पत्रिका	अवधि
1	2	3	4
1.	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, नई दिल्ली	कृषि समीक्षा (हिन्दी)	मासिक
2.	विस्तार निदेशालय, नई दिल्ली	1. इन्टेन्सिव एग्रीकल्चर (अंग्रेजी) 2. एग्रीकल्चर एक्स्टेंशन रिव्यू (अंग्रेजी) 3. उन्नत कृषि हिन्दी 4. कृषि विस्तार समीक्षा (हिन्दी)	द्वि मासिक
3.	राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली	हिन्दी बुलेटिन (हिन्दी)	वार्षिक
4.	राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव	नोवोड न्यूज लेटर (हिन्दी एवं अंग्रेजी)	वार्षिक
5.	राष्ट्रीय सहकारी श्रमिक संघ, नई दिल्ली	*लेबर कोआप्स (अंग्रेजी)	त्रैमासिक
6.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली	*एन.सी.डी.सी. बुलेटिन (अंग्रेजी)	द्विमासिक
7.	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली	*द. कोआपरेटर (अंग्रेजी)	मासिक

1	2	3	4
8.	काजू विकास निदेशालय, कोचीन	x द. केश्यू (अंग्रेजी)	त्रैमासिक
9.	नारियल विकास बोर्ड, कोचीन	1. इंडियन कोकोनट जर्नल (अंग्रेजी) 2. भारतीय नारियल पत्रिका (हिन्दी) 3. इंडियन लनल्लीकेरा जेर्णल (मलयालम)	त्रैमासिक
10.	केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन	न्यूज बुलेटिन (अंग्रेजी)	अर्द्धवार्षिक
11.	समेकित मीन उद्योग, कोचीन	न्यूज लेटर (अंग्रेजी)	अर्द्धवार्षिक
12.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	1. खेती (हिन्दी) 2. पलपूल (हिन्दी) 3. चयनिका (हिन्दी) 4. इंडियन जर्नल ऑफ एनीमल साइन्सेज (अंग्रेजी) 5. इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइन्सेज (अंग्रेजी) 6. इंडियन हार्टिकल्चर (अंग्रेजी) 7. इंडियन फार्मिंग (अंग्रेजी) 8. आई.सी.ए.आर. न्यूज (अंग्रेजी) 9. आई.सी.ए.आर. रिपोर्टर (अंग्रेजी)	मासिक त्रैमासिक त्रैमासिक मासिक मासिक त्रैमासिक मासिक त्रैमासिक त्रैमासिक

* इन पत्रिकाओं में कुछ लेन/अनुवाद हिन्दी में भी होते हैं।

** पत्र पत्रिकाओं की संस्थानवार जानकारी नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

मिट्टी का निर्यात

2199. **डॉ० एम. जगन्नाथ** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जून, 1997 को "एशियन एज" में "इंडिया एक्सपोर्टिंग इट्स सॉयल एवरॉड आलमोस्ट फॉर फ्री" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) देश में वनस्पति और वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) प्रकाशित समाचार में रूरल एडवांसमेंट फाउण्डेशन इण्टरनेशनल कनाडा द्वारा किए गए एक अध्ययन का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार अमरीका की दवा निर्माता कम्पनियों, जिनमें ब्रिस्टल मायर्स, लेपेटिटी लैब्स, फिजर तथा मर्क कम्पनियां भी शामिल हैं, द्वारा भारत के 25 सूक्ष्म जैविकी जीवों को पेटेंट किया गया है। बताया गया है कि वर्तमान आयात-निर्यात नीति, भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम तथा संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन, भारत से मृदा के नमूनों अथवा सूक्ष्म जैविकी जीवों के निर्यात को विनियमित नहीं करते। समाचार ने देश के वनस्पति जात और प्राणीजात के हस्तांतरण और उन तक पहुँच को नियमित करने के वास्ते एक राष्ट्रीय कानून बनाए जाने संबंधी विषय पर पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 10 जून, 1997 को आयोजित विषयों की बैठक का भी उल्लेख किया है।

सरकार रूरल एडवांसमेंट फाउण्डेशन इण्टरनेशनल के अध्ययन से अवगत है। अध्ययन में जिन पेटेंटों का उल्लेख किया गया है वे सूक्ष्मजीवों पर आधारित उत्पादों अथवा प्रक्रिया के लिए दिए गए हैं। सूक्ष्म-जीवों को पेटेंट नहीं किया गया है। यह सत्य है कि वर्तमान आयात-निर्यात नीति भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 तथा संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन भारत से मृदा के नमूनों अथवा सूक्ष्मजीवों के निर्यात को विनियमित नहीं करते हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 जून, 1997 को एक विचारगोष्ठी आयोजित की थी जिसमें देश के जैविकी संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने के वास्ते कानून बनाने संबंधी विषय को कार्यसूची में रखा गया था।

पर्यावरण और वन मंत्रालय देश की मृदा अथवा तलछट में मौजूदा सूक्ष्मजीवों सहित वनस्पति जात और प्राणिजात तक पहुंच को विनियमित करने के लिए कानून को अंतिम रूप दे रहा है।

पूर्वोत्तर राज्यों में हथियारों और औषधियों की तस्करी

2200. **श्री केशव महन्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों के रास्ते की जा रही हथियारों और औषधियों की तस्करी के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) जी हाँ श्रीमान। सीमाओं पर तैनात सुरक्षा बलों को सावधान कर दिया गया है और उन्हें शस्त्रों एवं नशीली दवाइयों की तस्करी की किन्ही रिपोर्टों के बारे में अगवत रखा जाता है। मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो ने पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों के साथ निकट समन्वय रखते हुए नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं और विभिन्न स्तरों पर स्थिति की समीक्षा समय-सयम पर की जाती है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता की स्वीकृति द्वारा राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकीरण/उन्नयन के अलावा, हथियारों एवं नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए उचित कदम उठाने हेतु विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी राज्य सरकारों के साथ बांटी जाती है। उठाए गए अन्य कदम हैं - सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ाना, प्रेक्षण चौकी टावर खड़े करना, नाकों की संख्या में वृद्धि करना, नाइट विजन डिवाइस सहित अत्याधुनिक यंत्रों, जीपों, ट्रेक्टरों, मोटर साइकिलों और मोटर बोटों की आपूर्ति के साथ-साथ सुभेद्य क्षेत्रों में सीमा जांच चौकियों के बीच की दूरी कम करना।

[हिन्दी]

संथाल जनजातीय शरणार्थी

2201. **श्री शिबू सोरेन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाखों संथाल जनजातीय शरणार्थी असम के कोकराझार जिले के किसी क्षेत्र में शरणार्थी कैम्प में दयनीय अवस्था में रह रहे हैं तथा वहां खाद्य पदार्थ, पेयजल, शरण स्थलों, चिकित्सा सुविधाओं तथा उचित देखभाल की गम्भीर कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या एक पांच सदस्यों से युक्त, संसदीय ग्रुप ने हाल में इन शरणार्थी शिविरों का दौरा किया तथा वहां के प्रबन्ध असंतोषजनक पाया; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उन्हें क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा उन्हें अपने घर वापस भेजने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वनभूमि

2202. **श्री डी.पी. यादव** :
श्री अशोक प्रधान :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में बंजर भूमि के रूप में दर्शाई गई वन भूमि का क्षेत्र कितने हैक्टेयर है;

(ख) इस भूमि में से कितना क्षेत्र पिछड़े क्षेत्रों में आता है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बंजर भूमि को उर्वर बनाने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

ङ)(सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर गांव

2203. **श्री रामसागर** : क्या कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर गांव के बारे में 12.9.1996 के तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 5431 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग) पूर्ण सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से अभी प्राप्त होनी है। राज्य सरकार से पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर इसके ब्यौरे सभा पटल पर रखे जाऐंगे।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रुग्ण चीनी मिल

2204. **श्री अशोक प्रधान** : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय स्थानवार कितने चीनी मिल रुग्ण हैं तथा बंद पड़ी हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीनी मिलों द्वारा गन्ने की खरीद न किये जाने के कारण किसानों को अपनी गन्ने की फसल जला देनी पड़ी;

(ग) यदि हाँ, तो इस स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या राज्य में रुग्ण चीनी मिलों को पुनः चालू करने के लिए कोई प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अधीन जो कम्पनियाँ रुग्ण हो गई हैं, उन्हें औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड को सौंप दिया जाता है। सरकारी कम्पनियों को भी इसमें शामिल करने के लिए इन प्रावधानों का विस्तार किया गया है। बी.आई.एफ.आर. के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित दो चीनी फैक्ट्रियां वर्तमान में रुग्ण एवं बन्द हैं :

(एक) स्वदेशी माइनिंग एंड मैनुफैक्चरिंग लि०, आनन्द नगर, गोरखपुर।

(दो) कानपुर शुगर वर्क्स लि०, गौरी फैक्ट्री ब्रांच, गौरीबाजार, देवरिया।

(ख) और (ग) चालू मौसम. 1996-97 में अभी तक किसी भी राज्य से किसानों द्वारा गन्ना जलाने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(घ) और (ङ) चीनी मिलों को स्वयं ही पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण की योजनाएँ तैयार करनी होती हैं तथा उन्हें वित्तीय संस्थानों से स्वीकृत कराना होता है। इस प्रकार के पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता भी उपलब्ध हैं, बशर्ते वे निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हों।

[अनुवाद]

विदेशी निवेश

2205. **श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला :**
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-97 में भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुल विदेशी निवेश का लगभग 20 प्रतिशत संयुक्त राज्य अमेरिका का था;

(ख) यदि हाँ, तो भारत में अन्य किन-किन देशों ने खाद्य प्रसंस्करण में निवेश किया और 1996-97 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों का निवेश कितना था; और

(ग) यदि हाँ, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य राज्य वर्ष 1997-98 के दौरान कितना और निवेश करने पर सहमत हुए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वर्ष 1996-97 के दौरान अमेरिकन कम्पनियों द्वारा किए गए विदेशी निवेश की मात्रा इस अवधि के दौरान मंजूर किए गए कुल विदेशी निवेश का करीब, 76.6% थी।

(ख) अमेरिकन कम्पनियों के अतिरिक्त आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, बरमूडा, कनाडा, चीन, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आइसलैंड, इटली, जमैका, जापान, मारीशस, नीदरलैंड, आयरलैंड गणराज्य, दक्षिणी अफ्रीका, श्रीलंका, स्विटरलैंड, थाईलैंड, यू.के. की कम्पनियों और अनिवासी भारतीयों से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1996-97 के दौरान अमेरिकन कम्पनियों द्वारा किए गए कुल विदेशी निवेश की मात्रा लगभग 3424 करोड़ रुपये और अन्य कम्पनियों द्वारा किए गए की मात्रा लगभग 1046 करोड़ रुपये है।

(ग) सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान विदेशी निवेश हेतु किसी देश के साथ कोई विशिष्ट समझौता नहीं किया है। वैसे आशा की जाती है कि विदेशी निवेश देश के विदेशी निवेश संबंधी योजना ढाँचे के भीतर किया जाए।

सिंथेटिक स्वापकों का सेवन

2206. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में सिंथेटिक स्वापकों का सेवन तेजी से बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार सिंथेटिक स्वापकों का सेवन किए जाने संबंधी मामलों की बढ़ती हुई संख्या को रोकने हेतु कदम उठाने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा स्वापक पदार्थों का सेवन किए जाने संबंधी मामलों को रोकने हेतु राज्य सरकार को जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) मद्यनिषेध तथा नशीली दवा दुरूपयोग निवारण की योजना के अंतर्गत इस मंत्रालय द्वारा स्वायत्तता प्रदान किए गए स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार देश में सिन्थेटिक स्वापकों के प्रयोग में बढ़ती हुई प्रवृत्ति है।

(ख) से (घ) यह मंत्रालय मद्यनिषेध तथा नशीली दवा दुरूपयोग निवारण की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जो चेतना निर्माण तथा नशीली दवाओं के कुप्रभाव उपचार और नशीली दवाओं के

व्यसनियों के पुनर्वास के बारे में शिक्षित करने के लिए एक समुदाय . आधारित दृष्टिकोण है। इस योजना के अंतर्गत, योजना के मानदंडों के अनुसार स्वीकृत व्यय के 30% की सीमा तक सहायता अनुदान नशामुक्ति व पनुर्वास केन्द्रों, जागरूकता और निवारण शिक्षा कार्यक्रमों के लिए जागरूकता तथा परामर्श केन्द्रों की स्थापना/अनुरक्षण के लिए एक नशामुक्ति शिविरों को आयोजित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान किया जाता है।

भारत की औषधि निर्माण कम्पनियों का भविष्य अंधकार में

2207. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई, 1997 को ''द ऑब्जर्वर ऑफ विजन्स एण्ड पॉलिटिक्स'' में ''डम्पिंग बॉय चाइना पुट्स इंडियन ड्रग कम्पनीज इन द् डॉक'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय औषधि निर्माण कम्पनियों के हितों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) चीन द्वारा भारतीय बाजार में मेट्रोनिडाजोल का ढेर लगाने के बारे में सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है।

(घ) भारतीय सीमा प्रशुल्क अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत कोई उत्पाद डम्प किया हुआ माना जाता है यदि इसका निर्यात किसी देश से इसके सामान्य कीमत से कम कीमत पर किया जाता है। डम्पिंग रोधी शुल्क तभी लगाया जा सकता है यदि यह तय हो जाता है कि डम्पिंग हुई है और डम्प की गई आयात के कारण स्वदेशी-उद्योग को वास्तविक रूप में क्षति होने की संभावना हो या स्वदेशी-उद्योग की स्थापना में प्रमुख बाधक है। डम्पिंग के विरुद्ध डम्पिंग रोधी शुल्क लगाने के लिए जांच करने के उद्देश्य से सभी याचिका सरकार को भेजी जाए। डम्प किए गए आयात की जांच प्रभावित स्वदेशी उद्योग की ओर से लिखित याचिका प्राप्त होने पर ही शुरू की जाए।

यातायात नियंत्रण हेतु कृत्रिक बल

2208. **श्री आई.डी. स्वामी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई और इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु यातायात को विनियमित करने और दोषी चालकों को पकड़ने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या दिल्ली के उप-राज्यपाल ने राजधानी में यातायात नियंत्रण के लिए कृत्रिक बल का गठन किया है;

(घ) यदि हाँ, तो कृत्रिक बल द्वारा अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इनके परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है और यातायात अवरोधक कारणों को दूर किया गया है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मक़बूल डार): (क) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
1994	9050	1884
1995	10138	2070
1996	11315	2091

(ख) दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा उठाये गये कदमों में यातायात के नियमों को कड़ाई से लागू करना, यातायात सिग्नल प्रणाली का उन्नयन, सड़क विभाजकों, गति अवरोधकों तथा अन्य ऐसे अवरोधकों का निर्माण करना, सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में जनता को शिक्षित करना शामिल है। दिल्ली में बढ़ती हुई यातायात की समस्या से निपटने के लिए ''मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम'' (एम.आर.टी.एस.) को दीर्घकालीन रणनीति के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) से (च) जी, हाँ, श्रीमान्। तथापि, यह समिति फरवरी, 1997 में ही गठित हुई है।, इसलिए यातायात के समग्र प्रबंधों पर इसके प्रभाव का आकलन करना जल्दीबाजी होगी।

नन्दा देवी जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र

2209. **श्री टी. गोपालकृष्ण** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंदा देवी जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण इसके मुख्य जोन को उनके लिए खोल दिए जाने हेतु आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो किस तिथि से जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र में ग्रामीणों को जाने से रोक दिया गया है;

(ग) क्या अब चोरी छिपे जानवरों को मारने वाले शिकारी बे रोक-टोक संरक्षित क्षेत्र में शिकार कर रहे हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जीव मंडल के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि उन्होंने समय-समय पर स्थानीय लोगों से पर्यटन तथा ट्रेकिंग के लिए कोर जोन क्षेत्र खोलने हेत पत्र एवं अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं।

(ख) 18.2.1983 से बायोस्फियर रिजर्व संबंधी कोर जोन में प्रवेश पर निषेधाज्ञा लगाई गई है।

(ग) जी, नहीं। राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि इस क्षेत्र में गश्त, इस प्रयोजनार्थ नियोजित स्टाफ द्वारा नियमित रूप से लगाई जाती है जो चोरी-छिपे शिकार और शिकार पर कड़ी निगरानी तथा नियंत्रण रखते हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते। तथापि, बफर जोन में पारि-विकास गतिविधियां, स्थानीय लोगों के सहयोग तथा उनकी भागीदारी से शुरू की जाती है।

गुजरात में फल और सब्जियों का उत्पादन

2210. **श्री हरिन पाठक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में फल और सब्जियों के उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) फल और सब्जी के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने गुजरात को किस प्रकार की सहायता प्रदान की है;

(ग) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान इसके लिये सरकार द्वारा मंजूर की गयी राशि और उस पर वास्तव में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) फल और सब्जियों के उत्पादन, प्रंसस्करण और विपणन में सरकार द्वारा गुजरात को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में फल और सब्जियों के उत्पादन और विकास के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेंगुगोपालाचारी): (क) देश में गुजरात का फलों के उत्पादन में सातवां तथा सब्जियों के उत्पादन में बारहवां स्थान है।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् फलों और सब्जियों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना तथा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान केन्द्रों के जरिए सहायता प्रदान कर रही है। इसके अलावा, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को विभिन्न फसलों पर तदर्थ उपकर निधियों द्वारा सहायता दी जा रही है। इस संबंध में वर्षवार स्वीकृत रकम का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) देश में (गुजरात सहित) फलों और सब्जियों की खेती के प्रवर्धन के लिए भारत सरकार निम्नलिखित योजनाएं (राज्य योजना स्कीम के अलावा) क्रियान्वित कर रही है। इसके अंतर्गत क्षेत्र विस्तार, क्वालिटी बीज और पौध रोपण सामग्रियों की आपूर्ति, उत्पादकता सुधार हेतु आदान की आपूर्ति, प्रदर्शन और प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता दी जाती है।

(1) फलों का समेकित विकास

(2) सब्जियों के बीजों का उत्पादन और सप्लाई

(3) कन्द मूल फसलों का विकास

(4) खुम्भी का विकास

(5) कृषि में प्लास्टिक का उपयोग

(6) ग्रामीण क्षेत्रों में पोषक बगानों की स्थापना

(7) फसल उत्पादकता सुधारने के लिए मधुमक्खी पालन का विकास

भारत सरकार कटाई पश्चात् संभाल हेतु अवसंरचना तथा फलों और सब्जियों के लिए विपणन सुविधाओं के सृजन के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के जरिए सुगम ऋण दे रही है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ऋण के रूप में विपणन और प्रसंस्करण हेतु अवसंस्थनात्मक विकास के लिए फल और सब्जी उत्पादकों की सहकारी समितियों को सहायता प्रदान कर रहा है। दूसरी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रसंस्करण एककों को स्थापना के लिए सहायता दे रहा है। इसके अलावा कृषि और संसाधित खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण निर्यात प्रवर्धन, जिसमें अवसरंचनात्मक विकास और हवाई भाड़ा राजसहायता शामिल है, के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए सहायता दे रही है। इन मामलों में सहायता मांग के आधार पर प्रत्येक मामले में दिया जाता है।

विवरण

फल एवं सब्जियों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के लिए आई.सी.ए.आर. द्वारा गुजरात सरकार को वित्तीय सहायता दर्शाने वाला विवरण

आई.सी.ए.आर. निम्नलिखित के माध्यम से वित्तीय सहायता दे रहा है :

(i) संस्थान/एन.आर.सी./पी.डी./संस्थान के क्षेत्रीय स्टेशन

(ii) ए.आई.सी.आर.पी. केन्द्र

(iii) तदर्थ ए.पी. सैस निधि योजना

विवरण इस प्रकार है। (लाख रुपये में)

क्र. सं.	संस्थान/ए.आई.सी.आर.पी. का नाम	स्थिति के साथ केन्द्र का नाम	75% हिस्से के रूप में आई.सी.ए.आर. द्वारा जारी धनराशि			कुल
			1994-95	95-96	96-97	
1.	उष्ण कटिबन्धीय फलों पर ए.आई.सी.आर.पी.	फल अनुसंधान स्टेशन गांडे-6, जी.ए.यू. के अधीन बनासकांठा (गुजरात)	4.65	3.22	3.25	11.12
2.	उप-उष्ण कटिबन्धीय फलों पर ए.आई.सी.आर.पी.	कृषि प्रयोग स्टेशन पार्या, जी.ए.वी. बनासकॉठा (गुजरात)	3.90	5.33	4.41	13.64
3.	शुष्क क्षेत्र फलों पर ए.आई.सी.आर.पी.	डेट पाम अनुसंधान स्टेशन गुजरात कृषि विश्वविद्यालय नुन्द्रा (कच्छ) गुजरात	3.37	3.67	4.28	11.32
4.	शुष्क क्षेत्र फलों पर ए.आई.सी.आर.पी.	एस.के. नगर (दन्तीवाड़ा) जी.ए.यू. गुजरात	4.47	4.68	5.13	14.28
5.	सब्जी फसलों पर ए.आई.सी.आर.पी.	जूनागढ़ जी.ए.यू. गुजरात	2.47	2.52	2.58	7.57
6.	आलू पर ए.आई.सी.आर.पी.	डीसा, जी.ए.यू. गुजरात	6.17	6.32	5.09	17.58
	संस्थान					
1.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर अनुसंधान स्टेशन	केन्द्रीय बागवानी प्रयोग स्टेशन गोधरा (गुजरात)	33.21	36.70	49.22	119.13 (100% आई.सी.ए.आर. हिस्सा)

ए.पी. उपकर निधि योजनाओं का ब्यौरा (100% भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का अंश)

योजना का नाम	स्थान	कुल परिव्यय	अवधि	निर्मुक्त निधि
1	2	3	4	5
फल				
*उच्च लिंग अनुपात (मादा:नर) हेतु अनोला फाइलैंथस एम्बिका एल जर्मप्लाज्म की संवीक्षा (फाइल सं० 9-35/91 बागवानी-1)	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय आनंद (बागवानी विभाग)	3,92,960 रुपये	5 साल (1.4.94 से 31.3.99)	2,71,376

1	2	3	4	5
*स्पोटा पर आधारित संसाधित उत्पादों का विकास (फां.सं. 27-8/91-बागवानी-1)	कृषि वानिकी एवं बागवानी महाविद्यालय जी.ए.यू. नवसारी (गुजरात)	8,05,800 रुपये	4 साल (1.4.94 से 31.3.97)	7,62,566
*आमला एम्बिका ओफिसिनालिस में कृमि प्रबंधन के लिए विकास रणनीति तैयार करना (फा.सं.16-18/94-बाग-1)	एन्टोमोलोजी विभाग, कृषि बी.ए. महाविद्यालय जी.यू. आनन्द (गुजरात)	2,28,200 रुपये	3 साल (1.2.93 से 31.1.96)	44,200
सब्जियाँ				
गुजरात को उत्पादकता में वृद्धि के लिए शुद्ध आलू बीज के अधिक उत्पादकता वाली किस्म का विकास (फा.सं. बी-12/94-बाग-2)	आलू अनुसंधान स्टेशन जी.ए.यू. डीसा (गुजरात)	7,98,820 रुपये	4 साल (18.11.95 से 7.11.99)	3,36,355
*सब्जी फसलों में संकर अनुसंधान के संवर्धन पर आई.सी.ए.आर. अनुसंधान नेटवर्क परियोजना (फां.स.15-95/-बागवानी-2)	जी.ए.यू. प्रांगण आनन्द (गुजरात)	12,32,600 रुपये	3 साल (1.10.97 से 31.3.98)	9,42,800

पूर्वोत्तर परिषद्

2211. **श्री बादल चौधरी :**
श्री चित्त बसु :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पूर्वोत्तर परिषद का गठन करने की योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हाल ही में एक सम्मेलन किया था; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्मेलन के क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (घ) जी, हाँ, श्रीमान। प्रधानमंत्री ने 20 और 21 जून, 1997 को पूर्वोत्तर के सभी सातों राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ एक बैठक की थी। बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष को इस परिषद का अध्यक्ष और पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसके सदस्य के रूप में शामिल करके, परिषद को पुनगर्ठित करने का निर्णय लिया गया था। पूर्वोत्तर, परिषद को, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित, शर्तों को पूरा करके, अपने अनुमोदित बजट के तहत ही परिषद् द्वारा एक बार अनुमोदित योजनाओं को संस्वीकृत करने की शक्तियां भी प्राप्त होंगी।

पूर्वोत्तर परिषद् की योजनाओं में, अन्तर्राज्यीय, प्रकृति की योजनाओं के अलावा अन्तर-राज्य लाभ की वे बड़ी योजनाएं शामिल होंगी जो अलग-अलग राज्यों में अवस्थित हैं। पूर्वोत्तर परिषद्, सुरक्षा से जुड़े मामलों की समीक्षा की अपनी भूमिका अब त्याग देगी।

[हिन्दी]

स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता

2212. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से ऐसे स्वयंसेवी संगठनों के बारे में सूचना मांगी है जो विदेशी सहायता प्राप्त करते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन राज्यों ने यह सूचना भेज दी है;

(ग) किन-किन राज्यों ने यह सूचना नहीं भेजी है; और

(घ) राज्यों से कब तक इस सूचना को प्रदान करने के लिए कहा गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन), अधिनियम, 1976 की धारा 6 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था है कि ऐसी कोई भी एसोसिएशन, जिसका कोई निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम न हो, तब तक विदेशी अभिदाय प्राप्त नहीं कर सकती है, जब तक कि इस प्रकार की एसोसिएशन, अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार अपने आपको केन्द्र सरकार के पास पंजीकृत नहीं करवा लेती। अधिनियम में आगे यह व्यवस्था है कि ऐसी प्रत्येक एसोसिएशन, यदि वह केन्द्र सरकार के पास पंजीकृत नहीं है, केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार से पंजीकृत

एसोसिएशन या विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त एसोसिएशनों को निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक लेखा-जोखा प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसमें विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उसके उपयोग के ब्यौरे दिए गए हों। ऐसी एसोसिएशनों से प्राप्त सूचना के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसकी प्रतिलिपियां, सूचनार्थ और संबंधित एसोसिएशनों द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन, यदि कोई हों, के बारे में रिपोर्ट करने के लिए राज्य सरकारों को भेजी जाती हैं।

[अनुवाद]

पशुपालन क्षेत्र का विकास

2213. **डॉ० अरुण कुमार शर्मा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए तैयार किए जा रहे नौवीं योजना प्रस्तावों में किन-किन बातों पर बल दिया गया है;

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के महत्व के लिए किन-किन विशेष क्षेत्रों की पहचान की गई है तथा नौवीं योजनावधि के दौरान चालू वित्तीय वर्ष सहित कितना वित्तीय परिव्यय किया गया है;

(ग) क्या इन प्रस्तावों में असम सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित राज्य पशुपालन तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव भी शामिल है;

(घ) क्या असम पशुधन तथा कुक्कुट निगम लिमिटेड ने "समेकित जिला पशुधन तथा कुक्कुट विकास के यू" संबंधी रोजगार सृजन की एक योजना प्रस्तुत की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस परियोजना हेतु नौवीं योजना तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए आबंटन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) जिन प्रमुख क्षेत्रों पर नौवीं योजना प्रस्तावों को तैयार करते समय बल दिया गया है, उनका संबंध पशुधन उत्पादन तथा उत्पादकता क्षमता में वृद्धि करने से है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आय, पौषणिक आहार तथा रोजगार के अवसरों में सुधार लाना है। योजना आयोग ने नौवीं योजना प्रस्तावों को अभी तक अनुमोदन नहीं दिया है। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए, विभाग के बजट को न्यूनतम 10 प्रतिशत भाग उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया गया है। उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए दी गई प्राथमिकता वाले विशेष क्षेत्र हैं : स्टॉक का आणुवांशिक उन्नयन, सुअर तथा कुक्कुट क्षेत्रों के लिए अधिक आबंटन तथा उपलब्ध अन्तःसंरचनात्मक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।

(ग) से (ङ) असम सरकार से योजनाएं इस मंत्रालय में प्राप्त हो गई हैं। योजनाओं की जांच की जा रही है क्योंकि योजना आयोग द्वारा नौवीं योजना के आवंटन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

बालगृह

2214. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली के बाल गृहों में व्याप्त प्रतिकूल स्थिति से संबंधित दिनांक 11 जून, 1997 के "द पायनियर" में "मेनी ऑफ देम लूज देयर चाईल्डहुड एट होम" शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें उल्लिखित मामले के तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) उक्त समाचार के प्रकाशित होने से पहले ही, दिल्ली और देश के अन्य भागों में शिशु गृहों में व्याप्त अत्यंत असंतोषजनक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कल्याण मंत्रालय ने उनके प्रबंधन के लिए उत्तरदायी विभिन्न राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से उपचारी कार्रवाई करने को कहा है। यह मंत्रालय इस संबंध में किशोर न्याय अधिनियम, 1986 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उपेक्षित और अपराधी किशोरों की देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए सुविधाओं की स्थापना और व्यवस्था के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

काली मिर्च का प्रौद्योगिकी मिशन

2215. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व मानदण्ड की तुलना में देश में काली मिर्च का उत्पादन कम है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में मिर्च/काली मिर्च का उत्पादन बढ़ाने अथवा काली मिर्च के लिए कोई प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने की योजना बनाई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और मिर्च/काली मिर्च के प्रमुख उत्पादक केन्द्रों में इसकी उत्पादकता क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो वर्तमान में विश्व मानदण्ड के अनुसार काली मिर्च के उत्पादन में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हाँ।

(ख) कम उत्पादकता के कारण निम्नलिखित हैं :

(एक) अन्य बागवानी फसलों के साथ अन्तः फसल के रूप में काली मिर्च का उत्पादन;

(दो) कम उत्पादकता वाली कमजोर नीची संरचना की पुरानी किस्में;

(तीन) रोगों तथा कीटों का प्रभावी होना; तथा

(चार) पुराने बगीचों के पुनरुद्धार/पुनर्रोपण पर किसानों द्वारा पर्याप्त ध्यान न देना।

(ग) और (घ) केरल राज्य सरकार ने राज्य के क्रियाकलाप के रूप में क्रियान्वयन के लिये काली मिर्च के लिये प्रौद्योगिकी मिशन का प्रस्ताव किया है। इस मिशन का उद्देश्य काली मिर्च के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये इस फसल के विकास में लगे हुये तथा इस राज्य में स्थित केन्द्रीय तथा राज्य की सभी संस्थानों/एजेंसियों के क्रियाकलापों को समन्वित करना तथा उपलब्ध संसाधनों तथा प्रयासों का सम्मिलित रूप से उपयोग करना है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता अदालतों के लिये अनुदान उपयोग की मंजूरी

2216. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है जिसमें वर्ष 1995 और 1996 और वित्त वर्ष 1997-98 के लिये उपभोक्ता अदालतों को सुदृढ़ बनाने के लिये प्रदत्त वित्तीय अनुदान जो कुल मिलाकर औसत 173.80 रुपये बैठता है के इस्तेमाल की मंजूरी का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को उपभोक्ता न्यायालयों के आधार-ढांचे को मजबूत करने के लिए 1995-97 में मंजूर अनुदान का उपयोग वर्ष 1997-98 के दौरान करने की अनुमति पहले ही दे दी है।

पेनिसिलीन "जी" के उत्पादन में कटौती

2217. **श्री नारायण आठवले** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "बल्क ड्रग्स मेन्युफैक्चर एसोसिएशन" ने बल्क ड्रग्स की कीमतों की मांग तथा आपूर्ति में अत्यधिक अंतर के कारण को स्थिर करने, जो हाल ही में काफी गिर गई है; के लिए घरेलू पेन "जी" के उत्पादन में कटौती करने के लिए कोई तरीका निकालने के बारे में सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है; और

(ग) विगत 16 माह के दौरान अर्थात् 31.7.97 तक पेन "जी" और दूसरे बल्क ड्रग्स के उत्पादन के संबंध में सरकार द्वारा नए सिरे से उठाए गए नीतिगत कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हाँ। प्रपुंज औषण निर्माता संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिनमें उन्होंने सुझाव दिया है कि पेन जी के सभी पांच प्रमुख निर्माता यथा स्पिक, टी.जी.बी.एल., जे.के.पी.एल., पी. एम.जी.बी. और एलेम्बिक को अपने उत्पादन को 75% तक के स्तर तक जो आज उत्पादन किया जा रहा है, उत्पादन को स्वैच्छिक आधार पर रोकने की सलाह दी जाए। फिर भी सरकार को पेन जी के उत्पादन में कटौती करने का नियमानुसार अधिकार नहीं है।

(ग) प्रपुंज औषध के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम औषध नीति, 1986 में संशोधन का एक भाग बनता है जो सितम्बर, 1994 से लागू हुआ, में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न प्रकार है :

1. कुछ मामलों को छोड़कर औद्योगिक लाइसेंस बन्द कर दिया गया है।
2. कच्चे माल/मध्यवर्तियों पर सीमा शुल्क की कमी।
3. विदेशी निवेश में उदारीकरण।
4. कीमत निर्धारण पद्धति को सरल बनाना।

कृषि अनुसंधान संबंधी संयुक्त समिति

2218. **श्री नामदेव दिवाथे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान और 31 जुलाई, 1997 तक भारतीय कृषि वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों ने विकसित/विकासशील देशों के साथ संयुक्त कृषि अनुसंधान के लिए क्षेत्रों का पता लगाने, आपसी समझौता करने और द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए कोई संयुक्त बैठक आयोजित की है;

(ख) यदि हाँ, तो देशवार चर्चा किए गए मद्दों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए दिनांक 5-6 फरवरी, 1997 को ओवरसीज विकास प्रशासन (ओ.डी.ए.), यू.के. तथा दिनांक 10-11 जुलाई 1997 को भारत-ए.सी.आई.ए.आर. (अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधा-

के लिए आस्ट्रेलियन केन्द्र) के साथ संयुक्त रूप से कार्यशालाओं का आयोजन किया था।

(ख) भा.कृ.अ.प., ओ.डी.ए. संयुक्त कार्यशाला में जिन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें से प्रमुख हैं - प्राकृतिक संसाधन प्रणाली, पौध विज्ञान कार्यक्रम, फसल संरक्षण, जैव प्रौद्योगिकी, फसल की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण, पशु स्वास्थ्य, पशुधन उत्पादन, मात्स्यिकी-विज्ञान, बारानी कृषि तथा जल संभर प्रबंध, शहर के आस-पास की स्थितियां, जल की गुणवत्ता तथा कृषि वानिकी प्रणाली शामिल हैं। भारत ए.सी.आई.ए.आर. परामर्श में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया : भारत - ए.सी.आई.ए.आर. कार्यक्रम की समीक्षा, भावी राष्ट्रीय अनुसंधान प्राथमिकताओं का परिप्रेक्ष्य, आस्ट्रेलियाई सहायता के अवसर, कृषि अनुसंधान में भावी ए.सी.आई.ए.आर. - भारत सहयोग हेतु प्राथमिकताएं।

फसल सुधार, फसल की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी, पशु विज्ञान, प्राकृतिक संसाधन प्रबंध, वानिकी, मात्स्यिकी, कृषि प्राकृतिक संसाधन आर्थिकी तथा प्रणाली क्षमता निर्माण के क्षेत्र में ओ.डी.ए. तथा ए.सी.आई.ए.आर. के साथ सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाया गया।

(ग) ओ.डी.ए. कार्यशाला में की गई सिफारिशों पर अनुसरण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा कार्यशाला में जिन क्षेत्रों की पहचान की गई उनमें संयुक्त अनुसंधान प्रायोजनाओं को शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

बाघों का संरक्षण

2219. **श्री लक्ष्मण सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश को देश में बाघ संरक्षण वाले राज्य के रूप में घोषित किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो बाघों के संरक्षण तथा इनकी संख्या में वृद्धि हेतु राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ग) क्या देश में बाघों के संरक्षण के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, हां।

(ख) गत पांच वर्षों में बाघ परियोजना क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता और राज्य में बाघों की सूचित संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) यद्यपि, देश में बाघों की सुरक्षा के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार से कोई परियोजना प्रस्ताव नहीं है, लेकिन विश्व पर्यावरणीय सुविधा ने पारि-विकास के लिए 5 वर्षों के लिए 67 मिलियन अमरीकी डालर से एक परियोजना चलाई है जिसमें 6 प्रमुख बाघ वाले क्षेत्र भी शामिल हैं।

विवरण

गत पांच वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सहायता के बंटन को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	राशि रुपयों में
बाघ परियोजना स्कीम	
1992-93	89,09,200
1993-94	125,10,400
1994-95	142,59,500
1995-96	140,97,900
1996-97	141,57,000
पारि-विकास स्कीम	
1992-93	26,29,000
1993-94	29,43,500
1994-95	38,48,200
1995-96	26,27,000
1996-97	26,29,500 और 30 लाख विश्व पर्यावरणीय सुविधा पेंच के लिए
आदिवासी विकास के लिए लाभोन्मुख स्कीम	
1992-93	6,48,000
1993-94	7,50,000
1994-95	-
1995-96	16,00,000
1996-97	77,92,000

मध्यप्रदेश के बाघ रिजर्वों में सूचित बाघों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

रिजर्व का नाम	सृजित किए जाने का वर्ष	1979	1984	1989	1993	1995
1. कान्हा (म.प्र.)	1973-74	71	109	97	100	97
2. इन्द्रावती (म.प्र.)	1982-83	-	38	28	18	15
3. पेंच (म.प्र.)	1992-93	-	-	-	39	27
4. बांधवगढ़ (म.प्र.)	1993-94	-	-	-	41	46
5. पन्ना (म.प्र.)	1994-95	-	-	-	25	22
		71	147	125	223	207

[हिन्दी]

वन भूमि

2220. **श्री हंस राज अहीर** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए कुल कितने प्रतिशत भूमि को वन भूमि के लिए संरक्षित रखा गया है; और

(ख) वन भूमि की प्रतिशतता को राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : (क) कानूनी रूप से दर्ज वन क्षेत्र, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.28 प्रतिशत है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भौगोलिक क्षेत्र, दर्ज वन क्षेत्र और भारत के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भौगोलिक क्षेत्र के दर्ज वन क्षेत्र का प्रतिशत (वर्ग कि.मी.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र	दर्ज वन क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र के दर्ज वन क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	275068	61814	23.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	88621	51540	61.64
3.	असम	78438	30708	39.15
4.	बिहार	173877	29226	16.81
5.	दिल्ली	1483	42	2.83
6.	गोवा, दमन और दीव	3814	1424	37.34
7.	गुजरात	196024	19393	9.89
8.	हरियाणा	44212	1673	3.78
9.	हिमाचल प्रदेश	55673	35407	63.69
10.	जम्मू व कश्मीर	222235	20182	9.08
11.	कर्नाटक	191791	38724	20.19
12.	केरल	38863	11221	28.87
13.	मध्य प्रदेश	443446	154497	34.84
14.	महाराष्ट्र	307690	63842	20.75
15.	मणिपुर	22327	15154	67.87
16.	मेघालय	22429	9496	42.34
17.	मिजोरम	21081	15935	75.59
18.	नागालैंड	16579	8629	52.04
19.	उड़ीसा	155707	57184	36.78
20.	पंजाब	50162	2901	5.76
21.	राजस्थान	342239	31700	9.26
22.	सिक्किम	7096	2650	37.34
23.	तमिलनाडु	130058	22628	17.40
24.	त्रिपुरा	10486	6292	60.01
25.	उत्तर प्रदेश	294411	51663	17.54
26.	पश्चिम बंगाल	88752	11879	18.38
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8249	7171	86.93
28.	चंडीगढ़	114	29	27.19
29.	दादरा और नगर हवेली	491	203	41.34
30.	लक्षद्वीप	32	-	
31.	पाण्डिचेरी	493	-	
	कुल	3287263	765210	23.28

[अनुवाद]

पुलिसकर्मियों को संरक्षण

2221. **श्री के.पी.सिंह देव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ईमानदार और दक्ष पुलिसकर्मियों को उचित संरक्षण देने के मौजूदा कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) वर्तमान कानूनों और निर्देशों में, ईमानदार और कार्यकुशल पुलिस कर्मियों को संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है। वर्तमान कानूनों और निर्देशों की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रतिबंधित कीटनाशक और कृषि में उनका प्रयोग

2222. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन कीटनाशकों के ब्रांड नामों का ब्यौरा क्या है जिन पर विश्वव्यापी प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) क्या उन कीटनाशकों में से कुछ का देश में अभी भी प्रयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) समेकित कीटनाशक प्रबंधन कार्यक्रम को तेजी से कार्यान्वित करने और कीटनाशकों के प्रयोग के सम्बन्ध में किसानों को पर्याप्त रुप से प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिबंधित कीटनाशकों को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अंतर्गत सरकार देश में उपयोग के लिए कृमिनाशियों को उनके सामान्य नाम से पंजीकृत करती है। पंजीकृत कृमिनाशियों का देश में कई विभिन्न ब्रांड के नाम से विपणन किया जाता है। कृमिनाशियों के सामान्य नाम, जिन पर विश्व के कुछ अन्य देशों में रोक लगाई गई है/सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है किन्तु इस देश में उनका अभी भी उपयोग किया जा रहा है की सूची संलग्न विवरण I पर है।

(ग) ऐसी कृमिनाशियों के लगातार उपयोग के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

1. अधिक सुरक्षित/सस्ती प्रतिस्थापितियों को अनुपलब्धता।
2. विशिष्ट कृमियों और रोग को स्थितियों पर काबू पाना।
3. शीतोष्ण क्षेत्र के देशों की तुलना में भारतीय पर्यावरणीय स्थितियों में कुछ कृमिनाशियों का त्वरित अपरदन तथा कम स्थायित्य।

(घ) (1) सरकार उन कृमिनाशियों, जिनपर विश्व के अन्य देशों में रोक लगा दी गई है, सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है, के लगातार उपयोग की समीक्षा पंजीकरण समिति या विशेष रूप से गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा करती रहती है। कृमिनाशियों जिनको समीक्षा की गई है/ की जा रही है/ की जानी है, की सूची संलग्न विवरण-II पर है।

(2) किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार ने मास्टर प्रशिक्षक हेतु मौसम पर्यन्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करके तथा कृषक के खेतों पर विद्यालय खोलकर मानव संसाधन विकास पर विशेष जोर दिया है। खेतों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए अब तक समेकित कृमि प्रबंध दक्षताओं में 812 मास्टर प्रशिक्षकों, 21,145 कृषि विस्तार अधिकारियों तथा 1,40,068 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

विवरण-I

क्र. सं.	उत्पाद का नाम	समीक्षा की स्थिति	उपयोग की स्थिति
1	2	3	4
1.	अलैक्लोर	समीक्षा की जा रही है।	
2.	अल्डोकार्ब	समीक्षा कर ली गई है।	उपयोग को अनुमति दी गई है।
3.	एल्युमिनियम फास्फाईड	समीक्षा कर ली गई है।	उपयोग को अनुमति दी गई है।
4.	बेनोमिल	समीक्षा की जा रही है।	
5.	केप्टाफोल	समीक्षा कर ली गई है।	उपयोग प्रतिबंधित।
6.	केप्टन	समीक्षा कर ली गई है।	उपयोग को अनुमति दी गई है।
7.	कारबेरिल	समीक्षा कर ली गई है।	उपयोग को अनुमति दी गई है।
8.	कार्बोफुरन	समीक्षा नहीं की गई है।	
9.	क्लोरोबैंजाईलेट	समीक्षा कर ली गई है।	उपयोग प्रतिबंधित।
10.	डाई-कोफोल	समीक्षा कर ली गई है।	उपयोग को अनुमति दी गई है।
11.	डाई-मिथोऐट	समीक्षा कर ली गई है।	उपयोग को अनुमति दी गई है।
12.	डाई-यूरोन	समीक्षा की जा रही है।	
13.	डी.डी.टी.	समीक्षा कर ली गई है।	उपयोग प्रतिबंधित।
14.	डाई-एल्ड्रोन	समीक्षा कर ली गई है।	उपयोग प्रतिबंधित।
15.	एण्डोसल्फेन	समीक्षा कर ली गई है।	उपयोग को अनुमति दी गई है।
16.	ईथिलोन डाई-ब्रोमाईड	समीक्षा कर ली गई है।	उपयोग प्रतिबंधित।
17.	फेनारिमोल	समीक्षा की जा रही है।	
18.	लिन्डेन	समीक्षा कर ली गई है।	उपयोग प्रतिबंधित।
19.	मेलाथिओन	समीक्षा नहीं की गई है।	
20.	मेलिईक हाईड्राजाईड	समीक्षा नहीं की गई है।	
21.	मिथाक्सी ईथाईल मर्करी क्लोराईड	समीक्षा नहीं की गई है।	
22.	मिथोमिल	समीक्षा नहीं की गई है।	
23.	मोनोक्रोटोफोस	समीक्षा की जा रही है।	
24.	मिथाईल पैराथिओन	समीक्षा कर ली गई है।	उपयोग प्रतिबंधित।
25.	ऑक्सी-फ्लूरेफेन	समीक्षा की जा रही है।	

1	2	3	4
26.	पैराक्वेट डाई-क्लोराईड	समीक्षा कर ली गई है।	उपयोग को अनुमति दी गई है।
27.	फोरेट	समीक्षा कर ली गई है।	उपयोग को अनुमति दी गई है।
28.	फोस्फामिडेन	समीक्षा की जा रही है।	
29.	प्रिटिलाक्लोर	समीक्षा नहीं की गई है।	
30.	सोडियम साईनाईड	समीक्षा कर ली गई है।	उपयोग प्रतिबंधित।
31.	ट्राई-जोफोस	समीक्षा की जा रही है।	
32.	ट्राई-डेमोर्फ	समीक्षा की जा रही है।	
33.	थायोमेटोन	समीक्षा की जा रही है।	
34.	थिरम	समीक्षा नहीं की गई है।	
35.	ट्राई-क्लोरो एसिटोक एसिड	समीक्षा नहीं की गई है।	
36.	जिंक फास्फाईड	समीक्षा कर ली गई है।	उपयोग प्रतिबंधित।
37.	जिरम	समीक्षा की जा रही है।	

विवरण-II

क्र.सं.	कृमिनाशी का नाम	उपयोग पर रोक लगा दी गई है	उपयोग को अनुमति दी गई है	उपयोग प्रतिबंधित	समीक्षा की जा रही है
1	2	3	4	5	6
1.	अलैक्लोर				समीक्षा की जा रही है।
2.	अल्डाकार्ब		उपयोग को अनुमति दी गई है।		
3.	एल्ड्रोन	उपयोग पर रोक लगा दी गई है।			
4.	एल्यूमिनियम फॉस्फाईड			उपयोग प्रतिबंधित	
5.	वेनोमिल				समीक्षा की जा रही है।
6.	बी.एच.सी.	उपयोग पर रोक लगा दी गई है।			
7.	कैल्शियम सायनाईड	उपयोग पर रोक लगा दी गई है।			
8.	केप्टाफोल			उपयोग प्रतिबंधित	
9.	कैप्टन		उपयोग को अनुमति दी गई है।		
10.	कार्बारिल		उपयोग को अनुमति दी गई है।		
11.	क्लोरोडेन	उपयोग पर रोक लगा दी गई है।			
12.	क्लोरोवेंजाईलेट			उपयोग प्रतिबंधित	
13.	कॉपर एसिटो-आर्सेनाईट	उपयोग पर रोक लगा दी गई है।			
14.	डाईब्रोमो क्लोरोप्रोपेन	उपयोग पर रोक लगा दी गई है।			
15.	डाई-कोफोल		उपयोग को अनुमति दी गई है।		
16.	डाई-मिथोएट		उपयोग को अनुमति दी गई है।		
17.	डी.डी.टी.			उपयोग प्रतिबंधित	
18.	डाई-एल्ड्रोन			उपयोग प्रतिबंधित	
19.	डाई-यूरोन				समीक्षा की जा रही है।

1	2	3	4	5	6
20.	ई.डी.बी.			उपयोग प्रतिबंधित	
21.	ऐंडोसल्फेन		उपयोग को अनुमति दी गई है।		
22.	ईथाईल मर्करी क्लोराईड	उपयोग पर रोक लगा दी गई है।			
23.	एन्ड्रीन	उपयोग पर रोक लगा दी गई है।			
24.	ईथाइल पैराथियन	उपयोग पर रोक लगा दी गई है।			
25.	फेनारिमोल				समीक्षा की जा रही है।
26.	हेप्टाक्लोर	उपयोग पर रोक लगा दी गई है।			
27.	लिण्डेन			उपयोग प्रतिबंधित	
28.	मेनाजोन	उपयोग पर रोक लगा दी गई है।			
29.	मिथाईल पैराथियन			उपयोग प्रतिबंधित	
30.	मेथोमिल				समीक्षा की जा रही है।
31.	मोनोक्रोटोफॉस				समीक्षा की जा रही है।
32.	निकोटोन सल्फेट	उपयोग पर रोक लगा दी गई है।			
33.	नाईट्रोफेन	उपयोग पर रोक लगा दी गई है।			
34.	ऑक्सी-फ्लूरफेन				समीक्षा की जा रही है।
35.	पैराक्वेट डाईमिथाएल सल्फेट	उपयोग पर रोक लगा दी गई है।			
36.	पेंटाक्लोरो नाईट्रोबेंजीन	उपयोग पर रोक लगा दी गई है।			
37.	पेंटाक्लोरो फिनॉयल	उपयोग पर रोक लगा दी गई है।			
38.	फिनॉयल मर्करो एसिटेट	उपयोग पर रोक लगा दी गई है।			
39.	फॉस्फामिडोन				समीक्षा की जा रही है।
40.	फोरेट		उपयोग को अनुमति दी गई है।		
41.	सोडियम सायनाईड			उपयोग प्रतिबंधित	
42.	सोडियम मिथेन आर्सोनेट	उपयोग पर रोक लगा दी गई है।			
43.	टेट्राडिफोन	उपयोग पर रोक लगा दी गई है।			
44.	थायोमेटोन				समीक्षा की जा रही है।
45.	टोक्साफोन	उपयोग पर रोक लगा दी गई है।			
46.	ट्रायजोफॉस				समीक्षा की जा रही है।
47.	ट्रायडेमॉर्फ				समीक्षा की जा रही है।
48.	जिरम				समीक्षा की जा रही है।
49.	जिनेब				समीक्षा की जा रही है।
50.	जिंक फॉस्फाईड		उपयोग को अनुमति दी गई है।		
51.	2,4-डी.		उपयोग को अनुमति दी गई है।		

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोहियों को अत्याधुनिक हथियार

2223. **श्री जगमोहन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में तैनात कुछ पुलिस अधिकारियों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोहियों को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराये हैं;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में विद्रोहियों और अन्य अपराधी तत्वों को जब्त हथियारों की चोरी छिपे बिक्री की कुछ अन्य घटनाएं आई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे मामलों की कोई जांच कराई गई है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अवांछित तत्वों को हथियार, विशेषकर अत्याधुनिक हथियार न प्राप्त हो, क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (घ) इस संबंध में पक्की रिपोर्ट नहीं है। तथापि, कुछ अखबारों की रिपार्टों में जम्मू और कश्मीर के कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा रणवीर सेना व नक्सलवादियों को चोरी-छिपे हथियारों की आपूर्ति करने का आरोप लगाया था।

[हिन्दी]

राजीव-लोंगोवाल समझौता

2224. **डा. अरविन्द शर्मा**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजीव-लोंगोवाल समझौते पर किस तारीख को हस्ताक्षर किया गया था तथा इसका क्रियान्वयन कब शुरू किया गया था;

(ख) उक्त समझौते में क्या मुख्य शर्तें निर्धारित की गई हैं तथा इन शर्तों को कब तक क्रियान्वित किया जाना है;

(ग) क्या समझौते में कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिनका क्रियान्वयन अभी तक शुरू भी नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा इनके क्रियान्वयन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) राजीव-लोंगोवाल समझौते पर 24.7.1985 को हस्ताक्षर किए गए थे और इसके तुरंत पश्चात् ही इसका कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया था।

(ख) से (घ) समझौते के बिन्दु संख्या 7 और 9 जो कि क्रमशः राज्य क्षेत्रीय दावों और नदी जल के बंटवारें से संबंधित हैं, में निम्नलिखित प्रमुख शर्तों का प्रावधान है जिनके कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समय सीमा का संकेत दिया गया था।

1. चंडीगढ़ का पंजाब को और इसके बदले हरियाणा को क्षेत्रों को वास्तविक हस्तांतरण एक साथ 26.1.1986 को होगा।

2. सतलुज-यमुना लिंक नहर के निर्माण का काम जारी रहेगा। यह नहर 15 अगस्त, 1986 तक पूरी कर ली जाएगी।

3. नदी जल के बंटवारे के बारे में पंजाब और हरियाणा के दावों को एक न्यायाधिकरण के पास भेजा जाएगा। न्यायाधिकरण अपना निर्णय 6 माह के अन्दर दे देगा और यह निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

यद्यपि, इन शर्तों को संबंधित राज्यों की अलग-अलग अवधारणाओं के कारण पूरा नहीं किया जा सका फिर भी सरकार, राजीव-लोंगोवाल समझौते को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

[अनुवाद]

बागवानी

2225. **श्री एन. डेनिस**:
श्री विनय कटियार:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बागवानी के माध्यम से पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज;) : (क) और (ख) पर्यावरणीय स्थिरता तथा पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखना राष्ट्रीय वन नीति, 1988 का प्रमुख लक्ष्य है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के तहत् वनीकरण और वृक्षारोपण कार्य चलाए जाते हैं। वन भूमि पर फलदार वृक्षों का रोपण तभी किया जा सकता है जब रोपण की जाने वाली वृक्ष प्रजाति स्वदेशी हो और इस प्रकार का वृक्षारोपण कार्य प्रश्नगत वन क्षेत्र के समग्र वनीकरण कार्यक्रम का एक हिस्सा हो। रोपण की जाने वाली प्रजातियों का चयन राज्य/संघ शासित सरकारें करती हैं जो कि वनीकरण की विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करती हैं। ऐसा करते समय जलवायु और मृदा संबंधी कारकों को ध्यान में रखा जाता है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अन्तर्गत बागवानी कृषि/वगीचों के लिए वन भूमि के इस्तेमाल को बढ़ावा नहीं दिया गया है।

लेवी चीनी की कीमत में वृद्धि

2226. **जस्टिस गुमान मल लोढा** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फरवरी, 1997 में लेवी चीनी के मूल्य में वृद्धि की है;

(ख) क्या उक्त वृद्धि से प्राप्त अतिरिक्त राशि गन्ना उत्पादकों को दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त वृद्धि के परिणामस्वरूप 1996-97 के दौरान गन्ना उत्पादकों द्वारा कितनी अनुमानित राशि प्राप्त करने की संभावना है;

(घ) गन्ना पिराई वर्ष 1996-97 के दौरान अनुमानतः कितनी चीनी का उत्पादन होगा; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त मात्रा में से कुल कितनी लेवी चीनी प्राप्त की गई है तथा निर्धारित की गई लेवी चीनी की मात्रा की प्रतिशतता सहित उक्त मात्रा की उचित प्रतिशतता कितनी है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) 151 चीनी फैक्ट्रियों के दावों के भुगतान आदेश भुगतान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को भेजे गए हैं।

(ग) ऐसा कोई अनुमान तेयार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसा अनुमान चीनी मौसम 1996-97 के दौरान उत्पादित लेवी चीनी की उस मात्रा पर निर्भर करती है जो चीनी फैक्ट्रियों से इससे पिछले वर्ष चल रहे मूल्यों पर खरीदी गई थी और ऐसी मात्रा हर फैक्ट्री के संबंध में भिन्न-भिन्न होती है। चीनी फैक्ट्रियों से जब कभी लेवी चीनी के मूल्य में संशोधन होता है, तब चीनी की ऐसी सभी मात्रा के ब्यौरे देते हुए दावे प्रस्तुत करने की आशा की जाती है।

(घ) 1996-97 के दौरान चीनी का अनुमानित उत्पादन लगभग 130 लाख टन है।

(ङ) 1996-97 के दौरान उत्पादित चीनी में लेवी चीनी की कुल मात्रा 41.6 लाख टन होने का अनुमान है जो कुल उत्पादन का लगभग 32 प्रतिशत है। प्रोत्साहन योजनाओं के अधीन फैक्ट्रियों को छोड़कर सभी फैक्ट्रियां उनके द्वारा उत्पादित कुल चीनी की 40 प्रतिशत मात्रा लेवी के रूप में देने के लए कानूनी दृष्टि से बाध्य हैं। प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत आने वाली फैक्ट्रियों के कारण समस्त देश में उत्पादित लेवी चीनी की प्रतिशतता घट जाती है (इस वर्ष 32 प्रतिशत)।

[हिन्दी]

कालाबाजारी करने वालों द्वारा गोदामों का दुरुपयोग

2227. **श्री काशीराम राणा**: क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भारतीय खाद्य निगम के कतिपय गोदामों का आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी के लिए दुरूपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इन गोदामों पर छापे मारे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युत (क) के उत्तर की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कपास के उत्पादन हेतु कार्य योजना

2228. **श्री अनन्त गुढ़े**: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कपास के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने और 1997-98 के दौरान कपास उत्पाद को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है अथवा कोई नीति कार्यान्वित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों नामतः आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिल नाडु तथा उत्तर प्रदेश में गहन कपास विकास कार्यक्रम संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत वित्त-पोषण की पद्धति वर्तमान में भारत सरकार तथा कार्यान्वयनकारी राज्यों के बीच 75:25 के आधार पर अंशदान है। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य सभी प्रकार के कपास को उत्पादकता तथा उत्पादन में वृद्धि करना है और इस योजना के तहत निम्नलिखित घटकों के लिये सहायता दी जा रही है:

1. प्रजनक बीज का उत्पादन;

2. आधारों तथा प्रमाणित बीजों का उत्पादन;

3. प्रमाणित बीजों वितरण;

4. निम्नलिखित के संबंध में प्रदर्शन:

   (क) उत्पादन प्रोद्योगिकी

   (ख) फेरोमोन ट्रैप्स

   (ग) एन.पी.वी

5. समेकित कीट प्रबन्ध प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण;

6. पौध रक्षण उपस्करों का वितरण;

7. स्प्रिंकलर सैटों की आपूर्ति;

8. कृषक प्रशिक्षण;

9. मुख्यालय में स्टॉफ; तथा

10. आकस्मिकता।

देश में वर्ष 1997 - 98 के लिए कपास के उत्पादन का लक्ष्य प्रत्येक 170 कि.ग्रा. को 148 लाख गांठें निर्धारित की गई हैं। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये वर्ष 1997-98 के लिये 1660.76 लाख रुपये का प्लान आवंटन किया गया है।

सरकार ने 1997-98 के मौसम के लिए 7-414 / एच-777 तथा एच-4, दो मूल किस्मों के लिये क्रमशः 1330 रु. तथा 1530 रु. प्रति क्विंटल के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है जो कि पिछले वर्ष के लिये निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में प्रति क्विंटल 150/- रु. अधिक है।

मूंगा की चट्टानें

2229. **श्रीमती भावना बेन देवराजभाई चिखलिया:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के वे कौन-कौन से स्थान हैं जहां मूंगा की चट्टाने पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं;

(ख) क्या मूंगा की चट्टानों को कोई क्षति पहुंचाई गई है;

(ग) मूंगा निकालने के लिए क्या कार्य-पद्धति अपनाई जाती है;

(घ) क्या इसे निकालने पर सरकार का कोई नियंत्रण है;

(ङ) यदि नहीं, तों इसके क्या कारण हैं;

(च) देश में मूंगा की कितनी मांग है; और

(छ) कितनी मात्रा में मूंगा का निर्यात किया जाता है तथा आयात करने वाले देशों के क्या नाम हैं तथा प्रत्येक देश अलग अलग कितना मूंगा का आयात करता है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में हथियारों की तस्करी

2230. **श्रीमती शारदा टाडीपारथी:**
श्री पी. चण्मुगम:
श्री मंगत राम शर्मा:
श्री सिद्दया कोटा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खमेर रूज़ के बचे हुए हथियार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विद्रोही गुटों को तस्करी के माध्यम से अवैध रूप से सप्लाई किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है कि ये हथियार भारत में कैसे भेजे जा रहे हैं; और

(ग) देश में इन हथियारों को आने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादियों द्वारा खमेर रूज से शस्त्र प्राप्त किए जाने के बारे में कोई पक्की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन यह ज्ञात है कि वे थाईलैंड के रानोंग तट से शस्त्र प्राप्त करते हैं, जहां से, दक्षिण-पूर्वी एशिया में विभिन्न जातीय ग्रुपों के हथियार प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान है। तथापि, इस बात की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इनमें से कुछ शस्त्र खमेर रूज के हों। विगत में, थाईलैंड में स्रोतों से चोरी-छिपे प्राप्त शस्त्रों और गोला बारूद को पानी के जहाजों द्वारा छोटी-छोटी खेपों में बंगलादेश के क्षेत्रों में लाया गया था और उसके बाद इन्हें स्थल मार्ग से पूर्वोत्तर राज्यों में ले आया गया। सरकार ने चोरी-छिपे शस्त्र और गोला बारूद प्राप्त किए जाने के मामले सहित सुरक्षा चिन्ताओं को थाईलैंड और बंगलादेश सरकार के साथ उठाया है।

अग्निकांड के शिकार लोगों को राहत

2231. **श्री मंगल राम प्रेमी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपहार अग्नि त्रासदी के शिकार लोगों से सोने की चेन छीनने और नकदी लूटने की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन आरोपों की जांच के आदेश दिए है और इस अमानुषिक कार्य के लिए जिम्मेदार पुलिस कर्मियों की पहचान की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस घटना में मरे सभी व्यक्तियों के रिश्तेदारों को 'मृत्यु प्रमाण पत्र'' जारी कर दिया हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) दिल्ली पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार, ऐसी कोई शिकायत उनके पास दर्ज नहीं हुई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त की जा रहीं है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

किसानों को छोटे ट्रेक्टरों की खरीद हेतु राजसहायता

2232. **श्री मुरलीधर जेना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकार द्वारा आरम्भ किए गए केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे ट्रेक्टरों की खरीद हेतु किसानों को आवश्यक अथवा पर्याप्त राजसहायता/वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त राज सहायता उपलब्ध कराये जाने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(छ) यदि हां, तो किसानों को कम से कम छोटे ट्रेक्टरों को खरीद कर पाने में सक्षम बनाने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (ग) केन्द्रीय प्रायोजित योजना छोटे किसानों के बीच कृषि यंत्रीकरण को संवर्धन के अंतर्गत किसानों, उनके ग्रुपों, पंजीकृत सहकारी समितियों, कृषि ऋण समितियों, बहुद्देशीय कृषि समितियों को तीन से अनाधिक उपयुक्त उपस्करों सहित 30 पी.टी.ओ., एच.पी. तक के ट्रैक्टरों को खरीदने के लिए, 30,000/- रु. तक की सीमा में 30 प्रतिशत दर से राजसहायता दी जाती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 125,76 ट्रैक्टरों पर राजसहायता के लिए योजना के अंतर्गत राज्यों/के.शा. प्रदेशों को 3772.80 लाख रु. की धनराशि जारी की गई। 1997-98 के दौरान, योजना के अंतर्गत 5333 ट्रैक्टरों पर राजसहायता के लिए 16.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। आठवीं योजना के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई धनराशि एवं वर्ष 1997-98 के लिए उन्हें आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(घ) से (छ) 1996-97 के दौरान, 12 राज्यों 1 के. शा. सरकारों ने 1493.60 लाख रु. के अतिरिक्त निधियों के लिए अनुरोध किया था। योजना के अंतर्गत सीमित बजट प्रवधान के कारण मात्र 425.50 लाख रु. की अतिरिक्त धनराशि ही जारी की जा सकी ब्यौरा संलग्न विवरण-II में हैं। बजटीय रूकावटों सहित सभी कारको को ध्यान में रखते हुए, इस योजना के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया गया है।

विवरण-I

आठवीं योजना के दौरान "छोटे किसानों के बीच कृषि यंत्रीकरण को संवर्धन" योजना के अंतर्गत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए एवं वर्ष 1997-98 के लिए आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	आठवीं योजना के दौरान जारी निधियाँ	1997-98 के लिए आवंटित निधियाँ
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	327.90(1093)	152.10(507)
2.	अरुणाचल प्रदेश	19.50(65)	3.00(10)
3.	असम	67.80(226)	36.60(122)
4.	बिहार	244.20(814)	107.70(359)
5.	गुजरात	210.30(701)	100.80(336)
6.	गोवा	6.00(20)	3.00(10)
7.	हरियाणा	94.80(316)	38.10(127)
8.	हिमाचल प्रदेश	28.80(96)	11.10(37)
9.	जम्मू व कश्मीर	30.60(102)	11.10(37)
10.	कर्नाटक	297.20(991)	131.40(438)
11.	केरल	26.10(87)	11.10(37)
12.	मध्य प्रदेश	516.60(1722)	196.50(655)
13.	महाराष्ट्र	516.90(1723)	240.30(801)
14.	मणिपुर	24.60(82)	3.00(10)
15.	मेघालय	3.00(10)	5.10(17)
16.	मिजोरम	7.80(26)	3.00(10)
17.	नागालैंड	4.50(15)	3.00(10)
18.	उड़ीसा	181.80(606)	67.20(224)
19.	पंजाब	74.40(248)	32.70(109)
20.	राजस्थान	231.10(770)	120.00(400)
21.	सिक्किम	1.50(5)	3.00(10)
22.	तमिलनाडु	196.80(656)	69.90(233)
23.	त्रिपुरा	4.50(15)	3.00(10)
24.	उत्तर प्रदेश	495.60(1652)	174.60(582)

1	2	3	4
25.	पश्चिम बंगाल	124.20(414)	51.60(172)
26.	अंडमान और निकोबार दीप समूह	4.50(15)	3.00(10)
27.	चंडीगढ़	4.50(15)	3.00(10)
28.	दादरा और नगर हवेली	4.50(15)	3.00(10)
29.	रा.रा.क्षेत्र दिल्ली	6.30(21)	3.00(10)
30.	दमन व दीप	4.50(15)	3.00(10)
31.	पण्डिचेरी	7.50(25)	3.00(10)
32.	लक्षद्वीप	4.50(15)	3.00(10)
	कुल	3772.80(12576)	1599.90(5333)

कोष्ठ में दिये गए आंकड़े ट्रैक्टरों की संख्या दिखाते हैं।

विवरण-II

1996-97 के दौरान ट्रैक्टरों पर राजसहायता देने के लिए "छोटे किसानों के बीच कृषि यंत्रोकरण को संवर्द्धन" केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त अतिरिक्त निधियों को आवश्यकता एवं उन्हें जारी की गई अतिरिक्त निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	अतिरिक्त मांग	जारी की गई अतिरिक्त धनराशि
1.	बिहार	218.40	53.70
2.	हरियाणा	166.00	18.90
3.	हिमाचल प्रदेश	15.00	5.40
4.	जम्मू व कश्मीर	81.60	5.70
5.	मध्य प्रदेश	150.00	98.40
6.	मणिपुर	22.00	0.10*
7.	उड़ीसा	218.10	33.60
8.	राजस्थान	90.00	60.00
9.	तमिलनाडु	150.00	35.10
10.	उत्तर प्रदेश	300.00	87.30
11.	पश्चिम बंगाल	81.00	25.80
12.	पाण्डिचेरी	1.50	1.50
	कुल	1493.60	425.50

* वर्ष के दौरान राज्य को 20.00 लाख रु. का बकाया हुआ आवंटन पहले ही किया जा चुका है।

पूर्वोत्तर राज्यों का विकास

2233. **प्रो. अजित कुमार मेहता:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए आवंटित केन्द्रीय धन का दुरुपयोग किया जा रहा है और उसे अनुत्पादक कार्यों में लगाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप किन-किन क्षेत्रों का विकास प्रभावित हुआ है; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि में गोबर का प्रयोग

2234. **श्री विजय पटेल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद के रूप में गोबर का प्रयोग अन्य रसायन और उर्वरको को तुलना में कृषि क्षेत्र में अधिक उपयुक्त पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कृषि क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी खतरों पर नियंत्रण रखने के लिए खाद के रूप में गोबर का प्रयोग पूनः शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) गाय का गोबर तथा रसायनिक उर्वरक, दोनों ही, खेती के लिए महत्वपूर्ण हैं। अतः सिर्फ गाय के गोबर पर ही निर्भर रहने का कोई योजना नहीं हैं। रासायनिक उर्वरको में पोषक तत्वसान्द्रित होने के कारण फसलों का अधिक पैदावार के लिए इनका प्रयोग अनिवार्य हो जाता हैं। रासायनिक उर्वरको के प्रयोग से स्वास्थ्य को किसी प्रकार का खतरा नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में नागरिक निकायों के बीच समन्वय

2235. **श्री विजय गोयल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपहार सिनेमा अग्निकांड में 57 लोगों के जान माल की हानि लाइसेंसिंग प्राधिकरण और विभिन्न अन्य नागरिक निकायों के बीच समन्वय के अभाव के कारण हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली सरकार ने सभी नागरिक, हाउसिंग, लाइसेंसिंग तथा कानून को प्रभावी बनाने वाले निकायों को उसे स्थानांतरित करने का केन्द्र से अनुरोध किया है ताकि बेहतर नियंत्रण के लिए सभी निकायों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जा सके;

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली सरकार के अनुरोध को स्वीकार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार उपहार घटना के पश्चात् उत्पन्न हुई स्थिति, जिसमें त्रासदी के लिए केन्द्र सरकार के अधीन कार्यरत एजेंसियों तथा दिल्ली सरकार के अधीन कार्यरत एजेंसियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया, की पुनरावृत्ति से किस प्रकार बचेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) ''उपहार'' घटना जिसमें 57 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने आग लगने के कारणों और परिस्थितियों की जांच करने, संबंधित एजेंसियों की ओर से हुई चूकों, यदि कोई हों, के लिए जिम्मेदारी तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं के निवारण के उपाय सुझाने के लिए दिल्ली के उपायुक्त (दक्षिण) को नियुक्त किया था। उपायुक्त (दक्षिण) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि समस्त संबंधित एजेंसियों नामतः दिल्ली विद्युत बोर्ड, दिल्ली पुलिस की लाईसेंसिंग शाखा, दिल्ली अग्नि शमन सेवा और दिल्ली नगर निगम के साथ उपहार सिनेमाघर के प्रबंधन को अपनी उन भूल-चूकों की जिम्मेदारी लेनी होगी जिनके कारण यह त्रासदी हुई।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने हाल ही में अन्य बातों के साथ - साथ, लाइसेंस प्रदान करने की शक्तियां पुलिस आयुक्त से लेकर न्यायिक अधिकारियों को देने तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण का अन्तरण स्थानीय सरकार को किए जाने के मुद्दे उठाए हैं। जबकि संगत संवैधानिक उपबंधों के अनुसार ''भूमि'' एक ''आरक्षित विषय'' है जो केन्द्र सरकार के पास है, वहीं लाइसेंस देने की शक्तियों के हस्तांतरण के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि दिल्ली के उप राज्यपाल मामले की समीक्षा के बाद केन्द्र सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करेंगे।

(च) 13.6.97 को उपहार सिनेमा में हुए अग्नि कांड के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सिनेमा हालों और बैंकेट हालों का सर्वेक्षण अधिकारियों के एक दल द्वारा संबंधित सब डिवीजनल मजिस्ट्रेटों के नेतृत्व में किया गया था 13 सिनेमा हालों तथा 9 होटलों जिनके परमिट का नवीकरण होना था, का एक अन्य सर्वेक्षण दिल्ली पुलिस द्वारा मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के माध्यम से अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कराया गया था। कुछ सिनेमाघर अग्नि-सुरक्षा मानदंडों की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण पाए गए। दिल्ली पुलिस ने ऐसे 2 सिनेमाघरों के परमिट निलंबित कर दिए हैं तथा अन्य 2 के परमिट रद्द कर दिए हैं। एक गैस्ट हाऊस का लाइसेंस रद्द कर दिया गया तथा 8 अन्य होटलों/गैस्ट हाउसों को कारण बताओं नोटिस जारी किए गए हैं। ऐसे मामलों जो दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली विद्युत बोर्ड, दिल्ली अग्नि-शमन सेवा तथा दिल्ली पुलिस द्वारा अग्नि सुरक्षा के मानदंडों की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं, में भी त्वरित सुधार हेतु नोटिस जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

मध्याह्न 12.00 बजे

.....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। प्रश्न काल अब समाप्त हो गया है।

.....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब अगले मुद्दे पर आऊँगा। आप कृपया सीट पर बैठ जाएं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अपराह्न 12.01

[हिन्दी]

वर्ष 1995-96 के लिए आल इंडिया फेडरेशन ऑफ को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुम्बई की वार्षिक रिपोर्ट आदि

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) आल इंडिया फेडरेशन आफ को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया फेडरेशन आफ को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

उपयुक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2241/97]

बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 इत्यादि के अन्तर्गत अधिसूचना

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) बाट और माप मानक (पैकेज की हुई वस्तुएं) पहला संशोधन नियम, 1997 जो 6 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 139(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बाट और माप मानक (साधारण) (संशोधन) नियम, 1996 जो 22 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 27(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा 24 जून, 1997 की अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 335(अ) में प्रकाशित तत्संबंधी शुद्धि-पत्र।

(तीन) बाट और माप मानक (पैकेज की हुई वस्तुएं) (दूसरा संशोधन) नियम, 1977 जो 7 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 140(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा 24 जून, 1997 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 336(अ) में प्रकाशित तत्संबंधी शुद्धि-पत्र।

(2) उपयुक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी.2242/97]

(3) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1996 की धारा 31 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियम 1997 जो फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 95(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी.2243/97]

सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): मैं सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल (चिकित्सा अधिकारी काडर) संशोधन) नियम, 1997 जो 5 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.273 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी.2244/97]

लक्षदीप डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, अगाथी के वर्ष 1987-88 की वार्षिक रिपोर्ट और समीक्षा

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : मैं डा. एस वेणुगोपालाचारी की तरफ से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, अगाथी के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, अगाथी के वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी.2245/97]

(ख) (एक) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, अगाथी के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, अगाथी के वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी.2246/97]

(ग) (एक) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, अगाथी के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, अगाथी के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी.2247/97]

(घ) (एक) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, अगाथी के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, अगाथी के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी.2248/97]

(ङ) (एक) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, अगाथी के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, अगाथी के वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.2249/97]

(घ) (एक) लक्षद्वीप डैवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, अगाथी के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, अगाथी के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2250/97]

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति
नौवां और दसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री के. प्रधानी (नौरंगपुर) : महोदय, मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कारण) प्रस्तुत करता हूं:

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का नौवा प्रतिवेदन-अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में रोजगार और आरक्षण।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का दसवां प्रतिवेदन-अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए गैस और पेट्रोलियम एजेंसियों के आवंटन में आरक्षण।

अपराह्न 12.03½ बजे

[अनुवाद]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें - *सामान्य*

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : श्री पी. चिदम्बरम की तरफ से वर्ष 1997-98 के लिए बजट (सामान्य) की अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

[हिन्दी]

पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर रोक लगाये जाने के बारे में

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, कल तक यह धारणा थी कि केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए पांचवे वेतन आयोग की जो सिफारिशें आई हैं उसके बारे में कल सरकार अधिसूचना निकालेगी क्योंकि सरकार ने यह घोषित किया था कि हमने इन सारी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। लेकिन कल दोपहर केन्द्र सरकार की ओर से यह घोषणा कर दी गयी कि इसका क्रियान्वयन हमने स्थगित कर दिया है और किसी प्रकार की अधिसूचना अभी नहीं निकाली जायेगी। सर्वप्रथम तो मैं इस बात की आपत्ति उठाता हूं कि संसद का अधिवेशन चल रहा हो, सदन में यहां वित्त मंत्री जी किसी और सिलसिले में उपस्थित थे, ऐसी स्थिति में पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों जिनकी अधिसूचना कल निकाले जाने की संभावना थी उसका क्रियान्वयन रोकने की घोषणा एक सरकारी अधिकारी की ओर से सदन के बाहर हो, सो मैं मानता हूं कि यह सदन की अवमानना है। अगर इसको स्थगित करना था तो अच्छा होता, वित्त मंत्री सदन में उपस्थित थे, वह यहां आकर कहते कि किसी कारणवश हम इसको स्थगित कर रहे हैं। इसको बाहर कहने की आवश्यकता नहीं थी। मैं समझता हू कि यह प्रथा का उल्लंघन है, सदन का अपमान है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अब केन्द्रीय कर्मचारियों में असंतोष है कि सरकार पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों का क्या करना चाहती है? उन्होंने स्थगित तो कर दिया, क्रियान्वयन तो रोक दिया लेकिन अब हम यह जानना चाहते हैं कि इसे रोकने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि कर्मचारी बरसों से वेतन आयोग का इंतजार करते हैं। फिर उसकी सिफारिशें आती हैं, उस पर सचिव बैठते हैं, मंत्री परिषद बैठती है, सचिवों को दिया जाता है और फिर क्रियान्वयन की नौबत आती है और आखिर क्षण जब सरकार इसे स्थगित करती है तो सबसे पहले सदन यह जानना चाहेगा कि स्थगित करने के कारण क्या हैं? केन्द्रीय वित्त मंत्री को इस संबंध में एक वक्तव्य देना चाहिए कि स्थगित करने के क्या कारण हैं?

इसके साथ-साथ हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार का इरादा क्या है? क्या सरकार पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को, ज्यों को त्यो स्वीकार करने की जो कल्पना थी, वह वैसे ही स्वीकार करेगी या सरकारी कर्मचारियों में इस सिफारिशों के बारे में जो असंतोष है, उनको लगता है कि सुना नहीं गया है, उनको लगता हैं कि हमको और बढ़ाकर देना चाहिए। रक्षा मंत्री जी यहां बैठे है। उन्होंने वैसे कह दिया है लेकिन अभी भी सेनाओं को लगता है कि उनके प्रति अन्याय हुआ है। उनको और बढ़ाकर इसमें देना चाहिए, सो क्या सरकार उन सिफारिशों से अधिक केन्द्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को देने वाली है और इसको अपग्रेड करने

के लिए रोका है। कोई कारण समझ में नहीं आता इसलिए मैं वित्त मंत्री से मांग करता हूं कि वह एक तो यह ध्यान दे कि यह बात कल सदन में क्यों नहीं बताई ? दूसरा इस अधिसूचना को न लाने के कारण क्या हैं और अब सरकार का इरादा क्या है ? क्या वह इसको बढ़ाकर कर्मचारियों को देगी क्योंकि इसके बाद राज्य सरकारों पर भी इसका असर होता है। इसलिए सरकार सदन को विश्वास में लेकर बताये और इस संबंध में तुरंत निर्णय ले।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन (नई दिल्ली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरे सम्माननीय सहयोगी ने पहले ही कुछ मुद्दे उठाए हैं और मैं इनको दुहराना नहीं चाहता हूं। अब मैं जो कहना चाहता हूं वह यह कि सरकार को अपने कर्मचारियों के प्रति अड़ियल रवैया इख्तियार करना शोभा नहीं देना है। उदार मन से समस्या तक पहुंचना बेहतर होगा।

दूसरा मुद्दा जो मैं बताना चाहूंगा कि अधिकतम आय तथा न्यूनतम आय के बीच रखी गई व्यापक दरार के संबंध में सरकार की क्या स्थिति है ? यह हम लोगों में से अधिकांश को स्वीकार्य नहीं है।

तीसरा मुद्दा है, क्या यह सच नहीं हैं कि इस तरह के अत्यधिक अंतर सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की आय तथा परिलब्धियों में भी रचा गया है निजी क्षेत्र को यह छूट देने की बात कि यह जितना आप दे सकें दें का अर्थ होगा कि सारी प्रतिभा उस क्षेत्र की ओर जायगी तथा देश में अधिक से-अधिक पैसा कमाने की मनःस्थिति बन जायगी। अतएव, इस प्रकार की मनःस्थिति से सरकार तथा कर्मचारियों के बीच और टकराव पैदा करेगा क्योंकि उनकी अपेक्षाएं अधिक होंगी। यही कुछ मुद्दे हैं जिन पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता था।

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णागर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों में विसंगतियों को हटाने की बजाय सरकार ने अचानक समूची सिफारिशों को लागू करने के निर्णय को रोक लिया है तथा वे ऐसा करने के बारे में कोई औचित्य नहीं दे रहे हैं, कैबिनेट सचिव टेलीविजन पर आए तथा यह आभास कराया कि समूची सिफारिशों को रोककर वे काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं तथा वित्त मंत्रालय काफी अच्छा कार्य कर रहा है।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैंने ऐसा कब कहा ? मैंने कभी कुछ नहीं कहा है। आप मेरा नाम क्यों ले रहे हैं ?

श्री अजय मुखोपाध्याय : नहीं, वे कैबिनेट सचिव थे।

श्री पी. चिदम्बरम : तब आप कैबिनेट संचिव के बारे में बोलें।

श्री अजय मुखोपाध्याय : हां, मैंने ऐसा कहा है। मैंने वित्त मंत्री नहीं कहा है; मैंने 'वित्त मंत्रालय' कहा है।

महोदय, मुद्दा यह है कि पांचवीं वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण तथा विसंगतियों से भरी हैं। आय निर्धारित करने की नीति का इस प्रकार से सिफारिश किया गया है- सरकार ने उसे अस्वीकार नहीं किया है, उन्होंने उसमें सुधार भी नहीं किया है कि हजारों कर्मचारियों का वेतन अभी जितनी वे प्राप्त कर रहे हैं उससे कम हो जायगी। उसके अलावा, न्यूनतम तथा अधिकतम आय के बीच विसंगति है। यहां तक कि ग्रुप 'ख' के अफसरों को अपना उचित अधिकार नहीं मिल पा रहा है। केवल यही नहीं मकान भाड़ा भत्ते अन्य भत्ते भी जनवरी 1996 से नहीं दिए जा रहे हैं बल्कि 1 अगस्त, 1997 से दिए जा रहे हैं। ये सभी बातें विचित्र हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। वेतन आयोग का दृष्टिकोण जो इसकी सिफारिशों से झलकता है वह ऐसा है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की मर्जी से तैयार किया गया है। एक सिफारिश यह भी है जिसके अनुसार साढ़े तीन लाख पद समाप्त कर दिए जायेंगे। एक अन्य सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय प्रशासन को 30 प्रतिशत छोटा कर देने की बात है। ये सभी सिफारिशें लाभदायक नहीं हैं, इन अलाभकारी सिफारिशों को ठुकराने की बात छोड़ भी दें तो .... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : एक तो क्वश्चन आंवर में लंबी-लंबी तकरीरें करते हैं, दूसरे इसमें भी कर रहे हैं तो दूसरे लोगों का क्या होगा ?

[अनुवाद]

श्री अजय मुखोपाध्याय : उन्होंने सिफारिशों में व्याप्त त्रुटियों तथा विसंगतियों को दूर नहीं किया जो वर्तमान हैं। अतएव, कर्मचारियों के संगठन तथा संघों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मुखोपाध्याय, कृपया आप सीट पर बैठ जाएं। यह काफी है, कृपया बैठ जाएं। कृपया अब श्री बसुदेब आचार्य को बोलने दें।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: केन्द्रीय कर्मचारी ही भूखे नहीं मर रहे हैं, देश में दूसरे लोग भी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: जिन्होंने नोटिस दिया है, उनके नाम ही आएंगे।

[अनुवाद]

श्री अजय मुखोपाध्याय : सरकार सिफारिशों के क्रियान्वयन को रोक कर वास्तव में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ देश भर में एक लड़ाई छेड़ रही है। मैं इस दृष्टिकोण की निंदा करता हूं क्योंकि यह भर्त्सना योग्य है। मैं सोचता हूं कि सरकार को पूरे मामले पर समीक्षा करनी चाहिए तथा एक अंतिम निर्णय लेकर आगे आना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: अच्छी बात है, अब आप बैठ जाइए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अधिसूचना कल जारी की जानी थी परन्तु अचानक सरकार ने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन संबंधी अधिसूचना को रोक दिया है। इसका कोई औचित्य नहीं दिया गया कि इसे क्यों रोका गया। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग के मन में पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन को लेकर जबर्दस्त आक्रोश हैं। पहली बार, पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों में, न्यूनतम तथा अधिकतम आय पानेवाले कर्मचारियों की आय में इतना ज्यादा अंतर है-2,500 रु. ग्रुप 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों की आय है जबकि 30,000 रु. ग्रुप 'क' की श्रेणी के अफसरों की आय होगी। अतएव विभेद काफी ज्यादा है जो पहले की वेतन आयोग की सिफारिशों में नहीं था कई प्रकार की त्रुटियां हैं जिन पर सरकारी कर्मचारियों के संगठन तथा संघों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: बेहतर यह होगा कि आप यह कहें कि इसके साथ में एसोशिएट करता हूं। आप डिटेल में मत जाइए।

श्री इलियास आजमी: यही बात 10 लोग बोलेंगे। हमारा मामला भी बहुत जरूरी है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: इन मुद्दों को सुझाने तथा विसंगतियों को दूर करने के लिए पर्याप्त समय था लेकिन इन त्रुटियों को हटाने की बजाय सरकार ने इन सिफारिशों के क्रियान्वयन को रोकने का निर्णय लिया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मेरी एक मजबूरी है, जिनके नाम से नोटिस आया है, मैं उनको ही बुलवाऊंगा। मेरे पास वही बहुत है। आपका नाम उसमें है।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह समस्या से निबटने के लिए तथा इन विसंगतियों को दूर करने के लिए कर्मचारी संगठनों तथा संघों से चर्चा करें तथा सिफारिशों की त्रुटियों को हटाने के बाद पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करें।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप कृपया बैठ जाएं। अब श्रीमती गीता मुखर्जी बोलेगीं। मैं अब दूसरे मुद्दे पर आ गया हूं।

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे दुख है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति को शामिल नहीं कर सकता हूं। आपका नाम वहां है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालंदा): उपाध्यक्ष जी, प्रमोद महाजन जी ने एक प्रश्न उठाया। वह था कैबिनेट सेक्रेटरी का एलान और उसके चलते क्या इस सदन का अपमान होगा? क्या यह सदन इस पर दखल नहीं देगा? हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्या इस सदन की इज्जत यहां तक उत्तर गई कि हम लोग अपने सदन की इज्जत के उपर भी बहस नहीं करेंगे। *....(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी नहीं, हम उपाध्यक्ष जी से चाहते हैं। प्रमोद महाजन जी ने इस प्रश्न को उठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय: जी हां, उठाया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: तो वह सवाल अहम सवाल है। यह सदन यहां पर बैठा है। कर्मचारियों का भविष्य और देश का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं पूछ रहा हूं। मंत्री महोदय इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? राम विलास जी, इसके बारे में हाउस के बाहर यह कह दिया गया, वह भी किसी आफिसर के जरिये, उसके बारे में कोई कुछ स्टेटमेंट होगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: कैबिनेट सैक्रेटरी को बुलवाइये, उससे जवाब मांगिये। *....(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी आये या नहीं आयें। *....(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ तो कहिये न। गीता जी, आप बैठिये। इनके बाद बोलिये।

[अनुवाद]

श्री पी॰ चिदम्बरम: महोदय, कुछ गलतफहमी है जिसे मैं दूर करना चाहता हूं। वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में मन्त्रिमण्डल ने 21 जुलाई 1997 के आस-पास निर्णय लिया था।

वही निर्णय कायम है। उस निर्णय को रूपान्तर के बाद आदेश के रूप में जारी किया जाना है। आदेश जारी करने के लिए कोई तारीख नियत नहीं है। वित्त मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, रेल मंत्रालय तथा अन्य विविध मंत्रालयों द्वारा मंत्रिमण्डल के निर्णय को रूपान्तर के बाद आदेश के रूप में जारी किया जाना है। आदेश जारी करने के लिए कोई तारीख नियत नहीं है। मैंने कैबिनेट सचिव से पूछा था। उन्होंने कहा कि आदेश तैयार किये जा रहे हैं, बल्कि आदेश कल ही तैयार हो गए थे और आमतौर पर कल जारी भी हो गए होते। तब जैसा कि मुझे बताया गया है, कुछ सरकारी सदस्यों ने प्रधानमंत्री को बताया कि आदेश जारी होने से पहले वे उसके एक-दो पहलुओं पर गौर करना चाहेंगे। अतः प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सचिव से विचार-विमर्श किया और कहा, ''इसे आज मंत्रिमण्डल के सामने रख दीजिए, आदेश उसके बाद जारी किए जा सकते हैं''। मै नहीं समझता कि वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन को रोकने

के लिए कोई नीति सम्बंधी निर्णय हुआ है। बल्कि आदेश तैयार किये जा रहे थे। वे करीब-करीब तैयार ही थे। मेरे ख्याल से आदेश कल ही जारी किये जा सकते थे। अब उन्हें आज जारी कर सकते है। मैं समझता हूं कि एक-दो माननीय सदस्यों द्वारा सरकार के सम्मुख व्यक्त किये गए विचारों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सचिव को सुझाव दिया है कि इसे फिर से मंत्रिमण्डल के सामने लाया जाए और उसके बाद आदेश जारी किये जाएं।

श्री प्रमोद महाजनः यह इलेक्ट्रॉनिक प्रचार-माध्यमों तक पंहुच चुका है। आपको ऐसा नहीं होने देना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदयः कैबिनेट सचिव का वक्तव्य इसके बारे में कुछ और ही आभास देता है।

श्री पी॰ चिदम्बरमः हमें उसके गलत मतलब नहीं निकालने चाहिए और न ही अधिक अर्थ करने चाहिए। मुझे लगता है कि जब वो बाहर आए तो प्रैस ने उनसे पूछा, ''क्या आदेश आज जारी किये जा रहे हैं'' उन्होंने कहा, ''नहीं। आदेश फिलहाल रोक लिए गए हैं''

श्री जार्ज फर्नान्डीजः उन्होंने जो कहा वह बिल्कुल अलग था।

श्री पी॰ चिदम्बरमः कोई नीति सम्बंधी निर्णय नहीं है, मैं यह स्पष्ट करता हूं। वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के मंत्रिमण्डल के निर्णय को रोकने के लिए कोई विनिश्चय नहीं हुआ है।

श्री प्रमोद महाजनः यह एक बहुत गंभीर मामला है कि क्रियान्वयन को रोकने के लिए सरकार का कोई नीति सम्बंधी निर्णय न होने पर भी कैबिनेट सचिव प्रचार माध्यमों के बीच यह कहने गए कि, ''हम इसे रोक रहे हैं''।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः मुलायम जी आप कुछ कहना चाहते हैं।

....(व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): मैं यह कहना चाहता हूं *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः मुझे भी कुछ कहने दीजिए।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादवः साथ ही हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदयः अखबारों ने तो यहां तक लिखा है कि 'विदड्रैल्ड', धमकी दी है हड़ताल की इसलिए वापस लिया है, यह छपा है।

[अनुवाद]

श्री पी॰ चिदम्बरमः कोई नीति सम्बंधी निर्णय नहीं है। प्रैस के कुछ लोगों ने यह सवाल किया था और जैसा कि मुझे बताया गया है, उन्होंने केवल यह कहा कि ''हम इसे किसी और तारीख तक स्थगित कर रहे हैं''। *....(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीजः यह समाधानकारक नहीं है। *.... (व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह चर्चा और स्पष्टीकरण उचित नहीं है। *....(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री मुलायम सिंह यादव जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादवः मैं इसी पर कुछ कहना चाहता हूं *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीजः कृपया सभा को गुमराह न करें। ये तो घाव पर नमक लगाने की बात हुई।

[हिन्दी]

....(व्यवधान) आप इसकी सदन के जरिए जांच करवाएं कि उन्होंने क्या कहा। *....(व्यवधान)* सारे अखबार लिख रहे हैं, क्या सारे अखबार गलत हैं और मंत्री जी जो कह रहे है। वह सच है *....(व्यवधान)* हम लोगों को इस तरह से बनाया जा रहा है .. *..(व्यवधान)* क्या हम और यह सब लिखने वाले गलत हो गए *....(व्यवधान)* मंत्री जी क्या नहीं देखते *....(व्यवधान)* हम रोज अखबार पढ़ते हैं। *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्यः जब कोई नीति सम्बंधी निर्णय ही नहीं है तो प्रैस को बयान देने की क्या जरूरत है?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीजः यह कहना कि चलते-चलते बोले, यह चलते-चलते बोलने वाली बात नहीं है। *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आई॰ डी॰ स्वामी (करनाल): जब आदेश जारी होने की कोई तारीख नियत नहीं है तो कैबिनेट सचिव द्वारा बयान की क्या जरूरत है और वो भी टेलीविजन पर?

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ): माननीय वित्त मंत्री ने जो कुछ कहा उससे स्थिति जो टेजीविजन पर देखा या जो आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में पढ़ा उससे कहीं अधिक गम्भीर जान पड़ती है। माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय मंत्रिमण्डल ने 21 जुलाई को लिया था।

मंत्रिमण्डल द्वारा निर्णय 21 जुलाई को लिया गया था ...*(व्यवधान)* मैं यह मान लेता हूं कि निर्णय क्रियान्वयन के लिए मंत्रिमण्डल ने कोई तारीख नियत नहीं की थी। उसके बाद इस निर्णय को क्रियान्वयन के लिए अन्तिम रूप से कल की तारीख नियत की गई थी। पर क्रियान्वयन के लिए अन्तिम रूप से कल की तारीख नियत की गई थी। पर क्रियान्वयन होना है या नहीं ये माननीय प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट सचिव के बीच एक अनौपचारिक बातचीत में तय होता है और फिर टेलीविजन पर घोषणा की जाती है कि क्रियान्वयन रोक लिया गया है ....*(व्यवधान)*

डसके बाद जो तीसरी बात माननीय वित्त मंत्री ने कही वो ये है कि मंत्रिमण्डल के कुछ सदस्य अपना विरोध प्रकट करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री के पास गए। और उसके बाद निर्णय लिया गया। ....*(व्यवधान)*

श्री पी॰ चिदम्बरम: नहीं, नहीं आप स्वयं के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ....*(व्यवधान)* बल्कि आप मुझे नए शब्द प्रदान कर रहे हैं। मैंने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मुझे शब्द प्रदान मत कीजिए। ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होनें प्रोटेस्ट लफज इस्तेमाल नहीं किया।

....*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: 21 जुलाई को जो डिसीजन लिया था उस पर कुछ मंत्रियों ने आपत्ति की ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने आतत्ति लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: कृपया मुझे स्पष्ट करने दें। वह मुझे शब्द प्रदान कर रहे हैं। मैंने केवल इतना कहा है कि आदेश जारी करने के लिए कोई तारीख नियत नहीं थी। आदेश जब अगस्त में जारी किया जाता है। तो निर्णय में होता है कि वह पहली अगस्त से लागू होगा। ऐसा निर्णय मौजूद है। आदेश दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवीं तारीख को ही जारी हो गए होते आदेश तैयार किये जा रहे हैं। एक बैठक में प्रधान मंत्री ने कहा, ''एक-दो प्रश्न उठाए गए हैं। अगर कुछ किया जाना है तो उसके लिए इसे मंत्रिमण्डल के समक्ष रखना होगा। कृपया इसे आज के लिए रोक लीजिए'' मैं समझता हूं कि बाहर आने के बाद प्रैस ने उनसे पूछा, ''क्या आदेश आप आज जारी कर रहे हैं?'' मुझे यकीन है कि कैबिनेट सचिव फिर से टेलीविजन पर नहीं आएंगे। उनसे पूछा गया था, ''क्या आप आदेश आज जारी कर रहे हैं?'' उन्होंने कहा, ''नहीं, हम आज के लिए आदेश रोक रहे हैं ओर समभवतः कल निर्णय कर लेंगे''। मैं नहीं जानता कि उन्होंने टी. वी. पर क्या कहा ....*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: मैं इसे अभी समाप्त करना चाहता हूं। ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठिए, मैं आपको चांस दूंगा।

[अनुवाद]

माननीय सदस्य जी, आज अपनी बात पहले कह चुके हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जैसे विशिष्ट वकील के लिए यह बचाव पर्याप्त नहीं है। यदि तारीख नियत नहीं थी तो उनके पास था क्या? ....*(व्यवधान)*

दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री को यह कब पता चला कि कुछ प्रश्न उठाए गए हैं? उसके बाद उन्होंने सरकारी मंत्रीमंडल के सचिव से कहा कि आदेश रोक लें। व्यक्तिगततौर पर मैं यह महसूस करता हूं कि खुद मंत्रिमण्डल में काफी मतभेद हैं। ....*(व्यवधान)*

श्री पी॰ चिदम्बरम: ऐसा कुछ नहीं है। ....*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: इस मामले को वह जिस तरह से ले रहे हैं, उससे कहीं अधिक गंभीर है ये मामला। अब यह प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वे सभा में यह स्पष्ट करें कि क्या हुआ है और कल क्या होने जा रहा है। मंत्रिमण्डल के सदस्य इस मुद्दे पर एक मत नही थे .....*(व्यवधान)*

श्री पी॰ चिदम्बरम: किसी का मतभेद नहीं है।

श्री जसवंत सिंह: अब वे सभा को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो भी किया है वो हमें मंजूर नहीं है। जो गलतफहमी है उसे माननीय प्रधानमंत्री को दूर कर देना चाहिए। कैबिनेट सचिव को आदेश रोकने के लिए कहकर उन्होंने ही इसे पैदा किया है। अचानक उनको पता चलता है कि मंत्रिमण्डल के कुछ अन्य सदस्य आते हैं और कहते हैं। उन्होने कहा ''जो आपने किया है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है'' नहीं, इसे रोका नहीं गया है। अब, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाइये और हम इससे संतुष्ट नही है। इसीलिए, यह उनका कर्तव्य है कि वह सदन में आये और सब समझाये जो घट चुका है .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आजमी साहब, आपको इस पर कुछ कहना हो तो कहिए।

श्री इलियास आजमी: मैं जीरोआवर में बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: अभी आपको इस इशू पर कुछ कहना हो तो बताइए।

.....(व्यवधान)

श्री इलियास आजमी: मुझे इस इशू पर यह कहना है कि इस पर इतनी लम्बी-लम्बी तकरीरें हो रही हैं, इससे हमारा जीरोआवर का समय बर्बाद होता है।

उपाध्यक्ष महोदय: उसको आप छोड़िए। आपको इस पर कुछ कहना हो तो कहिए, नहीं तो मैं आपको बाद में अलग से टाइम दे दूंगा।

[अनुवाद]

मैं आपको एक अवसर दूंगा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

.....(व्यवधान)

श्री जगमोहन: महोदय, मैं केवल एक सीधा-साधा उत्तर लेना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह बात सच है कि केबिनेट सचिव ने टेलिविजन पर या प्रेस में ऐसा कहां था कि: ''मैंने कर्मचारियों को बता दिया है कि वे इसे स्वीकार करें या इसे छोड़ दें।'' यह एक समाचार-पत्र में शीर्षक है: ''ले या छोड़ दें।'' क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है या नहीं यह सीधा-सादा प्रश्न है। *.....(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाकी सारे मामलों में वित्त मंत्री जी ने उत्तर दिया है लेकिन माननीय प्रमोद महाजन जी से मैं कहना चाहता हूं कि आर्मी में किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है। कमोबेश कोई बात होगी भी तो उसको पूरा कर दिया जाएगा। आर्मी खुश है, इसकी हम घोषणा कर चुके हैं। इसलिए कृपा करके कम से कम आर्मी के विषय में न कहें।

उपाध्यक्ष महोदय: यह सीरियस मामला है। दो बातें हुई है। एक तो पालिसी स्टेटमेंट के बारे में हाउस से बाहर कहा गया और वह भी एक ऑफिसर के द्वारा कहा गया। यह ठीक नहीं है।''

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी॰ चिदम्बरम: महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह कोई नीति संबंधी वक्तव्य नहीं था। मैं उन शब्दों को नहीं जानता हूं कि जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था। आदेशों को कल आज या परसों जारी किया जा सकता था। जब आदेशों को तैयार किया जा रहा था और उन्हें जारी किया जाना था, तो प्रधानमंत्री ने कहा, ''इसे एक दिन के लिए रोक दो। हम एक या दो पहलूओं पर गौर करना चाहेंगे।'' मेरा ऐसा विचार नहीं है कि श्री जसवन्त सिंह भी वास्तव में ऐसा सोचते है कि कुछ और भी बाकी है। यह तो राई का पहाड़ बनाने वाली बात है इसमें कोई नीति संबंधी निर्णय वाली बात नहीं है और मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई नीति संबंधी निर्णय वाली बात नहीं है। यदि इसमें नीति संबंधी निर्णय वाली कोई बात होती, तो हम में से कोई एक इस सदन को अवश्य सूचित करता जब प्रेसवालों ने उनसे पूछा, वे बोले, ''हम आज इसे रोक रहे है और हम इस पर विचार-विमर्श करना चाहते हैं'' मैं यह नहीं जानता कि इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: यह किसी अखबार में नहीं छपा है।

[अनुवाद]

श्री पी॰ चिदम्बरम: यह एक नीतिगत वक्तव्य नहीं है। इसीलिए इसे नीति संबंधी वक्तव्य नहीं कहा जा सकता। मेरा अध्यक्ष पीठ से विनम्र निवेदन है कि मेरे इस बयान पर गौर करें कि यह किसी भी प्रकार का कोई नीतिगत निर्णय नहीं था।

[हिन्दी]

श्री जी. एल. कनौजिया (खीरी): इसके बारे में यस और नो में जवाब दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें अनुमति दे दी है। कृपया बैठ जाइए।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): मुझे कैबिनेट सचिव के दो समाचारों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। एक समाचार जी टी वी तथा दूसरा समाचार दूरदर्शन पर आया था। इन समाचारों में उन्होंने कहा था कुछ लोगों ने कुछ मांगे की है और हम इसकी जांच करेंगे। उन्होने यह नहीं कहा कि उनका निर्णय रद्द कर दिया जाएगा। मैंने स्वयं इसे सुना था। नीतिगत निर्णय की बात कहां है?

श्री पी॰ चिदम्बरम: नीतिगत निर्णय वाली कोई बात नहीं थी।

श्री संतोष मोहन देव: आप उस टी वी समाचार की पांडुलिपि को प्राप्त कर सकते हो और स्वयं देखकर यह निर्णय ले सकते हो कि क्या यह तोड़-मरोड़ है या नहीं। मैंने स्वयं इसे सुना था। लेकिन आम-तौर पर जब संसद का अधिवेशन चल रहा होता है, तब सरकार अधिकारियों को टी वी मीडिया के पास नहीं जाना चाहिए और कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन आप क्या कर सकते है? जब आप इस सदन से बाहर जाते हैं, आपके सामने बीस टी.वी. मीडिया वाले आ जाते है कभी कभी यह कठिन होता है और फिर भी उनका उत्तर देना चाहते हैं कभी-कभी हम जब घर पहुंचते है; तो हम टी.वी. पर कुछ नहीं पाते हैं तो हमें निराशा होती है। मैं दो मिनट तक बोला था लेकिन टी.वी पर कुछ नहीं

आया। ये सब बातें होती है। यह अच्छी बात है कि इस मुद्दे को अब उठाया गया है। मैं श्री पी॰ चिदम्बरम से आग्रह करूगा कि वे उदार बनें। सब कुछ कर्मचारी विरोध कर रहे होते हैं तो आपको हरेक बात का विरोध नही करना चाहिए। उन्हें कुछ देने की कोशिश करिये।

श्री पी॰ चिदम्बरम: यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वे विरोध कर रहे है और दूसरी ओर केबिनेट सचिव कह रहे थे हम इसे रोक रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव: भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों और दूसरों की ओर भी ध्यान दो।

श्री पी॰ चिदम्बरम: हम इसकी ओर ध्यान दे रहे हैं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): जो कुछ भी प्रेस में छपा है अथवा इलेक्ट्रोनिक मीडिया के विभिन्न चैनलों पर दिखाया गया है, इससे एक बात साफ हो गयी है कि यह रोकना हड़ताल को बुलावा देना है ऐसी धारणा है अब माननीय वित्त मंत्री द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि यह मंत्रिमंडल का फैसला नहीं है और सरकार आज आदेश जारी करने जा रही है .....*(व्यवधान)*

श्री पी॰ चिदम्बरम: मैंने "आज" तो नहीं कहा था। मैंने तो केवल इतना कहा था हम इसे जारी करेंगे। हम इसे किसी भी दिन जारी कर सकते है। यह कोई भी दिन हो सकता है .....*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: हमारी चिन्ता विसंगतियों के बारे में है जिसके खिलाफ विरोध किया गया है। सरकार की ओर से इन विसंगतियों को दूर करने की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री पी॰ चिदम्बरम: मुझे खुशी है कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और मैं इसका जवाब दूंगा .....*(व्यवधान)*। जब हरेक बात ठण्डी पड़ गयी है, श्री जसवन्त सिंह कृपा करके अब आग में घी न डालें।

महोदय, मैं श्री संतोष मोहन देव का आभारी हूं ओर मैं प्रत्येक व्यक्ति का भी आभारी हूँ। मैं यह नही कह रहा हूं कि भिन्न-भिन्न शब्दों को प्रयोग किया गया। इस शब्द का प्रयोग किया गया अथवा इस शब्द का प्रयोग किया गया। मैं यह भी कह सकता था इसे रोक लिया गया है उन्होने कहा कि उन्होने उस दिन के लिए उसे रोका है तो अर्थ वही है। कृपया मेरी बात पर विश्वास कीजिए कि कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं हुआ है और मेरा विचार है कि हमें अब इस विषय पर चर्चा बंद कर देनी चाहिए।

मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं क्योंकि यह अति महत्वपूर्ण है। मैं 1986 में कार्मिक मंत्री था। मैंने उस समय भी कार्मिक मंत्री था जब चौथे वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और हमने इसका आसानी से कार्यान्वयन कर दिया था। कोई समस्या नही थी। मैंने इस सदन को बता दिया है कि वहां पर एक स्थापित कार्यप्रणाली थी और हम केवल इसी स्थापित कार्यप्रणाली को ही मानेंगे। हमने इसका पालन किया। एक अधिकार युक्त समिति थी। इस अधिकार युक्त समिति ने मंत्रिमंडल को सूचित किया। मंत्रिमंडल में मंत्री शामिल होते हैं। फिर मंत्रियों का समूह जे.सी.एम. से मिले हैं और फिर मंत्रिमंडल को सूचित किया।

अब, अपने अनुमानों के अनुसार हमने 13,250 करोड़ रुपये की राशि दे दी है। आप हमेशा ऐसा कह सकते हैं कि यह ज्यादा है अथवा यह कम है। लेकिन मामला यह नहीं है। सरकार ने इसके वित्त के संबंध में और खर्च और अन्य क्षेत्रों की जरूरतों के संबंध ने निर्णय ले लिया है। रक्षा विभाग के दावे हैं सामाजिक क्षेत्र के दावे हैं और बुनियादी क्षेत्र द्वारा दावे किये गये हैं। हमने निर्णय ले लिया है। फिर भी, हमने कुछ गम्भीर मामले का पता लगा लिया है। इसलिये मैं चाहता था कि आप भी इस का अनुमान लगा लें।

हमने एक फास्ट ट्रेक समिति की स्थापना की है। हमने कर्मचारियों को यह बता दिया है "धीरज रखो, फास्ट ट्रेक समिति विसंगति समिति से भिन्न है। विसंगति समिति को हमेशा व्यक्तिगत विभागीय विसंगतियों की जांच पड़ताल करने के लिए स्थापित किया जाएगा। यह बाद में स्थापित होगी। माननीय सदस्य ने "विसंगति" शब्द का प्रयोग किया है। इसकी बात बाद में होगी। आज हमारे पास छः और सात मामलों की जांच-पड़ताल करने हेतु फास्ट ट्रेक समिति है। मैं आपको उन बड़े मामलों की सही-सही संख्या नहीं बता सकता हूं जो कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं।

इसीलिए कर्मचारियों को यह भी याद रखना चाहिए कि हम उनसे सहानुभूति रखते है। हम इसकी जांच-पड़ताल कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेतन आयोग ने दो बातों को शामिल नहीं किया है और इसकी वजह से 1600 करोड़ रुपये और जुड़ गये है। वेतन आयोग ने उन उपदान और एक अन्य पेंशन से प्राप्त लाभी की लागत की गणना नहीं की जिनकी वजह से 1600 करोड़ रुपये और खर्च होगें। मूल रूप से यह 11000 करोड़ रुपये थी और अब यह 13,250 करोड़ रुपये तक बढ़ गयी है।

महोदय, हम मुख्य मत्रियों से मिले। हमने उन्हें अपने विश्वास में लिया और यह बताया कि "हम ऐसा-ऐसा करने जा रहे है।" सभी मुख्य मंत्रियों ने हमें विश्वास दिलाया कि वे स्वतंत्र रूप से भारत सरकार का समर्थन करेंगे क्योंकि अन्य क्षेत्रों द्वारा दूसरे दावे किये गये हैं, क्योंकि हमें बात को इस प्रकार कहना पड़ता है कि यह सब सही, तर्कसंगत और ठीक लगे।

ऐसा इसलिए नहीं कि हम सहानुभूतिशील नहीं हैं। हम तो सहानुभूतिशील हैं। भूतपूर्व वित्त मंत्री के लिए "और दो" कहना आसान है। यदि मैं स्वयं वित्त मंत्री होता, तो मैं भी यही कहता "और दो।" बात यह है कि हम दलगत आधार पर विभाजित न हों। हम सहानुभूतिशील हैं।

महोदय, एक फास्ट ट्रेक समिति है। एक विसंगति समिति होगी। हम इसकी जांच-पड़ताल करेंगे। हम यथासम्भव इसका समाधान करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री संतोष मोहन देव: इसका अभिप्राय यह है कि केबिनेट सचिवालय भ्रामक समिति बन गयी है।

श्री पी॰ चिदम्बरम: नहीं, आपको देश के इस बड़े हित को ध्यान में रखना चाहिए कि देश क्या दे सकता है। और हम क्या दे सकते हैं। यदि समस्याएं हैं, तो हमें समस्याओं की जांच करनी पड़ेगी। यहां कोई भी कर्मचारियों के प्रति असहानुभूतिशील नहीं है। मैं भी कर्मचारियों से यह चाहता हूं कि वे सरकार की समस्याओं की और जानकारी रखें। और उसमें सहयोग करें।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, श्रीमती गीता मुखर्जी

.....(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: महोदय, यह बहस बहुत ही परेशान करने वाली है। प्रमुख समस्या कम और अधिक वेतन पाने वालों के बीच अन्तर का होना है.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अभी इसके बारे में पूरा ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है।

....(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: उन्होंने विसंगति का जिक्र किया है .....*(व्यवधान)* .... और किसी अन्य वेतन आयोग ने ऐसा नहीं किया है ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री निर्मल कान्ति, कृपा करके अब श्रीमती गीता मुखर्जी को बोलने दें। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

.....(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: वे सभा को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: गीता जी के अलावा और कोई चीज रिकार्ड में नहीं जाएगी।

....(व्यवधान) *

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): जहां तक दूसरे मुद्दे का सम्बंध है मैं आशा करती हूं कि सरकार इस समस्या का एक उचित समाधान करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: अपनी बात पर आइये।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी॰ चिदम्बरम: हां, मैडम।

श्रीमती गीता मुखर्जी: हम उस मुद्दे के बारे में सरकार से शीघ्र समाधान करने के लिए कहेंगे।

श्री पी॰ चिदम्बरम: मैं सहमत हूं, मैडम।

श्रीमती गीता मुखर्जी: अन्य मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वह है कि अखिल भारतीय कालेज और विश्वविद्यालय कर्मचारी परिसंघ के तत्वावधान में भारत के कालेज और विश्वविद्यालयों के सैकड़ों कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में आज जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे हैं, उनकी मुख्य मांगों में से एक यह है कि कालेज और विश्वविद्यालयों के गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को वेतनमान तथा अन्य सेवा शर्तों के प्रयोजनार्थ उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परिधि में लाया जाए।

यह सुना है कि मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री ने दिनांक 26.6.1997 को केन्द्रीय शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों तथा परिसंघ की प्रतिनिधियों के संयुक्त बैठक बुलाने की सहमति व्यक्त की थी। दुर्भाग्य से यह बैठक नहीं हो पाई। आज भी प्रधानमंत्री ने मुझे वचन दिया था कि कुछ अन्य कारणों से प्रधानमंत्री ने वह बैठक रद्द कर दी है इसलिए महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्रालय, प्रधानमंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इस मामले पर ध्यान देने का अनुरोध करती हूं कि इन कर्मचारियों की उचित मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए।

श्री वसुदेव आचार्य: श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा उठाए गए मुद्दों का मैं भी समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: इस इश्यू पर तीन आदमियों के नोटिस हैं।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): मैं माननीय मंत्री द्वारा की गई मांग का पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आगे आकर इस पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। विश्वविद्यालयों और कालेजों के कर्मचारी हमारी शिक्षा के अभिन्न अंग है। उनके बिना हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन साल-दर-साल उनकी उपेक्षा की जा रही है। अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आगे आए और कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने तथा उन्हें शोषण से मुक्त करने के लिए उनके साथ एक संयुक्त बैठक करें।

[हिन्दी]

श्री धीरेन्द्र अग्रवाल (चतरा): उपाध्यक्ष जी, नई दिल्ली अखिल भारतीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के हजारों की संख्या में सदस्य अपनी 5-सूत्री मांगों को लेकर संसद के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष जी, शिक्षा एवं कर्मचारी एक ही संस्था में एक सी परिस्थिति में कार्य करते हैं। अतः शिक्षकों की भंति इन महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को यू.जी.सी. की सेवा शर्तों की सुविधायें प्रदान की जायें।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर): मैं माननीय सदस्या श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा उठाई गई मांगों के समर्थन में बोलने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। यह सच है कि अध्यापन और अनसंधान कार्य अधिकाशतः कालेज और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की सेवा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। कालेज और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की मांग और शिकायतों को मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सम्पूर्ण भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्तर पर एक समान वेतनमान अपनाने के लिए उनकी मांगों पर विचार करने तथा उन्हें वैसी ही सेवा सुरक्षा, आदर्श सेवा नियमों के साथ-साथ छुटटी तथा अन्य अनुषंगी लाभों की भी सुविधा प्रदान करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली देश की राजधानी है। लाखों लोग यहां पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आते है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो राशन का गेहूं, चावल और चीनी मिलती है, उसके ऊपर लोग डिपेण्ड करते हैं लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमको जून से पहले दिल्ली के अंदर 65,000 मैट्रिक टन गेहूं और 20,000 मैट्रिक टन चावल मिलता था। उसको केन्द्र सरकार ने घटाकर 40,000 मीट्रिक टन गेहूं और 20,000 मीट्रिक टन चावल कर दिया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस कमी के कारण दिल्ली की सरकार ने भी उसकी मात्रा में कमी कर दी है और दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी बस्ती में, पुनर्वास बस्तियों में, अनआथराइज्ड कालोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसलिए आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह कोटा पूरा दिया जाए।

यहां दिल्ली में जो नयी प्रणाली शुरू की गई है डी.पी.एल. की, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की, उसमें एक परिवार को मात्र 10 किलो अनाज देने की व्यवस्था है जबकि इससे पहले राजधानी में एक परिवार को 42 किलो गेहूं मिलता था अगर उसको 10 किलो गेहूं मिलेगा तो 32 किलो के लिए उन्हें खुले बाजार में जाना पड़ेगा। इससे गरीब आदमी को कोई फायदा नही है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि 10 किलो गेहूं आधे दर पर और बाकी पांच रुपये किलो रेट से जो दिल्ली में मिल रहा है, वह राशन कार्डधारियों को दिया जाए तभी इसका फायदा होगा वरना दिल्ली में इस प्रणाली का कोई फायदा नहीं है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे पास सबके नाम हैं। मैं एक एक करके बुला रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: मैं यह उल्लेख कर रहा हूं ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री धाबरचन्द गेहलोत (शाजापुर): 15 दिन हो गए हैं और मुझे एक भी मौका नहीं मिला है। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनें।

[हिन्दी]

मेरे पास कुछ आइटम्स है जिनमें कहा गया है कि फलां शहर में गैस की एजेन्सी दे दो, फलां गांव में ये कर दो। कृपा करके मेम्बर्स जीरों आवर में ऐसी आइटम्स लाएं जो ऑल इंडिया रिलेटेड हों। ऐसी छोटी-छोटी आइटम्स में टेकअप नहीं कर पाऊंगा।

....*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : 20,000 की आबादी वाले गांवों में गैस की एजेन्सी होगी ऐसा मंत्री जी ने कहा था। ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपके लिए यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूं। लेकिन एक शहर में गैस की एजेन्सी के लिए जीरो आवर में आवाज उठेगी?

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं किसी व्यक्ति द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रयास जिसका यह सभा आज तक बधाई नहीं दे पाई है, का उल्लेख कर रहा हूं।

एक विकलांग युवा लडके जिसकी घुटने तक की दोनों टांगे कटी हुई थी ने सफलतापूर्वक इंगलिश चैलन पार किया यह किसी मनुष्य द्वारा किया गया उत्कृष्टतम प्रयास है और में सभा से सिर्फ यह चाहता हूं कि सभा इस प्रयास और ऐसे अन्य प्रयासों की सराहना करें। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि यह सभा सरकार को न केवल बधाई संदेश भेजने की सलाह दे रहा हूं बल्कि इस प्रकार के प्रयास को जारी रखने और उनको सहायता प्रदान की भी सलाह देता हूं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस विशेष व्यक्ति के लिए और ऐसे विकलांग व्यक्तियों के लिए क्या आवश्यक है, इस बात पर गौर करना चाहिए। यही मेरी इस सभा से अपील है। मुझे आशा है ऐसा किया जाएगा।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): पूरा सदन इनके साथ है और सरकार की तरफ से हर संभव प्रयत्न किया जाएगा।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली): उत्तर प्रदेश की विभिन्न समस्याओं के प्रति केन्द्र का नजरिया निरंतर अनदेखी का रहा है और उसके कारण उत्तर प्रदेश के विकास में निरंतर बाधा पहुंच रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जहां पर कृषि प्रमुख कार्य है, वहां सिंचाई की कई परियोजनाएं पिछले कई वर्षों से लंबित हैं और निरंतर कई बार यहां पर कहा गया है कि इन परियोजनाओं की स्वीकृति केन्द्र सरकार के जिससे कि काम हो सके। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एक तरफ सिंचाई लाभकारी कार्यक्रम के अंतर्गत 67 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं, राष्ट्रीय वाटर शैड प्रोजेक्ट 280 करोड़ रुपये का है, राजघाट डैम प्रोजेक्ट, सोन नदी के जल का वितरण और कनहर प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो केन्द्र सरकार में चार-पांच वर्षों से लंबित हैं और केन्द्र द्वारा स्वीकृति न देने के कारण उत्तर प्रदेश के विकास की गति रुक रही है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दें और तत्काल केन्द्र सरकार चिन्ता करते हुए उत्तर प्रदेश की इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करें।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में

अपराह्न 12.45 बजे

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है ....*(व्यवधान)* आप लोग सुनिये मे। सभी सांसदों के हित की बात बता रहा हूं एम.पी.लोकल ऐरिया डेवलपमेंट स्कीम का पैसा अभी तक मुख्यालय में नहीं गया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। जबकि पैसा अप्रैल या मई में पंहुच जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक पैसा नहीं गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि एम.पीज. लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम की राशि कब तक भेजी जायेगी। इसकी जानकारी हम लोगों को सदन में निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वहां के लोगों के ग्रीवान्सेज आते हैं कि हमारे यहां पुल नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं, सड़क नहीं है। इसके अलावा हमने आग्रह किया था कि इस स्कीम की राशि को बढ़ाकर दो करोड़ रुपये किया जाए। जबकि वह अभी एक करोड़ ही दिया जा रहा है और वह भी समय पर नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा निवेदन यह है कि यह राशि जल्दी से जल्दी मुख्यालय में भेजी जाए। और इसको एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ किया जाए। ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: राम विलास जी, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। ....*(व्यवधान)* आप इस पर कुछ कहिये। ....*(व्यवधान)* पूरा सदन इस बात से सहमत है। आप पहले जवाब सुन लीजिए।

....*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): आज से कुछ दिन पहले भी यह मामला इस सदन में उठाया गया था और मैं निश्चित रूप से सदन में सरकार की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि न सिर्फ हम इसे सरकार के ध्यान में लायेंगे बल्कि इस संबंध में तत्काल कार्रवाई भी की जायेगी। .....*(व्यवधान)* पैसा भेजने के संबंध में कार्रवाई की जायेगी न कि रोकने के संबंध में कार्रवाई की जायेगी। ....*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार (बाढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि इस सदन में बराबर चर्चा होती रही है कि जो एम.पी. लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम की योजनाएं हैं; उनको शासक अनुशासित करते हैं। उनके निर्माण कार्य में बहुत घपला हो रहा है और सांसदों को कोई सुविधा नहीं मिली हुई है और उनको कोई अधिकार नहीं है कि उनके क्षेत्र में और निर्माण कार्य में जो घटिया निर्माण हो रहा है या निर्माण कार्य में जो विलम्ब हो रहा है उसके संबंध में कोई आवाज बुलंद करें तो उस पर कोई कार्रवाई हो। क्योंकि कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। इसलिए इन सदन में यह बार-बार आग्रह किया गया था कि इस मामले की निगरानी के लिए एक कमेटी बन जानी चाहिए। लेकिन उस समय यह सवाल आया था कि अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों को इस कार्य में लगायेंगे और जहां जहां भी शिकायत होगी, बारी-बारी से अलग-अलग राज्यों में वह कमेटी दौरा करेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इस गार्य को तत्काल शुरू किया जाए। क्योंकि बहुतेरे ऐसे राज्य हैं जहां पर सांसद अपनी अनुशंसा देते हैं लेकिन क्रियान्वयन नहीं होता है। गाइडलाइंस एक बार नहीं, अनेक बार परिवर्तित होकर गई हैं। लेकिन सन गाइडलाइंस के मुताबिक भी अमल नहीं होता है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अनुशंसा के 45वें दिन अगर काम शुरू नहीं होगा तो कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी? कई बार इस सदन में कहा गया है कि जो एम.पी. लोक एश्रिया डेवलपमेंट स्कीम है इसके क्रियान्वयन में अगर कोई गड़बड़ी की जायेगी तो विशेषाधिकार का मामला बनेगा। लेकिन जानबूझकर, धड़ल्ले से गाइडलाइंस की अवहेलना की जा रही है। खासकर हमारे इलाके में जबरदस्त रूप से इसकी अवहेलना की जा रही है, पटना जिला में की जा रही है। ....*(व्यवधान)* इसीलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूं कि अलग-अलग राज्यों में दो-दो, तीन-तीन दिन के लिए अध्यक्ष महोदय कोई कमेटी मुकर्रर करें, वह कमेटी वहां जाए और उसको रिव्यू करें, ताकि गाइडलाइंस के मुताबिक स्कीम का अनुपालन हो सके। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम): महोदय, हमारी समस्या बिहार के संसद सदस्यों जैसी नहीं है। बल्कि निधियां जारी की जानी चाहिए। चार माह बीत चुके हैं। अभी भी निधियां जारी नहीं की गई हैं। ....*(व्यवधान)*

श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी (निजामाबाद): मडोदय, दिशा-निर्देश अनेक बार जारी किए गए हैं। लेकिन राज्य सरकारों द्वारा उनका अनुसरण नहीं किया जाता है। वे केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों की उपेक्षा कर रहे हैं। .....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष मडोदय: सम्पूर्ण सभा इस मुद्दे पर बहस कर रही है। सरकार को देखना चाहिए कि क्या हालात में सुधार हुआ है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष मडोदय: कृपया उनकी बात सुनें।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: उपाध्यक्ष जी, इसमें चार पाइंट्स शामिल है। पहला पाइंट यह उठाया गया कि इस स्कीम की राशि को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर दिया जाए। इसके संबंध में, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं। दूसरा मुद्दा यह उठाया गया कि इस स्कीम के अंतर्गत जो एक करोड़ रुपये दिए जाते हैं, उन्हें तत्काल रिलीज किया जाए जिससे कि मैमबर्स आफ पार्लियामेंट अपने-अपने क्षेत्रों में विकास के काम तेजी से करा सकें क्योंकि फिर मार्च आ जाएगा और उसके पहले अगर काम नहीं होता है तो एम. पी. की कठिनाइयों बढ़ती जाती हैं। *....(व्यवधान)* मैं इससे एग्री करता हूं और आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सकेगा, इस पैसे को तुरन्त रिलीज कराया जाएगा। *....(व्यवधान)* अभी तक मैंने किसी से बात नहीं की है लेकिन पैसा तुरन्त रिलीज करके संबंधित अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा। *....(व्यवधान)* आप मुझसे डेट लेना चाहते हैं, मुझे पहले से मालूम नहीं था कि आज इस सवाल को यहां आप उठाएंगे वर्ना में डेट वगैरह बता देता लेकिन निश्चित रूप से, जब आप इस सवाल को यहां उठा रहे हैं, सरकार की तरफ से मैं इतना ही कह सकता हूं *....(व्यवधान)*

श्री कमरुल इस्लाम (गुलबर्गा): आजादी का 50वां वर्ष हम लोग मनाने जा रहे हैं। अगर यह पैसा जल्दी रिलीज करा दिया जाए तो हम कुछ काम करा सकते हैं *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष मडोदय: कृपया माननीय मंत्री की बात सुनें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अब आपने कहा है, जितना जल्दी होगा, पैसा रिलीज करा दिया जाएगा। चूंकि गवर्नमेंट को यह पैसा देना ही है, भले ही आज दे या कल दे, लेकिन इसमें देरी नहीं की जाएगी। *....(व्यवधान)*

तीसरी बात गाइडलाइन्स के संबंध में आपने कही। गाइडलाइन्स आलरैडी जारी कर दी गई है *....(व्यवधान)* पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष मडोदय: आप अपना धैर्य क्यों खो रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: हम आज मिनिस्टर हैं, कल तक हम भी एम. पी. थे, इसलिए हम सब जानते हैं। हम गाइडलाइन्स को पढ़कर स्कीम देते थे कि अमुक काम में दस लाख रुपया लगेगा और कलैक्टर सीधे उसकी मीनिटरिंग करते थे। यहां मंत्रालय से भी देखा जाता था *....(व्यवधान)* एक आपने गाइडलाइन्स की बात कही, उसे फौलो करने की बात कही। यदि गाइडलाइन्स में किसी संशोधन की आवश्यकता होगी, आप जानते हैं कि अध्यक्ष मडोदय के निर्देश पर गवर्नमेंट ने यह इनीशियेटिव लिया था, जिसके बाद ये गाइडलाइन्स और दूसरी चीजें तैयार की गई। यदि गाइडलाइन्स में संशोधन की आवश्यकता है तो उनमें संशोधन किया जा सकता है।

चौथी बात आपने मीनिटरिंग की कही। मीनिटरिंग के बारे में, हम देख लेते हैं। चाहे हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से, प्लानिंग मिनिस्ट्री की तरफ से या रूरल डेवलपमैंट मिनिस्ट्री की तरफ से, जहां से भी हो यदि इसमें यानिटरिंग की आवश्यकता होगी तो उसे किया जाएगा। हम भी इस बात को महसूस करते हैं कि इसे ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में न छोड़ा जाए और यहां से जो पैसा दिया जाए, उसका किसी भी कीमत पर मिस-यूज न हो बल्कि मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट की रिकमैंडेशन पर, उसका सार्थक उपयोग हो। इस मामले में यदि मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट की कहीं से शिकायत आती है, वैसे गाइडलाइन्स में भी हैं, *....(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: इसमें आपका कसूर नहीं है।

उपाध्यक्ष मडोदय: पहले मंत्री जी की बात पूरी हो जाने दीजिए।

....(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: इस बारे में, हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि दूसरी बात कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष मडोदय: अभी उनका चौथा पांइट रहता है।

....(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: सरकार को इस में कुछ नहीं करना है, बल्कि चेयर को करना है। चेयर की तरफ से यह निर्णय हुआ था कि उसके रिव्यू के लिए हर राज्य में, चेयर की तरफ से संसद सदस्य जाएगें, लेकिन वे नहीं जा रहे हैं। उसके बारे में अभी तक तय नहीं हुआ है। गवर्नमेंट को अब कुछ नहीं करना है और में गवर्नमेंट को कुछ नही कह रहा हूं। आपने बहुत साफ-साफ कह दिया....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष मडोदय: ठीक है, माननीय अध्यक्ष जी के नोटिस में यह बात ला दी जाएगी।

श्री राम विलास पासवान: आप मुझे एक बात और कहने दीजिए। ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में केवल एक वाक्य में अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय यह स्कीम बन रही थी, उस समय सांसदों के उपर कोई आरोप नहीं लगा। साफ-साफ कह दिया गया कि यह पैसा सांसद को नहीं दिया जाएगा। यह पैसा केन्द्र से सीधे कलैक्टर को दिया जाएगा और सांसद काम करने वाले कार्यों की सूची कलैक्टर को देगा। उसके अनुसार कलैक्टर काम करवाएंगे और सांसद देखेंगे कि काम हुआ है या नहीं। इसलिए सांसदों को यह जानने का अधिकार है कि काम ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। अतः मेरा निवेदन है कि चेयर की तरफ से जो भी निर्णय होगा, उसको सरकार पूरी तरह से मानने और उस पर अक्षरशः पालन करने के लिए तैयार है। ....*(व्यवधान)*

श्री सुंदरलाल पटवा (छिंदवाड़ा) उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में पहली बार नया-नया चुनकर आया हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब तो आप नए नहीं रहे।

श्री सुंदरलाल पटवा: जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हैं उन सबसे मैं इस सदन में नया हूं।

[अनुवाद]

मैं तो बिल्कुल नया हूं।

[हिन्दी]

महोदय, मुझे आज इस सदन की कार्यवाही देख कर दूसरी बार तरस आ रहा है। पहली बार, जब यहां पर सांसदों के सैलरी एवं भत्तों के बारे में चर्चा हुई थी। उस दिन सदस्यों ने जो कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, तो उस दिन तरस आया और आज दूसरी बार, जब सांसद अपने लिए नहीं, अपने क्षेत्र की जनता के लिए जो सरकार की ओर से सुविधा दी गई है, सांसद को जो विकास के कार्य करने का अधिकार दिया गया है, उसको देखकर मुझे तरस आ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूं कि मंत्रिमंडल में बैठे हुए माननीय सदस्य क्या पहले सांसद नही थे या अब सांसद नहीं हैं या कल सांसद नहीं रहेंगे? इसलिए जब सैलरी एंड अलाउंसेस के उपर इस सदन में मैंने जो सीन देखा और मैंने ही नहीं बल्कि इस सदन की कार्यवाही जो अब सीधे टेलिवीजन पर दिखाई जा रही है; उसके जरिए पूरे देश ने देखा कि सांसद किस दयनीय स्थिति में अपने वेतन एवं भत्तों को बढ़ाने की मांग कर रहे थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के जो लोग दूरदर्शन प्रसारण के माध्यम से इस सदन की कार्यवाही देखते होंगे, वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम लोग अपने वेतन-भत्तों के लिए किस प्रकार से चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, याचना कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं और वह भी उस स्थिति में जब इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं और वे सिफारिशें सरकार के पास लंबे समय से विचाराधीन पड़ी हैं। मंत्रिमंडल उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा निवेदन है कि आप उन सिफारिशों को भले ही खारिज कर दें या मंजूर कर लें, लेकिन मेहरबानी करके देश की जनता के सामने मैम्बरों को इतनी दीन-हीन अवस्था में तो पेश मत कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सदस्यों के वेतन-भत्ते का सवाल न होकर एक ऐसा अवसर है जब सांसद अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं। राम विलास पासवान जी इस सदन के नेता हैं, क्या वे यह नहीं कह सकते हैं कि कल धन रिलीज कर दिया जाएगा या इस महीने के अंत तक कर दिया जाएगा? उनको कौन रोकता है? उनको ऐसा कहने से कौन रोकता है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन माननीय सदन के नेता से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि देश के सामने हम सांसदों की ऐसी दीन-हीन अवस्था को पेश मत कीजिए। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं अगला मुद्दा लेता हूं प्रो॰ चन्दू माजरा

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने प्रो॰ चन्दूमाजरा को बोलने के लिए कहा है।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जगमोहन (नई दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट में अपनी बात कहकर बैठ जाऊंगा।

अपराह्न 1.00 बजे

यह जो एम.पी. का लोकल एरिया डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसमें जो देरी होती है; उसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं जो कि सबके लिए फायदे की बात है। ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको बाद में बुलवा लूंगा। आप पहले इनकी बात तो सुन लीजिए।

....*(व्यवधान)*

श्री जगमोहन: इसमें देरी इसलिए होती हैं क्योंकि यहां से फंड रिलीज होने से पहले वह सर्टीफिकेट मांगते हैं कि आपका पहला पैसा खर्च हो चुका है। वहां से सर्टिफिकेट लाने में देरी होती है इसलिए फंड रिलीज नहीं होता है। इसलिए उन्होंने चिटठी लिख रखी है जब पैसा 50 लाख रुपये रह जायेगा तब हम दूसरा फंड रिलीज करेंगें। इसमें मेरा एक कंस्ट्रेक्टिव सजेशन है कि जब एक स्कीम सैंक्शन हो जाये, उसका कांट्रेक्ट आवार्ड हो जाये तो उसको

डिसबर्स करते हुए अथारिटी को टाइम लगता है जैसे आप कार्पोरेशन का कुछ काम करेंगे तो सीवर का कांट्रेक्ट देकर उसको बिल का पेमेंट करते हुए साल दो साल लग जायेंगे इसलिए वह सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। अब उस डेट को लेंगे जब कांट्रेक्ट अवार्ड हो जाये।

अब इसे समाप्त हुआ समझा जाए क्योंकि कमीटिड एक्सपेंडीचर होगा। इसको करेंगे तो सारा पैसा रिलीज हो जायेगा। *....(व्यवधान)*

अपराह्न 1.01 बजे

[अनुवाद]

डा॰ के॰ पी॰ रामलिंगम (तिरुचेंगोडे): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्यों का संबंध है वहां राज्य सभा और लोक सभा के बीच कोई असमानता नहीं होनी चाहिए। राज्य सभा और लोक सभा में सभी अधिकार समान होने चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है? राज्य सभा सदस्यों को जनता में वितरण हेतु दो-चार रसोई गैस कूपन मिल रहे हैं लेकिन लोक सभा सदस्यों को रसोई गैस कूपन देने के लिए मना कर दिया गया है। यह कैसे सम्भव है? क्या ऐसा कोई नियम है?

श्री पी॰ एल॰ शिवा (पुडुक्कोट्टई): वास्तव में, हम जनता के प्रतिनिधि हैं।

डा॰ के॰ पी॰ रामलिंगम: लोक सभा सदस्य जनता द्वारा चुने जाते है। हमने जनता की ओर से उत्तरदायित्व प्राप्त किया है राज्य सभा सदस्य केवल लोक सभा और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा चुने जाते है। लेकिन यह सुविधा आप हमे नहीं दे रहे हैं क्या यह सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने का परिणाम है? माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई है? माननीय अध्यक्ष को इस विषय पर सही निर्णय देना चाहिए। हम इस मुद्दे पर तत्काल जवाब चाहते हैं। *....(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कमारुल इस्लाम: जो राज्य सभा के सदस्य हैं, वह बहुत अच्छे हैं इसलिए बांट रहे हैं। *....(व्यवधान)* यहां के लोग नहीं बांटेंगे इसलिए उसको रोक दिया गया है। ऐसी गलत इन्फोर्मेशन सब जगह है। *....(व्यवधान)* यह डिसक्रिमीनेशन कब तक होगा। *....(व्यवधान)* हम सबकी इज्जत का सवाल है। *....(व्यवधान)* आप इस पर कुछ आश्वासन दीजिए। *....(व्यवधान)* आप या तो सबको बंद कर दीजिए या फिर सबको दीजिए। *....(व्यवधान)*

डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा के मैम्बरान को दिया जाये। *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया सभा को शांतिपूर्ण ढंग से चलने दें।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं इसे फिर से दोहरा रहा हूं माननीय सदस्यों को जानना चाहिए कि हम जो यहां बैठे हैं को भी कुछ *प्रतिबंधों के अंतर्गत कार्य करने होते हैं अध्यक्ष महोदय के कार्यालय ने मुझे एक सूची दी है स्वाभाविक रूप से मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता।*

श्री सुखराम (मंडी): लोग भूकम्प से पीड़ित हैं।

सभापति महोदय: आप नियम 193 के अंतर्गत उस मुद्दे को उठा सकते हैं। इस पर चर्चा की जा सकती है क्योंकि यह प्राकृतिक आपदा है।

मैं दोपहर 1.30 बजे तक कुछ सदस्यों को बुलाउंगा। मैं सूची के अनुसार कार्य करूंगा। अब, प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दू माजरा।

.....(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: महोदय, क्या आज भोजनावकाश होगा? *....(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं, आज कोई भोजनावकाश नहीं होगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: महोदय, कृपया आप यहां इसकी घोषणा कर दें। *....(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप जा सकते हैं और अपना भोजनावकाश कर लें।

....(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी: यह कोई बात नही है यदि मै सभा की कार्यवाही में भाग न लूं। *....(व्यवधान)*

डा॰ के॰ पी॰ रामलिंगम: गैस कनेक्शन प्रदान करने के बारे में असमानता पर विनिर्णय क्या है और *....(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला): सभापति महोदय, मैं दूसरे विषय पर बोलना चाहता हूं लेकिन जिस विषय पर डिस्कशन हो रही है, मैं उसमें भी शामिल होता हूं। गैस और टेलीफोन कनेक्शन राज्य सभा के सदस्यों को दिए जाते हैं लेकिन लोक सभा के सदस्यों को नहीं दिए जाते। मैं भी कहता हूं कि गैस और टेलीफोन कनेक्शन मिलने चाहिए।

मैं आपके जरिए सरकार का ध्यान एक अहम विषय पर दिलाना चाहता हूं कि देशभर में बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ से फसलों का नुकसान हो रहा है, मकान तबाह हो रहे हैं, जन-जीवन ठप्प हो रहा है, विशेष रूप से पंजाब में बहुत सारे दरिया जैसे झाझर, नारकंडा, टांगरी आदि से पिछले दिनों काफी नुकसान हुआ। मेरे इलाके में 20 गांव मोना सब-डिवीजन में अभी भी घिरे हुए हैं। ऐसे ही घिन्नो सब-डिवीजन में 15 गांव घिरे हुए हैं। हमने मांग की थी की बाढ को रोकने के लिए, नुकसान रोकने के लिए लम्बे समय की स्कीम होनी चाहिए जैसे दरिया के पानी को पहाड़ों

में कहीं डैम बनाकर रोका जा सकता है। उससे सिंचाई का काम भी लिया जा सकता है, बाढ से होने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है और बिजली भी बन सकती है।

मैं बिहार में गया तो वहां मुझे किसी ने बताया कि यहां तो दो फसलें होती हैं-एक खरीफ की होती है और दूसरी रिलीफ की होती है। रिलीफ से काम चलाते हैं। रिलीफ पूरा बांटा भी नहीं जाता। हर साल ऐसे ही होता है। बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कोई उपाय होने चाहिए। क्राप इश्योरेंस स्कीम, जिसे सरकार ने कई बार हाउस में माना है, आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में भी दिया है कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू होगी। लेकिन दुख की बात है कि अभी तक उसे लागू नहीं किया गया। इंडस्ट्री में इश्योंरेंस हो जाती है लेकिन कृषि क्षेत्र में कोई इंश्योरेंस नहीं होती, न ही उनको पूरा रिलीफ दिया जाता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि क्राप इंश्योरेंस स्कीम लागू की जाए ओर बाढ़ को रोकने के पक्के उपाय किए जाएं।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया): सभापति जी, मुझे संक्षेप में केवल यह निवेदन करना है कि कुछ दिन पहले मैंने सवाल उठाया था कि अदालत ने यह फैसला किया है कि गांधी जी का स्टैच्यू इंडिया गेट पर लगना चाहिए और सरकार इस बारे में 4 अगस्त तक निर्णय ले। आज तक सरकार ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अगस्त क्रान्ति उद्यान बनाने के लिए उद्घाटन श्री नरसिंह राव जी ने किया था और उस दिन सारे सदन ने इस पर सहमति व्यक्त की थी। मुझे दुख इस बात पर होता है कि सरकार की ओर से तो कोई प्रतिक्रया होती ही नहीं, उस सवाल के उपर देश के समाचार पत्रों में एक पक्ति भी नहीं छापी गई। यह तो छापा जा रहा है, प्रकाशित हो रहा है कि गांधी जी को मारना उचित था और एक सज्जन का साक्षात्कार इंटरव्यू बड़े अखबारों में छपा है कि यदि गांधी फिर जिन्दा होंगे तो फिर हम उनको मारेंगे। यह प्रकाशन इस देश में स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती पर हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा ....*(व्यवधान)* शेम, शेम कहने से नहीं होगा। मैं सदस्यों से बहुत विनम्र निवेदन करूंगा कि जो हम लोग कर रहे हैं, शेम तो उससे सारे देश में हमारी हो रही है। उसे जरा हम देखे। लेकिन 15 अगस्त के पहले उस उद्यान के बारे में सरकार को निर्णय लेना चाहिए। या तो सरकार कह दे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इस स्वर्ण जयन्ती में गांधी का कोई स्थान नहीं है क्योंकि यहां पर कुछ विद्वतजन हैं जो कहते हैं कि लुटियन की आर्किटेक्चरल ब्यूटी समाप्त हो जाएगी।

अगर गांधी जी वहां पर होंगे। जिस तरह के हाई कोर्ट में, अदालत में दस्तावेज पेश किये गये हैं, कहा गया है, गांधी जी का जहां भी स्टेच्यू है, वह केवल कैरीकेचर है। यह कहा गया है कि यह एस्थेटिक वेंडालिज्म होगा, अगर वहां पर गांधी जी का स्टेच्यू लग जाएगा। अदालत के लोगों ने फैसला कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार का फैसला 15 अगस्त तक हो पाएगा या नहीं।

मैं नेता विरोधी दल से कहूंगा, नेता सदन से कहूंगा कि यह मामला अत्यन्त गंभीर है। अगर देश की मर्यादा को बिगाड़ना है तो देश के प्रतीकों को इस तरह से मिटाने का जो प्रयास हो रहा है, इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए।

श्री राजेश पायलट (दौसा): सभापति जी, सदन के नेता मौजूद हैं, सरकार की तरफ से ऐसे मुद्दे पर, जिसमें आज देश की भावना जुड़ी हुई है, 50वां साल हम स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं, आप सदन को बतायें कि 14 अगस्त से पहले गांधी जी का स्टेच्यू वहां लग जायेगा, इसमें सरकार को दिक्कत क्या आ रही है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): आदरणीय चन्द्रशेखर जी ने आज से एक सप्ताह पहले, जिस दिन सदन खुला था, उसके दो दिन बाद ही इस मुद्दे को यहां उठाया था और हमने उसी समय एश्योरेंस दिया था कि सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में तत्काल कार्रवाई करके सूचित किया जायेगा। .....*(व्यवधान)* इसलिए मैंने कहा कि मैं इस सम्बन्ध में, यदि अध्यक्ष जी हों और तत्काल कार्रवाई करनी हो तो सरकार तैयार है कि नेता विरोधी दल को, सरकार की तरफ से कुछ लोगों को बुलाकर तुरन्त इस विषय पर निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से मैं फिर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इसके बाद अभी जाउंगा और जाकर मैं फाइंड आउट करूंगा कि इस एश्योरेंस का इम्प्लीमेटेशन क्या हुआ है। सरकार तत्काल इस सम्बन्ध में निर्णय लेगी। .....*(व्यवधान)*

कुंवर सर्वराज सिंह (आंवला): गांधी जी की मूर्तियां भी तोड़ी जा रही हैं, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? .....*(व्यवधान)* उसके बराबर में मूर्तियों लगाई जा रही हैं। .....*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): सभापति जी, जो प्रश्न अभी श्री चन्द्रशेखर जी ने उठाया है, वह सदन में पहले भी उठ चुका है। उसके बारे में हम लोग प्रधान मंत्रीजी को पत्र भी लिख चुके हैं। अब तो अदालत का फैसला भी आ गया है। अब इस सम्बंध में विलम्ब नहीं होना चाहिए।

मूर्ति कहां लगे, इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर गांधी जी की मूर्ति उस परिसर में कहीं भी न हो, यह तो देश के लिए सचमुच में बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो भी विवाद है, वे हल हो सकते हैं, सुन्दरता का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन सुन्दरता पर एक अनन्त चर्चा नहीं होनी चाहिए। कभी-कभी मौके आते हैं, जब दृढता के साथ निर्णय करने की आवश्यकता होती है और यह मौका ऐसा ही है। मैं नहीं जानता कि प्रधान मंत्री फैसला कर पाएंगे या नहीं कर पांएगे। बड़े-बड़े मामलों में फैसले नहीं हो रहे हैं, बातें टाली जा रही हैं। मगर यह मामला ऐसा नहीं है, लोगों की भावना के साथ जुड़ा हुआ हैं। स्वर्ण जयन्ती के साथ यह मामला सम्बद्ध है। इस सम्बंध में विलम्ब नहीं होना चाहिए, दो टूक फैसला होना चाहिए। गांधी जी को उस सारे परिसर में ऐसी प्रतिष्ठा की जगह स्थापित किया जाना चाहिए, जो सबको स्वीकार हो और जो सब के लिए शोभा की बात हो।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर): सभापति जी, सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के कुप्रबन्ध के कारण और अव्यवस्था के कारण देश भर की कारपोरेशन की सीमेंट इकाइयां बन्द होने की स्थिति में हैं। कुछ सीमेंट इकाइयां बंद भी हो गई हैं। उन्हीं के क्रम में मध्य प्रदेश की नीमच के आगे नया गांव स्थित दो सीमेंट संयंत्र लगभग एक सप्ताह से बिजली के अभाव में बंद हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल को उन्होंने बिजली का बकाया नहीं दिया और उसके कारण सीमेंट इकाइयां अपना कार्य करने में असमर्थ हो गई हैं।

ऐसी स्थिति में मेरी सरकार से मांग है कि सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया को उद्योग मंत्री जी निर्देश दें कि तत्काल वहां पर बिजली की आपूर्ति करवाई जाये, अन्यथा हजारों मजदूर वहां पर बेकार होने की स्थिति में है। आज मजदूर वहां पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज हड़ताल का उनका तीसरा दिन है। वहां पर और कोई अशान्ति पैदा हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो, ज्यादा अच्छा होगा कि उद्योग मंत्री इसमें हस्तक्षेप करके सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया का जो कुप्रबन्ध है, उसको ठीक करे और मजदूरों में ज्यादा अशान्ति को दूर करते हुए उनकी मांगों को मानते हुए वहां पर व्यवस्था करें, ताकि वे इकाइयों पुनः चालू हो सकें। धन्यवाद।

श्री इन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): सभापति जी, मैं बहुत दुख के साथ यह सवाल उठाना चाहता हूं, क्योंकि मै सन 1980 से पांचवी बार लोक सभा में चुनकर आया हूं और पांचवी बार ही इस सवाल को उठा रहा हूं।

मगर इसको अभी तक पूरा नहीं किया गया। आपको मालूम है कि हमने खेत मजदूर के लिए कानून बनाने का वादा किया था। हम आजादी की पचासवीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। आजादी के पचास साल बाद भी एक तिहाई जनता के लिए कानून नहीं बना। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और माइनोरटीज के सबसे ज्यादा हैं, जिनको साल में 100 दिन भी काम नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता, जिनके बिना खाना पैदा नहीं हो सकता, उनके हित की अनदेखी करना हमारे लिए शर्म की बात है। हमने कुत्ते-बिल्लियों आदि जानवरों को बचाने के लिए, पेड़ों को काटने से रोकने के लिए तो कानून बना दिया, लेकिन इस 30 करोड़ जनता के लिए कोई कानून नहीं बनाया, यह संसद के ऊपर धब्बा है। जो सबसे ज्यादा गरीब है, जिसको लीगल प्रोटेक्शन चाहिए, वह उसको हम नहीं दे पाएं तो ऐसी पार्लियामेंट की क्या जरूरत है। आज यह हमारे उपर धब्बा है। इस सम्बंध में एक मीटिंग भी बुलाई गई थी। जिसमें राज्य सरकारों को बुलाया गया था। उसमें छः राज्यों के मंत्रियों ने इस कानून का विरोध किया। वे लोग जमींदारों के पेरोकार हैं, वे जमींदारों को बचाने के लिए खेत मजदूर के लिए कानून नहीं बनाना चाहते। आज त्रिपुरा, केरल और कुछ अन्य राज्यों के अलावा खेत मजदूर के लिए कहीं कोई कानून नहीं है। उसकी मजदूरी का क्या होगा, उसके काम का तरीका क्या होगा, उसको मजदूरी नहीं दे तो उसके डिस्प्युट का सैंटलमेंट कैसे होगा, उसके बच्चे स्कूल जाएं या न जाएं, उसकी झोपड़ी बने या नहीं, इन सारी बातों पर आजादी के पचास साल बीत जाने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। सरकार के सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में भी इस सम्बंध में स्पष्ट तौर पर लिखा है। लेकिन एक साल बीत जाने पर भी इस सम्बंध में कुछ नहीं किया गया। मैं इसकी निंदा करता हूं और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसी सत्र में खेत मजदूरों के लिए बिल लाकर पारित किया जाए। जब पूरा सदन समर्थन करता है, फिर क्यों नहीं इस पर अमल हो रहा है। इसलिए मै मांग करता हूं कि खेत मजदूरों के लिए अविलम्ब कानून होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य: वे समाज का सर्वाधिक उपेक्षित अंग हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कृषि मजदूरों के हितार्थ कोई व्यापक कानून इस संसद में लाया जाएगा। .....*(व्यवधान)* सदन के नेता भी यहां उपस्थित है। उन्हें सभा को बताना चाहिए कि .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: पासवान जी, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे।

.....*(व्यवधान)*

श्री हंस राज अहीर (चंद्रपुर): सभापति जी, सारे देश में दूरदर्शन के कम से कम 100 लघु प्रक्षेपण केन्द्र बनाए गए हैं। जनता को दूरदर्शन का लाभ मिले, इस दृष्टिकोण से इनको बनाया गया है। लेकिन ये अभी तक शुरू नहीं किए गए हैं। हम जब सम्बन्धित मंत्रालय को पत्र लिखते हैं तो हमें बार-बार यही जवाब मिलता है कि इसी वर्ष, इसी महीने में शुरू हो जाएगे। मैं इस सम्बन्ध में कई पत्र लिख चुका हूं। जवाब आता है कि वित्त विभाग को पत्र लिखा है। मैं कहना चाहता हूं कि लघु प्रक्षेपण केन्द्र जल्दी से जल्दी शुरू किए जाएं। जो करोड़ों रुपया इन पर खर्च किया गया है, उसका लाभ जनता को शीघ्र दिलाया जाए।

कुंवर सर्वराज सिंह: सभापति जी, एक तरफ हम लोग आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं दूसरी तरफ आजाद हिंदुस्तान में संविधान को दरकिनार किया जा रहा है संविधान की आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं दर्ज हैं। जिनमें उर्दू भी शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में चुने हुए प्रतिनिधि को उर्दू बोलने और उर्दू में शपथ लेने की वजह से शपथ नहीं दिलाई गई, यह गंभीर मामला है। जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में सरकार थी, जो आज यहां रक्षा मंत्री हैं, इनके समय में उत्तर प्रदेश में उर्दू का विकास हुआ था, अकलियत के लोगों में एक विश्वास जगा था। उस विश्वास को इस सरकार ने तोड़ने का काम किया है। समाजवादी पाटी के दो विधायक आलमवदी एवं वसीम अहमद ने कहा था कि हमें उर्दू में शपथ दिलाई जाए लेकिन उनको उर्दू में शपथ नहीं दिलाई गई। संसद से बड़ा कोई नहीं हुआ करता है, जब संसद में 14 भाषाएं हैं और जो जिस भाषा में शपथ लेना चाहता है उसमें उसको शपथ दिलाई जाती है तो उत्तर प्रदेश में इसमें शपथ क्यों नहीं दिलाई जाती है? यह संविधान का बहुत

बड़ा मजाक हुआ है और यह जानबूझ कर किया गया है, क्योंकि वहां पर साम्प्रदायिक ताकतें बैठी हुई हैं वे वहां के लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को एक मैसेज देना चाहती है कि साम्प्रदायिकता के खिलाफ जो लोग बोलेंगे उनके साथ इस तरह से किया जाएगा। वहां पर हिन्दी और उर्दू का सवाल खड़ा किया गया है, हिन्दू और मुस्लिम का सवाल खड़ा किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि उर्दू हिन्दुस्तान की ही भाषा है। आज भी हिन्दुस्तान में पंजाब से लेकर कश्मीर तक सब जगह पर भी उर्दू में काम हो रहा है इसलिए यह देश का बहुत बड़ा अपमान है। यहां पर गुजराल कमेटी बनी थी। उसन उर्दू के विकास के लिए बहुत लम्बी-लम्बी घोषणाएं की थीं। आज गुजराल साहब यहां के प्रधान मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में फिरकापरस्ती ताकतों के कारण इन दोनों को सदन में शपथ न ले पाने से क्षेत्र के लोगों का अपमान हो रहा है। जिन लोगों ने इनको चुन कर भेजा है उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार तोड़ा जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर यह अधिकार टूटेगा तो इस देश को तोड़ने की जो साजिश की जा रही है उस साजिश के खिलाफ अगर कार्यवाही नहीं की गई, उसके ऊपर रोक नहीं लगाई गई तो उसके बुरे परिणाम होंगे।

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देश दें कि तत्काल उनको शपथ दिलाई जाए और जिन लोगों ने इस तरीके का कार्य किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में ऐसी पुरावृत्ति न हो। अगर आप यहां से निर्देश नहीं देंगे तो बड़ा गलत मैसेज जाएगा। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही है आप निर्देश दें कि तत्काल उनको शपथ दिलाई जाए। उन लोगों के अंदर जो भय का वातावरण बना है, वहां जो साम्प्रदायिक ताकतें हैं उन लोगों के उपर रोक लगाने का काम करें। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं *.....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री इलियास आजमी के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा

*.....(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: यह बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है लेकिन जिन दो माननीय सदस्यों ने अभी तक शपथ नहीं ली है उसकी जिम्मेदारी स्पीकर पर है, उत्तर प्रदेश की सरकार का उससे कोई संबंध नहीं है। *.....(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप क्या बोल रहे हैं हमें बताइए, इनको बताने की जरूरत नहीं है।

.....(व्यवधान)

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री इलियास आजमी : महोदय, चाहे लोक सभा में हो या विधानसभा में हो, किसी मेम्बर को शपथ स्पीकर या चेयर पर जो होता है वह दिलाता है, सरकार नहीं दिलाती। हमें देवे गौड़ा जी ने शपथ नहीं दिलाई थी, इन्द्रजीत गुप्त जी ने स्पीकर की हैसियत से शपथ दिलाई थी। इसलिए इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है।*.....(व्यवधान)* मैं मानता हूं कि उन्हें शपथ दिलाई जानी चाहिए। *.....(व्यवधान)* अब मैं अपने नोटिस पर बोलूंगा। *.....(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या अभी आपने नोटिस पर नहीं बोला है ?

श्री इलियास आजमी: अभी मैं नोटिस पर नहीं बोला हूं, अब मैं अपने नोटिस पर बोलूंगा। *.....(व्यवधान)*

सभापति महोदय: देखिये कवंर जी, आपने अपनी बात कह दी है, अब इनको बोलने दीजिए। आजमी जी, आपका नोटिस है एल. पी. जी. एजेंसी के लिए। आप उस पर बोलिये।

श्री इलियास आजमी: पेट्रोलियम मंत्री ने बयान दिया है कि 20 हजार की आबादी वाले हर नगर में गैस-एजेंसी खोल दी गयी है। इस पर मेरी आपत्ति है। यह बयान बिल्कुल गलत है। किसी भी मंत्री को सार्वजनिक रूप से झूठा बयान नहीं देना चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दो कस्बों मोहम्मदी और तिहानी की आबादी 20 हजार से ज्यादा है। दोनों कस्बों के लिए दो साल पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने एल.पी.जी. की एजेंसी खोलने के लिए एडवटाईजमेंट की थी। दो साल से हजारों दरख्वास्तें पड़ी हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि वह कब तक खोली जाएगी ? *.....(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उर्दू में शपथ ली जानी चाहिए लेकिन शपथ दिलाने का कार्य स्पीकर का होता है न कि सरकार का होता है।

*.....(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह (विदिशा): माननीय सभापति महोदय, कल फिर एक रेल दुर्घटना हुई है। शेखावटी एक्सप्रेस मडेन्नगढ़ के पास पटरी से उतर गयी। उसमें 13 लोग घायल हुए है। इस दुर्घटना में संयुक्त मोर्चा सरकार के मंत्री शीश राम ओला जी की पसली की तीन हड्डियां टूट गयी हैं। उन्होंने अपनी व्यथा खुद सुनाते हुए बताया है कि ढाई घंटे तक कोई नहीं आया। ढाई घंटे बाद एस. डी. एम. आए, लेकिन वे मैडिकल टीम को साथ नहीं लाए और न ही कोई राहत और बचाव के लिए व्यवस्था करे आए थे।

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

तीन घंटे तक मंत्री जी चिल्लाते रहे। राहत का कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। मंत्री जी खुद चलकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हो गये। जब एक मंत्री का यह हाल हुआ है तो दूसरे घायल लोगों की व्यथा का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। एक नहीं अनेक रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। दुर्घटना पर आश्चर्य नहीं होता है, आश्चर्य उस दिन होता है जिस दिन रेल दुर्घटना नहीं होती है। मेरे संसदीय क्षेत्र भोपाल, विदिशा के आसपास कर्नाटक, आन्ध्रा, मालवा एक्सप्रेस पलट गयी। रेल मंत्री जी जांच की घोषणा करते हैं लेकिन उनको रोकने के उपायों का प्रयास नहीं करते हैं। रेल मंत्री से हम यह तो उम्मीद नहीं करते कि वे शास्त्री जी की तरह एक दुर्घटना होने पर इस्तीफा दे लेकिन वे सफाई के नाम पर हाथ में झाड़ू लेकर सफाई का नाटक न करे। इससे रेल व्यवस्था ठीक नहीं होगी। मंत्री जी या तो रेल दुर्घटनाएं रोकने के लिए कारगर उपाय करें अन्यथा इस्तीफा दे दें। लोग आज रेल में हनुमान चालीसा का पाठ करके बैठते हैं। .....*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह: सभापति महोदय, रेल मंत्री जी बैठे हुए हैं। वह इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह उचित नहीं है। कृपया जाइए और और उनसे मिलिए।

.....*(व्यवधान)*

***श्री आराधन राय** (आसनसोल): सभापति महोदय, मैंने बंगला में बोलने का नोटिस दिया है। आज का ज्वलंत मुद्दा बेराजगारों की समस्या है। हाल के वर्षों में बेरोजगारी ने हमारे देश में अनेक गंभीर समस्याओं को जन्म दिया है। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ ही औद्योगिक मजदूरों तथा शिक्षित लोगों में व्याप्त है। महोदय, दिनांक 31.12.96 की स्थिति के अनुसार देश में कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 37429.6 थी। इसके अलावा भी अनियमित रोजगार पाने वाले लाखों लोग हैं जिन्होंने अपने को रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं करवाया है। उन्हें भी बेरोजगारों के अन्तर्गत गिना जाना चाहिए। भारत में श्रमिकों की संख्या 339.2 मिलियन अर्थात कुल जनसंख्या का 37.4 प्रतिशत है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात को शीघ्र समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री आराधन राय: जी हां श्रीमान, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। कुल जनसंख्या की 37.4 प्रतिशत जनसंख्या जो की मजदूर हैं उन्हें नियमित रूप से काम नहीं मिल पाता है। उनमें से कुछ को नियमित रोजगार मिला हुआ है। और कुछ को कुछ समय के लिए ही काम मिल पाता है तथा कुछ बेरोजगार ही हैं। इसलिए इन लोगों में कुंठा और असंतोष व्याप्त है .....*(व्यवधान)*

---

* मूलतः बंगला में दिये गये भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

सभापति महोदय: आराधन बाबू, कृपया और समय मत लीजिए और अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री आराधन राय: जी हां श्रीमान, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। महोदय 80 प्रतिशत कामगार गांवों मे रहते हैं और उनमें से 63 प्रतिशत कामगार कृषि कार्य में लगे हुए हैं। 85 प्रतिशत कामगार या तो स्व-रोजगार में लगे हैं अथवा दिहाड़ी मजदूर है। केवल 15 प्रतिशत कामगार ही नियमित रूप से आय प्रदत्त रोजगार मे लगे हैं। इसलिए दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने वालों की नियमित आमदनी नहीं है। इससे भी बेरोजगारी बढ़ती है। इसके अलावा अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बीमार अथवा बंद होने के कारण भी बेरोजगारों की संख्या में अत्याधिक वृद्धि हुई है। इन युवाओं में व्याप्त कुंठा और असंतोष उन्हें अवैध गतिविधियों और समाज विरोधी तत्वों की ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग अपने हितों के लिए भी उनका शोषण कर रहे है। हिंसा, अलगाववाद, तथा विघटनकारी ताकतों की तरफ झुकाव भी बेरोजगारी का एक निराशाजनक परिणाम है। इसलिए मैं सरकार से रुग्ण उद्योगों को अर्थक्षम बनाने और कारखानों को बंद न करने तथा बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन योजनाएं बनाने की भी अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको आज नहीं कल चांस मिलेगा।

.....*(व्यवधान)*

श्री रामसागर (बाराबंकी): सभापति महोदय, हम उत्तर प्रदेश का मामला उठाना चाहते हैं। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप स्पीकर साहब से मिलिए। अगर आपकी कोई प्राब्लम है तो स्पीकर साहब से मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम नियम 377 के अंतर्गत मामलों को लेंगे।

प्रोफेसर ओमपाल सिंह 'निडर'

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्रोफेसर ओम पाल सिंह 'निडर' के वक्तव्य के अलावा अन्य कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अगर आपकी कोई विशेष प्राब्लम है तो स्पीकर से मिलिए।

.....*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: आप बैठिए। मैं आपको कैसे बोलने के लिए बुला सकता हूं? मैं आपका मैटर भी नहीं जानता? आप स्पीकर साहब से मिलिए और उन्हें अपनी प्राब्लम बताइए। उन्होंने मुझे कोई निर्देश नहीं दिया?

.....(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप कल उनसे मिलिए।

अपराह्न 1.34 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) स्वदेशी कागज मिलों को बंद होने से बचाने के लिए अखबारी कागज पर आयात शुल्क बढाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो॰ ओमपाल सिंह 'निडर' (जलेसर): सभापति महोदय, हमारे देश में आज कागज बनाने वाली अनेक मिलें लगभग बंद हो चुकी हैं क्योंकि विदेशी कागज यहां जान-बूझ कर सस्ता बेचा जा रहा है। भारतीय कागज 22-23 रुपये किलो मिलता है। जबकि वही कागज विदेशों में 30 रुपये प्रति किलो मिलता है। विदेशी पूंजीपति जानबूझ कर अपना कागज 15-16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यहां बेच रहे हैं जिस के परिणामस्वरूप भारत की सरकारी मिलें जैसे नेपा मिल नेपानगर, खंडवा और व्यक्तिगत मिलें बंद हो चुकी है। महीनों से मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा है।

मेरा शासन से अनुरोध है कि वह विदेशी कागज के आयात पर आयात कर बढ़ाए जिससे हमारे उद्योग विदेशियों का सामना कर सकें। नेपा मिल सहित सभी मिलें चालू की जाएं और उनके मजदूरों का वेतन अविलम्ब दिलाया जाए।

(दो) बिहार में गुमला जिले में औषधीय जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिये कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री ललित उरांव (लोहारदगा) : सभापति महोदय, बिहार के एक अति पिछड़े जिले के रूप में चिंहित जिले में वनों की अंधाधुंध कटाई के बाद अब औषधि वनस्पतियों पर तस्करों की बुरी नजर के कारण वहां पाई जाने वाली वन औषधियां समाप्ति की ओर हैं। परम्परागत रूप से विभिन्न रोगों के इलाज की क्षमता रखनेवाली इन औषधि वनस्पतियों के लुप्त हो जाने के खतरे से जहां वहां के नागरिक चिन्तित हैं वहीं वन विभाग इन औषध वनस्पतियों को बचाने के लिये न तो कोई सार्थक पहल कर पाया है और न ही उसे इसकी चिंता है। ज्ञातव्य हो कि इस वनाच्छित जिले में जंगली सफेद हल्दी, अर्जुन, घोड़बच, शतावर, गोरखमुंडी, नागरमोथा, हड़जोड़ा, मेदा, कडहर, इन्द्र जौ, कपूरनी आदि कई प्रकार की वनौषधि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। इन औषधियों से ज्वर, पीलिया, हड्डी संबंधी रोग, महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित कई प्रकार की बीमारियों, डायबिटीज आदि का परम्परागत रूप से सफल और सरल इलाज हो पाता था। विकास के नाम पर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, बढ़ती जनसख्या, कटते वनों और तस्करों की सक्रियता के कारण आज जो स्थिति है। उसमें सामान्य तौर पर पाई जाने वाली आंवला, हर्रा, बहेरा आदि प्राप्त कर लेना भी कठिन हो गया है। विगत दो तीन वर्षों में सैकड़ों ट्रक मेदा छाल की तस्करी के बाद भी जलडेगा, पालकोट, कोलेबिरा, सिमडेगा, बानो, बसिया, भरनो, सिसई या कमडारा क्षेत्र में सक्रिय तस्करों के विरूद्ध सक्रिय कार्यवाही नहीं हो सकी है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि उक्त क्षेत्र को वनौषधि की लुप्त होती करीब एक सौ प्रजाति के संरक्षण हेतु कोई कारगर कदम उठाए।

[अनुवाद]

(तीन) असम के उत्तरी छोर में बालीपाड़ा और जोनाई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 के रखरखाव का कार्य सीमा सड़क महानिदेशालय को सौंपे जाने की आवश्यकता

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर) : राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 जो कि असम के उत्तरी छोर के चार सीमावर्ती जिलों से होते हुए अरूणाचल प्रदेश तथा चीन की सीमा से गुजरता है, देश के लिए अत्यन्त सामरिक महत्व रखता है। पिछले कुछेक वर्षों से राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कम अथवा न के बराबर रख रखाव किए जाने के कारण इस समय यह राजमार्ग वर्षों और बाढ़ के दौरान हुए भूमि कटाव से जीर्ण अवस्था में है। राष्ट्रीय राज मार्ग संस्था 52 पर गोहपुर के समीप वाले सोलेंगी जैसे कुछेक पुलों के निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 की सामरिक महत्व की सीमा से समीपता को देखते हुए इस राजमार्ग के रखरखाव की जिम्मेदारी सीमा सड़क महानिदेशालय को हस्तांरित किये जाने में ही सबकी भलाई है। यदि हम सीमा सड़क महानिदेशालय के पिछले तीस वर्षों के कार्य को देखें तो पाएंगे कि उसने यह अपनी भरपूर क्षमताओं का उपयोग करते हुए यह कार्य बड़ी सफलतापूर्वक पूरा किया है इसलिए बेहतर यही होगा कि यह अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उसे सौंप दी जाए।

प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त की गई शुक्ला समिति ने ढांचागत अन्तर को पाटने के लिए हाल ही में सिफारिश की है कि बालीपाड़ा से जोनाई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 के रखरखाव का कार्य सीमा सड़क महानिदेशालय को सौंप दिया जाए। बाद में गृह कार्य संबंधी स्थायी संसदीय समिति द्वारा भी यही सिफारिश की गई है।

इसलिए मैं जलभूतल परिवहन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उपर्युक्त सिफारिश के तत्काल कार्यान्वयन हेतु इस कार्य को असम के उत्तरी छोर के बालीपाड़ा और जोनाई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 के रखरखाव के कार्य का उत्तरदायित्व सीमा सड़क महानिदेशालय को सौंप दिया जाए।

[हिन्दी]

(चार) देश में कोयले के अवैध खनन को रोकने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता

प्रो० अजित कुमार मैहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, कोयले के राष्ट्रीयकरण के बाद छोटे-छोटे खदानों को अलाभकारी बताकर यों ही छोड़ दिया गया है। इन खदानों में गैर-कानूनी ढंग से खनन कार्य हो रहा है। इस कार्य से सरकार को आर्थिक हानि तो हो ही रही है, साथ ही अवैज्ञानिक तरीके से खनन कार्य चलाने के कारण उस क्षेत्र में प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है और उसका यह स्रोत बरबाद हो रहा है। अधिक लाभ कमाने में लोभ में खतरनाक ढंग से खनन कार्य के कारण इन खदानों में कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें बहुमूल्य जान-माल की हानि हुई।

अतः केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि केन्द्रीय नीति बनाकर इन खदानों को राज्य सरकारों को सौंप दिया जाए जिससे इन कोयला खदानों को दोहन राज्य हित में हो सके।

[अनुवाद]

(पांच) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को और अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता दिए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त गंगाराम गीते (रत्नगिरि) : उदारीकरण योजना के अंग के रूप में सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना की है। विनिवेश आयोग ने अपने तीसरे प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि महानगर टेलीफोन निगम को दूर संचार विभाग के नौकरशाही और प्रशासकीय नियंत्रण से मुक्त किए जाने की आवश्यकता है विशेषकर दिल्ली तथा मुंम्बई में बुनियादी दूर संचार क्षेत्रों में बढ़ती निजी प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए क्योंकि इससे महानगर टेलीफोन निगम की कार्य प्रणाली प्रभावित होती है।

आयोग ने यह विचार व्यक्त किया है कि दूरसंचार विभाग और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के बीच संबंध को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है ताकि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड अधिकतम कार्यकुशलता से कार्य कर सके और विनिवेश के अगले चरण में यथासंभव अधिकतम आय प्राप्त कर सकें। दूरसंचार विभाग को चाहिए कि वह महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को अपना अंग न समझे। इसके अलावा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को प्रबंधन और कार्यकरण में अधिकतम स्वायत्तता प्रदान की जाए ताकि वह दूरसंचार के क्षेत्र में अपनी नई भूमिका निभा सके।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के संबध में उच्च प्राथमिकता के आधार पर विनिवेश आयोग की सिफारिशों को लागू करे।

[हिन्दी]

(छः) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के निवासियों को नागरिक सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : सभापति जी, केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में हजारों लोग गावों की लाल लकीर के बाहर अपने बनाए मकानों में रह रहे है। ऐसे ही हजारों लोग शहरी की झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं। कुछ 7-8 लाख की आबादी में लगभग एक लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें बिजली, पानी के कनेक्शन नहीं दिये गए हैं। वहां पर पीने के पानी तथा सड़कों एवं सीवरेज जैसी जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। ये लोग बड़े लंबे अरसे से जीवन की मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

इतना ही नहीं, पिछले कुछ अरसे से चंडीगढ़ प्रशासन के कुछ अधिकारी शहर के विभिन्न भागों में ऐसे मकानों को गिराने की नीति पर चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में सेक्टर 31 की लेबर कलोनी, शांति नगर, मनीमाजरा, शक्ति नगर कालोनी सेक्टर 41 ए, सेक्टर, 37 तथा पलसोरा कलोनी सहित कई स्थानों पर बने पक्के मकानों का भी बिना कोई उचित नोटिस दिये तोड़ा गया जिसके कारण लाखो रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ। ऐसी गतिविधियों से लोगों में भारी रोष है।

इस वर्ष हम आजादी की 50वीं वर्षगांठ यानी कि स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए केन्द्र सरकार को प्रत्येक नागरिक के साथ हो रहे अन्याय को दूर करने का प्रयास करना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं इस संबंध में केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूं कि वह चंडीगढ़ प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को चाहे वह गांवों, कालोनी एवं शहर के किसी भी हिस्से में रहता हो, या कार्य करता हो, को बिजली, पानी, सीवरेज के कनेक्शन एवं राशन कार्ड जैसी जीवन की मूलभूत सुविधाएं तुरंत प्रदान करें। साथ ही बने मकानों को गिराने की नीति बंद करें तथा जहां जहां ऐसे मकान अवैध रूप से गिराए गए हैं, उन लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए तथा दोषी अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

(सात) आंध्र प्रदेश में जादू टोना करने वाले लोगों को जिंदा जलाए जाने की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री जी.ए. चरण रेड्डी (निजामाबाद) : महोदय, आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले में जादू टोना करने वाले लोगों को जिंदा जलाए जाने की बढ़ती जा रही घटनाएं सभ्य समाज पर कलंक है। न केवल तथाकथित जादू टोना करने वालों की हत्या की जा रही है। बल्कि नक्सलवादियों, पुलिस के मुखबिरों और राहजनी करने वालों का भी यही हश्र किया जा रहा है।

महोदय, अप्रैल, 1997 में कम्पनपल्ली में हुई घटना में एक वृद्ध महिला समेत तीन लोगों की जाने चली गई। गांव के लोग इस घिनौनी प्रथा का उपयोग बदला लेने के लिए करते हैं। आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले के पिछले पांच वर्षों के दौरान पांच महिलाओं और एक लड़की सहित सत्रह लोगों को जिन्दा जला दिया गया। औसतन तीन व्यक्ति इस शर्मनाक और आदि प्रथा

का शिकार हो रहे हैं। आज के कम्प्यूटर युग में भी अनेक लोग विशेषकर गांव के लोगों में यह लोक मान्यता है कि काले जादू और जादू टोने से मनोवैज्ञानिक और शारीरिक परेशानियां पैदा हो जाती है। उनका यह भी विश्वास है कि यदि देवी रूष्ट हो गई तो गांव को हैजा और चेचक जैसी और भी बिमारियों का सामना करना पड़ेगा। उनका यह भी मानना है कि आग लगने की घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं का कारण भी जादू टोना और झांड़फूंक ही है।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए अथवा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को ऐसे कदम उठाने का निर्देश देना चाहिए कि लोगों को जिंदा जलाए जाने की घटनाएं न हों।

(आठ) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलपक्कम तमिलनाडु, के लिए जिन लोगों की भूमि अधिगृहीत की गई थी, उन्हें रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री के. परसुराम (चेंगलपट्टू) : महोदय, तमिलनाडु में चेन्नई के निकट कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र के तीसरे चरण के लिए हाल ही में स्थानीय कृषकों की आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इसके अलावा स्थानीय लोगों से ली गई भूमि पर स्टाफ क्वार्टरों का भी निर्माण कर दिया गया है। भूमि अधिग्रहित करते समय अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था कि जिन लोगों की भूमि अधिग्रहीत की गई है, उनके परिवार के सदस्यों को परमाणु केन्द्र में रोजगार दिया जाएगा। लेकिन आज तक अधिकारी अपना आश्वासन पूरा नहीं कर पाए हैं और स्थानीय लोगो को उनके जीवन यापन के साधन कृषि भूमि से भी हटा दिया गया है। वे बिल्कुल बेरोजगार और अत्यन्त क्रुद्ध हैं।

इसलिए मैं सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने तथा जिन कृषकों की भूमि परमाणु केन्द्र के लिए अधिग्रहीत की गई है, उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए तत्काल कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूँ। इसके अलावा स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए भर्ती केन्द्र को मुम्बई से स्थानान्तरित करके चेन्नई लाया जाना चाहिए।

अपराह्न 1.49 बजे

[अनुवाद]

बीमा विनियामक प्राधिकरण विधियेक – *जारी*

सभापति महोदय : अब हम अगली मद – बीमा विनियामक प्राधिकरण विधयेक पर और आगे विचार विमर्श करने संबंधी विषय पर आते हैं श्री बसुदेव आचार्य बोल रहे थे तथा उन्होंने पहले ही उन्नीस मिनट ले लिए हैं। आचार्य जी, कृपया बतायें कि आप कितना समय और लेना चाहेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं दस पन्द्रह मिनट लूंगा।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं कल ही मूलभूत बुनियादी ढांचा सम्बन्धी विकास के लिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसार अपनी आवश्यकता के बारे में बता रहा था। हमारी आवश्यकता 200 मिलियन डॉलर तक अर्थात् सात लाख करोड़ रुपये की होगी।

महोदय, जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम द्वारा प्रजित संसाधन इतने हैं कि यह मानने के पश्चात् भी उनके कार्य-निष्पादन में कोई सुधार नहीं है, ये दोनों संगठन अगले पांच वर्षों के दौरान 1,00,000 करोड़ रुपये तक संसाधन दे सकते हैं अथवा दे सकेंगें। जब हमारा जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम धन पैदा करने में समर्थ हैं। तो फिर हम विदेशी बीमा कम्पनियों को आमंत्रित क्यों करें ? इन निगमों ने अपने राष्ट्रीयकरण से ही धन पैदा किया है। चौथी पंचवर्षीय योजना में तो इन निगमों ने अपने लक्ष्य से भी अधिक धन पैदा किया है। इनका लक्ष्य 8000 करोड़ रुपये का था तथा जीवन बीमा निगम ने 12,000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसने 33,000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की।

साधारण बीमा निगम का कार्य-निष्पादन भी खराब नहीं रहा है 1994-95 में इसके दावों का भुगतान 74 प्रतिशत से भी अधिक था जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर केवल 40 प्रतिशत है। जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम के कार्य निष्पादन का समुचित आकलन करने के लिए उसके दावों का भुगतान मानदण्डों में से एक है। जीवन बीमा निगम मामले में सकल लाभ 1,081 करोड़ रुपये था तथा कुल लाभ 333 करोड़ रुपये था। साधारण बीमा निगम की वृद्धि दर 19.5 प्रतिशत है जो संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा यू.के. की किसी अन्य कम्पनी से कहीं अधिक है। लेकिन समस्या यह होगी कि साधारण बीमा निगम की प्रीमियम आय 1.5 मिलियन डॉलर के आसपास है जो कतिपय विदेशी कम्पनियों की अपेक्षा बहुत कम है। आप अमरीकन इंटरनेशनल ग्रुप इनकॉरपोरेट नामक उस अमरीकी कम्पनी की प्रीमियम आय देखें जो हमारे देश के बीमा क्षेत्र में प्रवेश करना चाह रही है। 1933 में जब पूर्व प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया था तो उन्होंने भारतीय बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छा व्यक्त की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की इस विशेष कम्पनी का प्रीमियम क्या है। यह 20.1 मिलियन डॉलर है। यदि ये कम्पनियां भारतीय बीमा क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं तो हमारे जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम का क्या होगा ? हमारे पास राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भी प्रतिस्पर्धा का अनुभव है। प्रतिस्पर्धा का कुल मिलाकर क्या परिणाम रहा। 1994 में साधारण बीमा निगम व सहायक कम्पनियों में यह प्रतिस्पर्धा हुई।

हमने परिणाम देख लिया है हमें इस प्रतिस्पर्धा, प्रीमियम आदि का सीमा कर मूल्य कम करने का अनुभव है।

यदि विदेशी कम्पनियां तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हमारे देश के बीमा क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं तो यही होगा। हम विदेशी

[श्री बसुदेव आचार्य]

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को प्रवेश क्यों करने दें? हम अपने देश के बीमा क्षेत्र में निजी बीमा कम्पनियों को भी प्रवेश क्यों करने दें? इसकी आवश्यकता क्या है? क्या इसकी कोई आवश्यकता है? क्या प्रतिस्पर्धा दक्षता की ओर ले जायेगी? राष्ट्रीयकरण अवधि से पूर्व हमारा अनुभव क्या था जब हमारे यहां 245 निजी बीमा कम्पनियां ही थी? मैं पूर्व वित्त मंत्री, श्री सी.डी. देशमुख द्वारा 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम, का राष्ट्रीयकरण करते हुए दिये गये भाषण से उद्धृत कर सकता हूँ। उस समय श्री देशमुख ने जो कहा था वह आज भी तर्कसंगत है। उन्होंने कहा था :

> ''जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण उस पथ का एक और मील का पत्थर होगा जिसे देश ने समाजवादी ढांचे को अपनाने के लक्ष्य को पाने के लिए चुना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन में यह भौतिक सहायता प्रदान करेगा, यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों के जीवन में निश्छल विश्वास की भावना से भविष्य बनाने, जागृति की नई भावना का सूत्रपात करेगा जिसे केवल बीमा ही प्रदान कर सकता है। यह जनता की सच्ची सेवा भावना के रूप में संकल्पित एक उपाय है। यह अनुक्रिया करने वालों की सहायता करने व शुरू करने वालों को परास्त करने वाला होगा और इस प्रकार इसे भारी सफलता मिलेगी।''

यह आज भी तर्कसंगत है। यदि हम विदेशी कम्पनियों के प्रवेश तथा उनसे प्रतिस्पर्धा की अनुमति देंगे तो प्रीमियम का सीमा बाहर मूल्य कम करने संबंधी तथा वे सभी अनियमित गतिविधियां शुरू हो जायेगीं जो 1956 में राष्ट्रीयकरण से पूर्व हमारे देश में विद्यमान थीं। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में क्या कहा गया है? यही कहा गया है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बीमा नियंत्रक की भूमिका समय बीतने की साथ-साथ घटती चली गयी। यदि मैं सही कह रहा हूँ, तो यह 1938 का अधिनियम था जिसको निरसित नहीं किया गया, और बीमा नियंत्रक की भूमिका महत्वहीन हो गई। क्यों? यह इसलिए हुआ क्योंकि ऐसे बीमा नियंत्रक की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जब तक बीमा नियंत्रक रहा, ये सारी बातें होती रहीं। हमें डालमिया जैसी एक कम्पनी की जानकारी है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि के दौरान इस कम्पनी ने क्या किया?

सन् 1956 से भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में तथा 1973 से भारतीय साधारण बीमा निगम के मामले में हमने बीमा नियंत्रक अथवा नियामक प्राधिकरण की आवश्यकता को महसूस नहीं किया। बिना किसी नियामक प्राधिकरण के इन दोनों संगठनों ने बड़ी दक्षतापूर्वक कार्य किया है और देश को बहुत कुछ दिया है।

अपराह्न 2.00 बजे

बीमा नियामक प्राधिकरण की क्या आवश्यकता है? यह कहा गया है कि प्रतिस्पर्धा होगी। प्रतिस्पर्धा क्यों होगी? वित्तमंत्री ने कहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय साधारण बीमा निगम सरकारी क्षेत्र में बने रहेंगे तथा भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय साधारण बीमा निगम और मजबूत होंगे। विदेशी कम्पनियों तथा निजी कम्पनियों को आमंत्रित करके उन्हें कैसे मजबूत किया जायेगा? मैं नहीं समझता कि उन्हें इस तरह से मजबूत किया जा सकता है।

मेरा यह दृढ़ विचार है कि यदि हम बीमा क्षेत्र में उन्हें प्रवेश करने देते हैं तो यह भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय साधारण बीमा निगम को कमजोर ही करेगा। अतः हमें अपने बीमा क्षेत्रों में केवल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ही नहीं वरन् निजी कम्पनियों को भी प्रवेश नहीं कराना चाहिये।

महोदय, अब मैं भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर आता हूँ। कर्मचारियों को सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार होता है लेकिन यह जानकर ताज्जुब होता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों को यह अधिकार नहीं होता है। भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय साधारण जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की एसोसिएशन के साथ समझौता करके उनका वेतन संशोधन नहीं किया जाता है। अतः इस बात को लेकर उनको बड़ी ठेस पहुंचती है। भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतन त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार संशोधित किये गये थे। जब बैंक कर्मचारियों को सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार होता है तो भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों को यह अधिकार क्यों नहीं होता है? अतः मेरी मांग है कि जिस सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार का भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय साधारण बीमा निगम के कर्मचारी पहले उपभोग करते थे उस अधिकार की बहाली की जाये।

मेरे विचार से हमारे देश में बीमा क्षेत्र के लिए ऐसे नियामक प्राधिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा निजी कम्पनियों को हमारे बीमा क्षेत्र में प्रवेश कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह तो औद्योगिक रूप से विकसित देशों के विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव में आकर किया जारहा है। हमारे देश में पर्याप्त सम्भावनाएं हैं। वे हमारी अर्थव्यवस्था को हड़पना चाहते हैं। वे हमारी अर्थव्यवस्था को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अपराह्न 2.04 बजे

महोदय, हमारी बीमा कवरेज हमारे सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बहुत कम है। हम इस तथ्य को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन हम इस पर पृथक रूप से विचार नहीं कर सकते हैं। हमें गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की प्रतिशतता पर विचार करना पड़ेगा

यही कारण है कि हमारा बीमा कवरेज हमारे सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बहुत कम है। लेकिन इसके बावजूद इन वर्षों के दौरान इन दोनों संगठनों ने दक्षतापूर्वक कार्य निष्पादित किया है और यदि इन्हें समुचित सहायता प्रदान की जाती है तथा बीमा क्षेत्र में

विदेशी या स्वदेशी गैरसरकारी कम्पनियों को प्रवेश दिये बिना ही इन दोनों संगठनों को सुदृढ़ किया जाता है तो आगे भी यह दक्षतापूर्वक कार्य निष्पादित कर सकेंगे।

मैं इस विधेयक, जिसे मैं निदंनीय विधेयक का नाम दे रहा हूँ, का विरोध करता हूँ क्योंकि ऐसे विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। वित्त मंत्री ने जनवरी, 1996 में हमें बताया था कि वैधानिक दर्जा देने के लिए इस सभा में एक विधेयक पारित किया जाना है। मेरे विचार से ऐसे विधेयक की कोई आवयकता नहीं है। यह विधेयक बीमा क्षेत्र में विदेशी या स्वदेशी गैर सरकारी कम्पनियों को प्रवेश कराने के लिए लाया जा रहा है जो हमारे देश के हित में नहीं है। यही कारण है कि यह विधेयक राष्ट्र विरोधी है, यह विधेयक हमारे देश तथा हमारे देश के लोगों के हित में नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बीमा नियामक प्राधिकरण विधेयक का विरोध करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री सुरेश प्रभु जी बोलेंगे।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मेरा नाम भी है।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : महोदय, कृपया श्री जसंवत सिंह को पहले बोलने दें।

श्री जसवंत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं श्री प्रभु जी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने अपनी बारी आने के बावजूद इस चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका दिया है।

इस परिचर्चा में भाग लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। अब अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो यह केवल इसलिए कि इस सम्बंध में भारतीय जनता पार्टी की नीति के कुछेक पहलुओं के बारे में कुद मुद्दे उठाए गए हैं। अतः मैं यह जरूरी समझता हूँ कि अपनी तथा अपने दल की स्थिति के बारे में एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण दूं। मेरे ख्याल से इससे पहले हमारे लिए यह समझना ज़रूरी होगा कि बीमा नियामक प्राधिकरण विधेयक पर चर्चा का यह अवसर उसके लिए उचित है भी या नहीं। मैं नहीं जानता, लेकिन बीमाकरण के आधार क्या हैं यह मैं इस सभा और माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा। मैंने हमेशा यह माना है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली सदा से रही है। लेकिन बीमाकरण भारत में हमेशा से नहीं था। तो बीमाकरण का विकास कैसे हुआ ? मेरे ख्याल से औद्योगीकरण और ग्रामीण समाज का शहरी क्षेत्रों की ओर आना ही बीमाकरण के मुख्य कारण हैं।

मैंने इस सम्बन्ध में भरपूर जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। लेकिन मुझे बीमाकरण का कोई भी सांस्कृतिक या सभ्यता-संगत आधार नहीं मिला। इसका कारण यह रहा कि बीमाकरण के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति या तो समाज या फिर परिवार द्वारा की गई। औद्योगीकरण, और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों के आने से बीमाकरण की आवश्यकता न केवल सेवा बल्कि एक व्यवसाय बन गई, और इसी दृष्टि से बीमाकरण भारत के लिए अपेक्षाकृत एक नया क्षेत्र बना।

हमारी कोशिशें इसी का परिणाम हैं। यह सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां तक भारत का संबंध है, उस दृष्टि से कोई औद्योगिक क्रांति यहां नहीं हुई और इसीलिए औद्योगिक क्रांति के कोई परिणाम भी यहां मौजूद नहीं हैं। इसी कारण सेवा संबंधी उद्योग के रूप में बीमाकरण वास्तव में भारत के लिए एक बाहर की वस्तु, हालांकि मृत्यु, दुर्घटना, व्यक्तिगत हानि तथा सम्पत्ति की हानि के लिए हम बीमा करवाते हैं। यदि भारत में बीमा के प्रसार के बारे में समाजशास्त्र सम्बन्धी कोई अध्ययन कराया जाए तो जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे आप सही पाएंगे। असल में औद्योगिक शहरी समाज की मांगों तथा परेशानियों से बचाव के लिए ऐसा लगता है कि 'बीमाकरण' नामक सेवा संबंधी उद्योग समस्त सेवा सम्बंधी उद्योगों का एक हिस्सा है।

अतः प्रश्न उठता है कि क्या बीमाकरण एक सामाजिक सेवा है ? जी, हाँ, यह एक सामाजिक सेवा है। इसका सीधा सम्बन्ध लोगों से है, उसके बाद ही इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों तक होता है और एक व्यवसाय का रूप धारण करता है।

अतः यह स्वयंसिद्ध है कि जितनी अधिक जनसंख्या होगी, उतना ही बड़ा व्यवसाय होगा और जितना बड़ा व्यवसाय होगा, उसमें उतना ही अधिक पैसा होगा। इस पहलू के साथ इस सेवा के लोगों से सम्बद्ध होने का पहलू भी है जिसके कारण हमें इसकी सावधानीपूर्वक जांच परीक्षा करनी चाहिए।

सम्पूर्ण बीमाकरण उद्योग का तीसरा पहलू यह है कि आप किसी व्यक्ति या उद्यम को हानि अथवा मृत्यु अथवा अन्य दुर्घटनाओं के लिए बीमा कराने को राज़ी करते हैं, उसके लिए आपको भुगतान किया जाता है और एक निश्चित अवधि तक दुर्घटनाएं आदि न हों तो उसके बाद धनराशि बीमा कराने वाले को वापस लौटा दी जाती है। इस दृष्टि से यह एक दीर्घकालिक धनराशि निवेश हो जाता है और यदि यह दीर्घकालिक धनराशि निवेश है तो इसका सम्बंध देश की बचत-राशि से है।

इस प्रकार इसके दो पहलू होते हैं। पहला ये कि यह एक दीर्घकालिक निवेश धनराशि है और दूसरा पहलू ये कि यह बचत-राशियों से सम्बन्धित है। अतः इस दीर्घकालिक धनराशि का उपयोग लोगों की बचत से सम्बद्ध है - मैं मशीनरी, कारों, तथा स्कूटरों के निगमित बीमाकरण की बात नहीं कर रहा हूँ जिन क्षेत्रों तक अब यह फैल चुका है। इसी कारण मैं बीमाकरण को आधारभूत ढाँचे से सम्बन्धित मानता हूँ। जब तक किसी देश की बचत दर, अर्थात् व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक बचत दर, जो कि वास्तव में सरकारी बचत दर है, अधिक नहीं होगी तब तक न तो बीमाकरण और न ही वित्त सम्बन्धी आधारभूत ढांचे का विकास सम्भव है।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, सरकार या किसी व्यक्ति के एकाधिकार का विरोध करती है। हम यह नहीं मानते कि सरकार का एकाधिकार कार्यकुशलता का प्रतीक है। दूसरी बात जो में स्पष्ट करना चाहता हूँ वह यह कि यदि बीमाकरण उद्योग का सम्बन्ध लोगों से है और यह लोगों को उपलब्ध कराई जाने वाली एक सेवा है तो इसमें जनहित की भावना ही सर्वोच्च होनी चाहिए। मेरा यह कहना गलत होगा कि जीवन बीमा संबंध

[श्री जसवंत सिंह]

राष्ट्रीयकृत सेवा उद्योग के किसी भी स्वरूप के बारे में संतुष्टि का पैमाना एक बढ़ता हुआ पैमाना है।

एकाधिकार के कारण इस सेवा के कई अभिदाताओं को सेवा की उपलब्धता के बारे में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। हमारा मानना है कि यदि इस सेवा में प्रतियोगिता हो और निवेशकों के पास वैकल्पिक सेवा उपलब्ध हो, तो इस सेवा को बेहतर बनाया जा सकता है। व्यक्ति जब अपनी बचत का निवेश करता है तो बीमाकरण के माध्यम से वह अपने स्वास्थ्य, घर, जीवन, परिवार या अपने निगमित व्यवसाय की सुरक्षा चाहता है। अतः यदि निगमों में आपस में प्रतियोगिता हो और बीमाकरण के इच्छुक लोगों से किस्तों के रूप में ली जाने वाली धनराशि कम हो तथा सेवा का स्तर भी बढ़ जाए तो मैं नहीं समझता तब कोई कठिनाई होगी। इसीलिए, मैं यह महसूस करता हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का रुख एकदम स्पष्ट करना चाहिए।

हम यह मानते हैं कि बीमाकरण क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ, हमें इसमें कोई संदेह नहीं कि जब इसका विस्तार हो तो इसमें केवल भारतीय व्यवसायियों को ही शामिल किया जाए। तीसरे, हमें इसमें भी कोई संदेह नहीं कि यदि इस क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी तो मौटे तोर पर नुकसान होने की सम्भावना है। एक तो यह कि जो धनराशि मूलतः भारत की है उसका उपयोग विदेशियों द्वारा होगा और दूसरा, परिपक्वता अवधि लम्बी होगी। नई बीमा कम्पनी आठ-दस सालों से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकती। वे लोग निवेश करने को इसलिए तैयार हैं क्योंकि व्यक्तियों तथा कम्पनियों से जो पैसा वो लेंगे वह मूलतः भारत का होगा। अगर आप भारत के उस धन का विदेशी कम्पनियों द्वारा उपयोग होने देंगे तब भी दो नुकसान होंगे। एक तो यह कि बचत राशियों, चाहे वो लाभांश ही क्यों न हों, के रूप में आप भारतीय सम्पदा को भारत से बाहर ले जाने की अनुमति देंगे और दूसरा यह कि आप ऐसे स्वदेशी प्रगतिशील और स्वस्थ्य भारतीय बीमा उद्योग का विकास रोक देंगे जो न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर एकाधिकार के सामने अपने बूते पर काम कर सके। इस समय अगर आप किसी बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी को भारतीय बीमाकरण के क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देंगे, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का रुख इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा करके आप स्वदेशी भारतीय बीमा उद्योग का विकास हमेशा के लिए रोक देंगे। हम लोग इन्हीं तीन मानकों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं।

जहां तक बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक का प्रश्न है, मैं मल्होत्रा समिति के प्रतिवेदन को उद्धृत नहीं करना चाहता। यह हर कोई जानता है कि मैं इस संसद का वित्त सम्बन्धी स्थाई समिति के प्रतिवेदन को भी उद्धृत नहीं करना चाहता। स्थाई समिति, जिसमें संसद के सभी दलों के सदस्य रहते हैं, ने इस मामले पर विचार किया है। इसने गवाही की मांग की है। समिति के समक्ष अनेक संगठन अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुए। इन विचारों की जांच करके स्थाई समिति ने यह सिफारिश की है कि बीमा नियामक प्राधिकरण जैसे निकाय की स्थापना की जानी चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री और पूर्व वक्ता ने भी यह बात कही है। जैसा कि अनिवार्य है, इस विधेयक में भी उद्देश्यों और कारणों का विवरण है जो बीमा नियामक प्राधिकरण के विकास के संक्षिप्त इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। मैं यहां आइरिश रिपब्लिकन आर्मी की बात नहीं कह रहा, बल्कि बीमा नियामक प्राधिकरण के बारे में बोल रहा हूँ।..... *(व्यवधान)*... वास्तव में यह पहले से विद्यमान किसी संस्था के स्थान पर ही आया है। राष्ट्रीयकरण आदि के बाद उस संस्था की वास्तव में कोई भूमिका थी भी या नहीं इसके बारे में कुछेक विचार व्यक्त किए गए हैं।

फिर बीमा विनियामक प्राधिकरण के कर्त्तव्य, शक्तियाँ और कृत्य भी हैं। मुझे इन कर्त्तव्यों के बारे में बताने दीजिए क्योंकि मुख्य रूप से बीमे के दर्शन के बारे में नहीं वरन् विजय पर विचार किया जाना है। फिर भी मैंने इसके बारे में बताया क्योंकि मुझे यह आवश्यक लगा। हमारे बीमा नियंत्रक के विगत में कार्यरत अवतार ने कभी भी बीमा के व्यवस्थागत ढंग से "विनियमन और संवर्धन करने" के लिए अपनी शक्तियों और कृत्यों का निष्पादन नहीं किया। निपुणता बढ़ाने, व्यावसायिक संगठनों का संवर्धन और उन्हें विनियमन करने, लेवी शुल्क और अन्य प्रभार वसूल करने, विनियमन पर नियंत्रण करने के लिए जानकारी की मांग करने और फार्म आदि निर्धारित करने, फिर निर्देश का नियमन करने, शोध क्षमता की सीमा का अनुरक्षण संबंधी विनियमन करने, वाद-विवादों को हल करने और जिन अन्य शक्तियों के बारे में केन्द्र सरकार निर्णय करे, उसके प्रयोग के लिए आपको भी पॉलिसी धारियों के हितों की रक्षा करनी होती है।

मैं यहां स्वायत्तता पर एक-दो मिनट बोलना चाहता हूँ। मेरी राय में माननीय मंत्री जी ने उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह बताया है कि उनका विचार है कि बीमा विनियामक प्राधिकरण की कुछ हद तक हाल में गठित भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के समान स्वरूप का गठित किया जाएगा। यदि मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ तो यह बात भी इसमें निहित है।

मैं सरकारी स्वायत्तता और संस्थानों के पूरे सवाल पर एक-दो मिनट बोलाना चाहता हूँ। वर्ष 1991 से जहां तक आर्थिक सुधार के कतिपय महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रश्न है वह सतही स्वरूप का है। मुख्य सुधार उन दो क्षेत्रों में होना था जिनका अभी तक जिक्र नहीं हुआ है। मेरा विश्वास है कि सरकार को अपनी भूमिका के बारे में अपना दृष्टिकोण पूर्णतः परिवर्तित करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि नियंत्रित करने, विनियमित करने और उपाधि वितरित करने वाले प्राधिकरण के बजाय सम्वर्द्धन और प्रोत्साहित करने वाले प्राधिकरण की भूमिका अपनाए। किंतु ऐसा नहीं हो रहा है।

दूसरी बात जो होनी चाहिए थी वह सरकार के बारे में थी यानि सुधार कार्यों को शुरू करने के साथ-साथ नौकरशाही में सुधार की प्रक्रिया भी शुरू की जानी चाहिए थी। किंतु इसको करने का प्रयत्न नहीं किया गया। इन मुख्य टिप्पणियों के आधार पर, मैं स्वायत्तता से संबंधित टिप्पणी करना चाहूंगा और यही सुझाव दूंगा कि बीमा नियामक प्राधिकरण को कुछ हद तक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के समान होनी चाहिए। यह एक

स्वायत्तशासी निकाय होगा। आपने इसे स्पष्ट कर ही दिया है कि इसे कैसे भरा जाएगा। मेरा विश्वास है कि यदि हमारे निष्पादन में एक भी असफलता आ जाती है तो हम संस्थाओं के लिए कानून बनाते हैं लेकिन हम यह नहीं समझते हैं कि संस्थानों को केवल कानून बनाने मात्र से ही गठित नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम यह कर दिखायेंगे। विधेयक पारित हो जाएगा और यह इस सभा की इच्छा पर ही निर्भर है। एक बार जब विधेयक पास हो जाएगा तो बीमा विनियामक प्राधिकरण नामक स्वायत्तशासी निकाय प्रभावी और सच्चे रूप में अस्तित्वमान हो जाएगा। मुझे इसके बारे में संदेह है क्योंकि सरकार की दखलंदाजी की आदत बदली नहीं है। मैं इसके बारे में क्यों बोल रहा हूँ? मैं स्वायत्तता की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस दुरूपयोग के प्रमाण मिले हैं उस को रोकने के लिए हमें नियंत्रण करना है बैंक क्षेत्र का दुरूपयोग, प्रतिभूतियों के क्षेत्र का दुरूपयोग इत्यादि से हमारी बदनामी हो रही है। यह बात इस संसद और पिछली संसद में भी विचाराधीन रही है। हमने हाल ही में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के विनियामक नियंत्रण के बावजूद एक व्यापारी को जनता का धन हड़प कर लापता हो जाने के बारे में सुना है।

महोदय, हम जानते हैं कि 1992-93 की अवधि के दौरान रातोरात कम्पनियां प्रकट हुई जिन्होंने निवेशकों से 3500 से लेकर, 5000 करोड़ रुपये तक ले लिये। अभी भी सही आंकड़ों का पता नहीं लगा है। इन निवेशकों का धन वापस वसूल नहीं किया जा सका है। हम यह भी जानते हैं कि करीब-करीब 4000 करोड़ रुपये की धनराशि ऐसी है जिसे राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऋण के रूप में अदा किया है और जिसे अब वसूल नहीं किया जा सकता है। मैं इतने उदाहरणों को अकारण ही नहीं बल्कि इस बात पर जोर देने के लिए बता रहा हूँ कि (क) संगठनों के लिए कानून बनाना अपेक्षाकृत सरल है लेकिन इनको वास्तव में गठित करना बहुत कठिन है, (ख) एक बीमा विनियामक प्राधिकरण का होना अत्यंत आवश्यक हैं। इस बारे में हमारे विचार बिल्कुल स्पष्ट है कि बीमा नियामक प्राधिकरण का होना अत्यंत आवश्यक है और बीमा क्षेत्र में उस उपभोक्ता के लिए इसकी जरूरत है जो भारत का नागरिक है और इस नागरिक को बेहतर सेवाएं मिलनी ही चाहिए। बीमा क्षेत्र को खुला रखा जाना चाहिए। लेकिन इसे किसके लिए खुला रखा जाना चाहिए? इसे भारतीय निवेशकों के लिए ही खुला रखा जाना चाहिए और (ग) बीमा का धन देश का धन है। यह भारतीय नागरिकों, परिवारों, निगमों और उद्यमों का धन है। यदि आप इस धन को किसी के कब्जे में जाने देना चाहते हों, यदि आप इस धन को अंतर्राष्ट्रीय बीमा व्यापार घरानों के अधिकार में देना चाहते हों, तो आप भारत की बचत सचमुच लुट जाने देंगे जिससे भारत को हानि होगी और विदेशी निवेशकों को लाभ होगा। इससे एक और कुप्रभाव होगा। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय बीमा कम्पनियों को इस समय भारत में प्रवेश करने की अनुमति दे देते हैं तो आप अत्यंत स्वस्थ्य और गतिशील भारतीय बीमा उद्योग द्वारा प्रगति करने, ऊँचा उठने और राज्य स्तर पर प्रगति के समग्र प्रयास में अपना योगदान देने पर हमेशा के लिए रोक लगा देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि, यदि आप भारतीय बीमा उद्योग को अनुमति नहीं देंगे तो आप वास्तव में उन बड़े योगदान कर्त्ताओं को सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे में अर्थात् बीमा कम्पनियों या फिर पेंशन निधियों को अनुमति नहीं देंगे।

इसलिए, यह जरूरी है कि यदि आप सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे जिस पर किसी के भी द्वारा प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया गया है में सुधार करना चाहते हैं तो उधार की शक्ति के बजाय स्वयं की शक्ति पर निर्भर रहना बेहतर है। यही कारण है कि महोदय, मैंने विचार किया और अपने दल की इस बारे में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हस्तक्षेप उचित समझा। हम बीमा नियामक प्राधिकरण विधेयक का समर्थन करते हैं लेकिन इस विधेयक की आड़ में हम विदेशी पूंजी अथवा उद्यम को भारतीय बीमा उद्योग में प्रवेश करने की अनुमति दिए जाने के समर्थक नहीं हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं वित्त मंत्री, श्री चिदम्बरम के समक्ष अपनी पार्टी की स्थिति अर्थात वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूँ।

हम इस विधेयक के मूल सिद्धांत या दर्शन का विरोध करते हैं। कारण स्पष्ट है। मेरी इस बात से इन्हें नाराजगी हो सकती है। लेकिन बड़ी विनम्रता से मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहता बल्कि यह चाहता हूँ कि इसके पूरे स्वरूप पर भी एक बार फिर विचार करें।

विधेयक का आधारभूत सिद्धान्त है हमारे देश में बीमा उद्योग का निजीकरण करना है और यह देश की संपूर्ण आर्थिक नीतिगत दृष्टिकोण का एक भाग है। मैं उन्हें दोष नहीं दे रहा हूँ। आर्थिक नीति के कार्यान्वयन सम्पूर्ण प्रक्रिया उन चार स्तम्भों पर आधारित है जिन्हें हम नीतिगत मूल मुद्दे कहते हैं। इसमें अत्यंत लोकप्रिय शब्दावलियां निजीकरण, विपणन, विश्वव्यापीकरण और विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र को विखंडित करना शामिल है। मैं उन्हें दोष नहीं दे रहा हूँ। यह तो वह नीति है, जो पिछली सरकार द्वारा बनाई गई थी। पिछली सरकार द्वारा इस नीति को विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन के दबाव पर अपनाया गया था। यही कटु सत्य है।

मैं सरकार की मूलभूत आर्थिक नीति को ध्यान में रखे बिना इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं कर सकता हूँ। यह विधेयक उस आर्थिक नीति की कार्यान्वयन प्रक्रिया का नतीजा है। उसे भी अत्यंत स्पष्ट कर दिया गया है। इस सभा को किसी भी सदस्य के लिए इसमें छिपे हितों और कार्यसूची का पता लगाना, ज्यादा कठिन नहीं है। बीमा विनियमन प्राधिकरण विधेयक 1996 के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति की कार्यवाहियों की रिपोर्ट है। यह बात इस रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 37 पर स्पष्ट रूप से कही गई है। इससे सरकारी कार्यसूची स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने इसे छुपाना भी नहीं चाहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है। "समिति को यही बताया गया है कि बीमा क्षेत्र के उदारीकरण तथा निजी विदेशी कम्पनियों को इस क्षेत्र में प्रवेश देने के लिए ही बीमा क्षेत्र के उदारीकरण तथा निजी विदेशी कम्पनयिों को इसकी भूमिका बांधी गयी है।"

[श्री चित्त बसु]

मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को सच बोलने और इसकी वास्तविकता बताने के लिए धन्यवाद देता हूँ। अतः इस विधेयक का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। यह नियामक विधेयक नहीं है अपितु एक निजीकरण संबंधी विधेयक है और स्थायी समिति के इस प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया गया है कि यह प्रारम्भिक चरण में है। और इस दिशा में एक कदम है। उन्होंने इस चरण को पूरा कर लिया है और निजीकरण के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है।

महोदय, मैं इस प्रकार के निजीकरण के खिलाफ हूँ। माननीय वित्त मंत्री महोदय, शायद इसे पसंद करें अथवा न करें। जहां तक आर्थिक नीति संबंधी पहलुओं का संबंध है हमारा एक विशेष सिद्धान्त है। हम उनका बाहर से समर्थन नहीं कर सकते हैं; मेरे लिए और मेरे छोटे से दल के लिए हमेशा यह संभव नहीं है कि हम सरकार की आर्थिक नीतियों का समर्थन करें। इस विधेयक के खंड 8, 13 और 26 में सरकार के उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है जिनमें सरकार ने विधेयक के मूल उद्देश्यों को छिपाने का प्रयास नहीं किया है। यह विधेयक किसी नियामक एजेन्सी के लिए न होकर बीमा उद्योग का निजीकरण करने के बारे में है।

अन्त में, मैं आपका ध्यान और आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि इस सदन द्वारा इस विधेयक को पारित किए बिना सरकार ने कुछ विदेशी कम्पनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। यदि मैं गलत नही हूँ तो अब तक सरकार द्वारा चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और सरकार द्वारा कतिपय विदेशी निजी कम्पनियों और भारतीय कम्पनियों को इस संबंध में अनुमति दी गई है।

मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। मैं इस सभा के सभी माननीय सदस्यों से इस बारे में अपील करता हूँ। यह विधेयक अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। इसे स्वीकार कर लिया गया होगा, पारित कर दिया होगा, लेकिन इसे अभी तक अधिनियम का रूप नहीं दिया गया है। लेकिन इस विधेयक को अधिनियम के रूप में लागू किया गया है। विधेयक और अधिनियम में अंतर है। यह विधेयक के रूप में है इसे अधिनियम नहीं बनाया गया है और इसे अधिनियम का रूप दिए जाने से पहले भी यह विधेयक अधिनियम के रूप में लागू किया जा रहा था। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और कई विदेशी और स्वदेशी निजी कम्पनियों को अनुमति देने के लिए सहमति पहले ही दे दी गई है? इस विधेयक को अधिनियम के रूप में माना गया है, और इसे लागू किया गया है। यह केवल इस सदन को कम महत्व देना है। यदि सरकार का इस सदन में बहुमत होता चाहे वह किसी भी प्रकार से होता, तो वह कानून को पारित कर सकती थी, यह कानूनी दृष्टि से भी उचित होता। मैं सरकार को इसके लिए दोषी ठहराता हूँ। कतिपय कंपनियों के साथ सरकार से समझौता ज्ञापन कैसे किया? वर्तमान कानून सरकार को इसका अधिकार नहीं देता है। वर्तमान कानून के अंतर्गत, भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम का एकाधिकार है चाहे कोई व्यक्ति इसे पसन्द करे अथवा नहीं। वर्तमान कानून के अन्तर्गत, ये दोनों कम्पनियां बीमा उद्योग में एकाधिकार प्राप्त संगठन हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया है। सरकार को इतनी जल्दी क्यों है?

मेरे विचार से वर्ष 1995 के नवम्बर अथवा दिसम्बर माह में अमरीका के वाणिज्य मंत्री रॉनल्ड एच.ब्राउन ने हमारे देश का दौरा किया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव के साथ भेंट की थी। अब मैं उस अवधि के दौरान एक समाचार पत्र में छपे एक समाचार को उद्धृत करता हूँ :

> "प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने अमरीका के वाणिज्य मंत्री रॉनल्ड एच. ब्राउन को यह आश्वासन दिया है कि भारत देश के बीमा उद्योग को बाह्य प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के संबंध में अमरीका द्वारा दिए गए सुझाव पर अवश्य विचार करेगा।"

इस प्रकार इससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बीमा उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा में लाने के लिए अपनी सहमति देने के लिए पूर्व संस्कार पर जोर डाला गया था।

मैं हमारे पूर्व वित्त मंत्री डॉ० मनमोहन सिंह द्वारा इस संबंध में दिए गए वक्तव्य को उद्धृत करता हूं। इसका उल्लेख इस समाचार में किया गया है और मैं उद्धृत करता हूँ :

> "वित्त मंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने श्री ब्राउन को यह बताया कि आर्थिक सुधार कार्यक्रमों में कोई ढील नहीं दी जाएगी।"

कृपया इस पर ध्यान दें। बीमा उद्योग का निजीकरण करने का मामला तथाकथित आर्थिक सुधार कार्यक्रमों का एक भाग है। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने श्री ब्राऊन को यह बताया था कि आर्थिक सुधार कार्यक्रमों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। इसका उल्लेख भी इस समाचार में किया गया है और मैं उद्धृत करता हूँ :

> "उन्होंने कहा कि भारत विश्व व्यापार संगठन में सेवा क्षेत्र खोलने से संबंधित मुद्दे पर विचार करने के लिए तैयार है।"

मैं अपने प्रिय मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि वे इसके प्रभावों पर विचार करें। यह केवल किसी प्राधिकरण को स्थगित करने का प्रश्न नहीं है अपितु बीमा उद्योग राष्ट्रीय संकट की ओर अग्रसर हो रहा है।

मैं अब पुनः समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार को उद्धृत करता हूँ :

> "विगत में, भारत और अमरीका के बीच मतभेदों के कारण कई अवसर गंवाए गए लेकिन अब दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक नया दौर शुरू हुआ है।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु, आपके दल को बोलने के लिए सिर्फ तीन मिनट का समय दिया गया था। लेकिन आप दस मिनट से भी अधिक बोल चुके हैं।

श्री चित्त बसु : मुझे अपनी सीमाओं का पता है। मैं केवल आपके संरक्षण में ही बोला हूँ। यदि यह विषय अधिक गम्भीर न होता तो मैं इतना समय न लेता।

महोदय, यद्यपि हम सरकार का बाहर से समर्थन करते हैं तथापि, मैं भारत सरकार के आर्थिक सुधार कार्यक्रमों संबंधी उनके मूलदर्शन और मूल दृष्टिकोण का विरोध करता हूँ।

मैं केवल एक प्रश्न ही पूछना चाहता हूँ : बीमा उद्योग में कार्यरत उन दो संगठनों यानी भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम का क्या होगा ? मैं इस बात को एक शब्द में कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को निगमित भेड़ियों को सौंपने का निर्णय किया है। मुझे बादशाह खान की याद आती है जिन्हें इतिहास के अनुसार भेडियों के सामने फैंक दिया गया था। मैंने जानबूझकर इस उक्ति का प्रयोग किया है।..... *(व्यवधान)* अतः यह कुछ ऐसा ही है। आप उस मुर्गी को मारने की कोशिश कर रहे हैं जो सोनें के अंडे देती है।

मेरे पास एक लघु पत्रिका है जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम की सफलता का वर्णन किया गया है। इस पत्रिका के अनुसारः

> ''भारतीय जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1956 में अपने 5 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश से लोगों से बचत के रूप में धन एकत्र किया है और यह निगम विकास संबंधी कार्यों और बजटीय सहायता के लिए वर्षानुवर्ष निवेश हेतु बचत और संसाधनों का सृजन कर रहा है। यह पिछले कई वर्षों से 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर को बनाए हुए है। वर्ष 1995-96 के दौरान प्रीमीयम के लिए 14,182 करोड़ रुपए की राशि एकत्र की गई थी। निवेश आय सहित इसे कुल 22,047 करोड़ रुपये की आय हुई थी। वर्ष 1994-95 के दौरान सरकार को 161,28 करोड़ रुपए का लाभांश दिया गया था जबकि पिछले वर्ष 140.15 करोड़ रुपए का लाभांश दिया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 1995-96 के लिए 583 करोड़ रुपए की राशि निगमित कर के रूप में दी गई और यह देश में सबसे अधिक कर देने वाला निगम है जबकि इससे बड़ी कम्पनियां बहुत अधिक मुनाफा कमाती हैं और कानूनों का सहारा लेकर करों की चोरी करती हैं और उन्हें शून्य-कर देने वाली कम्पनयिों के नाम से जाना जाता है।''

पत्रिका में यह भी कहा गया है कि साधारण बीमा निगम इस राष्ट्र की सम्पदा में उपयुक्त रूप से संतोषजनक तरीके से योगदान दे रहा है। मेरा यह कहना है कि हमारी अर्थव्यवस्था की दो प्रमुख कम्पनियों का भविष्य प्रतिस्पर्धा के कारण संकट में पड़ने वाला है।

मेरे माननीय मित्र श्री बसुदेव आचार्य ने अंतर्राष्ट्रीय निगमों के बारे में कई आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। ये दोनों संगठन इन निगमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं होंगे। जिसके परिणामस्वरूप, समूचे बीमा उद्योग के कपाट खोलने पड़ेंगे और उसमें कई बहुराष्ट्रीय विदेशी कम्पनयिां और हमारे देश के बड़े औद्योगिक घराने प्रवेश करेंगे। यह न तो हमारे हित में होगा और न ही इस देश के लोगों के हित में होगा।

अतः मैं इस मूल सिद्धान्त का विरोध करता हूँ और मैं अपना विरोध न केवल सदन तक अपितु बाहर भी जारी रखूंगा। बैंक कर्मचारियों ने इस माह की 27 अथवा 28 तारीख को हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया है।

मेरे विचार में बीमा उद्योग के कर्मचारी भी उस हड़ताल में भाग लेंगे और यह एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा जिसमें इस सरकार की इन जनता विरोधी आर्थिक नीतियों का विरोध किया जाएगा जो इस आपत्तिजनक विधेयक को सदन में पेश कर रही है।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे इस मामले पर पुनः विचार करें। यदि माननीय मंत्री महोदय चाहें तो वे इस विधेयक को वापस ले लें और यदि वह इस विधेयक का वापस लेते हैं तो वे देश के लिए एक अच्छा काम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश प्रभु।

श्री ए.सी. जोस (इडुक्की) : महोदय, मेरा ख्याल है कि अब मेरी बारी है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जोस, जब वे अपना भाषण समाप्त कर लें तब आप बोल सकते हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, यदि वे चाहते हैं, तो उन्हें बोलने दिया जाये।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : महोदय, अब उन्हें बोलने दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। श्री जोस, अब आप बोल सकते हैं।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, मुझे बिना बारी के भी बोलने देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं नहीं जानता कि यह बिना बारी के है या नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि यह मेरी ही बारी है। जो भी हो, मैं श्री सरपोतदार को धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन्होंने मुझे समर्थन दिया।

सामान्य तौर पर हम, इस विधेयक पर एकमत हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रभु का सभी धन्यवाद करते हैं।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस : हाँ। मैं भी उन्हें धन्यवाद अर्पित करता हूँ।

हम पूरी तरह से इस विधेयक से सहमत हैं। मुझे नहीं मालूम है कि वामपंथी दलों के मेरे मित्र इस विधेयक का विराध क्यों कर रहे हैं। मैं यह भी नहीं समझता कि दूसरा विकल्प क्या है।

हमारे पास एक तंत्र है जिसने 1938 से काम करना शुरू किया। वह ऐसा समय था जब हम ब्रिटिश शासकों के अधीन थे। वह तंत्र अब भी जारी रखा जा रहा है। उसके बाद बहुत कुछ हो चुका है। 60 वर्ष की अवधि पूरी होने जा रही हैं इस विधेयक का विरोध करने वाली पार्टियां या वर्ग अब भी यह मानते हैं कि वे पुराने ढांचे का नवीकरण नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर, सभी- यहां तक कि जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम - इस उपाय की प्रशंसा करते हैं। मैं भी उनके साथ सहमत हूँ।

जीवन बीमा निगम ने 1956 से तथा साधारण बीमा निगम ने 1972 से कार्य करना शुरू किया। बीमा नियंत्रक संस्था 1932 के अस्तित्व में है। क्या इसे सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या इसमें नवीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या इसमें कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है? यह विधेयक केवल उसी की पूर्ति करता है। यह विधेयक अपने उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में, यह कहता है कि यह बीमा नियंत्रक संस्था को बलवना चाहता है। ऐसा नहीं कि अचानक वर्तमान वित्त मंत्री द्वारा कोई कार्यवाही की गई है। मुझे अब भी याद है कि जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम के कर्मचारी इन दो निगमों के पुनर्गठन की मांग करते रहे हैं। उनका कार्यकलाप का रिकार्ड मेरी नज़र में खराब नहीं है। लेकिन साथ ही मैं इसका गुणगान भी नहीं करना चाहता हूँ।

यदि आप भारतीय स्थितियों या भारतीय मानकों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से इसकी तुलना करें, तो जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम ने अच्छी प्रगति की है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केवल यही चीज है जो की जा सकती है। लेकिन उन दिनों भी कर्मचारी पुनर्गठन की मांग कर रहे थे और यह कह रहे थे कि उन्हें और शक्तियां दी जानी चाहिए।

इसीलिए 1993 में, बीमा क्षेत्र में जाने के लिए सरकार द्वारा जान-बूझकर एक समिति स्थापित की गई। मैं यह कह सकता हूँ कि बीमा क्षेत्र एक सोने की खान है। यदि आप विश्व में चारों तरफ देखें - पश्चिमी दुनिया, विकसित देश, विकासशील देश या तेजी से विकास कर रहे देश - सभी जगहों पर बीमा क्षेत्र सोने की खानें हैं यह एक ऐसा क्षेत्र हैं जहां आप काफी ज्यादा पैसा बना सकते हैं, यह एक ऐसा क्षेत्र भी है, जहां आप अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। अतएव, इसके लिए कुछ नियंत्रण तथा कुछ और सुधार की आवश्यकता है। इसीलिए 1993 में, श्री मल्होत्रा की अध्यक्षता में, जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, एक समिति नियुक्त की गई थी। इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा उस रिपोर्ट की जांच की गई जिसके आधार पर 1995 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने इस महान सभा में यह घोषणा की कि पहले कदम के रूप में, हमें एक बेहतर, और व्यापक तथा और शक्तिशाली पर्यवेक्षक संगठन या तंत्र अर्थात् बीमा, नियामक प्राधिकरण की आवश्यकता है। यह विधेयक उसी उद्देश्य के लिए है। यह केवल नियंत्रित करने के लिए भी है। आप इस पर आपत्ति क्यों करते हैं? मैं नहीं समझता कि क्योंकर आपत्ति है। इसीलिए हमारी पार्टी ने सोच-समझकर इसे समर्थन देने का रुख अपनाया है।

प्रतियोगिता होनी चाहिए। स्थायी समिति की रिपोर्ट में, इस सभा में प्रकट किए गए संदेहों या संशयों या आशाएं सही हैं कि यह निजीकरण की शुरूआत हो सकती है। इसमें क्या बुराई है? हमारे देश में आनेवाली निजीकरण या विदेशी कम्पनियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि जीवन बीमा निगम ने 47 करोड़ रुपये की पूंजी से शुरूआत की थी लेकिन अब इसके पास 41,700 करोड़ रुपये की पूंजी या जमा पूंजी है। आप जानते हैं कि हमारा देश 96 करोड़ लोगों का है। तथा जीवन बीमा निगम द्वारा कितने लोगों को शामिल किया गया है? यह केवल 566 लाख है। हमारी जनसंख्या का एक भी प्रतिशत जीवन बीमा निगम द्वारा द्वारा शामिल नहीं किया गया है..... *(व्यवधान)*... यह तीन प्रतिशत तक हो सकता है। मैं इसे मानने को तैयार हूँ। विपक्ष की तरफ से मेरे मित्र इसका विरोध कर रहे हैं। जब वे इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं तो वे न्यूनतम साझा कार्यक्रम के हस्ताक्षर कर्त्ता भी हैं जिसकी नींव पर पूरी सरकार बनी है। न्यनूतम साझा कार्यक्रम यह कहता है :

> "अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो सकता तथा लोगों की आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो सकती हैं जब तब कि विद्युत, तेल, दूरसंचार, रेल, सड़क तथा पत्तनों की और क्षमता विकसित न की जाये। अगले पांच वर्षों में इन क्षेत्रों की संचयी क्षमता अनुमानतः कम से कम 200 मिलियन डालर अर्थात् 7,00,000 करोड़ रुपये होगीं।"

हम यह पैसा कहाँ से पाएँगे? मैं श्री जसवन्त सिंह के प्रति धन्यवाद अर्पण करता हूँ जब उन्होंने कहा कि किसी देश की आर्थिक स्थिति का जायजा वहां पर की जा रही बचत से करना चाहिए। यह केवल राष्ट्र का ही सवाल नहीं है। यह व्यक्तियों पर भी लागू होता है। हम अत्यंत सौभाग्यशाली है कि पिछली सरकार की जो भी कमी कही जा सकती है उसके अनुवाद हमारी बचत लगातार बनी हुई है। हमारी 20 प्रतिशत के लगभग अच्छी बचत रही है। कभी-कभी यह 24 प्रतिशत तक जा पहुंची जो अर्थव्यवस्था के स्तर को परिलक्षित करती है। यदि भारतीय जीवन बीमा निगम ही बीमा क्षेत्र में कार्य करती रहे, तो केवल भारतीय जीवन बीमा निगम ही हमारी समूची जनसंख्या का 5 प्रतिशत या 3 प्रतिशत को व्याप्त कर सकती है और उससे 41,700 लाख करोड़ रुपये एकत्र किये जा सकते हैं। यदि हम इसे कार्य करने की अनुमति दें तो ग्रामीण क्षेत्रों से हम कितना पैसा प्राप्त कर सकते हैं? हमें विश्व बैंक से या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। हमारे अपने संसाधनों को ही सरणीबद्ध किया जा सकता है। हम क्यों भयभीत हैं? या तो यह निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र, क्यों जीवन बीमा निगम अकेले यह कर सकता है? मैं नहीं सोचता कि

भारत जैसे देश में जिसके पास इतनी प्रचुर मात्रा में भू-संपदा है तथा मानव संसाधन है उसमें एक जीवन बीमा निगम, इतने सारे उच्च अधिकारियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं जा सकते तथा पैसा एकत्र क्यों नहीं कर सकते हैं।

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णनगर) : वे वहां नहीं जाएंगे. ..... *(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : मैं विदेशी लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप निजीकरण के बारे में बात कर रहे हैं तो यह केवल विदेशियों द्वारा ही किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा समाज तथा हमारा देश अपनी ही कम्पनियां स्थापित करने के लिए काफी मजबूत है।.....*(व्यवधान)*

मलयालम में एक कहावत है कि कार्यशाला में एक खरगोश पाला गया। जब-जब हथौड़ों की आवाज होती थी तो खरगोश कूद पड़ता था क्योंकि उसे लगता था कि कुछ नजदीक आ रहा है। वाम मोर्चा को अभी अपने भ्रमजाल से बाहर निकलना बाकी है। वे इस देश में सबसे ज्यादा भ्रम में पड़े व्यक्ति हैं। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है। वे यह नहीं जानते हैं कि वे कहां खड़े हैं ..... *(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाको (मुकुन्दपुरम) : श्री जोश यह अनुभव करते हैं कि उन्हें सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री ए.सी. जोस : यह भी सही है। उन्हें सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। एक विशिष्ट समय के बाद, कोई भी व्यक्ति सलाह को स्वीकार नहीं करेगा। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री निर्मल कांति चटर्जी को बताना चाहता हूँ कि श्री ज्योति बसु हाल में अनिवासी भारतीयों को आमंत्रित करने लंदन गए थे। प्रत्येक मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री श्री नयनार सहित विदेशी दौरे पर हैं। वे भी उन्हीं के दल के हैं। वे भी एक बार नहीं दोबार विदेश गए हैं। हम हर प्रकार का मजाक कर रहे हैं। वे बाहर गए थे..... *(व्यवधान)* किसलिए ? अनिवासियों को आंमत्रित करने के लिए। हम अनिवासी भारतीयों से यह कहें कि वे यहां निवेश करें तो, लाभ कहां जायेगा ? अनिवासी भारतीय यहाँ से लाभ ले जा रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री, क्या मैं सही हूँ ? अनिवासी भारतीयों को लाभ ले जाने के लिए अनुमति प्राप्त हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : जी, हाँ।

श्री ए.सी. जोस : अनिवासी भारतीयों को यहां निवेश करने की अनुमति प्राप्त है। उनका मालाओं से स्वागत किया जाता है। उनका सभी सुविधाओं के साथ स्वागत किया जाता है। उन्हें सभी प्रकार के उद्योग लगाने की अनुमति दी जाती है। हमारे अपने उद्योगपति भी एक समान बरताव की मांग कर रहे हैं। और इसके लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री विश्व के विभिन्न भागों से अनिवासी भारतीयों को उद्योग लगाने के लिए आमन्त्रित करने में सबसे अधिक सफल रहे हैं।..... *(व्यवधान)* लाभ कहाँ जाता है। लाभ विदेशों में जाता है।

अपराह्न 2.59 बजे

[श्री पी.एम.सईद *पीठासीन हुए*]

मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। मुझे विदेशी निवेश की जानकारी नहीं है। मूलभत बातें आपको भी याद हैं। मैं यह कह रहा हूँ कि बीमा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको व्यापक तंत्र स्थापित करना होता है। कोई व्यवस्था तैयार करनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता है तो मैं नहीं समझता कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा इसकी पूर्ति की जा सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने सराहनीय कार्य किया है। यह अब भी सराहनीय कार्य कर रहा है। लेकिन इसने केवल पांच प्रतिशत के हिसाब से धनराशि का निवेश किया है। जबकि इसे बीमा क्षेत्र में कम से कम 25-30 प्रतिशत धनराशि लगानी चाहिये। जैसा कि यहां वर्णन किया गया है कि बीमा तो बाद की बात है। यह औद्योगिकीकरण का परिणाम है। अकेला जीवन बीमा कुछ नहीं है। बीमा क्षेत्र दिन प्रतिदिन अपना प्रभाव जमा रहा है। आधुनिक बीमा कई प्रकार बच्चे की तरह रहा है। वे दिन लद गये हैं अब तो प्रत्येक चीज़ बीमा के अधीन हो गई है। बीमा का मतलब है बचत, वह धन जो आप पाते हैं। सरकार इसे सामाजिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने हेतु प्राप्त करती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विधेयक का निजीकरण अथवा विश्वव्यापीकरण से कुछ लेना-देना नहीं है। यह तो केवल नियामक प्राधिकरण बनाने के लिए बना है। हालांकि आपकी आंशका यह है कि शायद इसकी भूमिका है और निजी क्षेत्र में इसका प्रवेश हो जाये लेकिन मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं।

अपराह्न 3.00 बजे

इसके साथ ही माननीय वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय साधारण बीमा निगम को उनके वर्तमान रूप में मजबूत किये जाने की आवश्यकता है। मैं वित्तमंत्री को दोष नहीं दे रहा हूँ। वे इसकी स्थिति को जानते हैं। इस देश में चार साधारण बीमा कम्पनियां हैं। द यूनाइटेड इंश्यूरेंस कम्पनी का गत दो वर्षों से कोई चैयरमैन नहीं है।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : इस कम्पनी का कोई चेयरमेन नहीं है।

श्री ए.सी. जोस : इस कम्पनी का कोई चेयरमेन नहीं है।

सभापति महोदय : वित्त मंत्री जी कहते हैं कि इस कम्पनी के चेयरमेन की अब नियुक्ति कर ली गई है।

श्री ए.सी. जोस : भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में आपका क्या विचार है। इसके लिए मैं किसी वित्त मंत्री को दोष नहीं दे रहा हूँ। यह सरकारी क्षेत्र का नुकसान है।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : चेयरमेन की तो पहले ही नियुक्ति हो चुकी है।

श्री ए.सी. जोस : यह एक बड़ा शुभ समाचार है। श्री चिदम्बरम ने 17 माह तक वित्त मंत्री बने रहने के पश्चात् अब किसी की नियुक्ति कर ली है।

श्री पी. चिदम्बरम : माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिए कि यदि मैं किसी की नियुक्ति कर सकता तो रिक्ति होने से पूर्व ही उसकी नियुक्ति कर देता। लेकिन मैं किसी की नियुक्ति नहीं कर सकता। नियुक्ति करने के लिए एक प्रणाली होती है, नियम होते हैं आपको सी.बी.सी. के साथ विचार विमर्श करना होता है, आपको अन्य एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श करना पड़ेगा। नियुक्ति के सम्बंध में मंत्रिमंडल की एक नियुक्ति सम्बन्धी समिति होती है। आप मुझे वित्त मंत्रालय के अधीन सभी निगमों में सभी नियुक्तियां करने की शक्ति प्रदान कीजिये। फिर मैं आपको रिक्ति होने से पूर्व हर प्रकार की नियुक्ति करके दिखा दूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाक्को (मुकुन्दपुरम) : आपको प्रणाली में परिवर्तन करना चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम : यह बिल्कुल ठीक है।

श्री पी.सी. चाक्को : आप पिछली सरकार में लोक शिकायत और क.र्मिक पेंशन मंत्रालय में मंत्री थे। आपको यह कहना चाहिए कि वर्तमान व्यवस्था के कारण ऐसा महत्वपूर्ण पद 16 महीनों से रिक्त पड़ा था।

श्री पी. चिदम्बरम : हाँ, मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ।

श्री पी.सी. चाक्को : कृपया अपनी निर्भीकता का परिचय दें। .....*(व्यवधान)* और यह कहिये कि इस व्यवस्था को समाप्त किया जाये।.....*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : अब मेरा प्रस्ताव है कि हमें प्रत्येक नियुक्ति पर सी.बी.सी. से विचार-विमर्श करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपमें से कितने इस बात को स्वीकार करेंगे? अब मेरा प्रस्ताव है - क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे..... *(व्यवधान)* यदि हम एक भी प्रक्रिया में परिवर्तन करते हैं तो आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे ..... *(व्यवधान)* अब यहाँ मेरा प्रस्ताव है कि हमें सी.बी.सी. से विचार-विमर्श करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग से तिथि लेने में इसको सात महीने लग जाते हैं। मेरा प्रस्ताव है कि हमें संघ लोक सेवा आयोग के पास जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपमें से कितने इस बात को स्वीकार करेंगे....*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कांति चटर्जी : लेकिन आपने दूसरी बात का जवाब नहीं दिया है..... *(व्यवधान)* यदि सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसके लिए तिथि लेने में सात महीने लग जाते हैं तो सरकार ने सात महीने पूर्व तथा उपचारात्मक कार्यवाही की है? ....*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाक्को : प्रत्येक अधिकारी की सेवा निवृत्ति की तिथि सरकार को पहले ही मालूम होती है..... *(व्यवधान)* यदि सरकार पहले ही पर्याप्त कदम उठा लेगी तो कोई भी पद सत्तरह महीनों तक रिक्त नहीं पड़ा रहेगा।..... *(व्यवधान)* और माननीय वित्त मंत्री इस व्यवस्था को दोष नहीं दे सकते..... *(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : यह बात ठीक नहीं है कि चाक्को ऐसी पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं जो गत पाँच वर्षों सहित 40 वर्षों तक सत्ता में रही है।..... *(व्यवधान)*

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : आप भी उस सरकार में थे..... *(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि मैं सरकार में था।

तो हर बार सरकार इस प्रकार के परिवर्तन का प्रस्ताव करती है, इसका जबरदस्त विरोध होता है। मैं दो परिवर्तनों का प्रस्ताव कर रहा हूँ और अब मैं अपने मंत्रिमंडल को भी आश्वस्त करने जा रहा हूँ..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, मैं समझता हूँ कि हमारा विषय चर्चा से बहुत दूर जा रहा है

..... *(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है तथा उन्हें अपनी बात कहने दीजिये।..... *(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : यदि मैं यह प्रस्ताव करूँ कि प्रत्येक नियुक्ति के लिए हमें सी.बी.सी. के पास जाने की आवश्यकता नहीं तो कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। यदि मैं यह प्रस्ताव करूँ कि प्रत्येक नियुक्ति के लिए हमें संघ लोक सेवा आयोग के पास जाने की आवश्यकता नहीं है तो कोई भी इस परिवर्तन की स्वीकार नहीं करेगा। मैं एक परिवर्तन का प्रस्ताव कर रहा हूँ, लेकिन परिवर्तन को स्वीकार करने में सभी की इच्छा कहाँ है? ....*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कांति चटर्जी : बात यह नहीं है यदि आप यह जानते हैं इस समस्त प्रक्रिया में चार अथवा छः महीने लग जाते हैं तो आप पहले ही कदम क्यों नहीं उठाते हैं।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री चटर्जी, आप अपने सुझाव तब दे सकते हैं जब आप बोलते हैं

..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : तो श्री जोस जी, आप कृपया अपनी बात जारी रखिये तथा जहां तक संभव हो सके कोई विवाद पैदा मत कीजिये।

..... *(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाक्को : महोदय, यह सब कार्यवाही में शामिल हो रहा है।..... *(व्यवधान)*

श्री जीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थानों में बाहर के लोग नहीं होने चाहिए .....*(व्यवधान)* सरकारी क्षेत्र के बहुत से उपक्रमों में कोई चेयरमेन नहीं है। ..... *(व्यवधान)* अतः सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की रूग्णता भी इसी तथ्य के कारण है..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पाणिग्रही जी, माननीय मंत्री जी ने जो कहा था वह यह था कि हम एक जटिल प्रणाली में कार्य कर रहे हैं। इसे सभी अपेक्षित एजेंसियों से गुजरना पड़ता है, स्क्रिनिंग होती है और तब कहीं जाकर एक व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है और इस प्रकार से बहुत समय लग जाता है। वे अब दो परिवर्तनों का प्रस्ताव कर रहे हैं।

..... *(व्यवधान)*

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : माननीय मंत्री जी को इसकी समीक्षा करनी चाहिए तथा कोई तरीका ढूंढना चाहिये..... *(व्यवधान)* ताकि उन्हें समय रहते नियुक्त किया जा सके..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पाणिग्रही जी, उन्होंने पहले ही दो प्रस्ताव किये हैं।

..... *(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाक्को : यदि मंत्री महोदय सी.बी.सी., यू.पी. एस.सी. की अनदेखी किए जाने का सुझाव दे रहे हैं तब मुझे विश्वास है कि उनके प्रस्ताव का पूरी सभा द्वारा विरोध किया जायेगा।

जैसा कि श्री चिदम्बरम ने कहा है कांग्रेस ने इस देश पर लगभग पचास वर्ष तक शासन किया है इस दौरान कितनी बार सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के शीर्ष पदों पर भर्ती नहीं की गई। इस मामले में यदि मंत्रीगण सतर्क हैं और यदि शीर्ष अधिकारी सतर्क हैं तब पहले से ही उचित कदम उठाए जा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उन्हें व्यवस्था को दोष नहीं देना चाहिये। यह ठीक नहीं है कोई गलत बात अभिलेख में नहीं जानी चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं नहीं जानता कि श्री चाक्को ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि हम जो कुछ भी प्रस्ताव कर रहे हैं वह गलत है अथवा सिद्धांत के विरुद्ध है। वे अपने दल जो कभी मेरा दल भी था के मंत्री रहे हुए किसी मित्र से पूछ सकते हैं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। वास्तविकता यह है कि साक्षात्कार हेतु मुझे संघ लोक सेवा आयोग से 6 महीने तक कोई समय नहीं मिल सका। मैं एक तारीख नहीं प्राप्त कर सका। मैं उन्हें फाइलें दिखा सकता हूँ। वे आयें और फाइलों को देखें। मैंने प्रस्तावों को काफी पहले भेज दिया है तथा संघ लोक सेवा आयोग ने साक्षात्कार के लिए मुझे 6 महीने में एक तारीख नहीं दिया है।

श्री पी.सी. चाक्को : तब यह सरकार के कार्य करने के ढंग को परिलक्षित करता है।

श्री पी. चिदम्बरम : यह कहना अच्छा है। मैं सी.बी.सी. से चार महीनों में एक जवाब प्राप्त नहीं कर सका। मैं उसे इसके लिए दोष नहीं दे रहा हूँ। उन्हें प्रत्येक पत्राचार उपलब्ध कराया गया है। उन्हें पूरी जांच करानी है। यू.आई.सी. मामला ऐसा है जहां सरकार के विचार तथा सी.बी.सी. के विचारों में गंभीर मतभेद हैं तथा मामला स्थगित हो गया था। हमने अंततः इसे सुलझा लिया। लेकिन इसे सुलझाने में काफी समय लगा है। आप ऐसा तभी कर सकते हैं यदि आप इसकी पेचीदगी को समाप्त कर दें। इस पेचीदगी को समाप्त करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। यदि आप पाते हैं कि कोई व्यक्ति किसी बात के लिए दोषी है तो उसे बाद में दंडित किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको कई एजेंसियों के साथ नियुक्ति से पूर्व परामर्श करना होगा पी.ई.एस. बी. में क्या हो रहा है। हमने अपने योग्यता के लिए प्रसिद्ध श्री विठ्ठल को नियुक्त किया। लेकिन वे त्यागपत्र दे रहे हैं। आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि आप इन सरकारी क्षेत्र के कंपनियों की रिक्तियों को अत्यधिक परामर्श के बाद भर सके। मैं आपको यह सुझाव इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि यह मामला उठा है हम इस पर अलग से चर्चा कर लें। हम इस प्रक्रिया को सरल बनाने का तरीका तैयार कर लें। सारे विश्व में लोगों की नियुक्ति की जाती है। यदि आप किसी को किसी बात के लिए दोषी पाते हैं तो उसे दण्ड दें। हम इस प्रक्रिया को अपनाते हुए कैसे जारी रख सकते हैं।..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हमारे पास इस विषय पर बोलने के लिए कई वक्ता हैं। हमें इस मामले को नियम 193 के अंतर्गत 4 बजे उठाना होगा।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, मेरे दस मिनट बर्बाद हुए हैं मैं दस मिनट का समय और चाहता हूँ।

जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है कि वास्तविकता यह है कि सरकारी क्षेत्र में इस ह्रास का एक मुख्य कारण व्याप्त अव्यवस्था है। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को अधिक से अधिक नियंत्रण शक्ति देने के बजाए हम बाजार में प्रवेश क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं यह पढ़कर अचंभित हूँ कि छोटे से ब्रिटेन देश में 101 बीमा कंपनियां हैं, मलेशिया में 34 बीमा कंपनियां हैं तथा छोटे से सिंगापुर देश में 46 कंपनियां है। यदि अन्य देशों के ये आंकड़े हैं तो फिर भारत सिर्फ भारतीय साधारण बीमा निगम तक ही सीमित क्यों रहें?

श्री पी. सी. चाक्को : वहाँ 90 प्रतिशत व्यक्तियों को बीमा में शामिल किया गया है।

सभापति महोदय : श्री जोस, आप पहले ही 24 मिनट ले चुके हैं।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, सारा समय मैंने अकेले ही नहीं लिया है। उस समय में से दस मिनट अध्यक्षपीठ, माननीय मंत्री महोदय तथा मेरे सहयोगियों ने भी लिया है।

सभापति महोदय : मैं चाहता हूँ कि आप सदस्यों पर प्रतिक्रिया प्रकट करने के बजाए अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। यहां बोलने के लिए कई अन्य सदस्यगण भी हैं। हमें इस मामले को नियम 193 के अंतर्गत 4 बजे उठाना होगा। मुझे मालूम नहीं है कि हम इसे किस प्रकार उठाने जा रहे हैं।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं जो कह रहा था वह यह कि यदि इन विकसित अथवा विकासशील देशों में वृहत नेटवर्क वाली कई बीमा कंपनियां हो सकती हैं तो फिर ये हमारे देश में क्यों नहीं हो सकती हैं? हम पहले ही

[श्री ए. सी. जोस]

अत्यधिक समय बर्बाद कर चुके हैं। हमें अब शीघ्रता करनी होगी। अब हमें तेजी से चलना है तथा समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में इन परियोजनाओं को ले जाना है ताकि जी.आई.सी. और एल. आई. सी. को सुदृढ़ बना सकें। बुनियादी अवश्यकताओं वाली परियोजनाएं शुरू की जा सकें। मैं कभी भी यह नहीं कहता कि उन्हें वंचित किया जाए अथवा उनको किसी प्रकार से कमजोर बनाया जाए। ये काफी अच्छी कम्पनियां हैं। इनके कर्मचारी काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारे देश के विशाल क्षेत्र की तुलना में हमें अधिक से अधिक बीमा कंपनियों की आवश्यकता है जो दूरदराज के क्षेत्रों में लाभ पहुंचा सकें। जबकि हम विदेशी कंपनियों की बात कर रहे हैं। मैं सभा के ध्यान में यह तथ्य लाना चाहता हूँ कि हमारी ओरियंटल इंशयोरेंस कंपनी अपनी आय का 15 प्रतिशत विदेशों से प्राप्त करती है।

हमारी भारतीय बीमा कंपनी विदेशों से अपनी अपनी आय का 15 प्रतिशत प्राप्त करती हैं। यदि यह संभव है तो फिर हमारे पास विदेशी अर्थव्यवस्था का सामना करने का आत्मविश्वास क्यों नहीं है? मैं जो कहा रहा हूँ वह यह है कि नियामक प्राधिकरण में कठोर नियम होने चाहिए। आप उन दिनों की बात कर रहे हैं जब हम गुलाम थे। वे लोग यहां आये, उन्होंने हमारा शोषण किया हमारे धन को लूटकर लेकर बड़े-बड़े उपनिवेश बनाये। उन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन आज हम स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य हैं। आज यह सम्मानीय सदन देश का शासन चला रहा है। यदि उचित कानून हों तो यहां से कोई भी व्यक्ति धन नहीं ले जायेगा। कोई हमारी व्यवस्था के विरूद्ध कार्य नहीं करेगा।

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री ए.सी. जोस : हाँ, महोदय।

हाल ही में हॉलैंड ने अपने यहां बीमा क्षेत्र का प्रवेश कराया है तथा वो इस पर नियंत्रण कर रहे हैं। उनके पास यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी एक सीमा तक ही धन लाया लाया जायेगा, उचित कानून हैं। मैं बीमा क्षेत्र में आ रही बीमा कंपनियों की बात कर रहा हूँ। इसके बारे में अभी बात करने का वक्त नहीं है। लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि हमें अपने आप को जी.आई.सी. तथा एल. आई.सी. तक ही सीमित रखने के बजाए अन्य कंपनियों से सहयोग अथवा बिना सहयोग के बारे में भी बात करनी चाहिए। एल.आई. सी. का भी विभाजन किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें 5 लाख एजेंट तथा 185 लाख कर्मचारी हैं। क्या हमें इतने बड़े संगठन की सिर्फ इसलिए आवश्यकता है कि इसके निष्क्रिय कामगार कुछ कर रहे हैं? इस विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। बीमा नियामक प्राधिकरण स्थापित किया जाना है। इस प्राधिकरण को समस्त शक्ति तथा आत्मविश्वास के साथ नियामक नियम और विनियम बनाने चाहिए जिनसे बीमा क्षेत्र में नियमितता लायी जा सके तथा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निष्क्रिय पड़ी धनराशि का सामाजिक तथा आर्थिक हित के लिए उपयोग किया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का सच्चे हृदय से इस आशा और शर्त के साथ समर्थन करता हूँ कि हम इस संकट के बारे में पूरी-पूरी सावधानी बरतेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : बोलने के पूर्व क्या मैं आपकी अनुमति से एक अनुरोध कर सकता हूँ? चूंकि अपराह्न 4 बजे से नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा शुरू होगी। अतः मेरा प्रस्ताव है कि वक्ताओं के बोलने के समय में कटौती न की जाये। उन्हें अपराह्न 4 बजे तक बोलने दिया जाये। हम नियम 193 तक के अन्तर्गत अपराह्न 4 बजे तक चर्चा करें और विधेयक पर शेष चर्चा कल की जाये..... *(व्यवधान)*

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : इसकी चर्चा कल की जाये। यह गंभीर मामला है।..... *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हम लोग 4 बजे म.प. नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करेंगे..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अपराह्न 4 बजे के बजाय हम 5 बजे अगले मुद्दे पर चर्चा आरम्भ कर सकते हैं।

..... *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी कम से कम एक और दिन तक सरकार में बने रहें..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सुरेश प्रभु। मेरा आप सबों से अनुरोध है कि अपने भाषण संक्षेप में दें।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। माननीय सदस्य को बोलने दिया जाये।

सभापति महोदय : हमें आज इस विधेयक को पारित करना है।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : कल?

सभापति महोदय : जी, नहीं आज।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हम मंत्री जी सरकार में कल भी रहेंगे ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं है। यदि वह सरकार में कल तक रहें तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। परन्तु मेरा प्रस्ताव है कि इसमें कटौती करने की बजाय हम स्वयं नियंत्रित हों। अनेक बातों को नियंत्रित करना है। मुझे कुछ देर तक बोलने की इच्छा होती है। कॉफी कुछ कहा गया है, इसके बावजूद मैं उन्हें बिना दुहराये, मैं बोलना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : आपका नाम यहां है। मैं आपको पुकारूंगा।

जस्टिस गुमान मल लोढा : इसे कल ही शुरू किया जाए।

सभापति महोदय : अब देखिए, हम समाप्त कर सकते हैं या नहीं।

श्री सुरेश प्रभु : सभापति महोदय, मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करने के लिये धन्यवाद।

किसी भी आर्थिक विधान अथवा किसी भी विधान, विशेषकर इस प्रकार के किसी अर्ध-आर्थिक विधान के गुण-दोषों पर देश के आर्थिक और सामाजिक ढाँचे के समुचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिये। इस विधेयक में बीमा क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करने का प्रावधान है। आज हम पेय जल, सड़क अथवा बिजली की मुख्य रूप से जरूरत महसूस कर रहे हैं। देश में आधारभूत ढांचे में निवेश की आम जरूरत है। अतः सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में निवेश के लिये लगभग 200 बिलियन डालर की जरूरत बताई गई है। कृष्ण मोहन समिति के प्रतिवेदन में भी लगभग 165 बिलियन डालर के निवेश की बात कही गयी है। अतः आधारभूत ढांचे में जिस निवेश की आवश्यकता होती है, वह दीर्घकालीन निवेश होता है। आजकल हमारा देश वस्तुतः इस समस्या से जूझ रहा है कि देश की आधारभूत संरचना की जरूरतों की पूर्ति के लिये किस प्रकार धन प्राप्त किया जाये। तो इसमें बीमा क्षेत्र धन की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

जैसा कि मेरे यशस्वी मित्र ने उल्लेख किया है, हमारे देश की आबादी तो बहुत अधिक है, परन्तु इसमें बीमा बहुत कम लोगों ने करायी है। उन्होंने कुछ देशों में बीमा कम्पनियों की संख्या पहले ही बता दी है। मैं इसके विषय में कुछ जानकारी दूंगा। यदि सभी किस्तें जोड़ी जायें तो भारत सकल घरेलू उत्पाद का 0.56% बीमा में खर्च करता है जबकि जर्मनी जैसा देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का 4.07%, अमरीका अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% और बारबाडोस जैसा छोटा दीप वाला देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का 6.29% आधारभूत ढांचा में खर्च करता है। मैक्सिको जैसा देश 4.85 प्रतिशत खर्च कर रहा है। बीमा क्षेत्र से भारत की बचत बहुत कम हो रही है। साथ ही, भारत को आधारभूत ढांचे में बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता है जिसे बीमा क्षेत्र कर सकता है।

इस आलोक में, मैं सोचता हूँ कि इस क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हेतु लाया जाने वाला यह विधेयक स्वागत योग्य है। वित्त संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में, हमने इस विधेयक पर विचार किया है और इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये संसद को सिफारिश की है। यद्यपि सामान्य तौर पर मैं विधेयक का स्वागत करता हूँ तथापि मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करना चाहता हूँ जिन्हें मैं महसूस करता हूँ कि उन्हें विधान के रूप में विचार किया जाना चाहिये।

पहली बात, कि यह विधेयक आर.एन. मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के रूप में लाया गया है। वास्तव में यह उचित समय है कि हम जानें कि आर.एन. मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट का क्या हुआ? क्या सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है अथवा अस्वीकार कर दिया है? इस रिपोर्ट की क्या स्थिति है? हमें यह अवश्य जानना चाहिये। क्योंकि यह रिपोर्ट की ही उपज है। इस रिपोर्ट में एक सिफारिश यह भी थी कि बीमा नियामक प्राधिकरण (आई.आर.ए.) स्थापित हो। देश में एक गैर सांविधिक विनियमन निकाय पहले से ही कार्य कर रहा है। किसी नये निकाय का सृजन कोई नयी बात नहीं है। वस्तुतः यह गैर सांविधिक निकाय की जगह सांविधिक निकाय लाया जा रहा है। शायद यह बीमा के हितों की रक्षा वर्तमान की तुलना में बेहतर ढंग से करे।

एक विचार यह था कि यह एक स्वायत्त निकाय हो और सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। परन्तु, विधेयक के प्रावधानों के अनुसार यह सरकारी विभाग का ही एक भाग होगा और वास्तव में इसका दर्जा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) जैसा नहीं होगा। वास्तव में इस विधेयक में यही उद्देश्य सोचा गया है। मैं सोचता हूँ, कि इस पर फिर से विचार कर इसमें कुछ परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है ताकि जब यह विधेयक ससंद का अधिनियम बन जाये, यह बनेगा ही, और इसे विधेयक में सोचे गये उद्देश्य के अनुसार अधिकार मिले।

बीमा के क्षेत्र में तीन कानून हैं - 1938 का बीमा अधिनियम, भारती जीवन बीमा निगम, 1956 और साधारण बीमा कारबार अधिनियम, 1972। ये छोटे-छोटे कानून वस्तुतः अपने निर्धारित उद्देश्य पूरे नहीं कर रहे हैं। शायद, कोई व्यापक विधेयक इस उद्देश्य को बेहतर ढंग से पूरा करता।

बीमा नियामक प्राधिकरण (आई.आर.ए.) की संरचना के अनुसार इसमें चार या पांच सदस्य होंगे, परन्तु इसका अर्थ वस्तुतः यह है कि इसके सदस्य वस्तुतः वित्त मंत्रालय के अधीन होंगे। कदाचित वस्तुतः वित्त मंत्रालय का बीमा स्कंध इसे देखे।

इसमें ऐसा प्रावधान होना चाहिये जिससे बीमा नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष को अपने ओहदे के अनुसार अधिकार मिले। मैं सोचता हूँ कि वह स्पष्टतः सचिव स्तर का हो और यह पद किसी पेंशनभोगी के लिये न हो। बीमा नियामक प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष श्री रंगाचारी केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.टी.बी.टी.) के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं। उस हैसियत से, वास्तव में उन्हें वही दर्जा दिया गया था जो इसके आरंभ में वास्तव में परिलक्षित होता था और मैं सोचता हूँ कि इसे सचमुच चलाया जाए।

जैसा कि मैं कह रहा था, जिस पैसे की आवश्यकता है - पेंशन निधि और जीवन बीमा निगम का पैसा जिसे वास्तव में देश में जुटाया जाय तो संभव है - यह आवश्यक नहीं कि हम बीमा नियामक प्राधिकरण स्थापित करें तो ऐसा होगा - बल्कि हमें कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे ताकि धन अथवा ऐसी बचत इस प्रणाली में जुटे और इसे आधारभूत संरचना में उपयोग किया जा सके।

जैसा कि मैंने कहा है कि इसमें कुछ शंकाएं हैं, परन्तु वर्तमान विधेयक में इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि ऐसी शंकाओं को विधेयक के किन्हीं उपबंधों में कहीं स्थान दिया जाता।

मैं अपने मित्र श्री जोस की बात उस समय बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था जब वह इस विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने का औचित्य बता रहे थे। साधारण बीमा निगम और जीवन बीमा निगम ने वास्तव में ऐसा कार्य किया है जिसकी उनसे अपेक्षा की गई थी। परन्तु इस विधेयक में उसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। मैं यह पता लगाने के लिए उसका बड़े ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहा था कि क्या इससे उन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण समाप्त हो जाएगा परन्तु मुझे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ऐसा लगे कि इससे वास्तव में ऐसा होने वाला है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : राष्ट्रीयकरण समाप्त किया जाना नहीं।

श्री सुरेश प्रभु : हाँ मुझे मालूम है।

क्या इस विधेयक में कुछ ऐसा करने की कोशिश की जा रही है जिसके कि इस क्षेत्र में कुछ नए उद्यमी आएं ताकि वे कंपनियां अस्थिर हो जाएं ? मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान है जिसमें ऐसा करने के बारे में कोई कोशिश की गई हो। हमारी ऐसी आशंकाओं के बारे में मुझे ऐसा लगता है और मुझे आश्चर्य भी है कि क्या ऐसा कोई और भी विधान है जिसे इस विधेयक के साथ पुरःस्थापित किया जाएगा और जिसके लिए यह उल्लेख किया गया है। मैं सोचता हूँ कि हम सब बीमा नियामक प्राधिकरण विधेयक के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में ऐसी आशंकाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए, मैं सोचता हूँ कि इस विधेयक का समर्थन किया जाना चाहिए।

तथापि, मैं इस क्षेत्र में नियोजित कर्मचारियों में से प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किये जा रहे कार्य के बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे प्रसन्नता होगी यदि माननीय वित्त मंत्री इस संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करें कि इस समय इन बीमा कंपनियों में प्रति कर्मचारी द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है।

मुझे इस बात की जानकारी है कि इस साधारण बीमा अधिनियम में एक प्रावधान है जिसके अनुसार निगम द्वारा अर्जित सकल प्रीमियम का केवल 18 प्रतिशत भाग स्थापना पर खर्च किया जाएगा। तथापि, गत वर्ष 31.3.1997 तक, हमने इस पर लगभग 27 प्रतिशत व्यय किया था। इससे संबंधित लेखे अभी संसद में प्रस्तुत किये जाने हैं। मेरे विचार में वित्त मंत्री को इस संबंध में पूर्ण जानकारी है और वह इसे बता सकते हैं कि क्या यह सच है कि इन दोनों निगमों की स्थापनाओं पर जितना खर्च किया जाना चाहिए था उससे लगभग 50 प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है। यदि ऐसा हुआ है तो हम वास्तव में पॉलिसी धारकों के दायित्व को पूरा करने संबंधी निष्कर्षों का सामना कर रहे हैं और यह पॉलिसीधारकों के हित में नहीं हो सकता है।

महोदय, मैं एक या दो बातों के बारे में जानना चाहता हूँ जो कि देश के हित की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। बीमा क्षेत्र में विशेषकर विदेशी कंपनियों के प्रवेश के बारे में आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। मुझे इस तथ्य की जानकारी है कि भारतीय कंपनियां चुनौती का सामना करने में पूर्णरूप से सक्षम हैं यद्यपि, इस बात का पूर्व अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय कंपनियां उनके साथ बीमा क्षेत्र में भागीदारी करने में विदेशी कंपनियों की तुलना में अपना कार्य करने में सक्षम नहीं होंगी। वस्तुतः इस संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हमें इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए कि इस क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान न हो और मुझे ऐसा नहीं लगता कि विशेषकर इस अवस्था में इस बात का पता लगाए जाने की कोई आवश्यकता हो कि अर्थव्यवस्था के हितों की रक्षा किस प्रकार की जाएगी इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार द्वारा इस संबंध में उत्तर दिया जाना चाहिए।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि सामाजिक बीमा और ग्रामीण बीमा के संबंध में अभी तक कोई प्रयास नहीं किए गए हैं कि ग्रामीण जनता को वह शक्ति दी जा सके जिनकी उन्हें आवश्यकता है क्योंकि ग्रामीण जनता सबसे अधिक कमजोर होती है। बीमा निगम धनी लोगों के बजाय समाज के सबसे अधिक कमजोर वर्गों को बीमा सुविधा प्रदान करने का प्रयास करता है। परन्तु बीमा उद्योग द्वारा वास्तव में समाज के कमजोर वर्गों को यह सुविधा बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं कराई गई है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि बीमा नियामक प्राधिकरण की स्थापना के पश्चात् जनता के उक्त समुदाय को उनके द्वारा उठाए जा रहे जोखिम के विरुद्ध किस प्रकार कवर किया जाएगा।

यदि इसके अंतर्गत कुछ और कंपनियों के आने की कोई संभावना है तो क्या सरकार निगमों को इसमें शामिल करने के लिए अनुमति देने के बारे में विचार कर रही है ताकि वे इस वर्ग जिसकी सेवा से पहले ही कर रहे हैं तक भी पहुंच सकें ?

साधारण बीमा निगम और जीवन बीमा निगम के वर्तमान कर्मचारी इस कदम का विरोध कर रहे हैं क्योंकि शायद वे बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के प्रवेश अथवा निजी भागीदारी के बारे में आशंकित हैं। उनकी इन आशंकाओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता है ताकि वे ऐसा महसूस न करें कि इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोला जाना उनके हितों के लिए हानिकारक हो सकता है।

वस्तुतः हम पॉलिसी धारकों और अपने समाज के हितों की रक्षा करना चाहते हैं जिसे आधारभूत संरचना को अत्यंत आवश्यकता है। यदि इस विधेयक से उनके हितों की रक्षा होगी तो मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर प.बं.) : सभापति महोदय, मैं अपने दल, आर.एस.पी. की ओर से इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

मैं इस बीमा नियामक प्राधिकरण विधेयक के सिद्धान्तों, उद्देश्यों, लक्ष्यों और विषयवस्तु से सहमत नहीं हूँ।

जहां तक इस विधेयक के प्रावधानों पर मेरी आपत्तियों का संबंध है, इस विधेयक का एक मात्र उद्देश्य भारतीय बीमा क्षेत्र के कार्यों पर अत्यधिक नियंत्रण रखना है। ऐसा केवल इस तथ्य के कारण है कि बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण कम कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मल्होत्रा समिति के माननीय सदस्यों की सिफारिशों के अनुसार इस विधेयक में यथा प्रस्तावित परिवर्तनों के माध्यम से इसे और अधिक सक्षम बनाने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय व्यवस्था में किए गए संरचनात्मक परिवर्तनों के अनुरूप इसे और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाए जाने की आवश्यकता है। इन परिवर्तनों की आवश्यकता बाजार अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप केवल दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता हेतु है।

महोदय, इस विधेयक में उल्लिखित तर्क और उद्देश्य भारतीय बीमा क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश के लिए दी जाने वाली सीधी मंजूरी को छिपाने हेतु दिए जाने वाले तर्कों और शब्दों का

जाल मात्र हैं। यह ही मुख्य मुद्दा है। इसी वजह से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

महोदय, मेरी राय में, इस विधेयक का उद्देश्य दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता के नाम पर भारतीय तथा विदेशी निजी क्षेत्र के लिए अर्थव्यवस्था का द्वार खोलना है। भारतीय बीमा क्षेत्र की वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत ही सेना की दक्षता अथवा गुणवत्ता या प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार भारतीय बीमा क्षेत्र की वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत ही किया जा सकता है। हम इस बात का विश्वास कैसे कर सकते हैं निजी क्षेत्र में दक्षता सरकारी क्षेत्र की दक्षता से बेहतर होती है? हमारा इस संबंध में क्या अनुभव है? बीमा क्षेत्र एक निजी क्षेत्र था। क्या हम इस बात से इंकार कर सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड निजी क्षेत्र की कम्पनी थी? इस निजी क्षेत्र की कम्पनी का प्रबंध सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने तथा इसका राष्ट्रीयकरण करने की क्या आवश्यकता थी? वर्ष 1956 में कुछ कारण थे। निजी प्रबंधन पर कदाचार, भ्रष्टाचार और ग्राहकों को असंतोषजनक सेवा प्रदान करने का आरोप था।

मैं 70 और 80 के दशकों में पूर्वी एशिया में विकासशील देशों के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अदा की गई भूमिका का स्मरण करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। दक्षिण कोरिया इस्पात संयंत्र की भूमिका क्या है, जो विश्व में उच्चतम उत्पादन क्षमता वाला सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है? क्या हमें सिंगापुर के सार्वजनिक क्षेत्र को भूल जाना चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्र का 60 प्रतिशत से भी अधिक क्षेत्र जिससे घरेलू बचत होती है, सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल है? मैं निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच वाद-विवाद में पड़ना नहीं चाहता। यह प्रश्न नहीं है बल्कि प्रश्न यह है कि क्या हम बीमा के सम्बन्ध में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र या विदेशी निजी क्षेत्र को चुनेंगे। यह भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र और विदेशी निजी क्षेत्र के बीच प्रतिस्पर्धा है। इस बेमेल प्रतिस्पर्धा को स्वीकृति कभी नहीं दी जा सकती है। खिलाड़ी केवल बराबरी के स्तर पर ही खेल सकते हैं। भारतीय निजी क्षेत्र या भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र को एक समान अवसर दिए जाने चाहिए और फिर प्रतिस्पर्धा की अनुमति दी जा सकती है।

यह सच है कि प्रतिस्पर्धा के नाम पर हम कई चीजें देखते हैं। भारतीय निजी क्षेत्र या भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के पास अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाएँ नहीं हैं, लेकिन बहुराष्ट्रीय निगमों के पास बाजार सम्बंधी आर्थिक प्रणाली में किसी भी प्रकार के कार्य के लिए अति अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाएं हैं। इसलिए बेमेल प्रतिस्पर्धा की अनुमति नहीं दी जा सकती है और न ही दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करने के लिए एक मिनट और लूँगा।

आज, बहुराष्ट्रीय निगम इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। उनका क्या कार्य होगा? वहां केवल कार का बीमा होगा। उनका कार्य आग, चोरी और सम्पत्ति का बीमा करना होगा और वह भारतीय समाज के उच्च वर्ग के लोगों का कारोबार है। लेकिन आज, हमें फसल का बीमा करने की आवश्यकता है। आज, भारत में यह फसल बीमा योजना पीछे चल रही है। लेकिन वे अंतर्राष्ट्रीय निगम या अन्य कोई भारतीय निजी क्षेत्र फसल बीमा योजना क्षेत्र की जिम्मेवारी लेने के लिए आगे नहीं आएगा। इसलिए, मैं इस सम्बन्ध में किसी निजी अथवा विदेशी निजी कम्पनियों या क्षेत्रों के प्रवेश का विरोध करता हूँ।

अंत में, मैं आपसे सुपर 301 खंड जो शामिल किया गया है के तथ्यों को ध्यान में रखने की अपील करता हूँ। मैं आपसे इसका उल्लेख करना चाहता हूँ। संयुक्त राज्य अमरीका के कानून में सुपर 301 खंड को भारत पर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए तथा इसे हिट लिस्ट में रखने के लिए बार-बार प्रयुक्त किया गया है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : संयुक्त राज्य की कम्पनियों को बीमा क्षेत्र में प्रवेश न करने देने के लिए सुपर 301 खंड का सहारा लेकर कुछ दबाव बनाया जा रहा है और हमारी सरकार उस दबाव के सामने झुक रही है। यह बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक मात्र अमरीकी कानून की शर्तों के समक्ष घुटने टेकने के लक्षण हैं। इसलिए महोदय, मैं इस बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक का विरोध करता हूँ।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ और साथ ही माननीय मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूँ कि विधेयक में वह आश्वासन नहीं दिया गया है जिसका जिक्र महोदय ने बजट भाषण में किया था। अपने बजट भाषण में उन्होंने सभा को यह आश्वासन दिया है कि बीमा क्षेत्र का उदारीकरण करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। परन्तु विधेयक में उस बात का जिक्र ही नहीं है। तथापि मैं इस विधेयक का समर्थन सिर्फ इसलिए करता हूँ कि नहीं से तो कुछ ही भला। यह एक सही दिशा में उठाया गया कदम है।

महोदय यह समय एक सही समय है जब हमें देश के बीमा क्षेत्र के उदारीकरण के बारे में सोचना चाहिए। बीमा क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक है। इसका राष्ट्रीयकरण सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया गया था परन्तु दुर्भाग्य से आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस स्थिति में पहुंच गई है कि इसकी पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता है कि बीमे के राष्ट्रीयकरण के समय जो लक्ष्य रखे गए थे, क्या उन सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

महोदय, विश्व आर्थिक व्यवस्था में भारत के प्रवेश को देखते हुए हमें अपने बीमा क्षेत्र को उदार बनाना होगा। आज जो स्थिति है। उसके बारे में हमारे अनेक मित्र पहले ही बता चुके हैं कि छोटे-छोटे देशों में बीमा कंपनियों की क्या स्थिति है। लेकिन हमारे इतने बड़े देश में केवल एक ही भारतीय जीवन बीमा निगम है और चार साधारण बीमा निगम हैं जो हमारे देश के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं।

[श्री ई. अहमद]

मैं बताना चाहता हूँ कि दो मिलियन की आबादी वाले संयुक्त अरब अमीरात जैसे छोटे से देश में 54 बीमा कंपनियां हैं जबकि हमें अपने यहां केवल एक भारतीय जीवन बीमा निगम और चार साधारण बीमा निगमों से ही काम चलाना पड़ रहा है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आखिर हमें कुल कितना लाभ प्राप्त होता है ? मलेशिया जैसे देश का ही उदाहरण ले लीजिए जिसकी जनसंख्या 19.5 मिलियन है और उसे बीमे से 1.8 बिलियन अमरीकी डॉलर का लाभ प्राप्त होता है जबकि भारत की आबादी 96 करोड़ है और लाभ प्राप्त होता है 1.1 बिलियन अमरीकी डालर, जोकि केवल 1.3 डालर प्रति व्यक्ति बैठता है।

एक मलेशियाई नागरिक की प्रतिव्यक्ति बीमा आय 92 डालर है और हमारी है मात्र 1.3 डालर प्रतिव्यक्ति। यह हालत है इस देश की। अब आप भारतीय बीमा जीवन बीमा निगम का ही उदाहरण ले लीजिए। क्या कर रहा है यह ? उसकी मृत्यु दर तालिका सदैव दो वर्ष पीछे रहती है। लेकिन उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वे वर्ष 1977 की मृत्यु दर तालिका का उपयोग कर रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम अपने पॉलिसी धारकों को वर्ष 1977 की मृत्यु दर तालिका के आधार पर लाभ प्रदान करता है। जबकि अन्य सभी देशों में वर्ष 1995 की मृत्यु दर तालिका का उपयोग किया जा रहा है। देख लीजिए हम कितना घाटा उठा रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। हम अपना जीवन बीमा कराते हैं परन्तु लाभ हमें नहीं मिल पाता है। आखिर इस देश के लोगों को और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ? यह एक ऐसा मामला है कि जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रत्येक देश में हर दो वर्ष के पश्चात् नई मृत्यु दर तालिका का उपयोग किया जाता है। परन्तु भारत में ऐसा नहीं होता। क्या इस पर किसी ने ध्यान दिया है ? मैं अपने उन मित्रों से जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम का गुणगान करते हुए नहीं थकते हैं वे क्यों इस बात पर ध्यान नहीं देते।

मैं, सभा के सम्मुख एक और बात रखना चाहता हूँ कि यह क्षेत्र क्रेताओं का नहीं है बल्कि विक्रेताओं का है। यह तो ऐसा क्षेत्र है जहां क्रेता बढ़े मूल्यों पर घटिया उत्पाद खरीदने को मजबूर है। यहां तक कि बीमा शुदा व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात भी उसके रिश्तेदारों को बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है। यह हालत हो गई है इस देश में। चूंकि इस क्षेत्र में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है इसलिए लाभ भी कम है और सुनिश्चितता कोई नहीं है।

बहुत से लोग देश का पैसा विदेशों में जमा करके देश का आर्थिक संतुलन बिगाड़ रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस देश में पुनर्बीमा की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूँ। इंडियन एअर लाईन्स का पुनः बीमा किया गया है। हमें कितना धन देना पड़ रहा है ? हमें देश का 60 प्रतिशत धन विदेशों को देना पड़ रहा है। 160 मिलियन और उससे अधिक की राशि वाली सम्पत्तियों का कानून के अन्तर्गत पुनः बीमा कराना होगा। हमारे देश में पुनः बीमा करने संबंधी कोई सुविधा नहीं है। हमारे देश के लोगों को पुनः बीमा कराने के लिए विदेश जाना पड़ता है।

मेरा यह कहना है कि मुझे केवल इंडियन एअर लाइंस के मामले में ही इस क्षेत्र से सूचना मिली है कि कई बिलियन डालर के बराबर भारतीय मुद्रा देश से बाहर जा रही है। हम देश में ही पुनर्बीमा योजना लागू क्यों नहीं करते ? हर कोई कहता है कि हमारा धन बाहर नहीं जा सकता है। क्या यह सच नहीं है कि कई बिलियन डालर के बराबर भारतीय मुद्रा देश से बाहर जा रही है। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री ई. अहमद : महोदय, मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं।

सभापति महोदय : आप नहीं कह सकते हैं।

..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न पहुंचाइए। उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

..... *(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद : जहां तक साधारण बीमा का संबंध है, इसकी केवल चार कंपनियां हैं जो देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती हैं। साधारण बीमा निगम संघ ने इंडियन एअरलाइंस के विमानों का पुनर्बीमा शुरू कर दिया है। यह कोई संरक्षण नहीं है।

मैं इस सभा में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कानून के अन्तर्गत 160 मिलियन रुपए या उससे अधिक मूल्य की किसी भी संपत्ति का दूसरे देश में पुनर्बीमा किया जाना चाहिए। इंडियन एअरलाइंस के मामले में कई मिलियन डालर धन देश से अन्य देशों में जा रहा है। हमारे देश में पुनर्बीमा की कोई सुविधा नहीं है और पुनर्बीमा के लिए कोई प्रतिस्पर्धात्मक प्राधिकरण या कम्पनी नहीं है। अब हमारे बाजार में कोई आधुनिक कार्यप्रणाली नहीं है और हम पुरानी प्रणाली को ही अपना रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

..... *(व्यवधान)*

जस्टिस गुमान मल लोढा : कृपया इस विधेयक का सपय बढ़ाइए। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है।..... *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : चार बजे प्राकृतिक आपदाओं के कारण जानमाल की भारी क्षति पर चर्चा होगी।.....*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद : सभापति महोदय, यदि आप मुझे और समय नहीं दे सकते हैं, तो मुझे स्वतः ही अपनी बात समाप्त करनी होगी।

सभापति महोदय : क्या आपकी बात समाप्त हो गई है ?

श्री ई. अहमद : महोदय, यदि समय नहीं है तो मुझे आपके विचारों का सम्मान करना होगा। मैं पीठासीन अधिकारी का सदैव सम्मान करता हूँ।

सभापति महोदय : आपके पूर्व वक्ता ने केवल छह मिनट का समय लिया था जबकि आप पहले ही आठ मिनट का समय ले चुके हैं। मैं आपको केवल अपनी अपनी बात समाप्त करने के लिए कह रहा था। मेरा तात्पर्य यह नहीं कि आपको तत्काल अपनी प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त करनी है।

श्री ई. अहमद : महोदय, इसीलिए तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि देश में बीमा क्षेत्र के उदारीकरण के लिए कानून बनाए।

सभापति महोदय : क्या यह आपका अंतिम वाक्य था?

श्री ई. अहमद : महोदय, मुझे पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग करना पड़ेगा।

सभापति महोदय : श्री निर्मल कान्ति चटर्जी।

..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको और समय देकर मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। कार्य मंत्रणा समिति ने इस विधेयक के लिए तीन घंटे का समय आंबटित किया है और वह समय पहले ही पूरा हो चुका है। कृपया पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग कीजिए। हमने आंबटित समय से पचास मिनट पहले ही ज्यादा ले लिए हैं।

..... *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, कार्य मंत्रणा समिति ने जो निर्णय लिया है उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करके आपने ठीक किया है। क्या मैं आपका ध्यान कुछ साधारण आंकड़ों की ओर आकर्षित कर सकता हूँ? कार्यमंत्रणा समिति ने यह निर्णय लिया था कि स्थगन प्रस्ताव अथवा बिहार के संबंध में नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा पर ढाई घंटे से अधिक समय नहीं लिया जाएगा। इसी तरह से महाराष्ट्र के लिए ..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री चटर्जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अन्य महत्वपूर्ण मामले भी सूची में हैं। आप कम से कम एक बार तो समय का पालन कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति आपकी चिन्ता से सहमत हूँ और इसीलिए बीमा क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक, जिस पर भारतीय लोगों के लिए बीमा सुरक्षा के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की संप्रभुता भी निर्भर है, पर जल्दबाजी में विचार किए जाने के बजाय मैंने अधिक समय मांगा है। इसका कारण यह है कि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण शुरू कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अतः मैं आप से अनुरोध कर रहा था क्योंकि सदन इस बारे में चिन्तित था, हमें उन्हें बीच में नहीं रोकना चाहिए।

सभापति महोदय : मैंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना भाषण स्वयं ही समाप्त किया है। यह मेरी गलती नहीं है। मैंने केवल इतना ही अनुरोध किया था कि हमें 4 बजे प्राकृतिक आपदाओं और बाढ़ पर नियम 193 के तहत चर्चा शुरू करनी चाहिए। श्री अहमद को इतनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए थी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, उन्हें वास्तव में आघात पहुंचा है।

श्री पी.सी. चाक्को : महोदय, अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होनी है।

सभापति महोदय : दूसरे सदस्यों की प्रतिक्रिया को भी ध्यान में रखिए। देश में प्राकृतिक आपदाओं और बाढ़ जैसे अन्य विषयों पर भी चर्चा होनी है। हर कोई इस बात की मांग कर रहा है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, अन्य विषय भी हैं जिन पर विचार विमर्श करना होगा, लेकिन यह नियामक प्राधिकरण विधेयक भी बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, विशेष रूप से क्योंकि हम इसमें कुछ संशोधनों का सुझाव दे रहे हैं..... *(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम्) : महोदय, संसद के समक्ष सभी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं।

सभापति महोदय : हम इस विषय के लिए पहले ही एक घंटा अधिक ले चुके हैं। इसके लिए केवल तीन घंटे का समय आंबटित किया गया था और हम पहले ही चार घंटे ले चुके हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, इस पर चर्चा कल भी जारी रहनी चाहिए।

श्री पी.सी. चाक्को : महोदय, हम पीठासीन अधिकारी का सम्मान करते हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए समय नहीं बढ़ाया जा सकता है। श्री अहमद जी को पांच मिनट का समय दिया गया था। हम पीठासीन अधिकारी से अनुरोध करते हैं कि समय सीमा नियत करें और दूसरे लोगों को भी बोलने का अवसर दें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरे लिए पांच मिनट का समय पर्याप्त नहीं होगा।

[श्री ई. अहमद]

मैं बताना चाहता हूँ कि दो मिलियन की आबादी वाले संयुक्त अरब अमीरात जैसे छोटे से देश में 54 बीमा कंपनियां हैं जबकि हमें अपने यहां केवल एक भारतीय जीवन बीमा निगम और चार साधारण बीमा निगमों से ही काम चलाना पड़ रहा है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आखिर हमें कुल कितना लाभ प्राप्त होता है ? मलेशिया जैसे देश का ही उदाहरण ले लीजिए जिसकी जनसंख्या 19.5 मिलियन है और उसे बीमे से 1.8 बिलियन अमरीकी डॉलर का लाभ प्राप्त होता है जबकि भारत की आबादी 96 करोड़ है और लाभ प्राप्त होता है 1.1 बिलियन अमरीकी डालर, जोकि केवल 1.3 डालर प्रति व्यक्ति बैठता है।

एक मलेशियाई नागरिक की प्रतिव्यक्ति बीमा आय 92 डालर है और हमारी है मात्र 1.3 डालर प्रतिव्यक्ति। यह हालत है इस देश की। अब आप भारतीय बीमा जीवन बीमा निगम का ही उदाहरण ले लीजिए। क्या कर रहा है यह ? उसकी मृत्यु दर तालिका सदैव दो वर्ष पीछे रहती है। लेकिन उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वे वर्ष 1977 की मृत्यु दर तालिका का उपयोग कर रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम अपने पॉलिसी धारकों को वर्ष 1977 की मृत्यु दर तालिका के आधार पर लाभ प्रदान करता है। जबकि अन्य सभी देशों में वर्ष 1995 की मृत्यु दर तालिका का उपयोग किया जा रहा है। देख लीजिए हम कितना घाटा उठा रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। हम अपना जीवन बीमा कराते हैं परन्तु लाभ हमें नहीं मिल पाता है। आखिर इस देश के लोगों को और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ? यह एक ऐसा मामला है कि जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रत्येक देश में हर दो वर्ष के पश्चात् नई मृत्यु दर तालिका का उपयोग किया जाता है। परन्तु भारत में ऐसा नहीं होता। क्या इस पर किसी ने ध्यान दिया है ? मैं अपने उन मित्रों से जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम का गुणगान करते हुए नहीं थकते हैं वे क्यों इस बात पर ध्यान नहीं देते।

मैं, सभा के सम्मुख एक और बात रखना चाहता हूँ कि यह क्षेत्र क्रेताओं का नहीं है बल्कि विक्रेताओं का है। यह तो ऐसा क्षेत्र है जहां क्रेता बढ़े मूल्यों पर घटिया उत्पाद खरीदने को मजबूर है। यहां तक कि बीमा शुदा व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात भी उसके रिश्तेदारों को बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है। यह हालत हो गई है इस देश में। चूंकि इस क्षेत्र में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है इसलिए लाभ भी कम है और सुनिश्चिता कोई नहीं है।

बहुत से लोग देश का पैसा विदेशों में जमा करके देश का आर्थिक संतुलन बिगाड़ रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस देश में पुनर्बीमा की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूँ। इंडियन एअर लाईन्स का पुनः बीमा किया गया है। हमें कितना धन देना पड़ रहा है ? हमें देश का 60 प्रतिशत धन विदेशों को देना पड़ रहा है। 160 मिलियन और उससे अधिक की राशि वाली सम्पत्तियों का कानून के अन्तर्गत पुनः बीमा कराना होगा। हमारे देश में पुनः बीमा करने संबंधी कोई सुविधा नहीं है। हमारे देश के लोगों को पुनः बीमा कराने के लिए विदेश जाना पड़ता है।

मेरा यह कहना है कि मुझे केवल इंडियन एअर लाइंस के मामले में ही इस क्षेत्र से सूचना मिली है कि कई बिलियन डालर के बराबर भारतीय मुद्रा देश से बाहर जा रही है। हम देश में ही पुनर्बीमा योजना लागू क्यों नहीं करते ? हर कोई कहता है कि हमारा धन बाहर नहीं जा सकता है। क्या यह सच नहीं है कि कई बिलियन डालर के बराबर भारतीय मुद्रा देश से बाहर जा रही है। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री ई. अहमद : महोदय, मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं।

सभापति महोदय : आप नहीं कह सकते हैं।

..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न पहुंचाइए। उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

..... *(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद : जहां तक साधारण बीमा का संबंध है, इसकी केवल चार कंपनियां हैं जो देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती हैं। साधारण बीमा निगम संघ ने इंडियन एअरलाइंस के विमानों का पुनर्बीमा शुरू कर दिया है। यह कोई संरक्षण नहीं है।

मैं इस सभा में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कानून के अन्तर्गत 160 मिलियन रुपए या उससे अधिक मूल्य की किसी भी संपत्ति का दूसरे देश में पुनर्बीमा किया जाना चाहिए। इंडियन एअरलाइंस के मामले में कई मिलियन डालर धन देश से अन्य देशों में जा रहा है। हमारे देश में पुनर्बीमा की कोई सुविधा नहीं है और पुनर्बीमा के लिए कोई प्रतिस्पर्धात्मक प्राधिकरण या कम्पनी नहीं है। अब हमारे बाजार में कोई आधुनिक कार्यप्रणाली नहीं है और हम पुरानी प्रणाली को ही अपना रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

..... *(व्यवधान)*

जस्टिस गुमान मल लोढा : कृपया इस विधेयक का समय बढ़ाइए। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है।..... *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : चार बजे प्राकृतिक आपदाओं के कारण जानमाल की भारी क्षति पर चर्चा होगी।.....*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद : सभापति महोदय, यदि आप मुझे और समय नहीं दे सकते हैं, तो मुझे स्वतः ही अपनी बात समाप्त करनी होगी।

सभापति महोदय : क्या आपकी बात समाप्त हो गई है ?

श्री ई. अहमद : महोदय, यदि समय नहीं है तो मुझे आपके विचारों का सम्मान करना होगा। मैं पीठासीन अधिकारी का सदैव सम्मान करता हूँ।

सभापति महोदय : आपके पूर्व वक्ता ने केवल छह मिनट का समय लिया था जबकि आप पहले ही आठ मिनट का समय ले चुके हैं। मैं आपको केवल अपनी अपनी बात समाप्त करने के लिए कह रहा था। मेरा तात्पर्य यह नहीं कि आपको तत्काल अपनी प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त करनी है।

श्री ई. अहमद : महोदय, इसीलिए तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि देश में बीमा क्षेत्र के उदारीकरण के लिए कानून बनाए।

सभापति महोदय : क्या यह आपका अंतिम वाक्य था?

श्री ई. अहमद : महोदय, मुझे पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग करना पड़ेगा।

सभापति महोदय : श्री निर्मल कान्ति चटर्जी।

..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको और समय देकर मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। कार्य मंत्रणा समिति ने इस विधयेक के लिए तीन घंटे का समय आंबटित किया है और वह समय पहले ही पूरा हो चुका है। कृपया पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग कीजिए। हमने आंबटित समय से पचास मिनट पहले ही ज्यादा ले लिए हैं।

..... *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, कार्य मंत्रणा समिति ने जो निर्णय लिया है उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करके आपने ठीक किया है। क्या मैं आपका ध्यान कुछ साधारण आंकड़ों की ओर आकर्षित कर सकता हूँ? कार्यमंत्रणा समिति ने यह निर्णय लिया था कि स्थगन प्रस्ताव अथवा बिहार के संबंध में नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा पर ढाई घंटे से अधिक समय नहीं लिया जाएगा। इसी तरह से महाराष्ट्र के लिए ..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री चटर्जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अन्य महत्वपूर्ण मामले भी सूची में हैं। आप कम से कम एक बार तो समय का पालन कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति आपकी चिन्ता से सहमत हूँ और इसीलिए बीमा क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक, जिस पर भारतीय लोगों के लिए बीमा सुरक्षा के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की संप्रभुता भी निर्भर है, पर जल्दबाजी में विचार किए जाने के बजाय मैंने अधिक समय मांगा है। इसका कारण यह है कि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण शुरू कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अतः मैं आप से अनुरोध कर रहा था क्योंकि सदन इस बारे में चिन्तित था, हमें उन्हें बीच में नहीं रोकना चाहिए।

सभापति महोदय : मैंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना भाषण स्वयं ही समाप्त किया है। यह मेरी गलती नहीं है। मैंने केवल इतना ही अनुरोध किया था कि हमें 4 बजे प्राकृतिक आपदाओं और बाढ़ पर नियम 193 के तहत चर्चा शुरू करनी चाहिए। श्री अहमद को इतनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए थी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, उन्हें वास्तव में आघात पहुंचा है।

श्री पी.सी. चाक्को : महोदय, अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होनी है।

सभापति महोदय : दूसरे सदस्यों की प्रतिक्रिया को भी ध्यान में रखिए। देश में प्राकृतिक आपदाओं और बाढ़ जैसे अन्य विषयों पर भी चर्चा होनी है। हर कोई इस बात की मांग कर रहा है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, अन्य विषय भी हैं जिन पर विचार विमर्श करना होगा, लेकिन यह नियामक प्राधिकरण विधेयक भी बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, विशेष रूप से क्योंकि हम इसमें कुछ संशोधनों का सुझाव दे रहे हैं..... *(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम्) : महोदय, संसद के समक्ष सभी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं।

सभापति महोदय : हम इस विषय के लिए पहले ही एक घंटा अधिक ले चुके हैं। इसके लिए केवल तीन घंटे का समय आंबटित किया गया था और हम पहले ही चार घंटे ले चुके हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, इस पर चर्चा कल भी जारी रहनी चाहिए।

श्री पी.सी. चाक्को : महोदय, हम पीठासीन अधिकारी का सम्मान करते हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए समय नहीं बढ़ाया जा सकता है। श्री अहमद जी को पांच मिनट का समय दिया गया था। हम पीठासीन अधिकारी से अनुरोध करते हैं कि समय सीमा नियत करें और दूसरे लोगों को भी बोलने का अवसर दें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरे लिए पांच मिनट का समय पर्याप्त नहीं होगा।

सभापति महोदय : मैं आपको अधिक समय नहीं दे सकता। मैं दो सदस्यों के बीच भेदभाव नहीं बरत सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। आपके दल के सदस्य पहले ही बोल चुके हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, ऐसी बात है तो मैं नहीं बोलूंगा।

जस्टिस गुमान मल लोढा : यदि आप हमें समय नहीं देंगे तो हम इस वाद-विवाद में बिल्कुल भी भाग नहीं लेंगे।

सभापति महोदय : मंत्री जी, इस संबंध में आपका क्या कहना है ? क्या आप इस विधेयक पर कल भी चर्चा कराना चाहते हैं ?

..... *(व्यवधान)*

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, हमें समय दीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है।..... *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मुझे इसमें संशोधन का सुझाव देना है। मैं तीन संशोधन पेश करना चाहता हूँ।..... *(व्यवधान)*

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, यदि आप हमें अपने विचार रखने के लिए समय नहीं देंगे तो, इस सभा में बैठकर इस वाद-विवाद में भाग लेने का कोई अर्थ नहीं है।..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, आप क्या कर रहे हैं ? क्या आप चाहते हैं कि इस मामले पर कल चर्चा हो ?..... *(व्यवधान)*

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, आपको सदन का सम्मान करना चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, सदन के समक्ष तीन संशोधन हैं। जिनमें से एक संशोधन का प्रस्ताव हमारी ओर से है। इसे शीघ्रातिशीघ्र कैसे निपटाया जा सकता है ? मैं उन विषयों को नहीं दोहराऊंगा..... *(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, इस पर कल चर्चा किए जाने में कोई हर्ज नहीं है। आप इस पर कल तक चर्चा जारी रख सकते हैं।

सभापति महोदय : ससंदीय कार्य मंत्री हैं ही कहां जो वह इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकें।

..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हमें माननीय मंत्री श्री चिदम्बरम की बात सुननी चाहिए।

प्रो० रासा सिंह रावत : महोदय, कृपया समय सीमा बढ़ा दी जाए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, माननीय मंत्री अपने मामले में बहस करने के लिए पूर्णरूप से योग्य और सक्षम हैं। फिर आप इसे शीघ्र क्यों निपटाना चाहते हैं ?.....*(व्यवधान)*

प्रो० रासा सिंह रावत : महोदय, मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूँ कि कृपया हमारे अनुरोध पर विचार करें।

सभापति महोदय : मैंने उन्हें बोलने के लिए कहा है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे किसी सदस्य को ऐसा लगे कि उसकी उपेक्षा की गई है। स्मरण योग्य बात यह है कि इस विधेयक पर मतदान किया जाना है। यह स्पष्ट है कि इस पर एक वर्ग की ओर से अत्यधिक मतभेद व्यक्त किया जा रहा है। परन्तु इसका उत्तर इसमें विलम्ब करना नहीं है। हमें इस बात की सही जानकारी होनी चाहिए कि इस पर मतदान कब किया जाएगा ताकि प्रत्येक सदस्य उपस्थित रहे और मतदान कर सके।..... *(व्यवधान)* भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख वक्ता श्री जसवंत सिंह ने अपनी पार्टी की राय स्पष्ट कर दी है। यदि कोई अन्य सदस्य बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, इसी प्रकार सी.पी.आई.(एम.) के श्री बसुदेव आचार्य ने भी अपनी पार्टी के विचार काफी विस्तार से स्पष्ट किए हैं। यदि कोई सदस्य इस पर और आगे बोलना चाहते हैं तो वे बोल सकते हैं। परन्तु मुझे इस बात की सही जानकारी होनी चाहिए कि इस विधेयक पर मतदान कब होगा..... *(व्यवधान)* हमें मतदान के संबंध में आश्चर्य में नहीं डाला जा सकता क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि कुछ कांग्रेसी सदस्यों को कल कलकत्ता जाना है, हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए. ..... *(व्यवधान)* महोदय, यदि आप ऐसा कहते हैं तो ठीक है, हम इस पर 4 बजे तक चर्चा करेंगे और उसके पश्चात् इसे 6 बजे पुनः उठाएंगे। हम इस पर 6 बजे या 6.30 बजे पुनः चर्चा के लिए उठाएंगे..... *(व्यवधान)* श्री निर्मल कान्ति चटर्जी, मैं आपकी बात में व्यवधान नहीं डाल रहा हूँ।

यदि आप इस पर आज 6.30 बजे या 7 बजे पुनः चर्चा कर सकते हैं और कल तक चर्चा जारी रखकर इस पर 12 बजे अथवा 12.30 बजे मतदान करा सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मुद्दा यह है कि हम अचानक मतदान नहीं करा सकते। आखिरकार, यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मतदान के बारे में सरकार को आश्चर्य में नहीं डाला जाना चाहिए। यह बात तो पूर्णतः स्पष्ट है कि इस पर मतदान होने वाला है। मैं मतदान के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक सदस्य मतदान में हिस्सा ले। बस, मैं केवल इतना ही कहने का प्रयास कर रहा हूँ..... *(व्यवधान)* अतः हमें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि मतदान कब होगा।

अनेक माननीय सदस्य : यह कल हो सकता है।

श्री पी. चिदम्बरम : कृपया याद रहे कि इसे राज्य सभा को भी भेजा जाना है। यदि आप इस पर आज 6.30 बजे चर्चा कराना चाहते हैं तो मैं तब तक यहां बैठने के लिए इच्छुक हूँ। जो बोलना चाहते है, उन्हें आज बोलने दीजिए मैं सदन में वापस आने के

लिए तैयार हूँ। प्रत्येक सदस्य को बोलने दीजिए। लेकिन हमें यह मालूम होना चाहिए कि मतदान कब होगा। प्रत्येक पार्टी को इस विधेयक पर मतदान करने का उचित अधिकार दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर बोलने के लिए श्री निर्मल कान्ति चटर्जी के अतिरिक्त दो वक्ता और हैं उसके बाद मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री पी. चिदम्बरम : इस पर 6.30 बजे से 7.30 बजे तक चर्चा की जा सकती है।

सभापति महोदय : वे तीनों नाम मेरे समक्ष हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, कृपया चर्चा को 6.30 बजे से 7.30 बजे तक जारी रखने के बाद वाद-विवाद समाप्त करें। आप इसे 6.30 बजे शुरू कर सकते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : मेरी पार्टी से दो सदस्य बोलना चाहते हैं।

प्रो० रासा सिंह रावत : महोदय, उनके नाम सूची में हैं।

सभापति महोदय : मैं यह बताना चाहता हूँ कि सभी पार्टियों का बोलने का समय समाप्त हो चुका है।

प्रो० रासा सिंह रावत : कृपया समय बढ़ा दिया जाए। हम आपसे यही अनुरोध कर रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : कृपया इस पर 6.30 बजे से 7.30 बजे तक चर्चा कराएं। मेरा सुझाव है कि चर्चा जारी रहनी चाहिए और इस पर कल 12 बजे के बाद मतदान कराया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : नियम 193 के अंतर्गत चर्चा के लिए कार्य मंत्रणा समिति ने दो घंटे के समय की अनुमति दी है। इसे 4 बजे से 6 बजे तक चर्चा के लिए उठया जाएगा।

श्री वसुदेव आचार्य : दो घंटे का समय पर्याप्त नहीं है। इतने समय में चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी।

श्री पी. चिदम्बरम : श्री आचार्य जी, आपको कहीं न कहीं तो सहमत होना पड़ेगा।

सभापति महोदय : यदि चर्चा पूरी नहीं हुई तो क्या होगा ?

..... *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, आप सदन में नए सदस्य नहीं हैं। आप जानते हैं कि आपदाओं पर यह चर्चा कभी समाप्त नहीं होगी। क्या यह ढाई घंटे में समाप्त हो सकती है ? नहीं।

सभापति महोदय : इसे बाद में लिया जा सकता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं यही अनुरोध कर रहा हूँ कि इसे 4 बजे लिया जाए और इस चर्चा को कल तक जारी रखा जाए। हम इस पर कल चर्चा करेंगे। माननीय मंत्री का अनुरोध वैध है। वे आपसे मतदान का समय निर्धारित करने का अनुरोध कर रहे हैं..... *(व्यवधान)* उन्हें कलकत्ता जाना है। हमें यह तय करना चाहिए कि कल 3 बजे हम इस पर मतदान करेंगे। उनके पश्चात् वे कलकत्ता जा सकते हैं..... *(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : महोदय, कुछ सदस्य सुबह की तथा कुछ शाम की उड़ान से जाने वाले हैं। हम यह जोखिम नहीं उठा सकते। इसे या तो आज ही कराया जाना चाहिए अथवा 13 तारीख को लिया जाए..... *(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : मतदान कल 12 बजे कराया जा सकता है।

श्री ए.सी. जोस : यह या तो आज ही कराया जा सकता है अथवा उसके बाद केवल 13 तारीख को कराया जा सकता है।. ..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : किसी भी तरह यह कल 1 बजे कराया जा सकता है। आजकल शून्यकाल डेढ़ घंटे से भी अधिक समय तक जारी रहता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यदि हम 1 बजे मतदान कराएं तो मैं समझता हूँ कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री पी. चिदम्बरम : कृपया चर्चा आज ही पूरी कर ली जाए। हम देर तक बैठे रहेंगे। मतदान कल कराया जा सकता है।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, यह ठीक है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मुझे बोलने के लिए कुछ और समय दिया जाए। मैं कोई भी बात नहीं दोहराऊंगा।

सभापति महोदय : मैं सदस्यों के साथ पक्षपात नहीं कर सकता।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह पक्षपात नहीं है। यह एक आकस्मिक घटना हुई है। यदि सभापति महोदय को यह मालूम होता कि समय सीमा बढ़ानी होगी तो उन्हें और अधिक समय दे दिया जाता।

सभापति महोदय : यदि वे यहां होते तो मैं उन्हें अनुरोध कर लेता।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या मैं अब बोलना शुरू कर सकता हूँ ?

सभापति महोदय : जी, हाँ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : बहुत-बहुत धन्यवाद। यद्यपि, मैंने कहा है कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, तथापि मुझे इसमें संदेह है कि इस पर बहुत कम चर्चा हुई है। आज सुबह के समाचार पत्र में इस बात का संकेत दिया गया है कि हमें अपने देश में नियामक प्राधिकरण बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें यह कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अब यह निर्णय लिया है कि वह सहायता को अच्छे शासन से सम्बंध करेगा। उनका कहना है कि नए दिशानिर्देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को स्वतंत्रत रूप से भ्रष्टाचार के आरोपों की निगरानी करने की शक्ति प्रदान करते हैं। यह कहा गया है कि सभी नियामक व्यवस्थाएँ और नियामक प्राधिकरण सुरक्षित रूप से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के हाथों में सौंप दिए जाएं। यह बात मेरे मन में इसलिए उठती है कि क्या हम ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की चापलूसी के कारण पूर्णतः अनावश्यक हो गई है। अब वे सहमत नहीं होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि यह चर्चा बहुत कम है।

मेरे विचार में माननीय और योग्य वित्त मंत्री द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया है कि स्थायी समिति के प्रतिवेदन में केवल एक विमत टिप्पणी है। चूंकि मैं इस समिति का सदस्य हूँ, इसलिए मेरे विचार से मुझे इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इस संबंध में स्थिति बहुत साफ है उन्होंने मेरे द्वारा प्रस्तावित कई संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। जब मैं समिति की सदस्यता छोड़ रहा था, तब उन्होंने कहा था वे विशेष संशोधनों को भी स्वीकार कर लेंगे। मैंने यह देखा कि जब प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था उस समय एक संशोधन जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वह स्वीकार कर लिया है, स्वीकार नहीं किया था। इस कारण से हममें से कुछ सदस्यों ने विमत टिप्पणी का उल्लेख नहीं किया था। मैंने समिति को यह बताया था कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बीमा क्षेत्र में प्राइवेट और विदेशी फर्मों की भागेदारी होनी चाहिए। तथापि, यह संशोधन जिसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए था, को स्वीकार नहीं किया गया। जब मैंने सदस्यता छोड़ी थी, उस समय मेरा यह विचार था कि मैंने जिन शेष संशोधनों के बारे में सुझाव दिए थे, उन्हें भी स्वीकार कर लिया जाएगा। अतः बहुत बाद में राज्य सभा के हमारे एक मित्र के जिन्हें वस्तु स्थिति की जानकारी हो गयी थी, ने जल्दी में विमत टिप्पणी प्रस्तुत की। इस प्रकार उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इस अति महत्वपूर्ण प्रतिवेदन में इसका उल्लेख भी किया गया है अथवा नहीं। मेरे पास पूर्ण प्रतिवेदन है। यह रिपोर्ट "फेल्ड प्रोमिसिस, इंश्यूरेंस कम्पनी इन्सालवेंसिस - अमरीकन प्रतिनिधि सभा की उर्जा और वाणिज्य समिति के ओवरसाइज और इनवेस्टीगेशन संबंधी उपसमिति की रिपोर्ट के बारे में है।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इसमें यह कहा गया है :

"बीमा क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत ही आसान है।"

यह एक टिप्पणी की गई है। इसमें यह भी कहा गया है:

"वायदा करने के लिए कोई खर्चीली योजनाओं और उपस्करों अथवा दीर्घकालीन योजनाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वास्तव में इसके लिए कुछ बातों की आवश्यकता पड़ती है।"

यह प्रतिवेदन यहीं समाप्त नहीं होता है। इसमें यह भी कहा गया है :

"बीमा व्यवसाय को छोड़ना बहुत ही आसान है।"

उन्होंने यह टिप्पणी की है। आप उस व्यवसाय में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं अथवा उसे छोड़ सकते हैं। बीमा क्षेत्र की यह प्रकृति है। हमें विनयामक प्राधिकरण द्वारा इस बारे में चर्चा करने से पूर्व समझना होगा। इस बीच क्या घटा है? कभी-कभी हम यह कहते हैं कि अमरीका विश्व का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र है। उनकी भाषा बहुत ही विलक्षण है। मैं उनकी रिपोर्ट को उद्धृत कर रहा हूँ। इसमें उल्लेख किया गया है :

"वे घोटालों, कुप्रबन्ध और धूर्तता में लिप्त रहते हैं और जब तक कि विनियामक प्राधिकरण उस संबंध में कोई कार्रवाई शुरू करें धोखाधड़ी और घोर अक्षमता के दुष्परिणामों को 10 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक छिपा कर रखा जा सकता है।"

10 वर्ष अथवा उससे अधिक वर्ष की अवधि तक बीमा विनियामक प्राधिकरण इस बात की पूरी तरह से उपेक्षा कर रहा है और यह इसलिए संभव है क्योंकि बीमा व्यवसाय में प्रवेश करना अथवा उसे छोड़ना आसान है, आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि कुछ धूर्त व्यक्तियों द्वारा इन 10 वर्षों के दौरान क्या किया गया होगा। यह उनका विचार है। अतः मैं उन सभी व्यक्तियों का ध्यान उस ओर दिला रहा हूँ जो बीमा व्यवसाय में प्राइवेट और विदेशी कम्पनियों के प्रवेश का समर्थन कर रहे हैं।

महोदय, इस रिपोर्ट में 5 अरब डालर की हेरा-फेरी का उल्लेख किया गया है। यह राशि कितनी है। यह राशि हमारे किसी बैंक घोटाले की राशि के लगभग है।

श्री ए.सी. जोस : यह उससे भी कहीं अधिक है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ठीक है यह उससे भी कहीं अधिक है। अमरीका, जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है 5 अरब डालर के नुकसान का वहन करने के लिए सक्षम है। लेकिन जो लोग आम लोगों को इस नुकसान के दायरे में लाए हैं वे इस विधेयक के जरिए भारत में भी यह काम करना चाहते हैं और यदि उनके लिए संभव हो तो वे भारतवासियों पर इस विधेयक पर थोपना चाहते हैं। हमें इस विधेयक का समर्थन करते समय इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए।

महोदय, बीमा क्षेत्र में विशेषरूप से जीवन-बीमा में न कि साधारण बीमा में निधियां दीर्घकालीन हैं और वास्तव में कई दीर्घकालीन कार्य करने पड़ते हैं। जिनके लिए दीर्घकालीन निधियों की आवश्यकता पड़ती है। अन्य निधियां दीर्घकालीन निधियां नहीं होती हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

[कर्नल राव राम सिंह *पीठासीन हुए*]

बैंकिंग क्षेत्र में हमने एक माह जमा, एक वर्षीय जमा, म्यूचल फंड, सात वर्षीय जमा योजनाएं आदि लागू की हुई हैं।

सभापति महोदय : श्री चटर्जी, आप बाद में बोल सकते हैं।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अब आपका क्या निर्णय है ?

श्री पी. चिदम्बरम : यह वाद-विवाद सांय 6.30 बजे के बाद भी जारी रहेगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : इस संबंध में सभापति निर्णय लेंगे न कि मंत्री महोदय।

श्री ए.सी. जोस : इसलिए, मैं माननीय सभापति से पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : लेकिन, माननीय मंत्री महोदय इतने उत्तेजित हो गए कि वे बोलने के लिए खड़े हो गए हैं

श्री ए.सी. जोस : मैं माननीय सभापति से उनका निर्णय जानना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों की अनुमति से, सदन में अब नियम 193 के अंतर्गत सांय 4 बजे से 6 बजे तक चर्चा होगी। 6 बजे के बाद हम इस विधेयक पर पुनः चर्चा शुरू करेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इस मामले में क्या यह उचित नहीं होगा कि हम इस चर्चा को 5 बजे तक जारी रखें और उसके बाद नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करें ?..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री निर्मल कांति चटर्जी को अपनी बात कहने दें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मेरा मुद्दा यह है कि इस विधेयक पर चर्चा समाप्त करने के बाद हम नियम 193 के अंतर्गत चर्चा शुरू करेंगे।

सभापति महोदय : नहीं, नियम 193 के अंतर्गत तत्काल चर्चा करना अत्यावश्यक है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : ऐसी स्थिति में हम इस चर्चा को कल तक के लिए स्थगित कर दें और आज चर्चा न करें।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : दो घंटे तो बहुत कम होंगे।

प्रो० रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, इंश्योरेस रैगुलेटरी अथॉरिटी बिल बहुत महत्वपूर्ण है, सारे देश के लोगों को प्रभावित करने वाला है।

सभापति महोदय : यह तो पूरा हाउस पहले ही कह चुका है। लेकिन जो मजबूरियां हैं, उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के मैम्बर्स ने कल जाना है।

[अनुवाद]

माननीय वित्त मंत्री और माननीय सभापति श्री पी.एम. सईद, जिन्होंने मेरे से पहले सभा की अध्यक्षता की थी, ने सभा के ध्यान में पहले ही यह बात लाई है कि कांग्रेस दल के सदस्यों को कल जाना है। इसलिए इस विधेयक पर मतदान उनके जाने से पहले करा लिया जाना चाहिए। सांय 5 बजे के आस-पास उड़ान है अतः मतदान अपराह्न 12.30 बजे और 1 बजे के बीच हो जाना चाहिए। अतः बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक पर चर्चा आज ही पूरी हो जानी चाहिए ताकि मतदान कल कराया जा सके।

श्री ए.सी.जोस : मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके लिए एक समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ताकि अपराह्न 12.30 बजे मतदान कराया जा सके।

सभापति महोदय : मैं कह चुका हूँ कि मतदान 12.30 बजे और 1.00 बजे के बीच कराया जाएगा और यह माननीय अध्यक्ष महोदय पर निर्भर करता है यदि वे चाहें तो इसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हम उनका सत्र समाप्त होने के बाद मतदान कराएंगे।

श्री संतोष मोहन देव : यह हमारा विधेयक है और चूक से यह विधेयक उनके नाम से चला गया है। अतः हम मतदान में भाग लेना चाहते हैं।

सभापति महोदय : श्री निर्मल कांति चटर्जी, क्या आप यह सुझाव दे रहे हैं कि कांग्रेस दल के सदस्य प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान करें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मेरा सुझाव है कि उनके समारोह के बाद और अगर तब तक उनका दल बना रहता है तो अब हम अगले सप्ताह मतदान करा सकते हैं।

सभापति महोदय : नहीं, इसे राज्य सभा को भी भेजा जाना है।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : इस समय चर्चा की जो मद संख्या 17 है उसके बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न आप किस नियम के अन्तर्गत उठाना चाहते हैं ?

श्री राजीव प्रताप रूडी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न विशेष रूप से इसी मद से सम्बंधित है जिस पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की जा रही है।

सभापति महोदय : क्या आप यह नहीं सोचते कि व्यवस्था का प्रश्न किसी विशिष्ट नियम के अंतर्गत उठाया जाता है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं आपको नियम बताता हूं। यह नियम 194(2) के अंतर्गत है। मैं इसे इसके साथ सम्बद्ध करूंगा। कृपया मुझ अपनी बात कहने दीजिए।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं इसे प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत उठाऊंगा। 20.12.96 को मैंने नियम 193 के अंतर्गत एक प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ की थी जो हमारे देश में खेलों के गिरते हुए स्तर के बारे में थी।

वाद-विवाद मैंने शुरू किया था। नियम 194 खण्ड (2) में कहा गया है कि :

''अध्यक्ष एक सप्ताह में ऐसी दो बैठकें नियत कर सकेगा जब ऐसे विषय चर्चा हेतु लिये जा सकें और चर्चा के लिए उतने समय की अनुमति दे सकेगा जितना कि वह परिस्थितियों में उचित समझे और जो बैठक की समाप्ति पर अथवा उससे पहले एक घंटे से अधिक न हो। सभा के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा।''

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था का प्रश्न उठाइए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : उसमें कहा गया है कि :

''जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा और मंत्री संक्षेप में उत्तर देगा।''

मैंने नियम 198 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह 20 जून, 1996 की कार्य सूची में था और उसके बाद गतसत्र के दौरान सूची में भी ऐसे शामिल किया गया लेकिन बाद में इसे कभी शामिल नहीं किया गया और पहले प्रस्ताव पर चर्चा पूरी किए बिना ही दूसरा प्रस्ताव ले लिया गया है। मेरे विचार से यह इस सभा की भूल है।

सभापति महोदय : मैं यह बात माननीय अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाऊंगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी : यह समाप्त नहीं हुआ है। यह कार्य सूची में था।

सभापति महोदय : यह मामला मेरे सामने नहीं आया है, इसलिए मुझे पता नहीं कि आपके प्रस्ताव का क्या हुआ।

श्री राजीव प्रताप रूडी : उस प्रस्ताव का क्या हुआ जो मैंने प्रस्तुत किया था?

सभापति महोदय : मुझे उसके बारे में पता नहीं है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के ध्यान में यह बात लाऊंगा और जो कुछ भी निर्णय होगा अध्यक्ष महोदय आपको जानकारी दे देंगे। आप मुझसे क्या चाहते हैं?

श्री राजीव प्रताप रूडी : नियम काफी स्पष्ट हैं।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि लोक सभा के नियम बहुत सही हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : यह इस सभा की भूल है। मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मैंने उसके लिए प्रयास किए थे। जब इसे कार्य सूची में शामिल किया गया तब मैंने इस पर विचार व्यक्त किए थे और उस पर कोई उत्तर नहीं मिला। दो सत्र बीत चुके हैं और प्रस्ताव पर चर्चा अभी पूरी नहीं हुई है। चर्चा पूरी होने से पहले ही अगला प्रस्ताव ले लिया गया है। मुझे इसका उत्तर चाहिए।

सभापति महोदय : जब मैंने मामले का अध्ययन ही नहीं किया तो आप मुझसे किस विनिर्णय की अपेक्षा करते हैं? आपके प्रस्ताव का क्या हुआ मुझे पता नहीं है। मैं नहीं जानता कि उसे स्वीकार किया गया या अस्वीकार किया गया। मै यह माननीय अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाऊंगा और वह कल आपको अपने विनिर्णय की जानकारी दे देंगे।

अपराह्न 4.08 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

प्राकृतिक आपदाओं के कारण जान-माल की भारी हानि

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, इस चर्चा के लिए दो घंटे का समय आंबटित हो गया है और यह मुद्दा बीमा नियामक विधेयक की तरह ही महत्वपूर्ण है। दोनों विधेयक महत्वपूर्ण है। अतः सभा यदि देर रात तक बैठने को तैयार हो तो बहुत अच्छा रहेगा। वरना नियम 193 के अंतर्गत इस चर्चा को हमें 6.15 बजे तक अवश्य समाप्त कर देना होगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : समय की व्यवस्था उचित प्रकार हो तो यह सम्भव है। वरना कुछ को अधिक और कुछ को बिल्कुल समय नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय : आपका नाम भी सभापतियों की सूची में है। अतः आपको समस्याओं का सही-सही पता होगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं ऐसा ही करती हूँ इसीलिए आपको बता रही हूँ मेरा नाम भी सभापतियों की सूची में है।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह (सिवनी) : धन्यवाद, सभापति जी।

प्राकृतिक आपदाओं से पिछले समय में हुई जान माल की हानि, वर्तमान में भी प्राकृतिक आपदाओं से देश के अनेक हिस्सों में जो जान और माल की हानि हुई है, उस पर यह सदन गम्भीरता से विचार करे, इस बात के लिए यह चर्चा प्रारम्भ हुई है।

मैं बड़े भारी मन से और दुखी होकर अपनी बात प्रारम्भ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस कारण से हम आज तक इतने दिन संघर्ष करते रहे, आज यह पहला अवसर है, जब हमें अपनी बात इस सदन के सामने रखने का अवसर मिला है। मैं इसके लिए आपका आभारी भी हूँ।

जो प्राकृतिक आपदाओं में जान और माल की हानि हो रही है, यह कोई पहली बार नहीं है। यह देश जब आजाद नहीं था, तब भी प्राकृतिक आपदाएं इस देश में आती रही। वर्तमान में जो सरकारें हैं और जिनको आज हमने प्राकृतिक आपदा मान लिया, मेरा व्यक्तिगत मत है कि प्रकृति के परिवर्तन का क्षण होता है, हम पहले दिन से आपदा मान लें, इस बात से मैं तो कम से कम सहमत नहीं हूँ। मेरी मान्यता है कि प्रकृति का हर परिवर्तन किसी समाज या देश के लिए दोनों प्रकार की परिस्थितियां पैदा करता है। वह चाहे तो अभिशाप बन जाये और वह चाहे तो वरदान बन जाये। इसमें कहीं न कहीं जो नेतृत्व होता है, जो समाज का नेतृत्व करता है, चाहे आप उसे सरकार मान लें या समाजसेवक मान लें।

उसकी प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा कि वह प्रकृति का परिवर्तन आपदा बनता है या वरदान बनता है। कुछ जगह पर जहां प्रकृति में परिवर्तन हुए हैं, जैसे लातूर में, गुजरात के सूरत में, मोरवी के बांध की घटना के बारे में सबको मालूम है और वर्तमान में जहां बाढ़ आई है, उसमें गुजरात, बिहार और हमारा पूर्वांचल तथा मध्य प्रदे शामिल है।

जिस कारण से मैं व्यथित हूँ वह जबलपुर में आया भूकम्प है। यह एक बार नहीं आया। पिछली 22 मई की रात्रि को 4 बजकर 22 मिनट पर वह विनाशकारी भूकम्प आया। मैंने लातूर की चर्चा जानबूझकर की है। कहीं न कहीं से तुलना तो करनी ही पड़ेगी। यह आपदा पहली बार नहीं आई, जब आजाद नहीं था, तब से लेकर आज तक ये घटनाएं होती रही हैं। जो सरकारें इसे पहले दिन से आपदा मानकर विनाश मान लेती हैं, मेरा मतभेद इस मूल बिंदु पर है। मैं जबलपुर की चर्चा यहां पर करना चाहता हूँ। उसकी व्यापक वेदना मेरे मन में है। वह सिर्फ यह है कि जो जानमाल की हानि हुई उसकी गम्भीरता को, उसके यथार्थ को देश को नहीं बताया गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि जानमाल की क्षति हुई, उसे छिपाने का प्रयास किया । यह पाप वहां की सरकार ने किया। यह दुःख का विषय है। इसे कहते हुए मैं सदन में प्रसन्न नहीं हूँ, किसी की आलोचना से भी मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूँ। तकलीफ इस बात की है कि सरकार आपदा को चाहती तो वरदान बना सकती थी।

जबलपुर पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां रेलमार्ग नहीं है। ऐसी चीज पर देश को विचार करना पड़ेगा। आज हिन्दुस्तान में जितनी भी आर्डिनेंस फैक्टरीज हैं, उनमें से सर्वाधिक जबलपुर में हैं वहां की सरकार ने इस सरकार को जो सूचना दी तो क्षति के रूप में सिर्फ 36 करोड़ रुपये मांगे। दूसरी बार चर्चा हुई तो 50 करोड़ रुपये मांगें। इंदौर में कृषि मंत्री से 75 करोड़ रुपये मांगे। झाबुआ की सभा में 100 करोड़ रुपये मांगे जाते हैं।

मध्य प्रदेश की सरकार ने पहली दृष्टि में इस भूकम्प के अनुमान में 384 गांवों की गिनती की। आज जो सरकारी आंकड़ा मेरे पास है वह 3200 गांवों को आपदाग्रस्त, क्षतिग्रस्त मानता है।

मेरा दूसरा पक्ष है जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। मध्यप्रदेश की सरकार ने जबलपुर की राजस्व सीमा को आपदाग्रस्त माना। जो भूकम्प का केन्द्र था वह जबलपुर से 20 कि.मी. दूर कोसनघाट नामक गांव में था। जबलपुर की राजस्व सीमा उसके नौ कि.मी. के बाद समाप्त हो जाती है और 82 किलोमीटर जबलपुर की राजस्व सीमा जाती है। उस केन्द्र से 82 किलोमीटर की तरफ पश्चिम और उत्तर के लोगों को राहत मिलत है। नौ किलोमीटर के बाद दूसरा जिला मंडला जो आदिवासी जिला है, वह लगता है। वहां पर जबलपुर की तुलना के बराबर नुकसान हुआ। आज की तारीख तक मंडला की राजस्व सीमा में किसी प्रकार का राहत कार्य नहीं किया गया है। जो आदिवासी झोपड़ी में रहता है, जिसके पास विकास वैसे भी नहीं पहुंचा, वहां सारी झोंपड़ियां टूटफूट गई, लेकिन राहत कार्य शुरू नहीं किए गए। यह आरोप नहीं है। यह सरकार के आंकड़े बताएंगे कि आज तक राहत का एक भी अंश मंडला जिले में नहीं पहुंचा। जबलपुर का पूरा सम्भाग, जब भी हम कागजों में पढ़ते हैं, कभी वहां तीन, कभी चार और कभी पांच जिले हो जाते हैं। आज तक सरकार ने विचार नहीं किया कि भूकम्प का प्रभावी क्षेत्र कितना है। जबलपुर की राजस्व सीमा को छोड़कर यहां गिनती ऐसे की जाती है जैसे कुछ नहीं हुआ। यह ठीक है कि वहां पर मौतें ज्यादा नहीं हुई। क्योंकि लोग अधिक संख्या में नहीं मरे इसलिए भूकम्प की गम्भीरता को लोग मानने को तैयार नहीं हैं।

यह भूंकप लातूर से अधिक भयावह था। चूंकि वहां का रहन-सहन, वहां के घरों का निर्माण, वह गर्मी का मौसम जिसके कारण लोग बाहर सोए हुए थे, लोग नहीं मरे, इसका यह आशय नहीं है कि इस प्राकृतिक आपदा को हम इतने हल्के ढंग से लें। सरकार ने इसके कारणों को जानने का प्रयास नहीं किया, यह मेरी वेदना है। जबलपुर का पूरा संभाग जबलपुर जिले का मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर तथा इसके अलावा सागर संभाग का दमोह जिला भी इससे प्रभावित हुआ। भूंकप के झटकों से होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा, भोपाल, उत्तर प्रदेश से वाराणसी तक तथा महाराष्ट्र का क्षेत्र भी उससे प्रभावित हुआ हैं, आशय यह है कि भूकंप का जो विस्तारित क्षेत्र था, उसकी सीमा का आकलन करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उसके बाद चार तारीख को दूसरी बार भूंकप आया। उसके बीच में 11 झटके आए। चार तारीख को जो भूंकप आया, उसका केन्द्र बिन्दु कुण्डम हुआ। वह 4.2 रेक्टेअर के स्केल पर था। उसने भी तबाही का तांडव मचाया और पूरा कुण्डम ब्लाक जो आदिवासी ब्लॉक है, वहां से लेकर जबलपुर की सीमा तक उसने फिर से तबाही मचाई। सरकार इस बीच में फैसला नहीं कर सकी। हम मध्यप्रदेश के 17 सांसद

[श्री प्रहलाद सिंह]

प्रधानमंत्री जी से मिले। प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया, उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया कि मध्यप्रदेश की सरकार ने इतने हल्के ढंग से लिया है, उन्होनें यथार्थ को बताने में बड़ी कंजूसी की है और मध्यप्रदेश की सरकार ने वहां के पटवारियों से सर्वे कराया है। पटवारियों ने जैसे अंग्रेजों के शासन में गुलाम भारत था, अपनी आदत के मुताबित शायद कोष से पैसा न चला जाए, इस कारण से पटवारियों ने केवल बीस प्रतिशत क्षति की बात सरकार के सामने रखी। दो दिन के बाद सरकार समझी। तीसरे दिन एजेंसी बदल दी गई। डिप्टी रेंजर को सर्वे पर लगाया गया। दो दिन के बाद उनको भी बदल दिया गया। छठे दिन जबलपुर, रायपुर संभाग के सब-इंजीनियर्स को बुलाया गया। तीसरी बार सर्वे शुरू हुआ। अब आप कल्पना कीजिए कि कम से कम जहां पर तीन हजार से ऊपर गांव प्रभावित हुए हों, वहां पर सब-इंजीनियर्स कितनी मात्रा में सर्वे कर सकते हैं। परिणाम यह हुआ कि सर्वे ठीक ढंग से नहीं हुआ। गांव तक सूचना नहीं पहुंच सकी। उसके कारण किसी भी प्रकार से क्षति का आकलन नहीं हो सका और दिनों दिन स्थिति बद से बदतर होती चली गई। सरकार ने कहीं भी पारदर्शिता का परिचय नहीं दिया। सरकार की पारदिर्शता कहीं भी देखने को नहीं मिली।

मैं उस क्षेत्र का सांसद हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र के दो हजार से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। जबलपुर जिले की तीन विधानसभा मेरे क्षेत्र में आती हैं। मैं उन दो हजार गांवों में जा भी नहीं सकता। मैंने पहले दिन से सरकार का कोई विरोध नहीं किया। एक महीने तक भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं क्योंकि वहां पर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि नहीं हैं। विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। एक महीने तक भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने सरकार के साथ मिलकर रचनात्मक सुझाव दिए हैं और सरकार को पूरा सहयोग दिया। कोसमघाट की धरती पर मैं पन्द्रह दिन रहा हूं। हम मुख्यमंत्री जी से मिले। उनको बताया कि मैं तो कांग्रेसी नहीं हूं, आप तो कांग्रेसी हैं। मैंने उनको बिहार के 1934 के भूंकप का उदाहरण दिया। सन् 1934 में बिहार में भी ऐसा ही भूंकप आया था। उस समय यही बरसात का समय था। श्री राजेन्द्रनाथ प्रसाद जी ने एक सैन्ट्रल रिलीफ कमेटी बनाई थी। उस समय अंग्रेज शासन किया करते थे। उन्होंने ऐलान किया था कि कोई भी व्यक्ति सरकार को पैसा न दे, पैसा हमें दे। उन्होंने तीन बिन्दु बनाए कि पहले हमारा कार्यकर्त्ता गांव में जाएगा और पता लगाएगा कि कितने लोग बेघरबार हुए हैं? उनको घर-छाया देने के लिए कितनी सामग्री लगने वाली है? कार्यकर्ता जाते थे, रिलीफ कमेटी के ऑफिस में आया करते थे। वे लोग आकर कमेटी ऑफिस में बताते थे कि इतने घर बनाए जाएं कि जहां पर लोग राहत की सांस ले सकें। उतना सामान वहां पर उन लोगों के लिए डाला जाता था और भोजन की भी व्यवस्था की जाती थी जो लोग शरणार्थी शिविरों में आएं, वे कहीं भूखे न सो जाएं क्योंकि उनको मालूम था कि चौबीस घंटा अगर कोई बरसात से भीग जाएगा तो वह जीवित नहीं बचेगा, मर भी सकता है जबकि भूख से कोई व्यक्ति दो दिन में नहीं मरेगा।

यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए थी। लेकिन आज किसी भी प्रकार की प्राथमिकता का ध्यान यह सरकार नहीं रख रही है और इसने एक नया खेल शुरू कर दिया है। जबलपुर के जिले में हर घर को तीन हजार रूपया प्रति चूल्हा देने का खेल शुरू कर दिया है। इससे राजनीति का खेल शुरू हो गया। हर चूल्हे के चक्कर में घर में बंटवारा हो गया, घर में स्टोव आ गये। अगर किसी घर में चार बेटे हैं ते चार चूल्हे हो गये। सभापति महोदय, वहां पर दो हत्याएं हुई।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें। दो घंटे का समय है और आपको 20 मिनट हो गये हैं। अभी 15 बोलने वाले बाकी हैं।

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : प्रभावित क्षेत्र की पूरी स्थिति माननीय सदस्य बता रहे हैं, इन्हें और टाइम दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपको बता रहा हूं कि दो घंटे का समय उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। वह बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं नहीं सोचता उन्हें किसी के समर्थन की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह : सभापति महोदय, हमारा दुर्भाग्य यही है कि हम किसी मंच पर अपनी बात नहीं रख पाए हैं।

सभापति महोदय : मेरी मजबूरी यह है कि दो घंटे का समय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने दिया है और 15 बोलने वाले आदरणीय सांसद हैं। उनको समय देने की मैंने कोशिश करनी है। यह बात मैं आपके नोटिस में ला रहा हूं। आपके 25 मिनट होने वाले हैं। आप समाप्त करने की कोशिश कीजिए।

श्री प्रहलाद सिंह : सभापति जी, मैं कह रहा था कि सरकार सेंट्रल रिलीफ कमेटी की प्राथमिकताओं का ध्यान नहीं रख रही है। मैंने बार-बार मुख्यमंत्री को लिखकर कहा है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई रचनात्मक काम किया तो सरकार को सुझाव नहीं दिये। मैंने मुख्य-सचिव जो उस आपदा के नियंत्रण के लिए बनाये गये हैं उनको 25 तारीख को पत्र लिखा था। उसमें मैंने लिखा था कि आप किसी को अटैंड मत कीजिए, आप जो कार्रवाई कर सकते हैं वह करें, जो घट गया वह दुखी करने वाला है लेकिन जो आगे आने वाला है वह और अधिक कष्टकारी है। जिनके मकान ढह गये वह तो ढह गये लेकिन जिनके मकान दुर्भाग्य से गिर नहीं पाए हैं, उन्हें सरकार क्षतिग्रस्त नहीं मान रही हैं। यह तो सौभाग्य था कि गर्मी थी और लोग बाहर सो रहे थे, इसलिए मरने से बच गये। बरसात में उनकी मजबूरी है कि बाहर नहीं सो सकते। इन टूटे-फूटे घरों में लोग सोएंगे और मर जाएंगे। आज ढाई महीने के बाद मेरी बात सच साबित हुई है।

जबलपुर महानगर में तीन स्कूल गिरे। यह सौभाग्य था कि स्कूल छूटने के 22 मिनट बाद सारा भवन धराशायी हुआ। दूसरे भवन जो गिरे उनमें तीन छात्र घायल हुए हैं। अगर हम नहीं मर

पा रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि विनाश की गंभीरता को कम करके आंका जाए। मैंने मुख्यमंत्री से कहा था कि हमें उन नेताओं में से नहीं होना चाहिए कि हम किसी समाज को नकारा बना दें। मैं तीन हजार रुपये देने का विरोधी नहीं हूँ। लेकिन मैंने सुझाव दिया था कि हमें एक महीने के बाद आर्थिक सहायता देनी चाहिए। हमें कार्यसूची दी जानी चाहिए। लेकिन सरकार किसी भी बात का ध्यान नहीं रख रही है। प्रधानमंत्री के पास हम सारे सांसद आये थे और उनको आमंत्रित करके गये थे। प्रधानमंत्री का उस समय का जवाब था कि मध्यप्रदेश की सरकार ने किसी भी प्रकार की कार्य-सूची हमारे पास नहीं पहुंचाई है। हमने शिकायत के रूप में इसे मुख्यमंत्री से कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं हमने पहुंचाई है। बात वहीं पर छूट गयी। लेकिन आज की तारीख तक मध्यप्रदेश की सरकार ने कार्ययोजना केन्द्र सरकार को नहीं पहुंचाई है। उन्होंने यह भी कह दिया कि चिदम्बरम जी का वक्तव्य झूठा है। चिदम्बरम जी ने वक्तव्य दिया था कि मध्यप्रदेश की सरकार ने किसी भी प्रकार की कार्य योजना नहीं पहुंचाई है। इस प्रकार की लापरवाही का व्यवहार हमारे लोगों के साथ होता रहा है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैं शहरी और विकास मंत्रालय की स्थाई समिति में हूँ। समिति के चैयरमैन संतोष मोहन देव जी हैं। उस समय एक टूर जा रहा था। उनको मैंने लिखा था कि यह अध्ययन दल जा रहा है तो इससे बेहतर जगह दूसरी नहीं हो सकती क्योंकि जबलपुर महानगर और ग्रामीण क्षेत्र है। शहरी और विकास के मापदंडों को अगर खोजना है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आइये।

हमने सब प्रकार के प्रयास किए, सब प्रकार के सुझाव भी दिए, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। आखिरकार भूकम्प की आपदा गम्भीरतम परिस्थिति में पहुंच गई। आज हम भारी मन से मानने के लिए तैयार हैं कि आज हम भूकम्प की आपदा से पीड़ित हैं। वरदान का समय चला गया है। हमको कोई राहत नहीं मिल सकी है। हमारे कहने पर कोई विश्वास नहीं करेगा। चार महीने के बाद सरकार के तीन-तीन मापदंडों ने साबित कर दिया कि हम गलत बोल रहे हैं या लाभ पाने की कामना से अपनी बात कह रहे हैं। इस कारण सदन में यह बहस गम्भीरता के साथ होनी चाहिए। जबलपुर तो इसका एक उदाहरण है। प्राकृतिक आपदाएं देश में कहीं भी आएं लेकिन कोई तो नीति बनाएं, कोई तो कार्य योजना बनाएं। हम समाज में विश्वास जागृत करें कि हम आपदा से कैसे लड़ेंगे। आपदा तो कभी भी आ सकती है। उसको आमंत्रित करने का कोई कारण है तो हम और आप ही हैं। प्रकृति के इस संतुलन को बिगाड़ने के बाद जो परिस्थितियां बनती हैं उनको दूर करने का दायित्व हम पर है। मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कुछ बिन्दु हैं, जिनको मैं संक्षेप में कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय : आपने 26 मिनट ले लिए हैं। बी.जे.पी. को 33 मिनट का समय एलाट हुआ है। मेरे ख्याल में पटवा जी भी इस पर बोलना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा समय छोड़ सकें तो अच्छा होगा।

डॉ० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : चार बज कर दस मिनट पर यह शुरू हुआ।

सभापति महोदय : मैंने एक-एक मिनट नोट करके रखा है। आप इसकी चिन्ता न करें। मैंने फौज में यही सीखा है कि समय के अनुसार चलना चाहिए।

श्री सुन्दर लाल पटवा (छिंदवाड़ा) : यह लोक सभा है, अगर मैं यहां कहूं कि फौज नहीं है तो कोई गुनाह नहीं करूंगा। ..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं यह मानता हूँ कि फौज और लोक सभा में कोई कम्पेरिजन नहीं है। मैंने केवल यह कहा कि मैंने पंक्चुएल्टी फौज से सीखी है। पटवा जी, इस पर आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई एतराज है तो मुझे इस बात का दुख है।

श्री सुन्दर लाल पटवा : आप व्यर्थ में दुख कर रहे हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि आपने यह चीज फौज से सीखी है।

सभापति महोदय : आपने कहा कि यह लोक सभा है, फौज नहीं। यह कहने का क्या मकसद है? मेरी समझ में नहीं आता।

श्री सुन्दर लाल पटवा : इस बात का मकसद अगर आप जानना चाहें तो मैं बता सकता हूँ।

सभापति महोदय : मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैंने पंक्चुऐल्टी फौज से सीखी है। आपने उस पर टिप्पणी की कि यह लोक सभा है, फौज नहीं है।

श्री सुन्दर लाल पटवा : आप व्यर्थ नाराज हो रहे हैं।

सभापति महोदय : आपने यह मेरे लिए आपत्तिजनक बात कही है। प्रहलाद जी, आप बोलिए।

..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कृपया इंटरप्ट मत करिए। उन्हें बोलने दीजिए।

श्री सुन्दर लाल पटवा : मैंने आप पर गर्व किया है। ..... *(व्यवधान)* आप हमें इस पर बोलने का समय दें।

सभापति महोदय : मुझे जितना समय स्पीकर साहब ने देने के लिए बताया है, उतना मैं दूंगा। मैंने तो आपकी वकालत की थी कि पटवा जी ने बोलना है। इसलिए आप जल्दी समाप्त करने की कोशिश कीजिए।

श्री सुन्दर लाल पटवा : मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ लेकिन आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। मेहरबानी करके मुस्करा कर देखिए।

सभापति महोदय : पटवा जी, मेरे को अपनी तारीफ की इतनी चिन्ता नहीं। अगर कोई फौज को क्रिटिसाइज करें तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि फौज को मैं अपनी मां समझता हूँ। मुझे इसका क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं लगा।

श्री सुन्दर लाल पटवा : आपने क्रिटिसिज्म समझ कैसे लिया ?

सभापति महोदय : यह क्रिटिसिज्म नहीं तो क्या है ? आपने कहा कि यह फौज नहीं लोक सभा है। इसका मतलब लोक सभा बहुत बड़ी चीज है और फौज कुछ भी नहीं ?

श्री सुन्दर लाल पटवा : आप व्यर्थ में गुस्सा हो रहे हैं।

सभापति महोदय : मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मेरे बोलने का यही तरीका है।

श्री सुन्दर लाल पटवा : मैं कह रहा हूँ कि मुझे फौज पर गर्व है। इस देश के प्रत्येक देशवासी को गर्व है।..... *(व्यवधान)* मुझे गलत नहीं समझा जाए। मैं यह कहा रहा हूँ कि फौज का अनुशासन अलग प्रकार का होता है। नागरिकों का अनुशासन अलग प्रकार का होता है। मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता था कि फौज में जैसा आपने अनुशासन का पालन किया, वह सब के लिए गर्व के योग्य है और सबके लिए अनुकरणीय है। अगर आप मुझ से फौजी बनने के लिए कहेंगे तो मैं तो नहीं बन सकता। मैंने तो अपनी डिसएबिलिटी जाहिर की। आप उसको उल्टा समझ रहे हैं।

सभापति महोदय : मेरे ख्याल से हमारा और आपका फौजी बनने का समय निकल चुका है। अब फौजी बनने का कोई समय ही नहीं रहा ?

श्री सुन्दर लाल पटवा : मेहरबानी करके माफ करें। आपने मझे गलत समझा।

सभापति महोदय : नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रहलाद सिंह : कुछ बिन्दु हैं जिनके कारण इसकी गम्भीरता बढ़ जाती है। आर्डनैन्स फैक्ट्रियों का नुकसान तीन हजार करोड़ रुपए तक है। कृषि विश्वविद्यालय ने नुकसान की जो सूची भेजी है उसमें से मुख्यमंत्री जी ने एक करोड़ दे भी दिए। दो हजार करोड़ रुपए पूरे जबलपुर महानगर ग्रामीण क्षेत्र को चाहिए।

रानी अवन्तीबाई सागर बांध, भीमगदा सिवनी में, तवा बांध होशंगाबाद जिला में है और इसके अलावा दो और छोटे बांध हैं जो गोंड नदी के दोनों ओर थे - मैहगांवडूंगा तथा मैहगंवा जो डैमेज हो गये हैं, सरकार ने इस बारे में अपनी कोई राय नहीं व्यक्त की है। मैं सर्वेक्षण की बात पहले ही कर चुका हूँ। साथ में कुछ ऐसे बिन्दु हैं। जिस कारण से यह चिन्ता बढ़ जाती है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी वहां गये थे, उनका जो रवैया था, हम लोगों को जो आशा बंधी थी, वह टूट गई। वहां पर इतना घृणित कार्य हुआ है कि जब प्रधानमंत्री जी वहां गये तो एक महिला कांस्टेबिल को सामान्य नागरिक बनाकर उससे राहत कार्यों के लिए पैरवी करवाई है। यह अखबार में मयफोटो के सारी बात छपी। अब आप कल्पना कीजिये कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो सकता है ? यह कौन सा बिन्दु था जिसके कारण हम लोगों को निराश होना पड़ा। आखिर प्रश्न यह है कि क्यों इतनी गंभीरता को कम आंकने का अपराध किया जा रहा है ? मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ। अभी 15 जुलाई को तीसरा भूकम्प वहां आया.....

सभापति महोदय : आप कितना समय और लेंगे ? आप दो मिनट में समाप्त कीजिये। क्योंकि आपने इतना समय ले लिया है कि इस समय में 5-6 माननीय सदस्य बोल सकते थे। यहां पर 15 लोगों की लिस्ट है।

श्री प्रहलाद सिंह : मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। आखिर में यह बात कहकर समाप्त करूंगा कि इस महीने में ही तीसरा भूंकप आया। यह 2.9 रैक्टेयर स्केल पर आंका गया यह नरसिंहपुर और सिवनी के बीच में आया। इससे साबित हो गया कि सारा क्षेत्र भूकम्प से प्रभावित है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से मांग करना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार और सदन हस्तक्षेप करे और जबलपुर का पूरा क्षेत्र आपदा क्षेत्र घोषित किया जाये। इसके अलावा और भी छोटे सवाल हो सकते हैं लेकिन समयाभाव के कारण और आपके आदेश को ध्यान में रखते हुये यही कहना चाहूंगा कि सारी परिस्थिति की जवाबदेही केन्द्र सरकार की होगी। मैंने सारी परिस्थिति को आपके सामने रखने का प्रयास किया है।

सभापति महोदय : श्री हजारिका। आप मेहरबानी करके समय का ध्यान रखें।

[अनुवाद]

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर) : महोदय, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अपने पूर्व वक्ता से अधिक समय बिल्कुल नहीं लूंगा।

सभापति महोदय : धन्यवाद।

[हिन्दी]

कांग्रेस पार्टी के 28 मिनट हैं और उनकी पार्टी के चार सदस्य बोलने वाले हैं। श्री संतोष मोहन देव ने पांच की लिस्ट दी है, इसलिये बराये मेहरबानी समय का ध्यान रखें।

श्री कृष्णलाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : सभापति जी, मुझे एक निवेदन करना है कि इस विषय पर दो बार पहले डिस्कशन हो चुकी है। बी.ए.सी. ने ढाई घंटे समय तय किया था लेकिन अब थोड़ा रिलैक्सेशन कर दें। विषय की गंभीरता को देखते हुए आप कृपा करें।

सभापति महोदय : शर्मा जी, पहले जो डिस्कशन हुई है, उसमें आप नहीं थे। बात यह है कि इन्श्योरेंस रैगुलेटरी बिल पर आज चर्चा समाप्त होनी है ताकि उस पर वोटिंग कल 12.30 बजे या 1.00 बजे के दौरान पूरी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के जितने

माननीय सदस्य हैं, वे कलकत्ता जा रहे हैं। इसलिये मुझसे पहले यह फैसला चेयरमैन साहब ने लिया है।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति जी, इस पर बहस जरूर होनी है....

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

..... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आप बोल लीजिये।

सभापति महोदय : मैं तो आपके सामने पाइंट रखने की कोशिश कर रहा हूँ....

श्री नीतीश कुमार : यह डिस्कशन इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है। आप याद कीजिये....

सभापति महोदय : आप बीच में मत बोलिये....

श्री नीतीश कुमार : मानसून सैशन में हर साल फ्लड और ड्राउट पर डिस्कशन होता है....

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

..... *(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अप चेयर को बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते। यह गलत बात है। आप बराए मेहरबानी चेयर की प्रतिष्ठा को रखिए।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

..... *(व्यवधान)**

[हिन्दी]

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर आप मुझे इटरप्ट करेंगे तो मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ।

..... *(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप बीच में क्यों बोलते हैं? मैं शर्मा जी को बता रहा था कि ये उस वक्त मौजूद नहीं थे। इंश्योरेन्स रेगुलेटरी बिल पर चर्चा समाप्त करने का फैसला मेरे से पहले जो चेयर पर बैठे थे, वह करके गए हैं। मेरी कोई अथॉरिटी नहीं उस फैसले को बदलने की। इसलिए अगर 193 का डिसकशन लंबा चलेगा तो इंश्योरेन्स रेगुलेटरी बिल का डिसकशन भी लंबा चलेगा और अगर यह सभा रात 10 बजे तक बैठने के लिए तैयार है तो इसका टाइम एक्सटैण्ड करवाइए। जो हाउस कहेगा वह मैं करने के लिए तैयार हूँ।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : सभापति जी, आपसे करबद्ध विनम्र प्रार्थना है कि जो तय हुआ है वह तो ठीक है। उसे हम अनुशासित रूप से मानने को तैयार हैं मगर हम सब सांसदों की भावना यह रही है और हमने पिछले कई सालों से देखा है कि नियम 184 और 193 में जब भी चर्चाएं होती हैं तो निश्चित समय से वह पूर्ण नहीं हो पाती हैं क्योंकि विषय की गहराई और गंभीरता बहुत होती है। यह नेचुरल कैलामिटी की चर्चा है। जिसमें बाढ़, सूखा, चक्रवात और अर्थक्वेक जुड़ा हुआ है। इसके हिसाब से अगर आप अध्यक्ष महोदय से चर्चा कर लें और समय बढ़ा दें तो सब लोगों को जो बात कहनी है वह अपनी बात रख सकेंगे। हम कल भी चर्चा कर सकते हैं। दोपहर के बाद जिन लोगों को जाना है, वह पहले बोल लें।

सभापति महोदय : यह सोचिए कि इंश्योरेन्स रेगुलेटरी बिल के ऊपर और कितने मैम्बर्स बोलने के लिए बाकी हैं। मेरा ख्याल है कि तकरीबन सात-आठ मेम्बर्स उस पर बोलने के लिए बाकी हैं।

..... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम तर्कसंगत तरीके से कार्य करें।

[हिन्दी]

उस पर आठ माननीय सदस्यों ने बोलना है। उसके बाद मिनिस्टर को रिप्लाई भी देना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि उसमें भी दो घंटे लगेंगे या डेढ़ घंटा लगेगा। तो अगर 193 की चर्चा 7 बजे तक चलती है तो उसके बाद डेढ़-दो घंटे के लिए, मतलब 9 बजे तक अगर सदस्य बैठने के लिए तैयार हैं तो इसको हम आधा घंटा एक्सटेण्ड कर देते हैं।

श्री काशीराम राणा (सूरत) : 193 का डिसकशन तो कल भी कंटीन्यू किया जा सकता है।

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : मेरा ख्याल है कि यह रूल्स के मुताबिक नहीं हो सकता है।

[अनुवाद]

नियमानुसार नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा के लिए केवल दो दिन नियत हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : रूल्स तो रिलैक्स किये जा सकते हैं। नैचुरल कैलामिटी पर चर्चा इतनी जल्दी नहीं हो सकती है। आप खुद भी देख लें, आपको भी अनुभव है। आपके यहां हरियाणा में भी बाढ़ आई।..... *(व्यवधान)* आप भी वहां से यहां आकर बोलना चाहेंगे। हर साल मानसून सेशन में इस पर कम से कम सात-आठ घंटे बहस चलती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम चर्चा की अवधि कल तक बढ़ा देंगे। छः बजे हम बीमा नियामक प्राधिकरण विधेयक 1996 पर चर्चा दुबारा शुरू करेंगे और उसे आज समाप्त कर देंगे।

मुझे जानकारी दी गई है कि नियमानुसार नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा को अगले दिन तक बढ़ाया जा सकता है। अतः हम ऐसा ही करेंगे।

..... *(व्यवधान)*

श्री बी.के. गढ़वी (बनासकांठा) : महोदय, कांग्रेस दल के उन सदस्यों के बारे में क्या करेंगे जिन्होंने कल कलकत्ता जाना है? पहले उन्हें अवसर मिलना चाहिए।..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं-नहीं। चर्चा प्रत्येक दल को आबंटित समय के अनुसार ही होगी।

श्री बी.के. गढ़वी : अगर चर्चा आबंटित समयानुसार की जाएगी तो कांग्रेस के सदस्यों को इसमें भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा क्योंकि उन्हें कल कलकत्ता जाना है।..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आपके पीछे खेड़े कांग्रेसी सदस्य के चर्चा में भाग लेने की बारी है।

..... *(व्यवधान)*

श्री बी.के. गढ़वी : महोदय, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उसके बाद बोल सकते हैं और कांग्रेस के सदस्यों को बोलने के मामले में प्राथमिकता दी जा सकती है।..... *(व्यवधान)* पहली प्राथमिकता कांग्रेस के सदस्यों को मिलनी चाहिए..... *(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, बोलने के लिए मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

यदि वे लोग जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं, लेकिन जो समय दिया हुआ है उसके अंदर उनको बात करने दो। 193 में जो डिस्कशन हो रहा है, यह आज ही खत्म होना चाहिए, क्या इसको कल के लिए एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं?

[अनुवाद]

क्या केवल कांग्रेस के सदस्यों को अवसर देने के लिए ही हमें इस चर्चा को समाप्त कर देना होगा?..... *(व्यवधान)*

श्री बी.के. गढ़वी : मैंने यह नहीं कहा कि हमें चर्चा को समाप्त करना है।..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है। अब श्री हजारिका बोल सकते हैं।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर) : धन्यवाद, सभापति महोदय।

असम राज्य भयानक प्राकृतिक आपदाओं से लगातार त्रस्त रहा है। पिछली शताब्दी का इतिहास मृतकों तथा घायलों के दुखी परिजनों की वेदनाओं, अनाथ हुए बच्चों की कराहों तथा वर्ष भर की पूरी मेहनत के बाद बर्बाद हुई फसलों से दुखी किसानों के आंसुओं से भरा पड़ा है। बाढ़ हो या भूक्षरण, भूकंप, भारी वर्षा, तूफान या सूखा, असम का कोई भी भाग, चाहे ब्रह्मपुत्र घाटी हो या बरक घाटी, कोई भी भाग समय-समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित नहीं है।

आज मैं इस सभा का ध्यान विशेष रूप से बाढ़ की ओर दिलाना चाहता हूं क्योंकि बाढ़ और भूक्षरण असम के लोगों के लिए एक तरह का श्राप बन गए हैं। वहां लोग हर साल इस समस्या से जूझते हैं और कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा है।

15 अगस्त, 1950 को जबकि पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उसी शाम असम तथा पूर्वोत्तर राज्यों में विनाशक भूकंप आया जिसे रिक्टर पैमाने पर 8.7 मापा गया था। भूकंप के परिणामस्वरूप न केवल ब्रह्मपुत्र नदी के बल्कि उसकी सभी सहायक नदियों के पाट बढ़ गए और कई नदियों के तटों तथा दिशाओं में भी परिवर्तन हो गया। तब से असम में हर साल तीन या चार बार बाढ़ का प्रकोप होता है। केन्द्र सरकार या राज्य सरकार, किसी ने भी समस्या का दीर्घकालिक हल ढूंढने का प्रयत्न नहीं किया है। चूंकि ये घटनाएं नियमित रूप से हो रही हैं। अतः केन्द्र तथा राज्य सरकार के प्राधिकारियों में तिरस्कार तो नहीं पर एक प्रकार की उदासीनता की भावना जरूर घर कर गई है। उन्होंने इसे एक आम बात मान लिया है। जिसके परिणामस्वरूप भूक्षरण रोकने या बाढ़ नियंत्रण के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। राज्य के लोगों को इसके गंभीर परिणाम झेलने पड़े हैं। लगातार आने वाली बाढ़ें ही राज्य की गरीबी और लोगों के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण हैं।

असम की अर्थव्यवस्था का क्या हो रहा है? यदि हम वहां की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटकों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि उसे ज्यादा नुकसान राज्य में साल दर साल लगातार आने वाली विनाशकारी बाढ़ों के कारण हो रहा है। इस समय असम पूर्ण रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है। तेल और चाय उद्योग के सिवा वहां

कोई और उद्योग नहीं हैं और राज्य के 80 प्रतिशत लोग कृषि सम्बंधी व्यवसायों में ही लगे हुए हैं। किन्तु फिर भी बड़ी मात्रा में खाद्यान्न अथवा विभिन्न खाद्य सामग्री बाहर से मंगानी पड़ती है क्योंकि सिंचाई की कोई सुविधा न होने के कारण असम की 80 प्रतिशत भूमि में केवल एक फसल ही बोई जाती है और उसका भी एक तिहाई भाग हर साल आने वाली बाढ़ों में नष्ट हो जाता है। शीत ऋतु में सिंचाई न होने से कोई फसल भी नहीं होती। सिंचित भूमि के 27 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत की तुलना में असम की केवल 17 प्रतिशत भूमि ही सिंचित है। अतः यह आवश्यक है कि वहां उगाई जाने वाली अकेली फसल, जो वहां के ग्रामीणों - अधिकांशतः किसानों की रोज़ी-रोटी का साधन है, को बाढ़ से बचाया जाए। लेकिन गत वर्षों में हम ऐसा नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण गरीबी और बेकारी बढ़ी है और परिणामस्वरूप उग्रवाद ने पिछले कई सालों से राज्य को ग्रस लिया है।

बाढ़ से न केवल जन-जीवन और सम्पदा की हानि हुई है, बल्कि राज्य के बुनियादी ढाँचे पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है; राजमार्ग और सड़कें टूट-फूट गई हैं, पुल बह रहे हैं, रेल और संचार के दूसरे साधनों पर भी असर पड़ रहा है। राज्य के आर्थिक विकास में एक बड़ी रुकावट साल दर साल आने वाली बाढ़ ही है। अतः बाढ़ की समस्या का प्राथमिकता के आधार पर तुरंत समाधान किया जाना चाहिए।

बाढ़ की इस समस्या का समाधान क्या है? इस सम्बंध में कई अध्ययन किये गए हैं। कई छोटी-छोटी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई हैं और तटबंध बनाए गए हैं लेकिन पता चला है कि ये तटबंध कुछ गांवों की सुरक्षा ज़रूर कर सकती हैं पर दूसरे गाँवों पर इनका असर अच्छा नहीं है। अतः ये एक दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकतीं। तटबंध असम में बाढ़ के प्रकोप को आमतौर पर इसलिए भी नहीं रोक सकतीं क्योंकि हिमालय से निकटता के कारण बाढ़ अन्य राज्यों की अपेक्षा यहां अधिक भीषण रूप धारण कर लेती है। अतः इनसे वहां की जनसंख्या के एक हिस्से के लिए ही समाधान मिल सकता है और वो भी दीर्घकालिक नहीं, बल्कि अल्पकालिक समाधान है। समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए बीस वर्ष पूर्व ब्रह्मपुत्र नियंत्रण परिषद का गठन किया गया था और मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह परिषद् केन्द्र सरकार के लिए एक लज्जा का विषय है क्योंकि कई साल तक इसे निष्क्रिय रखा गया। परिषद के अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों की नियुक्तियाँ हाल ही में की गई हैं। उससे पहले 11-15 वर्षों तक परिषद में कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और यहां तक कि महाप्रबंधक भी नहीं था। विगत में परिषद् ने ब्रह्मपुत्र तथा अन्य नदियों व सहायक नदियों का अध्ययन और सर्वेक्षण किया था। उन्होंने योजनाएं भी तैयार की लेकिन तब यह कहा गया कि योजनाओं का क्रियान्वयन राज्यों द्वारा होगा। ये बहुत बड़ी योजनाएं हैं जिनमें बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है। 15 वर्ष पूर्व ब्रह्मपुत्र नियंत्रण परिषद् ने तीन परियोजनाओं की जांच व सर्वेक्षण पूर्ण करके सर्वेक्षण परियोजना रपट तैयार की है। ये तीनों परियोजनाएं हैं - सुबन्सिरी बाँध परियोजना, दिहंग परियोजना और तेपईमुख परियोजना। आम धारणा यह थी कि इन तीनों परियोजनाओं के पूरा होने के बाद असम मे बाढ़ तथा भूक्षरण की समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा और साथ ही इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं से जल-विद्युत शक्ति तथा सिंचाई की सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। इससे इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसे आरम्भ करते समय अंतर्राज्यीय विवाद उत्पन्न हो गया था। सुबानसिरी और दिहांग जैसी दो बड़ी परियोजनाओं की स्थापना पर अरूणाचल प्रदेश द्वारा इस आधार पर आपत्ति की गई थी कि 150 से 200 की आबादी वाले उनके चार गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे और जलमग्न और जाएंगे। उनका यह कहना था कि वे इन परियोजनाओं को स्थापित करने पर सहमत नहीं होंगे। अतएव यह मामला इतने वर्षों तक अधर में लटका रहा है। परन्तु मैं यह महसूस करता हूँ कि इन परियोजनाओं को स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाने को छोड़कर बाढ़ और भूक्षरण की समस्या का कोई अन्य समाधान नहीं है। मेरा यह मानना है कि यदि ये परियोजनाएं विफल हुई हैं तो इसके लिए हमारे राजनेता ही जिम्मेवार हैं। हम पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की जान के साथ साल दर साल खिलवाड़ करते रहे हैं। इन राज्यों द्वारा एक साथ मिलकर केवल इन चार गांवों के जलमग्न होने की समस्या का समाधान ढूंढ निकालना मुश्किल नहीं था। परन्तु इस मामले में अडियल रवैया अपनाया गया और कुछ लोग इस पर अड़े रहे जिसके कारण इनकी स्थापना नहीं हो पायी। तिपाईमुख परियोजना के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ और मणिपुर ने इसके कुछ गांवों के जलमग्न हो जाने की आशंका से इस परियोजना पर अभी आपत्ति जतायी।

इन परियोजनाओं के ब्रह्मपुत्र से जुड़े होने के कारण इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी होंगे। इसमें चीन, म्यान्मार और बंग्लादेश शामिल हैं। इन परियोजनाओं के ब्यौरे के संबंध में इन देशों के साथ बातचीत किए जाने की आवश्यकता है। परन्तु सम्भवतः ऐसे मामलों में, जहां नदी के तटवर्ती राज्यों अथवा देशों की संख्या एक से अधिक है। जल प्रवाह के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य संबद्ध एजेंसियों से सम्पर्क करने के बारे में विचार करना चाहिए। परन्तु हाल ही में यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि विशेषज्ञों ने समाधान ढूंढ लिया है। मुझे यह बताया गया कि सुबानसिरी और दिहांग परियोजनाओं के मामले में यदि एक बांध की बजाय तीन बांध बनाए जायेंगे तो ये परियोजनाएं आगे बढ़ पायेंगी। अरूणाचल प्रदेश ने भी इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है। मैं यह आशा करता हूँ कि यदि ये दोनों परियोजनाएं शुरू हो जाती हैं, तो असम की समस्याओं का शीघ्र ही समाधान हो जाएगा।

इसके लिए निवेश की राशि कहां से आयेगी? इन दोनों परियोजनाओं के अलावा तिपाईमुख परियोजना के निवेश के लिए एक लाख करोड़ रुपये की भारी राशि के निवेश की आवश्यकता होगी। इससे 20,000 मेगावाट से भी अधिक विद्युत का उत्पादन होगा। जिससे इन सभी राज्यों में भारी क्षेत्रफल भूमि की सिंचाई भी हो पायेगी। यह निवेश अपरिहार्य है और नितांत आवश्यक भी है। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि वह इन दोनों परियोजनाओं के बारे में गंभीरता से विचार करे और यदि तिपाईमुख परियोजना पर गौर न करे तो इन दोनों परियोजनाओं के विशेष रूप से कार्यान्वयन के लिए धनराशि उपलध कराने हेतु प्रयास करे,

[श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका]

क्योंकि इन परियोजनाओं से न केवल पूर्वोत्तर राज्य अपितु देश का शेष हिस्सा, जो कि प्रमुख भूमि है, भी लाभान्वित होगा। यदि हम आज 20,000 मेगावाट की पन बिजली परियोजना अद्यतन लागत पर स्थगित करेंगे तो इस पर संबद्ध पारेषण प्रणाली सहित लगभग एक लाख करोड़ रुपये की लागत आयेगी। हम इस एक लाख करोड़ रुपये की लागत से असम को बाढ़ और भूमि कटाव से बचा पायेंगे। इसके साथ ही हमें पूरे देश के लिए 20,000 से 25,000 मेगावाट सस्ती और शुद्ध पन बिजली उपलब्ध हो पायेगी। परन्तु यह तो बाढ़ की समस्या का दीर्घकालिक समाधान है।

परन्तु हमें यह देखना है कि अल्पावधि आधार पर क्या किए जाने की आवश्यकता है? हम यह देखते हैं कि पर्वतीय राज्यों और असम के सीमावर्ती वनों की तेजी से कटाई हो रही है। इस प्रकार से असम और पूर्वोत्तर राज्यों में वनों की कटाई से बाढ़ और भूमि कटाव की समस्या बढ़ गई है। अतएव नदी के समीपवर्ती पर्वतीय राज्यों में सामाजिक वृक्षारोपण और सघन वृक्षारोपण आरम्भ किए जाने पर बल दिए जाने की आवश्यकता है।

आज हमारी प्रमुख समस्या यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी में गाद जमा हो रही है। तलछटी में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। वनों की कटाई के परिणामस्वरूप भूस्खलन हो रहा है और गाद बहकर नदियों में गिर रहा है। जिससे नदी तट बढ़ रहा है और इसके परिणामस्वरूप नदी जल के प्रवाह क्षेत्र का दायरा बढ़ रहा है। जो कि भीषण बाढ़ का रूप ले रहा है। अतएव इस समस्या का एक हल वनरोपण है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी सरकारों द्वारा ऐसे कदम गंभीरता से उठाए जाने चाहिए। जैसाकि मैंने कहा कि वनरोपण के माध्यम से तलछटी में भराव को कम करने से भूमि के कटाव को कम करने और इस समस्या से निपटने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही राज्यों में बाढ़ का विनाश कम करने के लिए ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों में तलकर्षण को कुछ हद तक कम किए जाने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त कई राज्य सरकारें इतनी बड़ी परियोजनाओं के लिए, धनराशि नहीं दे सकती हैं। इसलिए ये लघु सिंचाई परियोजनाएं, तटबंध और अन्य परियोजनाएं स्थापित कर रही हैं। परन्तु ऐसे कार्य बिना किसी योजना के बेतरतीब तरीके से किए जा रहे हैं। अतएव यह कभी-भी -'कांउटर प्रोडक्टिव'- साबित हो सकता है। समग्र नदी तट के लिए एक मास्टर योजना तैयार की गई है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अपनायी गई लघु सिंचाई परियोजना, तटबंध और अन्य बाढ़ नियंत्रण उपाय इस मास्टर योजना के दायरे में हो। अन्यथा इन तटबंधों से कुछ लोगों को थोड़ी अल्पकालिक राहत मिलेगी। परन्तु दीर्घकालिक आधार पर इससे क्षति होगी।

महोदय, इस समस्या से निपटने के लिए कुछ उपायों के संबंध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक राज्य में बाढ़ से होने वाली क्षति से निपटने के लिए ऐसे बहु-आयामी दल की आवश्यकता होगी जिसमें अभियांत्रिकी, तटबंध, सिंचाई, वन, प्रचार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के लोग शामिल हों। क्योंकि बाढ़ नियंत्रण प्रबंधन एक संघटित प्रक्रिया है। हमें लोगों से बाढ़ से निपटने और इसके साथ जीने के तौर-तरीके के बारे में शिक्षित करना होगा। क्योंकि हम यह देख रहे हैं कि निकट भविष्य में बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्हें समय-समय पर उत्पन्न होने वाली बाढ़ की स्थिति से निपटने के तौर तरीकों के बारे में प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। यह कार्य तभी सम्पन्न हो पायेगा जब मेरे अपने राज्य असम सहित अन्य राज्यों में कोई बहु-आयामी एजेन्सी स्थापित की जायेगी।

अपराह्न 4.58 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुये*]

महोदय, असम राज्य में 22 बाढ़ नियन्त्रण केन्द्र हैं। परन्तु वे समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। यदि बाढ़ का सही-सही अनुमान लगाया जायेगा तो सम्भवतः लोग बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से बेहतर तरीके से निपट पायेंगे।

बाढ़ से संबंधित सभी कार्य राज्यों को सौंपे जा रहे हैं परन्तु पूर्वोत्तर राज्यों के सम्बन्ध में यह नीति आपके निर्णय के आधार पर ही लागू हो पायेगी देश की एकता और अखण्डता बनाये रखने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ अत्यधिक और प्रभावी भूमिका निभाये जाने की आवश्यकता है। चूंकि ये राज्य अलग-थलग पड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, अतएव बाढ़-नियंत्रण और भूमि कटाव जैसे मामलों के साथ-साथ अन्य मुद्दों में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, इस सन्दर्भ में मैं पूर्व प्रधानमंत्री के उस निर्णय का स्वागत करता हूँ जिसमें उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बाढ़-नियंत्रण उपायों के लिए 500 करोड़ रुपये को शामिल करते हुये 6100 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। यह स्पष्ट नहीं है कि यह 500 करोड़ रुपये की राशि आठवीं पंचवर्षीय योजना अथवा नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल है या नहीं। परन्तु, हमारी यह अपेक्षा थी कि यह 500 करोड़ रुपये की राशि आठवीं अथवा नौवीं, पंचवर्षीय योजना, जो भी संगत हो, में आबंटित धनराशि से अधिक हो। यदि उन्हीं बातों को फिर से दोहराया जा रहा है तो इसमें अतिरिक्त धनराशि नहीं होगी इससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अत्यधिक निराशा होगी। यह 500 करोड़ रुपये की धनराशि दिये जाने के बाद भी आरम्भ में और धनराशि की आवश्यकता होगी परन्तु हम इस पहल का स्वागत करते हैं और हम ये आशा करते हैं कि केन्द्र सरकार इस मंजूरी के मामले में निष्ठावान है और वह बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए राज्य को पर्याप्त धनराशि उपलबध करायेगी।

अपराह्न 5.00 बजे

परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस 500 करोड़ रुपये की राशि में से 1997-98 में केवल 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है इसके परिणामस्वरूप असम की जनता में कतिपय भ्रान्तियां उत्पन्न हो गयी हैं। अतः इस 500 करोड़ रुपये की

धनराशि को निश्चित रूप से दिये जाने के बारे में पुनः आश्वासन देने की आवश्यकता है। चालू वर्ष के दौरान कार्यान्वयन के लिये योजनाओं के तैयार न होने के कारण केवल 20 करोड़ रुपये की धनराशि ही जा रही है। परन्तु यह 500 करोड़ रुपये की राशि राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिये उन योजनाओं के लिए जारी की जानी चाहिये। जिन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है।

इसी तरह प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज में पगलाड़िया बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए 480 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी गई है। परन्तु, इसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि असम में बाढ़ नियन्त्रण और भूमि कटाव के मामले में ब्रह्मपुत्र नियन्त्रण बोर्ड की पहल अथवा इसकी निगरानी में शुरू की गयी योजनाओं के लिये केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। केन्द्र ने जो निर्णय लिया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण नीति संबंधी निर्णय है यह निर्णय निष्ठा से कार्यान्वित कर दिया जाता है तो इससे न केवल असम राज्य ही बचेगा अपितु समस्त पूर्वोत्तर राज्य बच जायेंगे। लेकिन चूंकि केन्द्र को यह भार वहन करना है तो इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने में विलम्ब नहीं होना चाहिए। चूंकि केन्द्र को शत प्रतिशत भार वहन करना है। अतः इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने में विलम्ब के लिए बहाना नहीं बनाना चाहिए। मैंने पाया कि लम्बी-लम्बी चर्चाएं हो रही हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय निगरानी के बावजूद पगलाडिया बहुउद्देश्यीय परियोजना अधर में लटक गई है अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस पर और गंभीरता से विचार करे तथा परियोजना को अविलम्ब स्वीकृति दी जाये।

अन्त में मैं भूकम्प पर आता हूँ। आज के वाद-विवाद का कम से कम असम के लोगों के लिए बड़ा महत्व है। क्योंकि वर्ष 1997 उस भारी विध्वंसक भूकम्प का शताब्दी वर्ष है जो 1897 में असम तथा पूर्वोत्तर राज्यों में अया था। यह भूकम्प 12 जून को आया था। उस भूकम्प का प्रभाव इतना भारी था कि मेघालय में शिलांग सहित समस्त पूर्वोत्तर राज्य उससे प्रभावित हुए थे। लोग यह सोचते थे कि 100 वर्षों के पश्चात् फिर भूकम्प आ सकता है। मुझे बताया गया है कि हमारी बीमा कम्पनियों ने इसके परिणाम स्वरूप अकेले शिलांग में बतौर प्रीमियम लगभग 4.5 करोड़ रुपये एकत्रित किये थे क्योंकि क्षेत्र विशेष में हुई भूकम्प की भविष्यवाणी से होने वाले खतरे, नुकसान के कारण लोग अपने मकानों का बीमा कराने की जल्दी में थे। श्री नेगी नामक एक भू-भौतिकीवेत्ता ने भविष्यवाणी की है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के हिस्से में 100 वर्ष के बाद एक बार फिर विध्वंसक भूकम्प आयेगा।..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रह्लाद सिंह : जबलपुर के भूकम्प पर भी कुछ बोल दें।

[अनुवाद]

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : यह जबलपुर का ही भूकम्प था जिसने पूर्वोत्तर राज्यों में जागृति पैदा की। वहां के लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया था कि यदि भूकम्प जबलपुर में आ रहा है तो इसे पूर्वोत्तर राज्यों में आते देर नहीं लगेगी। यही कारण है कि वहां एक तरह का उन्माद पैदा हो गया था।

श्री नेगी जी, भूभौतिकीवेत्ता ने अपने भूकम्प सम्बंधी अनुमानों के आधार पर ही भविष्यवाणी की है कि उतना ही शक्तिशाली एक अन्य भूकम्प 100 वर्षों के पश्चात् आयेगा। 1897 का भूकम्प रिएक्टर स्केल पर 8.7 दर्ज किया गया था जो न केवल भारत अथवा एशिया में विश्व के आज तक के रिकॉर्ड किये गये भूकम्पों में सबसे भंयकर था। इसमें लाखों लोग मारे गये थे। यह 1897 के भूकम्प का शताब्दी वर्ष है। अतः असम के लोग विशेषकर विनाश व्यवस्था सम्बंधी मामले के लिए इस सम्माननीय सभा से सांत्वना मार्गदर्शन की आशा करते हैं।

चूंकि हमने अमरनाथ यात्रा में सैकड़ों लोगों की मौत के सम्बन्ध में यह देख लिया है कि चाहे धार्मिक स्थलों की तीर्थयात्रा के कारण मौतें हुई हों अथवा चाहे सूखा अथवा वर्षा अथवा तूफान अथवा भूकम्प अथवा बाढ़ों के कारण मौतें हुई हों हमारी प्रतिक्रिया अधिकतर अनियोजित और अनिर्धारित रही है। हमारी कोई योजना अथवा सुविचारित राय नहीं रही है। हमने इस मुद्दे पर विचार नहीं किया है कि जब भविष्य में भूकम्प आयेगा तो हम विनाश से कैसे निपटेंगे।

अतः हमारे देश में व्यापक तथा सुविचारित विनाश व्यवस्था सम्बन्धी नीति की आवश्यकता है। ताकि जब कभी ऐसी विभीषिकाएं आयें तो हमें इधर-उधर भटकने, बेतरतीब तरीके से कोई कार्य करने की बजाय हमें यह जानना चाहिए कि अब क्या किया जाये, किसके द्वारा किया जाये, किस समय किया जाना तथा किस प्रकार के संसाधनों से इस विभीषिका से निपटा जाये।

मुझे आशा है कि 1897 के शताब्दी वर्ष का भूकम्प हमें इस मुद्दे से गंभीरतापूर्वक तथा व्यापक विवेकपूर्ण विनाश व्यवस्था सम्बन्धी नीति बनाने के लिए बाध्य करेगा। मैं एक विशेषज्ञ दल के समाचारपत्र से निम्नलिखित उद्धृत करके अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूँ जिसमें प्राकृतिक आपदाओं के बारे में इस प्रकार कहा गया है :

> "भारतवर्ष में 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि क्षेत्र बाढ़ प्रवण है जिसमें बाढ़ से औसतन वार्षिक बाढ़ विनाश 937.56 करोड़ रुपये का होता है। देश की 5700 कि.मी. तटीय रेखा उष्ण कटिबंधीय तूफान ग्रसित है जिसमें औसतन 200 करोड़ रुपये की हानि होती है जो कई बार 400 करोड़ रुपयों से भी अधिक हो जाता है। देश के कुछ क्षेत्र के लगभग 68 प्रतिशत क्षेत्र में भूकम्प आने की संभावना रहती है। लातूर भूकम्प के पुनर्वास पर लगभग 1044.06 करोड़ रुपये खर्च हुए इस भूकम्प में 8089 लोग मारे गये और 1100 करोड़ रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ।
>
> आने वाली उस पीढ़ी - जिसके पास अपनी खाली भूमि नहीं है और जिनका सामाजिक और भौतिक परिवेश बहुत ही जटिल होगा को विपत्तिजनक परिस्थितियों का लगातार और अधिकाधिक सामना करना पड़ेगा। कदाचित् ऐसे अनेक शहर,

[श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका]

जो वर्तमान आधारभूत ढांचा विशेषकर जल, (मल व्ययन) सीवेज, बिजली के भार से सामान्य परिस्थिति में पहले से ही टूटने की कगार पर हैं, तो किसी संकट के उत्पन्न हो जाने या व्यापक तौर पर हालत बिगड़ने की स्थिति में परिस्थितियों का सामना कैसे करेंगे। अतः प्राकृतिक आपदाओं का आज विश्व के अनेक भागों में न केवल वर्तमान पीढ़ी, अपितु भावी पीढ़ी को भी गरीबीग्रस्त बनाये रखने में बहुत बड़ी भूमिका होगी।

विकासशील देशों में आपदाओं का दुष्प्रभाव अधिक होता है जहां अधिक विकसित देशों की तुलना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 20 गुणा अधिक का नुकसान होता है।

आपदाएं और निर्धनता एक दूसरे की प्रेरक होती हैं। आपदाओं, विशेषकर लगातार आने वाली आपदाओं का निवेश और उद्यम संबंधी प्रोत्साहनों में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

आपदाओं का अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्र में, तथा उन देशों में जहां यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आपदाओं के कारण हमें जो हानि होती है, उसे लगातार कम करके आंका जाता रहा है, और विकासशील देशों के लिए आपदा से उबरने की तुलना में आपदा को टालना न केवल किफायती है बल्कि यदि सतत विकास सचमुच हमारा लक्ष्य है तो यह आवश्यक है कि सभी विकास कार्यक्रम और योजना कार्य में आपदाओं से संबंधित चिंतनों को शामिल किया जाये। विशेषकर विपदाओं से लगातार आक्रान्त होने वाले क्षेत्रों में, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां आपदा निवारण और शमन कार्य उन्नत चरण में है, किया जाने वाला कार्य अनावश्यक और दुर्लभ विकास संसाधनों की बर्बादी है।''

विशेषज्ञ दलों के विचार यहां पढ़े जाने के बाद मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र के पृष्ठ 61 और 62 में बाढ़ नियंत्रण और आपदा नियंत्रक का उल्लेख इस अध्याय के शीर्षक मात्र में किया गया है। इस अध्याय के अन्दर इसका कोई उल्लेख नहीं है। अतः यह प्रतीत होता है कि सरकार और यहां तक कि योजना आयोग भी आपदा प्रबंधन और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन तथा निवारण के इस पहलू पर बहुत कम ध्यान दे रहे हैं।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सरकार प्राकृतिक आपदाओं की गंभीरता और इनका लोगों तथा अर्थव्यवस्था की प्रगति पर पड़ने वाले परिणामों पर ध्यान दे और एक व्यापक तथा तर्कसम्मत आपदा प्रबंधन नीति निर्माण के कार्य पर ध्यान दें।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : धन्यवाद, महोदय। मैंने गत दिनों के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र का पैदल, साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, तीव्र गति से चलने वाली नौका और साधारण नौका पर दौरा किया। मैंने वहां एक समुद्र बन जाने जैसी स्थिति देखी। जमीदारों और सिंचाई विभाग द्वारा बनाए गए अधिकांश बांध टूट चुके हैं। जल निकासी के लिए उचित समय निर्धारित नहीं किया गया था। हालांकि समय बहुत कम है फिर भी मैं माननीय कृषि मंत्री और ग्रामीण रोजगार मंत्री का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। मुझे मालूम है कि आपको पूरी सूची उपलब्ध कराने में कुछ समय लगेगा परन्तु मैंने वहां देखा है कि वहां पशु-चारा बहुत ही कम है। वहां पर गायों के लिए चारा; लोगों के लिए चावल और दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 76000 मकान पहले ही ढह गए हैं तथा कुछ अनेक और मकान ढहने की संभावना है क्योंकि वहां निरंतर वर्षा होती रहती है और सूर्य की धूप पहुंचने में कुछ समय लगता है।

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेरी विभाग को छोड़कर) और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण और खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : आप सरकार से रिपोर्ट भेजने के लिए कह सकते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हमारी सरकार रिपोर्ट देगी। हमारी सरकार रिपोर्ट भेज देगी और तत्पश्चात् आप राज्य के साथ समायोजन कर सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कुछ तदर्थ सहायतानुदान भिजवा दें। मैं आपको अग्रिम सूचना दे रही हूँ।

जो कुछ मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बताया है वैसी ही स्थिति अन्य स्थानों की भी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में चिंतित हूँ। पूरा मिदनापुर जिला बाढ़ की चपेट में है। इसके अलावा, केरल, कर्नाटक, गुजरात और बिहार के साथ मेरी सहानुभूति है। उनमें से कई राज्यों ने अपनी मांगें कृषि मंत्रालय को पहले ही भेज दी हैं। मुझे आशा है कि मंत्रालय उनकी मांगों पर उचित ध्यान देगा। जैसा कि मैंने कहा कि कुछेक मामलों में कुछ तदर्थ सहायता अनुदान भी भेज दिया गया है।

हाल ही में मध्य प्रदेश में आए भूकंप के कारण उसका एक हिस्सा तहस-नहस हो गया है। जैसा कि आपको स्मरण होगा वर्ष 1934 में बिहार में हमारे समय का सबसे भयंकर भूकम्प आया था। भूकम्प के कारण जिन लोगों को नुकसान पहुंचा उन्हें सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

जैसा कि मैंने कहा है, हमारे जिले में 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहले ही ध्वस्त हो गए हैं और अभी वर्षा होनी बाकी है। स्थिति बिगड़ती जा रही है। दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। वहां और अधिक दवाइयां भेजी जानी चाहिए। मकान बनाने के लिए और अधिक धनराशि प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि इस समय मकान बनाने के लिए दी जाने वाली सहायता राशि इतनी कम है कि इससे एक बरामदा तक भी नहीं बनाया जा सकता। इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करके केंद्र तथा राज्य सरकार की सहायता से किसी भी तरह उस स्थिति पर काबू पाना होगा। इस कार्य में पूर्ण समुदाय को शामिल करना होगा क्योंकि गैर-सरकारी संगठनों को इस कार्य में सम्मिलित करके तथा उनकी सहायता से ही हम इस भंयकर स्थिति का सामना कर सकते हैं।

इस संबंध में पहले से योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। मैं और अधिक नहीं बोलूंगी क्योंकि समय बहुत कम है। प्रत्येक मामले में अग्रिम चेतावनी देने की व्यवस्था होनी चाहिए। शुरू से ही ऐसे स्थानों के मुख्यालयों पर आवश्यक राहत सामग्री तैयार रखी जानी चाहिए। ये ऐसी कुछ ध्यान दिए जाने योग्य बातें हैं। लेकिन कुछ ही राज्य सरकारें बाढ़ आने से काफी समय पूर्व इस प्रकार की सामग्री की व्यवस्था करती हैं।

मैंने अभी एक ऐसी कोई सरकार नहीं देखी है जो भविष्य में बाढ़ के आने के पूर्व पूरी तैयारी कर लेती है। केवल बाढ़ आने के बाद ही संपूर्ण प्रक्रिया आरम्भ होती है। मुझे आशा है कि इस विशेष स्थिति में इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा के कारण समूचे देश में बड़ी मुसीबत में फँसे हुए लोगों को तुरन्त और समुचित धन मुहैया कराई जाएगी और इसके लिए अग्रिम योजना बनाकर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात इस आशा के साथ समाप्त करती हूँ कि यह चर्चा संक्षिप्त होगी। परन्तु कभी-कभी लम्बी चर्चा की अपेक्षा संक्षिप्त चर्चा के अच्छे परिणाम निकलते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुखराम (मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले महीने तीस तारीख को 11.30 बजे मंडी जिले के एक हिस्से में जो मेरे पार्लियामेंट का हिस्सा है, वहां भूकंप के झटके आए और उसमें भी सुंदर सब-डिवीजन जहां एपिक सेंटर है, ऐसा कहा जाता है कि वहां पर काफी नुकसान हुआ। एक तारीख को कुछ हिस्से में बहुत बारिश हुई। मैंने स्वयं भ्रमण किया और यह देखा कि खासकर जो हरिजन बस्तियां और माइनॉरिटी के मुसलमानों की बस्तियाँ हैं, वहां पर काफी नुकसान हुआ है। लोग बेघरबार हो गए हैं और मैंने देखा कि लोग बारिश में भीग रहे थे क्योंकि मकान उनके गिर चुके थे। कुछ लोगों के पास मैंने त्रिपाल देखे लेकिन त्रिपालों से बारिश से उनकी रक्षा नहीं हो सकती थी। कुछ मकान ऐसे हैं जो कि पारशियली डैमेज हुए हैं लेकिन वे रिहाइश के काबिल नहीं हैं और ऐसा कोई मकान नहीं बचा होगा जिसमें डैवलप न हुआ हो। वे मकान खतरनाक हो गए हैं आज भी मुझे सूचना मिली है कि प्रांतीय सरकार की तरफ से जो रिलीफ मैजर वहां दिए जाने चाहिए थे, जैसे टैन्ट वगैरह, वह कुछ नहीं दिए गए हैं। वहां पर घोषणा तो हुई कि जिनके मकान गिर गए हैं, उनको पन्द्रह हजार रुपए दिए जाएंगे और जिनके मकान खतरनाक हो गए हैं, उनको आठ हजार रुपये दिये जाएंगे। लेकिन मेरी सूचना के मुताबिक उनको दो-तीन हजार रुपया मुआवजा दिया जा रहा है जो कि बहुत से लोगों ने लेने से इंकार कर दिया है।

मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि अभी पीछे असेम्बली के चुनाव में जो मुख्यमंत्री जी का चुनाव क्षेत्र है, वहां पर गुज्जरों की नौ गौशालाएं जलीं। उसमें पशु का नुकसान नहीं हुआ लेकिन मुख्यमंत्री जी वहां गए, उनको जाना चाहिए था, उनका अपना चुनाव क्षेत्र है। वहां पर 14 लाख रुपया दिया गया और जबकि मंडी जिले में सुंदर नगर में जहां काफी नुकसान हुआ है, वहां लोगों को सिर्फ दो-तीन हजार रुपए दिए जा रहे हैं यह भेदभाव की रीति है। मैंने कल प्रधानमंत्री जी से मिलकर यह बात उनके ध्यान में भी लाई है कि वहां लोग भारी परेशानी में हैं। वहां पुराना मंदिर और एक पुरानी मस्जिद क्षतिग्रस्त हो गई है। लोग बड़ी परेशानी में है। हालांकि आजकल स्कूल बंद हैं और अन्य कोई शैल्टर अगर उनको नहीं दिया जा सकता था तो लोगों को स्कूलों में रखा जा सकता था लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था वहां पर नहीं की गई है। मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि कम से कम पचास लाख रुपए की एडहॉक एलॉटमेंट इमीजिएट रिलीफ के रूप में देने के लिए घोषणा करें और सुबह जीरो ऑवर में यहां पर चर्चा हो रही थी।

यहां जो सांसदों को डिस्क्रीशनरी फंड दिये जाते हैं उसमें व्यवस्था है कि गरीबों के मकान बनाने के लिए उसमें से रूपया दिया जा सकता है। लेकिन ऐसे रिलीफ उपायों में उसको भी शामिल कर लिया जाए। लेकिन एक विचित्र स्थिति हिमाचल प्रदेश में पैदा हुई है। मैं समझता हूँ कि वह इस देश में पहली मिसाल है। वहां राजनीति से प्रेरित होकर एक सिविल सूट हाई-कोर्ट में मेरे खिलाफ किया गया है कि जो कि रुपया दो-तीन हल्कों को दिया जाना चाहिए था वह नहीं दिया गया और वहां बिना मेरे पूछे मेरे खिलाफ हाई-कोर्ट ने स्टे-आर्डर किया है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन उसमें हैरानी की बात यह है कि स्टे ऑर्डर होने से पहले, जो मैंने मौके पर, क्षेत्र में जाकर, लोगों की उचित मांग को देखते हुए, एलोकेशन किया, वह भी बंद कर दिया गया। यह हुआ है मेरी डिस्क्रीशनरी ग्रांट्स पर। अगर स्टे-आर्डर नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि जो भी कायदे के मुताबिक, हल्कों को, रुपया मैं दे सकता था, दे देता। लेकिन स्टे-ऑर्डर की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ट्राइबल एरिया के तीन एसेम्बली हल्के मेरे पार्लियामेंटरी क्षेत्र में हैं, इल्जाम है कि वहां पैसा नहीं दिया गया है। इसके लिए दो-ढाई सालों में मैं 15-20 लाख रुपया मैं वहां दे देता। मेरे हल्के में 17 चुनाव क्षेत्र हैं। एक करोड़ में से साढ़े पांच लाख रुपये के लगभग एक क्षेत्र में आता है, वहां नहीं दिया गया है यह मैं मानता हूँ। लेकिन उनकी समस्या यह नहीं है क्योंकि उनके लिए ट्राइबल सब-प्लान है और लिमिटेड सीजन में पैसा खर्च नहीं होता। उनकी समस्या है कि बर्फ पड़ती है पांच-छः महीने के लिए ये लोग प्रदेश और देश से कट जाते हैं। लेकिन मैंने प्राथमिकता के आधार पर उनको सैटलाइट के माध्यम से करोड़ों रुपया खर्च करके देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ दिया है। आप हिन्दुस्तान के किसी भी क्षेत्र में टेलीकम्युनिकेशन नेट-वर्क में कमी महसूस कर सकते हैं लेकिन वहां पर मैंने सारे विश्व से उस ट्राइबल क्षेत्र को जोड़ दिया है। यही वजह है कि पिछले चुनाव में बावजूद इसके कि राजनीतिक रंग देकर मुझको बदनाम करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन मुझे वहां से, उस ट्राइबल क्षेत्र से सबसे ज्यादा वोट आये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो अदालत का फैसला है उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन क्या इसी प्रकार से राजनीति से प्रेरित होकर मुकदमें किये जाएंगे। अगर इसी प्रकार से डिस्क्रीशनरी ग्रांट्स बंद होंगी और स्टे-आर्डर होंगे, तो किस प्रकार से डिस्क्रीशनरी ग्रांट्स को, उस रुपयों को आप उचित ढंग से खर्च कर सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस बारे में

[श्री सुखराम]

भी सम्माननीय सदन को गहराई से सोचना है। जहां तक इस ट्राइबल क्षेत्र की बात है। तो मैंने सैटलाइट के माध्यम से अब आपकी बात जाती है तो इसमें हर स्टेशन आ जाता है, जो केवल दिल्ली में था। मैंने उन दूर-दराज के लोगों के लिए हर स्टेशन हिमाचल प्रदेश में ही बना दिया है जोकि पंजाब, हरियाणा, यू.पी. वगैरह के लिए एक ही स्टेशन दिल्ली में था। यह मैंने योगदान दिया है, जिसके लिए मुझे आज यह सजा दी जा रही है। अपनी डिस्क्रीशनरी ग्रांट्स को मैं वहां के परेशान लोगों के मकान बनाने के लिए दे सकता, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब्जैक्ट पर बोलिये।

श्री सुखराम : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है और सरकार से निवेदन है, मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कि खुलेतौर पर, राजनीति से प्रेरित होकर, मतभेद हो रहा है। इस राजनीति से ऊपर उठकर, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा और माननीय मंत्री जी से भी कि खुले तौर पर वहां रुपया दिया जाए ताकि जो लोग परेशान हैं वह अपनी परेशानी से मुक्त हो सकें।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम लोग देश के विभिन्न हिस्सों में प्राकृतिक आपदाओं के चलते जान और माल की जो क्षति हुई, उस पर चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जैसे इलाके में भूकम्प के कारण तबाही हुई, उड़ीसा में सूखे के चलते तबाही हो रही है और वही बिहार जैसे राज्य में ज्यादा वर्षा के कारण तबाही हुई। कृषि मंत्री जी के निर्देश पर आज जो कागज साईंस एंड टैक्नॉलाजी के सचिव श्री वी.एस. राममूर्ति का हमें मिला है, उसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसमें देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की स्थिति जुलाई के अंत तक क्या रही, उसके बारे में विस्तृत विवरण है। हमें यह कागज पहली बार मिला है। इस कागज पर देखने के बाद यह बात सामने आ जाती है कि देश के किस हिस्से में कितनी वर्षा हुई? जुलाई के आखिर में ज्यादा वर्षा हुई। 1997 में जुलाई के अंत तक अतिवृष्टि का जो असर हुआ, वह बिहार के पठारी इलाकों, मैदानी इलाकों, पश्चिमी राजस्थान और लक्ष्यद्वीप से ज्यादा वर्षा होने से हुआ। बिहार के मैदानी इलाकों में सामान्य से 49 परसेंट ज्यादा वर्षा हुई और बिहार के पठारी इलाकों में सामान्य से 22 परसेंट से ज्यादा वर्षा हुई। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जो हमें कागज वितरित किया गया, उसके आधार पर यह बात सामने आती हैं। सामाचार पत्रों में जो खबरे छपी हैं, उनके मुताबिक देश के कई हिस्सों में बाढ़ आई है। केरल में बाढ़ आई, असम में परम्परागत तौर पर बाढ़ आई और दूसरे कई हिस्सों में बाढ़ आई लेकिन बिहार में जून के आखिर में और जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में इतनी अधिक वर्षा पिछले कुछ वर्षों में कभी नहीं आई थी। इसके कारण बरबादी बहुत ज्यादा हुई। यह हाल के वर्षों में सबसे अधिक बरबादी का वर्ष माना जाता है। इससे पहले 1976 और 1987 में ज्यादा वर्षा हुई थी और इसके कारण बाढ़ आई। बरबादी इस बार बहुत ज्यादा हुई। 27 जिलों में ज्यादा वर्षा के कारण बाढ़ का बहुत बुरी तरह असर पड़ा। नतीजा यह हुआ कि पटना जैसे शहर में 10-12 दिन तक नाव चली। लोग अपने घरो में बंद रहे। पटना के बाहर का जो इलाका है और बाढ़ जो कि मेरा संसदीय क्षेत्र है और नालन्दा में भयंकर बरबादी हुई। शायद ही कोई सड़क बच पायी हो जो कि ध्वस्त नहीं हुई हो। नेशनल हाईवे को छोड़कर जितने स्टेट हाईवेज थे, बरबाद हो गए। जो रूरल रोड्स हैं, जो ग्राम अभियंत्रण संगठन के अन्दर सड़कें आती हैं, उनकी चर्चा करना बेकार है। वहां कोई सड़क नहीं बची। पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कें जिन्हें स्टेट हाईवे कहा जाता है, सभी बरबाद हो गईं। नालन्दा और पटना जिले में स्थिति बहुत खराब थी। वहां सभी सड़कें बरबाद हो गई। बिहार के 27-28 जिलों में हालत खराब रहीं। पूरे मध्य बिहार का वही हाल, जहानाबाद का वही हाल, मुंगेर का वही हाल था। जिस जिले का नाम लें, उसका वही हाल रहा।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मधुबनी जिले से आते हैं, उस जिले की बहुत तबाई नहीं हुई है। मैं इस बात को देख रहा था और वहां की जानकारी के आधार पर लगता है कि हालत इतनी बुरी हुई है लेकिन किसी प्रकार के राहत कार्य नहीं चलाये जा रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि .....*(व्यवधान)* मंत्री जी क्या कह रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : वे कह रहे हैं कि सरकार की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं आई।

श्री नीतीश कुमार : मैं भी वही कहना चाहता हूँ जो वह कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि वे अपने श्रीमुख से कहें। हम लोगों का यह आरोप है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पुनपुन ब्लाक पड़ता है जहां पर बाढ़ पीड़ित लोग राहत मांगने के लिये इकट्ठे हुये। लगातार वर्षा हो रही थी तो यह प्रचार किया गया कि जिन गरीब, पिछड़े और अनुसूचित जाति के लोगों के घर गिर गये हैं, उनको पोलीथीन दिया जायेगा ताकि वे अपने सिर को ढक सकें। जब 2-3 हजार लोग पहुंचे तो बी.डी.ओ. और सी. ओ. गायब थे। लोगों को थाने में जाकर शरण लेनी पड़ी। इतने सारे लोग थे लेकिन पोलीथीन का 100 टुकड़ा था। यह पटना से 16 किलोमीटर की दूरी पर है लेकिन अंत में अधिकारी लोग इन लोगों को खदेड़ने के लिये गोली चला देते हैं। उससे 10 किलोमीटर आगे जाकर मसौढ़ी ब्लाक, जो रामाश्रय बाबू के निर्वाचन क्षेत्र में आता है, वहां पर भी गोली चलती है। वहां भी बाढ़ पीड़ितों के लिये राहत नदारद लेकिन वहां की सरकार बहुमत और अल्पमत के खेल में लगी थी कि बहुमत का जुगाड़ कैसे किया जाये। सरकार को बहुमत की चिन्ता थी, उसे बाढ़ पीड़ितों की कोई चिन्ता न थी।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी 29 जुलाई को इसी सदन में श्री के. पी. सिंहदेव और श्री कोडीकुनील सुरेश के एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि किस-किस राज्य से पैसे की मांग आई है। अब आन्ध्र प्रदेश में हेल स्टार्म के लिये, गुजरात और केरल से फ्लड के लिये, मध्य प्रदेश से भूकम्प के लिये और सिक्किम से भू-स्खलन के लिये मांग आई। इसमें बिहार का कोई नाम नहीं। आप जानते हैं कि मौसम विज्ञान विभाग ने सबसे ज्यादा तबाही

बिहार के बारे में बताई है। यदि इस हिसाब से देखा जाये तो बिहार में अधिक तबाही हुई और वहां से मांग आनी चाहिये थी। उपाध्यक्ष महोदय, हम यहां पर हर मानसून सैशन में बाढ़, सूखा पर चर्चा करते हैं लेकिन यहां पहली बार देखा गया है कि बाढ़, सूखा, भूकम्प और भू-स्खलन से जो प्रभाव हुआ, सबको एक साथ मिलाकर चर्चा कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है कि एक राष्ट्रीय आपदा कोष बना हुआ है जिसमें राज्य को 75 प्रतिशत दिया जायेगा और 25 प्रतिशत राज्य खुद खर्च करेगा। हम दो किश्त दे चुके है, एक किश्त विमुक्त कर चुके हैं आदि-आदि। यह राष्ट्रीय आपदा कोष बना हुआ है लेकिन इसमें पैसा नाकाफी है। उसमें पांच साल के लिये केवल 700 करोड़ रुपया है जिसमें से 539 करोड़ रुपया विमुक्त किया जा चुका है। मैं नहीं जानता अगले वर्ष ऐसी स्थिति पैदा होने पर सरकार क्या कर पायेगी? जब मंत्री जी ने व्यापक प्रश्न का व्यापक उत्तर दिया तो अब भी यही आंकड़े हमारे सामने रख देंगे कि कहां से मांग आती है और हमने इतनी राशि विमुक्त कर दी है। इस पैमाने का है। इसलिए वहां पर हम नेशनल फंड फॉर कलामिटी रिलीफ से कुछ राशि रिलीज़ करेंगे, यह जवाब वह देंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जब हम गौर करेंगे और स्टेट्स का केलामिटी रिलीफ फंड देखेंगे तो बिहार जैसे राज्य में जिसकी आबादी इस देश का 10 प्रतिशत है और जो बाढ़ में और सूखे की बराबर चपेट में आता रहता है।

एक समाचार अभी कुछ दिन पहले समाचार-पत्रों में छपा कि हिमालय में नेपाल में एक ऐसा ग्लेशियर है जो पिघलने जा रहा है और वह पिघलेगा तो उससे आठ करोड़ घन फुट पानी निकलेगा और वह पूरे उत्तर बिहार को तबाह कर देगा, जितने भी डैम्स वहां हैं, उनको बरबाद करेगा जितना भी इरीगेशन का स्ट्रक्चर है उसको बरबाद कर देगा और इतना पानी निकलेगा, जिसके चलते सब कुछ बरबाद और तबाह हो जाएगा। हम नहीं जानते कि इतनी भयानक स्थिति वहां है। हम माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहेंगे कि उनका तो वह इलाका है ही, व्यक्तिगत रूप से भी उनको इस मामले की चिन्ता होगी लेकिन हम सबकी और देश की भी चिन्ता है कि क्या यह सही है। उसके बारे में जो खबरें आई वह दब गई। इतनी भयानक खबर पर सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं हुई। हम जानना चाहेंगे कि इसकी क्या स्थिति है। क्या नागरिकों को पहले से सचेत किया जा रहा है? पहले से बचाव के उपाय किये जा रहे हैं? इन सब बातों पर मंत्री जी सफाई देंगे। हम यह कहना चाहते हैं कि बिहार जैसे राज्य की यह स्थिति है, बार-बार सूखे और बाढ़ की चपेट में आता है और हर वर्ष बाढ़ की चपेट में आता है। पहले उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में आता था और अब पूरा मध्य बिहार बाढ़ की चपेट में आता है। आज सवेरे शून्यकाल में चन्दूमाजरा जी बोल रहे थे कि उनकी बातों पर कोई गौर नहीं कर रहा था लेकिन हमारा दिल दुख रहा था। जब उन्होंने कहा कि मैं बिहार गया और वहां लोगों ने बताया कि वहां दो फसल होती है - एक खरीफ की फसल और दूसरी रिलीफ की फसल। वे उसका मजाक उड़ाने के लिए बोल रहे थे लेकिन हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है। बिहार की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। वहां कोई रिलीफ की फसल नहीं होती है। रिलीफ वहां की सरकार क्या देगी? रिलीफ तो यहां की सरकार देगी। जो बिहार फ्लड एंड फैमीन रिलीफ कोड है, जो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है, जिसको सरकार ने आज़ादी के बाद भी स्वीकार किया और जो बाद में अपडेट होता रहा है, आप उसको उठाकर देख लीजिए। उसमें यह लिखा हुआ है कि जो अंचल अधिकारी है, वह एक सप्ताह का जी.आर. बांटने के लिए अधिकृत है। जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं या केलामिटी पीड़ित इलाके हैं, वहां के सप्ताह का मुफ्त राशन बांटने का अधिकार अंचल अधिकारी वर्ग उस कोड के मुताबिक है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि अंचल अधिकारी नहीं, सब डिवीजनल अफसर भी नहीं, डी.एम. भी नहीं, डिविजनल कमिश्नर भी नहीं, रिलीफ कमिश्नर भी नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं, बल्कि एक मामूली अंचल अधिकारी को एक सप्ताह का प्रेच्यूट्स रिलीफ बांटने का अधिकार है और वहां की सरकार क्या रिलीफ देगी? वहां एक सप्ताह का जी.आर. बंटेगा, इसकी घोषणा वहां मुख्य मंत्री के स्तर पर होती है। ड्रूब मरने की स्थिति है! जो अधिकारी ऐक्ट में है और बिना किसी भूमिका या घोषणा के जैसे ही फ्लड या सूखा या कोई नेचुरल केलामिटी आती है तो एक सप्ताह का राशन देने के लिए वह अधिकृत है; उसके विपरीत इस मामले में मुख्यमंत्री के स्तर से घोषणा होती है, सरकार के स्तर से घोषणा होती है। कैबिनेट बैठती है और वह कहती है कि एक सप्ताह का राशन बांटा जाएगा और ये कहते हैं कि एक खरीफ की फसल है और एक रिलीफ की फसल है।

मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि अगर देखा जाए तो सरकार ने जो जवाब दिया है उसी के हिसाब से जो राज्य केलामिटी रिलीफ फंड है उसके हिसाब से बिहार का 1995-96 के केलामिटी रिलीफ फंड 49 करोड़ 4 लाख रुपये, 1996-97 का 51 करोड़ 96 लाख रुपये, 1997-98 में 54 करोड़, 83 लाख, 1998-99 में 57 करोड़ 63 लाख रुपये हैं और 1999-2000 में 60 करोड़ 7 लाख है। यानी पूरे पांच सालों में मिलाकर 273 करोड़ 53 लाख का केलामिटी रिलीफ फंड है। लेकिन क्या स्थिति है? हमारी कांस्टीट्यूएंसी का एक हिस्सा नालंदा जिले में पड़ता है और नालंदा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने स्टेट गवर्नमेंट को खबर भेजी है कि सिर्फ सड़क का जो नुकसान हुआ है और जो परंपरागत सिंचाई के साधन गांवों में है, उसमें एक शब्द है 'अलंग', यानी एक तरफ पहन है और उसको खोदने के बाद जो मिट्टी जमा होती है उस पर राहगीर चलते हैं, बैलगाड़ी चलती है, उसको हम 'अलंग' कहते है, जिसको आप बांध कह सकते हैं। उसमें जितने खाड़ हुए हैं, उसकी मरम्मत के लिए 12 करोड़ रुपये की मांग कलेक्टर ने की है। घर गिरा, लेकिन वह इसमें शामिल नहीं है क्योंकि घर गिरने वालों को मदद देनी पड़ेगी। जो संपूर्ण फसल नष्ट हो गई, बीज भी उपलब्ध नहीं है किसी किसान के पास वह सब उसमें शामिल नहीं है।

और उतनी जहां बरबादी हुई है वहां के एक जिले की मैं एक बात बता रहा हूँ कि एक मद की बरबादी जो राज्य सरकार को लिखा है और वहां पूरे राज्य के लिए इस साल के लिए केलामिटी रिलीफ फंड 54 करोड़ 83 लाख रुपये है। इससे क्या होगा। यह तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। उपाध्यक्ष महोदय, एक अनार और सौ बीमार वाली स्थिति है और अगर यह स्थिति हो रही है तो मैं कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप आये हैं, इसके जरिये से अपने देश भर के फीगर्स को आप देख लीजिए। उत्तर

[श्री नीतीश कुमार]

प्रदेश हमसे थोड़ा सा बड़ा है। हमारे 324 विधायक होते हैं, उत्तर प्रदेश में 425 विधायक होते है। हम 54 एम.पीज. बिहार से जीतकर आते हैं और उत्तर प्रदेश से 85 एम.पीज. जीतकर आते हैं यानि हमसें 50 प्रतिशत उनके अधिक है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश को मिल रहा है, उनको भी कम है और इनको भी कम है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के लोग बाढ़ की चपेट में उतने नहीं आते हैं। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है उसकी स्थिति बिहार के जैसी है। लेकिन जो पश्चिमी इलाका है वह धन-धान्य से परिपूर्ण है। वहां सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है। गंगा के एक-एक बूंद पानी का वह इस्तेमाल कर रहे हैं। हरिद्वार के पास भी वे लोग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश का इस साल का केलामिटी रिलीफ फंड 132 करोड़ रुपये और जो हर साल बाढ़ से बरबाद होते हैं, हर साल सूखे से तबाह होते हैं, उसी में ट्राइबल वैल्ट भी है, इसी में उत्तर बिहार भी है, हिमालय है और नेपाल से जो नदियां निकलती हैं वे पूरे उत्तर बिहार को बरबाद करती हैं। यही बिहार है अगर हिमालय में गलेशियर पिघलता है तो यही बिहार बरबाद होगा और इसका केलामिटी रिलीफ फंड इतना कम है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि हर साल बाढ़ और सुखाड़ की चर्चा हम लोग यहां करते हैं और मानसून के समय में हम लोग हर बार तबाह और बरबाद होते हैं, उसका जिक्र करते हैं और मंत्री चाहे जो भी हो, सरकार चाहे किसी भी दल की हो सरकार की तरफ से एक ही जवाब आता है। उस जवाब से अलग हटकर हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि फ्लड कंट्रोल के लिए रिलीफ के लिए इतना सब कुछ आजादी के बाद से पैसा खर्च हुआ है लेकिन जो स्थायी पानी का इंतजाम है, हमारे यहां पानी है, उस पानी का इंतजाम हम नहीं कर पा रहे हैं। पानी बहकर समुद्र में चला जाता है, उसकी बरबादी होती है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि एक दीर्घकालीन योजना बननी चाहिए और उस योजना पर अमल होना चाहिए। उसके बिना बाढ़ और सूखे की चर्चा हम लोग करते रहेंगे। कुछ इलाकों में अतिवृष्टि होगी, कुछ इलाकों में अनावृष्टि होगी और हम उसकी चर्चा करके अपने कर्त्तव्य की इतिश्री मानते रहेंगे। लेकिन जो यहां के नागरिक हैं, जो लोग हैं वे तंग और बरबाद होते रहेंगें। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि हम इस शताब्दी से निकलकर एक नई शताब्दी में प्रवेश करने वाले हैं, हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने वाले हैं। हम कौन से भारत को 21वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं, क्या इसी भारत को ले जाना चाहते हैं। एक तरफ मंगल ग्रह पर यान पहुंच रहे हैं, मंगल ग्रह की खोज हो रही है। एक तरफ अंतरिक्ष में सब-स्टेशन है, वहां पर सब कुछ हो रहा है और दूसरी तरफ हम इस प्रकार से बाढ़ से बरबाद होने के लिए बच रहेंगे। इसलिए हमारा आग्रह है कि इसके लिए एक स्थायी योजना तो बने। दूसरी ओर जो अभी तात्कालिक बाढ़ से बरबाद हुए हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। हम कृषि मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वह बिहार के रहने वाले हैं, इसलिए बिहार के बारे में ज्यादा जानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आजकल मैं एक और भी आग्रह करता हूँ कि जब भी हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे उस दिन बाढ़ के संबंध में और फ्लड विक्टिम्स पर गोली चलाई गई थी, तब हम चर्चा कर रहे थे, तो टोककर लोग कहते थे कि आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहे थे। यह बिहार डूब रहा है, आप इसे डूबने से बचाइये और अगर बिहार डूबेगा तो देश डूबने से बचा नहीं रहेगा। आप यह समझ रहे हैं कि बिहार डूब जायेगा और देश बचा रहेगा तो यह संभव नहीं है। इस बिहार ने ही आजादी की लड़ाई में गांधी जी को एक नया रास्ता दिखाया था। उस बिहार को डूबने मत दीजिए।

श्री के.पी. सिंह देव : चंपारण ने दिखाया था।

श्री नीतीश कुमार : हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि अब यह मजाक बंद होना चाहिए और अगर वहां कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसको दुरूस्त करना चाहिए। हम यहां पर किससे शिकायत करेंगे। कृषि मंत्री जी बिहार के हैं और इन्हीं के जिम्मे रिलीफ और रिहेबिलीटेशन है। यह जवाब देंगे यह हम सब जानते हैं। इसलिए हम इससे अलग हटकर आग्रह करेंगे कि बिहार की सरकार ने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी होगी हम जानते हैं और इसके उत्तर में भी स्पष्ट हो जाता है जो 29 तारीख को आपने सदन में उत्तर दिया, 29 या 27 सब्जेक्ट टू करेक्शन, जिसका अभी हमने जिक्र किया है। के.पी. सिंहदेव जी का सवाल था, उस सवाल के जवाब में सदन में जो उत्तर आया, उससे यह बात साफ हो जाती है कि बिहार सरकार ने डैमेज के बारे में आपको कोई पत्र नहीं लिखा है। लेकिन हम सब लोग यहां पर बैठे हुए हैं।

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : बिहार सरकार को फुरसत नहीं है।

श्री नीतीश कुमार : हाँ, बिहार सरकार को फुरसत कहां है, हम उस पर जायेंगे तो आप लोग समझेंगे कि समय बर्बाद हो रहा है। यही है, वहां राजनीति का खेल चलेगा। राजनीति का खेल तो चलेगा लेकिन सही मानों में मानवता वहां कराह रही है, उसकी रक्षा के लिए आप कुछ व्यवस्था कीजिए।..... *(व्यवधान)*

श्री जी.एल. कनौजिया (खीरी) : वहां की मुख्यमंत्री बच्चे खिला रही हैं, दूसरे काम कर रही हैं, वे राज को कैसे देखेंगी ?

श्री नीतीश कुमार : जिस ढंग से भी वहां राज चल रहा है, वह बिहार के लोगों का दुर्भाग्य है। यह स्थिति अभी कुछ दिनों तक उन्हें और सहन करनी पड़ेगी। यह दौर बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा, ऐसा हमें विश्वास है। इसके खिलाफ लड़ाई वहां लड़ी जा रही है। हम लोग लड़ रहे हैं, वह एक अलग विषय है लेकिन हम यहां कृषि मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि बिहार की सरकार आपको कोई रिपोर्ट नहीं भेजेगी, आपसे आग्रह नहीं करेगी कि आप वहां जाकर स्थिति का आंकलन कीजिए, असैसमेंट कीजिए आपका भी कुछ फर्ज बनता है। वैसे आपने तय कर लिया है, सिद्धांत रूप से फैसला कर लिया है कि चाहे स्थिति कितनी भी बिगड़ जाए, केन्द्र हस्तक्षेप नहीं करेगा - ठीक है, आप हस्तक्षेप मत करिए, लोगों को मरने दीजिए लेकिन इस मामले में आप हस्तक्षेप जरूर कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है क्योंकि तीन-चौथाई पैसा आप देते हैं। उसके अलावा नेशनल फंड फार

नेचुरल कैलेमिटीज भारत सरकार ने बना लिया है, जो आपके हाथ में है। हम आपसे आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप इस बात पर मत जाइए कि इस वर्ष आपका इलाका बाढ़ की चपेट में नहीं आया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मधुबनी जिला बाढ़ से उतना प्रभावित नहीं है, वहां सफीशिएंट, एडीक्वेट रेन हुई है, एक्सेस रेन नहीं हुई है। ऐसा आपकी फीगर्स में भी साफ तौर पर लिखा हुआ है और हम भी जानते हैं। उसकी परवाह आप मत कीजिए. आप पूरे देश के कृषि मंत्री हैं, इसलिए खासतौर से पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों पर नजर दौड़ाइए, अपने स्तर से कार्रवाई कीजिए, खुद स्थिति का असैसमेंट कीजिए, खुद संबंधित कलैक्टर्स को लिखिए कि वे अपने इलाके की रिपोर्ट आपको भेजें और उसके आधार पर यहां से निर्देश दीजिए।

बिहार की सरकार कुछ नहीं करेगी। जितना डैमेज वहां हुआ है, उसकी भरपाई की जा सकती है, लेकिन अकेले आप नहीं कर सकते। सुनिश्चित रोजगार योजना में हर प्रखंड को लिया गया है, जिसके अंतर्गत असैट्स की रिपेयर करने, उनको रैस्टोरेशन का काम आप कर सकते हैं। अगर यहां से आप कोई निर्देश नहीं देंगे तो स्थिति वैसे ही चलती रहेगी। आप यहां से पैसा घर बनाने के लिए देते हैं लेकिन वहां कहा जाता है कि घर हम बनाते हैं जबकि वहां की राज्य सरकार उसमें एक पाई भी नहीं जोड़ती, फिर भी कहा जाता है कि घर हम बनाते हैं। कृषि मंत्री जी, आप कृपया करके इसे देख लीजिए कि जिन गरीब लोगों के वास्तव में घर गिरे हैं, उनके ही घर बनें। कहीं ऐसा न हो कि आपके पैसे से गरीब लोगों के घर तो न बन पाऐं बल्कि जिनके घर नहीं गिरे हैं, इसी मद में, इसी बहाने जो ड्राइव वहां चलेगी, उसमें कुछ दूसरे लोगों के घर बन जाएं। इसलिए जरूरतमंद लोगों की हिफाजत के लिए आपको पहल करनी होगी। आप भले ही हिसाब मत करिए लेकिन लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए, राहत देने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, उनके असैट्स को जो नुकसान पहुंचा है, उनकी फिर से बहाली के लिए, उनकी रैस्टोरेशन के लिए, अपने स्तर से कदम उठाइए।

मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप बुद्धिजीवी हैं, प्रधान मंत्री जी भी बुद्धिजीवी हैं, आप बिहार के रहने वाले हैं, वे वहीं से राज्य सभा में चुनकर आए हैं, एक बार आप दोनों वहां जाएं। यदि प्रधानमंत्री जी न जा सकें तो कृषि मंत्री जी आप जरूर जाइए। वैसे भी आप जाते रहते हैं लेकिन इस बार पूरे इलाके में जाइए, सिर्फ अपने इलाके का असैसमेंट करके मत चले आईए, मध्य बिहार में भी जाइए। सिर्फ पटना में बैठकर, अधिकारियों की सुनकर मत चले आईए क्योंकि अधिकारियों के पास कुछ नहीं है। मैंने कल ही नालन्दा के कलैक्टर से रिलीफ की स्थिति पर बातचीत की थी, बाढ़ के सब-डिवीजनल ऑफिसर से बातचीत की थी क्योंकि पटना के जिलाधिकारी से बात करने का कोई मतलब नहीं है, इसे आप भी जानते हैं। पटना के कमिश्नर से भी हमने बात की थी लेकिन बात आगे नहीं बढ़ती, कोई बात बनती नहीं। बाढ़ के अधिकारी बताते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट 3500 क्विंटल खाद्यान्न की है जबकि हमें 1500 क्विंटल ही मिलता है। आपको मालूम है कि किन लोगों को रिलीफ मिलता है - उसमें कुछ खास वर्ग के लोग हैं, मान लीजिए अनुसूचित जाति के लोग हैं लेकिन बाढ़ से प्रभावित गैर-अनुसूचित जाति के भूमिहीन लोग भी हैं। उनके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं है। चूंकि आपके पास नहीं है, इस आधार पर आप सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों को दे रहे हैं, लेकिन गैर-अनुसूचित जाति के भूमिहीन लोग भी हैं, जिन्हें मिलना चाहिए, उन्हें भी जी.आर. नहीं मिल रही है। आप कहते हैं कि हमारे पास अन्न के पर्याप्त भंडार हैं, हम एक भी आदमी को भूख से मरने नहीं देंगे, लेकिन इस उद्घोष में क्या दम है। व्यक्तिगत रूप से हमें प्रतिदिन शिकायतें मिलती हैं लेकिन उन शिकायतों के बावजूद स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, सिवाय बात रखने के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए हम बात कहने के लिए ही रख रहे हैं और तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए आपसे विनती करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा, कृपा करके इस स्थिति से छुटकारा दिलाने के लिए बिहार के जो अतिवृष्टि से प्रभावित इलाके हैं और जिन इलाकों में बाढ़ के कारण भयानक स्थिति पैदा हो गई है, उसके लिए कुछ कीजिए। वहां पर बाढ़ के बाद कुछ इलाकों में तो महामारी जैसी स्थिति है। छिड़काव के लिए डी.डी.टी. नहीं है। वहां आपको मालूम होगा कि कौलरा नए रूप में फिर से आ रहा है। कौलेरा से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार की ऐसी स्थिति में हम मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि चाहे जी.आर. का सवाल हो, चाहे वहां की भयावह स्थिति से निपटने का सवाल हो, चाहे बाढ़ के बाद जो बीमारियां फैल रही हैं, उनसे लोगों के जीवन की रक्षा का सवाल हो या जो वहां धान का बीज बाढ़ की वजह से नष्ट हो गया है, उसका सवाल हो, इनके लिए कुछ कीजिए। आप कृषि मंत्री है। आपको तो मालूम है, नई-नई किस्म के धान के बीच रोज निकल रहे हैं। आपसे आग्रह करूंगा और विशेषरूप से बिहार के जो धान के इलाके हैं, उन इलाकों में बीज का प्रबंध युद्धस्तर पर कीजिए और ऐसी वैरायटी का बीज जो सीजन के आखिर में भी यदि बोया जाए, तो फसल दे, यानी लेट समय में बोये जाने वाली वैरायटी उपलब्ध करवाइए।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां की राज्य सरकार कुछ नहीं करेगी। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप खुद अपने अधिकारियों को वहां भेज करके उसकी व्यवस्था कराएं। ऐसी धान की वैरायटी का बीज वहां पर किसानों को मुहैया कराएं जिसे यदि लेट बोया जाए, तो भी उससे कुछ फसल मिल जाए ताकि जितनी बर्बादी हुई है उसमें से कुछ की तो भरपाई हो सके। यही हम आपसे आग्रह करेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं।

[अनुवाद]

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक विभीषिकाओं से जान-माल की काफी क्षति होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह

[श्री उद्धव बर्मन]

है कि यह केवल वर्तमान स्थिति को ही प्रमाणित नहीं करता वरन् भविष्य में देश के विकास के लिए समस्याएं भी उत्पन्न करता है। प्रत्येक वर्ष मानसून सत्र के दौरान इस सम्माननीय सभा में देश के विभिन्न भागों में बाढ़-सूखा तथा अन्य प्राकृतिक विभाषिकाओं की समस्या के संबंध में चर्चा होती है।

महोदय, यह सच है कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ प्रवण तथा सूखा प्रवण क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है। अतएव जो भी सहायता प्राकृतिक विपदा सहायता कोष के नाम पर दी जाती है। वह परिस्थिति में परिवर्तन नहीं ला सका है। यह केवल समस्या के आसपास पहुंचती है। यह समस्या के अंतःस्थल तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन जब लोग बाढ़ अथवा सूखे से प्रभावित होते हैं उन्हें कुछ तत्काल सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए। लेकिन मामलों को दीर्घकालिक आधार पर निपटने का मुख्य मुद्दा अभी भी बरकरार है। अतएव इस मामले से निबटने के लिए एक व्यापक नीति की आवश्यकता है।

महोदय, मैं असम राज्य का रहने वाला हूं तथा मेरे माननीय सहयोगी श्री हजारिका जो असम से ही हैं ने यह विस्तार से बताया कि असम के लोग किस प्रकार व्यवहारिक रूप से बाढ़ और सूखे के साथ प्रतिवर्ष जूझ रहे हैं। प्रत्येक वर्ष ब्रह्मपुत्र तथा बराक नदियों में तथा इनकी सहायक नदियों में बाढ़ आती है। जिस कारण बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं तथा फसल संपत्ति इत्यादि को भी क्षति पहुंचती है। सड़क, पुल इत्यादि जैसे आधारभूत ढांचे बार-बार क्षतिग्रस्त होते हैं। असम में दो घाटियां हैं, एक असम घाटी तथा दूसरी बराक घाटी। दोनों घाटियों में लोग बाढ़ तथा सूखे से प्रभावित होते हैं।

मैं इस सभा में यह कहना चाहूंगा कि गत वर्ष असम का एक जिला ब्रह्मपुत्र नदी में आयी बाढ़ के कारण बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ तथा सड़क भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाए। उस क्षेत्र में कोई पुल नहीं था। इस तरह की परिस्थिति वहां थी।

प्रत्येक वर्ष ब्रह्मपुत्र तथा बराक नदी तथा इनकी सहयोगी नदियां असम की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचा कर वहां की समूची जनता के लिए समस्याएं उत्पन्न करती हैं। यह सम्माननीय सभा इस बात से अवगत है कि असम एक कृषि आधारित राज्य है। इसके गांवों में रहने वाले 80 प्रतिशत से भी ज्यादा लोग कृषि कार्यों पर निर्भर हैं। व्यवहारिक रूप से चाय तथा तेल को छोड़कर वहां कोई उद्योग नहीं है। स्वाभाविक रूप से राज्य का सम्पूर्ण विकास जैसा कि आज स्थिति है, कृषि के विकास पर निर्भर करता है। लेकिन इन वर्षों के दौरान हमने जो कुछ भी देखा है वह यह है कि कृषि का विकास नहीं हो सका है क्योंकि बाढ़ तथा भूमि के कटाव को रोकने के कोई उपाय नहीं हैं। बाढ़ से अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंच रही है तथा ब्रह्मपुत्र नदी, बराक नदी तथा अन्य सहयोगी नदियों में आयी बाढ़ से राज्य की कृषि योग्य भूमि का कटाव हो रहा है। हां जबकि यहां 32 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है लेकिन केवल दो लाख हेक्टेयर भूमि पर चाय की खेती होती है। असम में कृषि योग्य भूमि काफी उपजाऊ है। लेकिन बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पादन काफी कम है। कृषि में कोई विकास नहीं है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी, बराक नदी तथा अन्य सहयोगी नदियों में आयी बाढ़ के कारण क्षति होती है। राज्य में खाद्यान्न के उत्पादन में क्षति होती है। प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न में कमी के कारण हमारे राज्य को देश के अन्य भागों से खाद्यान्नों को मंगवाना पड़ता है। एक समय था जब असम को दूसरे राज्यों से खाद्यान्न मंगवाने के लिए 700 करोड़ रुपए के करीब खर्च करना पड़ता था। अब यह कहा जाता है कि यह राशि 700 करोड़ रुपए से भी अधिक हो जाएगी। हमारे राज्य में खाद्यान्न मंगवाने पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। स्वाभाविक है कि यदि भूमि का उचित उपयोग होता तो 1000 करोड़ रुपए की समूची राशि कृषि विकास या असम में अन्य कार्यों पर खर्च किया जा सकता था।

हमारे पास पर्याप्त जल संसाधन हैं। मुझे बताया गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में लगभग 40,000 मेगावाट की पन बिजली क्षमता उपलब्ध है लेकिन इस जल संसाधन का उपयोग पन बिजली या सिंचाई या पेयजल संबंधी कार्यों में नहीं किया गया है। यदि इस पनबिजली क्षमता का दोहन किया जाए तब हम 40,000 मेगावाट पन बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन यह नहीं किया जा रहा है। देश के उस भाग में जल संसाधन का कोई उचित प्रबंधन नहीं है।

लगभग 20 वर्ष पूर्व संसद द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन किया गया था। लेकिन कई वर्षों से ब्रह्मपुत्र बोर्ड का कोई अध्यक्ष नहीं था, इसका न कोई अध्यक्ष था न इसमें कोई अफसर थे। उन्होंने कुछ कार्यक्रम तैयार किया था मास्टर योजना तैयार की थी लेकिन यह मास्टर योजना केवल कागज पर है तथा इसे लागू किया जाना अभी बाकी है। यदि इसे लागू किया जाता है तथा जल संसाधनों का पूरी तरह उपयोग किया जाता है तो असम जैसा अविकसित राज्य समृद्धशील बन सकता है।

जहां तक सिंचाई का संबंध है, व्यवहारिक तौर पर उन्होंने काफी कम उपाय किए हैं। उन्होंने कुछ कागजी कार्यवाही की है। लेकिन वास्तविक तौर पर सिंचित भूमि 2 लाख हेक्टेयर के आसपास है जो 6 प्रतिशत के लगभग है। जल संसाधनों का उपयोग नहीं होने के कारण न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि लोग भी प्रभावित हो रहे हैं।

अपराह्न 6.00 बजे

मैं कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में पारिस्थितिकीय असंतुलन है। कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आती है तो राज्य के अन्य क्षेत्रों में सूखा पड़ता है। असम के कुछ क्षेत्रों में किसानों के बीच अनिश्चितता की भावना रहती है। राज्य के अनेक भागों में सूखे की स्थिति बनी रहती है और इसके कारण किसान बीज रोपने में असमर्थ होते हैं। वे चिंतित रहते हैं कि बाढ़ आयेगी और उनके फसल को क्षति पहुंचा जायेगी। प्रत्येक वर्ष इसके कारण करोड़ों रुपए की क्षति होती है। काफी असंतोषजनक स्थिति है क्योंकि किसी भी क्षण बाढ़ आ सकती है, किसी भी क्षण सूखा हो सकता है और यह परिस्थिति इसलिए उत्पन्न हो गयी है क्योंकि समूचे क्षेत्र में पारिस्थितिकीय असंतुलन व्याप्त है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप और बोलना चाहते हैं तो आप कल बोल सकते हैं।

अपराह्न 6.02 बजे

[अनुवाद]

बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 1996 – *जारी*

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं दीर्घावधि की राशि के मुद्दे पर बोल रहा था। यदि हम पीछे देखें तो पाएंगे कि एक विचित्र पृष्ठभूमि रही है। शुरूआत में, केवल एक प्रकार की दीर्घावधि निधि हुआ करती थी जिसकी सरकारी प्रतिभूति अधिनियम में व्यवस्था थी, जो 15 या 20 या 25 वर्ष के बाद परिपक्व होती थी, तथा उसके बाद बीमा कम्पनियां भी निजी क्षेत्र में दीर्घावधि की राशि उगाहने के लिए आगे आईं। वह ध्वस्त हो गई और तब सरकारी क्षेत्र को देश के लिए दीर्घावधि निधि जुटाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा।

आज दूसरी प्रकार की दीर्घावधि राशि एकत्र की जाती है। यह टीक वुड निधि के नाम से जाना जाता है। पैसे लिए जा रहे हैं तथा जमीनों के प्लाट टीक के वृक्ष रोपण के लिए दिए जाते हैं तथा 25, 30, 50 या 100 वर्ष के बाद ये राशियाँ एक बहुत बड़ी राशि के रूप में लौटाई जाएंगी तथा हम जानते हैं कि इसमें अनिश्चितताएं हैं। यह इसका केवल एक पहलू है। बीमा उद्योग बीमा उद्योग का विकास दीर्घकालिक निधि जुटाने के लिए नहीं हुआ है। मेरे अनुसार श्री जसवंत सिंह ने उचित ही कहा कि बीमा करना शुरू किया गया! उन्होंने औद्योगीकरण का उल्लेख किया। वे पूंजीवाद कह सकते थे लेकिन मुद्दा यह नहीं है। यह उस समय क्यों शुरू हुआ ? उसके पहले भी बीमा एक नहीं कई रूपों में था। सामंतवादी प्रणाली की स्थिरता तथा बड़ा संयुक्त परिवार का अस्तित्व समुदाय के लिए बीमा का काम किया करता था। पूंजीवाद के साथ-साथ असुरक्षा बढ़ती गई तथा नए उपाय किए गए ताकि भविष्य तथा विकास की दृष्टि से व्यक्ति सुरक्षा की गारंटी दी जा सके।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं अपने मित्र के सामने यह स्वीकार करता हूँ कि मैंने इस मामले को जरूर उठाया क्योंकि मैं सोचता हूँ कि यह महत्वपूर्ण मसला है तथा इस तरह का है जिस पर नीति-निर्धारकों को अवश्य ध्यान देना चाहिए तथा मुझे काफी खुशी है कि मेरे माननीय मित्र उस विचार को संबोधित कर रहे हैं जो मैंने इस सभा को प्रस्तुत किया, तथा यह विचार यह है कि बीमा हमारे लिए अनजान वस्तु है परन्तु बैंकिंग नहीं। बीमा की अवधारणा हमारे लिए अनजान वस्तु है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बीमा औद्योगीकरण के चलते ग्रामीण से शहरी समुदाय के बीच स्थानांतरण के कारण शहरी अनिश्चितताओं का परिणाम है।

अतएव भारतीय जीवन के दो प्रमुख कारक द्वारा पहले जो प्रवृत्त था और अब भी वहां पर है जहां ग्रामीण भारत अपने आप को बचा सका है – मैं जानता हूँ आप नहीं मानेंगे परन्तु मैं दावे के साथ कहता हूँ – मृत्यु, कमी, अपंगता तथा बीमारी के खिलाफ बीमा या तो समाज द्वारा या परिवार द्वारा प्रदान किया जाता था। परन्तु औद्योगिक क्रांति का आवश्यक अंग भारत में उन स्थानों को जोड़कर जहां पर शहरी विकास की अत्यधिक वृद्धि हुई है, नहीं आ पाया है। पहले का शब्द 'नगर' था जिससे 'नागरिक' शब्द निकाला गया। कल के 'नगर' या 'नागरिक' के 'महानगर' या 'नागरिक' नहीं है। अतएव जब हम इन पश्चिमी विचारों को थोक में बिना किसी झिझक के उधार लेते हैं, और कहते हैं कि बीमा उत्तर है तो हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। यह केवल एक प्रश्न के रूप में मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ। मुझे दुख है कि यह रूटीन की तरह का हस्तक्षेप नहीं है लेकिन चूंकि मुझे ऐसा लगा कि ऐसा करने का समय है कि मैंने हस्तक्षेप किया.....*(व्यवधान)*

पर्यटन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): मेरे विचार से बहस और चार-पांच घंटे चलेगी। इस मुद्दे का स्पष्टीकरण होना चाहिए।

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : ये सभी उचित मुद्दे हैं। कृपया भाषण जारी रखा जाये।

श्री जसवंत सिंह : वास्तविक तौर पर, आज की बहस में हस्तक्षेप करने का मेरा कोई *मंतव्य* नहीं था..... *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यह स्वागत योग्य है। आपके हस्तक्षेप के कारण माननीय उपाध्यक्ष महोदय इतने दयालु हैं कि मेरे लिए समय बढ़ा सके..... *(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : मैंने जो कुछ भी पहले प्रस्तुत किया उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मैंने कहा कि बैंकिंग भारत के लिए स्वाभाविक है। बैंकिंग के बारे में हमें पश्चिमी देशों से कुछ भी नहीं सीखना है। उदाहरण के तौर पर, मैं हुंडी की अवधारणा का उदाहरण देता हूँ। हुंडी की अवधारणा इतनी पुरानी है जितनी पुरानी कि भारतीय समाज। यह हमारे सामाजिक विवेक में निहित है। हुंडी का आगमन तथा हुंडी की शर्तों को पूरा न किया जाना, यही आज का एल.सी. है – हुंडी का आगमन, जैसाकि मैं कह रहा था, तथा इसकी शर्तों को पूरा न किया जाना एक प्रतिष्ठा की बात थी। कोई कानून ऐसा नहीं था जो यह कहता कि आप उस हुंडी की शर्तों को पूरा करेंगे। यह सामाजिक विचार की उपज थी। हमने उस सामाजिक विचार को नष्ट कर दिया। हम कहते हैं कि बिना इसके आवश्यक साधन के पश्चिमी बैंकिंग के सभी गतिविधियों को अपना लेंगे। लेकिन बीमा के मामलों में, यह हमारे लिए और भी अजनबी स्थानापन्न है। बैंकिंग हमारे लिए स्वाभाविक है परन्तु बीमा नहीं है। अतएव मेरे अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम के पास 47000-48000 करोड़ रुपये हैं। लेकिन 90 या इसके लगभग करोड़ लोगों में से कितने लोग बीमा द्वारा शामिल हैं ? क्या यह 55 या 56 लाख है ?..... *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यदि आपके पास धैर्य हो, मैं इसे बाद में शामिल करूंगा।

श्री जसवंत सिंह : दूसरी बात, कृषि क्षेत्र का बीमा, फसल बीमा, मवेशी बीमा तथा पशुधन बीमा के संबंध में हमारे प्रयास क्यों विफल हुए? नॉर्थ ब्लाक में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं और आप उसे यहां थोप देते हैं तृतीय, आप कहते हैं कि औद्योगिकीकरण पूंजीवाद के बराबर है। अतएव, बीमा को पूंजीवाद की बुराई के रूप में देखा जाता है। यहीं पर द्वंद्वात्मक प्रश्न उठ खड़ा होता है। यहीं पर अंतर उत्पन्न होता है।

अपराह्न 6.08 बजे

[**श्रीमती गीता मुखर्जी** *पीठासीन हुई*]

महोदया, यह वास्तव में आई.आर.ए. बहस के केन्द्र में नहीं है। लेकिन यह एक विचार है कि जिसे सभा के साथ मिलकर मैंने पहले उठाया था। मैं अपने मित्र का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस विचार पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मेरे विचार में नीति निर्धारकों की केन्द्रीय चिन्ता यह होनी चाहिए कि वे यह अनुभव करें कि जबकि बैंकिंग भारत के लिए स्वाभाविक है बीमा हमारी संस्कृति या हमारी सभ्यता का अंग नहीं रही है। अतएव, हम जो भी कुछ कर रहे हैं और वह दूसरे देशों की बहस को यहां पर थोप रहे हैं। यह एक मुद्दा है जो मैं कहना चाहता था।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदया, क्या मैं आपकी अनुमति से अपनी बात जारी रख सकता हूँ? मैं बोल रहा था। वे एक प्रश्न के रूप में कुछ पहलुओं पर प्रश्न काल में मेरी जानकारी बढ़ा रहे थे और जैसा कि प्रश्नकाल में होता है कि प्रश्न उत्तर से लंबे होते हैं। ..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अतएव, आप अब पूरी तरह से परिचित हैं।

श्री संतोष मोहन देव : मैं इनके बीच दिग्भ्रमित हूँ। अतएव, मैं जा रहा हूँ..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : संशय की इस घड़ी में, क्या आप हमें छोड़ कर जा रहे हैं?

..... *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं संक्षिप्त रूप से इसका उत्तर देता हूँ। श्री जसवंत सिंह द्वारा इतना सही अवलोकन किया जाना मैंने कभी-कभार ही देखा है। उन्होंने बिल्कुल सही टिप्पणी की है कि बैंकिंग स्वाभाविक है जबकि बीमा इतना स्वाभाविक नहीं है। क्यों? इसका स्पष्टीकरण बिल्कुल स्पष्ट है। यह केवल हुण्डी ही नहीं है बल्कि ऋण देना पूंजीवाद से पहले आता है। ऋण देना सामन्तवाद से भी पहले आता है और इसलिए सम्पूर्ण विश्व में सभी प्रकार के समाज में यह बात मौजूद थी। जबकि इंगलैंड से आरम्भ होकर पूंजीवाद पहले यूरोप में आया और फिर काफी समय बाद अन्य भागों में इसका प्रसार हुआ और इसके साथ ही औद्योगिकीकरण पहले उन क्षेत्रों में आया। अतः हमारे देश के लिए यह विदेशों की देन प्रतीत हुई। उस अर्थ में यह एक बड़े उद्योग जैसा है जो हमारे देश में विदेशों से आया है। उस अर्थ में मार्क्सवाद भी भारत का नहीं है। अतः अपने अवलोकन में वे बिल्कुल सही हैं। परन्तु मैं उन सबों को एक साथ मिलाकर एक विश्लेषणात्मक ढाँचे में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जो शायद उन्हें संतुष्ट करेगा।

मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वह बिल्कुल स्पष्ट है। दीर्घकालिक पूंजी जिस पर आज हम जोर दे रहे हैं वह बीमें का मूल कारण नहीं है। बीमे का मूल कारण अनिश्चितता के लिए सुरक्षा प्रदान करना है। वे इस पर भी सहमत हैं जब वे सार्वजनिक क्षेत्र तथा इसका विरोध करने वाले निजी क्षेत्र की सैद्धान्तिक हठधर्मिता की बात करते हैं तो वे इस मूल बात को भूल जाते हैं कि यह अनिवार्य रूप से निजी क्षेत्र की सैद्धान्तिक हठधर्मिता है, मैं इस बात को दुहराता हूँ, जो इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां राज्य की सुरक्षा अधिक आवश्यक है और इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के बीच प्रतिस्पर्धा है। यह बात मैं इस सम्माननीय सभा को बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं सुरक्षा पर जोर देना चाहता हूँ। इसी उद्देश्य से बीमा को लाया गया था। इस बीमा क्षेत्र को विकसित करने के प्रयास में हमें इसके अतिरिक्त उपयोगिता का पता चला। प्रत्येक वस्तु के साथ हमने एक बात आरम्भ की और हमने अन्य उपयोगिताओं का सृजन किया और वे महत्वपूर्ण हो गयी। यह महत्व पुनः एक बार दीर्घकालिक धनराशि का स्रोत है। इसी कारण मैंने इसे उद्धृत किया। चूंकि यह एक दीर्घकालिक धनराशि है अतः जीवन बीमा निगम के व्यापार में आरम्भ करना बहुत ही आसान है। और इस बीच अन्य सभी बातों, जिनका पता लम्बे समय अर्थात्, इस साल के पश्चात् चल सकता है, के कारण हम इसे छोड़ देते हैं। यह अमरीका की प्रतिनिधि सभा की धोखाधड़ी के मामलों संबंधी समिति का अनुभव है। मैंने इस बात का उल्लेख किया है। मैं श्री जसवन्त सिंह को धन्यवाद देता हूँ जो बात को उतना ही समझते हैं जितना कि मैं।

श्री जसवंत सिंह : मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बीच विचारों का यह आदान-प्रदान हुआ है। निश्चित रूप से अब मुझे अधिक जानकारी प्राप्त हुई है। धन्यवाद।

सभापति महोदय : उस वाद-विवाद का क्या हुआ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं श्री वाजपेयी के साथ इन्हें उन लोगों से एक समझता हूँ जो भाजपा में होने के बावजूद भी धर्मनिरपेक्ष हैं।

उस "धोखाधड़ी मामले संबंधी समिति" की रिपोर्ट में एक संदर्शी टिप्पणी की गयी है। मैं उसका भी उल्लेख करूंगा। कृपया मुझे इसकी अनुमति दें। इसमें अतिरोधक बातें कही गयी हैं चूंकि प्रतिस्पर्धा की बातें की ज रही हैं अतः मैं यह कहना चाहता हूँ कि अमेरिका की जनता के साथ पांच अरब डॉलर की धोखाधड़ी की गयी थी। जो भारतीयों के लिए बहुत ही बड़ी धनराशि है। प्रसंगवश इस समिति ने इस पर टिप्पणी की। इसमें कहा गया है:

> "उद्योग तथा सरकार की सेवा में कार्यरत ईमानदार तथा सक्षम व्यक्तियों को निश्चित रूप से निरन्तर सतर्क रहना चाहिए कि कहीं कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है।"

मैंने निश्चित रूप से शब्द पर जोर दिया है। यह एक टिप्पणी थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह कही गयी है कि :

"इस परिकल्पना पर कि सभी कम्पनियों का प्रबन्धन ईमानदारीपूर्वक, सक्षमता तथा सावधानी से होगा आधारित नियामक व्यवस्था की असफलता निश्चित है।"

आप इसके निहित स्वाभाविक परिणाम को देख सकते हैं। मैं श्री प्रभु द्वारा उठाए गए मुद्दे की भी चर्चा करूंगा क्योंकि मैं उनका आदर करता हूँ। इस सम्पूर्ण स्थिति की विडम्बना यह है कि सुप्रबन्धित बीमा कम्पनियों को गलत तथा अनुचित अधिनियम द्वारा दो बार नुकसान पहुंचा है। अच्छी कम्पनियों को पहले तो वित्तीय दृष्टि से कमजोर कम्पनियों द्वारा जानबूझकर रखी गयी कम कीमतों के कारण व्यवसाय में घाटा होता है और फिर जब कुप्रबन्धन के कारण कमजोर कम्पनियाँ दिवालिया हो जाती हैं तो अच्छी कम्पनियों को इस संकट से उबरने की कीमत चुकानी पड़ती है।

हम और भी अधिक बीमा सुरक्षा प्रदान करने की बात कर रहे हैं। यदि आप देखते हैं कि कुछ कम्पनियां यह कार्य कर रही हैं तो बीमा क्षेत्र से विश्वास उठ जाता है। इसी कारण हमारा विरोध न केवल विदेशी बीमा कम्पनियों से है बल्कि निजी क्षेत्र से भी है।

यह एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसे यदि संभव हो तो 100 प्रतिशत या इससे भी अधिक सुरक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि इसमें लोगों का पैसा, अनिश्चितता, लोगों का भविष्य अंतर्ग्रस्त है। स्वदेशी अथवा विदेशी, किसी भी निजी क्षेत्र द्वारा की गयी कोई भी विनाशकारी गतिविधि सम्पूर्ण बीमा क्षेत्र के प्रति अविश्वास पैदा कर सकती है। निजी क्षेत्र के प्रति हमारी आपत्ति का यही आधार है। यह आश्चर्य की बात है कि श्री सुरेश प्रभु जैसे समझदार व्यक्ति जिनका मैं आदर करता हूँ, इस बुनियादी तथ्य को कैसे भूल गए। वह क्या तुलना करते हैं ? वह तुलनीय बातों की तुलना करते हैं। वे एक साधारण बात को भूल कर भारत में, सिंगापुर में और शायद विदेशों में भी बीमा सुरक्षा प्रदान करने की बात करते हैं। यह आश्चर्य की बात है तो यह कैसे सोच सकते हैं कि हम इस तथ्य को भूल जाएं कि हमारी प्रति व्यक्ति आय 350 डॉलर है जबकि सिंगापुर में यह 10,000 डॉलर है तथा विकसित देशों में यह 20,000 डॉलर या उससे भी अधिक है ?...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : वास्तव में खर्च की गयी धनराशि के संबंध में संक्षेप में स्पष्टीकरण दूंगा।

मैं केवल यह कह रहा था कि बीमे की किश्त द्वारा भारत में देश के सकल घरेलू उत्पाद का 0.56 प्रतिशत ही वसूल किया जाता है जो अमरीका के सम्बन्ध में 5.57 प्रतिशत के समकक्ष है। अतः मैं यहाँ प्रतिव्यक्ति आय की बात नहीं कर रहा हूँ .....*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप प्रति व्यक्ति आय की बात नहीं कर रहे हैं इसकी सराहना करता हूँ।

श्री सुरेश प्रभु : मेरा मुद्दा यह था कि यदि हम बीमा के द्वारा अधिक बचत कर पाए तो इसे बुनियादी सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सभापति महोदया, माननीय सदस्य की बात बिल्कुल ठीक है और यही कारण है कि यह गलत भी है।..... *(व्यवधान)* बचत का परिमाण प्रतिव्यक्ति आय के स्तर पर निर्भर होता है।

यह एक मूल बात है जिसे बतौर अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए। यदि आपकी आय अधिक है तो आप ज्यादा बचत कर सकते हैं यदि आपकी आय कम है तो आपकी बचत भी कम होगी। वस्तुतः हमारी बचत दर 20 प्रतिशत है जिसका पूरा श्रेय हमारे द्वारा लागू की गई विभिन्न नीतियों को जाता है। यूँ कहिये चीन देश में यह मूल अर्थशास्त्र उसके बिलकुल विपरीत है जहां प्रति व्यक्ति आय तो कम है लेकिन अर्थव्यवस्था में बचत-दर अधिक है। यह एक भिन्न बात है। बात यह है कि उन्होंने आंकड़ों को संकलित करने में गलती की है।

मैं सामान्य तथ्यों की ओर आपका ध्यान दिलाते हुए बताता हूँ कि आप किस प्रकार गलत हैं। क्या आपको कवरेज के बारे में जानकारी है? मेरे पास भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई प्राधिकृत सूचना है। इसमें बीमा करने वाले लोगों के बारे में जानकारी दी गई है जिसके अनुसार 15 वर्ष से 65 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का बीमा कराने वाली जनसंख्या में शामिल किया गया है। इन आंकड़ों के अनुसार भारत में 33 प्रतिशत, ब्रिटेन में 65 प्रतिशत और पाकिस्तान में मात्र चार प्रतिशत लोग ही बीमा कराते हैं। कृपया आय के वितरण के संबंध में आंकड़ों को सही करें। बीमा करने वाले लोगों में से लगभग 50 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं आपको बीमा करवाने से क्या मिलता है ? आप अपना पैसा जमा कराते हैं ताकि वही पैसा आपको मृत्यु अथवा बुढ़ापे के कारण और अधिक बचत के रूप में मुसीबत के समय प्राप्त हो सके। लेकिन प्रश्न यह है कि बचत करने के लिए आपके पास पर्याप्त धन हो।

यदि श्री प्रभु यह आशा करते हैं कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग बचत करें तो मैं उनके विचार से सहमत नहीं हूँ। यदि इस बात को ध्यान में रखा जाए तो 33 प्रतिशत लोग हमारी कुल जनसंख्या का एक अंश हैं जो बचत कर सकते हैं हम अपने देश के संबंध में प्रारम्भिक सत्य को भूलकर पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर उसकी नकल करते हैं जैसाकि मैंने पिछले दस वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विचारों के सम्बंध में कहा है। आप यह कल्पना कीजिए कि गरीबी रेखा की परिभाषा क्या है ? वे लोग जो दो वक्त का खाना खाने के लिए मुश्किल से धन जुटा पाते हैं, जिनके पास बचत के लिए कुछ नहीं है, यहां तक कि पर्याप्त कपड़े भी नहीं हैं। यदि इन लोगों का प्रतिशत 50 है तो देश में बचे लोगों की प्रतिशतता कुल जनसंख्या के 30 प्रतिशत भाग से अधिक नहीं होगी।

उनका यह दावा है कि उनके पास देश की जनसंख्या के लगभग 20 प्रतिशत भाग के लिए टिकाऊ वस्तुओं हेतु बाजार होता है।

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी]

जो व्यक्ति टिकाऊ वस्तुओं की खरीद कर सकते हैं, वे ही बचत कर सकते हैं इन आंकड़ो की तुलना करें। इन्हें 30 प्रतिशत मान लें। भारतीय जीवन बीमा निगम 33 प्रतिशत लोगों का बीमा करता है। यह मान लें कि 33 प्रतिशत लोग बचत कर सकते हैं आप कहते हैं कि आप शत-प्रतिशत लोगों का बीमा करते हैं जो सिंगापुर से भी बढ़िया स्थिति है। कृपया मेरी गणित में गलती बताएं, मैं बहुत प्रसन्न हूँगा।

श्री सुरेश प्रभु : चुनौती नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : धन्यवाद। इसका अर्थ यह हुआ कि सुरक्षा की दृष्टि से यह स्थिति ब्रिटेन से भी अच्छी है। सरकारी बीमा निगमों द्वारा जो सुरक्षा प्रदान की जाती है उसकी वजह से लोग बीमा निगम में अपना पैसा जमा कराते हैं। इसका न केवल श्रेय हमें जाता है। अपितु गैर-सरकारी क्षेत्र की तुना में यह हमारा पहला कदम है। गैर-सरकारी क्षेत्र का क्या योगदान है? धोखाधड़ी के मामले संबंधी समिति के अनुसार, गैर-सरकारी क्षेत्र में रत बीमा कम्पनियों पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा।

यह शिकायत पहले ही की गई है कि यदि हम अधिक संख्या में लोगों का बीमा कर दें तब भी बीमा राशि में वृद्धि नहीं होगी। पहले यह राशि अधिक थी। इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है इसका एक कारण यह भी है कि हम पूर्ण अर्थव्यवस्था को उपभोक्तावाद की ओर घसीट रहे हैं। ताकि हम धन खर्च कर सकें। यदि हम धन खर्च नहीं करते हैं। तो हम वहां धन निवेश करने की कोशिश करते हैं। जहां हमें अनुमानतः अधिक आय प्राप्त हो सके। यह पूंजीवाद का एक नियम है। यदि ऐसा करना शुरू कर दिया गया है तो इसके कारण परिवारों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है, पूंजी बाजार में और स्टॉक मार्किट में अविश्वसनीयता की स्थिति उत्पन्न होती है और जिसके लिए बीमा का सहारा लेना पड़ता है।

हमें सिद्धान्तवादी माना जाता है। मैं उन व्यक्तियों पर आरोप लगाता हूँ जिनका काम केवल निजी क्षेत्र को सिद्धान्तवादी कहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह बात इसलिए नहीं है कि हम इस विशेष मामले में सिद्धान्तवादी हैं।

मैं अब अगली बात पर आता हूँ। हमारी अर्थव्यवस्था पर दबाव है। यह दबाव क्या है? यह दबाव इसलिए है कि हमें अपने वित्त अथवा सेवा क्षेत्र को खोलना होगा। इसका कारण बहुत ही सीधा-सा है। माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम इस तथ्य को अक्सर दोहराते हैं कि हमारे देश में एक सेवा क्षेत्र ही ऐसा है जो देश में बहुत अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनता जा रहा है। विश्व व्यापार में क्या हो रहा है? अमरीका विश्व में एक ऐसा देश है जो सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक धन जुटाता है। इसका कारण यह है कि वहां भौतिक वस्तुओं का उत्पादन एक ऐसे चरण में पहुंच गया है कि वे उनका उत्पादन करके मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। अतः दूसरे क्षेत्रों, जो भौतिक सेवाओं पर आधारित हैं, में निवेश करना अधिक लाभप्रद हो गया है। यदि हमारे पास अतिरिक्त धनराशि होगी, यदि हमारे पास भौतिक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार होगा, तो हम उन वस्तुओं को और अधिक बिक्री नहीं कर सकते हैं। अतः इन वस्तुओं की बिक्री करना आवश्यक है। विश्व अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का यही मतलब है। अतः यह क्षेत्र उभर कर सामने आया है। यह बात समझने-योग्य है।

जब हम भारत के विषय में बात करते है, यहां दुखद स्थिति है। हमारे देशवासियों को उन सभी वस्तुओं जिनसे मनुष्य का जीवन सुखद होता है, से वंचित रखा गया है इसका कारण यह भी है कि बाजार पर कई प्रतिबन्ध लगे हुए हैं अमरीका और भारत दोनों देशों में माल पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। अमरीका में इस क्षेत्र पर प्रतिबन्ध लगाने का कारण धनाढ्यता है जबकि भारत में इसका कारण गरीबी है जिसकी वजह से सेवा क्षेत्र पर बल दिया जा रहा है। यह जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वास्तव में इस संबंध में क्या किया जा रहा है। मैं इस संबंध में एक अनुबोधन दस्तावेज को उद्धृत करूंगा।

अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के एक नेता श्री एन. एम. सुन्दरम ने एक पत्रिका प्रकाशित की है। यह बहुत ही उपयोगी पत्रिका है। इसमें बहुत ही दिलचस्प बातों को उद्धृत किया गया है। मैं उनमें से एक अथवा दो बातों को उद्धृत करूंगा। अर्थव्यवस्था के विकास ने अमरीका में आर्थिक शक्ति के स्वरूप को बदल दिया है। इस पत्रिका में यह कहा गया है कि जब इस कार्य को शुरू किया गया था, उस समय शीर्ष की 100 कम्पनियों को भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करने का कार्यभार सौंपा गया था। आज शीर्ष की 100 कम्पनियों की सूची में परिवर्तन हो रहा है। चाहे वह बिल गेट्स का विद्युत क्षेत्र हो अथवा सेवा क्षेत्र। बीमा कम्पनी के ढांचे, नियंत्रण यंत्रों और रूपरेखाओं में भी परिवर्तन हो रहा है।

दिनांक 20 जुलाई, 1996 का 'द फाइनेंशियल एक्सप्रैस' 'फेन्स' के साथ प्रमुख बीमा कम्पनियों के एक शीर्ष एग्जेक्यूटिव के साक्षात्कार पर आधारित वार्ता के सम्बन्ध में निम्न प्रकार लिखता है :

> "जनसंख्या एक्सीडेंट, सन एलायंस तथा ए.आई.जी. के अधिकारियों के अनुसार बीमा के वे एम.एस.सीज़ जो उद्योग खोले जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनका लक्ष्य निगमित बीमा जैसे लाभकारी क्षेत्र ही हैं।"

इसमें यह बात भी है कि शुरू में निगमित क्षेत्र ही लक्ष्य रहेगा तथा तब वे व्यक्तिगत बीमा क्षेत्र पर आयेंगे। लेकिन लाभकारी बीमा का भारी हिस्सा सभी चाहते थे। इस समाचार-पत्र में आगे कहा गया है :

> "स्टेफनसन जो इस वाशिंगटन-आधारित निवेश बैंकिंग के उपाध्यक्ष हैं, कहते हैं.....
>
> "आप इतना धन कमायेंगे कि आपको यह पता नहीं चलेगा कि इसका क्या करें।"

ये वे उक्तियां तथा वे सोच हैं जिनके विरुद्ध हम यह कहकर कि 'खुदा के वास्ते यह क्षेत्र न खोलें, लड़ रहे हैं। यह इतना ही बेईमान है जितना कि हमारा शेयर बाजार। हम अपने शेयर बाजारों

में क्या देखते हैं? एक दिन शेयर गिर जाते हैं तो दूसरे दिन अत्यधिक चढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? समाचार पत्रों को देखिए। वे लोग कौन हैं जो भाव गिराने और चढ़ाने के बीच इस पागलपन की भीड़ पर नियंत्रण कर रहे हैं। एफ.आई.आई. उन पर नियंत्रण रख रहा है जो इस सेवा क्षेत्र में लाभ की खोज में हैं।

महोदय, हमें भय है। इसमें विनियामक प्राधिकरण के विषय में जिक्र हुआ है। कोई भी यह पूछ सकता है कि विनियामक प्राधिकरण पर क्या आपत्ति हो सकती है? जब विनियामक प्राधिकरण था तो फिर भी बैंक घोटाला हो गया। श्री जसवंत सिंह ने इसका हवाला दिया था। कांग्रेस के माननीय सदस्यों को मेरे से कम जानकारी नहीं है, यदि अधिक नहीं तो मेरे जितनी जानकारी उन्हें जरूर है। जब हमने यह पूछा कि यह बैंक घोटाला कब शुरू हुआ तो वे सभी यह कह रहे थे कि इसे जानने के लिए उन्हें 1985-86 तथा इससे पहले के आंकड़ों का पता लगाना पड़ा। हम उस बात से इंकार नहीं करते हैं। यह 1985-86 में शुरू हुआ था लेकिन इसका पता केवल 1992 में ही लगाया जा सका? क्या 1985 में इसका पता लग गया है? एक माननीय सदस्य ने कहा था कि बैंकिंग क्षेत्र में 400 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। मैं कहता हूं कि इसके परिणामस्वरूप सरकार को जनता की 1,00,000 करोड़ रुपये की आय का घाटा हुआ। मैंने इससे पूर्व भी वक्तव्य दिया है कि 14,00,000 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। राजस्व विभाग के अनुसार इससे 1,00,000 करोड़ रुपये की आय हो सकती थी। यह आय कहां चली गई है? हम उन बैंकों का पता लगाना चाहते हैं। श्री हर्षद मेहता ने चैक जारी किये थे। हमने उनको उनकी तलाश जारी रखने तथा ऐसा करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए कहा था। लेकिन इसने मना कर दिया। विनियामक प्राधिकरण उस समय भी था और आज भी है लेकिन इसके बावजूद भी सी.आर.बी. घोटाला हुआ।

श्री जसवंत सिंह : मैंने नाम का जिक्र नहीं किया था लेकिन उस घोटाले के बारे में मैं बोला जरूर था।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यही कारण है कि मैंने कहा था कि यह आप नाम भूल गये थे। लेकिन मैं अब नाम भी बता रहा हूं।

इन विनियामक प्राधिकरणों के बावजूद बैंक घोटाला हुआ तथा ये सबक लेने के बाद भी सी.आर.बी. घोटाला हुआ। क्या हम आजकल इण्डियन बैंक में हुये घोटाले के विषय में नहीं सुन रहे हैं? इन सभी विनियामक प्राधिकरणों के बावजूद आज अन्दर ही अन्दर व्यापार करने के लिए हिन्दुस्तान लीवर पर 'सेबी' द्वारा आरोप लगाया गया है जिसके विरूद्ध हम सभी ने सर्वसम्मत सिफारिश के साथ लिखा था। विनियामक प्राधिकरण पर कोई आपत्ति नहीं है, कृपया विनियमित जरूर करें, लेकिन यह मानना कि विनियामक प्राधिकरण बीमा क्षेत्र के घोटोले का पता लगा पायेगा यह उस कहावत 'भगवान् से प्रार्थना करो और सब कुछ भूल जाओ' की तरह बीमा क्षेत्र सम्बंधी जनता का विश्वास खो बैठेगा।

मैं सभा को यह भी समझाना चाहता हूं कि तीन अथवा चार वर्षों में इस सब के खुल जाने से हमारी मुद्रा की परिवर्तनीयता इससे जुड़ जायेगी। सिफारिश है कि आगामी तीन चार वर्षों के समय से पूरी मुद्रा बाहर जायेगी। इसका मतलब क्या है? भारतीय धन का सफाया करने, इसको परिवर्तित करने तथा सारे विश्व में छा जाने के लिए यहां आने वाली विदेशी बीमा कम्पनी के आते ही बीमा क्षेत्र में विदेशी एम.एन.सीज़ का बाहुल्य बढ़ जायेगा।

इस विनियामक विधेयक पर कोई आपत्ति नहीं है। हमने यह कहते हुए संशोधनों की मांग की है वह उस विनियामक विधेयक में इस सम्बन्ध में यह वायदा करें कि निजी और विदेशी कम्पनियों के लिए बीमा क्षेत्र नहीं खोला जा रहा है। हम पहले ही यह जानते हैं कि सभी तथाकथित एशियन टाइगर्स मुद्राएं खस्ती हालत में हैं। यह थाइलैण्ड से शुरू हुई, इसने सिंगापुर में प्रवेश किया, फिलीपिंस में प्रवेश किया तथा इण्डोनेशिया में प्रवेश किया। अब आप यह कल्पना कर सकते हैं कि मुद्राएं खस्ते हाल में होंगी। पेप्सी के मामले की तरह यह विदशी धन है जो उन देशों में यह नुकसान कर रहा है। चीन इससे अभी प्रभावित नहीं हुआ है क्योंकि इसका सुदृढ़ सरकारी क्षेत्र है - जिसको वह सहायता भी प्रदान करता है - और निःसंदेह इसकी एक सुदृढ़ कम्युनिस्ट पार्टी भी है जो यहां नहीं है।

अतः बाहरी चुनौती की जमीन से जुड़ी वास्तविकताओं तथा ऐसी अन्य समस्याओं के सम्बंध में हम जो करना चाहते हैं वह है पूर्णरूप से जब तक इसका विरोध करना जब तक कि हमारे संशोधन स्वीकार कर लिये जायें।

मैं आपका ध्यान अन्य दो बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि संयुक्त मोर्चा के दृष्टिकोण और कार्यक्रमों का हवाला दे दिया जायेगा। मैं उनके कार्यक्रम से उद्धृत कर रहा हूं। मैं संकट का सामना करना चाहता हूं। मैं इसे क्यों छोड़ूं? कहा जाता है कि हमने बैंकिंग क्षेत्र के कार्यकरण में प्रचुर अनुभव प्राप्त कर लिया है। यह तो हुई एक बात। यह भी कहा जा सकता है कि बीमा उद्योग के पुनर्गठन के अनुभव का सदुपयोग किया जायेगा तथा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को सुदृढ़ किया जायेगा।

मेरा निवेदन यह है कि यदि आप यह क्षेत्र खोलते हैं तो आप भारतीय बीमा निगम तथा भारतीय साधारण बीमा निगम को सुदृढ़ नहीं कर सकते। बीमा व्यापार में आज जो विश्वास बना हुआ है वह निजी बीमा क्षेत्र के दुष्कर्मों से टूट जायेगा। यही बात संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों सम्बंधी समिति ने कही थी। उनके यहां सरकारी क्षेत्र नहीं होता है। लेकिन वे कहते हैं कि सरकारी क्षेत्र से एक अच्छा निगम प्रभावित होता है - एक अच्छी इकाई - दो बार प्रभावित होती है, एक बार पूरे के पूरे प्रीमियम की प्रतिस्पर्धा करके तथा दूसरी बार क्षेत्र में विश्वास खोकर। अतः हम भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय साधारण बीमा निगम को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो पुनर्गठन का ही आशय उन्हें सुदृढ़ करना हो सकता है न कि इसको खोलना क्योंकि इससे भारतीय साधारण बीमा निगम तथा भारतीय जीवन बीमा निगम ही कमजोर होंगे।

[श्री निर्मलकान्ति चटजी]

बैंकिंग क्षेत्र के सम्बंधों के बारे में आपका क्या ख्याल है। वे मधुर हैं। क्या हम उस महान भारतीय, श्री हर्षद मेहता की मदद से अलग रखकर इस घोटाले को भूल सकते हैं तथा मुम्बई के उन दो प्रमुख बैंकों को भूल सकते हैं जो तब बंद करने पड़े जब विनियामक प्राधिकरण संबंधी व्यवस्था के बावजूद भी धन जमाकर्त्ताओं को इन बैंकों से राशि विशेष से ऊपर उनकी राशि प्राप्त नहीं हो सकी।

इसे सिटी बैंक और ग्रिण्डलेज बैंक जैसे विदेशी बैंकों द्वारा अत्यधिक धनराशि प्रदान की गयी।

इन बातों का उल्लेख भी दूसरे व्यक्तियों द्वारा किया गया है। हम अपने कृषकों के दिमाग से इन अनिश्चितताओं दूर करना चाहते हैं। हमारा बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र है और कम से कम यह बात इससे तो स्पष्ट हो जाती है कि इस समय कृषि से प्राप्त होने वाला भाग 35 प्रतिशत है। लेकिन इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जनसंख्या के 66 या 67 प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र में लगे हैं इग्लैंड में केवल दो प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र में लगे हैं। अमेरिका में कृषि क्षेत्र में जनसंख्या के केवल पांच प्रतिशत लोग कार्यरत हैं..... *(व्यवधान)*। ब्रिटेन में केवल दो प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हैं। अमेरिका में मेरे विचार से यह संख्या चार से पांच प्रतिशत है। यह थोड़ी ज्यादा है। ब्रिटेन में अच्छा परिणाम सामने आया है। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग इस कार्य में लगा हुआ है। जिसके लिए फसल का बीमा करना आवश्यक है। श्री चतुरानन मिश्र यहां नहीं हैं। हम विपत्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम यह बात जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में खपत के अर्थों में कहीं ज्यादा अनिश्चितताएं होती हैं।

सभापति महोदय : अभी चार वक्ता और हैं। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ठीक है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बैंकों के अनुभव से हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। उन्होंने कहा है कि धन-उधार लेने की प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है। इसीलिए बीमा के लिए जानकारी में सुधार करना होगा। गैर-सरकारी क्षेत्र से सावधान रहना होगा, विदेशी क्षेत्र से भी सावधान रहना होगा। इसे शुरू न करें। एक नियामक निकाय बनाया जाना चाहिए।

यहां तक कि हमें साधारण बीमा निगम पर भी नियंत्रण रखना है। आपने एक बीमा नियंत्रक नियुक्त कर दिया है। इसके अलावा हमारे पास एक नियामक निकाय होना चाहिए। हमने यह प्रावधान रखा था कि इस क्षेत्र को शुरू ही नहीं किया जाये। यदि इन संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाये तो हम विधेयक का समर्थन करेगें। यदि इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता हैं तो हम समर्थन नहीं करेंगे।

यदि आप मुझे अनुमति प्रदान करें। तो मैं यह बात भी कहना चाहूँगी कि उन्होंने एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। उस बात का उल्लेख यहां भी किया गया था। जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को सुदृढ़ बनाने के लिए निदेशकों और अन्य के बारे में उल्लेख किया गया था। मेरे पास भर्ती और दूसरे प्रवेश अन्य तरीकों के बारे में आंकड़े हैं। यह बात अभी भी पता लगानी है कि कितनी रिक्तियाँ शेष हैं। मैं आपका और समय नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन सत्य यह है कि लोग अभी इस स्थिति में नहीं हैं लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि आप जीवन-बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को मजबूत बनायेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूड़ी (छपरा) : महोदय, निर्मल जी को सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय पर अब अधिक जानकारी विपक्ष के तौर पर तो नहीं दी जा सकती है। क्योंकि वित्त की बैठकों में भी इनका प्रभाव इसी प्रकार से बना रहा है कि इसके खिलाफ है और इनकी पार्टी की जो नीति है उस पर भी स्पष्ट रूप से हर जगह यह माना जाता है। कि यह लोग व्यवस्था के खुलने का बिलकुल ही विरोध करते रहते हैं और विशेषकर जब इनका भाषण चल रहा था तो इन्होंने पूरे आंकड़े जो अपनी पहले पार्टी के प्लेटफार्म से रखते हैं, रखे हैं। लेकिन विशेष रूप से इन्हीं के वक्तव्य पर मेरे प्रश्न उठते हैं कि आज भारतवर्ष में इंश्यारेंस कम्पनियों को काम करते हुए 40 वर्ष हो गये हैं और आज देश के सामने कौन सी परिस्थितयां उत्पन्न हो गई हैं कि आज उस पर रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी बिल का इंट्रोडक्शन करने की हालत पैदा हो गई है। आज आपने तो अपने परिवेश में सब कुछ यहां रख दिया कि आज निजीकरण के खिलाफ आपकी नीति है, आपकी सोच है और निजीकरण के खिलाफ आप कार्य करना चाहते हैं और सरकार इस पर कोई रूख अपनाए तो उसका विरोध करना चाहते हैं आपकी नीति से स्पष्ट हो जाता है। अगर आपका मंतव्य इतना स्पष्ट होता आपकी नीतियां इतनी साफ़ रहती तो आज जितने सिमटे हुए प्रांतों में आप छिपे हुए हैं, बहुत आगे की तरफ से आप बढ़ चुके होते। पब्लिक सैक्टर में हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनोमी की कल्पना की थी और देश की काफी पूंजी हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर में लगा दी। आज साठ से सत्तर करोड़ रुपया हमने इसमें फंसा रखा है। और इसका परिणाम क्या है? देश में जहां तक संरचनात्मक आधारों की सुविधा को हम लोग पूरे भारतवर्ष में नहीं फैला सके, वहां इतनी बड़ी पूंजी इस व्यवस्थाओं में डालकर आज भारतवर्ष को हम लोग पचास वर्ष में भी अंधेरे में रख रहे हैं। जब इस सदन में चर्चा आती है कि किसी भी सैक्टर को खोला जाए तो विरोध की प्रक्रिया अपनायी जाती है क्योंकि देश की कुछ पार्टियों की वह नीति बन चुकी है। मैंने भी इस पर काफी विस्तार से विमर्श करना चाहा था लेकिन मैं जानता हूँ कि समय का अभाव है और इसको इस कदर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कुछ विषयों की तरफ जो आज इंश्यारेन्स सेक्टर को खोलने का विषय है, कुछ विषय सामने इसलिए भी आते हैं कि हमारे जैसे सामान्य लोग जो इंश्योरेन्स से कवर होते हैं या और भी देहात के लोग जहां तक हम इस चीज को पहुंचाना चाहते हैं या मिडिल क्लास के लोग जो इससे प्रभावित होते हैं, आज अगर हम देखेंगे, महोदया मैं साधारण सा उदाहरण देता हूँ। बिहार की राज्य सरकार है और हर इंश्योरेन्स स्कीम के लिए

जीआईसी को उसका जो सबसिडियरी नेशनल इंश्योरेन्स कारपोरेशन को प्रत्येक वर्ष तीस लाख रुपये इंश्योरेन्स ग्रुप से इस रूप में राज्य सरकार इस ग्रुप को देती है और जहां अधिकांश देश का सबसे बड़ा गरीब लोगों का हिस्सा रहता है। जहां 90 फीसदी मकान फूस के बने हों, औसतन ज्येष्ठ माह के महीने में वहां पर आग लग जाती है और परेशानी उत्पन्न हो जाती है। निजी तौर पर मैंने देखा है कि मेरे जिले में जो इंश्योरेन्स किये हुए हट्स हैं और जो इसकी परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, हजारों की संख्या में गर्मी के मौसम में उन झोंपड़ियों में आग लग जाती है। आप लोग सर्वे कराकर देखें तो हमारे बिहार प्रांत में जो झुग्गियां हैं, उनको और इनकी नीति को देखें। अगर दस हजार झुग्गियों में आग लगती है तो मुश्किल से इनकी इंश्योरेन्स कंपनी जो आज की परिस्थिति में है, 500 से अधिक घरों को मुआवजा देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वहां थाने में रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी, वहां सी.ओ. के यहां के रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। सी.ओ. और थाने की रिपोर्ट जब इंश्योरेन्स कंपनी में जाएगी और एक लंबा सा फार्मा जो प्रंखड में उपलब्ध नहीं होगा और जो मुख्यालय में भी नहीं होगा, तब वह क्लियरेन्स के लिए जाएगा। मैं अपने क्षेत्र में जानता हूँ कि एक बार एक स्थान पर 200 झुग्गियों में आग लगी और मुझे उनके लिए पूरा एक वर्ष लग गया। मैं एक विधायक के रूप में उस छोटे से क्षेत्र में काम करता था। पूरा एक वर्ष हमारे कलेक्टर लेंगे। हमारे यहां के एस.पी. ने रिपोर्ट बनाई और बनाकर इंश्यारेन्स कंपनी को दी और मुझे बाद में पता लगा कि उसके मुख्यालय ने कलकत्ता से पूछा कि यह पहली बार है कि एक छोटे से क्षेत्र में इतनी बड़ी राशि इंश्योरेन्स के लिए विमुक्त की जा रही है। यह एक छोटी सी घटना है। आज इन्होंने पूरी की पूरी ताकत अपने अध्ययन की इसमें लगा दी है कि देश में इस क्षेत्र में कंपीटीशन पैदा नहीं किया जाए। हम लोग चाहते हैं और पूरे देश में बहुत सारी स्थितियां हैं। सरकार चाहती है कि उद्योग लगाए। सरकार चाहती है कि व्यवसाय करे। मैं समझता हूँ कि इनकी आवश्यकता हो सकती है लेकिन पूरे भारतवर्ष में यह व्यवस्था विफल हो चुकी है। आज आप घूमकर देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष की जो परिस्थिति है, उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि विदेशी संस्थाएं आकर इस देश की पूंजी ले जाएं। इसके विरोध में हम भी हैं। हम भी नहीं चाहेंगे कि यहां की पूंजी किसी भी रूप में इस देश में बाहर न जाए लेकिन इतना स्पष्ट है कि अगर देश के भीतर कोई प्रतिस्पर्धा होती है, अगर हैल्दी कंपीटीशन होता है तो कम से कम सरकारी तंत्र के लोगों को इसकी तरफ खुलकर देखना चाहिए और उसे होने देना चाहिए क्योंकि आज की अवाम की आवाज है कि हमें बेहतर सुविधाएं चाहिए, हमें बेहतर परिस्थितियां चाहिए। हमारे जीवन और हमारी सुरक्षाओं के प्रति सरकार की नीयत खुली होनी चाहिए। जो चीज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं वह सामान्य रूप से अपने ही देश के लोगों को सौंपनी चाहिए।

मिनिस्ट्री की जो रिकमैंडेशन्स थी, उनमें जो परिभाषा है, एक विषय के प्रति हमारे दल की और हमारी भी चिन्ता है कि इससे बाहर की विदेशी संस्थाओं के इस देश में आगमन की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं, जिसके प्रति सरकार को स्पष्ट रवैया अपनाना चाहिए। इस पूरे माहौल में, पूरी परिस्थिति में, विशेषकर इस विवाद के घेरे में, जो चिन्ता की संभावना बनती है, वह इस विषय पर बनती है कि कहीं विदेशी संस्थाएं हमारे इन्श्यारैंस सैक्टर में आकर इस देश की पूंजी को देश के बाहर न ले जाएं – सबसे प्रमुख मुद्दा यही बनता है – जिसके प्रति इस सदन को और सरकार को भी चिन्ता होनी चाहिए। विशेष मुद्दा यही है। जहां तक प्रतिस्पर्धा का सवाल है, मैं समझता हूँ कि निर्मल जी की जितनी याचनाएं हैं, जैसी उनकी सोच है, जब 50 वर्षों की विफलताओं का हम मापदंड करते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि इनकी जितनी तकरीरें थी, वे कामयाब हो सकेंगी। इन चन्द शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री अजय मुखोपाध्याय : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। हमारी पार्टी के दो नेता पहले ही बोल चुके हैं और माननीय सदस्य श्री निर्मल कान्ति चटर्जी इस पर विस्तार पूर्वक बोल चुके हैं। मैं केवल कुछ टिप्पणियां करना चाहूंगा।

मल्होत्रा समिति का गठन क्यों किया गया था? इसकी क्या आवश्यकता थी? व्यावहारिक रूप से इस समिति को गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस समिति को गठित करने का मुख्य उद्देश्य जिसका बाद में खुलासा कर दिया गया था यह उद्देश्य निजी और विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बीमा क्षेत्र को शुरू करना है। इस संबंध में, मैं सभा का ध्यान वित्त सम्बन्धी स्थायी समिति की पांचवी रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूँ। जिस पर यहां पर चर्चा हुई है। विधेयक के खण्ड 13 के भाग के संबंध में, समिति ने यह टिप्पणी की है कि :

> समिति को यह बताया गया है कि सांवधिक बीमा नियामक प्राधिकरण का गठन बीमा क्षेत्र के उदारीकरण और निजी तथा विदेशी कम्पनियों में इसकी शुरूआत करने का प्रथम प्रयास है।

मल्होत्रा समिति का यही मुख्य उद्देश्य है। मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था

> कि बेहतर ग्राहक सेवा के लिए, प्रतिस्पर्धा का होना आवश्यक और नयी कम्पनियों के आने से बीमा क्षेत्र का विस्तार होगा और बैंकिंग क्षेत्र के अनुभव को बीमा क्षेत्र में लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए।
>
> समिति ने यह भी कहा था कि :
>
> अधिसंख्य निगमित ग्राहकों की भी यही इच्छा है।

इसीलिए मल्होत्रा समिति का गठन किया गया था और सरकार इसकी सिफारिशों को कार्यान्वित कर रही है।

इस संबंध में, मैं विनम्रतापूर्वक एक टिप्पणी करना चाहूंगा। मुझे इस विधेयक को पारित करने में कुछ अनचाही जल्दी लगती है। यदि संसद के मानसून सत्र में इस विधेयक को पारित नहीं

[श्री अजय मुख्योपाध्याय]

किया जाता है तो कोई पहाड़ नहीं टूट जायेगा। इस पर सारे देश में एक वाद-विवाद किया जा सकता था। जब जीवन बीमा निगम की स्थापना की गयी थी और बीमे का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक बात स्पष्टता से कही थी कि बीमे का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं है। उन्होंने सामाजिक पहलू पर जोर दिया जिसे राष्ट्रीयकृत बीमा क्षेत्र द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

कुछ सीमा तक एकाधिकार होना चाहिए। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ० सी.डी. देशमुख ने इसी प्रकार की टिप्पणी की है। वर्ष 1972 में साधारण बीमा निगम के राष्ट्रीयकरण किए जाने के समय भी वही टिप्पणी की गयी थी। क्या इस उद्देश्य की प्राप्ति हुई है अथवा नहीं? जी हाँ, वह उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है। हमें बैंक में घोटाले होने का पता चला है परन्तु बीमा क्षेत्र में किसी भी घोटाले की जानकारी नहीं मिली है। इस सेवा का रिकार्ड बिल्कुल निष्कलंक है। हम बीमा क्षेत्र में क्षेत्र की कंपनियों को आमंत्रित कर रहे हैं। परन्तु राष्ट्रीयकरण किए जाने से पूर्व इसकी स्थिति क्या थी? उस समय हमारे देश में विदेशी कंपनियों सहित निजी क्षेत्र की कुल दो सौ पैंतालीस कंपनियां कार्य कर रहीं थीं। उस सयम एक विनियामक प्राधिकरण अस्तित्व में था; बीमा अधिनियम 1938 भी लागू था। परन्तु निजी क्षेत्र के नियंत्रणाधीन बीमा का इतिहास सामान्यतः विकास में स्थिरता, राशि की अदायगी न किया जाना, झूठे दावे पेश करना, निधियों का जब्त किया जाना तथा ऐसे अनेक कदाचारों और खुलेआम धोखाधड़ी का इतिहास है। हम उस स्थिति को दोबारा आमंत्रित कर रहे हैं।

जहां तक विदेशी बहुराष्ट्रीय बीमा कंपनियों का संबंध है, मैं एक रिपोर्ट का उद्धरण देना चाहता हूँ। पूना स्थिति राष्ट्रीय बीमा अकादमी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ये केवल उदाहरण हैं - अमरीका में 12 वर्ष की अवधि में साधारण बीमा की 372 कंपनियां दिवालिया हो गईं। इसका प्रमुख कारण प्रतिस्पर्धा के नाम पर मुक्त मूल्य निर्धारण प्रणाली का होना था। वहां पर प्रीमियम का न्यूनतम किया जाना प्रचलन में है जो कि खतरनाक है। यदि मल्होत्रा समिति की सिफारिशों को मान लिया जाए तो बीमा बाजार में व्याप्त दरों में अराजकता होना बिल्कुल स्पष्ट है।

महोदया, यह कहा गया है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोग इस क्षेत्र को निजी कंपनियों, भारत के बड़े व्यावसायिक घरानों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोले जाने के लिए उत्सुक हैं। इस संबंध में, मैं केवल यही कहूँगा कि इस देश में केवल पश्चिम बंगाल विधान सभा ही एक ऐसी विधान सभा है जिसने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया है - मैं 'सर्वसम्मति' शब्द पर इसलिए बल दे रहा हूँ क्योंकि मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के एक महीने बाद 11 फरवरी 1994 को कांग्रेस के सदस्य वहां उपस्थित थे जिन्होंने जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा अदा की जा रही महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका की सराहना की थी। उन्होंने बीमा क्षेत्र को निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोले जाने का विरोध किया था।

इस संबंध में एक सर्वेक्षण कराया गया था और रिपोर्ट में यह कहा गया है, कि पॉलिसीधारकों तथा भारत की जनता ने जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के कार्यकरण पर संतोष व्यक्त किया था। ऐसा मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट में भी उल्लिखित है। इन दोनों संस्थाओं की उपलब्धियाँ आश्चर्यजनक हैं। आंकड़ों से पता चलेगा कि इनकी उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

अपराह्न 7.00 बजे

इन्होंने उन दो अधिनियमों में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया है।

सभापति महोदय : अब सात बजे हैं। यदि सदन चाहे तो हम थोड़ा समय और बढ़ा सकते हैं क्योंकि अभी बोलने के लिए दो वक्ता शेष हैं। हमें चर्चा आज ही समाप्त कर देनी चाहिए क्योंकि वे केवल पांच-पांच मिनट का समय लेंगे।

श्री अजय मुखोपाध्याय : मेरी राय में, आवश्यकता इस बात की है कि हमें यह देखना है कि भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा जो प्रगति और विकास किया जा रहा है। उसमें किसी भी प्रकार बाधा आने न पाए। आप देखेंगे कि इस क्षेत्र को खोले जाने से हमारी प्रगति दांव पर लग जाएगी। बीमा संबंधी कार्यकलापों को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा दिया गया है। क्या आज सोचते हैं कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बड़े व्यावसायिक घराने जो केवल अपने लाभ को प्राथमिकता देते हैं, ये सब सामाजिक कार्य करेंगें? क्या उनका सामाजिक दृष्टिकोण है? वे ऐसा नहीं करते। भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम कर और लाभांश के रूप में केन्द्र सरकार को धन प्रदान कर रहे हैं। निःसंदेह, इसमें सुधार की आवश्यकता है परन्तु ये सुधार सरकारी क्षेत्र, राष्ट्रीयकृत क्षेत्र के निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत होने चाहिए। कुछ क्षेत्र कमी वाले हैं, वहाँ पर अभाव है। वहां पर वित्त मंत्रालय के बीमा प्रभाग के अधिकारी दिन-प्रतिदिन हस्तक्षेप कर रहे हैं। जबकि वहां ऐसा नहीं होना चाहिए। सुधारों की आवश्यकता है परन्तु ये सुधार राष्ट्रीय क्षेत्र के मापदंडों के अंतर्गत ही होने चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो इससे नए आयाम आएंगे और भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के क्रियाकलापों में तेजी आएगी।

माननीय वित्त मंत्री जी ने इस विधेयक को पुरःस्थापित करते समय बताया है कि यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल है। माननीय सदस्य श्री निर्मलकान्ति चटर्जी ने इसके बारे में पहले ही उल्लेख किया है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने के बारे में उल्लेख किया गया है और उसमें अगला वाक्य है, "हम भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को सुदृढ़ बनाएंगे।" ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। बीमा क्षेत्र को निजी उद्यमियों के लिए खोलकर आप राष्ट्रीयकृत क्षेत्र, इन दोनों प्रतिष्ठित संस्थाओं अर्थात् भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को, सुदृढ़ नहीं बना सकते। यदि ऐसा कहा गया तो इससे इस देश की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ जाएगी। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे ऐसा

न करें। उन्हें इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए नहीं खोलना चाहिए।

जैसा कि पहले ही बताया गया है कि हमने इस विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यदि संशोधन स्वीकृत कर लिया गया तो इससे राष्ट्रीयकृत क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सकता है। मुझे आशा है कि संयुक्त मोर्चा सरकार इस मामले पर पुनः विचार करेगी और वह इसमें असाधारण शीघ्रता नहीं करेगी।

इस मामले पर सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हर जगह और व्यापक चर्चा हो जाए उसके पश्चात् ही हम निर्णय लेंगे। परन्तु यदि उन्होंने इसे इसी सत्र में पारित करने की कोशिश की तो हम इसका सशक्त विरोध करेंगे क्योंकि जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों, अधिकारियों और कामगारों की तो बात ही क्या, आम जनता सरकार द्वारा की जा रही इस प्रकार की कार्रवाई, उठाए जा रहे ऐसे कदम को बर्दाश्त नहीं करेगी।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का एक बार फिर विरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, मैं संक्षेप में अपनी बात रखने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सी बातें यहां कही जा चुकी हैं। उन्हें दोहराना नहीं चाहता कुछ शंकाएं हैं, जिनके बारे में निराकरण होना आवश्यक है। मैं सबसे पहले इस विधेयक को लाने से पहले जिस मल्होत्रा समिति की बात कही गई है, उस मल्होत्रा समिति के कुछ अंश यहां पर उद्धृत करना चाहूंगा। मल्होत्रा समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो बातें कही हैं, उनमें दो-तीन बातें ऐसी है जिनके बारे में निश्चित रूप से विचार किया जना चाहिए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा, ''हमने कहा था कि अगर आप विदेशी कम्पनियों को प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं तो उन्हें संयुक्त उद्यम क्षेत्र के माध्यम से आने दें। हम नहीं चाहते कि कोई यहां शाखाएं स्थापित करे। हमने कहा था कि वही कम्पनियां स्थापित करें जो इनके अन्तप्रत जवाबदे है। इससे ऐसा लगता है कि विदेशी कम्पनियां यहां पर किसी न किसी प्रकार से प्रवेश पा सकती हैं। जैसी कि एक बार स्थायी समिति की बैठक में शंका व्यक्त की गई थी कि अमरीका से बार-बार इस प्रकार का दबाव आ रहा है कि जो दूसरे सेवाक्षेत्र के उद्योग हैं, उन उद्योगों में भी या जो सेवा के उपक्रम हैं। उनमें भी अन्य कम्पनियों को प्रवेश दिए जाएं या विदेशी कम्पनियों को प्रवेश दिया जाए। सारांश यह है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को प्रवेश दिया जाए। अन्यथा वे सुपर 301 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि इस प्रकार की बात हुई है तो उसके बारे में भी मंत्री महोदय को स्पष्ट करना चाहिए।

मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमने जब बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था तो उस समय निजी क्षेत्र था और इस कार्य में लगी अन्य-अन्य कम्पनियां भी थी। लेकिन उन कम्पनियों की अव्यवस्था को देखते हुए या उन कम्पनियों में धांधलियों को देखते हुए उस समय राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया था और राष्ट्रीयकरण के बाद भी आज हम यह पाते हैं कि निश्चित रूप से उसमें राष्ट्रीयकरण असफल रहा है। हम डिनेशलाईजेशन करने जा रहे हैं तो क्या उस समय लिया गया निर्णय उचित था अथवा उस निर्णय को आज बदलने का क्या कारण है। क्या इसके पीछे यह कारण तो नहीं है कि पूर्व वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने इस प्रकार का आश्वासन विदेशी सरकार या अमरीका को दिया था कि हम निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार की आर्थिक प्रक्रिया में बदलाव लाकर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का दरवाजा खोल देंगे? ये कुछ ऐसी शंकाए हैं जिनके बारे में निश्चित रूप से माननीय मंत्री महोदय को स्पष्ट करना चाहिए।

मैं मल्होत्रा कमेटी की दूसरी सिफारिश के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। ''यद्यपि कम्पनियों ने करोबार की दृष्टि से काफी प्रगति की थी और वित्तीय स्थिति भी काफी संतोषजनक थी तथापि भारत में बीमा कारोबार का विस्तार बहुत कम किया हुआ है इस कारोबार की अनेक ऐसी लाइनें है जिनका पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है।'' जो उस समय तय किया गया था कि इसको सार्वजनिक क्षेत्र में लाने से इसका उपयोग होगा और निश्चित रूप से उसका विस्तार बढ़ेगा, वह नहीं हुआ है। इसलिए आज इस प्रकार की यह नियामक शक्ति एक प्राधिकरण के हाथ में देने की बात कही गई थी। यद्यपि हमारा जो पूर्ववर्ती कानून है, उस कानून में भी इस प्रकार की व्यवस्था है, नियंत्रक है, कंट्रोलर है लेकिन उस कंट्रोलर को और अधिक शक्तियां देकर सीधे सरकार के हाथ में दी जा सकती थी वह नहीं दी गई। यदि मेरी शंका निर्मूल हो तो वह ठीक है अन्यथा जो सरकारी शिकंजा है, वह और अधिक बढ़ेगा और सरकार इस पर ज्यादा प्रभावी होगी और उसकी स्वायत्तता नहीं रहेगी। इसको जितनी स्वायत्तता मिलनी चाहिए और जिस ढंग से इसे काम करना चाहिए, वह नहीं रहेगा।

तीसरा इसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात कही गई है या ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्रामीण बीमे के बारे में आगे जाकर काम करेंगे क्योंकि दो तरह के उपक्रम हैं - एक तो जीवन बीमा है और दूसरा सामान्य बीमा है, जिसकी बात अभी कांति दा ने कही, और लोगों ने भी कहा है कि आखिर फसल बीमे के बारे में क्या प्रक्रिया होगी। ''आज भी हमारा फसल बीमा अपूर्ण रूप से है। उसके बारे में हम सोच नहीं पा रहे हैं। मल्होत्रा समिति में भी कहा गया है कि निजी क्षेत्र की कम्पनियों को ग्रामीण क्षेत्र में बीमा करने के लिए कहा जाना चाहिए। हम विशेष रूप से चाहते थे कि जीवन बीमा करने वाली कम्पनियों के लिए यह आवश्यक होना चाहिए।'' अर्थात् यदि आवश्यक हो तो जीवन बीमा कम्पनियां भी ग्रामीण क्षेत्रों में बीमे का कार्य करें।

यह सामान्य बीमा कम्पनियों से अलग हटकर है। ये कुछ ऐसे मूलभूत बिन्दु हैं, जिनके बारे में निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए।

मैं दो बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा। एक रिपोर्ट है, बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सुझाव, यह 12 मई, 1997 की है। इस पर दासगुप्ता ने स्थाई समिति के समय अपनी टिप्पणी दी थी। डॉ दासगुप्त ने बीमा नियंत्रण

[डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

एवम् प्राधिकरण विधेयक, 1996 के उद्देश्यों से पूरी तरह से असहमति व्यक्त की थी। उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा था कि आज निजी क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बीच चुनाव का प्रश्न नहीं है, बल्कि मूल प्रश्न है - भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र तथा विदेशी निजी क्षेत्र के बीच चुनाव का। वामपंथी सांसद का तर्क है कि देश का निजी क्षेत्र विदेशी कम्पनियों के सहयोग से ही बीमा क्षेत्र में पूंजी निवेश करना चाहेगा। किसी न किसी प्रकार से प्रकारान्तर से वे रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्या आज वामपंथी दल के लोग इस बात से असहमत हैं, उन्होंने जो वहां पर अपनी टिप्पणी दी है और उनके ही सदस्य ने जो टिप्पणी दी है, क्या उस टिप्पणी से वे असहमत होकर कोई अन्य बात करना चाहेंगे? वे इस विधेयक के बारे में जैसा कहा, हम इससे असहमत हैं, वहां पर असहमति जताई, यहां पर आकर आप सहमति जता रहे हैं या सहमति के स्वर में बोल रहे हैं और यह सहमति किस प्रकार की है, मैं जानना चाहूंगा?

मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या यह बात जो कही गई थी, क्योंकि इस बात को प्रकट रूप से कहा गया और अखबारों में बार-बार यह प्रकाशित हुआ है कि वामपंथी दल, जिसमें फारवर्ड ब्लाक भी है, माकपा है, भाकपा है, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है, उनके अनेक सांसदों ने हस्ताक्षर करके दिये हैं कि सरकार जो दो विधेयक ला रही है, उन दोनों विधेयकों का वे विरोध करेंगे। एक विधेयक था, सरकारी मकानों के आबंटन का और दूसरा विधेयक यह एथारिटी वाला है। इन दोनों विधेयकों का हम विरोध करने जा रहे हैं और विरोध करेंगे। क्या वह हस्ताक्षरित पत्र या उसमें कही गई बात असत्य थी, जिस पर आज यहां पर खुले रूप में इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं या समर्थन की भाषा बोल रहे हैं। मैंने अपनी कुछ शंकाएं यहां पर व्यक्त की हैं। मैंने कहा कि यह जो प्राधिकरण बनाया जा रहा है, इससे कुछ बातें तो ठीक होंगी, लेकिन अभी भी इसमें विदेशी कम्पनियों के, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश के द्वार खुले हुए हैं। इन शंकाओं को जब तक निर्मूल नहीं कर देते, माननीय वित्त मंत्री महोदय, यह नहीं कहते कि निश्चित रूप से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को या विदेशी कम्पनियों को किसी प्रकार भी इस उद्योग के अन्दर हम प्रवेश नहीं लेने देंगे, तभी हमारी शंकाएं निर्मूल हो सकती हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : महोदय, यह वाद-विवाद अब तर्क सम्मत निष्कर्ष पर पहुंच रहा है, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जिस पर हमारे बीच मूल मतभेद हैं, यह मतभेद इस विधेयक के खण्ड 13 के संबंध में हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन के बारे में है। इस संशोधन में कहा गया है :

> "परन्तु यह कि प्राधिकरण को किसी विदेशी कंपनी या विदेशी उद्यम को भारत में या तो स्वयं या सह-उद्यम के माध्यम से बीमा करोबार करने की अनुमति देने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी।"

यह कहा जा रहा है कि यह आशंका निराधार है क्योंकि ऐसे में यह विधेयक केवल मौजूदा बीमा प्रणाली, जिसमें जीवन बीमा और साधारण बीमा शामिल है को विनियामित करने के लिए बना है। तथापि, यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि मौजूदा विधेयक और उससे पहले प्रख्यापित अध्यादेश मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट जो 1993 में प्रस्तुत की गई थी, के कारण लाए गए। उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि :

> "जब भी विदेशी बीमा कंपनियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी उन्हें एक भारतीय कम्पनी अधिमानतः भारतीय साझेदार के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करना होगा।

सरकारी अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर समिति की रिपोर्ट की जांच किए जाने के बावजूद मल्होत्रा समिति की इस सिफारिश को अस्वीकार नहीं किया गया है।

अतः अब इस आशंका कि विनियामक प्राधिकरण के बहाने से विनियामक प्राधिकरण द्वारा धारा 13 का प्रयोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों, विदेशी बीमा कंपनियों और हमारी निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों को अनुमति देने और प्रतिस्पर्धा करने तथा बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए किया जाएगा, को निराधार नहीं कहा जा सकता है। यदि यह आशंका निराधार है और यदि यह अनुमान जिस पर हम चल रहे हैं और केवल हम ही नहीं बल्कि यहां उपस्थित अधिकांश संसद सदस्य, लाखों कर्मचारियों सहित बीमा क्षेत्र के लोग जिन्होंने इसका विरोध करते हुए अपने ज्ञापन स्थायी समिति को दिए हैं, निराधार हैं तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से सटीक उत्तर चाहता हूं। 46 विदेशी बीमा कंपनियों द्वारा भारत में अपने कार्यालय स्थापित किए जाने के क्या कारण हैं उनमें से कुछ ने तो संयुक्त उद्यम के लिए सहयोग किया है और कुछ स्वतंत्र रूप से बीमा कंपनियाँ स्थापित की हैं? यह बंगलादेशियों द्वारा बंगाल या भारतीय सीमा में घुस आने की बात नहीं है। उन्होंने ऐसा भारतीय रिजर्व बैंक की शीघ्र और विशेष अनुमति से किया है। क्या मैं माननीय वित्त मंत्री से इसका कारण जान सकता हूँ?

मैं अपनी बात के समर्थन में कुछ कंपनियों के नाम बताऊंगा, ये कंपनियां हैं :-

1. टोकियो मैरीन एण्ड फायर इंश्यारेंश कंपनी लिमिटेड ऑफ जापान।
2. ज्यूरिच इंश्यारेंस कंपनी ऑफ स्विटजरलैंड।
3. जनरल एक्सीडेंट फायर एण्ड लाइफ इंश्यारेंश कंपनी ऑफ यू.एस.ए.। बाम्बेडाइंग इसकी साझेदार है।
4. प्रूडेंसियल कारपोरेशन ऑफ यू.एस.ए.।
5. छब प्रेसीफिक यू.एम.एस.पी. लिमिटेड ऑफ यू.एस.ए.।

6. यशुदा फायर एण्ड मैरीन इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ऑफ जापान।

7. सिगना इन्टरनेशनल कारपोरेशन ऑफ यू.एस.ए.।

8. स्विस आर.ई. ऑफ स्विटजरलैंड।

9. अतियांज अक्टीग्सेलस्कैफ्ट होल्डिंग ऑफ जर्मनी।

10. कॉम्स एण्ड किंग्स ट्रेवल एण्ड फाइनेंस लिमिटेड ऑफ यू.एस.ए. इसकी भारतीय स्टेट बैंक के साथ साझेदारी है।

11. लिबर्टी इन्टरनेशनल ऑफ यू.एस.ए.।

12. एच.एस.बी. इंजीनियरिंग, इंश्योरेंस लिमिटेड।

13. सुमितीयों मैरीन जापान एण्ड फायर इंश्योरेंस ऑफ जापान।

14. आओन इंडिया लिमिटेड।

15. कनाड़ा लाइफ इंश्योरेंस, एश्योरेंस कंपनी ऑफ कनाड़ा।

16. सन लाइफ इश्यारेंश कंपनी ऑफ कनाडा, सुन्दरम फाइनेंस इसकी साझेदार है।

17. कार्मिशयल यूनियन ऑफ यू.के.।

18. एटना इंश्यारेंश।

19. लीगल एण्ड जनरल इंश्यारेंश ऑफ यू.के.।

20. रॉयल इंश्यारेंस ऑफ यू.के.।

21. स्टैण्डर्ड लाइफ ऑफ यू.के.।

22. यू.ए.पी. प्रोविन्सियल इंश्यारेंस ऑफ यू.के. इसकी इंटेग्रेटेड फाइनेंस के साथ भागीदारी है।

23. मेट लाइफ।

24. लिंकन नेशनल ऑफ यू.के.।

25. ईशल स्टार इंश्यारेंश।

26. अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ यू.एस.ए.।

सभापति महोदय : और कितने नाम हैं।

जस्टिस गुमानमल लोढ़ा : महोदया, कुछ नाम और हैं।

सभापति महोदय : आप ये नाम मंत्री महोदय को क्यों नहीं दे देते हैं?

जस्टिस गुमानमल लोढ़ा : मैं माननीय वित्त मंत्री जी के लिए इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि मैं केवल निवेदन या तर्क के लिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ। इसमें कंपनियों, देशों और उनके भारतीय साझेदारों के नाम दिए गए हैं। मैं उनसे एक बात जानना चाहता हूँ। यदि उनके केवल संपर्क कार्यालय हैं, जैसा कि वे कह रही हैं तो यह कैसा संपर्क है? क्या ये बोफोर्स के लिए दलाली देने हेतु संपर्क है? क्या यह संपर्क वैवाहिक या प्रेम विवाह करने के लिए है? यह संपर्क किस लिए है? उनका यहां कैसा संपर्क है? इसमें केवल एक ही देश नहीं है इसमें बल्कि स्विटजरलैण्ड, यू.के. आदि भी शामिल हैं। मैं उन सबके नाम नहीं लूंगा। इनकी संख्या 46 हैं और उनका गोदरेज, एस.के. मोदी ग्रुप, पीयरलेस, डॉबर फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, टाटा, कोलामंडलम ग्रुप, आई.टी.सी., इंटेग्रेटेड फाइनेंस, हिन्दुस्तान टाइम्स ऑफ सुन्दरम फाइनेंस के साथ सहयोग है। यह सब भारतीय साझेदार हैं।

भारतीय साझेदारों के साथ इन संयुक्त उद्यमों ने भारत में अपने कार्यालय खोले हैं। वे विदेशी कंपनियां हैं। भातीय रिजर्व बैंक ने उन्हें अनुमति क्यों दी? यदि उनका यहां पर बीमा व्यवसाय शुरू करने का कोई विचार नहीं है तो वे यहां किसलिए हैं? इससे स्पष्ट रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि बात इतनी साधारण नहीं है जितनी कि वह बता रहे हैं। नियामक प्राधिकरण विधेयक में भारत या विदेशों की निजी कम्पनियों को बीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। अतः उत्तर देते समय माननीय वित्त मंत्री जी को अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से यह बताना तथा आश्वासन देना चाहिए कि समझौता-ज्ञापन तथा समझौते करके जो गैर-कानूनी या अप्राधिकृत बीमा कार्यालय खोले गए हैं उन सभी का बन्दोबस्त किया जाएगा, उन्हें बन्द किया जाएगा तथा भविष्य में भारत सरकार बीमा क्षेत्र में किसी भी विदेशी या बहुराष्ट्रीय कम्पनी को अेकेले या अन्य कम्पनियों के सहयोग से या संयुक्त उद्यम के रूप में भारत में कभी प्रवेश की अनुमति नहीं देगी। यदि इस तरह का कोई आश्वासन बिना हिचकिचाहट के दिया जाता है तो हम निःसंदेह माननीय वित्त मंत्री जी की बात मानने को तैयार हैं अन्यथा उन्हें सशोधन का हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाए तो इसमें क्या हानि है? नियामक प्राधिकरण तथा विधेयक की पूरी योजना यथावत् रहेगी। उद्देश्य केवल नियंत्रण करना तथा नियंत्रक का स्थान नियामक प्राधिकरण को देना है तो ऐसा किया जा सकता है। अतः मैं कहूंगा कि संशोधन को स्वीकार कर लिया जाए।

अब मैं बीमा क्षेत्र में भारतीय कम्पनियों के प्रवेश पर भी कुछ कहना चाहता हूँ। हम इस विधेयक के विरोधी नहीं हैं चाहे इस विधेयक पर विचार किया जाता है या नहीं, यह एक अलग बात है। पर हम यह ज़रूर महसूस करते हैं कि पॉलिसी-धारकों के हित सर्वोपरि होने चाहिए और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय कम्पनियों को वर्तमान कम्पनियों के साथ प्रतियोगिता की अनुमति दी जाती है तो यह जनता के हित में होगा। प्रतियोगी स्वदेशी कम्पनियों के पक्ष में किया जा रहा विरोध दूसरे दर्जे के रेल यात्रियों की मानसिकता पर आधारित है, ठेट दूसरे दर्जे के यात्रियों की मानसिकता यह होती है कि एक बार कोई डिब्बे के भीतर आ जाता है तो कोई चिल्लाकर यह कहता है कि अब कोई और जगह नहीं है।

[जस्टिस गुमान मल लोढा]

ये घोटालों की बात कर रहे थे। क्या आपको पता है कि बीमा क्षेत्र में सबसे पहले पचास के दशक में मुन्द्रा सौदा और डालमिया घोटाला हुआ था ? जहां तक घोटालों का सवाल है बैंकों तथा बीमा क्षेत्र में ही होते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि किसी दुर्घटना के पश्चात् लोगों की बीमा भुगतान सम्बन्धी सेवाएं इतनी खराब होती हैं कि वे दूसरी प्रतियोगी कम्पनियाँ जिन्होंने दुर्घटना के पांच-दस घंटों के भीतर ही बीमा राशि का भुगतान कर दिया प्रतिस्पर्धा के सम्बन्ध में उभर कर सामने आती हैं। ऐसे में खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज तीन-चार दशक बाद भी स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ है, हालांकि जो इसने किया है उस पर हमें गर्व तो है ही लेकिन हमें चोर को चोर ही कहना चाहिए। लेकिन इस देश के लोग इतने से ही संतुष्ट नहीं है। लोग चाहते हैं कि स्वदेशी कम्पनियों के साथ-साथ प्रतियोगिता की अनुमति मिलेगी और अगर ऐसा होता है तो हम इसका स्वागत ही करेंगे।

लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि लॉड क्लाइव फिर से इस देश में आएं। हम अंग्रेजों को जिन्होंने हमारा शोषण किया, कई वर्षों तक हमें गुलाम बनाये रखा और जो अब यहां से चले गये हैं, पिछले दरवाजे से देश में आना हम नहीं चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के लोगों द्वारा बचाई गई धनराशि हम बाहर नहीं ले जाने देंगे। अपने पूरे जीवन में जो धन लोगों ने बचाया हो उसे हम लंदन या न्यूयॉर्क या टोकियो नहीं भेज सकते। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अकेले या सहयोगी कम्पनियों के साथ बीमा क्षेत्र में प्रवेश देने के सम्बन्ध में इस विधेयक का विरोध करता हूँ। यदि माननीय वित्त मंत्री जी हमारे संशोधन को अधिनियम में स्वीकृति दें या मौखिक समर्थन दें तो बीमा नियामक प्राधिकरण विधेयक पारित होने में हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, अन्यथा संशोधन पर बल दिया जाएगा।

सभापति महोदय : धन्यवाद। कल प्रश्नकाल के बाद 12.30 बजे माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे। आज की सूची के सभी वक्ता लोग अपनी बात कह चुके हैं। अतः कल 12.30 बजे मंत्री जी उत्तर देंगे।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं 12.30 बजे उत्तर दूंगा और तत्पश्चात् मतदान होगा।

सभापति महोदय : जी, हाँ। अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 07.27 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 6 अगस्त 1997/15 श्रावण, 1919 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।